



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

व्यय बजट 2026-2027

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

फरवरी, 2026

[अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों सहित]

वर्ष 2026-2027 के लिए बजट प्रावधान, निवल प्राप्तियां और वसूलियां निम्नवत हैं:

(अधिक जानकारी इस विवरण के अंतिम स्तंभ में दर्शाये गए पृष्ठ पर है)

मंत्रालय/भाग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूंजी	कुल	
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	140416.57	112.21	140528.78	
1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	130451.62	109.76	130561.38	1-6
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	9964.95	2.45	9967.40	7-9
परमाणु ऊर्जा विभाग	14157.51	9966.41	24123.92	
3. परमाणु ऊर्जा	14157.51	9966.41	24123.92	10-15
आयुष मंत्रालय	4381.86	27.07	4408.93	
4. आयुष मंत्रालय	4381.86	27.07	4408.93	16-19
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	177049.76	11.71	177061.47	
5. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	184.70	1.02	185.72	20-22
6. उर्वरक विभाग	170935.64	8.89	170944.53	23-25
7. औषध विभाग	5929.42	1.80	5931.22	26-30
नागर विमानन मंत्रालय	2057.87	45.00	2102.87	
8. नागर विमानन मंत्रालय	2057.87	45.00	2102.87	31-33
कोयला मंत्रालय	3633.12	2.20	3635.32	
9. कोयला मंत्रालय	3633.12	2.20	3635.32	34-36
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	12677.46	5166.44	17843.90	
10. वाणिज्य विभाग	5825.76	47.31	5873.07	37-40
11. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	6851.70	5119.13	11970.83	41-46
संचार मंत्रालय	53742.59	48524.43	102267.02	

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

(ii)

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2026-2027

मंत्रालय/भाग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
12. डाक विभाग	27026.57	1249.51	28276.08	47-48
13. दूरसंचार विभाग	26716.02	47274.92	73990.94	49-54
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	239405.33	116.04	239521.37	
14. उपभोक्ता मामले विभाग	4380.75	93.42	4474.17	55-57
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	235024.58	22.62	235047.20	58-61
सहकारिता मंत्रालय	1742.84	1.90	1744.74	
16. सहकारिता मंत्रालय	1742.84	1.90	1744.74	62-64
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	5506.24	55.62	5561.86	
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	5506.24	55.62	5561.86	65-67
संस्कृति मंत्रालय	3216.63	200.00	3416.63	
18. संस्कृति मंत्रालय	3216.63	200.00	3416.63	68-70
रक्षा मंत्रालय	553668.56	231009.72	784678.28	
19. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	16851.36	11703.25	28554.61	71-74
20. रक्षा सेवा (राजस्व)	365478.98	...	365478.98	75-78
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	219306.47	219306.47	79-80
22. रक्षा पेंशन	171338.22	...	171338.22	81-82
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2247.70	4564.60	6812.30	
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2247.70	4564.60	6812.30	83-85
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3073.19	716.04	3789.23	
24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3073.19	716.04	3789.23	86-88

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/भाग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
शिक्षा मंत्रालय	139285.95	3.53	139289.48	
25. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	83561.41	0.85	83562.26	89-92
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	55724.54	2.68	55727.22	93-101
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21234.15	398.81	21632.96	
27. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21234.15	398.81	21632.96	102-107
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3536.66	222.80	3759.46	
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	3536.66	222.80	3759.46	108-111
विदेश मंत्रालय	20706.20	1412.77	22118.97	
29. विदेश मंत्रालय	20706.20	1412.77	22118.97	112-115
वित्त मंत्रालय	1722326.88	250182.60	1972509.48	
30. आर्थिक कार्य विभाग	4249.65	16309.46	20559.11	116-122
31. व्यय विभाग	451.40	74.13	525.53	123-124
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	3686.99	59.96	3746.95	125-128
33. लोक उद्यम विभाग	28.94	0.66	29.60	129-130
34. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)	54.25	1.67	55.92	131-131
35. राजस्व विभाग	1915.31	597.71	2513.02	132-134
36. प्रत्यक्ष कर	10320.12	4984.45	15304.57	135-136
37. अप्रत्यक्ष कर	26076.63	1606.00	27682.63	137-139
38. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	6270.19	166.65	6436.84	140-141
39. व्याज अदायगियां	1403971.79	...	1403971.79	142-144
40. ऋण की अदायगी	...	...	...	145-146
41. पेंशन	97500.00	...	97500.00	147-148
42. राज्यों को अंतरण	167801.61	226381.91	394183.52	149-151

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	8438.22	477.04	8915.26	
43. मत्स्यपालन विभाग	2732.27	29.53	2761.80	152-153
44. पशुपालन और डेयरी विभाग	5705.95	447.51	6153.46	154-157
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4061.43	2.73	4064.16	
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4061.43	2.73	4064.16	158-160
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	103600.31	2930.11	106530.42	
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	98780.91	2928.30	101709.21	161-168
47. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	4819.40	1.81	4821.21	169-170
भारी उद्योग मंत्रालय	7937.08	2.82	7939.90	
48. भारी उद्योग मंत्रालय	7937.08	2.82	7939.90	171-174
गृह मंत्रालय	228146.77	27086.76	255233.53	
49. गृह मंत्रालय	9878.54	508.81	10387.35	175-178
50. मंत्रिमंडल	992.32	109.68	1102.00	179-180
51. पुलिस	152530.06	21272.47	173802.53	181-186
52. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6083.08	597.86	6680.94	187-190
53. चंडीगढ़	5275.15	445.02	5720.17	191-193
54. दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1732.70	1100.00	2832.70	194-197
55. लद्दाख	2542.26	2327.05	4869.31	198-200
56. लक्षद्वीप	1336.49	345.86	1682.35	201-203
57. दिल्ली को अंतरण	968.01	380.00	1348.01	204-205
58. जम्मू और कश्मीर को अंतरण	43290.29	...	43290.29	206-207
59. पुदुचेरी को अंतरण	3517.87	0.01	3517.88	208-209
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	50714.32	34808.07	85522.39	

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	50714.32	34808.07	85522.39	210-216
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4494.56	57.38	4551.94	
61. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4494.56	57.38	4551.94	217-220
जल शक्ति मंत्रालय	94330.98	476.86	94807.84	
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	19437.32	475.66	19912.98	221-227
63. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	74893.66	1.20	74894.86	228-230
श्रम और रोजगार मंत्रालय	32625.33	40.98	32666.31	
64. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	32625.33	40.98	32666.31	231-234
विधि और न्याय मंत्रालय	5193.47	319.92	5513.39	
65. विधि और न्याय	4259.59	249.47	4509.06	235-238
66. निर्वाचन आयोग	367.69	14.53	382.22	239-239
67. भारत का उच्चतम न्यायालय	566.19	55.92	622.11	240-240
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22647.26	1919.01	24566.27	
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22647.26	1919.01	24566.27	241-245
खान मंत्रालय	3642.80	163.65	3806.45	
69. खान मंत्रालय	3642.80	163.65	3806.45	246-248
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3395.62	4.38	3400.00	
70. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3395.62	4.38	3400.00	249-252
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	32911.14	3.53	32914.67	
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	32911.14	3.53	32914.67	253-256

					(₹ करोड़)
मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.	
	राजस्व	पूँजी	कुल		
पंचायती राज मंत्रालय	1186.88	3.28	1190.16		
72. पंचायती राज मंत्रालय	1186.88	3.28	1190.16		257-258
संसदीय कार्य मंत्रालय	61.18	7.27	68.45		
73. संसदीय कार्य मंत्रालय	61.18	7.27	68.45		259-259
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2507.22	154.79	2662.01		
74. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2454.37	153.08	2607.45		260-263
75. केंद्रीय सतर्कता आयोग	52.85	1.71	54.56		264-264
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	30204.77	238.45	30443.22		
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	30204.77	238.45	30443.22		265-269
योजना मंत्रालय	1203.38	28.78	1232.16		
77. योजना मंत्रालय	1203.38	28.78	1232.16		270-271
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	3964.88	1199.92	5164.80		
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	3964.88	1199.92	5164.80		272-276
विद्युत मंत्रालय	29635.83	361.02	29996.85		
79. विद्युत मंत्रालय	29635.83	361.02	29996.85		277-282
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	2015.07	68.76	2083.83		
80. राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते	133.10	4.10	137.20		283-283
81. लोक सभा	978.17	30.83	1009.00		284-285
82. राज्य सभा	471.32	11.67	482.99		286-287
83. उप-राष्ट्रपति सचिवालय	11.39	0.31	11.70		288-288

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियों का सारांश

मंत्रालय/मांग	बजट अनुमान 2026-2027			पृष्ठ संख्या.
	राजस्व	पूँजी	कुल	
84. संघ लोक सेवा आयोग	421.09	21.85	442.94	289-289
रेल मंत्रालय	3547.32	277830.00	281377.32	
85. रेल मंत्रालय	3547.32	277830.00	281377.32	290-294
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15707.85	294167.45	309875.30	
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15707.85	294167.45	309875.30	295-298
ग्रामीण विकास मंत्रालय	197017.51	5.63	197023.14	
87. ग्रामीण विकास विभाग	194364.18	4.63	194368.81	299-302
88. भूमि संसाधन विभाग	2653.33	1.00	2654.33	303-304
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	18170.23	20090.71	38260.94	
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7963.94	20085.38	28049.32	305-308
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	3446.00	...	3446.00	309-310
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6760.29	5.33	6765.62	311-312
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	9759.51	126.29	9885.80	
92. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	9759.51	126.29	9885.80	313-315
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	15346.37	10.94	15357.31	
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	13678.02	9.57	13687.59	316-322
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1668.35	1.37	1669.72	323-325
अंतरिक्ष विभाग	7329.71	6375.92	13705.63	
95. अंतरिक्ष विभाग	7329.71	6375.92	13705.63	326-328
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5457.75	45.14	5502.89	

</

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अंतरण	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
5.02 संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)	17811.72	...	17811.72	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
5.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-17811.72	...	-17811.72	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00
<i>निवल</i>	<i>22600.00</i>	<i>...</i>	<i>22600.00</i>	<i>22600.00</i>	<i>...</i>	<i>22600.00</i>	<i>22600.00</i>	<i>...</i>	<i>22600.00</i>	<i>22600.00</i>	<i>...</i>	<i>22600.00</i>
6. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	22.59	...	22.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा)	5437.99	...	5437.99	6941.36	...	6941.36	6941.36	...	6941.36	7200.00	...	7200.00
8. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को दाल का वितरण	246.62	...	246.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)												
9.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00	55000.00	...	55000.00	60000.00	...	60000.00
9.02 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	66121.20	...	66121.20	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
9.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-63500.00	...	-63500.00	-63500.00	...	-63500.00	-55000.00	...	-55000.00	-60000.00	...	-60000.00
<i>निवल</i>	<i>66121.20</i>	<i>...</i>	<i>66121.20</i>	<i>63500.00</i>	<i>...</i>	<i>63500.00</i>	<i>63500.00</i>	<i>...</i>	<i>63500.00</i>	<i>63500.00</i>	<i>...</i>	<i>63500.00</i>
10. प्रधानमंत्री किसान मन - धन योजना	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	50.00	...	50.00	120.00	...	120.00
11. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	474.24	...	474.24	584.00	...	584.00	584.00	...	584.00	500.00	...	500.00
12. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	725.34	...	725.34	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	910.00	...	910.00
13. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	66.50	...	66.50	75.00	...	75.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
14. कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता	62.50	...	62.50	71.50	...	71.50	7.51	...	7.51	63.97	...	63.97
15. नमो ड्रोन दीदी	1.48	...	1.48	676.85	...	676.85	100.00	...	100.00	676.85	...	676.85
16. कपास प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...
17. दालों हेतु मिशन	...	...	...	1000.00	...	1000.00	...	...	...	...	...	...
18. सब्जियों और फलों के लिए मिशन	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...
19. हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...
20. मखाना बोर्ड हेतु सहायता	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...
21. मखाने के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	90.00	...	90.00
22. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	6000.00	...	6000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
23.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	...	...	...	...	...	...
24. भारत - विस्तार	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...	150.00
25. उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	350.00	...	350.00
26. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-320.27	...	-320.27	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	116011.65	...	116011.65	108910.98	...	108910.98	107212.87	...	107212.87	108660.82	...	108660.82
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
27. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	37.13	...	37.13	40.00	...	40.00	37.13	...	37.13	37.13	...	37.13
स्वायत्त निकाय												
28. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	19.90	...	19.90	22.00	...	22.00	19.50	...	19.50	20.50	...	20.50
29. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.49	...	7.49	8.01	...	8.01
30. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00	4.41	...	4.41	4.72	...	4.72
31. नारियल विकास बोर्ड	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	37.16	...	37.16	37.16	...	37.16
32. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	24.00	...	24.00	22.00	...	22.00	26.69	...	26.69	28.46	...	28.46
जोड़-स्वायत्त निकाय	88.40	...	88.40	91.00	...	91.00	95.25	...	95.25	98.85	...	98.85
अन्य												
33. कृषि गणना	41.01	...	41.01	40.00	...	40.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
34. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	258.12	...	258.12	200.00	...	200.00	276.19	...	276.19	295.52	...	295.52
35. आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र	21.75	...	21.75	25.00	...	25.00	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00
36. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	55.00	...	55.00	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00
37. राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस)	...	...	...	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-अन्य	375.88	...	375.88	337.00	...	337.00	464.19	...	464.19	483.52	...	483.52
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	501.41	...	501.41	468.00	...	468.00	596.57	...	596.57	619.50	...	619.50
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
38. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना												
38.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	7517.32	...	7517.32	8500.00	...	8500.00	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00
38.02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5611.60	...	5611.60	8500.00	...	8500.00	7000.00	...	7000.00	8550.00	...	8550.00
38.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-5742.78	...	-5742.78	-8500.00	...	-8500.00	-7000.00	...	-7000.00	-7000.00	...	-7000.00
<i>निवल</i>	<i>7386.14</i>	<i>...</i>	<i>7386.14</i>	<i>8500.00</i>	<i>...</i>	<i>8500.00</i>	<i>7000.00</i>	<i>...</i>	<i>7000.00</i>	<i>8550.00</i>	<i>...</i>	<i>8550.00</i>
39. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	10.35	...	10.35	616.01	...	616.01	725.00	...	725.00	750.00	...	750.00
40. कृषोन्नति योजना	5599.70	...	5599.70	8000.00	...	8000.00	6800.00	...	6800.00	11200.00	...	11200.00
41. वास्तविक वसूली	-244.29	...	-244.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	12751.90	...	12751.90	17116.01	...	17116.01	14525.00	...	14525.00	20500.00	...	20500.00
कुल जोड़	129858.28	75.19	129933.47	127202.29	87.87	127290.16	123003.13	86.17	123089.30	130451.62	109.76	130561.38
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	91739.87	...	91739.87	76941.08	...	76941.08	75387.29	...	75387.29	76387.13	...	76387.13

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. मृदा और जल संरक्षण	33.99	...	33.99	38.25	...	38.25	35.92	...	35.92	37.38	...	37.38
3. कृषि वित्तीय संस्थान	24600.00	...	24600.00	21313.68	...	21313.68	21313.68	...	21313.68	21313.68	...	21313.68
4. अन्य कृषि कार्यक्रम	2631.39	...	2631.39	3323.66	...	3323.66	2522.95	...	2522.95	4923.79	...	4923.79
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	195.48	...	195.48	263.49	...	263.49	208.18	...	208.18	223.63	...	223.63
6. फसल कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	49.17	49.17	...	66.83	66.83	...	65.45	65.45	...	91.67	91.67
7. मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.94	1.94	...	1.75	1.75	...	1.20	1.20	...	1.15	1.15
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.40	9.40	...	4.56	4.56	...	4.08	4.08	...	4.20	4.20
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	14.68	14.68	...	14.73	14.73	...	15.44	15.44	...	12.74	12.74
जोड़-आर्थिक सेवाएं	119200.73	75.19	119275.92	101880.16	87.87	101968.03	99468.02	86.17	99554.19	102885.61	109.76	102995.37
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	13394.46	...	13394.46	13119.81	...	13119.81	13685.20	...	13685.20
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10472.89	...	10472.89	11804.24	...	11804.24	10234.15	...	10234.15	13632.45	...	13632.45
12. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	184.66	...	184.66	123.43	...	123.43	181.15	...	181.15	248.36	...	248.36
जोड़-अन्य	10657.55	...	10657.55	25322.13	...	25322.13	23535.11	...	23535.11	27566.01	...	27566.01
कुल जोड़	129858.28	75.19	129933.47	127202.29	87.87	127290.16	123003.13	86.17	123089.30	130451.62	109.76	130561.38

7.

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक ऐसी योजना है जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक हैं। इसका उद्देश्य मूल रूप से किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है।
9.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान): प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जो योजना के तहत छूट के अध्वधीन है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये अंतरित किए जाते हैं।
10.

प्रधानमंत्री किसान धन - धन योजना: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) का उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक अंशदायी योजना है, जो अपवर्जन मानदण्डों के अध्वधीन, पेंशन निधि में मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं।
11.

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन: 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन वर्ष 2020 में व्यापकता का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सके।
1.

सचिवालय: बजट प्रावधानों में मंत्रालयों /विभागों और इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं।
3.

फसल बीमा योजना: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है ताकि किसानों को फसलों की बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक उन सभी प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकती और उसके लिए पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह स्कीम मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।
4.

प्रौद्योगिकी के नवाचार और उसको अपनाने हेतु कोष (एफआईएटी): नवाचारऔर प्रौद्योगिकी निधि (एफआईएटी) को 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्रौद्योगिकी पहलों, जैसे यस-टेक,विन्ड्स, आदि का वित्तपोषण करने के लिए बनाया गया है। इसमें बीमा कंपनियों (आई सी) द्वारा ऑटो करेक्शन फैक्टर (एसीएफ) आदि लागू करने के कारण अभ्यर्पित किसानों के हिस्से के प्रीमियम जो पहले से ही ज्यादा जमा हो चुके है की निधि का उपयोग किया जाएगा।
5.

संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस): एमआईएसएस फसल कृषि कार्य करने वाले किसानों और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे अन्य संबद्ध गतिविधियों को करने के लिए रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है। यह एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की व्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% सहायता भी दी जाती है जिससे व्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

12. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** केंद्रीय क्षेत्र की योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद के प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि अस्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करती है। योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान होगा। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, क्रेडिट गारंटी कवरेज पात्र उधारकर्ताओं के लिए इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

13. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम):** राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, महिलाओं पर विशेष ध्यान, संवर्धन और उत्पादन के लिए इनपुट समर्थन, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईवीडीसी) की स्थापना अन्य बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण/ऑनलाइन पंजीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजार समर्थन, आदि और 3 मिनी मिशन (एमएम) के तहत अनुसंधान एवं विकास पर जोर देकर देश में "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

14. **कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करना है, जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है। इन स्टार्टअप्स के लिए गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि स्तर पर किराए के आधार पर किसानों के लिए मशीनरी और एफपीओ के लिए आधारित सहायता सहित प्रौद्योगिकी शामिल होंगी।

15. **नमो ड्रोन वीवी:** इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजनों लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

16. **कपास प्रौद्योगिकी मिशन:** कपास प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य देश में कपास उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना है। मिशन के लक्ष्यों में उत्पादकता, गुणवत्ता, विपणन, प्रसंस्करण और किसान की आय में वृद्धि शामिल है। इस योजना को चालू वित्त वर्ष से कृषि योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के साथ मिला दिया गया है।

17. **दालों हेतु मिशन:** मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी दलहनों के लिए दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। खरीद के अलावा भंडारण समाधानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. **सब्जियों और फलों के लिए मिशन:** मिशन का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इस योजना को चालू वित्त वर्ष से केंद्र प्रायोजित योजना कृषियोगाती योजना के साथ मिला दिया गया है।

19. **हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन:** मिशन का उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च उपज, कीट प्रतिरोध आदि के साथ संकरों (हाईब्रीड्स) का प्रसार करना है।

20. **मखाना बोर्ड हेतु सहायता:** योजना का नाम बदल दिया गया है और क्र.सं.21 पर दर्शाया गया है।

21. **मखाने के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना:** मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में इसकी स्थापना की जाएगी।

24. **भारत - विस्तार:** कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु वर्चुली इंटीग्रेटेड सिस्टम (भारत-विस्तार): एआई प्रणालियों के साथ कृषि प्रणालियों के साथ आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टेक पोर्टल को एकीकृत करने हेतु बहुभाषायी एआई चैटबॉट विकसित करना।

25. **उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता:** कृषि उत्पादों में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नारियल, चंदन, कोकोआ और काजू जैसी उच्च मूल्य की फसलों तथा बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले मेवों के लिए सहायता।

27. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजन से वर्ष 2001 में बने एक विधान के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं (ब्रीडर्स) के अधिकारों के संरक्षण और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया है।

28. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** यह संस्थान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव-सुरक्षा एवं क्षिप्राक्रमण (इनकर्सन) प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए कार्यरत है।

29. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुविधाजनक बनाता है ताकि वे संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुआरों को सर्वोत्तम कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

30. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों को परामर्श और नीतिगत समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

31. **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

32. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत हार्ड-टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/केंद्र विकसित करना, कटाई के बाद और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने इत्यादि को बढ़ावा देना है।

33. **कृषि गणना:** कृषि जनगणना कृषि सांख्यिकी के संग्रह की एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय प्रचालन है।

34. **कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी:** इस योजना का समग्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का एक डेटाबेस एकत्र करना, संकलित करना और बनाए रखना, कृषि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण करना और नीतिगत सुझाव देना है।

35. **आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र:** आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र एक क्षेत्रीय सुविधा है जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के संस्थानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रशिक्षण और सेवा की व्यवस्था में सहायता करता है।

36. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक राशि ,खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी) को आवंटित की जाती है।

37. **राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस):** राष्ट्रीय किसान कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी (एनएफडब्ल्यूपीआई) एक स्वायत्त सोसायटी है और पीएम-किसान योजना के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में स्थापित की गई है।

38. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) मूल रूप से कृषि-उद्यमिता, नवाचारों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने सहित उपज के पूर्व और पश्चात अवसंरचना पर मुख्य रूप से ध्यान देने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 140 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

39. **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन:** राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को स्थिरता, जलवायु प्रतिरोधकता और सुरक्षित भोजन की दिशा में कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बदलाव के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रलेखन और प्रसार में प्राकृतिक खेती के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, प्रयास करने वाले किसानों को संवर्धन रणनीति में भागीदार बनाना, किसानों को प्रशिक्षण और निरंतर सहायता सुनिश्चित करना और इस तरह किसानों को स्वेच्छिक रूप से प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करना है।

40. **कृषोन्नति योजना:** कृषोन्नति योजना को लागू करने का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना है ताकि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। फल और सब्जियों के लिए वर्ष 2026-2027 के मिशन का 700 करोड़ रुपए के आवंटन का इस स्कीम के साथ विलय कर दिया गया है। इस आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 45.99 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 150.78 करोड़ रुपए शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10030.41	3.15	10033.56	10462.06	4.33	10466.39	10278.34	2.49	10280.83	9964.95	2.45	9967.40
वसूलियां	-223.03	...	-223.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	9807.38	3.15	9810.53	10462.06	4.33	10466.39	10278.34	2.49	10280.83	9964.95	2.45	9967.40
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	30.56	3.15	33.71	42.84	4.33	47.17	37.63	2.49	40.12	38.56	2.45	41.01
2. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.16	...	-0.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	30.40	3.15	33.55	42.84	4.33	47.17	37.63	2.49	40.12	38.56	2.45	41.01
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का सुदृढीकरण	234.73	...	234.73	204.23	...	204.23	182.23	...	182.23	210.00	...	210.00
4. सतत कृषि विकास हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के साथ बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन और उत्पादन पश्चात तंत्र	91.16	...	91.16	95.74	...	95.74	89.00	...	89.00	96.50	...	96.50
5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	247.85	...	247.85	229.09	...	229.09	198.09	...	198.09	232.05	...	232.05
6. खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान	894.23	...	894.23	965.46	...	965.46	965.46	...	965.46	969.50	...	969.50
7. पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान)	250.88	...	250.88	318.91	...	318.91	262.91	...	262.91	220.00	...	220.00
8. पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास	400.95	...	400.95	504.04	...	504.04	417.04	...	417.04	416.95	...	416.95
9. संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन	200.77	...	200.77	192.81	...	192.81	167.81	...	167.81	170.25	...	170.25
10. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढीकरण	620.58	...	620.58	708.94	...	708.94	645.00	...	645.00	514.87	...	514.87
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2941.15	...	2941.15	3219.22	...	3219.22	2927.54	...	2927.54	2830.12	...	2830.12
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. आईसीएआर मुख्यालय	6369.15	...	6369.15	6425.83	...	6425.83	6559.42	...	6559.42	6275.00	...	6275.00

5. **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान कम कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता, भूमि क्षरण, कम जल उत्पादकता, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और कम पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र संस्थाओं में गिरावट, अजैविक दबाव आदि को चिह्नित करने के लिए अनुसंधान करने हेतु है। कृषि विकास की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए गिरते प्राकृतिक संसाधन आधार का सामना करना आवश्यक है।

6. **खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान:** यह प्रावधान विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर (हाईब्रिड) किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दबावों के अतिरिक्त कीटनाशक और रोग सहनशीलता के लिए है। पैदावार में किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्व दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर (हाईब्रिड) किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने के कार्य में लगे हैं।

7. **पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान):** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दबावों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र के साथ नई खेती का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और मुर्गीपालन क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और संधारणीयता को सहायता प्रदान करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभरते क्षेत्रों में पशुधन और मुर्गीपालन क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

9. **संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन:** यह प्रावधान मत्स्यपालन और जलजीव पालन में अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। यह मत्स्यपालन संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन, जलजीवपालन हैचरी और ग्रो-आउट कल्चर प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण, रिस्पासिबल फिशिंग सिस्टम और जलजीव पालन के लिए अतः स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनिटरिंग आदि करने के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण, विक्षेपणात्मक, सलाहकार-सहायता और परामर्शदाता सेवाएं भी प्रदान करता है।

10. **कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन, ii) स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

11. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान आईसीएआर के तहत मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और विभिन्न योजनाओं प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता संबंधी व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

12. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में व्यास कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

परमाणु ऊर्जा विभाग

मांग संख्या 3

परमाणु ऊर्जा

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	21595.39	15021.21	36616.60	22668.29	14814.64	37482.93	22418.90	14762.82	37181.72	25629.30	12793.41	38422.71
वसूलियां	-174.30	-2361.78	-2536.08	-153.40	-2837.00	-2990.40	-174.97	-2701.00	-2875.97	-161.23	-2827.00	-2988.23
प्राप्तियां	-8728.85	-259.09	-8987.94	-10443.43	...	-10443.43	-9894.28	...	-9894.28	-11310.56	...	-11310.56
निवल	12692.24	12400.34	25092.58	12071.46	11977.64	24049.10	12349.65	12061.82	24411.47	14157.51	9966.41	24123.92
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	68.70	0.83	69.53	83.33	1.81	85.14	76.27	2.46	78.73	120.60	4.39	124.99
2. नाभिकीय ऊर्जा विनियामक बोर्ड	109.59	...	109.59	123.78	...	123.78	128.76	...	128.76	132.80	...	132.80
3. नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र												
3.01 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	2958.06	...	2958.06	3206.02	...	3206.02	3127.64	...	3127.64	3157.60	...	3157.60
	-76.88	...	-76.88	-70.53	...	-70.53	-70.95	...	-70.95	-71.00	...	-71.00
निवल	2881.18	...	2881.18	3135.49	...	3135.49	3056.69	...	3056.69	3086.60	...	3086.60
3.02 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम	585.41	...	585.41	575.39	...	575.39	676.77	...	676.77	676.98	...	676.98
3.03 राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर	427.86	...	427.86	447.10	...	447.10	467.40	...	467.40	485.89	...	485.89
3.04 बैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता	170.15	...	170.15	200.19	...	200.19	215.53	...	215.53	236.27	...	236.27
3.05 परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	335.61	...	335.61	387.50	...	387.50	385.45	...	385.45	405.97	...	405.97
जोड़- नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र	4400.21	...	4400.21	4745.67	...	4745.67	4801.84	...	4801.84	4891.71	...	4891.71
4. ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड)	755.55	...	755.55	740.61	...	740.61	904.16	...	904.16	950.79	...	950.79
5. सेवा इकाइयां	473.42	0.90	474.32	511.27	2.87	514.14	500.64	1.35	501.99	539.28	2.87	542.15
	-67.37	...	-67.37	-37.50	...	-37.50	-37.00	...	-37.00	-36.00	...	-36.00
निवल	406.05	0.90	406.95	473.77	2.87	476.64	463.64	1.35	464.99	503.28	2.87	506.15
6. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी)	125.85	...	125.85	152.56	...	152.56	128.39	...	128.39	129.89	...	129.89
7. प्रबंधन सेवा समूह	0.83	...	0.83	1.24	...	1.24	1.11	...	1.11	1.38	...	1.38
8. नाभिकीय ईंधन परिसर												
8.01 सकल बजटीय सहायता	3763.12	...	3763.12	3243.25	...	3243.25	3543.84	...	3543.84	3678.08	...	3678.08

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 घटाएं - प्राप्तियां	-3032.85	...	-3032.85	-2980.05	...	-2980.05	-3002.55	...	-3002.55	-3027.55	...	-3027.55
8.03 घटाएं - वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>730.27</i>	<i>...</i>	<i>730.27</i>	<i>263.20</i>	<i>...</i>	<i>263.20</i>	<i>541.29</i>	<i>...</i>	<i>541.29</i>	<i>650.53</i>	<i>...</i>	<i>650.53</i>
9. भारी जल उत्पादन सुविधा-केंद्र												
9.01 सकल बजटीय सहायता	129.42	1492.23	1621.65	155.76	1577.31	1733.07	176.12	1542.31	1718.43	180.56	1564.96	1745.52
9.02 घटाएं-वसूली	-29.96	-1600.03	-1629.99	-45.37	-1701.00	-1746.37	-67.02	-1701.00	-1768.02	-54.23	-1801.00	-1855.23
<i>निवल</i>	<i>99.46</i>	<i>-107.80</i>	<i>-8.34</i>	<i>110.39</i>	<i>-123.69</i>	<i>-13.30</i>	<i>109.10</i>	<i>-158.69</i>	<i>-49.59</i>	<i>126.33</i>	<i>-236.04</i>	<i>-109.71</i>
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	6696.51	-106.07	6590.44	6694.55	-119.01	6575.54	7154.56	-154.88	6999.68	7507.31	-228.78	7278.53
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
अनुसंधान एवं विकास												
10. भाभा परमाणुअनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (बीएआरसी)	139.97	759.80	899.77	219.46	880.54	1100.00	140.54	778.37	918.91	190.84	1609.16	1800.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
11. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (आईजीसीएआर)	8.55	73.03	81.58	20.23	204.77	225.00	17.07	50.79	67.86	42.18	183.82	226.00
12. राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी)	...	123.88	123.88	8.77	169.83	178.60	8.82	54.18	63.00	10.01	114.99	125.00
13. परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	71.46	29.05	100.51	126.25	95.51	221.76	99.39	45.61	145.00	100.35	69.23	169.58
14. अन्य संस्थानों को अनुदान	84.98	...	84.98	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
जोड़-अनुसंधान एवं विकास	304.96	985.76	1290.72	464.71	1350.65	1815.36	355.82	928.95	1284.77	433.38	1977.20	2410.58
15. ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरवी)	0.18	699.69	699.87	0.30	499.70	500.00	0.25	749.75	750.00	0.97	749.03	750.00
आवासन और पास-पड़ोस विकास परियोजनाएं												
16. आवासीय परियोजनाएं	...	135.35	135.35	...	160.00	160.00	...	100.00	100.00	0.02	149.98	150.00
भारी जल सुविधाएं												
17. भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन	...	34.61	34.61	...	45.00	45.00	...	35.00	35.00	...	40.00	40.00
18. फीडस्टॉक												
18.01 सकल बजटीय सहायता	...	1600.00	1600.00	...	1700.00	1700.00	...	1700.00	1700.00	...	1700.00	1700.00
18.02 घटाएं - वसूलियां	...	-761.75	-761.75	...	-1136.00	-1136.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1026.00	-1026.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>838.25</i>	<i>838.25</i>	<i>...</i>	<i>564.00</i>	<i>564.00</i>	<i>...</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>...</i>	<i>674.00</i>	<i>674.00</i>
19. भारी जल पूल प्रबंधन												
19.01 सकल बजटीय सहायता	2000.00	...	2000.00	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	4000.00	...	4000.00
19.02 घटाएं - प्राप्तियां	-2000.00	...	-2000.00	-3000.00	...	-3000.00	-3000.00	...	-3000.00	-4000.00	...	-4000.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-भारी जल सुविधाएं	...	872.86	872.86	...	609.00	609.00	...	735.00	735.00	...	714.00	714.00

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20.	विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना (बीआरआईटी)		...	55.39	55.39	...	88.22	88.22	...	35.00	35.00	...	76.00	76.00
21.	नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं		2165.43	79.00	2244.43	1820.17	265.83	2086.00	1032.73	300.10	1332.83	2454.79	45.21	2500.00
			-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल		2165.34	79.00	2244.34	1820.17	265.83	2086.00	1032.73	300.10	1332.83	2454.79	45.21	2500.00
22.	नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं		...	707.85	707.85	...	595.00	595.00	...	531.33	531.33	...	175.65	175.65
23.	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड विस्तार परियोजना		...	9.19	9.19	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00
24.	वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर (बीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं		22.17	34.86	57.03	7.34	32.66	40.00	8.30	31.70	40.00	8.17	46.83	55.00
25.	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं		1000.55	64.87	1065.42	1115.79	134.21	1250.00	1089.84	110.16	1200.00	1016.61	183.39	1200.00
26.	उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं		5.00	54.00	59.00	14.42	17.58	32.00	...	23.62	23.62	...	9.50	9.50
27.	फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकल प्रोजेक्ट्स (एफआरएफसीएफ) कलपक्कम		30.30	446.58	476.88	33.20	566.80	600.00	34.91	415.09	450.00	45.60	554.40	600.00
28.	नाभिकीय ईंधन भण्डार													
28.01	सकल बजटीय सहायता		2799.68	...	2799.68	2800.00	...	2800.00	2750.00	...	2750.00	2750.00	...	2750.00
28.02	घटाएं - प्राप्ति		-3696.00	...	-3696.00	-4463.38	...	-4463.38	-3891.73	...	-3891.73	-4283.01	...	-4283.01
	निवल		-896.32	...	-896.32	-1663.38	...	-1663.38	-1141.73	...	-1141.73	-1533.01	...	-1533.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			2632.18	4145.40	6777.58	1792.55	4333.65	6126.20	1380.12	3974.70	5354.82	2426.53	4695.19	7121.72
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय														
स्वायत्त निकाय														
29.	अन्य स्वायत्त निकाय		3315.87	...	3315.87	3529.36	...	3529.36	3759.97	...	3759.97	4168.67	...	4168.67
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम														
30.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)		...	7861.00	7861.00	...	7389.00	7389.00	...	8092.00	8092.00	...	5300.00	5300.00
31.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी)		...	500.00	500.00	...	374.00	374.00	...	150.00	150.00	...	200.00	200.00
32.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड		...	259.10	259.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			...	-259.09	-259.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल		...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			...	8361.01	8361.01	...	7763.00	7763.00	...	8242.00	8242.00	...	5500.00	5500.00
अन्य														
33.	अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा अभिकरण को अंशदान		47.68	...	47.68	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय			3363.55	8361.01	11724.56	3584.36	7763.00	11347.36	3814.97	8242.00	12056.97	4223.67	5500.00	9723.67
कुल जोड़			12692.24	12400.34	25092.58	12071.46	11977.64	24049.10	12349.65	12061.82	24411.47	14157.51	9966.41	24123.92
ख. विकास शीर्ष														
आर्थिक सेवाएं														
1.	विद्युत		1277.27	...	1277.27	168.34	...	168.34	-97.60	...	-97.60	934.41	...	934.41
2.	उद्योग		2370.73	...	2370.73	2191.85	...	2191.85	2395.20	...	2395.20	2691.11	...	2691.11

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	8975.54	...	8975.54	9627.94	...	9627.94	9975.78	...	9975.78	10411.39	...	10411.39
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	68.70	...	68.70	83.33	...	83.33	76.27	...	76.27	120.60	...	120.60
5. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2910.00	2910.00	...	3658.84	3658.84	...	3342.11	3342.11	...	145.22	145.22
6. परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2764.67	2764.67	...	2456.18	2456.18	...	2415.86	2415.86	...	2868.76	2868.76
7. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	1194.84	1194.84	...	1490.81	1490.81	...	1101.39	1101.39	...	1548.04	1548.04
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.83	0.83	...	1.81	1.81	...	2.46	2.46	...	4.39	4.39
9. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	5530.00	5530.00	...	4370.00	4370.00	...	5200.00	5200.00	...	5400.00	5400.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	12692.24	12400.34	25092.58	12071.46	11977.64	24049.10	12349.65	12061.82	24411.47	14157.51	9966.41	24123.92
कुल जोड़	12692.24	12400.34	25092.58	12071.46	11977.64	24049.10	12349.65	12061.82	24411.47	14157.51	9966.41	24123.92

												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
1.	इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		...	25.08	25.08	...	50.00	50.00	...	15.00	15.00	...	20.00	20.00
2.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड		...	107.22	107.22	...	135.00	135.00	...	138.00	138.00	...	140.00	140.00
3.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड		...	6.19	6.19	...	3.50	3.50	...	3.00	3.00	...	13.00	13.00
4.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड		500.00	4.09	504.09	374.00	1.00	375.00	150.00	5.00	155.00	200.00	5.00	205.00
5.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		7861.00	10899.00	18760.00	7389.00	12941.00	20330.00	8092.00	12371.00	20463.00	5300.00	12987.00	18287.00
जोड़			8361.00	11041.58	19402.58	7763.00	13130.50	20893.50	8242.00	12532.00	20774.00	5500.00	13165.00	18665.00

1. **सचिवालय:** परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय की जिम्मेदारी इस विभाग की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रही देशभर में फैली संघटक इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन छह अनुसंधान एवं विकास इकाइयां, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) हरियाणा सहित तीन औद्योगिक इकाइयां, तीन सेवा संगठनों और पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा नौ सहायता-प्राप्त संस्थान भी हैं। डीएई की एक शाखा-सचिवालय नई दिल्ली में भी है।

2. **नाभिकीय ऊर्जा विनियामक बोर्ड:** परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) विकिरणीय संरक्षा प्रतिबंधों को लागू करता है। विकिरणीय, नाभिकीय एवं औद्योगिक सुरक्षा नियमनों के निर्धारण के कार्य में प्रचालनरत संयंत्रों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसएआरसीओपी), विकिरण अनुप्रयोगों के लिए संरक्षा संवीक्षा समिति (एसआरसी) एवं अन्य समितियों द्वारा इसकी सहायता की जाती है।

3.01. **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र:** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी संगठन है जो समाज के लाभ हेतु परमाणु ऊर्जा एवं उसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अनुसंधान एवं विकासात्मक (आर एंड डी) कार्यक्रमों को चलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), डीएई की अन्य सभी इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है।

3.02. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम:** केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का दायरा रिएक्टर घटकों के हाइड्रॉलिक अध्ययनों और रिएक्टर इंजीनियरी अध्ययनों, सोडियम इंस्ट्रुमेंटेशन, पदार्थ विकास एवं विशिष्टीकरण तक फैला है। केन्द्र ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैच्योर फास्ट ब्रीडर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उत्तरदायित्व दिया है।

3.03. **राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर:** राजा रमन उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरसीएटी), इंदौर, कण त्वरकों (पार्टिकल एक्सलेरेटर्स) और लेजों की प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोगों के विकास कार्य कर रहा है।

3.04. **वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता:** कोलकाता स्थित वैरिएबल ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी), राष्ट्र के सबसे बड़े और स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम साइक्लोट्रॉन का प्रचालन कर रहा है और इसने भारत में प्रथम बार एनर्जेटिक नियॉन 20 और आर्गन 40 बीमों का उत्पादन किया है। एक विशाल नाभिकीय भौतिक समुदाय द्वारा राष्ट्रीय सुविधा भारतीय गामा रे एरे (आईएनजीए) की राष्ट्रीय सुविधा हेतु संचालित कई प्रयोगों को पूरा किया गया था।

3.05. **परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद:** परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु आवश्यक परमाणु खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वोक्षण एवं अन्वेषण का कार्य करता है।

4. **ईंधन चक्र सुविधा (नाभिकीय विनियामक बोर्ड):** नाभिकीय विनियामक बोर्ड (एनआरबी) को नाभिकीय ईंधन पुनः प्रसंस्करण संबंधी कार्यकलापों को करने हेतु सृजित किया गया है।

5. **सेवा इकाइयां:** इसमें तीन सेवा संस्थान शामिल हैं : (i) क्रय एवं भंडार निदेशालय डीपीएस, मुंबई, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता सही समय, सही स्थान और सही मूल्य पर सुनिश्चित करना, (ii) निर्माण, सेवाएं एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय (डीसीएसईएम), मुंबई, डीएई की संपदा के आवंटन और सुरक्षा सहित रिहायशी फ्लैटों, दुकानों, सरकारी इमारतों और संपदा प्रबंधन के मुंबई में संचालन और स्तरोन्नयन के लिए उत्तरदायी है, (iii) सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ), कलपक्कम एक ऐसा सेवा संगठन है जो कलपक्कम में रिहायशी आवास, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

6. **विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी):** बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी (बीआरआईटी) रेडियोफार्मास्यूटिकल और संबंधित उत्पादों, रेडियो इम्प्लान्ट्स किट, रेडियोकेमिकल्स, रेडियोलेबल्ड यौगिकों और न्यूक्लियोटाइड्स सहित विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है और कोबाल्ट-60, इरिडियम-192, सीज़ियम-137 आदि विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे गामा रेडियोग्राफी कैमरे, रक्त विकिरण और प्रयोगशाला गामा विकिरण, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में उपयोग के लिए विकिरण प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और चिकित्सा उत्पादों, मसालों, रुचिकर सामग्री (कॉन्डिमेंट्स) और अन्य उत्पादों के लिए विकिरण प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान करना, विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रचार करना और निजी उद्यमियों को वाणिज्यिक गामा विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए सुविधा सेवाएं प्रदान करना है।

7. **प्रबंधन सेवा समूह:** विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन में समन्वयन हेतु उत्तरदायी है।

8. **नाभिकीय ईंधन परिसर:** नाभिकीय ईंधन परिसर (एनएफसी) सभी दाबयुक्त हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए जिरकोनियम एलाय क्लाड, प्राकृतिक तथा समृद्ध यूरेनियम ऑक्साइड फ्यूल असेम्बलीज सहित केलोन्ड्रिनया तथा पीएचडब्ल्यूआर के लिए प्रेसर्यूब तथा वीडब्ल्यूआर के लिए स्क्वेयर चैनल सहित इन रिएक्टरों हेतु बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स (बीडब्ल्यूआर) जिरकोनियम एलाय स्ट्रक्चरल

संघटक के विनिर्माण हेतु उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, एनएफसी नाभिकीय तथा गैर-नाभिकीय प्रयोगों हेतु अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के सीमलैस स्टेनलेस स्टील तथा स्पेशल एलॉय ट्यूब्स एवं सामरिक उपयोग हेतु विशेष तथा उच्च परिशुद्धता सामग्रियों का उत्पादन करता है।

9. **भारी जल उत्पादन सुविधा-केंद्र:** भारी जल बोर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित दो भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) कोटा और मनुगुरु तथा अमोनिया-हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोसेस पर आधारित दो संयंत्र थल एवं हजीरा में प्रचालित करता है।

10. **भाभा परमाणुअनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (बीएआरसी):** अनुसंधान और विकास के प्रयास परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, बुनियादी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में केंद्रित हैं और बिजली उत्पादन और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के लिए तैयार हैं।

11. **इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (आईजीसीएआर):** इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र ईंधन संविरचन और री-प्रोसेसिंग समर्थित नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण के भाग के रूप में देश में तरल सोडियम शीतलित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के डिजाइन तथा विकास में लगा हुआ है। एफवीआर कार्यक्रम के आरंभ में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्वदेशी रूप से विकसित यूरेनियम-प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन से प्रचालनरत है।

12. **राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी):** टेन एमईवी लिनेक प्रणाली की डिजाइन तथा संस्थापन, कृषि विकिरण संसाधन सुविधाओं के लिए आईसोलेशन शील्ड तथा त्वरक की दीवार में ओजोन कंटेनमेंट का विकास किया जा रहा है।

13. **परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडीआईआर) की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** इनकी गतिविधियों में परमाणु खनिजों का मूल्यांकन, विश्लेषण, अभिलक्षणन तथा वर्गीकरण, रेडियोमीट्रिक उपकरणों का संविरचन तथा अयस्क निष्कर्षण फ्लो शीटों का विकास शामिल है।

14. **अन्य संस्थानों को अनुदान:** परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) तथा होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के माध्यम से क्रमशः नाभिकीय एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा गणित में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

15. **ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएं (एनआरबी):** नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए ईंधन की आपूर्ति में सुधार के लिए एकीकृत नाभिकीय पुनःचक्रण परियोजना का निर्माण।

16. **आवासीय परियोजनाएं:** आवास परियोजनाएं अपने कर्मचारियों के लिए आवास सहित विभाग की निर्माण गतिविधियों की देखभाल करती हैं। निदेशालय आवासीय फ्लैटों, दुकानों, सार्वजनिक भवनों और आवंटन सहित संपत्ति प्रबंधन के संचालन, रखरखाव और उन्नयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा, निदेशालय घटक इकाइयों के लिए निर्माण कार्यों को निष्पादित करता है।

17. **भारी जल परियोजनाओं में सुधार/आशोधन:** चिकित्सा, जीव विज्ञान, संचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज्यूटीरियम (डी) तथा एच डब्ल्यू के गैर-नाभिकीय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में कार्य करता है। भारी जल बोर्ड ने विभिन्न डी-चिह्नित यौगिकों के संश्लेषण का कार्य किया है।

18.	फीडस्टॉक: वित्तीय वर्ष के दौरान भारी जल के अधिग्रहण तथा उत्पादन का मूल्य।	30.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल): न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु बिजलीघर की अभिकल्पना, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण करने वाली एक नोडल एजेंसी है।
19.	भारी जल पूल प्रबंधन: पूल प्रबंधन में धारित भारी जल के लिए नियोजित सरकार पूंजी का व्याज।	31.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी): भाविनी का लक्ष्य वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए पीएफवीआर से शुरूआत करते हुए फास्ट ब्रीडर तकनीकी आधारित नाभिकीय बिजलीघरों के एकीकृत कार्यक्रम की योजना बनाना, कार्यान्वित करना तथा प्रचालित करना है।
20.	विकिरण एवं आइसोटोप परियोजना (बीआरआईटी): विकिरणित सीओ-60 के भंडारण के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए विखण्डन मोली परियोजना का निर्माण।	32.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड: वर्ष 2020-21 और 2023-24 में बोनस शेयर जारी करने के लिए।
21.	नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं: इनमें विभाग की ओर से ऊर्जा क्षेत्रों की संघटक इकाइयों द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित योजनाएं शामिल हैं।	33.	अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा अभिकरण को अंशदान: भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रारंभ से ही उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय परिगोष्ठियों एवं अन्य फेलोशिप विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने के अतिरिक्त विशेषज्ञता वाले कार्यों हेतु विभागीय वैज्ञानिकों की सेवायें इस संस्था को उपलब्ध कराता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के प्रावधान इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के लिए विभाग द्वारा किए गए योगदान को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं।
22.	नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएं: पीएचडब्ल्यूआर रिएक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंधन बंडल के उत्पादन हेतु जिरकोलॉय संविचरन सुविधा सहित ईंधन संविचरन सुविधा की स्थापना।		
23.	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड विस्तार परियोजना: प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए एईआरबी के क्षमता निर्माण हेतु मुख्यालय में नए भवन तथा क्षेत्रीय नियामक केंद्रों का निर्माण।		
24.	वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (बीईसीसी) की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं: मेडिकल साइक्लोट्रॉन की संस्थापना, एडवांस कंप्यूटिंग, एएनयूआरआईबी की डिजाइन और सुपरकंडक्टिंग एक्सीलेरेटर घटकों के विकास से भविष्य में नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान होगा।		
25.	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं: विभाग की ओर से अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले आईटीईआर में योगदान के लिए प्रावधान के अतिरिक्त मेगा साइंस, पब्लिक आउटरीच, प्रबंधन कार्यक्रम, अणुनेट परियोजनाएं जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।		
26.	उद्योग एवं खनिज परियोजनाएं: वे परियोजनाएं शामिल हैं जो आईएंडएम क्षेत्र की संघटक इकाइयों द्वारा विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।		
27.	फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकल प्रोजेक्ट्स (एफआरएफसीएफ) कल्पक्रम: आईजीसीएआर की ईंधन चक्र परियोजनाएं एफआरएफसीएफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संवृत्त ईंधन चक्र की एकीकृत सुविधा है।		
28.	नाभिकीय ईंधन भण्डार: यह भारी जल उत्पादन की विभिन्न सुविधाओं से भारी जल उत्पादन का मालसूची प्रबंधन है।		
29.	अन्य स्वायत्त निकाय: इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्यारह स्वायत्त निकाय द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शामिल है। इसमें महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम, टाटा स्मारक केन्द्र द्वारा किए जा रहे कैंसर केयर, शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम के लिए अलग प्रावधान भी शामिल हैं।		

आयुष मंत्रालय

मांग संख्या 4

आयुष मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3456.29	12.34	3468.63	3937.45	55.45	3992.90	3618.47	53.35	3671.82	4381.86	27.07	4408.93
वसूलियां	-156.58	...	-156.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3299.71	12.34	3312.05	3937.45	55.45	3992.90	3618.47	53.35	3671.82	4381.86	27.07	4408.93
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	47.68	7.62	55.30	59.60	48.95	108.55	53.98	49.65	103.63	53.82	20.62	74.44
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	14.62	0.22	14.84	18.34	0.25	18.59	17.58	0.30	17.88	17.91	0.25	18.16
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी औषधकोश आयोग	13.67	4.50	18.17	15.71	6.25	21.96	15.81	3.40	19.21	16.06	6.20	22.26
4. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	75.96	12.34	88.30	93.65	55.45	149.10	87.37	53.35	140.72	87.79	27.07	114.86
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
आयुष संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं												
5. सूचना, शिक्षा एवं संचार	29.82	...	29.82	43.20	...	43.20	73.00	...	73.00	45.00	...	45.00
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	103.86	...	103.86	136.00	...	136.00	142.75	...	142.75	156.00	...	156.00
7. आयुर्ज्ञान	25.70	...	25.70	50.00	...	50.00	37.81	...	37.81	50.00	...	50.00
8. आयुस्वस्थिय योजना	20.61	...	20.61	62.60	...	62.60	46.73	...	46.73	62.60	...	62.60
9. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (एओजीयूएसवाई)	13.92	...	13.92	27.00	...	27.00	17.75	...	17.75	27.00	...	27.00
10. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना	40.00	...	40.00	65.00	...	65.00	35.00	...	35.00	65.00	...	65.00
जोड़-आयुष संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	233.91	...	233.91	383.80	...	383.80	353.04	...	353.04	405.60	...	405.60
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	233.91	...	233.91	383.80	...	383.80	353.04	...	353.04	405.60	...	405.60
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
11. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	130.05	...	130.05	165.20	...	165.20	279.24	...	279.24	219.05	...	219.05

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	16.00	...	16.00	20.00	...	20.00	19.00	...	19.00	20.00	...	20.00
13. भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग	32.43	...	32.43	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	37.28	...	37.28
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	178.48	...	178.48	219.20	...	219.20	332.24	...	332.24	276.33	...	276.33
स्वायत्त निकाय												
14. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	469.72	...	469.72	457.20	...	457.20	518.85	...	518.85	524.05	...	524.05
15. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	162.00	...	162.00	165.00	...	165.00	214.00	...	214.00	227.25	...	227.25
16. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	190.05	...	190.05	214.50	...	214.50	199.00	...	199.00	208.50	...	208.50
17. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	243.20	...	243.20	251.20	...	251.20	306.20	...	306.20	270.20	...	270.20
18. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	84.08	...	84.08	93.96	...	93.96	86.11	...	86.11	91.99	...	91.99
19. अन्य स्वायत्त निकाय	681.23	...	681.23	783.94	...	783.94	740.70	...	740.70	990.15	...	990.15
जोड़-स्वायत्त निकाय	1830.28	...	1830.28	1965.80	...	1965.80	2064.86	...	2064.86	2312.14	...	2312.14
अन्य												
20. वास्तविक वसूलियां (अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय)	-100.77	...	-100.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1907.99	...	1907.99	2185.00	...	2185.00	2397.10	...	2397.10	2588.47	...	2588.47
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
21. राष्ट्रीय आयुष मिशन	1137.65	...	1137.65	1275.00	...	1275.00	780.96	...	780.96	1300.00	...	1300.00
22. वास्तविक वसूलियां (सीएसएस)	-55.80	...	-55.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1081.85	...	1081.85	1275.00	...	1275.00	780.96	...	780.96	1300.00	...	1300.00
कुल जोड़	3299.71	12.34	3312.05	3937.45	55.45	3992.90	3618.47	53.35	3671.82	4381.86	27.07	4408.93
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2192.20	...	2192.20	2570.40	...	2570.40	2725.35	...	2725.35	2965.51	...	2965.51
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	47.68	...	47.68	59.60	...	59.60	53.98	...	53.98	53.82	...	53.82
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.34	12.34	...	55.45	55.45	...	53.35	53.35	...	27.07	27.07
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2239.88	12.34	2252.22	2630.00	55.45	2685.45	2779.33	53.35	2832.68	3019.33	27.07	3046.40
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	214.45	...	214.45	213.88	...	213.88	251.03	...	251.03
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1036.39	...	1036.39	988.00	...	988.00	573.26	...	573.26	1006.50	...	1006.50
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	23.44	...	23.44	105.00	...	105.00	52.00	...	52.00	105.00	...	105.00
जोड़-अन्य	1059.83	...	1059.83	1307.45	...	1307.45	839.14	...	839.14	1362.53	...	1362.53

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	3299.71	12.34	3312.05	3937.45	55.45	3992.90	3618.47	53.35	3671.82	4381.86	27.07	4408.93

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु आश्वस्त गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य-क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्य औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी औषधकोश आयोग:** यह आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह भारत में सभी आयुष औषधियों से संबंधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलीय प्राधिकरण हैं। इसके अलावा, यह सभी आयुष औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है जो भेषज संहिता (फारमेकोपिया) के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

5. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करना। इस प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।

6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता का संवर्धन करना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष हितधारकों की अंतःक्रिया और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।

7. **आयुर्ज्ञान:** आयुष मंत्रालय ने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' योजना लागू की है।

8. **आयुर्स्वास्थ्य योजना:** यह आयुष मंत्रालय की पिछली योजना आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पीएचआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओडी) की एक व्यापक योजना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के लिए आयुष का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य-2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य-3 (एसडीजी 3) को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठनों के नवीन प्रस्तावों का समर्थन करना है और विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष हस्तक्षेपों के माध्यम से आयुष प्रणालियों की प्रभावशीलता का दस्तावेजीकरण करना है जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है। उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यो और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और नवीन प्रस्तावों का समर्थन करना है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

9. **आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना" (एओजीयूएसवाई):** आयुष औषधी गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए है।

10. **औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना:** स्वस्थान और/या बाह्यस्थान पर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, औषधीय पादपों के संसाधन संवर्धन जो आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण हैं। औषधीय पादपों के सभी पहलुओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, कृषि तकनीकों का विकास, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण वर्णन उपकरण आदि का विकास करना। किसानों, संग्रहकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पादपों पर आधारित आजीविका प्रणालियों को प्रोत्साहित करना। गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना और बाजार संपर्क और मूल्यवर्धन का निर्माण/अनुकूलन करना। उचित अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास। दस्तावेजों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिनों, वृत्तचित्रों, ब्रोशरों, पोस्टरों और अन्य प्रचार सामग्री आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना। औषधीय पादप जैवविविधता के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कदम उठाना और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

11. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आयुर्वेद में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

12. **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग:** एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करे, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करे; जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है और होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और किफायती बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों के आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन का है और जो भारत के लिए होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है; जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है।

13. **भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग:** एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है , जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है ; जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को भी सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है । जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसन्धान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता
- सं 4/आयुष मंत्रालय

है जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है, जो बदलती जरूरतों के अनुकूल हो सकता है और इसमें एक प्रभावी शिकायत से जुड़े या उसके अनुषंगिक मामलों हेतु निवारण तंत्र एक प्रभावी निवारण तंत्र है।

14. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय-पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषज संहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

15. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं – औषधीय पादप अनुसंधान [चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत (फार्माकोग्रांसी फार्माकोलॉजिकल) अनुसंधान], औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

16. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और सर्वेक्षण और औषधीय पादपों की खेती के अलावा, आईईसी गतिविधियों को शुरू करने और अनुसंधान उन्मुख व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान करना।

17. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं पोस्ट डॉक्टरल (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक-आधार तैयार करना।

18. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना।

19. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई, राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलोर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग, पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईईएफएम), पासीघाट, राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान, राष्ट्रीय सोबा-रिग्या संस्थान तथा राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनआईआईएफएमआर), पासीघाट के लिए प्रावधान शामिल हैं।

21. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के रूप में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के उन्नयन के जरिए व्यापक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करना (ii) राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेशियों और दवा परीक्षण संस्थानों का उन्नयन, (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता युक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पञ्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटी उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मर्दों के निर्यात में वृद्धि करना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 5

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1486.39	121.36	1607.75	192.07	1.98	194.05	184.37	1.20	185.57	184.70	1.02	185.72
वसूलियां	-30.37	...	-30.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	-1351.37	...	-1351.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	104.65	121.36	226.01	192.07	1.98	194.05	184.37	1.20	185.57	184.70	1.02	185.72
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	25.74	1.28	27.02	30.19	1.88	32.07	27.78	1.13	28.91	27.24	0.96	28.20
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. पेट्रोरसायनों की नयी स्कीमें	33.49	...	33.49	50.50	...	50.50	45.50	...	45.50	52.50	...	52.50
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
3. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता	14.44	0.02	14.46	20.75	0.10	20.85	22.59	0.07	22.66	26.02	0.06	26.08
स्वायत्त निकाय												
4. केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)	44.20	...	44.20	78.48	...	78.48	76.35	...	76.35	70.00	...	70.00
निवल	-30.37	...	-30.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	13.83	...	13.83	78.48	...	78.48	76.35	...	76.35	70.00	...	70.00
5. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	17.15	...	17.15	12.15	...	12.15	12.15	...	12.15	8.94	...	8.94
जोड़-स्वायत्त निकाय	30.98	...	30.98	90.63	...	90.63	88.50	...	88.50	78.94	...	78.94
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
6. पीएसयू को ऋण												
6.01 एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	...	120.06	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. पीएसयू के संबंध में ऋणों को बट्टे खाते डालना/माफ करना												
7.01 हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	1351.37	...	1351.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	-1351.37	...	-1351.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	120.06	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	45.42	120.08	165.50	111.38	0.10	111.48	111.09	0.07	111.16	104.96	0.06	105.02
कुल जोड़	104.65	121.36	226.01	192.07	1.98	194.05	184.37	1.20	185.57	184.70	1.02	185.72
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	78.91	...	78.91	156.83	...	156.83	152.04	...	152.04	152.21	...	152.21
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.74	...	25.74	30.19	...	30.19	27.78	...	27.78	27.24	...	27.24
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.30	1.30	...	1.98	1.98	...	1.20	1.20	...	1.02	1.02
4. रसायन और औषध उद्योगों के लिए ऋण	...	120.06	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	104.65	121.36	226.01	187.02	1.98	189.00	179.82	1.20	181.02	179.45	1.02	180.47
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5.05	...	5.05	4.55	...	4.55	5.25	...	5.25
जोड़-अन्य	...	...	...	5.05	...	5.05	4.55	...	4.55	5.25	...	5.25
कुल जोड़	104.65	121.36	226.01	192.07	1.98	194.05	184.37	1.20	185.57	184.70	1.02	185.72

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
एचआईएल इंडिया लिमिटेड												
1. एचआईएल इंडिया लिमिटेड	120.06	...	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-एचआईएल इंडिया लिमिटेड	120.06	...	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	120.06	...	120.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के वेतन और स्थापना व्यय के लिए है।
2. **पेट्रोरसायनों की नयी स्कीमें:** यह प्रावधान विभिन्न गतिविधियों के लिए है जैसे पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क की स्थापना और पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए है। रासायनिक संवर्धन और विकास उप-योजना (सीपीडीएस) को एनएसपी योजना के तहत विलय कर दिया गया है। इस घटक के तहत किया गया प्रावधान रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए जागरूकता लाने और सूचना का प्रसार करने के लिए है।

3. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी सहायता:** इसमें वित्त वर्ष 2026-27 में भोपाल गैस पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान एवं भोपाल कल्याण आयोग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 26.08 करोड़ का प्रावधान है।
4. **केंद्रीय पेट्रो-रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी):** यह प्रावधान कुशल मानव शक्ति विकसित करने और सिपेट योजनाओं के तहत शिक्षा, प्रौद्योगिकी सहायता और कौशल विकास के माध्यम से पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों के लिए

तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत उद्योग-अकादमिक लिंक के साथ इस क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है।

5. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** इसमें आईपीएफटी को सहायता अनुदान (सामान्य, वेतन और पूंजीगत संपत्ति) का प्रावधान है जो सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

उर्वरक विभाग

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	191816.12	8.06	191824.18	184067.26	15.18	184082.44	215130.35	18.28	215148.63	187153.64	8.89	187162.53
वसूलियां	-10030.80	...	-10030.80	-27580.00	...	-27580.00	-28518.00	...	-28518.00	-16218.00	...	-16218.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	181785.32	8.06	181793.38	156487.26	15.18	156502.44	186612.35	18.28	186630.63	170935.64	8.89	170944.53
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	40.90	2.07	42.97	48.56	2.88	51.44	43.65	2.88	46.53	45.64	2.89	48.53
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	40.88	2.07	42.95	48.56	2.88	51.44	43.65	2.88	46.53	45.64	2.89	48.53
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. यूरिया सन्निडी												
2.01 देशी यूरिया के लिए भुगतान	103319.51	...	103319.51	100839.50	...	100839.50	89989.50	...	89989.50	91000.00	...	91000.00
2.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	2000.00	...	2000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	7000.00	...	7000.00
2.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-2000.00	...	-2000.00	-10000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-10000.00	-7000.00	...	-7000.00
2.04 यूरिया के आयात के लिए भुगतान	21000.00	...	21000.00	21000.00	...	21000.00	51972.00	...	51972.00	31999.00	...	31999.00
2.05 उर्वरक सन्निडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	13.15	5.99	19.14	27.70	12.30	40.00	16.50	15.40	31.90	...	...	...
2.06 उर्वरक सन्निडी प्रबंधन प्रणाली	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.00	6.00	24.00
2.07 वसूली	-6459.70	...	-6459.70	-2980.00	...	-2980.00	-15518.00	...	-15518.00	-6218.00	...	-6218.00
निवल	117872.96	5.99	117878.95	118887.20	12.30	118899.50	126460.00	15.40	126475.40	116799.00	6.00	116805.00
3. पोषक तत्व आधारित सन्निडी												
3.01 स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	34010.00	...	34010.00	30000.00	...	30000.00	35000.00	...	35000.00	34000.00	...	34000.00
3.02 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) में राशि अंतरण	1000.00	...	1000.00	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	3000.00
3.03 तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-1000.00	...	-1000.00	-3000.00	...	-3000.00	-3000.00	...	-3000.00	-3000.00	...	-3000.00
3.04 आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	18800.00	...	18800.00	19000.00	...	19000.00	25000.00	...	25000.00	20000.00	...	20000.00
3.05 वसूली	-571.08	...	-571.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	52238.92	...	52238.92	49000.00	...	49000.00	60000.00	...	60000.00	54000.00	...	54000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम	...	...	...	1.50	...	1.50	0.70	...	0.70	1.00	...	1.00
5. जैविक उर्वरक संवर्धन नीति	32.56	...	32.56	150.00	...	150.00	108.00	...	108.00	90.00	...	90.00
6. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
6.01 यूरिया सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में अंतरण	10000.00	...	10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.02 पोषक तत्व आधारित सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि में अंतरण	1600.00	...	1600.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण	11600.00	...	11600.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
7.01 यूरिया सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	-10000.00	...	-10000.00	...	...	...	...	...	...
7.02 पोषक तत्व आधारित सस्मिडी के तहत तेल उद्योग विकास निधि से प्राप्त राशि	...	...	...	-1600.00	...	-1600.00	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	-11600.00	...	-11600.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	181744.44	5.99	181750.43	156438.70	12.30	156451.00	186568.70	15.40	186584.10	170890.00	6.00	170896.00
कुल जोड़	181785.32	8.06	181793.38	156487.26	15.18	156502.44	186612.35	18.28	186630.63	170935.64	8.89	170944.53
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	53838.92	...	53838.92	47400.00	...	47400.00	60000.00	...	60000.00	54000.00	...	54000.00
2. उद्योग	127905.52	...	127905.52	109038.70	...	109038.70	126568.70	...	126568.70	116890.00	...	116890.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	40.88	...	40.88	48.56	...	48.56	43.65	...	43.65	45.64	...	45.64
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.06	8.06	...	15.18	15.18	...	18.28	18.28	...	8.89	8.89
जोड़-आर्थिक सेवाएं	181785.32	8.06	181793.38	156487.26	15.18	156502.44	186612.35	18.28	186630.63	170935.64	8.89	170944.53
कुल जोड़	181785.32	8.06	181793.38	156487.26	15.18	156502.44	186612.35	18.28	186630.63	170935.64	8.89	170944.53

(₹ करोड़)

	बजट 2026-2027			बजट 2027-2028			बजट 2028-2029			बजट 2029-2030		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	...	16.15	16.15	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	...	...
2. राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	...	857.67	857.67	...	1576.97	1576.97	...	1412.22	1412.22	...	1492.23	1492.23

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2026-2027												25
												(₹ करोड़)
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
3. ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड	...	-164.81	-164.81	...	-66.23	-66.23	...	...	...	...	...	...
4. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	...	161.89	161.89	...	1266.13	1266.13	...	350.00	350.00	...	400.00	400.00
5. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	...	147.19	147.19	...	102.75	102.75	...	103.00	103.00	...	100.00	100.00
6. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	...	1.41	1.41	...	25.67	25.67	...	11.90	11.90	...	30.67	30.67
7. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	...	14.99	14.99	...	45.94	45.94	...	72.35	72.35	...	72.35	72.35
8. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	...	0.10	0.10	...	7.79	7.79	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	1034.59	1034.59	...	2994.02	2994.02	...	1984.47	1984.47	...	2095.25	2095.25

1.

सचिवालय:

इसमें उर्वरक विभाग के वेतन और स्थापना व्यय हेतु प्रावधान हैं।
- 2.01.

देशी यूरिया के लिए भुगतान:

यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन (अर्थात स्वदेशी यूरिया) हेतु डुलाई सन्सिडी सहित उर्वरक नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत सन्सिडी के लिए हैं। यह सन्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरक उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित प्रतिलाभ दिलाने के लिए अभिप्रेत है। वितरण लाभ (मार्जिन) को घटाकर यथानिर्धारित रियायती मूल्य और वैधानिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सन्सिडी के रूप में अनुमत किया जाता है। सन्सिडी की मात्रा रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।
- 2.04.

यूरिया के आयात के लिए भुगतान:

चूंकि उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा किए जाने हेतु आयात की व्यवस्था की जाती है। लागत में मुख्य रूप से आयातित उर्वरकों का मूल्य तथा उर्वरकों के प्रबंधन और वितरण की लागत शामिल होती है। किसानों को आयातित उर्वरकों का विक्रय मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियमित होता है तथा इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सांविधिक रूप से विनियमित होते हैं। यह विक्रय मूल्य स्वदेशी उत्पादन के विक्रय मूल्य के समान होता है। उर्वरकों की किसानों को की गई विक्री से प्राप्त धनराशि और सरकार की आयात लागत के बीच का अंतर आयातित उर्वरक पर सन्सिडी को दर्शाता है।
- 2.05.

उर्वरक सन्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):

यह प्रावधान ऑनलाइन बिलों पर सन्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए है।
- 2.06.

उर्वरक सन्सिडी प्रबंधन प्रणाली:

इसमें उर्वरक सन्सिडी प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में उर्वरक सन्सिडी में डीबीटी) के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय (अर्थात कार्यालय व्यय, व्याायवसायिक सेवा, आईसीटीआदि) के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.01.

स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:

यह प्रावधान किसानों के लिए रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषक आधारित सन्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरक विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मृदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए संतुलित उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का उपयोग हो सकेगा।

- 3.04.

आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान:

यह प्रावधान किसानों को रियायती दर पर विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की विक्री पर पोषक आधारित सन्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयातकों/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से बेहतर मृदा गुणवत्ता और उत्पादकता के लिए संतुलित उर्वरक एनपीके पोषकतत्वों का उपयोग हो सकेगा।
4.

भारत में वाणिज्यिक पोत ध्वजांकन संवर्द्धन स्कीम:

आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 14 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आमंत्रित वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सन्सिडी के रूप में पांच वर्षों की अवधि के लिए 1624 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया है।
5.

जैविक उर्वरक संवर्धन नीति:

इसमे बाजार विकास सहायता (एमडीए) तथा अनुसंधान और विकास को अनुदान प्रदान करके जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

औषध विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	2978.80	39.99	3018.79	5267.16	1.56	5268.72	4368.20	1.50	4369.70	5929.42	1.80	5931.22
	वसूलियां	-45.45	...	-45.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	2933.35	39.99	2973.34	5267.16	1.56	5268.72	4368.20	1.50	4369.70	5929.42	1.80	5931.22
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
	1. सचिवालय	21.12	0.83	21.95	22.05	1.10	23.15	23.26	1.15	24.41	25.07	1.40	26.47
	2. राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	16.14	0.16	16.30	20.60	0.40	21.00	18.15	0.35	18.50	19.00	0.40	19.40
	3. वसूली	-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	37.20	0.99	38.19	42.65	1.50	44.15	41.41	1.50	42.91	44.07	1.80	45.87
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
	4. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	245.03	...	245.03	200.07	...	200.07	281.07	...	281.07	215.00	...	215.00
	5. जन औषधि स्कीम	169.93	...	169.93	353.50	...	353.50	190.00	...	190.00	200.50	...	200.50
	6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी	4.21	...	4.21	6.00	...	6.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
औषध उद्योग विकास													
	7. औषध उद्योग का विकास												
	7.01 औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)	2.02	...	2.02	5.00	...	5.00	3.83	...	3.83	2.00	...	2.00
	7.02 औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता	33.06	...	33.06	50.00	...	50.00	31.00	...	31.00	15.84	...	15.84
	7.03 औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस)	...	...	...	100.00	...	100.00	92.09	...	92.09	250.00	...	250.00
	7.04 बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन	2.24	...	2.24	1460.00	...	1460.00	810.00	...	810.00	700.00	...	700.00
	जोड़- औषध उद्योग का विकास	37.32	...	37.32	1615.00	...	1615.00	936.92	...	936.92	967.84	...	967.84
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं													
	8. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना												
	8.01 भारत में क्रिटीकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलु उत्पादकता और महत्वपूर्ण	21.30	...	21.30	40.00	...	40.00	52.86	...	52.86	66.40	...	66.40

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना														
8.02	मेडिकल डिवाइस की घरेलु उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना		81.99	...	81.99	104.93	...	104.93	139.85	...	139.85	183.44	...	183.44
8.03	औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना		2330.00	...	2330.00	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2250.00	...	2250.00
जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना			2433.29	...	2433.29	2444.93	...	2444.93	2492.71	...	2492.71	2499.84	...	2499.84
9.	फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी)		48.44	...	48.44	245.00	...	245.00	245.00	...	245.00	750.00	...	750.00
10. चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना														
10.01	चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना		0.90	...	0.90	125.00	...	125.00	120.80	...	120.80	50.00	...	50.00
10.02	चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास		0.50	...	0.50	60.00	...	60.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
10.03	चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं		...	...	...	60.00	...	60.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00
10.04	आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना		1.27	...	1.27	60.00	...	60.00	1.17	...	1.17	20.00	...	20.00
10.05	चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना		0.50	...	0.50	50.00	...	50.00	0.60	...	0.60	20.00	...	20.00
10.06	चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना		0.15	...	0.15	5.00	...	5.00	4.52	...	4.52	4.17	...	4.17
जोड़- चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना			3.32	...	3.32	360.00	...	360.00	177.09	...	177.09	124.17	...	124.17
11.	कार्यक्रम प्रबंधन योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
12.	बायो-फार्मा शक्ति		...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
13.	रासायनिक पार्क		...	...	...	...	...	...	...	...	...	600.00	...	600.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			2941.54	...	2941.54	5224.50	...	5224.50	4326.79	...	4326.79	5885.35	...	5885.35
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय														
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम														
14.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता		...	39.00	39.00	0.01	0.06	0.07	...	...	...	...	...	...
अन्य														
15.	वास्तविक वसूलियाँ		-45.39	...	-45.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय			-45.39	39.00	-6.39	0.01	0.06	0.07	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़			2933.35	39.99	2973.34	5267.16	1.56	5268.72	4368.20	1.50	4369.70	5929.42	1.80	5931.22
ख. विकास शीर्ष														
आर्थिक सेवाएं														
1.	उद्योग		2912.29	...	2912.29	5189.69	...	5189.69	4304.87	...	4304.87	5862.80	...	5862.80
2.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं		21.06	...	21.06	22.05	...	22.05	23.26	...	23.26	25.07	...	25.07
3.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	0.99	0.99	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.80	1.80
4.	रसायन और औषध उद्योगों के लिए ऋण		...	39.00	39.00	...	0.06	0.06	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं			2933.35	39.99	2973.34	5211.74	1.56	5213.30	4328.13	1.50	4329.63	5887.87	1.80	5889.67

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	55.42	...	55.42	40.07	...	40.07	41.55	...	41.55
जोड़-अन्य	...	...	...	55.42	...	55.42	40.07	...	40.07	41.55	...	41.55
कुल जोड़	2933.35	39.99	2973.34	5267.16	1.56	5268.72	4368.20	1.50	4369.70	5929.42	1.80	5931.22

(₹ करोड़)												
	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	...	404.81	404.81	...	23.65	23.65	...	487.59	487.59	...	544.75	544.75
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
4. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	21.14	21.14	0.01	...	0.01	...	21.59	21.59	...	24.40	24.40
5. बंगाल इम्युनिटी लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
7. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	425.95	425.95	0.06	23.65	23.71	...	509.18	509.18	...	569.15	569.15

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान औषध विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
2. **राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।
4. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन, स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।
5. **जन औषधि स्कीम:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन औषधि योजना के अंतर्गत है।

6. **उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनितों को सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 7.01. **औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस):** यह प्रावधान संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए , निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत आने और भारत से जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ निवेश ,अध्ययन के संचालन/विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए परामर्श, निर्यात के साथ-साथ फार्मा सेक्टर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हैं।
- 7.02. **औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता:** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) के लिए पहचान किए गए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सके।

7.03. **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएस):** इस उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए व्याज वाली आर्थिक सहायता प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना होगा।

7.04. **बल्क ड्रग पाकों का संवर्धन:** बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू बल्क ड्रग उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित बल्क ड्रग इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग पाकों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

8.01. **भारत में क्रिटीकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलू उत्पादकता और महत्वपूर्ण औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

8.02. **मेडिकल डिवाइस की घरेलू उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

8.03. **औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

9. **फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी):** इस योजना का उद्देश्य उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना और उद्योग-शिक्षा सह संबंध का संवर्धन करके देश में वैज्ञानिकों के समूह का प्रोत्साहित करना, जिससे सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त होगा और देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

10. **चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना:** दहाई अंकों की वृद्धि दर के साथ चिकित्सा उपकरण भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है। पिछले दशक में एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और पीएलआई योजना के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सरकार के प्रयासों के कारण, भारत में सीटी स्कैन, एमआरआई, सी-आर्म आदि जैसे प्रौद्योगिकी गहन चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है।

10.01. **चिकित्सा उपकरण पाकों को बढ़ावा देना:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रगामी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण। बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और बहनीयता होगी।

10.02. **चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में विद्यमान अंतर को मिटाना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता का पोषण

सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवप्रवर्तनशील बहुविषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का महत्वपूर्ण समूह तैयार किया जा सके और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

10.03. **चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं:** सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ बनाने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना। इसके अलावा, दिनांक 01.10.2022 से चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंसिंग शासन के लागू होने के कारण चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने या उन्हें सुग्राही बनाने के लिए किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सरकारी या निजी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत अनिवार्य रूप से निर्माताओं की ओर से चिकित्सा उपकरणों के मूल्यांकन के लिए अधिक परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

10.04. **आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना:** चिकित्सा उपकरण उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेष इनपुट/घटकों की आवश्यकता होती है। इनका उत्पादन सामान्य उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है और अक्सर चिकित्सा उपकरण निर्माताओं द्वारा इनका आयात किया जाता है। उन्हें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक/मुख्य घटकों या अपस्ट्रीम सामग्रियों या सहायक उपकरणों या निकट से संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। वर्तमान में 354 चिकित्सा उपकरणों के संबंध में, 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की निविदाओं के लिए वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) के लिए व्यय विभाग के निर्देशों से छूट उपलब्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार के अस्पतालों की खरीद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन उपकरणों का घरेलू विनिर्माण नहीं हो पा रहा है। देश के भीतर इन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए सीमांत निवेश सहायता से इन वस्तुओं के आयात में कमी आएगी।

10.05. **चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना:** चिकित्सा उपकरण के लिए नैदानिक जांच या पूर्व-नैदानिक पथ अध्ययन या नए आईवीडी के नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू निर्माताओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे।

10.06. **चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य उद्योग जगत के प्रभावशाली व्यक्तियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना है, ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकें। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उद्योग निकायों/संघों और शैक्षणिक संस्थानों को बैठकें/सेमिनार/कार्यशालाएँ/कार्यक्रम/रोड-शो/एक्सपो आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रचार और विकास के लिए निर्माता मूल्यांकन अध्ययन, डेटाबेस का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग उद्योग विकास गतिविधियों पर सीधे खर्च भी कर सकता है।

11. **कार्यक्रम प्रबंधन योजना:** कार्यक्रम प्रबंधन स्कीम को औषध विभाग की स्कीमों के कार्यान्वयन , निगरानी और मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने हेतु एक सक्षम बनाने वाली और क्रॉस-कटिंग स्कीम के तौर पर तैयार किया गया है, साथ ही परामर्शदाता को नियुक्त करके क्षेत्रीय विशेषज्ञता को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। यह स्कीम वर्तमान में स्कीम के माध्यम से वित्तपोषित किए जा रहे ब्यैक्तिक परामर्शदाताओं और पीएमए को शामिल करने वाले घटकों को अपने में शामिल कर लेगी।

12. **बायो-फार्मा शक्ति:** इस योजना का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक बायो-फार्मा विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना तथा जैविकी एवं अन्य संबद्ध के घरेलू उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी का निर्माण करना है।

13. **रासायनिक पार्क:** इस योजना का उद्देश्य घरेलू रासायनिक विनिर्माण को बढ़ाने और आयात निर्भरता में कमी आने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल आधारित क्लस्टर पर तीन समर्पित रासायनिक पार्कों को स्थापित करना है।
14. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता:** 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए ये प्रावधान ऋण के तहत रखे गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 8

नागर विमानन मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2509.08	97.12	2606.20	2330.31	70.00	2400.31	2014.48	41.01	2055.49	2057.87	45.00	2102.87
वसूलियां	-5.57	...	-5.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2503.51	97.12	2600.63	2330.31	70.00	2400.31	2014.48	41.01	2055.49	2057.87	45.00	2102.87
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	67.18	11.76	78.94	65.00	25.00	90.00	65.00	3.00	68.00	71.00	5.00	76.00
2. नागर विमानन महानिदेशालय	253.67	21.54	275.21	300.00	30.00	330.00	300.00	30.00	330.00	325.00	17.00	342.00
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	77.89	6.55	84.44	80.00	15.00	95.00	80.00	8.00	88.00	91.00	23.00	114.00
4. रेल सुरक्षा आयुक्त	21.02	...	21.02	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00
5. कौशल विकास हेतु अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान	0.35	...	0.35	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना	103.00	...	103.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	132.41	...	132.41
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	523.11	39.85	562.96	592.02	70.00	662.02	592.02	41.00	633.02	644.43	45.00	689.43
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
8. क्षेत्रीय संपर्क स्कीम	789.31	...	789.31	540.00	...	540.00	434.50	...	434.50	550.00	...	550.00
9. ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	37.10	...	37.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क	124.17	...	124.17	142.75	...	142.75	1.17	...	1.17	47.39	...	47.39
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	950.58	...	950.58	682.75	...	682.75	435.67	...	435.67	597.39	...	597.39
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	...	5069.45	5069.45	...	4193.83	4193.83	...	4688.03	4688.03	...	4699.92	4699.92
जोड़	...	5069.45	5069.45	...	4193.83	4193.83	...	4688.03	4688.03	...	4699.92	4699.92

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **नागर विमानन महानिदेशालय:** यह प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय एवं फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है। इसमें प्रशिक्षण परियोजनाओं और ई-जीसीए परियोजना के लिए प्रावधान शामिल हैं। साथ ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के योगदान के लिए भी प्रावधान है।

3. **नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो:** यह प्रावधान नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय, सुरक्षा उपकरणों की खरीद, आईटी उपकरण, आईसीएओ के सहकारी विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के लिए भारत के योगदान आदि को पूरा करने के लिए है।

4. **रेल सुरक्षा आयुक्त:** यह प्रावधान सीआरएस और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है जो रेल यात्रा और परिचालन में सुरक्षा से संबंधित है।

5. **कौशल विकास हेतु अनुदान:** यह प्रावधान नागर विमानन क्षेत्र के संस्थानों के कौशल विकास में सहायता अनुदान हेतु है।

6. **ऐरो खेलों के प्रोत्साहन/विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों को सहायता अनुदान:** यह प्रावधान एयरो स्पोर्ट्स के संवर्धन / विकास के लिए नागर विमानन के संस्थानों के लिए सहायता अनुदान हेतु है।

7. **एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना:** इसमें विनिवेश के बाद एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

8. **क्षेत्रीय संपर्क स्कीम:** मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) में दो घटक शामिल हैं: क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई यात्रा पहुंच में सुधार के लिए सेवा से वंचित और कम सेवा वाली हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार और हवाई परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानन अवसंरचना के विकास के साथ हवाई संपर्क का प्रावधान।
10. **टियर II/III शहरों के हवाई अड्डों के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) और एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएस) से सीमा शुल्क लागत वसूली (सीसीआर) शुल्क:** इस योजना का उद्देश्य 27 नामित हवाई अड्डों (15 कार्गो टर्मिनल और 12 यात्री टर्मिनल) पर सीमा शुल्क कर्मचारियों की स्वतंत्र रूप से तैनाती की लागत की प्रतिपूर्ति करना है।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी तथा राष्ट्रीय वैमानिकी विध्वविद्यालय:** यह प्रावधान एनएयू के लिए मशीनरी और उपकरण तथा अन्य स्थापना व्यय एवं आईजीआरयूए के अनुपूरक प्रावधान के लिए किया गया है।

12. **विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान एईआरए के वेतन के लिए सहायता अनुदान और इसके स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान है।

13. **एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड(एसपीवी):** यह प्रावधान एयर इंडिया के वित्तीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एआईएएल को अंतरित ऋण सेवा के लिए रखा गया है।

14. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:** इसमें एएआई के कानूनी प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतुअंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

17. **पवन हंस लिमिटेड:** यह प्रावधान पवन हंस लिमिटेड के लिएआरएचएल को 0.51 लाख रुपए के भुगतान के लिए किया गया है।

कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 9

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	848.72	2.16	850.88	1249.00	2.20	1251.20	1238.76	2.20	1240.96	4388.12	2.20	4390.32
वसूलियां	-715.21	...	-715.21	-750.00	...	-750.00	-750.00	...	-750.00	-755.00	...	-755.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	133.51	2.16	135.67	499.00	2.20	501.20	488.76	2.20	490.96	3633.12	2.20	3635.32
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	43.27	1.98	45.25	44.28	1.49	45.77	58.25	1.79	60.04	56.78	1.49	58.27
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	14.04	0.18	14.22	21.79	0.71	22.50	22.26	0.41	22.67	19.98	0.71	20.69
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	57.28	2.16	59.44	66.07	2.20	68.27	80.51	2.20	82.71	76.76	2.20	78.96
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
कोयला और लिग्नाइट												
4. अनुसंधान और विकास	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	21.00	...	21.00
5. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	45.41	...	45.41	92.50	...	92.50	92.50	...	92.50	...	...	...
6. कोयला और लिग्नाइट की खोज												
6.01 कार्यक्रम घटक	715.18	...	715.18	750.00	...	750.00	750.00	...	750.00	755.00	...	755.00
7. राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) निधि से प्राप्त राशि	-715.18	...	-715.18	-750.00	...	-750.00	-750.00	...	-750.00	-755.00	...	-755.00
8. कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना	...	...	...	300.00	...	300.00	285.00	...	285.00	3525.00	...	3525.00
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	65.41	...	65.41	422.50	...	422.50	397.50	...	397.50	3546.00	...	3546.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	65.41	...	65.41	422.50	...	422.50	397.50	...	397.50	3546.00	...	3546.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. कोयला खान पेंशन स्कीम	10.82	...	10.82	10.43	...	10.43	10.75	...	10.75	10.36	...	10.36
कुल जोड़	133.51	2.16	135.67	499.00	2.20	501.20	488.76	2.20	490.96	3633.12	2.20	3635.32

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2026-2027													35
(₹ करोड़)													
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
ख. विकास शीर्ष													
सामाजिक सेवाएं													
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	10.82	...	10.82	10.43	...	10.43	10.75	...	10.75	10.36	...	10.36	
जोड़-सामाजिक सेवाएं	10.82	...	10.82	10.43	...	10.43	10.75	...	10.75	10.36	...	10.36	
आर्थिक सेवाएं													
2. कोयला और लिग्नाइट	79.42	...	79.42	432.04	...	432.04	408.51	...	408.51	3563.88	...	3563.88	
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	43.27	...	43.27	44.28	...	44.28	58.25	...	58.25	56.78	...	56.78	
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.16	2.16	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	
जोड़-आर्थिक सेवाएं	122.69	2.16	124.85	476.32	2.20	478.52	466.76	2.20	468.96	3620.66	2.20	3622.86	
अन्य													
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	12.25	...	12.25	11.25	...	11.25	2.10	...	2.10	
जोड़-अन्य	...	...	...	12.25	...	12.25	11.25	...	11.25	2.10	...	2.10	
कुल जोड़	133.51	2.16	135.67	499.00	2.20	501.20	488.76	2.20	490.96	3633.12	2.20	3635.32	

													(₹ करोड़)
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	7736.10	7736.10	...	5078.31	5078.31	...	5078.31	5078.31	...	5737.96	5737.96	
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	21775.99	21775.99	...	16000.00	16000.00	...	16000.00	16000.00	...	16500.00	16500.00	
3. एससीसीएल	...	2150.28	2150.28	...	1700.00	1700.00	...	1700.00	1700.00	...	2500.00	2500.00	
जोड़	...	31662.37	31662.37	...	22778.31	22778.31	...	22778.31	22778.31	...	24737.96	24737.96	

नोट: सं. अ. 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 1240.96 करोड़ रुपए (490.96 करोड़ रुपये जमा 750 करोड़ रुपये) है और बजट अनुमान 2026-27 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 4390.32 करोड़ रुपए (3635.32 करोड़ रुपए जमा 755 करोड़ रुपए) है। सं.अ. 2025-26 और ब.अ. 2026-27 में क्रमशः 750 करोड़ रुपए और 755 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) निधि के तहत उपलब्ध शेष राशियों से पूरी की जा रही है। इस राशि का उपयोग कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के लिए किया जाएगा।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कोयला मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान नामित प्राधिकारी एवं कोयला नियंत्रण संगठन के लिए स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।

4. **अनुसंधान और विकास:** इसमें कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए यह प्रावधान है। मुख्यतः ध्यान कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर है।

6. **कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करने के कार्य के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग हेतु प्रावधान भी शामिल है। इस योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) फंड से किया जाता है।

8. **कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के संवर्धन हेतु योजना:** यह प्रावधान भारत की आत्मनिर्भरता और ऊर्जा स्वतंत्रता के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक 100 मि.ट. कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शुरू की गई कोयला गैसीकरण स्कीम के लिए है।

9. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** यह आवंटन कोयला खदान कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान के लिए है। कोयला खान पेंशन योजना- 1998 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन का एक और दो तिहाई प्रतिशत योगदान करती है बशर्ते कि किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन 1600/- रुपये प्रति माह से अधिक है, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान केवल 1600/- रुपये प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 10

वाणिज्य विभाग

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5494.13	44.80	5538.93	5246.99	54.00	5300.99	6556.54	49.48	6606.02	5825.76	47.31	5873.07
वसूलियां	-126.37	-0.11	-126.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5367.76	44.69	5412.45	5246.99	54.00	5300.99	6556.54	49.48	6606.02	5825.76	47.31	5873.07
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	148.13	5.43	153.56	158.14	10.50	168.64	161.10	4.80	165.90	162.38	3.75	166.13
	-0.20	...	-0.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	147.93	5.43	153.36	158.14	10.50	168.64	161.10	4.80	165.90	162.38	3.75	166.13
2. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	33.85	5.19	39.04	34.45	14.00	48.45	34.97	14.00	48.97	36.68	13.98	50.66
3. व्यापार आयुक्त	283.59	...	283.59	252.93	0.50	253.43	291.35	3.48	294.83	311.56	1.30	312.86
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता	109.48	2.77	112.25	121.05	3.00	124.05	119.76	2.10	121.86	119.52	2.38	121.90
	...	-0.11	-0.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	109.48	2.66	112.14	121.05	3.00	124.05	119.76	2.10	121.86	119.52	2.38	121.90
5. विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन												
5.01 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	51.32	...	51.32	48.00	...	48.00	61.17	...	61.17	65.26	...	65.26
5.02 व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा	20.33	1.00	21.33	21.93	1.00	22.93	21.42	1.00	22.42	22.91	1.00	23.91
5.03 विदेश व्यापार महानिदेशालय	145.36	30.41	175.77	157.68	25.00	182.68	148.93	24.10	173.03	152.21	24.90	177.11
5.04 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	192.93	...	192.93	20.74	...	20.74	3.13	...	3.13	28.58	...	28.58
जोड़- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	409.94	31.41	441.35	248.35	26.00	274.35	234.65	25.10	259.75	268.96	25.90	294.86
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	984.79	44.69	1029.48	814.92	54.00	868.92	841.83	49.48	891.31	899.10	47.31	946.41
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
6. कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	81.60	...	81.60
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	108.85	...	108.85	133.00	...	133.00	133.00	...	133.00	135.66	...	135.66
8. निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)	51.67	...	51.67	50.67	...	50.67	50.67	...	50.67	51.68	...	51.68
9. शुल्क वापसी स्कीम	257.81	...	257.81	181.90	...	181.90	182.29	...	182.29	185.54	...	185.54

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. चाय बोर्ड	469.60	...	469.60	771.55	...	771.55	278.47	...	278.47	380.00	...	380.00
11. कॉफी बोर्ड	254.47	...	254.47	280.00	...	280.00	290.00	...	290.00	285.60	...	285.60
12. रबड़ बोर्ड	348.38	...	348.38	360.31	...	360.31	350.00	...	350.00	367.52	...	367.52
13. मसाला बोर्ड	130.00	...	130.00	153.81	...	153.81	157.00	...	157.00	156.89	...	156.89
निर्यात संवर्धन योजनाएं												
14. बाजार संबंधी पहल	215.00	...	215.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. रत्न तथा आभूषण क्षेत्र												
15.01 आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना	35.68	...	35.68	...	...	...	36.00	...	36.00	40.00	...	40.00
16. व्याज समकरण स्कीम	2482.00	...	2482.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. निर्यात संवर्धन मिशन	...	...	...	2250.00	...	2250.00	2250.00	...	2250.00	2300.00	...	2300.00
18. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	...	...	...	...	...	...	1800.00	...	1800.00	887.30	...	887.30
जोड़-निर्यात संवर्धन योजनाएं	2732.68	...	2732.68	2250.00	...	2250.00	4086.00	...	4086.00	3227.30	...	3227.30
19. अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र)	45.00	...	45.00	48.15	...	48.15	48.15	...	48.15	49.11	...	49.11
20. वास्तविक वसूलियाँ	-126.17	...	-126.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	4352.29	...	4352.29	4309.39	...	4309.39	5655.58	...	5655.58	4920.90	...	4920.90
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
21. स्वायत्त संस्थाएं												
21.01 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	53.43	...	53.43	0.01	...	0.01
21.02 भारतीय पैकेजिंग संस्थान	5.00	...	5.00	96.32	...	96.32	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़- स्वायत्त संस्थाएं	30.00	...	30.00	121.32	...	121.32	58.43	...	58.43	5.01	...	5.01
अन्य												
22. विदेश गमन प्रतिनिधिमंडल	0.24	...	0.24	0.30	...	0.30	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
23. विदेशी प्रतिनिधिमंडल	0.23	...	0.23	0.60	...	0.60	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
24. विदेश व्यापार विवाद संबंधी व्यय	0.21	...	0.21	0.46	...	0.46	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़-अन्य	0.68	...	0.68	1.36	...	1.36	0.70	...	0.70	0.75	...	0.75
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	30.68	...	30.68	122.68	...	122.68	59.13	...	59.13	5.76	...	5.76
कुल जोड़	5367.76	44.69	5412.45	5246.99	54.00	5300.99	6556.54	49.48	6606.02	5825.76	47.31	5873.07
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. प्लांटेशन	1200.54	...	1200.54	1119.25	...	1119.25	972.51	...	972.51	934.20	...	934.20
2. उद्योग	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं		147.93	...	147.93	158.14	...	158.14	161.10	...	161.10	162.38	...	162.38
4.	विदेश व्यापार और निर्यात संबर्द्धन		4019.32	...	4019.32	3517.78	...	3517.78	5314.57	...	5314.57	4473.37	...	4473.37
5.	विदेश व्यापार और निर्यात संबर्द्धन पर पूंजीगत परिव्यय		...	2.66	2.66	...	3.00	3.00	...	2.10	2.10	...	2.38	2.38
6.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	42.03	42.03	...	51.00	51.00	...	47.38	47.38	...	44.93	44.93
जोड़-आर्थिक सेवाएं			5367.76	44.69	5412.45	4795.17	54.00	4849.17	6448.18	49.48	6497.66	5569.95	47.31	5617.26
अन्य														
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	451.82	...	451.82	108.36	...	108.36	255.81	...	255.81
जोड़-अन्य			...	...	...	451.82	...	451.82	108.36	...	108.36	255.81	...	255.81
कुल जोड़			5367.76	44.69	5412.45	5246.99	54.00	5300.99	6556.54	49.48	6606.02	5825.76	47.31	5873.07

1.

सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालयी स्थापना से संबंधित खर्च के लिए है।
2.

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, भारत सरकार का प्रमुख संगठन है जो भारत के व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक आसूचना के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए है। यह प्रावधान निदेशालय के स्थापना संबंधी व्ययों के लिए है।
3.

व्यापार आयुक्त: विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 105 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन कार्यालयों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से संबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।
4.

विशेष आर्थिक क्षेत्र को सहायता: यह प्रावधान मुख्यतः घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंतः क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उक्त क्षेत्र के भीतर स्थित निर्यातोन्मुख इकाइयों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।
- 5.01.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: विश्व व्यापार संगठन को भारत का वार्षिक अंशदान
- 5.02.

व्यापार सुधार और व्यापार रक्षा: इसमें घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार पद्धतियों या अप्रत्याशित आयात वृद्धि से बचाने के लिए डंपिंग रोधी, सब्सिडी रोधी और सुरक्षा उपायों सहित व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा का प्रावधान शामिल है।
- 5.03.

विदेश व्यापार महानिदेशालय: यह भारतीय निर्यात के संवर्धन के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को कार्यान्वितन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यान्वयन में विभिन्न शुल्क निष्प्रभावी योजनाएं जैसे अग्रिम प्राधिकार शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार, शुल्क हकदारी पासबुक, मानद निर्यात शुल्क प्रतिअदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।
- 5.04.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: इसमें त्रिक्स सहित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रावधान शामिल है।
6.

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए): कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) का गठन कृषि निर्यात के अनुसूचित उत्पादों के विकास एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) के तहत किया गया।
7.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए): समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण समुद्री निर्यात पर विशेषज्ञता के साथ समुद्री उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है।
8.

निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार अवसरचना (टीआईईएस): इस स्कीम में बॉर्डर एचएएटी , लैंड कस्टम स्टेशन, जांच सुविधा, जांच एवं प्रमाणन लैब, व्यापार संवर्धन केंद्र, शुल्क पत्तन, निर्यात भंडारण आदि जैसी अत्यधिक निर्यात संपर्क वाली परियोजनाओं के लिए निधि का प्रावधान है।
9.

शुल्क वापसी स्कीम: इनपुट पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क की वापसी, डीम्ड निर्यात उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल / टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईडी) की वापसी।
10.

चाय बोर्ड: बोर्ड विशेष रूप से उत्पादन के क्षेत्र में चाय उद्योग और व्यापार के विकास, खेती के तहत क्षेत्र के विस्तार, चाय की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकों के सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देने और चाय में अनुसंधान और विकास के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान चलाता है और पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने जैसे नियामक कार्य करता है। इसके अलावा, असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएमसीएसपीवाई) नामक एक घटक शुरू किया गया था। इसकी कार्यान्वयन अवधि को एक और वर्ष अर्थात 2026-27 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य चाय बागान क्षेत्रों में चाय श्रमिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप करना है।

11. **काँफी बोर्ड:** काँफी बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार संबंधी जानकारी , विदेशी एवं आंतरिक संवर्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संकेन्द्रित करता है।बोर्ड को सौंपे गए मुख्य कार्यों में शामिल है : काँफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए काँफी एस्टेट को सहायता प्रदान करना, भारत में पैदा होने वाली काँफी की बिक्री एवं खपत को भारत में एवं अन्यत्र बढ़ावा देना , काँफी अधिनियम,1942 के प्रावधानों के अनुसार अन्य प्रचालनों का प्रबंधन करना है।

12. **रबर बोर्ड:** रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए यह वैज्ञानिक, तकनीकी एवं आर्थिक अनुसंधान में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है; रोपण, खाद डालने, छिड़काव करने, हार्वैस्टिंग, खेती की उन्नत विधियों में उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है; रबर के प्रसंस्करण एवं विपणन में सुधार लाता है; और एस्टेट के स्वामियों, डीलरों, प्रोसेसर तथा रबर उत्पाद वित्तिमाताओं से आंकड़े एकत्र करता है। काम करने की बेहतर स्थितियां प्रदान करना और रबर बागान के मजदूरों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना/ उनमें सुधार लाना भी बोर्ड का कार्य है।

13. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड छोटी एवं बड़ी दोनों इलायची उद्योग के समग्र विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

15.01. **आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब गोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना:** आईआईटी मद्रास, चेन्नई में प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे के लिए भारतीय केंद्र (प्रोत्साहन-एलजीडी) की स्थापना प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरे (एलजीडी) मशीनरी, बीज और व्यंजनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।

17. **निर्यात संवर्धन मिशन:** निर्यात संवर्धन मिशन भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख पहल है, विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यातकों और श्रम गहन क्षेत्रों के लिए। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम आधारित और अनुकूली तंत्र में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और विकसित निर्यातकों की जरूरतों का तेजी से जवाब दे सकता है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा, जिसका नाम है, निर्यात प्रोत्साहन जो एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है और निर्यात दिशा जो गैर-वित्तीय सक्षमकर्ताओं पर केंद्रित है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ईपीएम प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं जैसे व्याज समानीकरण योजना और बाजार पहुंच पहल को भी समेकित करता है जो उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।

18. **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता:** एनईए का उद्देश्य उन परियोजनाओं/क्षेत्रों/निर्यातों को ऋण बीमा सहायता प्रदान करना है जो ईसीजीसी की समर्थनकारी क्षमता से परे हैं। एनईआईए का रखरखाव और संचालन एनईआईए ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो वाणिज्य विभाग और ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है।

19. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र-सीआरआईटी (डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र):** सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूटीओएस) और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लॉ (सीटीआईएल) की अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सेंटर फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल ट्रेड (सीआरआईटी) की स्थापना की गई है। ये केन्द्र इंडियन इस्टीम्यूट ऑफ फॉरिन ट्रेड के हिस्से के रूप में स्थापित किए जाएंगे और इन केन्द्रों का महत्वपूर्ण कार्य वाणिज्य विभाग को व्यापार आधारित मुद्दों पर अनुसंधान आधारित सलाह प्रदान करना है।

21.01. **भारतीय विदेश व्यापार संस्थान:** भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में देश के विदेशी व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने और मानव संसाधन विकसित करके निर्यात बढ़ाने में मदद करने ; डेटा संकलन , विश्लेषण और प्रसार तथा अनुसंधान करने के लिए की गई थी।

21.02. **भारतीय पैकेजिंग संस्थान:** भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना पैकेजिंग और पैकेज डिजाइन में अध्ययन अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और अच्छी पैकेजिंग की चेतना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी ताकि पैकेजों, पैकेजिंग सामग्री का परीक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिए पैकेजों के लिए मानकों की सिफारिश की जा सके, परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें, प्रभावी सुधार के लिए निर्यात वस्तु वार और देश वार पैकेजिंग का अध्ययन किया जा सके, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	6504.59	1397.47	7902.06	7452.93	5692.13	13145.06	4114.80	4501.35	8616.15	6851.70	5119.13	11970.83
	वसूलियां	-15.37	...	-15.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	6489.22	1397.47	7886.69	7452.93	5692.13	13145.06	4114.80	4501.35	8616.15	6851.70	5119.13	11970.83
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1.	सचिवालय	276.62	6.31	282.93	251.98	4.48	256.46	330.67	6.30	336.97	300.34	4.55	304.89
		-0.37	...	-0.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	276.25	6.31	282.56	251.98	4.48	256.46	330.67	6.30	336.97	300.34	4.55	304.89
2.	बौद्धिक संपदा												
2.01	पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक	280.11	0.69	280.80	275.59	0.60	276.19	324.75	4.24	328.99	332.71	1.75	334.46
2.02	बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	40.85	0.01	40.86	34.10	0.05	34.15	34.40	0.02	34.42	28.99	0.05	29.04
		-0.25	...	-0.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	40.60	0.01	40.61	34.10	0.05	34.15	34.40	0.02	34.42	28.99	0.05	29.04
2.03	पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	14.77	14.77	...	11.00	11.00	...	15.26	15.26	...	12.00	12.00
	जोड़- बौद्धिक संपदा	320.71	15.47	336.18	309.69	11.65	321.34	359.15	19.52	378.67	361.70	13.80	375.50
3.	संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय												
3.01	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	59.60	0.49	60.09	63.51	0.66	64.17	62.68	0.45	63.13	64.66	0.65	65.31
		-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	59.56	0.49	60.05	63.51	0.66	64.17	62.68	0.45	63.13	64.66	0.65	65.31
	3.02 नमक आयुक्त	33.33	0.20	33.53	37.18	0.34	37.52	36.58	0.09	36.67	35.20	0.16	35.36
	3.03 केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.03	...	1.03	1.38	...	1.38
	जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय	93.39	0.69	94.08	101.19	1.00	102.19	100.29	0.54	100.83	101.24	0.81	102.05
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		690.35	22.47	712.82	662.86	17.13	679.99	790.11	26.36	816.47	763.28	19.16	782.44
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	282.59	...	282.59	350.00	...	350.00	220.00	...	220.00	300.00	...	300.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)	6.09	...	6.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी	19.50	...	19.50	21.60	...	21.60	21.60	...	21.60	20.00	...	20.00
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	1543.84	...	1543.84	25.01	2474.99	2500.00	25.01	2974.99	3000.00	0.03	2999.97	3000.00
मेक इन इंडिया												
8. निवेश संवर्धन योजना	161.84	...	161.84	191.18	...	191.18	170.00	...	170.00	171.00	...	171.00
9. निधियों की निधि	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00
10. निधियों की निधि 2.0	...	...	...	...	2000.00	2000.00	...	300.00	300.00	...	...	...
11. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	900.00	900.00
12. क्रेडिट गारंटी निधि	41.67	...	41.67	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
13. स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम (एसआईएसएफएस)	...	175.00	175.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
14. व्यापार करने की सुगमता	9.73	...	9.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	213.56	...	213.56	444.54	...	444.54	303.54	...	303.54	1003.54	...	1003.54
16. विनिर्माण मिशन - मेक इन इंडिया को आगे ले जाना	...	...	...	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
जोड़-मेक इन इंडिया	426.80	1375.00	1801.80	735.73	3200.01	3935.74	473.55	1500.00	1973.55	1224.54	2100.00	3324.54
17. फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
18. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024	8.05	...	8.05	175.00	...	175.00	33.00	...	33.00	50.00	...	50.00
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास												
19. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	79.97	...	79.97	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	40.00	...	40.00
20. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	399.98	...	399.98	400.00	...	400.00	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00
21. परिवहन/ मालभाड़ा सव्सीडी स्कीम	122.48	...	122.48	...	...	...	5.00	...	5.00	0.02	...	0.02
22. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	0.95	...	0.95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	24.47	...	24.47	26.13	...	26.13	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01
24. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	355.67	...	355.67	150.00	...	150.00	25.00	...	25.00	14.92	...	14.92
25. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास	209.64	...	209.64	300.00	...	300.00	400.00	...	400.00	410.00	...	410.00
जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	1193.16	...	1193.16	926.13	...	926.13	577.00	...	577.00	554.95	...	554.95
26. लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
27. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना	2108.55	...	2108.55	1852.83	...	1852.83	1510.76	...	1510.76	724.21	...	724.21
28. प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना	...	...	...	2500.00	...	2500.00	250.00	...	250.00	3000.00	...	3000.00
29. वास्तविक वसूलियाँ	-14.71	...	-14.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	5573.87	1375.00	6948.87	6586.30	5675.00	12261.30	3110.93	4474.99	7585.92	5873.75	5099.97	10973.72
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
30. स्वायत्त संगठन												
30.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं की सहायता	121.72	...	121.72	123.96	...	123.96	131.71	...	131.71	132.22	...	132.22
30.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)	0.87	...	0.87	0.90	...	0.90	1.05	...	1.05	1.05	...	1.05
30.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	29.93	...	29.93	25.50	...	25.50	19.00	...	19.00	23.50	...	23.50
30.04 स्वायत्तशासी निकायों की सहायता	28.08	...	28.08	23.40	...	23.40	32.00	...	32.00	27.90	...	27.90
जोड़- स्वायत्त संगठन	180.60	...	180.60	173.76	...	173.76	183.76	...	183.76	184.67	...	184.67
अन्य												
31. स्टार्टअप इंडिया	44.40	...	44.40	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
32. भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	44.40	...	44.40	30.01	...	30.01	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	225.00	...	225.00	203.77	...	203.77	213.76	...	213.76	214.67	...	214.67
कुल जोड़	6489.22	1397.47	7886.69	7452.93	5692.13	13145.06	4114.80	4501.35	8616.15	6851.70	5119.13	11970.83
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	59.56	...	59.56	63.51	...	63.51	62.68	...	62.68	64.66	...	64.66
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	14.77	14.77	...	11.00	11.00	...	15.26	15.26	...	12.00	12.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.49	0.49	...	0.66	0.66	...	0.45	0.45	...	0.65	0.65
जोड़-सामान्य सेवाएं	59.56	15.26	74.82	63.51	11.66	75.17	62.68	15.71	78.39	64.66	12.65	77.31
आर्थिक सेवाएं												
4. उद्योग	959.08	...	959.08	3810.78	...	3810.78	1177.02	...	1177.02	4755.55	...	4755.55
5. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	4853.25	...	4853.25	799.45	...	799.45	776.45	...	776.45	486.81	...	486.81
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	276.25	...	276.25	251.98	...	251.98	330.67	...	330.67	300.34	...	300.34
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	341.08	...	341.08	331.59	...	331.59	380.97	...	380.97	382.10	...	382.10
8. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1382.21	1382.21	...	5680.47	5680.47	...	4485.64	4485.64	...	5106.48	5106.48
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6429.66	1382.21	7811.87	5193.80	5680.47	10874.27	2665.11	4485.64	7150.75	5924.80	5106.48	11031.28
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2195.62	...	2195.62	1387.01	...	1387.01	862.24	...	862.24
जोड़-अन्य	...	...	...	2195.62	...	2195.62	1387.01	...	1387.01	862.24	...	862.24
कुल जोड़	6489.22	1397.47	7886.69	7452.93	5692.13	13145.06	4114.80	4501.35	8616.15	6851.70	5119.13	11970.83

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास	...	...	...	2474.99	...	2474.99	...	...	...	...	...	...
जोड़	...	...	...	2474.99	...	2474.99	...	...	...	...	...	...

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।
- 2.01. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- 2.02. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन तीन स्कीमों, नामतः बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम), समग्र शिक्षा और शिक्षा के लिए आईपीआर में शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान की स्कीम (एसपीआरआईएचए) (पूर्व में प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर का संवर्धन) और भौगोलिक संकेतक जागरूकता पहल का संशोधित संस्करण है। यह स्कीम, राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप है और भारत में आईपीआर जागरूकता, वाणिज्यीकरण और प्रवर्तन तथा संस्थाओं में आईपी शिक्षण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है। एसपीआरआईएचए का उद्देश्य, बौद्धिक संपदा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।
- 2.03. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम):** महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) कार्यालय में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- 3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** संगठन की स्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है, जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों का प्रशासन करता है। यह संगठन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर वेसेल्स के विनिर्माण, स्वामित्व, विक्री, प्रयोग, परिवहन,

- आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह संगठन, पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक संबंधी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली ,1989 का भी प्रशासन करता है। यह प्रतिष्ठान उक्त अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को परामर्श देता है। संगठन जन्त किए गए और खराब विस्फोटक पदार्थों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) को नष्ट करने का कार्य करता है।
- 3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन, संबंधित लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी, अभिरक्षा एवं इससे संबंधित न्यायिक मामलों सहित विभागी लवण भूमि की देखभाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और युक्तिसंगत वितरण को विनियमित करता है। यह नमक की कीमतों और उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी भी करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और नमक कामगारों के विकास/कल्याण स्कीमों तथा एससीओ भूमि के प्रबंधन पर होने वाले व्यय की लागत हेतु प्रावधान किया जाता है।
- 3.03. **केंद्रीय बाँयलर्स बोर्ड:** बाँयलर के प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बाँयलर अधिनियम , 1923 के कार्यान्वयन के लिए जांच हेतु प्रावधान किया जाता है।
4. **फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी):** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ अतिरिक्त निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए चमड़ा और जूते क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास करना है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस):** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। चयनित कार्यात्मक समूहों में अवसंरचना का विकास राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी:** इस योजना के तहत आवंटित निधियों का उपयोग उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक (आउटपुट पीपीआई), थोक मूल्य सूचकांक, इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (इनपुट पीपीआई) और व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (वीएसपीआई) आदि के संकलन की गतिविधियों के लिए किया जाता है।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** यह योजना भारत में औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए है। औद्योगिक गलियारों के लिए विकास ढांचा भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच साझेदारी दृष्टिकोण पर आधारित है जहां भारत सरकार ट्रंक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहर/नोड/परियोजना विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) को इक्विटी और/या ऋण के रूप में निधियाँ प्रदान करती है। राज्य शहर/नोड/परियोजना एसपीवी में अपनी इक्विटी के हिस्से के रूप में भूमि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

8. **निवेश संवर्धन योजना:** निवेश संवर्धन योजना के घटकों में निवेशक लक्ष्यीकरण और सुविधा-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ, निवेश संवर्धन-प्रवर्धन और आउटरीच गतिविधियाँ, परियोजना प्रबंधन गतिविधियाँ और विदेश यात्रा शामिल हैं।

9. **निधियों की निधि:** निधियों का कोष 10,000 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक प्रोत्साहन और घरेलू पूंजी तक पहुंच प्रदान करता है। इस स्कीम का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) द्वारा किया जा रहा है। एफएफएस के तहत, स्कीम प्रत्यक्ष रूप से स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करती बल्कि डॉटर फंड्स के नाम से जानी जाने वाली सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी उपलब्ध कराती है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी संबद्ध लिखतों के माध्यम से विकासशील भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। एसआईडीबीआई को, उपयुक्त डॉटर फंड का चयन करके तथा प्रतिबद्ध पूंजी के संवितरण की निगरानी करके इस निधि के संचालन का अधिदेश दिया गया है। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ को एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना स्टार्टअप्स में निवेश करना अपेक्षित है।

10. **निधियों की निधि 2.0:** इस योजना को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और घरेलू पूंजी तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए विस्तारित दायरे के साथ स्टार्टअप योजना के रूप में तैयार किया गया था।

11. **स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0:** इस गति को जारी रखने और स्टार्टअप्स (एफएफएस) के लिए फंड ऑफ फंड के दायरे का विस्तार करने के लिए, इस योजना को स्टार्टअप्स इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

12. **क्रेडिट गारंटी निधि:** सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्रतिभूतियों और भारतीय विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) द्वारा दिए गए ऋणों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप्स (सीजीएसएस) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना को अधिसूचित किया है। सीजीएसएस का उद्देश्य सदस्य संस्थानों (एमआईएस) द्वारा योग्य उधारकर्ताओं अर्थात् डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाइयों को वित्तपोषित करने के लिए दिए गए ऋणों के बदले एक विनिर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है। सीजीएसएस द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है।

13. **स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम (एसआईएसएफएस):** इस योजना का उद्देश्य स्टार्ट-अप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एसआईएसएफएस के तहत विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। ईएसी योजना के तहत धन के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करता है। ईएसी योजना के तहत मूल्यांकन और चयनित इनक्यूबेटर को निधियों के आवंटन करती है।

14. **व्यापार करने की सुगमता:** व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य विनियामक बोझ की पहचान करके और मौजूदा विनियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अनावश्यक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करके एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाना है। व्यय मुख्य रूप से परामर्श शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क और वेबसाइट रखरखाव शुल्क आदि की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है।

15. **व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत में घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं (व्हाइट गुड्स) के निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना से एसी और एलईडी लाइट उद्योग के घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश आने की संभावना है।

16. **विनिर्माण मिशन - नैक इन इंडिया को आगे ले जाना:** इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत के एकीकरण को बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है। मिशन छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है-नामत: व्यापारिक और लागत संबंधी सुगमता, मांग संबंधी नौकरियों के लिए भावी-तत्परता कार्यबल का निर्माण, एक त्वरित और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र का विकास, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और अपनाता, गुणवत्ता वाले उत्पादों को सुनिश्चित करना और अतिरिक्त वांछित क्षेत्र के रूप में क्लीन टेक विनिर्माण।

17. **फुटबियर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य भारत को जूतों और चमड़े और घटकों सहित अन्य सहायक उपकरणों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ा कर और भारत में जूते और चमड़े के क्षेत्र की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में घरेलू और विदेशी दोनों तरह के बड़े निवेश को आकर्षित करके एक पसंदीदा गंतव्य बनाना है।

18. **उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024:** इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और योग्य नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करके नए निवेश को आकर्षित करना है।

19. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को दिनांक 31.03.2017 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, इस योजना के तहत प्राप्त लाभ दिनांक 31.03.2027 तक जारी रहेंगे।

20. **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ाना और रोजगार आय सृजन को बढ़ावा देना है।

21. **परिवहन/ मालभाड़ा सस्मिडी स्कीम:** परिवहन/माल ढुलाई सस्मिडी योजना (एफएसएस), वर्ष 2013 में दिनांक 22.11.2016 से समाप्त कर दी गई है। तथापि, दिनांक 22.11.2016 को डीआईपीपी की अधिसूचना जारी होने से पहले पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में माल और कच्ची सामग्री के परिवहन के लिया योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों योजना के तहत सस्मिडी के लिए पात्र होंगी।

22. **विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम हेतु है जिसका उद्देश्य इन संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।

23. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** योजना के तहत लाभों में क्रेडिट तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई), और केंद्रीय व्याज प्रोत्साहन (सीआईआई) शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में चार और घटक जोड़े गए थे अर्थात जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन और रोजगार प्रोत्साहन। योजना के तहत लाभ का दावा करने वाली इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल विकसित किया गया है।

24. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** यह योजना दिनांक 31.03.2022 तक वैध थी। इस योजना के तहत लाभों में क्रेडिट तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी), केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) शामिल हैं।

25. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास:** इस योजना में जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं: i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजी व्याज अनुदान, iii. माल एवं सेवा कर से जुड़ा प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज अनुदान।

26. **लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022:** इस योजना में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं: i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजी व्याज अनुदान, iii. माल एवं सेवा कर से जुड़ा प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज अनुदान।

27. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना:** सिक्किम और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पात्र इकाइयों को जीएस टी व्यवस्था के तहत वजतीय सहायता की योजना को सद्भावना के उपाय के रूप में अधिसूचित किया गया था ताकि दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी परंतु दिनांक 30.06.2027 तक की पात्र इकाइयों को नई जीएसटी व्यवस्था के बदलाव में सहायता के लिए उनकी शेष अवधि के लिए उनके दावों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सहायता की जा सके।

28. **प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना:** राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में या उसके पास निवेश के लिए तैयार "प्लग-एंड-प्ले" औद्योगिक पार्कों के विकास के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना। इन औद्योगिक पार्कों से औद्योगिक इकाइयों के लिए प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करके विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

30.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे कि अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम में पाँच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों , केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबर निर्माता अनुसंधान संघ तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

30.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ):** डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

30.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

30.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्, सीमेंट उद्योग विकास परिषद, कागज, लुग्दी और संबद्ध उद्योग विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

31. **स्टार्टअप इंडिया:** देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, स्टार्टअप और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित योजनाओं और प्रोत्साहनों से युक्त स्टार्टअप के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया। विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप को पहचानने, विकसित करने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाता है ताकि वे निजी निवेश जुटाने में सक्षम हों।

32. **भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन:** भारत और कोरिया ने 9 जुलाई, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य भविष्य के रणनीतिक समूह की स्थापना करना है ताकि अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ाया जा सके और टेक्नो-वाणिज्यीकरण के लिए संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रावधान करता है।

संचार मंत्रालय

मांग संख्या 12

डाक विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	37528.49	1190.49	38718.98	40128.62	958.35	41086.97	39336.00	1046.11	40382.11	41600.49	1249.51	42850.00
वसूलियां	-1188.04	...	-1188.04	-1500.00	...	-1500.00	-1500.00	...	-1500.00	-1600.00	...	-1600.00
प्राप्तियां	-11425.25	...	-11425.25	-12487.11	...	-12487.11	-12512.13	...	-12512.13	-12973.92	...	-12973.92
निवल	24915.20	1190.49	26105.69	26141.51	958.35	27099.86	25323.87	1046.11	26369.98	27026.57	1249.51	28276.08
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. स्थापना संबंधी व्यय												
1.01 वेतन और भत्ते	22127.65	...	22127.65	23458.00	...	23458.00	23400.00	...	23400.00	24701.00	...	24701.00
1.02 पेंशन	12006.28	...	12006.28	13125.00	...	13125.00	12400.00	...	12400.00	13400.88	...	13400.88
1.03 अन्य व्यय	3243.29	29.13	3272.42	3393.15	45.45	3438.60	3383.53	65.45	3448.98	3353.60	155.50	3509.10
1.04 वसूलियां	-1188.04	...	-1188.04	-1500.00	...	-1500.00	-1500.00	...	-1500.00	-1600.00	...	-1600.00
1.05 वाणिज्यिक प्राप्तियां घटाएं	-4545.62	...	-4545.62	-5550.00	...	-5550.00	-5550.00	...	-5550.00	-5880.00	...	-5880.00
1.06 एजेंसी प्रभार घटाएं	-6879.63	...	-6879.63	-6937.11	...	-6937.11	-6962.13	...	-6962.13	-7093.92	...	-7093.92
निवल	24763.93	29.13	24793.06	25989.04	45.45	26034.49	25171.40	65.45	25236.85	26881.56	155.50	27037.06
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. डाक प्रचालन	119.37	42.21	161.58	120.00	57.00	177.00	120.00	70.00	190.00	124.99	200.00	324.99
3. भारतीय डाक भुगतान बैंक	...	250.00	250.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. मानव संसाधन प्रबंधन	31.90	2.03	33.93	32.47	6.90	39.37	32.47	3.00	35.47	20.00	15.00	35.00
5. संपदा प्रबंधन	...	116.63	116.63	...	120.00	120.00	...	124.16	124.16	0.01	120.00	120.01
6. आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0	...	750.49	750.49	...	729.00	729.00	...	783.50	783.50	...	759.00	759.00
7. पोस्टल लोजिस्टिक्स अवसंरचना परियोजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01	0.02
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	151.27	1161.36	1312.63	152.47	912.90	1065.37	152.47	980.66	1133.13	145.01	1094.01	1239.02
कुल जोड़	24915.20	1190.49	26105.69	26141.51	958.35	27099.86	25323.87	1046.11	26369.98	27026.57	1249.51	28276.08
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. डाक सेवाएं	24915.20	...	24915.20	26133.43	...	26133.43	25313.59	...	25313.59	27016.00	...	27016.00
2. डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	940.49	940.49	...	859.89	859.89	...	943.08	943.08	...	1136.16	1136.16
3. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	250.00	250.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	24915.20	1190.49	26105.69	26133.43	859.89	26993.32	25313.59	943.08	26256.67	27016.00	1136.16	28152.16
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	8.08	...	8.08	10.28	...	10.28	10.57	...	10.57
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	98.46	98.46	...	103.03	103.03	...	113.35	113.35
जोड़-अन्य	...	...	...	8.08	98.46	106.54	10.28	103.03	113.31	10.57	113.35	123.92
कुल जोड़	24915.20	1190.49	26105.69	26141.51	958.35	27099.86	25323.87	1046.11	26369.98	27026.57	1249.51	28276.08

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक	250.00	...	250.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	250.00	...	250.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1. **स्थापना संबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन और विभाग के सभी प्रचालन व्यय के लिए होता है। इसे आंशिक रूप से वित्त मंत्रालय से प्राप्त लघु बचत योजनाओं और नकद प्रमाण पत्रों हेतु पारिश्रमिक से पूरा किया जाता है।

2. **डाक प्रचालन:** इसमें स्पीड पोस्ट हबों, पार्सल बुकिंग केंद्रों, सड़क यातायात नेटवर्क और डाक बैंकों में जीपीएस लगाने संबंधी घटक शामिल हैं। अन्य कार्यालयों, पार्सल केंद्रों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रों के उन्नयन संबंधी अन्य घटक तथा 800 डाकघर निर्यात केंद्रों की स्थापना से संबंधित योजना भी इसमें शामिल है। जन सेवा केन्द्रों को स्थापित करना जिनका उद्देश्य विभिन्न नागरिक उन्मुखी सेवाओं जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएमएसबीए निधि), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (पीएम-एलबीएम) आदि प्रदान करना है।

3. **भारतीय डाक भुगतान बैंक:** यह प्रावधान 'भारत डाक भुगतान बैंक' को वित्त वर्ष 2024-25 तक पूंजीगत सहायता प्रदान करने के लिए है।

4. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

5. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।

6. **आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0:** यह प्रावधान आईटी आधुनिकीकरण 2.0 के लिए है जिसमें कंप्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण और देश में डाकघरों की नेटवर्किंग शामिल है।

7. **पोस्टल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना परियोजना:** यह एक रणनीतिक परियोजना है जो एक मजबूत और भावी रूप से तैयार बुनियादी ढांचे की नींव बनाकर भारतीय डाक को एक मजबूत सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने के लिए प्रस्तावित है (सरकार के विचाराधीन; 2025-26 से 2030-31 तक प्रस्तावित)।

संचार मंत्रालय

मांग संख्या 13

दूरसंचार विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल		52867.14	78992.33	131859.47	35851.50	73784.76	109636.26	33632.37	68195.29	101827.66	30716.02	67274.93	97990.95
वसूलियां		-4816.80	-5146.27	-9963.07	-6400.00	-22000.01	-28400.01	-4150.00	-7329.49	-11479.49	-4000.00	-20000.01	-24000.01
प्राप्तियां		-169.76	...	-169.76	-231.01	...	-231.01	...	-36950.00	-36950.00	...	...	...
निवल		47880.58	73846.06	121726.64	29220.49	51784.75	81005.24	29482.37	23915.80	53398.17	26716.02	47274.92	73990.94
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं		1008.78	21.34	1030.12	1132.19	162.12	1294.31	1035.53	26.29	1061.82	1023.92	84.95	1108.87
2. पेंशन		18225.04	...	18225.04	20133.42	...	20133.42	19685.00	...	19685.00	21064.00	...	21064.00
3. श्रम रोजगार और कौशल विकास		0.11	...	0.11	0.40	...	0.40	0.21	...	0.21	0.33	...	0.33
4. विनियामक निकाय													
4.01 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि		97.00	...	97.00	130.00	1.00	131.00	135.00	9.00	144.00	146.00	3.00	149.00
4.02 दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)		25.56	1.94	27.50	28.94	0.77	29.71	22.73	0.32	23.05	24.66	0.79	25.45
जोड़- विनियामक निकाय		122.56	1.94	124.50	158.94	1.77	160.71	157.73	9.32	167.05	170.66	3.79	174.45
5. मानव संसाधन प्रबंधन		15.27	22.94	38.21	65.78	62.46	128.24	28.00	24.48	52.48	33.45	50.43	83.88
6. स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता		1.03	...	1.03	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	1.63	...	1.63
7. दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई)		1.17	...	1.17	1.20	0.20	1.40	1.20	0.20	1.40	...	...	...
8. कार्यालय भवन का निर्माण		...	...	...	...	4.00	4.00	...	1.64	1.64	...	1.96	1.96
9. संपन्न 2.0		...	...	...	...	5.00	5.00	...	3.00	3.00	...	3.38	3.38
10. अन्य स्थापना व्यय		60.75	...	60.75	...	...	...	75.51	...	75.51	83.23	...	83.23
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		19434.71	46.22	19480.93	21493.93	235.55	21729.48	20984.98	64.93	21049.91	22377.22	144.51	22521.73
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि													
11. दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति													
11.01 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि में अंतरण		7200.00	1000.00	8200.00	4000.00	16000.00	20000.00	4000.00	5500.00	9500.00	...	17063.00	17063.00
11.02 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति		4643.08	...	4643.08	6000.00	...	6000.00	4000.00	...	4000.00	3600.00	...	3600.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11.03 भारत नेट	...	3995.01	3995.01	...	22000.00	22000.00	...	5500.00	5500.00	...	20000.00	20000.00
11.04 आर एंड डी (राजस्व)	160.07	...	160.07	400.00	...	400.00	150.00	...	150.00	400.00	...	400.00
11.05 सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से पूरी की गई राशि	-4803.15	-3974.43	-8777.58	-4000.00	-16000.00	-20000.00	-4000.00	-5500.00	-9500.00	...	-17063.00	-17063.00
निवल	7200.00	1020.58	8220.58	6400.00	22000.00	28400.00	4150.00	5500.00	9650.00	4000.00	20000.00	24000.00
12. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
12.01 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड	10300.00	...	10300.00	...	...	...	...	10500.00	10500.00	...	...	...
13. अतिरिक्त राशि आरक्षित निधि से पूरी की गई												
13.01 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड	...	-20.58	-20.58	-2400.00	-6000.00	-8400.00	-150.00	...	-150.00	-4000.00	-2937.00	-6937.00
जोड़-सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि	17500.00	1000.00	18500.00	4000.00	16000.00	20000.00	4000.00	16000.00	20000.00	...	17063.00	17063.00
रक्षा स्पेक्ट्रम												
14. रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क												
14.01 रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क	...	446.23	446.23	...	1456.25	1456.25	...	706.00	706.00	...	975.00	975.00
दूरसंचार विभाग परियोजनाएं												
15. घरेलू उद्योग प्रोत्साहन स्कीम												
15.01 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	843.93	...	843.93	1965.50	...	1965.50	1944.00	...	1944.00	1950.00	...	1950.00
15.02 चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	18.60	...	18.60	1.10	...	1.10	14.05	...	14.05	...	...	...
15.03 प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन (टीडीआईपी)	23.37	...	23.37	39.74	...	39.74	24.00	...	24.00	39.72	...	39.72
जोड़- घरेलू उद्योग प्रोत्साहन स्कीम	885.90	...	885.90	2006.34	...	2006.34	1982.05	...	1982.05	1989.72	...	1989.72
16. वायरलैस आयोजना एवं समन्वय												
16.01 बेतार आयोजना एवं समन्वय	...	75.79	75.79	22.63	25.00	47.63	...	0.10	0.10	...	35.00	35.00
16.02 बेतार निगरानी सेवाएं	...	72.17	72.17	47.85	54.00	101.85	...	15.00	15.00	...	55.00	55.00
जोड़- वायरलैस आयोजना एवं समन्वय	...	147.96	147.96	70.48	79.00	149.48	...	15.10	15.10	...	90.00	90.00
17. दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	...	0.13	0.13	...	0.37	0.37	...	0.16	0.16	...	0.13	0.13
18. दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	...	7.45	7.45	...	8.00	8.00	...	3.77	3.77	...	7.54	7.54
19. दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	...	117.00	117.00	...	73.00	73.00	...	72.98	72.98	...	97.62	97.62
20. अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क सुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करना	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01
21. 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	3.63	...	3.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22. डिजिटल इन्टेलीजेंस यूनिट परियोजना	...	65.51	65.51	...	52.00	52.00	...	65.51	65.51	...	59.00	59.00
23. अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी इनकमिंग कॉल प्रणाली 'सीआईओआर' की रोकथाम	...	11.53	11.53	...	7.50	7.50	...	5.65	5.65	...	7.00	7.00
24. एकल पोर्टल	...	5.01	5.01	...	10.00	10.00	...	36.70	36.70	...	28.59	28.59
25. सैटकॉम निगरानी-सुविधा	...	...	...	...	...	...	5.28	...	5.28	2.77	190.03	192.80
26. केन्द्रीकृतनिगरानी प्रणाली -2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00
जोड़-दूरसंचार विभाग परियोजनाएं	890.53	354.59	1245.12	2077.82	229.87	2307.69	1988.33	199.87	2188.20	1992.50	579.91	2572.41

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	18390.53	1800.82	20191.35	6077.82	17686.12	23763.94	5988.33	16905.87	22894.20	1992.50	18617.91	20610.41
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
27. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	500.00	...	500.00	400.00	...	400.00	587.18	...	587.18	600.00	...	600.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
28. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता												
28.01 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एमएटी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के रिकंड/एमटीएनएल बांडों/एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता	302.48	...	302.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28.02 एमटीएनएल बांडों की मूलधन राशि का भुगतान	3668.97	...	3668.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28.03 भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/निवेश	...	59.00	59.00	...	105.50	105.50	...	60.00	60.00	...	39.50	39.50
28.04 बीएसएनएल में पूंजी निवेश	...	71940.02	71940.02	...	33757.58	33757.58	...	6885.00	6885.00	...	28473.00	28473.00
28.05 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल)	4248.40	...	4248.40	0.01	...	0.01	675.60	...	675.60	475.95	...	475.95
28.06 व्यवहार्यता अंतराल निधियन	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00
28.07 बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रत्याभूति राशि की माफी	169.76	...	169.76	231.01	...	231.01	...	...	...	...	...	...
28.08 घटाएं प्राप्तियां	-169.76	...	-169.76	-231.01	...	-231.01	...	...	...	...	...	...
28.09 सरकारी गारंटी लागू करने के लिए एमटीएनएल को ऋण	...	1151.23	1151.23	...	0.01	0.01	...	1829.49	1829.49	...	0.01	0.01
28.10 गारंटी मोचन निधि से पूरी की गई राशि	...	-1151.23	-1151.23	...	-0.01	-0.01	...	-1829.49	-1829.49	...	-0.01	-0.01
28.11 वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (बकाया इस्पेक्ट्रम निलामी को इक्विटी में बदलना)	...	...	...	...	...	...	...	36950.00	36950.00	...	...	...
28.12 एनटीआर से प्राप्तियों को घटाएं	...	...	...	...	...	...	...	-36950.00	-36950.00	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>9419.85</i>	<i>71999.02</i>	<i>81418.87</i>	<i>1200.01</i>	<i>33863.08</i>	<i>35063.09</i>	<i>1875.60</i>	<i>6945.00</i>	<i>8820.60</i>	<i>1675.95</i>	<i>28512.50</i>	<i>30188.45</i>
अन्य												
29. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग	135.49	...	135.49	48.73	...	48.73	46.28	...	46.28	70.35	...	70.35
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	10055.34	71999.02	82054.36	1648.74	33863.08	35511.82	2509.06	6945.00	9454.06	2346.30	28512.50	30858.80
कुल जोड़	47880.58	73846.06	121726.64	29220.49	51784.75	81005.24	29482.37	23915.80	53398.17	26716.02	47274.92	73990.94
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	18225.04	...	18225.04	20133.42	...	20133.42	19685.00	...	19685.00	21064.00	...	21064.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	18225.04	...	18225.04	20133.42	...	20133.42	19685.00	...	19685.00	21064.00	...	21064.00
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	0.11	...	0.11	0.40	...	0.40	0.21	...	0.21	0.33	...	0.33

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.11	...	0.11	0.40	...	0.40	0.21	...	0.21	0.33	...	0.33
आर्थिक सेवाएं												
3. अन्य संचार सेवाएं	28646.65	...	28646.65	7314.48	...	7314.48	8302.91	...	8302.91	4207.77	...	4207.77
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1008.78	...	1008.78	1132.19	...	1132.19	1035.53	...	1035.53	1023.92	...	1023.92
5. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.00	59.00	...	105.50	105.50	...	60.00	60.00	...	39.50	39.50
6. अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	73787.06	73787.06	...	49333.62	49333.62	...	23235.20	23235.20	...	45137.92	45137.92
7. दूरसंचार और इलेक्ट्राॅनिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	29655.43	73846.06	103501.49	8446.67	49439.12	57885.79	9338.44	23295.20	32633.64	5231.69	45177.42	50409.11
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	640.00	...	640.00	458.72	...	458.72	420.00	...	420.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	2345.63	2345.63	...	620.60	620.60	...	2097.50	2097.50
जोड़-अन्य	...	...	...	640.00	2345.63	2985.63	458.72	620.60	1079.32	420.00	2097.50	2517.50
कुल जोड़	47880.58	73846.06	121726.64	29220.49	51784.75	81005.24	29482.37	23915.80	53398.17	26716.02	47274.92	73990.94

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड	59.00	...	59.00	105.50	12.61	118.11	60.00	12.61	72.61	39.50	10.00	49.50
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1151.23	45.01	1196.24	0.01	...	0.01	1829.49	75.00	1904.49	0.01	75.00	75.01
3. टेलीमेटिक्स विकास केंद्र	...	396.00	396.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
4. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इण्डिया लि0	...	32.53	32.53	...	102.20	102.20	...	54.93	54.93	...	156.00	156.00
5. भारत संचार निगम लिमिटेड	71940.02	573.97	72513.99	33757.58	500.00	34257.58	6885.00	500.00	7385.00	28473.00	500.00	28973.00
जोड़	73150.25	1047.51	74197.76	33863.09	764.81	34627.90	8774.49	792.54	9567.03	28512.51	891.00	29403.51

नोट: ब.अ. 2026-27 में इस मांग के लिए कुल निवल आवंटन रु. 80927.94 करोड़ (रु. 73990.94 करोड़ जमा रु. 6937 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिविेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से 6,937 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान पूरा किया जाएगा और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं भारतनेट और अनुसंधान विकास संबंधी क्षतिपूर्ति योजनाओं के लिए किया जाएगा।

1. **सचिवालय- आर्थिक सेवाएं:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग और प्रशासन महानिदेशालय, जिसमें सीसीए/टीईआरएम यूनिट, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र , प्रशासक यूएसओ निधि तथा केन्द्रीयकृत निगरानी प्रणाली शामिल है, से संबंधित हिस्से के लिए संचार मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **पेंशन:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनगत लाभों के लिए किया गया है, जिसमें दिनांक 01.04.2014 से भारत संचार निगम लिमिटेड तथा एमटीएनएल में आमेलित किए गए कर्मचारी शामिल हैं।

3. **श्रम रोजगार और कौशल विकास:** यह प्रावधान पं. दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान खोलने के लिए पायलट योजना हेतु है।

4. **विनियामक निकाय:** यह प्रावधान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को सामान्य निधि में अंतरित करने और प्राधिकरण के कार्यालय भवन के निर्माण और दूरसंचार विवादों के निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित व्यय के लिए है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त (एनसीए-एफ), राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी) और क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीटी) के प्रचालन व्यय और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

6. **स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता:** यह प्रावधान स्वच्छता कार्य योजना के लिए विशेष सहायता के लिए है।

7. **दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई):** यह प्रावधान दूरसंचार उपकरण अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए है।

8. **कार्यालय भवन का निर्माण:** यह प्रावधान दूरसंचार विभाग भवन निर्माण के लिए है।

9. **संपन्न 2.0:** यह प्रावधान सम्पन्न 2.0 के लिए है।

10. **अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान सं. अ. 2025-26 से वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) और वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) के स्थापना व्यय के लिए है। 2024-25 के अंतर्गत वास्तविक राशि योजना के राजस्व भाग, 'वायरलेस नियोजन और समन्वय' पर व्यय से संबंधित है जिसमें डब्ल्यूपीसी और डब्ल्यूएमओ शामिल हैं।

11. **दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति:** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन तथा लोगों को विभिन्न दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देना है, जिसमें ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों का संचालन और रखरखाव भी शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का प्रावधान भी शामिल है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष में अंतरण का प्रावधान भी इसमें शामिल है। योजना के अंतर्गत आवंटित राशि में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के लिए वर्ष सं.अ. 2025-26 में 100 करोड़ रुपये और ब.अ. वर्ष 2026-27 में 50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसी योजना के अंतर्गत आवंटित राशि में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए सं.अ. वर्ष 2025-26 में 108 करोड़ रुपये और वर्ष ब.अ. 2026-27 में 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

11.03. **भारत नेट:** देश में सभी पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपेक्षित टेलीकॉम अवसंरचना के सृजन के लिए भारत नेट परियोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भेद-भाव रहित सुलभता प्रदान करने के लिए प्रावधान है। इस योजना को यूनियर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

11.04. **आर एंड डी (राजस्व):** यह अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगियों और सॉल्युशन्स के वाणिज्यिकरण के द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में किफायती ब्राडबैंड और मोबाइल सेवा प्रसार (प्रोलिफेरेशन) को प्रोत्साहित करेगा। इस योजना को यूनियर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

14. **रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क:** यह प्रावधान रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करने के लिए है।

15. **घरेलू उद्योग प्रोत्साहन स्कीम:** यह प्रावधान उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) और प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन (टीडीआईपी) के लिए है।

16. **वायरलैस आयोजना एवं समन्वय:** (i) यह प्रावधान बेतार (वायर लैस) आयोजना और समन्वय स्कंध के व्यय से संबंधित है। यह स्कंध भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत विभिन्न प्रावधानों में लाइसेंस जारी करती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वायरलैस संचालकों के लिए प्रेषण एवं प्राप्त स्टेशनों और परीक्षा संचालन कराने से है; और (ii) यह प्रावधान बेतार निगरानी संगठन के व्यय हेतु है जो रेडियो आवृत्ति प्रबंधन हेतु निगरानी प्रेशणों के आधार पर तकनीकी और संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करता है तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कतिपय सांविधिक प्रकायों का निष्पादन करने के साथ-साथ कारगर राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंधन के लिए रेडियो ट्रांसमिशन के संबंध में चौबीसों घंटे निगरानी करता है। इसमें सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रावधान भी शामिल है।

17. **दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र से संबंधित व्यय के लिए है।

18. **दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र:** यह प्रावधान दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र के लिए है।

19. **दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्टी):** यह प्रावधान दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के लिए है।

20. **अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करना:** यह प्रावधान अमरनाथ यात्रा के लिए दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने हेतु बीएसएनएल को निधियां प्रदान करने हेतु है।

21. **5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड:** यह प्रावधान 5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड के लिए है।

22. **डिजिटल इन्स्टेलीजेंस यूनिट परियोजना:** डिजिटल इन्स्टेलीजेंस यूनिट (डीआईयू)परियोजना का उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों संबंधी धोखाधड़ी के क्रियाकलापों की जांच करना है, जैसे कि अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) आदि। इस प्रावधान में डीआईयू और डीआईयू फेज II दोनों शामिल हैं।

23. **अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी इनकमिंग कॉल प्रणाली 'सीआईओआर' की रोकथाम:** भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी इनकमिंग कॉल की रोकथाम के लिए केंद्रीकृत अंतरराष्ट्रीय आउट रोमर (सीआईओआर) प्रणाली ।

24. **एकल पोर्टल:** यह प्रावधान एकीकृत पोर्टल के लिए है। इसमें आईपी एड्रेस और राउटिंग रजिस्ट्री (आईपीएआरआर) और कमांड एंड कंट्रोल आईपी (सी2सीआईपी) ब्लॉकिंग पोर्टल भी शामिल हैं।

25. **सैटकॉम निगरानी-सुविधा:** यह प्रावधान सैटेलाइट संचार निगरानी सुविधा के लिए है।

26. **केन्द्रीकृतनिगरानी प्रणाली -2.0:** यह प्रावधान केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली 2.0 के लिए है।
27. **टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट):** यह प्रावधान टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डीओटी) के व्यय को पूरा करने के लिए है।
- 28.01. **महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एमएटी/सीडीएमए स्पेक्ट्रम के रिफंड/एमटीएनएल बांडों/ एफटीटीएच पर ब्याज के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता:** यह प्रावधान स्पेक्ट्रम प्रभार/सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्रभारों की वापसी के एवज में एमटीएनएल द्वारा जारी बांडों पर ब्याज भुगतान के लिए है।
- 28.02. **एमटीएनएल बांडों की मूलधन राशि का भुगतान:** यह प्रावधान एमटीएनएल बॉण्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए है।
- 28.03. **भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/निवेश:** यह प्रावधान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को वित्तीय राहत/इक्विटी प्रदान करने के लिए है।
- 28.04. **बीएसएनएल में पूंजी निवेश:** यह प्रावधान बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पुनः संरचना के लिए पूंजी लगाने हेतु किया गया है।
- 28.05. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन (बीएसएनएल/एमटीएनएल):** यह प्रावधान बीएसएनएल/एमटीएनएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए किया गया है।
- 28.06. **व्यवहार्यता अंतराल निधियन:** यह प्रावधान अव्यवहार्य ग्रामीण वायर-लाइन प्रचालनों हेतु बीएसएनएल को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।
- 28.07. **बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रत्याभूति राशि की माफी:** यह प्रावधान बीएसएनएल/एमटीएनएल को सॉवरेन गारंटी पर देय गारंटी शुल्क की छूट के लिए है।
- 28.09. **सरकारी गारंटी लागू करने के लिए एमटीएनएल को ऋण:** यह प्रावधान एमटीएनएल द्वारा जुटाए गए बांडों पर सॉवरेन गारंटी को लागू करने के लिए है।
- 28.11. **वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (बकाया इस्पेक्ट्रम निलामी को इक्विटी में बदलना):** यह प्रावधान वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के बकाया स्पेक्ट्रम देय राशि को इक्विटी में बदलने की दिशा में है। इसका मिलान इकाई से प्राप्त समतुल्य गैर-कर प्राप्ति से किया जाएगा।
29. **अन्तरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए है।

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सुदृढीकरण												
जोड़-विधिक माप विज्ञान एवं गुणवत्ता आश्वासन	28.66	61.14	89.80	37.50	83.60	121.10	37.73	75.57	113.30	41.43	91.57	133.00
11. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-1.80	...	-1.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	7102.72	61.14	7163.86	4147.22	83.60	4230.82	3144.46	75.57	3220.03	4230.13	91.87	4322.00
कुल जोड़	7239.86	62.38	7302.24	4276.30	84.42	4360.72	3283.27	78.55	3361.82	4380.75	93.42	4474.17
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	0.96	...	0.96	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	66.69	...	66.69	70.17	...	70.17	75.96	...	75.96	79.98	...	79.98
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	38.69	...	38.69	35.66	...	35.66	38.98	...	38.98	41.44	...	41.44
4. नागरिक आपूर्ति	7114.89	...	7114.89	3735.52	...	3735.52	2836.10	...	2836.10	3816.30	...	3816.30
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.89	...	18.89	21.02	...	21.02	18.64	...	18.64	20.73	...	20.73
6. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	15.88	15.88	...	37.52	37.52	...	28.27	28.27	...	34.72	34.72
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	46.50	46.50	...	36.82	36.82	...	40.98	40.98	...	47.85	47.85
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7240.12	62.38	7302.50	3863.27	74.34	3937.61	2970.58	69.25	3039.83	3959.35	82.57	4041.92
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	413.03	...	413.03	312.69	...	312.69	421.40	...	421.40
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.26	...	-0.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	10.08	10.08	...	9.30	9.30	...	10.85	10.85
जोड़-अन्य	-0.26	...	-0.26	413.03	10.08	423.11	312.69	9.30	321.99	421.40	10.85	432.25
कुल जोड़	7239.86	62.38	7302.24	4276.30	84.42	4360.72	3283.27	78.55	3361.82	4380.75	93.42	4474.17

1.

सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
2.

मूल्य स्थिरीकरण कोष: यह प्रावधान दलहनों , प्याज और आलू के वफर स्टॉक को बनाए रखने और बाजार में उक्त वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाने के लिए है ताकि आवश्यकता पड़ने पर कीमतों को कम किया जा सके।
3.

कॉन्फोनेट: कम्प्यूटरीकरण और उपभोक्ता मंच की कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉन्फोनेट)। यह प्रावधान नेटवर्किंग और पूरे देश में उपभोक्ता मंचों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए है।
4.

उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन एवं प्रचार): यह प्रावधान विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता सृजन के लिए है।
5.

उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ: यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वार्षिक बैठक आयोजित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय/विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने के व्यय के लिए है।
6.

उपभोक्ता फोरम का सुदृढीकरण, उपभोक्ता परामर्श एवं मध्यस्थता: यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला स्तरीय उपभोक्ता मंचों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित किए गए नए उपभोक्ता मंचों में बुनियादी कार्यालय अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है। उपभोक्ता मंचों के भवनों में उपभोक्ता परामर्श तथा मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 7.01.

उपभोक्ता कल्याण निधि: उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्य उपभोक्ता कल्याण (कोष) कोष की स्थापना के लिए प्रदान की गई है। इस कोष पर अर्जित व्याज का उपयोग उपभोक्ता कल्याण दिशानिर्देशों 2023 के अनुसार उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया जाता है।

8.01. **भारत में सोने के संबंध में हॉलमार्किंग/परख केंद्रों की स्थापना करना:** यह प्रावधान निजी उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केन्द्रों की स्थापना के लिए है। शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन भी किया जाता है।

9. **राष्ट्रीय परीक्षण शाला:** यह प्रावधान राष्ट्रीय परीक्षण शाला के फील्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/अपग्रेडेशन के लिए है जिसमें (आग्नेयास्त्रों को छोड़कर) भारी मशीनरी सहित सभी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है।

10. **तोल एवं माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान का सुदृढ़ीकरण:** यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कानूनी माप विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए वजन और माप के परीक्षण और अंशोधन के लिए मानक तरीके और साधन उपकरण प्रदान करने के लिए किया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	207602.33	24549.59	232151.92	211386.14	50020.23	261406.37	235024.93	50022.72	285047.65	235024.58	50022.62	285047.20
	वसूलियां	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	-24445.33	-24445.33	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
	निवल	207602.24	104.26	207706.50	211386.14	20.23	211406.37	235024.93	22.72	235047.65	235024.58	22.62	235047.20
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
	1. सचिवालय	82.90	7.07	89.97	92.97	5.22	98.19	118.25	5.22	123.47	120.80	5.28	126.08
	2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	25.69	2.50	28.19	28.96	5.00	33.96	27.75	6.28	34.03	30.78	5.77	36.55
	3. खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय	31.04	1.22	32.26	21.36	1.00	22.36	28.25	2.22	30.47	28.48	2.57	31.05
	4. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	139.59	10.79	150.38	143.29	11.22	154.51	174.25	13.72	187.97	180.06	13.62	193.68
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
खाद्य सस्मिडी													
	5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)	199500.01	...	199500.01	203000.00	...	203000.00	227753.65	...	227753.65	227429.00	...	227429.00
	6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सस्मिडी	367.08	...	367.08	420.00	...	420.00	400.00	...	400.00	200.00	...	200.00
	जोड़-खाद्य सस्मिडी	199867.09	...	199867.09	203420.00	...	203420.00	228153.65	...	228153.65	227629.00	...	227629.00
	7. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
	7.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	24445.33	24445.33	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00
	7.02 भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान	...	-24445.33	-24445.33	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	8. चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और अनुरक्षण के लिए स्कीम	...	...	...	...	...	...	0.68	...	0.68	...	...	...
	9. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	599.95	...	599.95	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00
	10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण	...	...	...	0.50	...	0.50	0.40	...	0.40	0.50	...	0.50
	11. भंडारण और गोदाम	0.20	66.97	67.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	12. इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्राप्ति (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित	...	...	...	50.00	...	50.00	12.50	...	12.50	15.00	...	15.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना												
चीनी उद्योग का विकास												
13. चीनी उद्योग विकास स्कीम												
13.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
14. वास्तविक वसूलियां	-0.05	...	-0.05	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	200477.19	66.97	200544.16	204080.50	...	204080.50	228777.23	...	228777.23	228254.50	...	228254.50
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
15. माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण	24.69	...	24.69	20.25	...	20.25	22.25	...	22.25	21.92	...	21.92
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
16. भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी पूंजी में निवेश	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
अन्य												
17. पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	...	...	...	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10
18. गन्ने की कीमतों के निर्धारण और किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े लंबित भुगतान (एकमुश्त भुगतान) का समय पर पूरा किए जाने हेतु सहायता देने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सस्विडी	1.17	...	1.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	1.17	...	1.17	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	25.86	...	25.86	20.35	0.01	20.36	22.45	...	22.45	22.02	...	22.02
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
19. एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन	6945.24	...	6945.24	7075.00	...	7075.00	6000.00	...	6000.00	6500.00	...	6500.00
20. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)	14.36	26.50	40.86	67.00	9.00	76.00	51.00	9.00	60.00	68.00	9.00	77.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	6959.60	26.50	6986.10	7142.00	9.00	7151.00	6051.00	9.00	6060.00	6568.00	9.00	6577.00
कुल जोड़	207602.24	104.26	207706.50	211386.14	20.23	211406.37	235024.93	22.72	235047.65	235024.58	22.62	235047.20
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	200572.11	...	200572.11	204207.17	...	204207.17	228903.38	...	228903.38	228383.81	...	228383.81
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	82.86	...	82.86	92.97	...	92.97	118.25	...	118.25	120.80	...	120.80
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	104.26	104.26	...	20.23	20.23	...	22.72	22.72	...	22.62	22.62
4. खाद्य, भंडारण और माल गोदाम के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	200654.97	104.26	200759.23	204300.14	20.23	204320.37	229021.63	22.72	229044.35	228504.61	22.62	228527.23
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	721.00	...	721.00	714.00	...	714.00	589.66	...	589.66
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6682.14	...	6682.14	6132.00	...	6132.00	5120.88	...	5120.88	5794.14	...	5794.14
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	265.13	...	265.13	233.00	...	233.00	168.42	...	168.42	136.17	...	136.17
जोड़-अन्य	6947.27	...	6947.27	7086.00	...	7086.00	6003.30	...	6003.30	6519.97	...	6519.97
कुल जोड़	207602.24	104.26	207706.50	211386.14	20.23	211406.37	235024.93	22.72	235047.65	235024.58	22.62	235047.20

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
भारतीय खाद्य निगम												
1. भारतीय खाद्य निगम	...	75495.00	75495.00	0.01	28000.00	28000.01	...	15000.00	15000.00	...	20600.00	20600.00
जोड़-भारतीय खाद्य निगम	...	75495.00	75495.00	0.01	28000.00	28000.01	...	15000.00	15000.00	...	20600.00	20600.00
जमा सहकारी समितियों को ऋण												
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	654.00	654.00	...	723.00	723.00	...	700.00	700.00	...	750.00	750.00
जोड़-जमा सहकारी समितियों को ऋण	...	654.00	654.00	...	723.00	723.00	...	700.00	700.00	...	750.00	750.00
जोड़	...	76149.00	76149.00	0.01	28723.00	28723.01	...	15700.00	15700.00	...	21350.00	21350.00

1. सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर: यह प्रावधान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के स्थापना व्यय के लिए है।

3. खाद्य, भंडार और माल गोदाम के अन्य स्थापना व्यय: यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला और गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद की सदस्यता शुल्क के लिए है।

5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई): इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सप्लिडी: अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लिडी प्रदान करना।

7. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम: यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की खरीद, बफर स्टॉक आवश्यकताओं को पूरा करने और खाद्यान्नों के प्रबंधन के लिए अपनी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों और साधनों के लिए है। इस अग्रिम को उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाता है।

9. इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम: यह प्रावधान चीनी मिलों को एक वर्ष में मौजूदा आसवन कारखानों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर, नए भस्मीकरण बॉयलरों की स्थापना करके और अपने चीनी मिलों से जुड़े नए आसवन कारखानों की स्थापना करके इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

10. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान राज्य खाद्य आयोग को सहायता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित योजनाओं के लिए है।

12. **इलेक्ट्रॉनिक विक्रेय वेयरहाउस प्राप्ति (ई-एनडब्ल्यूआर) आधारित प्लेज फाइनेंसिंग (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना:** यह प्रावधान बैंकों को भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) पंजीकृत गोदामों में संग्रहीत उपज पर किसानों और व्यापारियों को ई-एनडब्ल्यूआर के लिए गिरवी वित्त देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

13.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय:** यह प्रावधान एसडीएफ स्कीम के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को एजेंसी कमीशन और लंबित देयताओं के भुगतान करने के लिए है।

15. **माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को स्थापना व्यय और इसके लिए आईटी सक्षम प्रणाली प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और परक्राम्य गोदाम प्रामियों (एनडब्ल्यूआरएस)/परिवर्तन योजना की ऑनलाइन निगरानी के लिए अनुदान-सहायता-वेतन और अनुदान-सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।

17. **पी डी एस- मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान:** यह प्रावधान (पीडीएस प्रचालन योजना के सुदृढीकरण का पूर्वर्ती घटक) के तहत प्रावधान फेज -II (2024-28) के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एनएफएसए के कार्यान्वयन के समवर्ती मूल्यांकन में लगे निगरानी संस्थानों को भुगतान करने के लिए है।

19. **एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस डीलर मार्जिन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतर-राज्यीय आवाजाही और खाद्यान्न के प्रचालन और उचित मूल्य दुकान के व्यापारी के लाभ (फेयर प्राइस डीलर्स मार्जिन) संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

20. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार हेतु स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस):** इस योजना में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी सीमाओं को पार करके पीडीएस में प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने और पीडीएस से संबंधित सभी कार्यों को शामिल करते हुए एक एकीकृत केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है।

सहकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 16

सहकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)													
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	735.75	2.25	738.00	1184.68	1.61	1186.29	979.18	2.13	981.31	1742.84	1.90	1744.74	
वसूलियां	-1.90	...	-1.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
निवल	733.85	2.25	736.10	1184.68	1.61	1186.29	979.18	2.13	981.31	1742.84	1.90	1744.74	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	सचिवालय	26.88	1.50	28.38	30.85	0.63	31.48	40.98	0.95	41.93	35.59	1.00	36.59
1.02	अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	10.48	0.75	11.23	15.83	0.98	16.81	9.93	1.18	11.11	10.28	0.90	11.18
जोड़- सचिवालय		37.36	2.25	39.61	46.68	1.61	48.29	50.91	2.13	53.04	45.87	1.90	47.77
2. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)		-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		37.35	2.25	39.60	46.68	1.61	48.29	50.91	2.13	53.04	45.87	1.90	47.77
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
3. सहकारी प्रशिक्षण		...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान													
4.01	सहकारी शर्करा मिलों (सीएसएम) का सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.02	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
जोड़- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान		500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
5. एकीकृत कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी)		-1.89	...	-1.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को सहायता अनुदान		...	...	...	...	...	...	...	...	...	450.00	...	450.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		498.11	...	498.11	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	950.01	...	950.01
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
सांविधिक और वित्तियामक निकाय													

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. सहकारी शिक्षा	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
स्वायत्त निकाय												
8. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	38.00	...	38.00	42.00	...	42.00	44.27	...	44.27	46.96	...	46.96
9. वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैन्निकॉम)	8.70	...	8.70	11.00	...	11.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	46.70	...	46.70	53.00	...	53.00	53.27	...	53.27	56.96	...	56.96
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	46.70	...	46.70	53.00	...	53.00	253.27	...	253.27	356.96	...	356.96
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
10. प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण	130.53	...	130.53	560.00	...	560.00	150.00	...	150.00	364.00	...	364.00
11. आईटी पहलू के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना	21.16	...	21.16	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	26.00	...	26.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	151.69	...	151.69	585.00	...	585.00	175.00	...	175.00	390.00	...	390.00
कुल जोड़	733.85	2.25	736.10	1184.68	1.61	1186.29	979.18	2.13	981.31	1742.84	1.90	1744.74
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सहकारिता	593.38	...	593.38	687.01	...	687.01	776.53	...	776.53	1419.76	...	1419.76
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	26.87	...	26.87	30.85	...	30.85	40.98	...	40.98	35.59	...	35.59
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.25	2.25	...	1.61	1.61	...	2.13	2.13	...	1.90	1.90
जोड़-आर्थिक सेवाएं	620.25	2.25	622.50	717.86	1.61	719.47	817.51	2.13	819.64	1455.35	1.90	1457.25
अन्य												
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	111.50	...	111.50	462.08	...	462.08	158.74	...	158.74	281.43	...	281.43
5. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.10	...	2.10	4.74	...	4.74	2.93	...	2.93	6.06	...	6.06
जोड़-अन्य	113.60	...	113.60	466.82	...	466.82	161.67	...	161.67	287.49	...	287.49
कुल जोड़	733.85	2.25	736.10	1184.68	1.61	1186.29	979.18	2.13	981.31	1742.84	1.90	1744.74

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है और इसमें सहकारिता समितियों के केंद्रीय पंजीयक का संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय, सहकारिता चुनाव प्राधिकरण का कार्यालय और लोकपाल का कार्यालय शामिल है।

4.02. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता अनुदान:** वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक, एनसीडीसी योजना को अनुदान सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान किया गया है।

6. **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) को सहायता अनुदान:** निर्यात संवर्धन हेतु सहकारिताओं को वित्तीय सहायता हेतु एनसीईएल को सहायता अनुदान।

7. **सहकारी शिक्षा:** पूंजीगत आस्तियों के मुजन के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान का प्रावधान।

8. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी):** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह निधि वेतन अनुदान और सामान्य अनुदान के लिए है।
9. **वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैष्णिकॉम):** यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह एनसीसीटी के प्रशासनिक दायरे में आता है। यह प्रावधान वेतन सहायता अनुदान के लिए है।
10. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों का कम्प्यूटरीकरण:** इस योजना का उद्देश्य 67,930 कार्यात्मक पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण करना है जिससे पीएसीएस के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।
11. **आईटी पहल के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना:** अपने पहलों के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने पर केंद्र प्रायोजित परियोजना के दो घटक हैं: क) कृषि ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) परियोजना का कम्प्यूटरीकरण. (ख) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों (आरसीएस) के पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण। इसका उद्देश्य एआरडीबी और आरसीएस की दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	668.58	41.90	710.48	11469.86	116.33	11586.19	8883.06	86.37	8969.43	6506.24	55.62	6561.86
वसूलियां	-30.57	...	-30.57	-25.00	...	-25.00	-50.00	...	-50.00	-1000.00	...	-1000.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	638.01	41.90	679.91	11444.86	116.33	11561.19	8833.06	86.37	8919.43	5506.24	55.62	5561.86
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	134.73	9.48	144.21	199.12	...	199.12	205.77	...	205.77	154.65	30.36	185.01
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	76.07	0.10	76.17	77.87	...	77.87	98.56	...	98.56	101.24	0.68	101.92
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	266.03	22.30	288.33	333.87	...	333.87	310.58	...	310.58	312.23	9.51	321.74
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	342.10	22.40	364.50	411.74	...	411.74	409.14	...	409.14	413.47	10.19	423.66
3. वास्तविक वसूलियां	-0.49	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	476.34	31.88	508.22	610.86	...	610.86	614.91	...	614.91	568.12	40.55	608.67
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली												
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	4.59	10.02	14.61	8.46	2.54	11.00	14.71	0.29	15.00	9.47	2.04	11.51
5. न्यू इंटरैक्शिप प्रोग्राम	32.16	...	32.16	10771.30	59.77	10831.07	506.62	19.77	526.39	4775.42	13.03	4788.45
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	36.75	10.02	46.77	10779.76	62.31	10842.07	521.33	20.06	541.39	4784.89	15.07	4799.96
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
6. भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	51.00	...	51.00	54.21	...	54.21	54.63	...	54.63	54.20	...	54.20
8. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	44.00	...	44.00	...	...	...	50.00	...	50.00	49.00	...	49.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	95.00	...	95.00	54.24	...	54.24	104.63	...	104.63	103.23	...	103.23

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
9. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
9.01 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष	30.00	...	30.00	...	...	...	50.00	...	50.00	1000.00	...	1000.00
9.02 आरक्षित निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	7592.19	...	7592.19	50.00	...	50.00
9.03 आईईपीएफ से भुगतान की गई राशि की कटौती	-30.08	...	-30.08	-25.00	...	-25.00	-50.00	...	-50.00	-1000.00	...	-1000.00
निवल	29.92	...	29.92	...	...	...	7592.19	...	7592.19	50.00	...	50.00
10. मुख्य कार्य - भूमि और भवन	...	...	...	...	54.02	54.02	...	66.31	66.31	...	...	...
जोड़-अन्य	29.92	...	29.92	...	54.02	54.02	7592.19	66.31	7658.50	50.00	...	50.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	124.92	...	124.92	54.24	54.02	108.26	7696.82	66.31	7763.13	153.23	...	153.23
कुल जोड़	638.01	41.90	679.91	11444.86	116.33	11561.19	8833.06	86.37	8919.43	5506.24	55.62	5561.86
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	247.81	...	247.81	11024.63	...	11024.63	8359.21	...	8359.21	5034.27	...	5034.27
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	390.20	...	390.20	420.23	...	420.23	473.85	...	473.85	471.97	...	471.97
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	41.90	41.90	...	116.33	116.33	...	86.37	86.37	...	55.62	55.62
जोड़-आर्थिक सेवाएं	638.01	41.90	679.91	11444.86	116.33	11561.19	8833.06	86.37	8919.43	5506.24	55.62	5561.86
कुल जोड़	638.01	41.90	679.91	11444.86	116.33	11561.19	8833.06	86.37	8919.43	5506.24	55.62	5561.86

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय, ई-गवर्नेंस (एमसीए-21) परियोजना; और आईपीआईई परियोजना के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनियों के रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापकों (आरओसी-सह-ओएल) और कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के कार्यालयों पर व्यय का प्रावधान करता है।उनके मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक और निजी कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों की जांच और ऐसी जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है।आरओसी-सह-ओएल परिसमापन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक दोनों कार्यों का निर्वहन करते हैं।ये कार्यालय उच्च न्यायालयों से जुड़े होते हैं और अनिवार्य परिसमापन के तहत कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत आरओसी-कम-ओएल, कंपनियों के रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण, सलाह और मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। वे परिसमापन के तहत कंपनियों के प्रभारी होते हैं। डीजीसीओ पूरे देश में मंत्रालय और क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। अन्य व्यय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी),

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), विशेष अदालतों और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण के कार्यालयों पर व्यय का प्रावधान करता है।

4. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में मौजूद सूचना के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितधारकों को अधिक सुगम तरीके से प्रामाणिक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीतिगत या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचित तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

5. **न्यू इंटरनशिप प्रोग्राम:** एक नई योजना, पीएम इंटरनशिप प्रोग्राम (पीएम इंटरनशिप स्कیم) बजट 2024-25 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में, एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है।

6. **भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड:** दिवालापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार, मंत्रालय ने कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित करने और संशोधित करने के लिए भारतीय दिवालापन और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना की है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमिता

को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके।

7. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अनुदान-सहायता-सामान्य और अनुदान-सहायता-वेतन आदि प्रदान करता है (सीसीआई)। सीसीआई की स्थापना बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए की गई है। पूर्ववर्ती एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा आयोग को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

8. **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण:** इसमें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की पूंजीगत अस्तियों के सृजन के लिए सामान्य-सहायता-अनुदान और सहायता-अनुदान-वेतन प्रदान करता है। एनएफआरए की स्थापना कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखापरीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करने के लिए की गई है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है; लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करना; ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबंधित पेशेवरों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना; और उपर्युक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या आकस्मिक अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करना।

9.01. **निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष:** निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण को आईईपीएफ के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है जो निवेशकों को शेयरों, अदावाकृत लाभांशों, परिपक्व जमाओं/ऋणपत्रों आदि का प्रतिदाय करता है और निवेशकों के मध्य जागरूकता बढ़ाता है। निधि दावा करने वालों को भुगतान न किए गए/अदावाकृत राशि का संवितरण आईईपीएफ से करता है।

10. **मुख्य कार्य - भूमि और भवन:** भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर के निर्माण/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पूंजीगत शीर्षों पर व्यय का प्रावधान है। बजट अनुमान 2026-27 से इस प्रावधान को स्थापना व्यय में शामिल किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 18

संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3077.36	182.64	3260.00	3168.51	192.45	3360.96	3357.64	192.45	3550.09	3216.63	200.00	3416.63
वसूलियां	-14.89	-0.32	-15.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3062.47	182.32	3244.79	3168.51	192.45	3360.96	3357.64	192.45	3550.09	3216.63	200.00	3416.63
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	67.24	2.07	69.31	71.42	3.08	74.50	62.51	4.73	67.24	66.08	3.74	69.82
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)	1096.66	133.95	1230.61	1142.59	135.90	1278.49	1056.72	125.14	1181.86	1104.43	131.35	1235.78
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	118.21	26.86	145.07	128.99	27.56	156.55	131.88	32.35	164.23	133.70	37.20	170.90
4. संग्रहालय	109.74	8.78	118.52	111.75	14.88	126.63	122.25	17.43	139.68	118.52	16.67	135.19
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.)	42.26	10.98	53.24	44.76	11.03	55.79	50.84	10.80	61.64	49.74	11.03	60.77
6. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.02	-0.32	-0.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1434.09	182.32	1616.41	1499.51	192.45	1691.96	1424.20	190.45	1614.65	1472.47	199.99	1672.46
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
7. शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें	106.13	...	106.13	35.00	...	35.00	109.31	...	109.31	98.00	...	98.00
8. कला संस्कृति विकास योजना	200.67	...	200.67	198.50	...	198.50	375.00	...	375.00	150.00	...	150.00
9. संग्रहालयों का विकास	133.85	...	133.85	210.72	...	210.72	285.00	2.00	287.00	149.99	0.01	150.00
10. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	20.72	...	20.72	53.19	...	53.19	35.07	...	35.07	50.00	...	50.00
11. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	8.82	...	8.82	4.65	...	4.65	4.65	...	4.65	30.00	...	30.00
12. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन	7.40	...	7.40	22.46	...	22.46	1.50	...	1.50	58.39	...	58.39
13. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	2.63	...	2.63	60.00	...	60.00	15.00	...	15.00	60.00	...	60.00
14. वसूलियाँ	-14.87	...	-14.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	465.35	...	465.35	584.52	...	584.52	825.53	2.00	827.53	596.38	0.01	596.39
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. अकादमियों को सहायता	508.13	...	508.13	411.42	...	411.42	455.80	...	455.80	460.62	...	460.62
16. संग्रहालयों को सहायता	365.42	...	365.42	379.58	...	379.58	374.83	...	374.83	390.51	...	390.51
17. पुस्तकालयों को सहायता	94.91	...	94.91	114.69	...	114.69	108.34	...	108.34	116.51	...	116.51
18. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	169.89	...	169.89	158.60	...	158.60	146.35	...	146.35	158.55	...	158.55
जोड़-स्वायत्त निकाय	1138.35	...	1138.35	1064.29	...	1064.29	1085.32	...	1085.32	1126.19	...	1126.19
अन्य												
19. अनुदानग्राही निकाय	24.68	...	24.68	20.19	...	20.19	22.59	...	22.59	21.59	...	21.59
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1163.03	...	1163.03	1084.48	...	1084.48	1107.91	...	1107.91	1147.78	...	1147.78
कुल जोड़	3062.47	182.32	3244.79	3168.51	192.45	3360.96	3357.64	192.45	3550.09	3216.63	200.00	3416.63
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	2995.25	...	2995.25	3038.64	...	3038.64	3212.62	...	3212.62	3090.91	...	3090.91
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	67.22	...	67.22	71.42	...	71.42	62.51	...	62.51	66.08	...	66.08
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	180.25	180.25	...	189.37	189.37	...	187.72	187.72	...	196.26	196.26
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.07	2.07	...	3.08	3.08	...	4.73	4.73	...	3.74	3.74
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3062.47	182.32	3244.79	3110.06	192.45	3302.51	3275.13	192.45	3467.58	3156.99	200.00	3356.99
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	58.45	...	58.45	82.51	...	82.51	59.64	...	59.64
जोड़-अन्य	...	...	...	58.45	...	58.45	82.51	...	82.51	59.64	...	59.64
कुल जोड़	3062.47	182.32	3244.79	3168.51	192.45	3360.96	3357.64	192.45	3550.09	3216.63	200.00	3416.63

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के वेतन एवं संबद्ध भदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.):** यह प्रावधान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व धरोहर स्मारकों और पुरावशेषों सहित संरक्षित स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास, उद्यानों का रखरखाव और केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के आसपास नए उद्यानों का विकास, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और खुदाई, शिलालेख और भारतीय वास्तुकला का विशेष अध्ययन, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का रखरखाव, पुरावशेष और कला सम्पदा अधिनियम का संचालन और पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं। एएसआई में स्मारकों और पुरावशेषों संबंधी राष्ट्रीय मिशन भी संचालित किया गया है ताकि पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान को संयोजित करते हुए बहुआयामी हिंद महासागर 'विश्व' का अन्वेषण किया जा सके।
3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अंतुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.):** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत के लोगों का जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान करता है तथा भारत के लोगों के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

7. **शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें:** शताब्दी एवं वर्षगांठ समारोह योजना के अंतर्गत प्रावधान को प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राष्ट्रीय महत्व के घटनाओं की स्मृति के लिए लागू किया जाता है। वर्तमान में चल रही स्मृति योजनाएं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, आचार्य श्री विद्यानंदजी की 100वीं जयंती, माता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती, श्री गुरू तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, संविधान हत्या दिवस, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150वीं वर्ष की स्मृति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है।

8. **कला संस्कृति विकास योजना:** यह वित्तीय प्रावधान कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के लिए है। इस व्यापक योजना में मिशन और योजनाएं शामिल हैं जैसे; प्रशिक्षण संस्थानों और नाटक समूहों को वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, उत्सव और निर्माण अनुदान (सीईएफपीजी), कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना, वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता योजना, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, घरेलू उत्सव एवं मेले।

9. **संग्रहालयों का विकास:** संग्रहालय के विकास के अंतर्गत यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, उत्तराखण्ड राज्य में केदारनाथ ट्रैक और केदार घाटी में केदारनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाओं के सृजन हेतु केदारनाथ परियोजना और वडनगर में राष्ट्रीय आनुभाविक स्थल संग्रहालय से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

10. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुरालेखीय निधान, सरकारी पुस्तकालय और संग्रहालय के लिए वित्तीय सहायता की योजना, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने और दुर्लभ दस्तावेजों के परिरक्षण, संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना, पंजीकृत स्वैच्छिक अभिलेखों के इतिहास से संबंधित गतिविधियों के खर्च के लिए है।

11. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वैश्विक संपर्क योजना से संबंधित गतिविधियों के व्यय के लिए है। इस योजना में निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, परियोजना मौसम, बृहत्तर भारत, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) के संरक्षण और भारत की विविध सांस्कृतिक परम्पराएं।

12. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत प्रावधान में डेटा, मानचित्रण, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और बेहतर निष्कर्षों के लिए सभी सांस्कृतिक कार्यकलापों को एकछत्र के अंतर्गत लाना शामिल है।

13. **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन:** यह प्रावधान ज्ञान भारतम मिशन से संबंधित कार्यविधियों पर व्यय के लिए है जिसका उद्देश्य देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने हेतु है।

15. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान परिषद संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, भारतीय विरासत संस्थान (आईआईएच), सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय जैसे स्वायत्त निकायों का व्यय का प्रावधान शामिल है।

17. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

18. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

19. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (मुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोब्रेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैप्टीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर	...	22.42	22.42	...	26.00	26.00	...	32.00	32.00	...	30.00	30.00
जोड़-आवासन	68.91	22.42	91.33	70.35	26.00	96.35	67.90	32.00	99.90	75.00	30.00	105.00
लोक कार्य												
12. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	32.54	32.54	...	58.28	58.28	...	42.00	42.00	...	60.00	60.00
13. विविध ऋण	...	2.48	2.48	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.25	3.25
14. कैप्टीन स्टोर विभाग												
14.01 कैप्टीन स्टोर विभाग	30326.29	3.20	30329.49	30500.00	26.19	30526.19	32847.00	4.00	32851.00	34840.00	36.78	34876.78
14.02 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-29545.41	...	-29545.41	-30700.00	...	-30700.00	-33046.62	...	-33046.62	-35140.00	...	-35140.00
<i>निवल</i>	<i>780.88</i>	<i>3.20</i>	<i>784.08</i>	<i>-200.00</i>	<i>26.19</i>	<i>-173.81</i>	<i>-199.62</i>	<i>4.00</i>	<i>-195.62</i>	<i>-300.00</i>	<i>36.78</i>	<i>-263.22</i>
15. बोनस शेयरों को जारी करना												
15.01 भारत डायनामिक लिमिटेड	...	49.81	49.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.02 घटाएं अनुमानित प्राप्तियां	...	-49.81	-49.81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-अन्य	849.79	60.64	910.43	-129.65	113.57	-16.08	-131.72	81.10	-50.62	-225.00	130.03	-94.97
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	849.79	60.64	910.43	-129.65	113.57	-16.08	-131.72	81.10	-50.62	-225.00	130.03	-94.97
कुल जोड़	16767.97	10848.48	27616.45	16295.35	12387.62	28682.97	16137.85	10963.15	27101.00	16851.36	11703.25	28554.61
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	44.67	...	44.67	54.11	...	54.11	47.14	...	47.14	49.43	...	49.43
2. सीमा शुल्क	4013.16	...	4013.16	4676.70	...	4676.70	4185.00	...	4185.00	4392.85	...	4392.85
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	8497.19	...	8497.19	8275.16	...	8275.16	8580.49	...	8580.49	8990.13	...	8990.13
4. पुलिस	2022.45	...	2022.45	2074.03	...	2074.03	2021.94	...	2021.94	2106.70	...	2106.70
5. लोक निर्माण कार्य	34.31	...	34.31	40.35	...	40.35	37.50	...	37.50	43.02	...	43.02
6. विविध सामान्य सेवाएं	780.88	...	780.88	-200.00	...	-200.00	-199.62	...	-199.62	-300.00	...	-300.00
7. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4068.95	4068.95	...	5000.00	5000.00	...	3598.00	3598.00	...	4000.00	4000.00
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	32.54	32.54	...	58.28	58.28	...	42.00	42.00	...	60.00	60.00
9. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	193.19	193.19	...	137.55	137.55	...	147.55	147.55	...	191.09	191.09
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.95	4.95	...	28.19	28.19	...	6.00	6.00	...	38.91	38.91
जोड़-सामान्य सेवाएं	15392.66	4299.63	19692.29	14920.35	5224.02	20144.37	14672.45	3793.55	18466.00	15282.13	4290.00	19572.13
सामाजिक सेवाएं												
11. आवासन	34.60	...	34.60	30.00	...	30.00	30.40	...	30.40	31.98	...	31.98
12. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	22.42	22.42	...	26.00	26.00	...	32.00	32.00	...	30.00	30.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	34.60	22.42	57.02	30.00	26.00	56.00	30.40	32.00	62.40	31.98	30.00	61.98

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
13. सड़क और पुल	1295.85	...	1295.85	1300.00	...	1300.00	1390.00	...	1390.00	1490.00	...	1490.00
14. अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	49.80	49.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	-49.80	-49.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	6523.95	6523.95	...	6409.50	6409.50	...	6421.05	6421.05	...	6642.00	6642.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1295.85	6523.95	7819.80	1300.00	6409.50	7709.50	1390.00	6421.05	7811.05	1490.00	6642.00	8132.00
अन्य												
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.73	...	4.73
18. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44.86	...	44.86	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50	42.52	...	42.52
19. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	725.00	725.00	...	713.45	713.45	...	738.00	738.00
20. विविध ऋण	...	2.48	2.48	...	3.10	3.10	...	3.10	3.10	...	3.25	3.25
जोड़-अन्य	44.86	2.48	47.34	45.00	728.10	773.10	45.00	716.55	761.55	47.25	741.25	788.50
कुल जोड़	16767.97	10848.48	27616.45	16295.35	12387.62	28682.97	16137.85	10963.15	27101.00	16851.36	11703.25	28554.61

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	...	127.61	127.61	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
2. बीईएमएल लिमिटेड	...	199.18	199.18	...	684.01	684.01	...	220.00	220.00	...	400.00	400.00
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	...	985.00	985.00	...	650.00	650.00	...	800.00	800.00	...	900.00	900.00
4. भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड	...	148.82	148.82	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
5. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	...	480.21	480.21	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड	...	49.92	49.92	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00	...	100.00	100.00
7. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	...	27.00	27.00	...	20.00	20.00	...	30.00	30.00	...	25.00	25.00
8. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	...	68.00	68.00	...	50.00	50.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00
9. हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	...	1924.00	1924.00	...	1750.00	1750.00	...	1750.00	1750.00	...	1934.00	1934.00
जोड़	...	4009.74	4009.74	...	4064.01	4064.01	...	3780.00	3780.00	...	4279.00	4279.00

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान रक्षा सचिवालय (अर्थात रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, भू.पू.सैनिक कल्याण विभाग, वित्त प्रभाग तथा आईडीएसए) और रक्षा लेखा विभाग के व्यय हेतु है। इस प्रावधान में रक्षा परीक्षण अवसंरचना स्कीम, रक्षा कोरिडोर और आईडीएक्स योजना हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान और आईडीएक्स के साथ नवाचार प्रौद्योगिकियों के विकास(एडीआईटीआई) की नई योजना के लिए सहायता अनुदान भी शामिल है।
2. **सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय:** स्थापना संबंधी व्यय के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।
3. **तटरक्षक संगठन:** तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।
4. **रक्षा संपदा संगठन:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजनों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि के लिए हैं।
5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एवं कश्मीर लाइट इंफैंट्री जो कि मई 1977 तक जे एंड के मिलिशिया के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं ।
6. **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के लिए किया गया है।
7. **सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे विस्तार विकास के लिए है जो कि सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपा गया है और राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में बीआरडीबी द्वारा किए गए कतिपय रणनीतिक सड़कों के निर्माण के लिए है।
10. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन /कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए है।
11. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आवासीय सुविधाएं-स्टाफ क्वार्टर:** यह प्रावधान कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए है । यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।
12. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सशस्त्र सेना अधिकरण-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संबंधित कार्यालय भवन के निर्माण के लिए और रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि के लिए कार्यालय भवन/चारदीवारी/बाउंडरी खम्भों/संरचना के लिए है।
13. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैंटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।

14.01. **कैंटीन स्टोर विभाग:** कैंटीन स्टोर्स विभाग, मंत्रालय का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह संपूर्ण भारत में रक्षा सेवाओं के सदस्यों को उचित और किफायती दर पर दैनिक आवश्यकताओं के घरेलू सामान तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस शीर्ष में निवल कार्यचालन व्यय (सकल व्यय से अधिक प्राप्तियां) का प्रावधान किया गया है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल			301120.54	...	301120.54	318884.68	...	318884.68	359007.64	...	359007.64	373255.44	...	373255.44
वसूलियां			-163.12	...	-163.12	-161.10	...	-161.10	-162.80	...	-162.80	-715.75	...	-715.75
प्राप्तियां			-9992.91	...	-9992.91	-6991.28	...	-6991.28	-9074.78	...	-9074.78	-7060.71	...	-7060.71
निवल			290964.51	...	290964.51	311732.30	...	311732.30	349770.06	...	349770.06	365478.98	...	365478.98
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:														
केंद्र का व्यय														
केन्द्र का स्थापना व्यय														
1. थलसेना														
1.01	थलसेना के वेतन और भत्ते		113801.21	...	113801.21	113756.24	...	113756.24	114521.17	...	114521.17	118167.91	...	118167.91
1.02	सहायक बलों के वेतन और भत्ते तथा विविध खर्च		1969.13	...	1969.13	3184.84	...	3184.84	3184.84	...	3184.84	3273.20	...	3273.20
1.03	असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते		7023.05	...	7023.05	8039.74	...	8039.74	7817.86	...	7817.86	8075.38	...	8075.38
1.04	परिवहन		5631.78	...	5631.78	5400.00	...	5400.00	...	...	...	...	...	...
1.05	मिलिट्री फार्म		-0.13	...	-0.13	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15
1.06	पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना		10914.78	...	10914.78	8317.00	...	8317.00	11000.00	...	11000.00	12100.00	...	12100.00
1.07	निरीक्षण गुणवत्ता लेखापरीक्षा महानिदेशालय (डीजीक्यूए)		1193.56	...	1193.56	1420.00	...	1420.00	1338.44	...	1338.44	1370.00	...	1370.00
1.08	भंडार		26001.20	...	26001.20	28654.01	...	28654.01	...	...	...	...	...	...
1.09	निर्माण कार्य		11887.59	...	11887.59	12488.90	...	12488.90	...	...	...	...	...	...
1.10	राष्ट्रीय राइफल्स		9729.94	...	9729.94	11290.00	...	11290.00	10599.42	...	10599.42	12052.59	...	12052.59
1.11	राष्ट्रीय कैडेट वाहिनी		2617.57	...	2617.57	2900.00	...	2900.00	3000.21	...	3000.21	3037.11	...	3037.11
1.12	अग्निपथ योजना		6216.74	...	6216.74	9414.22	...	9414.22	9697.22	...	9697.22	15173.68	...	15173.68
1.13	अन्य व्यय		6580.00	...	6580.00	7166.18	...	7166.18	7666.16	...	7666.16	7456.10	...	7456.10
1.14	घटाएं राजस्व प्राप्तियां		-5538.36	...	-5538.36	-4510.78	...	-4510.78	-5338.90	...	-5338.90	-4580.21	...	-4580.21
1.15	अधिक भुगतान की वसूली में कटौती		-2.30	...	-2.30	-1.50	...	-1.50	-1.70	...	-1.70	-554.65	...	-554.65
1.17	वसूलियां		...	...	...	...	...	...	-40.35	...	-40.35	-40.35	...	-40.35
निवल			198025.76	...	198025.76	207520.00	...	207520.00	163445.52	...	163445.52	175531.91	...	175531.91
2. नौसेना														
2.01	नौसेना के वेतन और भत्ते		9313.73	...	9313.73	10975.97	...	10975.97	9261.30	...	9261.30	9662.50	...	9662.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.02 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	3238.94	...	3238.94	3779.55	...	3779.55	3650.00	...	3650.00	3797.00	...	3797.00
2.03 परिवहन	1128.14	...	1128.14	1307.19	...	1307.19	...	...	...	...	...	...
2.04 मरम्मत और पुनर्सजा	2546.86	...	2546.86	2725.87	...	2725.87	...	...	...	...	...	...
2.05 भंडार	9815.08	...	9815.08	11248.21	...	11248.21	...	...	...	...	...	...
2.06 निर्माण कार्य	2279.70	...	2279.70	2190.90	...	2190.90	...	...	...	...	...	...
2.07 संयुक्त स्टाफ	3597.82	...	3597.82	4000.00	...	4000.00	4150.00	...	4150.00	4100.00	...	4100.00
2.08 अग्निपथ योजना	544.65	...	544.65	772.29	...	772.29	838.70	...	838.70	1150.50	...	1150.50
2.09 अन्य व्यय	1710.15	...	1710.15	2019.82	...	2019.82	2049.85	...	2049.85	2202.00	...	2202.00
2.10 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-1439.84	...	-1439.84	-870.00	...	-870.00	-1400.00	...	-1400.00	-870.00	...	-870.00
निवल	32735.23	...	32735.23	38149.80	...	38149.80	18549.85	...	18549.85	20042.00	...	20042.00
3. वायुसेना												
3.01 वायुसेना के वेतन और भत्ते	20196.29	...	20196.29	21017.03	...	21017.03	20453.22	...	20453.22	20536.83	...	20536.83
3.02 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	1936.51	...	1936.51	1670.00	...	1670.00	2072.70	...	2072.70	2231.20	...	2231.20
3.03 परिवहन	1171.39	...	1171.39	1220.00	...	1220.00	...	...	...	...	...	...
3.04 भंडार	22950.05	...	22950.05	25000.00	...	25000.00	...	...	...	...	...	...
3.05 निर्माण कार्य	3474.00	...	3474.00	3859.97	...	3859.97	...	...	...	...	...	...
3.06 अग्निपथ योजना	698.36	...	698.36	853.00	...	853.00	931.00	...	931.00	1072.00	...	1072.00
3.07 विशेष परियोजनाएं	0.16	...	0.16	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.08 अन्य व्यय	1310.08	...	1310.08	1379.00	...	1379.00	1729.00	...	1729.00	1900.00	...	1900.00
3.09 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-2405.18	...	-2405.18	-1300.00	...	-1300.00	-2025.38	...	-2025.38	-1300.00	...	-1300.00
निवल	49331.66	...	49331.66	53700.00	...	53700.00	23161.54	...	23161.54	24441.03	...	24441.03
4. समन्वय और सेवाएं (आयुध निर्माणी निदेशालय)												
4.01 निदेशन एवं प्रशासन	415.07	...	415.07	480.00	...	480.00	502.90	...	502.90	450.50	...	450.50
4.02 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-240.04	...	-240.04	-10.50	...	-10.50	-10.50	...	-10.50	-10.50	...	-10.50
निवल	175.03	...	175.03	469.50	...	469.50	492.40	...	492.40	440.00	...	440.00
5. अनुसंधान और विकास												
5.01 प्रशिक्षण	27.03	...	27.03	25.00	...	25.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
5.02 अनुसंधान/अनुसंधान विकास	928.47	...	928.47	1100.00	...	1100.00	950.00	...	950.00	981.00	...	981.00
5.03 सेवा कार्मिक के वेतन एवं भत्ते	733.31	...	733.31	747.00	...	747.00	747.00	...	747.00	775.00	...	775.00
5.04 असैन्य कर्मियों के वेतन और भत्ते	4172.25	...	4172.25	4596.00	...	4596.00	4356.00	...	4356.00	4525.00	...	4525.00
5.05 परिवहन	197.58	...	197.58	220.00	...	220.00	...	...	...	...	...	...
5.06 भंडार	2871.92	...	2871.92	3198.50	...	3198.50	...	...	...	...	...	...
5.07 निर्माण कार्य	1393.21	...	1393.21	1556.50	...	1556.50	...	...	...	...	...	...
5.08 अन्य व्यय	742.55	...	742.55	750.00	...	750.00	760.45	...	760.45	800.00	...	800.00
5.09 घटाएं राजस्व प्राप्तियां	-369.49	...	-369.49	-300.00	...	-300.00	-300.00	...	-300.00	-300.00	...	-300.00

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	निवल	10696.83	...	10696.83	11893.00	...	11893.00	6541.45	...	6541.45	6809.00	...	6809.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		290964.51	...	290964.51	311732.30	...	311732.30	212190.76	...	212190.76	227263.94	...	227263.94
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
अन्य													
6. थलसेना													
6.01 परिवहन		...	...	...	...	...	...	5662.32	...	5662.32	5738.00	...	5738.00
6.02 भंडार		...	...	...	...	...	...	30965.60	...	30965.60	29115.58	...	29115.58
6.03 निर्माण		...	...	...	...	...	...	13415.13	...	13415.13	13205.21	...	13205.21
6.04 स्पेक्ट्रम प्रभार		...	...	...	...	...	...	17469.13	...	17469.13	19769.03	...	19769.03
6.05 वसूलियां		...	...	...	...	...	...	-120.75	...	-120.75	-120.75	...	-120.75
	निवल	...	...	...	...	...	...	67391.43	...	67391.43	67707.07	...	67707.07
7. नौसेना													
7.01 परिवहन		...	...	...	...	...	...	1101.00	...	1101.00	1002.54	...	1002.54
7.02 मरम्मत और रीफिट		...	...	...	...	...	...	2916.00	...	2916.00	3000.00	...	3000.00
7.03 भंडार		...	...	...	...	...	...	10487.18	...	10487.18	11514.01	...	11514.01
7.04 निर्माण		...	...	...	...	...	...	2222.25	...	2222.25	2205.02	...	2205.02
7.05 स्पेक्ट्रम प्रभार		...	...	...	...	...	...	8661.43	...	8661.43	9036.43	...	9036.43
जोड़- नौसेना		...	...	...	...	...	...	25387.86	...	25387.86	26758.00	...	26758.00
8. वायुसेना													
8.01 परिवहन		...	...	...	...	...	...	1265.00	...	1265.00	1300.00	...	1300.00
8.02 भंडार		...	...	...	...	...	...	24735.53	...	24735.53	25154.46	...	25154.46
8.03 निर्माण		...	...	...	...	...	...	3937.93	...	3937.93	3859.97	...	3859.97
8.04 स्पेक्ट्रम प्रभार		...	...	...	...	...	...	10000.00	...	10000.00	8394.54	...	8394.54
जोड़- वायुसेना		...	...	...	...	...	...	39938.46	...	39938.46	38708.97	...	38708.97
9. अनुसंधान और विकास													
9.01 परिवहन		...	...	...	...	...	...	220.00	...	220.00	225.00	...	225.00
9.02 भंडार		...	...	...	...	...	...	3198.50	...	3198.50	3205.25	...	3205.25
9.03 निर्माण		...	...	...	...	...	...	1443.05	...	1443.05	1610.75	...	1610.75
जोड़- अनुसंधान और विकास		...	...	...	...	...	...	4861.55	...	4861.55	5041.00	...	5041.00
जोड़-अन्य		...	...	...	...	...	...	137579.30	...	137579.30	138215.04	...	138215.04
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय		...	...	...	...	...	...	137579.30	...	137579.30	138215.04	...	138215.04
कुल जोड़		290964.51	...	290964.51	311732.30	...	311732.30	349770.06	...	349770.06	365478.98	...	365478.98
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. रक्षा सेवाएं-थल सेना	198025.76	...	198025.76	207520.00	...	207520.00	230836.95	...	230836.95	243238.98	...	243238.98
2. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	32735.23	...	32735.23	38149.80	...	38149.80	43937.71	...	43937.71	46800.00	...	46800.00
3. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	49331.66	...	49331.66	53700.00	...	53700.00	63100.00	...	63100.00	63150.00	...	63150.00
4. रक्षा सेवाएं - समन्वय और सेवाएं (आयुध निदेशालय)	175.03	...	175.03	469.50	...	469.50	492.40	...	492.40	440.00	...	440.00
5. रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	10696.83	...	10696.83	11893.00	...	11893.00	11403.00	...	11403.00	11850.00	...	11850.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	290964.51	...	290964.51	311732.30	...	311732.30	349770.06	...	349770.06	365478.98	...	365478.98
कुल जोड़	290964.51	...	290964.51	311732.30	...	311732.30	349770.06	...	349770.06	365478.98	...	365478.98

4. **समन्वय और सेवाएं (आयुध निर्माणी निदेशालय):** रक्षा आयुध निर्माणियों को 1.10.2021 से सात(7) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निगमित कर दिया गया है। ब.अ. 2026-27 समन्वय एवं सेवा (आयुध निदेशालय) के व्यय का प्रावधान करता है।

नोट: स्पेक्ट्रम शुल्क: (लाइन मदें 6.04, 7.05, 8.04) इसमें दूरसंचार विभाग को देय वर्तमान स्पेक्ट्रम शुल्क और मूलधन तथा विलंब शुल्क घटकों का पिछला बकाया शामिल है।

'परिवहन', 'भंडार', 'कार्य' और 'मरम्मत एवं नवीनीकरण' मदें, जो परिचालन व्यय की प्रकृति की हैं, उन्हें सं.अ. 2025-26 से आगे 'अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय' के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
18. थल सेना की परियोजनाएं	...	0.71	0.71	...	335.00	335.00	...	76.00	76.00	...	89.00	89.00
19. वायु सेना की परियोजनाएं	...	261.02	261.02	...	1702.16	1702.16	...	1650.91	1650.91	...	1618.81	1618.81
जोड़-प्रौद्योगिकी विकास -सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटोटाइप विकास के लिए सहायता	...	261.73	261.73	...	2037.16	2037.16	...	1726.91	1726.91	...	1707.81	1707.81
लोक उद्यमों में निवेश												
20. लोक उद्यमों में निवेश	...	1494.00	1494.00	...	1494.00	1494.00	...	1494.00	1494.00	...	1494.00	1494.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	...	159768.40	159768.40	...	180000.00	180000.00	...	186454.20	186454.20	...	219306.47	219306.47
कुल जोड़	...	159768.40	159768.40	...	180000.00	180000.00	...	186454.20	186454.20	...	219306.47	219306.47
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	159768.40	159768.40	...	180000.00	180000.00	...	186454.20	186454.20	...	219306.47	219306.47
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	159768.40	159768.40	...	180000.00	180000.00	...	186454.20	186454.20	...	219306.47	219306.47
कुल जोड़	...	159768.40	159768.40	...	180000.00	180000.00	...	186454.20	186454.20	...	219306.47	219306.47

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड	173.86	...	173.86	173.00	...	173.00	261.02	...	261.02	219.05	...	219.05
2. एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	329.26	...	329.26	329.00	...	329.00	329.00	...	329.00	329.00	...	329.00
3. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	2.14	...	2.14	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
4. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	5.18	...	5.18	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
5. म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड	745.45	...	745.45	745.50	...	745.50	745.50	...	745.50	745.50	...	745.50
6. ड्रूप कम्पर्स लिमिटेड	143.54	...	143.54	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
7. यंत्र इंडिया लिमिटेड	228.15	...	228.15	228.00	...	228.00	228.00	...	228.00	228.00	...	228.00
जोड़	1627.58	...	1627.58	1494.00	...	1494.00	1582.02	...	1582.02	1540.05	...	1540.05

1. समन्वय और सेवाएं (आयुष्य निर्माणी कारखाना निदेशालय): 1.10.2021 से सात (7) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निगमित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 22

रक्षा पेंशन

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	157653.65	...	157653.65	168795.00	...	168795.00	169186.50	...	169186.50	179338.22	...	179338.22
	वसूलियां	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ													
1.01 थल सेना		133712.87	...	133712.87	141751.00	...	141751.00	142556.69	...	142556.69	151631.06	...	151631.06
1.02 नौसेना		8551.02	...	8551.02	9463.80	...	9463.80	8937.43	...	8937.43	10023.60	...	10023.60
1.03 वायु सेना		15358.56	...	15358.56	17553.50	...	17553.50	17656.27	...	17656.27	17646.13	...	17646.13
जोड़- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		157622.45	...	157622.45	168768.30	...	168768.30	169150.39	...	169150.39	179300.79	...	179300.79
2. जमा खाते से वसूली घटाएं		...	...	...	-8000.00	...	-8000.00	...	...	...	-8000.00	...	-8000.00
3. बैंको को देय सेवा प्रभार		3.45	...	3.45	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.00	...	4.00
4. पुरस्कार-थलसेना, नौसेना, वायुसेना		27.75	...	27.75	22.20	...	22.20	31.61	...	31.61	33.43	...	33.43
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22
कुल जोड़		157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22
जोड़-सामान्य सेवाएं		157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22
कुल जोड़		157653.65	...	157653.65	160795.00	...	160795.00	169186.50	...	169186.50	171338.22	...	171338.22

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** यह प्रावधान तीनों सेवाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना, वायु सेना और आयुध फैक्ट्री आदि के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक (रक्षा सिविल कर्मचारियों सहित) से संबंधित पेंशन हेतु है। इसमें सेवा पेंशन ('वन रैंक वन पेंशन' के नियमित भुगतान सहित), उपदान, पारिवारिक पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, पेंशन का सारांशीकृत मूल्य, छुट्टी नकदीकरण आदि के भुगतान शामिल हैं।

3. **बैंकों को देय सेवा प्रभार:** यह प्रावधान स्पर्श सेवाओं के लिए बैंकों को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए किया गया है।

अनुमोदित बीई 2025-26 (सकल) के संदर्भ में आरई 2025-26 में अंतर लगभग 391.50 करोड़ रुपये (0.23%) है। यह अंतर पेंशन में सामान्य वृद्धि के कारण है। आरई 2025-26 का आकलन करते समय पिछले वर्ष की 3042.32 करोड़ रुपये की देनदारी को भी ध्यान में रखा गया है।

बीई 2026-27 में बीई 2025-26 (सकल) के संदर्भ में अंतर 10543.22 करोड़ रुपये (व.अ. 2025-26 (सकल) से 6.24% अधिक) है। यह अंतर महंगाई राहत में वृद्धि और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सामान्य वृद्धि के कारण है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1100.28	2347.43	3447.71	1882.76	4032.24	5915.00	1411.79	3067.41	4479.20	2247.70	4564.60	6812.30
वसूलियां	-52.87	-24.22	-77.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1047.41	2323.21	3370.62	1882.76	4032.24	5915.00	1411.79	3067.41	4479.20	2247.70	4564.60	6812.30
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	30.69	0.48	31.17	34.44	0.60	35.04	33.10	0.60	33.70	34.71	0.59	35.30
2. वास्तविक वसूलियाँ	-0.16	...	-0.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	30.53	0.48	31.01	34.44	0.60	35.04	33.10	0.60	33.70	34.71	0.59	35.30
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें												
3. पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम	712.65	24.15	736.80	763.29	58.71	822.00	763.29	236.71	1000.00	805.01	19.99	825.00
पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस)												
4.01 एनईएसआईडीएस कार्यक्रम	43.81	1418.57	1462.38	95.53	2385.47	2481.00	93.35	1506.65	1600.00	95.53	2404.47	2500.00
4.02 पूर्वोत्तर एवं सिक्किम के लिए केंद्रीय संसाधन पूल	-36.39	-24.22	-60.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र में शासन के लिए वकालत और प्रचार और क्षमता वृद्धि	-1.57	...	-1.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5.85	1394.35	1400.20	95.53	2385.47	2481.00	93.35	1506.65	1600.00	95.53	2404.47	2500.00
5. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम तत्कालीन (नीड्स) ऋण	...	70.00	70.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	100.00	100.00
6. विशेष विकास पैकेज												
6.01 बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के लिए विशेष पैकेज	7.76	...	7.76	50.00	...	50.00	53.00	...	53.00	156.00	...	156.00
6.02 कार्बी आंगलोंग (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	94.99	...	94.99	50.00	...	50.00	95.00	...	95.00	200.00	...	200.00
6.03 दिमा हासाओ (डीएचएटीसी) के लिए विशेष पैकेज	29.73	...	29.73	100.00	...	100.00	16.96	...	16.96	...	...	...
6.04 असम के आदिवासी समूहों के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	70.00	...	70.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.05 असम के दिमासा लोगों के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	70.00	...	70.00
6.06 असम के उल्फा समूहों के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00
6.07 त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए विशेष पैकेज	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
जोड़- विशेष विकास पैकेज	132.48	...	132.48	200.00	...	200.00	165.00	...	165.00	1046.00	...	1046.00
7. प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन)												
7.01 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डीईवीआईएनई)	180.65	834.23	1014.88	789.50	1507.46	2296.96	356.55	1243.45	1600.00	260.45	2039.55	2300.00
7.02 उत्तर पूर्वी क्षेत्र (ईएपी) में 'लैंडस्केप और इकोसिस्टम प्रबंधन संवर्धन (ईएलईएमईएनटी) 'परियोजना के लिए तकनीकी सहायता	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50	6.00	...	6.00
जोड़- प्रधान मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डिवाइन)	180.65	834.23	1014.88	789.50	1507.46	2296.96	357.05	1243.45	1600.50	266.45	2039.55	2306.00
8. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-14.75	...	-14.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1016.88	2322.73	3339.61	1848.32	4031.64	5879.96	1378.69	3066.81	4445.50	2212.99	4564.01	6777.00
कुल जोड़	1047.41	2323.21	3370.62	1882.76	4032.24	5915.00	1411.79	3067.41	4479.20	2247.70	4564.60	6812.30
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	30.53	...	30.53	34.44	...	34.44	33.10	...	33.10	34.71	...	34.71
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.44	...	23.44	32.65	...	32.65	32.65	...	32.65	35.92	...	35.92
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.04	2.04	...	4.97	4.97	...	4.97	4.97	...	4.97	4.97
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.48	0.48	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.59	0.59
जोड़-सामान्य सेवाएं	53.97	2.52	56.49	67.09	5.57	72.66	65.75	5.57	71.32	70.63	5.56	76.19
सामाजिक सेवाएं												
5. अन्य सामाजिक सेवाएं	-1.57	...	-1.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामाजिक सेवाएं	-1.57	...	-1.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
आर्थिक सेवाएं												
6. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	70.00	70.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	100.00	100.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	70.00	70.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	100.00	100.00
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	1031.40	...	1031.40	1815.67	...	1815.67	1346.04	...	1346.04	2177.07	...	2177.07
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-36.39	...	-36.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	2250.69	2250.69	...	3946.67	3946.67	...	2981.84	2981.84	...	4459.04	4459.04
जोड़-अन्य	995.01	2250.69	3245.70	1815.67	3946.67	5762.34	1346.04	2981.84	4327.88	2177.07	4459.04	6636.11
कुल जोड़	1047.41	2323.21	3370.62	1882.76	4032.24	5915.00	1411.79	3067.41	4479.20	2247.70	4564.60	6812.30

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि0	...	...	...	...	5.00	5.00	...	4.25	4.25	...	5.00	5.00	
2. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा निगम विकास लि0	...	12.70	12.70	...	44.58	44.58	...	35.50	35.50	...	55.75	55.75	
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड एनईडीएफआई	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	100.00	...	100.00	
जोड़	70.00	12.70	82.70	80.00	49.58	129.58	80.00	39.75	119.75	100.00	60.75	160.75	

1.

सचिवालय: यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।
3.

पूर्वोत्तर परिषद की स्कीम: ये योजनाएं सिद्धिम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं। इनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, महत्वपूर्ण अंतर पाटने की जरूरत वाले क्षेत्रों को शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। इस प्रावधान में पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिवालय का व्यय भी शामिल है। एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को बांस, सूअर-पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, टेलीमेडिसिन, एनईआर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलें आदि जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता अनुदान देती है।
4.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस): यह प्रावधान उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के लिए है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है; साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के लिए सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस योजना में अपनी पूर्ववर्ती योजना, गैर-व्यपगत केंद्रीय संसाधन कोष (एनएलसीपीआर) के तहत स्वीकृत चल रही परियोजनाओं के प्रावधान शामिल हैं।
5.

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को पूर्वोत्तर उद्यम विकास स्कीम तत्कालीन (नीड्स) ऋण: यह प्रावधान पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार्य औद्योगिक अवसंरचना और कृषि बागवानी परियोजनाओं की पहचान , वित्तपोषण और पोषण करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट एंटरप्राइस डेवलपमेंट स्कीम (नीडस) कर दिया गया है।
6.

विशेष विकास पैकेज: यह क्षेत्र की अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अनुदान देने और हाशिए पर पड़े समुदायों के समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष विकास पैकेज है। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत चार (4) अतिरिक्त नए घटकों के लिए प्रावधान किया गया है, जैसे: (क). असम के आदिवासी समूह (ख). असम के दिमासा लोग (ग). असम के यूएलएफए समूह और (घ). त्रिपुरा के आदिवासी।
- 7.01.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डीईवीआईएनई): पीएम डीईवीआईएनई को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों के ज़रिए लागू किया जाता है ताकि पीएम गतिशक्ति की भावना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉर्थ ईस्ट की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को फंड दिया जा सके। यह योजना युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाएगी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को पूरा किया जा सकेगा।
- 7.02.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (ईएपी) में 'लैंडस्केप और इकोसिस्टम प्रबंधन संवर्धन (ईएलईएमईएनटी) 'परियोजना के लिए तकनीकी सहायता: यह प्रावधान परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन (ईएलईएमईएनटी) परियोजना को बढ़ाने के कार्यान्वयन के लिए है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मांग संख्या 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2387.40	999.33	3386.73	2779.05	879.03	3658.08	2909.92	478.35	3388.27	3082.19	716.04	3798.23
वसूलियां	-15.56	...	-15.56	-8.27	...	-8.27	-8.27	...	-8.27	-9.00	...	-9.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2371.84	999.33	3371.17	2770.78	879.03	3649.81	2901.65	478.35	3380.00	3073.19	716.04	3789.23
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	64.89	2.07	66.96	82.87	3.96	86.83	83.10	3.78	86.88	88.60	4.59	93.19
2. मौसम विज्ञान	590.37	1.71	592.08	632.11	1.07	633.18	624.35	1.07	625.42	647.99	0.80	648.79
	-10.57	...	-10.57	-8.27	...	-8.27	-8.27	...	-8.27	-9.00	...	-9.00
निवल	579.80	1.71	581.51	623.84	1.07	624.91	616.08	1.07	617.15	638.99	0.80	639.79
3. राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	12.72	...	12.72	15.97	...	15.97	15.95	...	15.95	17.50	...	17.50
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	657.41	3.78	661.19	722.68	5.03	727.71	715.13	4.85	719.98	745.09	5.39	750.48
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. गहरा महासागर मिशन (डीओएम)	494.97	94.99	589.96	300.00	300.00	600.00	440.40	219.60	660.00	450.00	175.00	625.00
5. मिशन मौसम	356.15	159.55	515.70	799.60	529.40	1329.00	662.40	177.60	840.00	855.29	487.00	1342.29
6. उच्च निष्पादन गणना प्रणाली	...	714.31	714.31	50.00	5.00	55.00	11.00	39.00	50.00	...	...	...
7. पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)	637.12	26.70	663.82	660.40	39.60	700.00	812.70	37.30	850.00	751.35	48.65	800.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1488.24	995.55	2483.79	1810.00	874.00	2684.00	1926.50	473.50	2400.00	2056.64	710.65	2767.29
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंफोइस)	28.00	...	28.00	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	30.00	...	30.00
9. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)	64.29	...	64.29	68.00	...	68.00	71.38	...	71.38	79.00	...	79.00
10. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा	31.00	...	31.00	32.00	...	32.00	34.00	...	34.00	37.00	...	37.00
11. भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)	90.00	...	90.00	91.50	...	91.50	103.00	...	103.00	103.00	...	103.00
12. राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस)	17.89	...	17.89	17.60	...	17.60	22.64	...	22.64	22.46	...	22.46

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	231.18	...	231.18	238.10	...	238.10	260.02	...	260.02	271.46	...	271.46
अन्य												
13. वास्तविक वसूलियां	-4.99	...	-4.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	226.19	...	226.19	238.10	...	238.10	260.02	...	260.02	271.46	...	271.46
कुल जोड़	2371.84	999.33	3371.17	2770.78	879.03	3649.81	2901.65	478.35	3380.00	3073.19	716.04	3789.23
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	1255.20	...	1255.20	1089.40	...	1089.40	1387.48	...	1387.48	1347.35	...	1347.35
2. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	10.92	...	10.92	15.97	...	15.97	15.95	...	15.95	17.50	...	17.50
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	64.55	...	64.55	82.87	...	82.87	83.10	...	83.10	88.60	...	88.60
4. मौसम विज्ञान	1041.17	...	1041.17	1582.54	...	1582.54	1415.12	...	1415.12	1619.74	...	1619.74
5. समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	121.69	121.69	...	339.60	339.60	...	256.90	256.90	...	223.65	223.65
6. मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	...	875.57	875.57	...	535.47	535.47	...	217.67	217.67	...	487.80	487.80
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.07	2.07	...	3.96	3.96	...	3.78	3.78	...	4.59	4.59
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2371.84	999.33	3371.17	2770.78	879.03	3649.81	2901.65	478.35	3380.00	3073.19	716.04	3789.23
कुल जोड़	2371.84	999.33	3371.17	2770.78	879.03	3649.81	2901.65	478.35	3380.00	3073.19	716.04	3789.23

1. **सचिवालय:** सचिवालय-आर्थिक सेवाएं: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए बजट प्रावधान अपेक्षित है।

2. **मौसम विज्ञान:** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसके प्राथमिक उद्देश्य (i) मौसम संबंधी प्रेक्षण और कृषि सिंचाई, विमानन, तीर्थयात्रा आदि जैसी मौसम संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम संबंधी सूचना प्रदान करना, (ii) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, धूल भरे तूफानों ,भारी बारिश, बर्फ शीत और लू आदि जैसी प्रचंड मौसमी परिघटनाओं, जिनके कारण जान और माल की हानि होती है, की चेतावनी देना; तथा (iii) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कस्टमाइज्ड मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायु प्रदूषण निगरानी और पूर्वानुमान के क्षेत्र में देश के अन्य वैज्ञानिक संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना हैं।

3. **राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.):** राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में विश्वसनीयता और सटीकता के साथ उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां लगातार विकसित कर रहा है तथा नए एवं नवीन अनुप्रयोगों का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान, कौशल और तकनीकी आधारों के उच्चतम स्तर को बनाए रख रहा है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ की वास्तविक समय डेटा आत्मसात प्रणाली वास्तविक समय में निर्बाध मौसम भविष्यवाणी मॉडल चलाने के लिए प्रारंभिक स्थितियां तैयार करती है जो दिन और मौसम पूर्वानुमानों को मुहैया करती है, और आईएमडी के पूर्वानुमानकर्ताओं को मूल्यवान मार्गदर्शन

प्रदान करती है। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में चलाए जा रहे उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले वैश्विक और क्षेत्रीय समष्टि भविष्यवाणी मॉडल का उपयोग गंभीर मौसम चेतावनी के लिए संभावित पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक रूप से किया जाता है।

4. **गहरा महासागर मिशन (डीओएम):** गहरा महासागर मिशन का उद्देश्य गहरे महासागरीय संसाधनों का पता लगाना और उनके स्थायी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। मिशन में छह प्रमुख विषय शामिल हैं, अर्थात् (i) गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त पनडुब्बी और पानी के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास; (ii) महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकारी सेवाओं का विकास; (iii) गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार; (iv) गहरे महासागर सर्वेक्षण और अन्वेषण; (v) महासागर से ऊर्जा और ताज़ा पानी और (vi) महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। मिशन में गहरे महासागरों के तल का मानचित्रण और 6000 मीटर पानी की गहराई रेडिंग के साथ मानवयुक्त पनडुब्बी, गहरे समुद्र में खनन के लिए खनन प्रणाली, गहरे समुद्र के जैव संसाधनों का स्थायी उपयोग और अपतटीय थर्मल ऊर्जा-संचालित विलवणीकरण संयंत्रों के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करने जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में अनुसंधान के रुपांतरण के माध्यम से समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता विकसित की जाएगी।

5. **मिशन मौसम:** यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक महत्वाकांक्षी पहल/योजना है जिसे कृषि, विमानन, शहरी नियोजन, रक्षा, खेल और आपदा तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की मौसम और जलवायु पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिशन मौसम की निगरानी, भविष्यवाणी और डेटा विश्लेषण में क्रांति लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग और उन्नत मॉडलिंग तकनीकों का लाभ उठाना चाहता है। मौसम की निगरानी को आगे बढ़ाकर, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों को

शामिल करके, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, मिशन मौसम का लक्ष्य खराब मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करते हुए अधिक सटीक और समय पर पूर्वानुमान प्रदान करना है। कार्यक्रम मजबूत अवसंरचना के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है कि मौसम संबंधी जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, जिससे राष्ट्रीय विकास, आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन में योगदान मिल सके। अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, मिशन मौसम का लक्ष्य भारत में उन्नत मौसम और जलवायु भविष्यवाणी के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क स्थापित करना है।

6. **उच्च निष्पादन गणना प्रणाली:** पिछली योजना अवधि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के विभिन्न संस्थानों में तैनात उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली पिछले दशक में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने और अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। इन एचपीसी प्रणालियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणी (एनडब्ल्यूपी) मॉडल दोनों से विस्तारित लीड समय के साथ निर्बाध डेटा समीकरण और सटीक पूर्वानुमान तैयार करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे मौसम, जलवायु और महासागर स्थिति की भविष्यवाणियों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

7. **पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी):** यह योजना पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें महासागर, ध्रुवीय, भूकंपीय और भूविज्ञान से संबंधित अध्ययनों को व्यापक रूप से एकीकृत किया गया है, साथ ही एक व्यापक प्रचार कार्यक्रम भी शामिल है। महासागर क्षेत्र में, यह भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवलोकन नेटवर्क को बनाए रखती है, उपग्रह डेटा का सत्यापन करती है और महासागर की गतिशीलता, जलवायु परिवर्तनशीलता और समुद्र स्तर में बदलाव के पूर्वानुमान में सुधार करती है। यह महासागर सूचना सेवाएं, जैव विविधता आकलन, तटीय स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करती है और 24/7 सुनामी चेतावनी प्रणाली का संचालन करती है। यह कार्यक्रम ईईजेड सर्वेक्षण भी करता है, गैस हाइड्रेट्स और पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स जैसे गहरे समुद्र के खनिजों की खोज करता है, अनुसंधान पोतों का रखरखाव करता है और ऊर्जा, तटीय इंजीनियरिंग और मानवरहित पनडुब्बियों सहित समुद्री प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। ध्रुवीय कार्यक्रम अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय और दक्षिणी महासागर में भारत के रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों की रक्षा करता है, वार्षिक अभियान आयोजित करता है, अनुसंधान अड्डों का रखरखाव करता है और उन्नत रसद सुविधाओं का निर्माण करता है। भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान कार्यक्रम भूकंप की निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और ठोस पृथ्वी प्रक्रियाओं, भूगतिकी और समुद्री भूविज्ञान में अनुसंधान को मजबूत करता है, जिसमें गहरे बोरहोल अध्ययन और भू-आकृति निम्न जांच शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए बाह्य परियोजनाओं का समर्थन करता है, राष्ट्रीय सुविधाओं का निर्माण करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, कुशल मानव संसाधन विकसित करता है और प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और ज्ञान संसाधन केंद्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाता है।

8. **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (ईकोइस):** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (ईकोइस) हैदराबाद: यह निरंतर समुद्री अवलोकन और व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान से होने वाले निरंतर सुधार के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है।

9. **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी):** राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) चेन्नई: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एनआईओटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) जो भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 है, में सजीव और निर्जीव संसाधनों की हार्वेस्टिंग से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी तकनीक विकसित करना है।

10. **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा:** राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) गोवा प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य ध्रुवीय और महासागर विज्ञान, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ और अरब सागर में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग आदि हैं।

11. **भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम):** भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) , पुणे मौसम और जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और दीर्घकालिक भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के प्रक्षेपण हेतु पृथ्वी प्रणाली मॉडल के विकास के लिए आवश्यक महासागर-वायुमंडलीय जलवायु प्रणाली पर बुनियादी अनुसंधान करता है। इन्हें प्रासंगिक वैज्ञानिक कार्यक्रम (अवलोकन और मॉडलिंग सहित) शुरू करके और अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए मानव संसाधन विकास में निरंतर निवेश के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके महासागर-वायुमंडल में अनुसंधान की प्रगति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

12. **राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस):** राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस), तिरुवनंतपुरम ठोस पृथ्वी विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है, पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए इस ज्ञान का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करता है और चयनित क्षेत्रों में नेतृत्व क्षमताएं उत्पन्न करता है।

शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 25

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	117984.19	0.25	117984.44	142695.30	0.80	142696.10	129540.34	0.80	129541.14	150292.41	0.85	150293.26
वसूलियां	-52825.19	...	-52825.19	-64124.00	...	-64124.00	-58974.00	...	-58974.00	-66731.00	...	-66731.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	65159.00	0.25	65159.25	78571.30	0.80	78572.10	70566.34	0.80	70567.14	83561.41	0.85	83562.26
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	46.84	0.25	47.09	51.71	0.80	52.51	50.31	0.80	51.11	53.67	0.85	54.52
2. प्रौढ शिक्षा निदेशालय	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	46.76	0.25	47.01	51.72	0.80	52.52	50.32	0.80	51.12	53.68	0.85	54.53
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	...	...	...	55.00	...	55.00	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
5. नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम												
5.01 नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम	352.49	...	352.49	374.00	...	374.00	374.00	...	374.00	381.00	...	381.00
5.02 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोश (मस्क) में स्थानांतरण	352.60	...	352.60	374.00	...	374.00	374.00	...	374.00	381.00	...	381.00
5.03 मस्क से पूरी की गई राशि	-352.00	...	-352.00	-374.00	...	-374.00	-374.00	...	-374.00	-381.00	...	-381.00
निवल	353.09	...	353.09	374.00	...	374.00	374.00	...	374.00	381.00	...	381.00
6. अटल टिनकरींग लैब (एटीएल) योजना	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	3200.00	...	3200.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	353.09	...	353.09	429.00	...	429.00	879.00	...	879.00	3631.00	...	3631.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												
7.01 केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	8727.00	...	8727.00	9503.84	...	9503.84	9503.84	...	9503.84	10129.41	...	10129.41
7.02 मस्क को अंतरण	4500.00	...	4500.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	6000.00	...	6000.00
7.03 मस्क से पूरी की गई राशि	-4500.00	...	-4500.00	-5000.00	...	-5000.00	-5000.00	...	-5000.00	-6000.00	...	-6000.00
निवल	8727.00	...	8727.00	9503.84	...	9503.84	9503.84	...	9503.84	10129.41	...	10129.41

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)												
8.01 नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	5370.79	...	5370.79	5305.23	...	5305.23	5750.00	...	5750.00	6025.00	...	6025.00
8.02 मस्क को अंतरण	2800.00	...	2800.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00	5500.00	...	5500.00
8.03 मस्क से पूरी की गई राशि	-2800.00	...	-2800.00	-5000.00	...	-5000.00	-5000.00	...	-5000.00	-5500.00	...	-5500.00
निवल	5370.79	...	5370.79	5305.23	...	5305.23	5750.00	...	5750.00	6025.00	...	6025.00
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	517.42	...	517.42	593.71	...	593.71	623.16	...	623.16	681.79	...	681.79
10. राष्ट्रीय बाल भवन	24.33	...	24.33	27.80	...	27.80	30.00	...	30.00	30.51	...	30.51
11. वास्तविक वसूलियाँ (एबी)	-549.75	...	-549.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-स्वायत्त निकाय	14089.79	...	14089.79	15430.58	...	15430.58	15907.00	...	15907.00	16866.71	...	16866.71
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	14089.79	...	14089.79	15430.58	...	15430.58	15907.00	...	15907.00	16866.71	...	16866.71
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
12. समग्र शिक्षा												
12.01 समग्र शिक्षा (एसएस)	35001.58	...	35001.58	41249.98	...	41249.98	38000.00	...	38000.00	42100.00	...	42100.00
12.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
12.03 मस्क को अंतरण	5010.00	...	5010.00	6250.00	...	6250.00	...	...	...	...	...	...
12.04 मस्क - एसएस से पूरी की गई राशि	-3510.00	...	-3510.00	-6250.00	...	-6250.00	...	...	...	...	...	...
12.05 प्रारम्भिक शिक्षा कोश (पीएसके) को अंतरण	31000.00	...	31000.00	35000.00	...	35000.00	38000.00	...	38000.00	42100.00	...	42100.00
12.06 पीएसके से पूरी की गई राशि	-31000.00	...	-31000.00	-35000.00	...	-35000.00	-38000.00	...	-38000.00	-42100.00	...	-42100.00
निवल	36501.58	...	36501.58	41250.00	...	41250.00	38000.02	...	38000.02	42100.02	...	42100.02
13. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)												
13.01 पीएम पोषण	9903.01	...	9903.01	12500.00	...	12500.00	10600.00	...	10600.00	12750.00	...	12750.00
13.02 पीएसके को अंतरण	9900.00	...	9900.00	12500.00	...	12500.00	10600.00	...	10600.00	12750.00	...	12750.00
13.03 पीएसके से पूरी की गई राशि	-9900.00	...	-9900.00	-12500.00	...	-12500.00	-10600.00	...	-10600.00	-12750.00	...	-12750.00
निवल	9903.01	...	9903.01	12500.00	...	12500.00	10600.00	...	10600.00	12750.00	...	12750.00
14. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स)	843.44	...	843.44	1250.00	...	1250.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
15. प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री)	3504.30	...	3504.30	7500.00	...	7500.00	4500.00	...	4500.00	7500.00	...	7500.00
16. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	130.39	...	130.39	160.00	...	160.00	130.00	...	130.00	160.00	...	160.00
17. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-213.36	...	-213.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	50669.36	...	50669.36	62660.00	...	62660.00	53730.02	...	53730.02	63010.02	...	63010.02
कुल जोड़	65159.00	0.25	65159.25	78571.30	0.80	78572.10	70566.34	0.80	70567.14	83561.41	0.85	83562.26

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	16507.90	...	16507.90	17325.32	...	17325.32	17594.19	...	17594.19	21599.05	...	21599.05
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	46.76	...	46.76	51.71	...	51.71	50.31	...	50.31	53.67	...	53.67
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.25	0.25	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.85	0.85
जोड़-सामाजिक सेवाएं	16554.66	0.25	16554.91	17377.03	0.80	17377.83	17644.50	0.80	17645.30	21652.72	0.85	21653.57
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	7497.45	...	7497.45	6799.29	...	6799.29	7960.48	...	7960.48
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	47023.73	...	47023.73	51505.21	...	51505.21	43649.64	...	43649.64	51522.77	...	51522.77
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1580.61	...	1580.61	2191.61	...	2191.61	2472.91	...	2472.91	2425.44	...	2425.44
जोड़-अन्य	48604.34	...	48604.34	61194.27	...	61194.27	52921.84	...	52921.84	61908.69	...	61908.69
कुल जोड़	65159.00	0.25	65159.25	78571.30	0.80	78572.10	70566.34	0.80	70567.14	83561.41	0.85	83562.26

7.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस): केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, स्थापित, नियंत्रित और प्रबंधित केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।
8.

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस): आवासीय विद्यालयों की स्थापना पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन. पी. ई.)-1986 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसरण में, जहां ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सकती है, भारत सरकार द्वारा 1986 में देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जे. एन. वी.) स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना शुरू की गई थी। ये जे. एन. वी. नवोदय विद्यालय समिति (एन. वी. एस.) द्वारा संचालित हैं, जो एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना 1986 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी।
9.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
10.

राष्ट्रीय बाल भवन: राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीवी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।
1.

सचिवालय: इसमें विभाग के सचिवालय के स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान हैं।
2.

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय: प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीआई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।
4.

प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव): प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव) योजना चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित/ प्रमुख व्यक्तियों से मार्गदर्शन कराने की एक पहल है।
5.

नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप स्कीम: 2008 में शुरू की गई नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कोलरशिप योजना में नौवीं कक्षा के स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन बारहवीं कक्षा तक जारी रहती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ सकें और उन्हें माध्यमिक स्तर यानी बारहवीं कक्षा तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
6.

अटल टिकरिंग लैब (एटीएल) योजना: अटल टिकरिंग लैब्स (एटीएल) योजना, माननीय वित्त मंत्री द्वारा केन्द्रीय बजट 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणा के क्रम में, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक प्रमुख पहल है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के पोषण की परिकल्पना के अनुरूप, स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना है।

12. **समग्र शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने की पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाकर समग्र शिक्षा योजना बनाई गई है। इस विलय का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण देना है। इस स्कीम के अंतर्गत आवंटन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान (पीएम-जनमन) के लिए आरई 2025-26 में 494.22 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 495.25 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए आरई 2025-26 में 526.48 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 560.92 करोड़ रु. का प्रावधान शामिल है।

13. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण), जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन. एफ. एस. ए.) के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।

14. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढीकरण (स्टार्स):** राज्यों के लिए शिक्षण – ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना का उद्देश्य राज्यों को बेहतर शिक्षा परिणामों के लिए प्रत्यक्ष जुड़ाव के साथ हस्तक्षेपों को विकसित करने, लागू करने, मूल्यांकन करने और सुधारने में सहायता करना और बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए परिवर्तन रणनीतियों को तैयार करने में स्कूल की मदद करना है। स्टार्स परियोजना के सभी घटकों का समग्र ध्यान गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन. ई. पी.) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

15. **प्रधान मंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना, जिसे पहले एग्जम्पलर के रूप में जाना जाता था, का उद्देश्य 15000 से अधिक उत्कृष्टता विद्यालय तैयार करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दिखाने में मदद करेगा और समय के साथ उदाहरण और उत्कृष्टता विद्यालय के रूप में उभरेगा। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और विभिन्न शैक्षणिकक्षमताओं का ध्यान रखेंगे और उन्हें एनईपी 2020 के वीजन के अनुसार स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बनाएंगी।

16. **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन शिक्षा' संबंधी सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)/ उल्लास ' प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।

शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	61751.09	4.84	61755.93	69064.94	10.27	69075.21	70268.66	10.27	70278.93	78493.54	2.68	78496.22
वसूलियां	-16179.41	...	-16179.41	-18997.26	...	-18997.26	-18897.26	...	-18897.26	-22769.00	...	-22769.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	45571.68	4.84	45576.52	50067.68	10.27	50077.95	51371.40	10.27	51381.67	55724.54	2.68	55727.22
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	130.32	2.96	133.28	167.23	5.05	172.28	159.63	5.05	164.68	170.43	1.85	172.28
2. हिन्दी निदेशालय	19.36	...	19.36	25.25	...	25.25	25.00	...	25.00	26.00	...	26.00
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	14.08	0.01	14.09	17.74	0.03	17.77	13.97	0.03	14.00	13.97	0.03	14.00
4. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	35.23	1.87	37.10	43.50	5.10	48.60	28.90	5.10	34.00	38.56	0.70	39.26
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	8.53	...	8.53	11.08	0.09	11.17	9.41	0.09	9.50	10.40	0.10	10.50
6. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-3.49	...	-3.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	204.03	4.84	208.87	264.80	10.27	275.07	236.91	10.27	247.18	259.36	2.68	262.04
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
उच्चतर शिक्षा												
7. राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक	0.27	...	0.27	0.24	...	0.24	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22
8. विश्व स्तरीय संस्थान	1000.00	...	1000.00	475.12	...	475.12	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00
9. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00	...	...	...
10. भारतीय ज्ञान प्रणाली	8.35	...	8.35	50.00	...	50.00	12.45	...	12.45	35.00	...	35.00
11. उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-उच्चतर शिक्षा	1010.62	...	1010.62	528.36	...	528.36	923.67	...	923.67	936.22	...	936.22
छात्र वित्तीय सहायता												
12. पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना												
12.01 पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना	998.95	...	998.95	1560.00	...	1560.00	1450.00	...	1450.00	1560.00	...	1560.00
12.02 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोश (मस्क) को अंतरण	1000.00	...	1000.00	1550.00	...	1550.00	1450.00	...	1450.00	1560.00	...	1560.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.03 मस्क से पूरी की गई राशि	-998.95	...	-998.95	-1550.00	...	-1550.00	-1450.00	...	-1450.00	-1560.00	...	-1560.00
<i>निवल</i>	<i>1000.00</i>	...	<i>1000.00</i>	<i>1560.00</i>	...	<i>1560.00</i>	<i>1450.00</i>	...	<i>1450.00</i>	<i>1560.00</i>	...	<i>1560.00</i>
13. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	204.69	...	204.69	600.00	...	600.00	290.00	...	290.00	600.00	...	600.00
जोड़-छात्र वित्तीय सहायता	1204.69	...	1204.69	2160.00	...	2160.00	1740.00	...	1740.00	2160.00	...	2160.00
डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग												
14. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	1563.20	...	1563.20	655.00	...	655.00	500.00	...	500.00	650.00	...	650.00
15. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	2.86	...	2.86	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
16. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)	9.00	...	9.00	16.00	...	16.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग	1575.06	...	1575.06	681.00	...	681.00	520.00	...	520.00	670.00	...	670.00
अनुसंधान और नवाचार												
17. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	4.95	...	4.95	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
18. उन्नत भारत अभियान	4.85	...	4.85	7.00	...	7.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
19. इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	2.50	...	2.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क)	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00
21. विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स)	...	...	...	40.00	...	40.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
22. तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई)	...	...	...	220.00	...	220.00	47.55	...	47.55	300.00	...	300.00
जोड़-अनुसंधान और नवाचार	37.30	...	37.30	327.00	...	327.00	135.55	...	135.55	418.00	...	418.00
23. मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी)	22.97	...	22.97	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
24. वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान)	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
25. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस)	758.00	...	758.00	1178.00	...	1178.00	1178.00	...	1178.00	1250.00	...	1250.00
26. भारत में अध्ययन	13.00	...	13.00	14.00	...	14.00	13.00	...	13.00	16.00	...	16.00
27. आसियान अध्येतावृत्ति	2.21	...	2.21	2.52	...	2.52	2.52	...	2.52	2.18	...	2.18
28. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	11.00	...	11.00	200.00	...	200.00	120.00	...	120.00	250.00	...	250.00
चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना												
29. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	77.40	...	77.40	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30. शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना	...	...	...	...	...	...	17.00	...	17.00	100.00	...	100.00
31. प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर (पीएमआरसी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
32. पीएम वन नेशन वन सक्सेक्रिप्शन (पीएम-ओएनओएस)	...	...	...	...	...	...	2023.25	...	2023.25	2200.00	...	2200.00
33. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-409.89	...	-409.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	4302.36	...	4302.36	5175.88	...	5175.88	6757.99	...	6757.99	8292.40	...	8292.40
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
34. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)												
34.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	3678.47	...	3678.47	3335.97	...	3335.97	3470.00	...	3470.00	3709.00	...	3709.00
34.02 मस्क को अंतरण	2000.00	...	2000.00	2447.26	...	2447.26	2447.26	...	2447.26	3709.00	...	3709.00
34.03 मस्क से पूरी की गई राशि	-2000.00	...	-2000.00	-2447.26	...	-2447.26	-2447.26	...	-2447.26	-3709.00	...	-3709.00
निवल	3678.47	...	3678.47	3335.97	...	3335.97	3470.00	...	3470.00	3709.00	...	3709.00
35. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	137.50	...	137.50	200.00	...	200.00	220.86	...	220.86	230.00	...	230.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	3815.97	...	3815.97	3535.97	...	3535.97	3690.86	...	3690.86	3939.00	...	3939.00
स्वायत्त निकाय												
36. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू)												
36.01 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को सहायता	15564.84	...	15564.84	16146.11	...	16146.11	16456.11	...	16456.11	16696.58	...	16696.58
36.02 उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ऋण के तहत व्याज	87.17	...	87.17	83.06	...	83.06	95.89	...	95.89	97.28	...	97.28
36.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	390.43	...	390.43	462.14	...	462.14	533.14	...	533.14	646.14	...	646.14
36.04 मस्क को अंतरण	4500.00	...	4500.00	5500.00	...	5500.00	5500.00	...	5500.00	5150.00	...	5150.00
36.05 मस्क से पूरी की गई राशि	-4500.00	...	-4500.00	-5500.00	...	-5500.00	-5500.00	...	-5500.00	-5150.00	...	-5150.00
निवल	16042.44	...	16042.44	16691.31	...	16691.31	17085.14	...	17085.14	17440.00	...	17440.00
37. केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय	514.36	...	514.36	604.00	...	604.00	578.00	...	578.00	650.00	...	650.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान												
38. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता												
38.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	9569.43	...	9569.43	10659.00	...	10659.00	10775.00	...	10775.00	11288.00	...	11288.00
38.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	196.21	...	196.21	240.00	...	240.00	200.00	...	200.00	230.00	...	230.00
38.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	421.82	...	421.82	450.00	...	450.00	550.00	...	550.00	605.00	...	605.00
38.04 मस्क को अंतरण	2900.49	...	2900.49	4000.00	...	4000.00	4000.00	...	4000.00	5000.00	...	5000.00
38.05 मस्क से पूरी की गई राशि	-2900.49	...	-2900.49	-4000.00	...	-4000.00	-4000.00	...	-4000.00	-5000.00	...	-5000.00
निवल	10187.46	...	10187.46	11349.00	...	11349.00	11525.00	...	11525.00	12123.00	...	12123.00
39. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	121.84	...	121.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	10309.30	...	10309.30	11349.00	...	11349.00	11525.00	...	11525.00	12123.00	...	12123.00
भारतीय प्रबंधन संस्थान												
40. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता												
40.01 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई. आई. एम.) को अनुदान	...	...	...	30.00	...	30.00	70.11	...	70.11	82.11	...	82.11
40.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	69.53	...	69.53	72.00	...	72.00	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00
40.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	149.87	...	149.87	149.89	...	149.89	149.89	...	149.89	149.89	...	149.89
जोड़- भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता	219.40	...	219.40	251.89	...	251.89	280.00	...	280.00	292.00	...	292.00
41. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता												
41.01 भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को अनुदान	857.51	...	857.51	894.00	...	894.00	892.00	...	892.00	838.76	...	838.76
41.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	2.06	...	2.06	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.24	...	6.24

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता	859.57	...	859.57	900.00	...	900.00	898.00	...	898.00	845.00	...	845.00
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)												
42. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता												
42.01 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को अनुदान	362.46	...	362.46	397.00	...	397.00	343.78	...	343.78	353.72	...	353.72
42.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.40	...	10.40
42.03 एचईएफए ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता	362.46	...	362.46	407.00	...	407.00	353.78	...	353.78	364.12	...	364.12
43. सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	51.06	...	51.06	115.20	...	115.20	92.00	...	92.00	76.88	...	76.88
जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीएस)	413.52	...	413.52	522.20	...	522.20	445.78	...	445.78	441.00	...	441.00
44. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता												
44.01 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) को अनुदान	5203.20	...	5203.20	5473.87	...	5473.87	5657.65	...	5657.65	6055.00	...	6055.00
44.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	57.67	...	57.67	80.60	...	80.60	70.00	...	70.00	77.00	...	77.00
44.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	132.34	...	132.34	133.00	...	133.00	126.35	...	126.35	128.00	...	128.00
44.04 मस्क को अंतरण	5300.00	...	5300.00	5500.00	...	5500.00	5500.00	...	5500.00	5500.00	...	5500.00
44.05 मस्क से पूरी की गई राशि	-5300.00	...	-5300.00	-5500.00	...	-5500.00	-5500.00	...	-5500.00	-5500.00	...	-5500.00
निवल	5393.21	...	5393.21	5687.47	...	5687.47	5854.00	...	5854.00	6260.00	...	6260.00
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)												
45. भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता												
45.01 भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) को अनुदान	1457.67	...	1457.67	1331.33	...	1331.33	1335.00	...	1335.00	1296.12	...	1296.12
45.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	1.63	...	1.63	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.40	...	10.40
45.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.48	...	12.48
जोड़- भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	1459.30	...	1459.30	1353.33	...	1353.33	1357.00	...	1357.00	1319.00	...	1319.00
46. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	309.25	...	309.25	332.80	...	332.80	324.00	...	324.00	366.00	...	366.00
47. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	289.40	...	289.40	347.03	...	347.03	312.00	...	312.00	352.00	...	352.00
48. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	38.85	...	38.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	43.02	...	43.02	43.00	...	43.00	42.00	...	42.00	45.00	...	45.00
50. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	186.45	...	186.45	159.00	...	159.00	194.50	...	194.50	198.00	...	198.00
51. अन्य संस्थानों को सहायता												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
51.01 अन्य संस्थानों को सहायता	529.15	...	529.15	613.00	...	613.00	602.86	...	602.86	641.72	...	641.72
51.02 एचईएफए ऋण के तहत व्याज	0.33	...	0.33	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता	529.48	...	529.48	614.00	...	614.00	603.86	...	603.86	642.72	...	642.72
52. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)	143.77	...	143.77	169.00	...	169.00	159.36	...	159.36	169.06	...	169.06
53. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इसू)	131.14	...	131.14	147.00	...	147.00	150.50	...	150.50	160.00	...	160.00
54. राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय	...	...	...	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
55. वास्तविक बसूलियाँ (एबी)	-9.60	...	-9.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-स्वायत्त निकाय	36872.86	...	36872.86	39196.03	...	39196.03	39809.14	...	39809.14	41302.78	...	41302.78
अन्य												
56. राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ)	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00	3.14	...	3.14	5.00	...	5.00
57. योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता	73.12	...	73.12	75.00	...	75.00	73.36	...	73.36	76.00	...	76.00
जोड़-अन्य	75.62	...	75.62	80.00	...	80.00	76.50	...	76.50	81.00	...	81.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	40764.45	...	40764.45	42812.00	...	42812.00	43576.50	...	43576.50	45322.78	...	45322.78
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
58. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा)												
58.01 प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा)	357.83	...	357.83	1815.00	...	1815.00	800.00	...	800.00	1850.00	...	1850.00
58.02 मस्क को अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1850.00	...	1850.00
58.03 मस्क से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1850.00	...	-1850.00
निवल	357.83	...	357.83	1815.00	...	1815.00	800.00	...	800.00	1850.00	...	1850.00
59. वास्तविक बसूलियाँ (सीएसएस)	-56.99	...	-56.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	300.84	...	300.84	1815.00	...	1815.00	800.00	...	800.00	1850.00	...	1850.00
कुल जोड़	45571.68	4.84	45576.52	50067.68	10.27	50077.95	51371.40	10.27	51381.67	55724.54	2.68	55727.22
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	24599.75	...	24599.75	22710.92	...	22710.92	25126.54	...	25126.54	26319.57	...	26319.57
2. तकनीकी शिक्षा	20574.63	...	20574.63	21663.68	...	21663.68	21438.54	...	21438.54	23230.38	...	23230.38
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	129.69	...	129.69	167.23	...	167.23	159.63	...	159.63	170.43	...	170.43
4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.88	1.88	...	5.22	5.22	...	5.22	5.22	...	0.83	0.83
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.96	2.96	...	5.05	5.05	...	5.05	5.05	...	1.85	1.85
जोड़-सामाजिक सेवाएं	45304.07	4.84	45308.91	44541.83	10.27	44552.10	46724.71	10.27	46734.98	49720.38	2.68	49723.06
अन्य												

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	4020.85	...	4020.85	4020.85	...	4020.85	4424.16	...	4424.16
7.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		222.55	...	222.55	1355.00	...	1355.00	575.84	...	575.84	1505.00	...	1505.00
8.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		45.06	...	45.06	150.00	...	150.00	50.00	...	50.00	75.00	...	75.00
जोड़-अन्य			267.61	...	267.61	5525.85	...	5525.85	4646.69	...	4646.69	6004.16	...	6004.16
कुल जोड़			45571.68	4.84	45576.52	50067.68	10.27	50077.95	51371.40	10.27	51381.67	55724.54	2.68	55727.22
												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
1. एडसिल इंडिया लि.			...	291.43	291.43	...	203.00	203.00	...	335.00	335.00	...	389.00	389.00
जोड़			...	291.43	291.43	...	203.00	203.00	...	335.00	335.00	...	389.00	389.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद , प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रभागों आदि के लिए है जिनकी जरूरत मंत्रालय के दोनों विभागों के भीतर ई-गवर्नेन्स कार्यकलापों के सुदृढीकरण के लिए है। यह प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावित नए भवन के लिए भी है।
2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार आदि प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।
3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक योजना चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और यह क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्यस्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।
4. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय भाषा केंद्रों (आरएलसी) की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी जो क्रमशः भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं। यह भारत सरकार की भाषा नीति के विकास/कार्यान्वयन में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास

- के लिए भाषा विक्षेपण के क्षेत्र, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा समाज में भाषा के उपयोग के क्षेत्र में शोध करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी शिष्टमंडल (पीडीआई) पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास(सीजीआई) के लिए प्रावधान शामिल है।
7. **राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक:** यह योजना राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शोध प्राध्यापकों को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
8. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना यथोचित समय में समर्थकारी विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध योजना में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
9. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर के लिए वर्ष 2015 के पीएम विकास पैकेज में शिक्षा मंत्रालय का घटक था। इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

10. **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह योजना एनईपी की अनुशंसाओं पर आधारित है। प्राचीन भारत से तात्विक ज्ञान और इसका आधुनिक भारत में योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों को जहां कहीं भी संगत हो पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में, विशेष रूप से जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी एवं ज्ञान अर्जन के पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा।

11. **उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान:** भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए औपचारिक परिप्रेक्ष्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से ग्लू ग्रांट को अलग रखा गया है, ताकि स्वायत्तता कायम रखते हुए बेहतर तालमेल बनाए जा सके।

12. **पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम - यूएसपी) योजना:** व्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के योगदान के माध्यम से, केंद्र सरकार 4.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान व्याज सब्सिडी प्रदान करती है। छात्र ऋण में पुनर्भुगतान में चूक के विरुद्ध गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी न्यास के प्रबंधन के तहत एक छात्र ऋण गारंटी कोष सृजित किया जाएगा। यह ऋण देने वाली संस्थाओं को छात्र चूक से सुरक्षा प्रदान करेगा जिससे उन्हें अधिक छात्र ऋण देने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर व्याज दर भी कम होगी। कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति घटक के माध्यम से, प्रति वर्ष कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को 2 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विलंब कम करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को इ-बैंकिंग के माध्यम से सीधी संवितरित की जाती है। जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना घटक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के अन्य सहभागियों के साथ परस्पर बातचीत का अवसर मिलेगा जो उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में सहायता करेगा। हर वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या की कमी से हुई बचतों के अध्याधीन, मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्लॉट्स में अंतर-बदलाव का प्रावधान है। शिक्षा शुल्क और रख-रखाव भत्ते हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

13. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र, जिन्होंने आईआईएससी / आईआईटी /एनआईटी / आईआईएसईआर / आईआईआईटी से बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है, उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश की पेशकश की जाएगी। ऐसे छात्र को, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं जैसाकि पी.एम.आर.एफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रुपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष प्रतिमाह 75,000 रुपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनके विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन किया जाएगा।

14. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना की गई है। इसमें आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने और शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि की मार्गदर्शिका और शिक्षकों की ऑन-लाइन उपलब्धता के लिए ई-शिक्षा हेतु उपयुक्त पैडगॉर्जी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है।

15. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य सरकारी सांख्यिकी प्रणाली को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आवधिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सुदृढ़ करना है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा क्षेत्र के निष्पादन एवं क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन एवं समीक्षा की जा सके।

16. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी):** इस योजना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के स्टोरेज एवं डिस्चार्ज हेतु एक डिजिटल निक्षेपागार के विकास की परिकल्पना की गई है। क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

17. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना करना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन शिक्षा की पहुंच और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के स्तर को बढ़ाएगा।

18. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और सतत विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान विकसित करके ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियां उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के वास्तविक कार्य करने में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

19. **इंफ्रंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में लगाने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को शिक्ष मंत्रालय और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंफ्रंट-II को संशोधित कार्यनीति के साथ शुरू किया गया है।

20. **शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पाकी):** शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पाकी स्कीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान स्थिति में सुधार लाना है।

21. **विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्सी):** इस योजना का उद्देश्य सतत और न्यायसंगत भारत के लिए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को एकीकृत करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं विकसित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकायों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख क्षेत्रों में देश की जरूरतों और मुद्दों को संबोधित करने के लिए विज्ञान को दिशा देना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

22. **तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी (एमईआरआईटीई):** यह नई योजना है जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के साथ एकीकरण करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसे देश भर में लगभग 350 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी संस्थानों और मान्यता-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) होगी जिसके तहत आईटीए के अंतर्गत विश्वबैंक से विदेशी ऋण लिए जाएंगे।

23. **मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी):** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर व्यापक ध्यान (फोकस) देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षक/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के

लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए संस्थागत अवसरचना को बढ़ाएगा।

24. **वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उनके उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, पूर्ण गुणवत्ता सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

25. **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस):** प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना का नाम बदल कर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) कर दिया गया है।

26. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमान्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुविधाजनक हो पाएगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

27. **आसियान अध्येतावृत्ति:** भारत और आसियान के बीच गहन और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए, इस स्कीम का उद्देश्य आसियान देशों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1000 तक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

28. **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):** कृषि, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतःविषयक अनुसंधान करने, आधुनिक अनुप्रयोगों और बड़ी समस्याओं के समाधान के संबंध में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए "मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" दृष्टिकोण की आवश्यकता के लिए सतत विकास वाले शहरों के साथ बजट घोषणा 2023 के परिणास्वरूप इस योजना की परिकल्पना की गई है।

29. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा क्षेत्र के लिए सरकार की कार्य योजना का एक घटक था। इससे विभिन्न अभिजात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

30. **शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में अंतःविषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। ये केंद्र शिक्षण, अधिगम परिणामों और शैक्षिक प्रशासन में सुधार के लिए स्वदेशी, स्केलेबल एआई-आधारित समाधानों के विकास में सहयोग करेंगे।

31. **प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चैयर (पीएमआरसी):** इस योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान पदों की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रख्यात शोधकर्ताओं को आकर्षित और बनाए रखा जा सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

32. **पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (पीएम-ओएनओएस):** इस योजना का उद्देश्य एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय सदस्यता प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों को अकादमिक पत्रिकाओं, शोध प्रकाशनों और अकादमिक डेटाबेस तक एकसमान और किफायती पहुंच प्रदान करना है।

इसका लक्ष्य सार्वजनिक व्यय को अनुकूलित करना, सदस्यता शुल्क की पुनरावृत्ति से बचना और देश भर में अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। वर्ष 2024-25 में 945.00 करोड़ रुपये की राशि आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन से थी।

34. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों के मानदंडों के समन्वय और निर्धारण कार्य के लिए की गई थी। यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सुस्पष्ट सहायता दी जाती है।

35. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियोजित गुणवत्तापरक विकास एवं विनियमन तथा उचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।

36. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयू):** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और शिक्षणपरक सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर-विषयक अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के सृजन और प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

37. **केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित मानद विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानद विश्व विद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्तर एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानद विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

38. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और शिक्षा अर्जन को बढ़ावा देने एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करना है। इन प्रमुख संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

39. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आवंटन का प्रावधान करता है।

40. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और कन्सल्टेंसी के उद्देश्यों से उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में की गई थी। ये संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

41. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) वर्ष 1909 में स्थापित किया गया था। कालांतर में आईआईएससी भारत में उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

42. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** इसमें इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और कुरुनूल में स्थित केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निधियों का प्रावधान शामिल है।

43. **सरकारी निजी भागीदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और अधिक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए गए हैं।

44. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है।।

45. **भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल है जहां शिक्षण और शिक्षा को आधुनिक शोध के साथ पूर्णतः एकीकृत किया गया है जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत वातावरण में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो अपने स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री देते हैं।

46. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** इस पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसईआर), शिमला, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली हैं।

47. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल हैं।

49. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्यशील वातावरण में नौकरी पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देकर नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना है।

50. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीडीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य देश के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करना भी है।

51. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रचार-प्रसार कार्यकलापों और स्वेच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

(एनआईईपीए), अरुविल प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी, सीआईटी कोकराझार और जीकेसीआईईटी मालदा सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

52. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुविद विद्यालयों को देश तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी प्रकार के शीर्ष संस्थानों के रूप में माना जाता है जो मानव बस्तियों को उसके सभी पहलुओं में अभिकल्पित और विकसित करने में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। इस बजट लाइन में नए तथा पुराने एसपीए के लिए प्रावधान शामिल हैं।

53. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगू):** इगू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने; महिला, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इगू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इगू के कार्यकलापों के लिए सहायता से इतर इगू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

56. **राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग रूपरेखा (एनआईआरएफ):** यह फ्रेमवर्क देश भर के संस्थानों का रैंक निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रदान करती है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की समग्र अनुशंसाओं व व्यापक जानकारी द्वारा तैयार की गई है।

57. **योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता:** इसमें वैश्विक सहभागिता, प्रबंधन हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, फार्मसी शिक्षा व होटल प्रबंधन, अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय निगरानी समिति, गैर-सरकारी सदस्यों के लिए सेमिनार, समिति बैठक आदि व्यय/टीए/डीए, शास्त्री इंडो केनेडियन संस्थान युनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को आयकर और सीमा शुल्क वापसी, युनेस्को के योगदान, युनेस्को कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधिमंडल, भारत में विदेशी प्रतिनिधिमंडल दौरा और युनेस्को उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए समिति की बैठक/सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजन, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बैंकॉक, इंटरनेशनल टेक्निकल कॉपरेशन शामिल हैं।

58. **प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम - उषा):** यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य उच्च और तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है। राज्य एक व्यापक राज्य उच्च शिक्षा योजना विकसित करेंगे जो एक साथ व्यापकता, समता और उत्कृष्टता संबंधी समस्याओं का समाधान अंतर-सम्बद्ध कार्यनीति से करेगी। केन्द्रीय वित्तपोषण राज्य के उच्च शिक्षा के अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों से जुड़ी होगी।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	13344.66	325.86	13670.52	25583.11	443.14	26026.25	19846.32	386.63	20232.95	21234.15	398.81	21632.96
वसूलियां	-9.19	-0.02	-9.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	13335.47	325.84	13661.31	25583.11	443.14	26026.25	19846.32	386.63	20232.95	21234.15	398.81	21632.96
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	145.03	30.23	175.26	164.97	45.28	210.25	156.70	27.92	184.62	163.90	31.10	195.00
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1253.64	125.96	1379.60	1384.60	215.40	1600.00	1384.60	165.40	1550.00	1401.80	193.20	1595.00
3. विनियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	111.39	9.27	120.66	134.65	35.35	170.00	129.40	30.60	160.00	147.60	21.40	169.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	94.98	159.90	254.88	109.00	146.00	255.00	115.00	162.00	277.00	117.00	152.00	269.00
3.03 प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	12.15	0.50	12.65	14.39	0.61	15.00	14.39	0.61	15.00	15.39	0.61	16.00
3.04 डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड	...	...	...	4.50	0.50	5.00	1.90	0.10	2.00	9.50	0.50	10.00
जोड़- विनियामक प्राधिकरण	218.52	169.67	388.19	262.54	182.46	445.00	260.69	193.31	454.00	289.49	174.51	464.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1617.19	325.86	1943.05	1812.11	443.14	2255.25	1801.99	386.63	2188.62	1855.19	398.81	2254.00
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजीटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रानिक अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	645.28	...	645.28	590.00	...	590.00	590.00	...	590.00	601.18	...	601.18
4.02 ईएपी घटक	24.46	...	24.46	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00
जोड़- इलेक्ट्रानिक अभिशासन	669.74	...	669.74	617.00	...	617.00	617.00	...	617.00	628.18	...	628.18
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	490.24	...	490.24	0.25	...	0.25	665.00	...	665.00	665.00	...	665.00
6. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	676.53	...	676.53	712.00	...	712.00	619.81	...	619.81	720.00	...	720.00
7. आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन	59.31	...	59.31	130.00	...	130.00	90.62	...	90.62	90.00	...	90.00
8. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	210.99	...	210.99	782.00	...	782.00	600.00	...	600.00	790.00	...	790.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. आईटी / इलेक्ट्रॉनिки / सीसीवीटी में अनुसंधान और विकास	1175.51	...	1175.51	1249.75	...	1249.75	1249.75	...	1249.75	1248.33	...	1248.33
10. क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना	476.19	...	476.19	575.00	...	575.00	500.00	...	500.00	600.00	...	600.00
11. डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा)	1.87	...	1.87	5.00	...	5.00	2.27	...	2.27	...	...	...
जोड़-डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	3760.38	...	3760.38	4071.00	...	4071.00	4344.45	...	4344.45	4741.51	...	4741.51
12. इंडिया एआई मिशन	19.24	...	19.24	2000.00	...	2000.00	800.00	...	800.00	1000.00	...	1000.00
13. भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम												
13.01 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकन्डक्टर्स/सिलिकन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रेट सेमिकन्डक्टर फैब और सेमिकन्डक्टर एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्सर्ड सेमीकन्डक्टर एसेम्बली और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं की व्यवस्था के लिए संशोधित योजना	561.83	...	561.83	3900.00	...	3900.00	3175.08	...	3175.08	5000.00	...	5000.00
13.02 भारत में सेमिकन्डक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	2499.96	...	2499.96	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00
13.03 भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
13.04 सेमी-कन्डक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण, मोहाली	7.79	...	7.79	400.00	...	400.00	20.00	...	20.00	900.00	...	900.00
13.05 डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना	68.45	...	68.45	200.00	...	200.00	105.00	...	105.00	100.00	...	100.00
जोड़- भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम	638.07	...	638.07	7000.00	...	7000.00	4300.08	...	4300.08	8000.00	...	8000.00
14. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
15. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)												
15.01 बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	5738.61	...	5738.61	8885.00	...	8885.00	6960.00	...	6960.00	1345.04	...	1345.04
15.02 आई टी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधार पर प्रोत्साहन	17.72	...	17.72	115.00	...	115.00	40.00	...	40.00	182.00	...	182.00
जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)	5756.33	...	5756.33	9000.00	...	9000.00	7000.00	...	7000.00	1527.04	...	1527.04
16. इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना	...	...	...	...	...	...	6.80	...	6.80	1500.00	...	1500.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	10174.02	...	10174.02	22071.00	...	22071.00	16451.33	...	16451.33	17768.55	...	17768.55
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	270.00	...	270.00	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	280.00	...	280.00
18. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र	73.22	...	73.22	100.00	...	100.00	80.00	...	80.00	100.00	...	100.00
19. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	155.00	...	155.00	160.00	...	160.00	150.00	...	150.00	165.00	...	165.00
20. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	600.00	...	600.00	600.00	...	600.00	605.00	...	605.00	572.41	...	572.41
21. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00	20.00	...	20.00	55.00	...	55.00
22. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	418.23	...	418.23	500.00	...	500.00	445.00	...	445.00	420.00	...	420.00

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) है जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** एमईआईटीवाई के तहत एक संबद्ध कार्यालय मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों (केंद्र और राज्य) को परीक्षण, अंशांकन और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001), सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001) और उत्पाद प्रमाणन सेवाएं जैसे सुरक्षा (एसएस मार्क और सीआरएस), सुरक्षा (आईओटी और बायोमेट्रिक उपकरण) ईपीएस, जीआईजीडब्ल्यू आदि जैसी प्रक्रिया प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके अलावा एसटीक्यूसी इन संगठनों को पैनलबद्ध किये जाने के लिए एमईआईटीवाई को सक्षम करने वाली सीएसपी और डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की प्रक्रिया ऑडिट में भी शामिल है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, सीईआरटी-इन की स्थापना की गई है। सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों जैसे साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, सूचना सुरक्षा पद्धतियों से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और श्वेतपत्र जारी करने साइबर घटनाओं की प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा घटनाओं के पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, साइबर सुरक्षा की घटनाओं का समन्वय आदि जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर संप्रदूषक की घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत एजेंसी भी है।

3.03. **प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए, प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजी को प्रमाणित करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल अन्य कार्य करता है।

3.04. **डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड:** डिजिटल पर्सनल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि निजी डाटा का संसाधन इस ढंग में किया जाए कि व्यक्तियों के दोनों अधिकारों अर्थात् अपने निजी डाटा की सुरक्षा और उससे जुड़े अथवा उसके अनुपांगिक मामलों से संबंधित विधिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निजी डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। डिजिटल निजी डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अध्याय V में एक डाटा संरक्षण बोर्ड-डीपीवी की स्थापना का प्रावधान है। डीपीवी के वेतन और अन्य स्थापना व्यय की पूर्ति का बजटीय प्रावधान है।

4. **इलेक्ट्रानिक अभिशासन:** व्यापक रूप से ई-गवर्नेंस का उद्देश्य, सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, कई तरीकों से एकीकृत और अंतर-संचालित प्रणालियों के माध्यम से अपने स्थान पर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। विश्व बैंक समर्थित भारत: सार्वजनिक सेवा परियोजना की ई-डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह एक मजबूत, गतिशील और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधारशिला के रूप में डिजिटल शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की कल्पना करता है। इस आवंटन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना सरकारी नेटवर्क के साथ अनुसंधान और शिक्षा फोकस के साथ देश भर के ज्ञान संस्थानों को जोड़ने के लिए बहु गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई है जो भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करने में मदद करेगा।

6. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर):** सरकार, देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इस आशय का एक शानदार प्रदर्शन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) में चिपसेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्प और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

7. **आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में (वीपीओ और आईटीईएस) के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए और आईटी/आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु, नौकरी स्तंभ के लिए आईटी के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

8. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना- पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सक्षम कानूनी फ्रेमवर्क और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है।

9. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन, आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और तकनीकी जानकारी तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली अभिकल्प और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम), उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परसेप्टन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

10. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्र से सामने आने वाली कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम की योजना बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल है। इस योजना का पीएमजीडीआईएसएचए घटक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस

उपकरणों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान हेतु, प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सशक्त करने पर लक्षित है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागिता कर सकें।

11. **डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा):** इस योजना का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए प्रणालियों, ऐप्स के विकास के लिए समग्र डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, जो देश में डिजिटल लेनदेन के विकास में मदद करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने और मापने के लिए अध्ययन सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, योजना के लिए व्यापक प्रभाव वाले अंतर-संबंधित मामले शामिल हैं जिसमें एक मापन फ्रेमवर्क का सुझाव देना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुशंसाएं करना शामिल है।

12. **इंडिया एआई मिशन:** भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जो देश में एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने और उसे गति प्रदान करने तथा भारत के एआई स्टार्टअप और शोधकर्ताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करके, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास करके, शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करके, उद्योग सहयोग को सक्षम बनाकर, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके और नैतिक एआई को बढ़ावा देकर, यह भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार और समावेशी विकास को गति देगा। इस मिशन में निम्नलिखित 7 घटक शामिल होंगे: इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई नवाचार केंद्र, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई।

13. **भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्के विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम:** आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइनिंग और विनिर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्के विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम – ईएसडीएम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 76,000 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टरों और डिस्के विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों या संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्के फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, जिसमें एमईएमएस, फैब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एटीएमपी या ओसैट और सेमीकंडक्टर डिजाइन शामिल हैं।

14. **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0:** उपकरण और सामग्री, डिजाइन फुल-स्टेक इंडियन आईपी और फोर्टीफाई आपूर्ति श्रृंखला संबंधी उत्पाद, प्रौद्योगिकी को विकसित करना और कौशल कार्यबल मुजित करने के लिए योजना।

15. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई):** दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत, भारत में निर्मित माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 से) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा और पांच साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए सामानों की निवल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर लगभग 5% (घटकों/उप-घटकों के स्थानीयकरण के आधार पर) का औसत प्रोत्साहन छह साल की अवधि के लिए पात्र

कंपनियों को प्रदान करती है। लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी (iv) सर्वर और (v) यूएसएफएफ (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर) शामिल हैं।

16. **इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना:** भारत में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना लक्षित उत्पाद खंडों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे: (क) कारोबार से जुड़ा प्रोत्साहन (ख) पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन (ग) और संकर प्रोत्साहन, अर्थात् (क) और (ख) दोनों का संयोजन। योजना की अवधि छह (6) वर्ष है, जिसमें एक (1) वर्ष की प्रारंभिक अवधि शामिल है, यानी वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक।

17. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) मुख्य रूप से एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में लगा हुआ है। मूल रूप से स्वदेशी रूप से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित, सी-डैक तब से कई रणनीतिक प्रौद्योगिकी डोमेन में व्यापक विशेषज्ञता के साथ एक बहु-विषयक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इनमें क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रणनीतिक प्रौद्योगिकी (आपातकालीन/आपदा प्रबंधन सहित), डिजिटल इंडिया आरआईएससी-बी (डीआईआर-बी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी (क्लाउड और बांस सहित), ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) शामिल हैं। वर्तमान में, सी-डैक बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर और तिरुवनंतपुरम में भारत भर में स्थित 12 केंद्रों और 2 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से संचालित होता है।

18. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र:** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रहे एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जैबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित और 2डी सामग्री शामिल हैं। सी-मैट अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (एसआईसी), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और आरओएचएस कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइइलेक्ट्रिक्स मैटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्ट्यूएटर्स / सेंसर के लिए मल्टीलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मैटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

19. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो इन प्रौद्योगिकियों के लिए विकास अनुप्रयोगों के विशेष लक्ष्य के साथ माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेव और विद्युत-चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साथ काम कर रहा है, इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

20. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना आधार (टारगेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेंसियल एण्ड अदर सन्डिडी, बेनिफिट्स एण्ड सर्विसेज) एक्ट, 2016 को लागू करने के लिए की गई है, ताकि सन्डिडी, लाभ और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण का प्रावधान किया जा सके, जिसके लिए व्यय भारत की संचित निधि / राज्यों की समेकित निधि से किया जाता है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायसंगत निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन की सुगमता की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

21. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

सहायक प्रौद्योगिकी अन्तरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

22. **सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और देश की कार्यानीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहा है। यह हाइ-रेल बोर्डों, रेडियो साउंड सिस्टमों के फेबरीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण का भी कार्य कर रहा है।

23. **डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन:** डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में अग्रणी और मार्गदर्शक है। यह ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, विभिन्न डोमेन में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का पोषण करने के माध्यम से डिजिटल इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को कार्यानीतिक सहायता प्रदान करता है। लंबे समय में संगठन की स्वायत्तता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, डीआईसी सेवा वितरण के लिए मॉडल विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी भी करता है और जुटाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मांग संख्या 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2595.83	89.09	2684.92	3920.07	136.00	4056.07	3842.92	174.39	4017.31	4190.56	222.80	4413.36
वसूलियां	-461.74	...	-461.74	-633.25	...	-633.25	-525.70	...	-525.70	-643.90	...	-643.90
प्राप्तियां	-3.48	...	-3.48	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00
निवल	2130.61	89.09	2219.70	3276.82	136.00	3412.82	3307.22	174.39	3481.61	3536.66	222.80	3759.46
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	266.53	11.39	277.92	286.01	18.94	304.95	368.90	18.94	387.84	283.01	19.02	302.03
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	49.45	4.49	53.94	57.29	8.55	65.84	55.45	8.20	63.65	60.63	29.20	89.83
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	2.60	0.06	2.66	6.49	0.18	6.67	3.02	0.18	3.20	4.69	0.30	4.99
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	45.44	5.19	50.63	47.00	7.13	54.13	48.13	7.11	55.24	49.57	6.77	56.34
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	59.89	13.00	72.89	66.35	17.45	83.80	58.25	17.45	75.70	66.62	17.05	83.67
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	16.70	12.00	28.70	18.29	12.14	30.43	17.50	11.49	28.99	19.61	11.80	31.41
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	12.20	0.46	12.66	13.50	0.36	13.86	13.62	0.36	13.98	14.66	0.48	15.14
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	99.74	12.92	112.66	112.36	23.70	136.06	107.74	73.70	181.44	118.23	73.85	192.08
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	110.63	9.96	120.59	112.85	16.50	129.35	115.49	17.68	133.17	114.61	29.55	144.16
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	15.39	5.83	21.22	16.97	6.70	23.67	16.74	6.60	23.34	17.31	5.45	22.76
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	34.27	5.12	39.39	43.58	9.10	52.68	41.21	9.10	50.31	162.72	11.03	173.75
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	446.31	69.03	515.34	494.68	101.81	596.49	477.15	151.87	629.02	628.65	185.48	814.13
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	33.28	8.67	41.95	39.07	15.25	54.32	41.07	3.58	44.65	39.46	18.30	57.76
3.02 घटाएं-गेट प्राप्तियां	-3.48	...	-3.48	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-10.00
निवल	29.80	8.67	38.47	29.07	15.25	44.32	31.07	3.58	34.65	29.46	18.30	47.76
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	315.47	...	315.47	463.25	...	463.25	463.25	...	463.25	471.40	...	471.40
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-315.47	...	-315.47	-463.25	...	-463.25	-463.25	...	-463.25	-471.40	...	-471.40

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	742.64	89.09	831.73	809.76	136.00	945.76	877.12	174.39	1051.51	941.12	222.80	1163.92
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
5. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण	99.79	...	99.79	102.70	...	102.70	68.96	...	68.96	102.70	...	102.70
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
6. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
6.01 कार्यक्रम घटक	7.91	...	7.91	2.00	...	2.00	7.56	...	7.56	10.00	...	10.00
7. पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास	67.47	...	67.47	101.96	...	101.96	75.00	...	75.00	104.00	...	104.00
8. प्रदूषण नियंत्रण	16.20	...	16.20	853.90	...	853.90	1300.00	...	1300.00	1091.00	...	1091.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	191.37	...	191.37	1060.56	...	1060.56	1451.52	...	1451.52	1307.70	...	1307.70
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	113.83	...	113.83	126.00	...	126.00	116.20	...	116.20	123.00	...	123.00
10. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	12.00	...	12.00	13.20	...	13.20	8.70	...	8.70	12.30	...	12.30
11. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	17.00	...	17.00	16.95	...	16.95	14.00	...	14.00	17.95	...	17.95
12. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण	29.41	...	29.41	36.75	...	36.75	25.26	...	25.26	32.18	...	32.18
13. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	21.35	...	21.35	38.98	...	38.98	31.26	...	31.26	35.26	...	35.26
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	193.59	...	193.59	231.88	...	231.88	195.42	...	195.42	220.69	...	220.69
स्वायत्त निकाय												
14. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	39.50	...	39.50	38.00	...	38.00	29.60	...	29.60	38.90	...	38.90
15. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	339.00	...	339.00	354.00	...	354.00	320.80	...	320.80	331.00	...	331.00
16. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	13.00	...	13.00	10.30	...	10.30	1.02	...	1.02	0.03	...	0.03
17. भारतीय वन्यजीव संस्थान	47.95	...	47.95	52.32	...	52.32	39.99	...	39.99	45.88	...	45.88
जोड़-स्वायत्त निकाय	439.45	...	439.45	454.62	...	454.62	391.41	...	391.41	415.81	...	415.81
अन्य												
18. वास्तविक वसूलियां	-41.97	...	-41.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	591.07	...	591.07	686.50	...	686.50	586.83	...	586.83	636.50	...	636.50
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
19. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन												
19.01 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	104.29	...	104.29	170.00	...	170.00	62.45	...	62.45	170.00	...	170.00

(₹ करोड़)

वास्तविक 2024-2025				बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19.02 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.50	...	2.50
19.03 सॉबरेन ग्रीन फंड को अंतरण	104.29	...	104.29	170.00	...	170.00	62.45	...	62.45	172.50	...	172.50
19.04 सॉबरेन ग्रीन फंड से पूरी की गई राशि	-104.29	...	-104.29	-170.00	...	-170.00	-62.45	...	-62.45	-172.50	...	-172.50
19.05 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	31.80	...	31.80	50.00	...	50.00	33.25	...	33.25	40.00	...	40.00
जोड़- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	136.09	...	136.09	220.00	...	220.00	95.70	...	95.70	212.50	...	212.50
20. प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण												
20.01 जैव विविधता संरक्षण	2.14	...	2.14	10.00	...	10.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
20.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	19.65	...	19.65	35.00	...	35.00	24.03	...	24.03	21.06	...	21.06
20.03 जलीय पारिस्थिति का संरक्षण (ईएपी घटक)	2.90	...	2.90	5.00	...	5.00	2.45	...	2.45	3.00	...	3.00
जोड़- प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	24.69	...	24.69	50.00	...	50.00	30.48	...	30.48	34.06	...	34.06
21. वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास												
21.01 वन्य जीव का पर्यावास विकास	139.80	...	139.80	148.00	...	148.00	102.53	...	102.53	106.78	...	106.78
21.02 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	14.95	...	14.95	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00
21.03 बाघ और हाथी परियोजना	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00	153.04	...	153.04	290.00	...	290.00
जोड़- वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास	444.75	...	444.75	450.00	...	450.00	265.57	...	265.57	404.78	...	404.78
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	605.53	...	605.53	720.00	...	720.00	391.75	...	391.75	651.34	...	651.34
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	605.53	...	605.53	720.00	...	720.00	391.75	...	391.75	651.34	...	651.34
कुल जोड़	2130.61	89.09	2219.70	3276.82	136.00	3412.82	3307.22	174.39	3481.61	3536.66	222.80	3759.46
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीव	785.53	...	785.53	829.97	...	829.97	709.67	...	709.67	791.36	...	791.36
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	520.22	...	520.22	1388.47	...	1388.47	1728.48	...	1728.48	1726.96	...	1726.96
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	266.53	...	266.53	286.01	...	286.01	368.90	...	368.90	283.01	...	283.01
4. वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	...	43.87	43.87	...	61.06	61.06	...	48.37	48.37	...	83.90	83.90
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.83	33.83	...	56.00	56.00	...	107.08	107.08	...	119.88	119.88
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.39	11.39	...	18.94	18.94	...	18.94	18.94	...	19.02	19.02
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1572.28	89.09	1661.37	2504.45	136.00	2640.45	2807.05	174.39	2981.44	2801.33	222.80	3024.13
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	180.84	...	180.84	211.33	...	211.33	188.70	...	188.70
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	553.09	...	553.09	577.53	...	577.53	286.74	...	286.74	534.63	...	534.63
9. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.24	...	5.24	14.00	...	14.00	2.10	...	2.10	12.00	...	12.00
जोड़-अन्य	558.33	...	558.33	772.37	...	772.37	500.17	...	500.17	735.33	...	735.33
कुल जोड़	2130.61	89.09	2219.70	3276.82	136.00	3412.82	3307.22	174.39	3481.61	3536.66	222.80	3759.46

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना शामिल हैं। चार केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, खतरनाक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को गैर-योजना में अन्तर्गत किया गया है और सचिवालय के अधीन रखा गया है। आईडीडब्ल्यूएच के केंद्रीय क्षेत्र घटक - बाघ और हाथी परियोजना को भी सचिवालय के अधीन रखा गया है।

5. **पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण:** अमत्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम की दो उप-योजनाएं- (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मिकों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क फोर्स योजना को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर अवक्रमण के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. **राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम):** मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी कार्यान्वित की गई है।

7. **पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास:** पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत संचालित निर्णय सहायता प्रणाली को अब पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास के रूप में पुनर्गठित किया गया है। यह योजना प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करती है और पर्यावरण शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह और व्यापक हितधारकों तक जानकारी का प्रसार शामिल है। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान भी शामिल हैं।

8. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का वित्तपोषण शामिल है।

9 - 12. **सांविधिक और विनियामक निकाय :** मंत्रालय में चार निकाय है - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

13. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** नव गठित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

14 - 17. **स्वायत्त निकाय :** मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

19. **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन:** वन क्षेत्र को बढ़ाने और मौजूदा वन भूमि की रक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजनाएं हैं, हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। जीआईएम - एनएपी के लिए निधियां सॉबरेन ग्रीन फंड से पूरी की जाएंगी।

20. **प्राकृतिक संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण जैव-मंडल, नमभूमि और झीलों के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

21. **वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास:** मंत्रालय के पास देश के वन्य जीवों की रक्षा के लिए दो मुख्य योजनाएं हैं, अर्थात् प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी और वन्यजीव पर्यावासों का विकास। इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी 2 अलग-अलग योजनाएं थीं जिनका प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी विलय में कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 29

विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23933.26	3890.99	27824.25	19519.74	996.88	20516.62	20755.37	996.88	21752.25	20711.20	1412.78	22123.98
वसूलियां	-24.37	-2287.51	-2311.88	-0.01	...	-0.01	-9.51	...	-9.51	-5.00	-0.01	-5.01
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	23908.89	1603.48	25512.37	19519.73	996.88	20516.61	20745.86	996.88	21742.74	20706.20	1412.77	22118.97
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	733.26	...	733.26	676.44	...	676.44	705.56	...	705.56	761.21	...	761.21
2. दूतावास एवं मिशन	4099.37	...	4099.37	4206.22	...	4206.22	4632.27	...	4632.27	5059.30	...	5059.30
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	1932.15	...	1932.15	1913.47	...	1913.47	2008.70	...	2008.70	2435.13	...	2435.13
4. विदेश में महिला कल्याण योजना												
4.01 वन स्टॉप सेंटर	...	...	...	0.01	...	0.01	9.51	...	9.51	5.00	...	5.00
4.02 निर्भया फंड से पूरी की गई राशि	...	...	...	-0.01	...	-0.01	-9.51	...	-9.51	-5.00	...	-5.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	101.65	793.83	895.48	134.40	621.88	756.28	152.17	653.88	806.05	373.04	892.85	1265.89
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	6866.43	793.83	7660.26	6930.53	621.88	7552.41	7498.70	653.88	8152.58	8628.68	892.85	9521.53
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रों को सहायता												
6. भूटान	1675.43	809.65	2485.08	1775.00	375.00	2150.00	1607.00	343.00	1950.00	1768.64	519.92	2288.56
7. अफगानिस्तान	42.43	...	42.43	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	150.00	...	150.00
8. बांग्लादेश	59.15	...	59.15	120.00	...	120.00	34.48	...	34.48	60.00	...	60.00
9. नेपाल	701.62	...	701.62	700.00	...	700.00	830.00	...	830.00	800.00	...	800.00
10. श्रीलंका	317.41	...	317.41	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	400.00	...	400.00
11. मालदीव	480.26	...	480.26	600.00	...	600.00	625.00	...	625.00	550.00	...	550.00
12. म्यांमार	410.82	...	410.82	350.00	...	350.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
13. मंगोलिया	8.29	...	8.29	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
14. अफ्रीकी देश	201.83	...	201.83	225.00	...	225.00	211.92	...	211.92	225.00	...	225.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	24.13	...	24.13	40.00	...	40.00	13.32	...	13.32	38.00	...	38.00
16. लैटिन अमरीकी देश	91.60	...	91.60	60.00	...	60.00	96.68	...	96.68	120.00	...	120.00
17. अन्य विकासशील देश	77.91	...	77.91	150.00	...	150.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
18. आपदा राहत	63.27	...	63.27	64.00	...	64.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
19. चाबहार पत्तन	400.00	...	400.00	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00	...	...	...
20. मॉरीशस	580.10	...	580.10	500.00	...	500.00	824.00	...	824.00	550.00	...	550.00
21. सेशेल्स	28.83	...	28.83	19.00	...	19.00	15.00	...	15.00	19.00	...	19.00
जोड़-राष्ट्रों को सहायता	5163.08	809.65	5972.73	5108.00	375.00	5483.00	5442.40	343.00	5785.40	5165.64	519.92	5685.56
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	1258.68	...	1258.68	1247.00	...	1247.00	1312.50	...	1312.50	1292.00	...	1292.00
23. सांस्कृतिक और विरासत परियोजना हेतु सहायता	13.82	...	13.82	20.00	...	20.00	17.50	...	17.50	20.00	...	20.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	6435.58	809.65	7245.23	6375.00	375.00	6750.00	6772.40	343.00	7115.40	6477.64	519.92	6997.56
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	327.28	...	327.28	351.25	...	351.25	351.25	...	351.25	391.50	...	391.50
25. अन्य स्वायत्त निकायों को सहायता	36.51	...	36.51	42.93	...	42.93	49.19	...	49.19	59.69	...	59.69
जोड़-स्वायत्त निकाय	363.79	...	363.79	394.18	...	394.18	400.44	...	400.44	451.19	...	451.19
अन्य												
26. विशेष राजनयिक व्यय	4897.69	...	4897.69	4900.00	...	4900.00	5032.30	...	5032.30	4120.00	...	4120.00
27. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	622.58	...	622.58	481.28	...	481.28	603.93	...	603.93	589.19	...	589.19
28. नालंदा विश्वविद्यालय	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	120.00	...	120.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00
30. सीमाओं का सीमांकन	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	4.16	...	4.16
31. प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	20.35	...	20.35	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
32. विदेशी तीर्थयात्राओं से संबंधित व्यय	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33. विनिमय द्वारा हानि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
34. प्रशिक्षण	20.44	...	20.44	24.72	...	24.72	23.57	...	23.57	24.32	...	24.32
35. वास्तविक बसूलियां	-24.37	...	-24.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण												
36.01 संदेहास्पद ऋणों के प्रति ली गई गारंटियों के लिए एक्जिम बैंक को भुगतान	...	2287.51	2287.51	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
36.02 गारंटी मोचन निधि से प्राप्त बसूलियां घटाएं	...	-2287.51	-2287.51	...	...	...	...	...	...	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. आरक्षित निधि में अंतरण - गारंटी मोचन निधि	4383.40	...	4383.40	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य	10243.09	...	10243.09	5820.02	...	5820.02	6074.32	...	6074.32	5148.69	...	5148.69
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	10606.88	...	10606.88	6214.20	...	6214.20	6474.76	...	6474.76	5599.88	...	5599.88

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	23908.89	1603.48	25512.37	19519.73	996.88	20516.61	20745.86	996.88	21742.74	20706.20	1412.77	22118.97
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	733.01	...	733.01	676.44	...	676.44	705.56	...	705.56	761.21	...	761.21
2. विदेशी मामले	12361.17	...	12361.17	12468.27	...	12468.27	13267.88	...	13267.88	13467.33	...	13467.33
3. विविध सामान्य सेवाएं	4383.40	...	4383.40	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	395.71	395.71	...	275.00	275.00	...	275.00	275.00	...	451.00	451.00
5. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	66.48	66.48	...	99.27	99.27	...	119.88	119.88	...	130.06	130.06
6. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.12	7.12	...	17.61	17.61	...	29.00	29.00	...	11.79	11.79
जोड़-सामान्य सेवाएं	17477.58	469.31	17946.89	13144.73	391.88	13536.61	13973.46	423.88	14397.34	14228.56	592.85	14821.41
सामाजिक सेवाएं												
7. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	324.52	324.52	...	230.00	230.00	...	230.00	230.00	...	300.00	300.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	324.52	324.52	...	230.00	230.00	...	230.00	230.00	...	300.00	300.00
आर्थिक सेवाएं												
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य												
9. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	6431.31	...	6431.31	6375.00	...	6375.00	6772.40	...	6772.40	6477.64	...	6477.64
10. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	809.65	809.65	...	375.00	375.00	...	343.00	343.00	...	519.92	519.92
जोड़-अन्य	6431.31	809.65	7240.96	6375.00	375.00	6750.00	6772.40	343.00	7115.40	6477.64	519.92	6997.56
कुल जोड़	23908.89	1603.48	25512.37	19519.73	996.88	20516.61	20745.86	996.88	21742.74	20706.20	1412.77	22118.97

1. **सचिवालय:** इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय का प्रावधान है।

2. **दूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों,पदों पर भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटरों का पट्टा (लीज),पासपोर्ट प्रिंटरों की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्प्रवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जाने कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के वज्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिला कल्याण योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गणमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने, युद्ध/सिविल उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्च स्तरीय दौरों, लोक निर्माण कार्य एवं आवासन के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुआयामी एवं द्विपक्षीय सहायता और सहायता कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिकी देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं भारत प्रवास केंद्र के लिए वेतन अनुदान मांगों और सामान्य अनुदान मांगों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-34. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इसमें प्रवासी भारतीय दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र- यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था है।

36. **सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण:** यह एक्जिम बैंक को अन्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए है, जो भारत सरकार की गारंटियों को लागू करने के प्रति प्रदान की गई तिथियों के लिए है, जिन्हें संदिग्ध माना जाता है। इसे गारंटी मोचन निधि से पूरा किया जाता है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.02 स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	1631.00	1631.00	...	9800.00	9800.00
8.03 स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर निधि से पूरित राशि	...	...	...	...	...	...	...	-1631.00	-1631.00	...	-9800.00	-9800.00
8.04 राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में प्रौद्योगिकी (टीएनएसएफ) के लिए अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	30000.00	30000.00	...	...	...
8.05 राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में प्रौद्योगिकी (टीएनएसएफ) से प्राप्त राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-30000.00	-30000.00
निबल	...	...	...	...	...	...	...	31631.00	31631.00	...	9800.00	9800.00
9. एसएमई ग्रोथ फंड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	500.00
10. अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2703.52	832.99	3536.51	543.22	3000.01	3543.23	6192.45	33329.66	39522.11	2778.91	13300.01	16078.92
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान												
11. आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान	0.57	...	0.57	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.31	...	0.31
12. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	78.44	...	78.44	139.20	...	139.20	72.80	...	72.80	76.00	...	76.00
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	93.96	...	93.96	108.83	...	108.83	153.27	...	153.27	66.55	...	66.55
14. एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान												
14.01 सकल बजटीय सहायता	4.83	...	4.83	4.84	...	4.84	6.20	...	6.20	6.54	...	6.54
14.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-4.83	...	-4.83	-4.84	...	-4.84	-6.20	...	-6.20	-6.54	...	-6.54
निबल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. आईडीए को अंशदान												
15.01 सकल बजटीय सहायता	582.67	...	582.67	582.67	...	582.67	1356.37	...	1356.37	773.70	...	773.70
15.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-582.67	...	-582.67	-582.67	...	-582.67	-1356.37	...	-1356.37	-773.70	...	-773.70
निबल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान)	78.18	...	78.18	85.66	...	85.66	83.06	...	83.06	88.56	...	88.56
17. एशियाई विकास निधि में अंशदान-13												
17.01 सकल बजटीय सहायता	89.15	...	89.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. एशियाई विकास निधि में अंशदान-14	...	...	...	121.00	...	121.00	120.97	...	120.97	121.00	...	121.00
19. एएफडीएफ के लिए अंशदान												
19.01 सकल बजटीय सहायता	52.37	...	52.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	-52.37	...	-52.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निबल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. एसएआरटीटीएसी को अंशदान	107.84	...	107.84	217.50	...	217.50	214.38	...	214.38	...	...	...
21. एसईईटीएफ के लिए अंशदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
22. क्लाइमेट एक्शन पियर एक्सचेंज (सीएपीई) को योगदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
23. महामारी रोकथाम, तैयारी और रिस्पांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि)	...	...	...	0.01	...	0.01	107.35	...	107.35	0.01	...	0.01
जोड़-अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय अंशदान	448.14	...	448.14	672.52	...	672.52	752.15	...	752.15	352.45	...	352.45
24. उधार के लिए नई व्यवस्था												
24.01 सकल बजट	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
24.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25. मुद्रा, सिक्का और टकसाल												
25.01 एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद	...	802.65	802.65	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00	...	1038.00	1038.00
25.02 वसूलियां घटाएं	...	-802.65	-802.65	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00	...	-1038.00	-1038.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. आरक्षित निधि												
26.01 गारंटी मोचन निधि	10000.00	...	10000.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
26.02 गोल्ड आरक्षित फंड	28812.53	...	28812.53	697.19	...	697.19	2465.26	...	2465.26	674.85	...	674.85
26.03 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	750.00	...	750.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
26.05 आर्थिक स्थिरीकरण निधि	...	...	...	...	...	...	50000.00	...	50000.00	...	...	...
<i>जोड़- आरक्षित निधि</i>	<i>39562.53</i>	<i>...</i>	<i>39562.53</i>	<i>697.21</i>	<i>...</i>	<i>697.21</i>	<i>52465.28</i>	<i>...</i>	<i>52465.28</i>	<i>674.87</i>	<i>...</i>	<i>674.87</i>
27. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग												
27.01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठक हेतु व्यय (ब्रिक्स/सार्क/इंटरनेशनल करप्शन इंटरर्स एलायंस/नया विकास बैंक/ एससीओ) और जीआईजेड के लिए सेवा कर)	30.00	...	30.00	24.03	...	24.03	24.12	...	24.12	31.02	...	31.02
28. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश												
28.01 आईएफआई में निवेश	...	403.59	403.59	...	61291.71	61291.71	...	5219.13	5219.13	...	69256.34	69256.34
28.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि (एडीबी / एफ, एएफडीबी / एफ, आईएमएफ)	...	...	...	...	-61000.01	-61000.01	...	-5194.26	-5194.26	...	-69000.01	-69000.01
28.03 घटाइए- वसूलियां घटाएं	...	-56.15	-56.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	...	<i>347.44</i>	<i>347.44</i>	...	<i>291.70</i>	<i>291.70</i>	...	<i>24.87</i>	<i>24.87</i>	...	<i>256.33</i>	<i>256.33</i>
29. अन्य व्यय												
29.01 कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर व्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा हुई लावारिस प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान ।	0.11	...	0.11	0.04	...	0.04	0.06	...	0.06	0.05	...	0.05
29.02 संरक्षित बचत योजनाएं	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.05	...	0.05
29.03 अन्य सामान्य आर्थिक सेवा के अंतर्गत अन्य व्यय	63.04	...	63.04	83.52	...	83.52	85.83	...	85.83	91.52	...	91.52
29.04 नई योजनाएं	...	...	...	0.01	41700.00	41700.01	0.01	35712.71	35712.72	0.01	2000.00	2000.01
29.05 गोल्ड मुद्राकरण योजना 2015 के लिए कमीशन	163.23	...	163.23	39.67	...	39.67	0.32	...	0.32	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अन्य व्यय	226.42	...	226.42	123.27	41700.00	41823.27	86.26	35712.71	35798.97	91.63	2000.00	2091.63
30. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण	1.79	...	1.79	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
31. सरकारी कर्मचारी को ऋण												
31.01 गृह निर्माण अग्रिम	...	133.79	133.79	...	170.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00	170.00
31.02 मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	...	0.01	0.01	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14
31.03 कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	...	45.76	45.76	...	54.86	54.86	...	54.86	54.86	...	54.86	54.86
31.04 घटाएं प्राप्तियां	...	-112.33	-112.33	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00
निवल	...	67.23	67.23	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
32. लघु वचत योजनाएं	4.55	0.02	4.57	6.63	0.04	6.67	5.57	0.02	5.59	5.01	0.02	5.03
33. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
34. स्वर्ण मुद्राकरण योजना												
34.01 स्वर्ण जमा	...	7388.07	7388.07	...	2082.85	2082.85	...	3.43	3.43	...	...	...
34.02 वसूलियां घटाएं	...	...	...	...	-2082.85	-2082.85	...	-3.43	-3.43	...	...	...
निवल	...	7388.07	7388.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती	...	30.46	30.46	...	31.45	31.45	...	31.80	31.80	...	13.40	13.40
36. रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल)	...	56.86	56.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37. मध्यम आय समूह के लिए किफायती आवासन (एसडब्ल्यूएमआईएच)	...	1311.06	1311.06	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	650.00	650.00
38. कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
39. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...
जोड़-अन्य	40323.43	9201.14	49524.57	1575.66	43598.20	45173.86	53385.38	37444.41	90829.79	1206.98	2994.76	4201.74
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	40323.43	9201.14	49524.57	1575.66	43598.20	45173.86	53385.38	37444.41	90829.79	1206.98	2994.76	4201.74
कुल जोड़	43274.82	10051.36	53326.18	2400.24	46613.63	49013.87	59845.19	70799.68	130644.87	4249.65	16309.46	20559.11
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोषीय सेवाएं	5.12	...	5.12	6.93	...	6.93	5.87	...	5.87	5.32	...	5.32
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	192.80	...	192.80	210.06	...	210.06	203.47	...	203.47	221.10	...	221.10
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	43.42	...	43.42	45.25	...	45.25	41.21	...	41.21	15.95	...	15.95
4. विविध सामान्य सेवाएं	10000.11	...	10000.11	0.05	...	0.05	0.07	...	0.07	0.06	...	0.06
5. मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	...	7388.07	7388.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.02	0.02	...	0.04	0.04	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	17.23	17.23	...	15.42	15.42	...	25.61	25.61	...	14.69	14.69
8. रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	31631.00	31631.00	...	9800.00	9800.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामान्य सेवाएं	10241.45	7405.32	17646.77	262.29	15.46	277.75	250.62	31656.63	31907.25	242.43	9814.71	10057.14
सामाजिक सेवाएं												
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.04	...	0.04	0.05	...	0.05
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	750.00	...	750.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	750.04	...	750.04	0.04	0.01	0.05	0.05	0.01	0.06	0.06	0.01	0.07
आर्थिक सेवाएं												
12. कृषि वित्तीय संस्थान	78.44	...	78.44	139.20	...	139.20	72.80	...	72.80	76.00	...	76.00
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	51.10	...	51.10	51.12	...	51.12	51.36	...	51.36	1051.23	...	1051.23
14. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	196.99	...	196.99	338.53	...	338.53	442.72	...	442.72	121.03	...	121.03
15. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	29559.44	...	29559.44	1472.27	...	1472.27	54035.46	...	54035.46	964.14	...	964.14
16. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	2137.79	2137.79	...	4500.00	4500.00	...	3198.65	3198.65	...	4150.00	4150.00
17. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	347.44	347.44	...	291.70	291.70	...	24.87	24.87	...	256.33	256.33
18. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.26	6.26	...	41700.01	41700.01	...	35712.72	35712.72	...	2000.01	2000.01
19. कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण	...	56.86	56.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	30.46	30.46	...	31.45	31.45	...	31.80	31.80	...	13.40	13.40
21. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	29885.97	2578.81	32464.78	2001.12	46523.16	48524.28	54602.34	39068.04	93670.38	2212.40	6419.74	8632.14
अन्य												
22. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	2397.36	...	2397.36	136.79	...	136.79	4992.18	...	4992.18	1794.76	...	1794.76
23. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	67.23	67.23	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00
जोड़-अन्य	2397.36	67.23	2464.59	136.79	75.00	211.79	4992.18	75.00	5067.18	1794.76	75.00	1869.76
कुल जोड़	43274.82	10051.36	53326.18	2400.24	46613.63	49013.87	59845.19	70799.68	130644.87	4249.65	16309.46	20559.11

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लि0	826.73	...	826.73	3000.00	...	3000.00	1698.65	...	1698.65	3000.00	...	3000.00
2. एडीवी और केएफडब्ल्यू को अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवा लि0 द्वारा ऋण की अदायगी	30.46	...	30.46	31.45	...	31.45	31.80	...	31.80	13.40	...	13.40

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)
3. एसडब्ल्यूएमआईएच	1311.06	...	1311.06	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	650.00	...	650.00	
जोड़	2168.25	...	2168.25	4531.45	...	4531.45	3230.45	...	3230.45	3663.40	...	3663.40	

1.

सचिवालय: यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
2.

संबद्ध कार्यालय: यह प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के संबद्ध कार्यालयों अर्थात वाशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो दूतावास के आर्थिक स्कन्ध आदि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) एवं सोलहवें वित्त आयोग के स्थापना व्यय के लिए है।
4.

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ): यह प्रावधान राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लिमिटेड में अन्तरण और निवेश के लिए है और उसके प्रबंधन शुल्क के लिए है।
5.

व्यवहार्यता अंतर निधियन: यह प्रावधान सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वी.जी.एफ.) के प्रावधान के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं को वजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
6.

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण प्रणाली: यह प्रावधान रियायती वित्तपोषण, एक्जिम बैंक को पुराने व्याज अतिदेयों इत्यादि सहित भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत ऋण व्यवस्थाओं के लिए व्याज समकरण सहायता के लिए है।
7.

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ): यह प्रावधान भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) के संबंध में वजटीय सहायता के लिए है।
8.

राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी: यह प्रावधान समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु किया गया है।
9.

एसएमई ग्रोथ फंड: भावी चैम्पियन्स तैयार करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक समर्पित विकास निधि है, जिससे इन उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
10.

अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड: यह प्रावधान ऋण दाताओं को सुसंरचित आंशिक ऋण गारंटियां उपलब्ध कराने के लिए किया गया है और यह असंरचना परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तपोषण उपलब्ध कराएगा।
11.

आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान: यह प्रावधान आईएमएफ, दिल्ली की किराया लागत में अंशदान के लिए है।
12.

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी): यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान देने के लिए है।
13.

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: यह प्रावधान अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए है, जिसमें तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग, राजकोपीय संबंधों संबंधी आर्थिक सहभागिता और विकास (ओईसीडी) नेटवर्क संगठनों को अंशदान, एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि में अंशदान (जीएफएटीएम) और टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन के लिए वैश्विक एलांस (जीएवीआई) के अंतर्गत अंशदान शामिल है।
14.

एएफडीएफ के एमडीआरआई के प्रति अंशदान: यह प्रावधान अफ्रीकी विकास निधि (एएफडीएफ) की बहुपक्षीय ऋण राहत पहल में अंशदान करने के लिए है।
15.

आईडीए को अंशदान: यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) को अंशदान देने के लिए है।
16.

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (अंतरराष्ट्रीय अंशदान): यह प्रावधान अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान, वैश्विक पर्यावरण न्यास निधि आदि में अंशदान) में अंशदान के लिए है।
18.

एशियाई विकास निधि में अंशदान-14: यह प्रावधान एशियाई विकास निधि-14 की पुनःपूर्ति में भारत के योगदान को प्रदान करने के लिए है जिसका भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की चार किस्तों में किया जाएगा।
20.

एसएआरटीटीएसी को अंशदान: यह प्रावधान आईएमएफ-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) के लिए है। भारत सरकार के साथ आईएमएफ के एलओयू के अनुसार पूरा अंशदान किया जा चुका है।
21.

एसईईटीएफ के लिए अंशदान: यह प्रावधान साउथ-साउथ एक्सपीरियंस एक्सचेंज ट्रस्ट फंड (एसईईटीएफ) में योगदान के लिए है।
23.

महामारी रोकथाम, तैयारी और रिसांस के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि): यह प्रावधान विश्व बैंक के महामारी रोकथाम तैयारी और रिसांस (पीपीपीआरएफआईएफ) (महामारी निधि) के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि में योगदान करने के लिए है।
24.

उधार के लिए नई व्यवस्था: यह प्रावधान उधार हेतु नई व्यवस्था (एनएवी) में निवेश के लिए नोट खरीद करार (एनपीए) को आगे बढ़ाने के लिए है।

25. **मुद्रा, सिक्का और टकसाल:** यह प्रावधान भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और सिक्का निर्माण निगम लिमिटेड(एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए है।

26. **आरक्षित निधि:** यह प्रावधान गारंटी मोचन निधि, साँवरेन स्वर्ण बांड स्कीम , स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में अंतरण के लिए है।

27. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/वैठक (त्रिक्स / सार्क/इंटरनेशनल करप्शन हंटर्स अलायंस) और जीआईजेड को सेवाकर के लिए है।

28. **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश:** इसमें अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (ईवीआरडी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान और भारत के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मूल्य अनुरक्षण (एमओवी) दायित्व के लिए निवेश हेतु प्रावधान शामिल है।

29. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान समयबद्ध मामलों में केंद्रीय प्रतिभूतियों पर व्याज भुगतान और सरकारी खाते में जमा की गई लावारिस प्रतिभूतियों, संरक्षित बचत योजनाओं, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के तहत अन्य खर्चों आदि के संबंध में भुगतान और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान के लिए है।

29.04. **नई योजनाएं:** यह प्रावधान नई घोषणाओं के लिए किया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नाभिकीय ऊर्जा मिशन, मेरीटाइम विकास निधि, एनएवीएफआईडी आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा आदि जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात संगत संसदीय प्रक्रियाओं के अनुपालन में उपयुक्त प्रावधान आवंटित किए जाते हैं। बजट अनुमान 2026-27 में यह प्रावधान निम्नलिखित के लिए रखा गया है - (i) शहरी आर्थिक क्षेत्र: सात (7) शहरी आर्थिक क्षेत्रों की सहायता के लिए, अर्थात्, बंगलूरु, भुवनेश्वर - पुरी - कटक ट्राइसिटी, कायम्बटूर - इरोडे - त्रिपुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम में सुधार सहपरिणाम आधारित वित्तपोषण व्यवस्था के साथ पीपीपी मोड में इनकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तथा (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा हब: चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को मिलाकर पांच एकीकृत स्वास्थ्य परिसरों के विकास के लिए।

31. **सरकारी कर्मचारी को ऋण:** यह एक सम्मिश्रित मांग है जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन हेतु अपने कर्मचारियों को ऋणों और अग्रिमों के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसमें आवास खरीदने के लिए संसद सदस्यों को अग्रिम देने हेतु प्रावधान भी शामिल है। जिन प्रयोजनों के लिए सव्याज ऋण अग्रिम दिया जाता है, उनमें मकान निर्माण और कम्प्यूटरों आदि की खरीद शामिल है।

32. **लघु बचत योजनाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान के सचिवालयी व्यय और सरकार की लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है।

33. **आवासन पर पूंजीगत परिव्यय:** यह सांकेतिक प्रावधान आईईएस अधिकारियों के लिए दिल्ली में 90 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए रखा गया है।

34. **स्वर्ण मुद्रीकरण योजना:** यह प्रावधान स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के तहत जुटाए गए सोने के मूल्य के लिए है।

35. **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) द्वारा एडीबी एवं केएफडब्ल्यू को ऋण की चुकौती:** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएल एण्ड एफएस)द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण के भुगतान के लिए प्रावधान है।

36. **रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल):** यह प्रावधान कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) को रियायती साझेदार ऋण (सीपीएल) के भुगतान के लिए रखा गया है।

37. **मध्यम आय समूह के लिए किरायती आवासन (एसडब्ल्यूएमआईएच):** यह प्रावधान मध्यम-आय समूह के लिए किरायती आवास निर्माण हेतु विशेष विंडो के लिए है

39. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए):** यह प्रावधान मुख्यालय भवन परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को ऋण वितरण के लिए है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 31

व्यय विभाग

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	439.59	47.48	487.07	540.52	63.31	603.83	449.16	61.71	510.87	451.40	74.13	525.53
वसूलियां	-0.22	...	-0.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	439.37	47.48	486.85	540.52	63.31	603.83	449.16	61.71	510.87	451.40	74.13	525.53
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएँ	386.42	46.79	433.21	496.27	62.37	558.64	419.97	60.10	480.07	404.89	71.00	475.89
2. शासकीय लेखा और वित्त संस्थान	9.18	0.69	9.87	12.86	0.94	13.80	13.24	1.61	14.85	14.25	1.03	15.28
3. नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिन्क्रोरेटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) प्रभार	32.71	...	32.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग	...	...	...	20.20	...	20.20	6.74	...	6.74	21.32	2.10	23.42
5. वास्तविक वसूलियां	-0.22	...	-0.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	428.09	47.48	475.57	529.33	63.31	592.64	439.95	61.71	501.66	440.46	74.13	514.59
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	11.28	...	11.28	11.19	...	11.19	9.21	...	9.21	10.94	...	10.94
कुल जोड़	439.37	47.48	486.85	540.52	63.31	603.83	449.16	61.71	510.87	451.40	74.13	525.53
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	386.20	...	386.20	496.27	...	496.27	419.97	...	419.97	404.89	...	404.89
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	53.17	...	53.17	44.25	...	44.25	29.19	...	29.19	46.51	...	46.51
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	47.48	47.48	...	63.31	63.31	...	61.71	61.71	...	74.13	74.13
जोड़-सामान्य सेवाएं	439.37	47.48	486.85	540.52	63.31	603.83	449.16	61.71	510.87	451.40	74.13	525.53
कुल जोड़	439.37	47.48	486.85	540.52	63.31	603.83	449.16	61.71	510.87	451.40	74.13	525.53

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान लेखा महानियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय हेतु लोक निर्माण कार्य के लिए है।
2. **शासकीय लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह क, ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने संबंधी व्यय के लिए है।
6. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त और लेखा अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए प्रभारित शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.02 सकल बजटीय सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूँजीकरण												
7.01 सकल बजटीय सहायता	...	261.00	261.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त की गई राशि	...	-261.00	-261.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
8. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
9. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.82	...	0.82	0.80	...	0.80	0.82	...	0.82	0.81	...	0.81
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	0.82	500.00	500.82	0.80	0.03	0.83	0.82	...	0.82	0.81	0.02	0.83
सामाजिक सुरक्षा स्कीमें												
10. अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान	465.05	...	465.05	308.00	...	308.00	459.50	...	459.50	547.75	...	547.75
11. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सन्निधी	101.16	...	101.16	159.20	...	159.20	81.46	...	81.46	160.00	...	160.00
निवल	-84.99	...	-84.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	16.17	...	16.17	159.20	...	159.20	81.46	...	81.46	160.00	...	160.00
12. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी योजना (एलजीएससीएस)	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
13. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई)	507.22	...	507.22	423.01	...	423.01	597.33	...	597.33	596.40	...	596.40
जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें	988.44	...	988.44	890.21	0.01	890.22	1138.29	...	1138.29	1304.15	0.01	1304.16
क्रेडिट गारंटी निधियां												
14. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
15. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और मुद्रा लिमिटेड द्वारा की गई अन्य पहलों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
16. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां	...	...	...	0.02	0.01	0.03	...	...	...	0.02	0.01	0.03
17. रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन योजना	1922.77	...	1922.77	437.00	...	437.00	2196.21	...	2196.21	2000.00	...	2000.00
वित्तीय संस्थाओं को सहायता												
18. बाह्य सहायता प्राप्त संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
19. आवास ऋण पर व्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सन्निधी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
क्रेडिट गारंटी निधियां												
20. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2912.03	500.00	3412.03	1328.03	0.06	1328.09	3335.32	...	3335.32	3305.01	0.05	3305.06
कुल जोड़	3161.78	523.37	3685.15	1620.01	68.13	1688.14	3641.84	54.79	3696.63	3686.99	59.96	3746.95

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	12.76	...	12.76	11.46	...	11.46	10.73	...	10.73	11.39	...	11.39
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	69.92	...	69.92	82.06	...	82.06	86.36	...	86.36	85.24	...	85.24
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	167.04	...	167.04	198.43	...	198.43	209.40	...	209.40	285.32	...	285.32
4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	23.35	23.35	...	67.96	67.96	...	54.63	54.63	...	59.77	59.77
5. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.02	0.02	...	0.11	0.11	...	0.16	0.16	...	0.14	0.14
जोड़-सामान्य सेवाएं	249.72	23.37	273.09	291.95	68.07	360.02	306.49	54.79	361.28	381.95	59.91	441.86
सामाजिक सेवाएं												
6. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	988.44	...	988.44	890.21	...	890.21	1138.29	...	1138.29	1304.15	...	1304.15
जोड़-सामाजिक सेवाएं	988.44	...	988.44	890.21	...	890.21	1138.29	...	1138.29	1304.15	...	1304.15
आर्थिक सेवाएं												
7. कृषि वित्तीय संस्थान	0.82	...	0.82	0.80	...	0.80	0.82	...	0.82	0.81	...	0.81
8. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
9. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	1922.77	...	1922.77	437.02	...	437.02	2196.21	...	2196.21	2000.03	...	2000.03
10. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
11. कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	...	...	...	...	0.02	0.02	...	...	...	...	0.02	0.02
12. अन्य उद्योग और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	...	500.00	500.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
14. उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
15. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1923.62	500.00	2423.62	437.85	0.06	437.91	2197.06	...	2197.06	2000.89	0.05	2000.94
कुल जोड़	3161.78	523.37	3685.15	1620.01	68.13	1688.14	3641.84	54.79	3696.63	3686.99	59.96	3746.95

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	0.02	...	0.02

									(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
4. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम			...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़			...	...	...	0.05	...	0.05	...	0.04	0.04

1. **सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **निवेशन और प्रशासन:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन से संबंधित अपराधों के मुकदमें) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय, कस्टोडियन कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण एवं न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए किया गया है।
9. **इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस् कोआपरेशन VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।
10. **अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार के सह-अंशदान, एग्रीगेटर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत संवर्धन अभियान के लिए है।
11. **वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बराबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।
13. **प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई):** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है ,ताकि 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के वयोवृद्ध व्यक्तियों को बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण भविष्य में उनकी ब्याज की आय में होने वाली गिरावट से उन्हें संरक्षण देने हेतु , साथ ही प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) के अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ।
17. **रूपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन योजना:** यह प्रावधान अधिग्रहणकर्ता बैंक को प्रोत्साहन भुगतान करने के लिए है जिसे वे जारीकर्ता बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) और तृतीय पक्ष एप प्रदाता (टीआरएपी) के साथ साझा करते हैं।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 33

लोक उद्यम विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	21.38	0.64	22.02	28.60	0.57	29.17	26.69	0.57	27.26	28.94	0.66	29.60
वसूलियां	-0.21	...	-0.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	21.17	0.64	21.81	28.60	0.57	29.17	26.69	0.57	27.26	28.94	0.66	29.60
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.49	0.64	19.13	22.11	0.57	22.68	20.20	0.57	20.77	22.19	0.66	22.85
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	18.47	0.64	19.11	22.11	0.57	22.68	20.20	0.57	20.77	22.19	0.66	22.85
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन												
2. परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना	...	...	...	1.21	...	1.21	1.21	...	1.21	...	...	...
3. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श	2.89	...	2.89	5.28	...	5.28	5.28	...	5.28	...	...	...
	-0.19	...	-0.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2.70	...	2.70	5.28	...	5.28	5.28	...	5.28	...	...	...
4. अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनः पूर्वाभिमुखीकरण (आरडीसीआर)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.75	...	6.75
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2.70	...	2.70	6.49	...	6.49	6.49	...	6.49	6.75	...	6.75
कुल जोड़	21.17	0.64	21.81	28.60	0.57	29.17	26.69	0.57	27.26	28.94	0.66	29.60
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2.70	...	2.70	5.65	...	5.65	5.65	...	5.65	6.07	...	6.07
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.47	...	18.47	22.11	...	22.11	20.20	...	20.20	22.19	...	22.19
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.64	0.64	...	0.57	0.57	...	0.57	0.57	...	0.66	0.66

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	21.17	0.64	21.81	27.76	0.57	28.33	25.85	0.57	26.42	28.26	0.66	28.92
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.68	...	0.68
जोड़-अन्य	...	...	...	0.84	...	0.84	0.84	...	0.84	0.68	...	0.68
कुल जोड़	21.17	0.64	21.81	28.60	0.57	29.17	26.69	0.57	27.26	28.94	0.66	29.60

1. **सचिवालय:** इसमे विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्ययों का प्रावधान है
2. **परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों और वीआरएस विकल्पधारियों के परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को सहायता अनुदान के रूप में निधि प्रदान की जाती है। इस योजना का वित्त वर्ष 2026-27 से अनुसंधान, विकास, परामर्शी और पुनरभिविन्यास (आरडीसीआर) योजना के साथ विलय कर दिया गया है।
3. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श:** निधि का उपयोग सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के आयोजन तथा समझौता ज्ञापन एवं उस पर वार्ता तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सहित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के जेनेरिक मुद्दों पर विषय वस्तुगत अध्ययन/परामर्श करने के लिए किया जाता है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारियों और कर्मचारियों तथा डीपीई अधिकारियों के प्रशिक्षण को कार्यकारियों तथा कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है, सीपीएसई के बोर्डों में शामिल निदेशकों को प्रशिक्षण देना, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) को अंशदान का भुगतान करना और सीपीएसई/एसएलपीई के वार्षिक सर्वेक्षण के प्रकाशन के लिए किया जाता है। इस योजना का वित्त वर्ष 2026-27 से अनुसंधान, विकास, परामर्शी और पुनरभिविन्यास (आरडीसीआर) योजना के साथ विलय कर दिया गया है।
4. **अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनः पूर्वाभिमुखीकरण (आरडीसीआर):** इन दोनों योजनाओं का एक योजना में विलय कर दिया गया है, अर्थात् परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन (सीआरआर) अनुसंधान, विकास और परामर्श (आरडीसी) के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जेनेरिक मुद्दों से संबंधित हैं। इस योजना के केन्द्र में कार्यपालकों/कर्मचारियों का कौशल उन्नयन और सीपीएई के प्रबंधन कार्मिकों के संस्थान निर्माण तथा संस्थागत सुधार के माध्यम से नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के संदर्भ में होंगे।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	44.82	0.79	45.61	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
वसूलियां	-6.86	...	-6.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	37.96	0.79	38.75	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	44.82	0.79	45.61	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
	-6.86	...	-6.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	37.96	0.79	38.75	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
कुल जोड़	37.96	0.79	38.75	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	37.96	...	37.96	55.43	...	55.43	33.11	...	33.11	54.25	...	54.25
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.79	0.79	...	1.70	1.70	...	0.60	0.60	...	1.67	1.67
जोड़-आर्थिक सेवाएं	37.96	0.79	38.75	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92
कुल जोड़	37.96	0.79	38.75	55.43	1.70	57.13	33.11	0.60	33.71	54.25	1.67	55.92

1. **सचिवालय:** इस शीर्ष के अधीन सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय तथा परामर्शी शुल्क आदि का भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। डीआईपीएम को प्रशासनिक मंत्रालयों/नीति आयोग की अनुशंसा पर निर्णयों, पूंजी अवसंरचनाओं सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति संबंधी मामले, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन का अधिदेश प्राप्त है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राजस्व विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	159472.47	449.68	159922.15	133271.01	609.24	133880.25	20469.84	572.88	21042.72	2523.11	597.71	3120.82
वसूलियां	-7155.38	...	-7155.38	-709.09	...	-709.09	-402.77	...	-402.77	-222.36	...	-222.36
प्राप्तियां	-229.55	...	-229.55	-326.80	...	-326.80	-326.22	...	-326.22	-385.44	...	-385.44
निवल	152087.54	449.68	152537.22	132235.12	609.24	132844.36	19740.85	572.88	20313.73	1915.31	597.71	2513.02
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केन्द्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	345.41	98.04	443.45	382.45	81.02	463.47	397.05	56.38	453.43	405.55	59.82	465.37
2. प्रवर्तन निदेशालय	516.09	...	516.09	550.75	...	550.75	606.50	...	606.50	594.97	...	594.97
3. स्वापक नियंत्रण	67.06	...	67.06	62.13	...	62.13	72.01	...	72.01	77.32	...	77.32
4. विशेष जांच दल (एसआईटी)	2.48	...	2.48	3.13	...	3.13	2.93	...	2.93	3.11	...	3.11
5. न्यायाधिकरण (सफेम, सीस्टेट, एए-पीएमएलए, जीस्टेट)	...	...	...	...	...	...	196.00	...	196.00	321.28	...	321.28
6. वास्तविक वसूलियां	-0.70	...	-0.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	930.34	98.04	1028.38	998.46	81.02	1079.48	1274.49	56.38	1330.87	1402.23	59.82	1462.05
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	10.68	...	10.68	11.53	...	11.53	19.42	...	19.42	20.42	...	20.42
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. अन्य राजकोपीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	46.17	46.17	...	136.71	136.71	...	...	...	...	...	...
अन्य												
9. अन्य राजकोपीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	125.00	125.00	...	139.06	139.06
10. अन्य व्यय	76.06	...	76.06	196.00	...	196.00	...	...	...	...	...	...
11. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	9.06	...	9.06	11.55	...	11.55	19.05	...	19.05	13.36	...	13.36
12. अफीम एवं क्षारोद कारखाना												
12.01 अफीम और क्षारोद कारखानों में कार्यशील व्यय	494.78	...	494.78	525.00	...	525.00	593.87	...	593.87	645.29	...	645.29
12.02 कम राजस्व प्राप्ति	-229.55	...	-229.55	-326.80	...	-326.80	-326.22	...	-326.22	-385.44	...	-385.44
12.03 घटाएं - वसूलियां	-145.76	...	-145.76	-171.15	...	-171.15	-178.90	...	-178.90	-180.57	...	-180.57

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.04 अफीम और क्षारोद कारखानों में पूंजीगत व्यय	...	4.58	4.58	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00
जोड़- अफीम एवं क्षारोद कारखाना	119.47	4.58	124.05	27.05	8.00	35.05	88.75	8.00	96.75	79.28	9.00	88.28
13. लोक निर्माण कार्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	300.89	300.89	...	383.50	383.50	...	383.50	383.50	...	389.82	389.82
14. आवास संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
15. जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार	565.00	...	565.00	350.00	...	350.00	339.14	...	339.14	400.00	...	400.00
जोड़-अन्य	769.59	305.47	1075.06	584.60	391.51	976.11	446.94	516.50	963.44	492.64	537.89	1030.53
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	780.27	351.64	1131.91	596.13	528.22	1124.35	466.36	516.50	982.86	513.06	537.89	1050.95
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाए जाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
17. जीएसटी को लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति												
17.01 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	150376.93	...	150376.93	130640.51	...	130640.51	18000.00	...	18000.00	0.02	...	0.02
17.02 राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों को जारी	6987.75	...	6987.75	500.00	...	500.00	195.00	...	195.00	0.02	...	0.02
17.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से प्राप्त की गई राशि	-6987.75	...	-6987.75	-500.00	...	-500.00	-195.00	...	-195.00	-0.02	...	-0.02
निवल	150376.93	...	150376.93	130640.51	...	130640.51	18000.00	...	18000.00	0.02	...	0.02
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	150376.93	...	150376.93	130640.53	...	130640.53	18000.00	...	18000.00	0.02	...	0.02
कुल जोड़	152087.54	449.68	152537.22	132235.12	609.24	132844.36	19740.85	572.88	20313.73	1915.31	597.71	2513.02
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	1170.88	...	1170.88	1113.58	...	1113.58	1170.34	...	1170.34	1343.68	...	1343.68
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	345.41	...	345.41	382.45	...	382.45	397.05	...	397.05	405.55	...	405.55
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	74.85	...	74.85	71.51	...	71.51	84.71	...	84.71	86.78	...	86.78
4. अन्य राजकोपीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	46.17	46.17	...	136.71	136.71	...	125.00	125.00	...	139.06	139.06
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	300.89	300.89	...	383.50	383.50	...	383.50	383.50	...	389.82	389.82
6. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	98.04	98.04	...	81.02	81.02	...	56.38	56.38	...	59.82	59.82
जोड़-सामान्य सेवाएं	1591.14	445.10	2036.24	1567.54	601.23	2168.77	1652.10	564.88	2216.98	1836.01	588.70	2424.71
सामाजिक सेवाएं												
7. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अन्य उद्योग	119.47	...	119.47	27.05	...	27.05	88.75	...	88.75	79.28	...	79.28
9. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.58	4.58	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	9.00	9.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	119.47	4.58	124.05	27.05	8.00	35.05	88.75	8.00	96.75	79.28	9.00	88.28
अन्य												
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	144006.69	...	144006.69	126000.00	...	126000.00	17573.75	...	17573.75	0.01	...	0.01
11. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	6370.24	...	6370.24	4640.53	...	4640.53	426.25	...	426.25	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य	150376.93	...	150376.93	130640.53	...	130640.53	18000.00	...	18000.00	0.02	...	0.02
कुल जोड़	152087.54	449.68	152537.22	132235.12	609.24	132844.36	19740.85	572.88	20313.73	1915.31	597.71	2513.02

1. **सचिवाल - सामान्य सेवाएं:** इसमें टीपीआरयू, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, आय कर ओवरसीज यूनिट्स, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक- भारत, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की जन्ती) अधिनियम और स्वापक मादक पदार्थ और प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों और प्रबंधन समिति सहित राजस्व विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **प्रवर्तन निदेशालय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए किया गया है जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रवर्तन से संबंधित है।

3. **स्वापक नियंत्रण:** इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो और मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि (एनएफसीडीए) से होने वाले व्यय के लिए प्रावधान शामिल हैं।

4. **विशेष जांच दल (एसआईटी):** यह प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित किए गए विशेष जांच दल के आवर्ती व्यय के लिए है।

5. **न्यायाधिकरण (सफेम, सीस्टेट, एए-पीएमएलए, जीस्टेट):** इसमें तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की जन्ती) अधिनियम, 1976, आवकारी और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और जीएसटी के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान शामिल है। बजट अनुमान 2025-26 तक, प्रावधान को अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त , केंद्र के स्थापना व्यय के तहत प्रावधान किया जा रहा है।

7. **राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान देने के लिए किया गया है।

9. **अन्य राजकोषीय सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट), जन्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी), धन शोधन निवारण अधिनियम (एए-पीएमएलए) के लिए न्याय-निर्णय प्राधिकारी और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के लिए स्थापना संबंधी पूंजीगत व्यय के लिए है।

11. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान धनशोधन पर एशिया/प्रशांत समूह, एग्मोंन्ट समूह और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यताओं के लिए वार्षिक अंशदान हेतु है।

12. **अफीम एवं क्षारोध कारखाना:** यह प्रावधान गाजीपुर और नीमच स्थित अफीम कारखाना और क्षारोध कार्य के निवल व्यय हेतु है जिसमें अफीम उत्पाद की खरीद भी शामिल होती है। केंद्र सरकार का अफीम की खेती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और वह चिकित्सात्मक एवं वैज्ञानिक जरूरतों हेतु प्रसंस्करण एवं विक्रय के लिए संपूर्ण उत्पाद का क्रय करती है।

13. **लोक निर्माण कार्य संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान राजस्व विभाग (राजस्व भवन आदि) के कार्यालय भवन के निर्माण, ईडी और केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्य से संबंधित अवसंरचना के लिए है ।

14. **आवास संबंधी पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के लिए रिहायशी फ्लैटों की खरीद/निर्माण के लिए किया गया है।

15. **जीएसटीएन (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) पर प्रयोक्ता प्रभार:** यह प्रावधान संचालन उपरांत व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से के सापेक्ष माल एवं सेवा कर तंत्र को प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान हेतु किया गया है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 36

प्रत्यक्ष कर

₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	9143.94	2297.26	11441.20	9473.29	1427.16	10900.45	10665.52	2066.56	12732.08	10320.12	4986.45	15306.57	
वसूलियां	-8.39	-0.01	-8.40	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
निवल	9135.55	2297.25	11432.80	9473.29	1425.16	10898.45	10665.52	2064.56	12730.08	10320.12	4984.45	15304.57	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	7727.93	...	7727.93	8004.93	...	8004.93	9239.15	...	9239.15	8851.76	...	8851.76
1.02	कारपोरेट कर का संग्रहण	1187.62	...	1187.62	1231.53	...	1231.53	1196.31	...	1196.31	1231.53	...	1231.53
1.03	वास्तविक वसूलियां	-8.39	...	-8.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	8907.16	...	8907.16	9236.46	...	9236.46	10435.46	...	10435.46	10083.29	...	10083.29
2. संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	22.84	...	22.84	23.68	...	23.68	23.01	...	23.01	23.68	...	23.68
2.02	प्रतिभूतियां लेनदेन कर	45.68	...	45.68	47.37	...	47.37	46.01	...	46.01	47.37	...	47.37
2.03	अन्य करों का संग्रहण	159.87	...	159.87	165.78	...	165.78	161.04	...	161.04	165.78	...	165.78
2.04	कार्यालय भवन का निर्माण/खरीद	...	235.37	235.37	...	247.18	247.18	...	280.18	280.18	...	1515.46	1515.46
2.05	आवासीय भवन का निर्माण/खरीद	...	305.18	305.18	...	290.98	290.98	...	297.38	297.38	...	2183.46	2183.46
	जोड़- संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण	228.39	540.55	768.94	236.83	538.16	774.99	230.06	577.56	807.62	236.83	3698.92	3935.75
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	9135.55	540.55	9676.10	9473.29	538.16	10011.45	10665.52	577.56	11243.08	10320.12	3698.92	14019.04	
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
अन्य													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.01	1.01	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	कम-बिक्री प्राप्तियां	...	-0.01	-0.01	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	निवल	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1755.70	1755.70	...	887.00	887.00	...	1487.00	1487.00	...	1285.53	1285.53

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	...	1756.70	1756.70	...	887.00	887.00	...	1487.00	1487.00	...	1285.53	1285.53
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	...	1756.70	1756.70	...	887.00	887.00	...	1487.00	1487.00	...	1285.53	1285.53
कुल जोड़	9135.55	2297.25	11432.80	9473.29	1425.16	10898.45	10665.52	2064.56	12730.08	10320.12	4984.45	15304.57
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	8907.16	...	8907.16	9236.46	...	9236.46	10435.46	...	10435.46	10083.29	...	10083.29
2. संपत्ति करों, प्रतिभूति लेन-देन संबंधी करों तथा अन्य करों का संग्रहण	228.39	...	228.39	236.83	...	236.83	230.06	...	230.06	236.83	...	236.83
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	235.37	235.37	...	247.18	247.18	...	280.18	280.18	...	1515.46	1515.46
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1756.70	1756.70	...	887.00	887.00	...	1487.00	1487.00	...	1285.53	1285.53
जोड़-सामान्य सेवाएं	9135.55	1992.07	11127.62	9473.29	1134.18	10607.47	10665.52	1767.18	12432.70	10320.12	2800.99	13121.11
सामाजिक सेवाएं												
5. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	305.18	305.18	...	290.98	290.98	...	297.38	297.38	...	2183.46	2183.46
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	305.18	305.18	...	290.98	290.98	...	297.38	297.38	...	2183.46	2183.46
कुल जोड़	9135.55	2297.25	11432.80	9473.29	1425.16	10898.45	10665.52	2064.56	12730.08	10320.12	4984.45	15304.57

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **कारपोरेट कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूतियां लेनदेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति की संव्यवहार पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **कार्यालय भवन का निर्माण/खरीद:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए तैयार भवन कार्यालय/ भवन की खरीद / भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **आवासीय भवन का निर्माण/खरीद:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संबंध में तैयार भूमि/आवासीय भवन/भूमि अधिग्रहण/आवासीय उद्देश्य के लिए भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC के तहत परिकल्पित केंद्र सरकार द्वारा अचल संपत्ति की अग्रिम खरीद से संबंधित विक्री से प्राप्त आय एवं और पहले से अर्जित सुरक्षा शुल्क, संपत्ति की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए है।

4. **विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान आईसीटी उपकरणों, एमवी, मशीनरी एवं उपकरणों और फर्नीचर एवं फिक्सचर इत्यादि पर व्यय के लिए है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आरओएससीटीएल)												
4.04 लक्ष्य युक्त योजना	8.10	...	8.10	594.82	...	594.82	14.71	...	14.71	24.29	...	24.29
4.05 फोकस प्रोडक्ट स्कीम और मार्किट लिंकड प्रोडक्ट स्कीम	8.26	...	8.26	43.44	...	43.44	25.30	...	25.30	5.40	...	5.40
4.06 स्टेटस होल्डर्स प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस)	0.13	...	0.13	9.55	...	9.55	...	...	...	0.60	...	0.60
4.07 राज्य उगाहियों पर छूट संबंधी योजना (आरओएसएल)	...	...	...	42.83	...	42.83	...	...	...	...	...	...
4.08 फोकस बाजार योजना	2.58	...	2.58	12.94	...	12.94	0.99	...	0.99	2.00	...	2.00
4.09 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना	0.13	...	0.13	5.22	...	5.22	...	...	...	1.00	...	1.00
4.10 वृद्धि संबंधी निर्यात प्रोत्साहन योजना (वार्षिक एवं तिमाही)	303.37	...	303.37	221.15	...	221.15	127.40	...	127.40	180.00	...	180.00
जोड़- बकायों का एकमुश्त भुगतान	911.02	...	911.02	2432.75	...	2432.75	459.62	...	459.62	600.00	...	600.00
5. निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी)	18313.06	...	18313.06	18232.50	...	18232.50	18232.50	...	18232.50	10000.00	...	10000.00
6. राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल)	8565.00	...	8565.00	10170.00	...	10170.00	10010.38	...	10010.38	5000.00	...	5000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	27789.08	...	27789.08	30835.25	...	30835.25	28702.50	...	28702.50	15600.00	...	15600.00
कुल जोड़	37029.90	1771.72	38801.62	40904.23	1984.60	42888.83	38905.94	2590.28	41496.22	26076.63	1606.00	27682.63
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सीमा शुल्क	30653.54	...	30653.54	34018.71	...	34018.71	31877.41	...	31877.41	18946.11	...	18946.11
2. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	6365.20	...	6365.20	6870.52	...	6870.52	7008.03	...	7008.03	7100.52	...	7100.52
3. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1129.34	1129.34	...	1211.35	1211.35	...	1084.78	1084.78	...	950.50	950.50
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	468.78	468.78	...	476.57	476.57	...	1283.66	1283.66	...	475.07	475.07
जोड़-सामान्य सेवाएं	37018.74	1598.12	38616.86	40889.23	1687.92	42577.15	38885.44	2368.44	41253.88	26046.63	1425.57	27472.20
सामाजिक सेवाएं												
5. आवासन	11.16	...	11.16	15.00	...	15.00	20.50	...	20.50	30.00	...	30.00
6. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	173.60	173.60	...	296.68	296.68	...	221.84	221.84	...	180.43	180.43
जोड़-सामाजिक सेवाएं	11.16	173.60	184.76	15.00	296.68	311.68	20.50	221.84	242.34	30.00	180.43	210.43
कुल जोड़	37029.90	1771.72	38801.62	40904.23	1984.60	42888.83	38905.94	2590.28	41496.22	26076.63	1606.00	27682.63

- 1.01. **सीमा शुल्क का संग्रहण:** इसमें स्थापना और सीमा शुल्क स्कंध के अन्य व्यय , सीमा शुल्क कल्याण कोष में अंतरण और अन्य विभाग को भुगतान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

1.02. **सीमा शुल्क का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान तस्करी रोधी उपकरणों, कंटेनर स्कैनर्स, मरीन फ्लीट और एक्सबीआईएस आदि की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए किया गया है। यह प्रावधान सीमा शुल्क संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए भी किया गया है।

2.01. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क / केन्द्रीय माल और सेवा कर का संग्रहण:** यह प्रावधान केंद्रीय माल और सेवा कर संगठन के स्थापना खर्च, जिसमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर , एकीकृत वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली पर आने वाले अन्य खर्च के लिए है।

2.02. **उत्पाद शुल्क /केन्द्रीय माल और सेवा कर का स्थापना खर्च:** यह प्रावधान मुख्य रूप से स्थापना और निष्पादन प्रबंधन, लेखा-परीक्षा, प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन, नासिन, सतर्कता, प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय, कर दाता सेवा निदेशालय, माल एवं सेवा कर निदेशालय, माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, सेटलमेंट कमीशन पर अन्य खर्च के लिए किया गया है।

2.03. **आवास - रख-रखाव और मरम्मत:** यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले आवासीय भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए है।

2.04. **बने बनाए मकानों की खरीद-कार्यालय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित तैयार भवन कार्यालय भवन और भूमि की खरीद के लिए तथा कार्यालय भवनों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

2.05. **बने बनाए मकानों की खरीद-आवासीय भवन:** इसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से संबंधित तैयार भवन आवासीय भवनों और भूमि की खरीद तथा आवासीय मकानों के निर्माण आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

2.06. **सीजीएसटी का स्थापना व्यय:** सीजीएसटी संरचनाओं के संबंध में पूंजीगत प्रकृति के स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

4. **बकायों का एकमुश्त भुगतान:** अन्य स्क्रिप आधारित योजनाओं के बकाया के एकमुश्त भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है

5. **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी):** निर्यातित उत्पाद स्क्रिप आधारित योजनाओं पर शुल्कों और करों की छूट के लिए प्रावधान किया गया है।

6. **राज्य और केन्द्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल):** राज्य और केंद्रीय करों और उगाहियों पर छूट के लिए प्रावधान किया गया है।

मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद निर्यात संवर्धन मिशन के हिस्से के रूप में रॉडटेप और आरओएससीटीएल योजनाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

₹ करोड़

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल			6433.26	154.14	6587.40	6631.14	174.09	6805.23	6532.10	541.62	7073.72	6665.31	168.97	6834.28
वसूलियां			-388.20	-1.79	-389.99	-392.73	-1.48	-394.21	-386.10	-2.53	-388.63	-395.12	-2.32	-397.44
प्राप्तियां			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल			6045.06	152.35	6197.41	6238.41	172.61	6411.02	6146.00	539.09	6685.09	6270.19	166.65	6436.84
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:														
केंद्र का व्यय														
केन्द्र का स्थापना व्यय														
1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक			268.16	5.57	273.73	298.36	3.24	301.60	302.13	17.71	319.84	325.00	5.36	330.36
			-5.22	...	-5.22	-10.53	...	-10.53	-10.53	...	-10.53	-11.48	...	-11.48
निवल			262.94	5.57	268.51	287.83	3.24	291.07	291.60	17.71	309.31	313.52	5.36	318.88
2. सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय														
2.01 सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय			3442.93	27.30	3470.23	3537.59	31.01	3568.60	3534.00	27.46	3561.46	3621.31	28.41	3649.72
2.02 सिविल लेखा कार्यालय			1539.85	17.29	1557.14	1580.82	25.40	1606.22	1475.71	18.28	1493.99	1464.76	16.29	1481.05
2.03 केन्द्रीकृत खरीद			23.32	79.92	103.24	24.57	86.55	111.12	24.49	118.91	143.40	24.30	83.50	107.80
2.04 प्रशिक्षण			88.34	4.06	92.40	94.77	2.24	97.01	96.66	2.59	99.25	93.93	3.91	97.84
जोड़- सिविल लेखा परीक्षा एवं लेखा कार्यालय			5094.44	128.57	5223.01	5237.75	145.20	5382.95	5130.86	167.24	5298.10	5204.30	132.11	5336.41
3. डाक एवं दूरसंचार लेखापरीक्षा कार्यालय			207.41	1.04	208.45	219.81	0.82	220.63	207.42	0.82	208.24	212.60	1.19	213.79
4. रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय			320.61	1.78	322.39	323.93	1.26	325.19	319.65	1.58	321.23	326.23	1.87	328.10
5. रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय			187.05	1.81	188.86	187.33	1.10	188.43	190.62	1.57	192.19	193.28	1.31	194.59
6. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय			311.54	2.63	314.17	316.82	2.22	319.04	327.59	2.35	329.94	346.01	1.79	347.80
7. विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय			44.05	0.08	44.13	47.14	0.25	47.39	53.83	0.35	54.18	57.89	0.34	58.23
8. वास्तविक वसूलियाँ			-382.98	-1.78	-384.76	-382.20	-1.48	-383.68	-375.57	-2.53	-378.10	-383.64	-2.32	-385.96
9. पहले से निर्मित कार्यालय भवनों की खरीद			...	8.57	8.57	...	13.00	13.00	...	343.00	343.00	...	16.00	16.00
			...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल			...	8.56	8.56	...	13.00	13.00	...	343.00	343.00	...	16.00	16.00
10. पहले से निर्मित रिहायशी भवनों की खरीद			...	4.09	4.09	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	9.00	9.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय			6045.06	152.35	6197.41	6238.41	172.61	6411.02	6146.00	539.09	6685.09	6270.19	166.65	6436.84

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	6045.06	152.35	6197.41	6238.41	172.61	6411.02	6146.00	539.09	6685.09	6270.19	166.65	6436.84
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लेखापरीक्षा	6045.06	...	6045.06	6238.41	...	6238.41	6146.00	...	6146.00	6270.19	...	6270.19
2. लेखापरीक्षा पर पूंजी परिव्यय	...	139.70	139.70	...	152.61	152.61	...	189.09	189.09	...	141.65	141.65
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	8.57	8.57	...	13.00	13.00	...	343.00	343.00	...	16.00	16.00
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	6045.06	148.26	6193.32	6238.41	165.61	6404.02	6146.00	532.09	6678.09	6270.19	157.65	6427.84
सामाजिक सेवाएं												
5. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.09	4.09	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	9.00	9.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	4.09	4.09	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	9.00	9.00
कुल जोड़	6045.06	152.35	6197.41	6238.41	172.61	6411.02	6146.00	539.09	6685.09	6270.19	166.65	6436.84

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक: यह प्रावधान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा कार्यालयों से संबंधित व्यय के लिए है।

वित्त मंत्रालय
सं 39 (विनियोग)
ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1164271.06	...	1164271.06	1352307.47	...	1352307.47	1352307.49	...	1352307.49	1443971.79	...	1443971.79
वसूलियां	-0.43	...	-0.43	-36469.49	...	-36469.49	-36469.49	...	-36469.49	...	...	...
प्राप्तियां	-48696.03	...	-48696.03	-39500.00	...	-39500.00	-41500.00	...	-41500.00	-40000.00	...	-40000.00
निवल	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
1. ऋण की कमी के लिए भुगतान पूर्व प्रीमियम	2749.40	...	2749.40	2350.00	...	2350.00	5709.60	...	5709.60	4000.00	...	4000.00
2. आंतरिक ऋण पर व्याज												
2.01 बाजार ऋण	773406.00	...	773406.00	878383.74	...	878383.74	878383.74	...	878383.74	985130.44	...	985130.44
2.02 उपार्जित व्याज घटाएं	-48696.03	...	-48696.03	-39500.00	...	-39500.00	-41500.00	...	-41500.00	-40000.00	...	-40000.00
2.03 जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण	...	...	...	36469.49	...	36469.49	36469.49	...	36469.49	...	...	...
2.04 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साथ-साथ मिले ऋण पर जीएसटी प्रतिपूरक निधि से प्राप्त की गई राशि घटाएं	...	...	...	-36469.49	...	-36469.49	-36469.49	...	-36469.49	...	...	...
2.05 नकद प्रबंधन बिलों पर छूट	...	...	...	100.00	...	100.00	...	...	...	100.00	...	100.00
2.06 क्षतिपूर्ति और अन्य बंध पत्र	5143.70	...	5143.70	5234.15	...	5234.15	4398.17	...	4398.17	7347.56	...	7347.56
2.07 14 दिवसीय राजकोपीय बिल	2479.09	...	2479.09	2600.00	...	2600.00	2600.00	...	2600.00	2600.00	...	2600.00
2.08 91 दिवसीय राजकोपीय बिल	12335.90	...	12335.90	13607.50	...	13607.50	13165.09	...	13165.09	12785.00	...	12785.00
2.09 182 दिवसीय राजकोपीय बिल	12685.78	...	12685.78	14227.75	...	14227.75	13739.78	...	13739.78	16564.99	...	16564.99
2.10 364 दिवसीय राजकोपीय बिल पर छूट	22621.10	...	22621.10	23634.25	...	23634.25	23171.56	...	23171.56	27518.03	...	27518.03
2.11 ऋणों का प्रबंधन	3149.32	...	3149.32	3200.00	...	3200.00	3250.00	...	3250.00	3410.50	...	3410.50
2.12 अर्थोपाय अग्रिम	20.17	...	20.17	1000.00	...	1000.00	0.28	...	0.28	1000.00	...	1000.00
2.13 विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी की गई बाजार योग्य प्रतिभूतियां	996.27	...	996.27	498.14	...	498.14	498.14	...	498.14	...	...	...
2.14 पुनर्पूंजीकरण बंध पत्रों पर व्याज	17098.57	...	17098.57	17689.57	...	17689.57	18280.57	...	18280.57	17689.57	...	17689.57
2.15 अन्य सरकार नियंत्रित बैंकिंग प्रतिभूति के पुनर्पूंजीकरण	1268.67	...	1268.67	1603.20	...	1603.20	1937.73	...	1937.73	1603.20	...	1603.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
बॉण्ड पर व्याज												
2.16 साँवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना 2015 पर व्याज	1746.23	...	1746.23	1639.36	...	1639.36	1668.25	...	1668.25	1636.29	...	1636.29
2.17 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 पर व्याज	248.63	...	248.63	264.95	...	264.95	402.00	...	402.00	359.68	...	359.68
2.18 साँवरेन ग्रीन बॉण्ड पर व्याज	2671.26	...	2671.26	4118.32	...	4118.32	4804.82	...	4804.82	6218.82	...	6218.82
जोड़- आंतरिक ऋण पर व्याज	807174.66	...	807174.66	928300.93	...	928300.93	924800.13	...	924800.13	1043964.08	...	1043964.08
3. विदेशी ऋणों पर व्याज	34162.03	...	34162.03	37120.17	...	37120.17	32821.54	...	32821.54	35892.82	...	35892.82
4. लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज												
4.01 छोटी बचत जमा-प्रमाणपत्र तथा परिचालन व्ययों पर व्याज	211572.00	...	211572.00	247420.73	...	247420.73	248513.74	...	248513.74	257207.22	...	257207.22
4.02 राज्य भविष्य निधियां	19909.63	...	19909.63	20758.26	...	20758.26	20835.62	...	20835.62	22099.77	...	22099.77
4.03 बीमा तथा पेंशन निधियां	6863.95	...	6863.95	6930.02	...	6930.02	7023.15	...	7023.15	6868.27	...	6868.27
4.04 गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमाएं	4239.89	...	4239.89	4540.91	...	4540.91	4540.91	...	4540.91	4935.32	...	4935.32
4.05 अन्य विशेष जमा	18665.84	...	18665.84	20766.79	...	20766.79	21779.13	...	21779.13	24074.95	...	24074.95
जोड़- लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर व्याज	261251.31	...	261251.31	300416.71	...	300416.71	302692.55	...	302692.55	315185.53	...	315185.53
5. रिजर्व निधियों पर व्याज	1229.57	...	1229.57	1485.35	...	1485.35	1300.14	...	1300.14	1279.39	...	1279.39
6. अन्य दायित्वों पर व्याज												
6.01 तेल कंपनियों को विशेष बांड	5153.04	...	5153.04	2731.56	...	2731.56	2731.56	...	2731.56	...	...	...
6.02 भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	911.75	...	911.75	510.26	...	510.26	510.26	...	510.26	510.26	...	510.26
6.03 उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	282.29	...	282.29	282.29	...	282.29	282.29	...	282.29	...	...	...
6.04 पीएलआई को विशेष बांड	1213.91	...	1213.91	1577.61	...	1577.61	1926.26	...	1926.26	1452.61	...	1452.61
6.05 अन्य पर व्याज	1447.01	...	1447.01	1563.10	...	1563.10	1563.11	...	1563.11	1687.09	...	1687.09
6.06 टीयर-1 में अंशदान पर व्याज	0.06	...	0.06	...	...	...	0.56	...	0.56	0.01	...	0.01
जोड़- अन्य दायित्वों पर व्याज	9008.06	...	9008.06	6664.82	...	6664.82	7014.04	...	7014.04	3649.97	...	3649.97
7. वास्तविक वसूलियां	-0.43	...	-0.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79
कुल जोड़	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. ऋण की कटौती या परिवर्जन के लिए विनियोग	2749.40	...	2749.40	2350.00	...	2350.00	5709.60	...	5709.60	4000.00	...	4000.00
2. व्याज भुगतान	1112825.20	...	1112825.20	1273987.98	...	1273987.98	1268628.40	...	1268628.40	1399971.79	...	1399971.79
जोड़-सामान्य सेवाएं	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79
कुल जोड़	1115574.60	...	1115574.60	1276337.98	...	1276337.98	1274338.00	...	1274338.00	1403971.79	...	1403971.79

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (ग) के अंतर्गत भारत के समेकित निधि पर 'भारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इस विनियोग में केंद्र सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर व्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें वाणिज्यिक विभागों जैसे रेलवे की अन्य आरक्षित निधियां, मूल्यह्रास के अलावा सरकार के पास जमा भविष्य निधियों, विशेष जमा राशियों पर देय व्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केंद्र सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के लिए जुटाए गए बाजार ऋणों पर व्याज भुगतान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी-बारी के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि से पूरा किया जाता है।

वित्त मंत्रालय
सं 40 (विनियोग)
ऋण की अदायगी

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	...	8500778.90	8500778.90	...	9038648.16	9038648.16	...	8177058.62	8177058.62	...	9534445.88	9534445.88
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	-8500778.90	-8500778.90	...	-9038648.16	-9038648.16	...	-8177058.62	-8177058.62	...	-9534445.88	-9534445.88
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
1. केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण												
1.01 बाजार ऋण	...	596582.74	596582.74	...	395666.06	395666.06	...	395665.95	395665.95	...	546790.21	546790.21
1.02 बाईवैक/स्वीचिंग	...	...	...	...	250000.00	250000.00	...	250879.06	250879.06	...	250000.00	250000.00
1.03 14 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	5847346.89	5847346.89	...	6030452.65	6030452.65	...	5543000.00	5543000.00	...	6052398.00	6052398.00
1.04 91 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	687745.05	687745.05	...	606191.25	606191.25	...	864475.52	864475.52	...	817200.00	817200.00
1.05 182 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	446683.21	446683.21	...	484082.34	484082.34	...	403857.94	403857.94	...	516203.94	516203.94
1.06 364 दिवसीय राजकोषीय बिल	...	457486.99	457486.99	...	360809.92	360809.92	...	359389.16	359389.16	...	358198.06	358198.06
1.07 तमद प्रबंधन बिल	...	...	...	...	50000.00	50000.00	...	...	...	...	50000.00	50000.00
1.08 अर्धोपाय अग्रिम	...	52254.00	52254.00	...	500000.00	500000.00	...	1674.00	1674.00	...	500000.00	500000.00
1.09 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	...	7154.28	7154.28	...	7776.91	7776.91	...	7707.02	7707.02	...	7836.83	7836.83
1.10 क्षतिपूर्तियां और अन्य बॉन्ड	...	1434.24	1434.24	...	3115.92	3115.92	...	3048.76	3048.76	...	6827.35	6827.35
1.11 एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन	...	340484.61	340484.61	...	279509.04	279509.04	...	280538.76	280538.76	...	349283.24	349283.24
1.13 स्वर्ण मॉडिफिकेशन योजना	...	44.43	44.43	...	145.28	145.28	...	1061.00	1061.00	...	355.76	355.76
1.14 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना	...	8124.42	8124.42	...	5510.34	5510.34	...	7109.65	7109.65	...	4290.58	4290.58
1.15 घटाने प्राप्तियां	...	-8445340.87	-8445340.87	...	-8973259.71	-8973259.71	...	-8108406.82	-8108406.82	...	-9459383.97	-9459383.97
निवल	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. बाह्य ऋण												
2.01 सकल बजटीय सहायता	...	55438.04	55438.04	...	65388.45	65388.45	...	68651.80	68651.80	...	75061.91	75061.91
2.02 घटाने प्राप्तियां	...	-55438.03	-55438.03	...	-65388.45	-65388.45	...	-68651.80	-68651.80	...	-75061.91	-75061.91

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	निवल	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ख. विकास शीर्ष													
अन्य													
1.	केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	बाह्य ऋण	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

आंतरिक और विदेशी ऋण: इस विनियोग में केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए आंतरिक और विदेशी ऋण के पुनर्संगतान का प्रावधान शामिल है जिसमें विभिन्न परिपक्वता के ट्रेजरी बिलों का निर्वहन, नकद प्रबंधन बिलों के माध्यम से अल्पकालिक उधार, अर्थोपाय अग्रिम, ऋण में कमी के लिए पुनःखरीद/स्विच और ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन शामिल है। संशोधित अनुमान 2025-26 में 67,500 करोड़ रुपये के पुनर्संगतान राजस्व में जीएसटी की कमी के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बारी- बारी से दिए गए ऋणों के एवज में जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष से अतिरिक्त बसूली के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 41

पेंशन

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल		93361.15	...	93361.15	98186.00	...	98186.00	94756.00	...	94756.00	101500.00	...	101500.00
	वसूलियां		-1081.66	...	-1081.66	-7000.00	...	-7000.00	-1850.00	...	-1850.00	-3000.00	...	-3000.00
	प्राप्तियां		...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
	निवल		92279.49	...	92279.49	90186.00	...	90186.00	91906.00	...	91906.00	97500.00	...	97500.00
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:														
केंद्र का व्यय														
केन्द्र का स्थापना व्यय														
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ														
1.01	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते		40720.80	...	40720.80	41555.00	...	41555.00	41910.00	...	41910.00	47096.55	...	47096.55
1.02	पेंशन का परिवर्तित मूल्य		4795.23	...	4795.23	5330.00	...	5330.00	5330.00	...	5330.00	5133.00	...	5133.00
1.03	उपदान		7423.74	...	7423.74	8230.00	...	8230.00	8233.00	...	8233.00	8033.00	...	8033.00
1.04	परिवारिक पेंशन		12323.10	...	12323.10	14530.35	...	14530.35	14530.35	...	14530.35	13529.85	...	13529.85
1.05	छुट्टी नकदीकरण		4326.94	...	4326.94	5033.00	...	5033.00	5033.00	...	5033.00	5035.00	...	5035.00
1.06	भविष्य निधि में अंशदान		6.29	...	6.29	5.55	...	5.55	5.55	...	5.55	5.60	...	5.60
1.07	पेंशन संबंधी विविध भुगतान		11183.21	...	11183.21	17664.00	...	17664.00	13876.00	...	13876.00	16036.95	...	16036.95
1.08	अन्य		0.56	...	0.56	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
1.09	आरक्षित निधि 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना' में अंतरित राशि		7000.00	...	7000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.10	आरक्षित निधि 'सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना' से प्राप्त राशि		...	...	...	-7000.00	...	-7000.00	-1850.00	...	-1850.00	-3000.00	...	-3000.00
1.11	वास्तविक वसूलियां		-1081.28	...	-1081.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल		86698.59	...	86698.59	85348.40	...	85348.40	87068.40	...	87068.40	91870.45	...	91870.45
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार														
2.01	दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान		5551.83	...	5551.83	5801.50	...	5801.50	5801.50	...	5801.50	6601.50	...	6601.50
2.02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली कम धनराशि		...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00
	निवल		5551.83	...	5551.83	4801.50	...	4801.50	4801.50	...	4801.50	5601.50	...	5601.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण												
3.01 जमा संबद्ध बीमा योजना	26.22	...	26.22	32.10	...	32.10	32.10	...	32.10	25.05	...	25.05
3.02 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10
3.03 अन्य	2.36	...	2.36	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70
3.04 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को देय जमा संबद्ध बीमा योजना	0.87	...	0.87	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.20	...	1.20
3.05 वास्तविक प्राप्तियां	-0.38	...	-0.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	29.07	...	29.07	36.10	...	36.10	36.10	...	36.10	28.05	...	28.05
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	92279.49	...	92279.49	90186.00	...	90186.00	91906.00	...	91906.00	97500.00	...	97500.00
कुल जोड़	92279.49	...	92279.49	90186.00	...	90186.00	91906.00	...	91906.00	97500.00	...	97500.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	92250.42	...	92250.42	90149.90	...	90149.90	91869.90	...	91869.90	97471.95	...	97471.95
जोड़-सामान्य सेवाएं	92250.42	...	92250.42	90149.90	...	90149.90	91869.90	...	91869.90	97471.95	...	97471.95
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	29.07	...	29.07	36.10	...	36.10	36.10	...	36.10	28.05	...	28.05
जोड़-सामाजिक सेवाएं	29.07	...	29.07	36.10	...	36.10	36.10	...	36.10	28.05	...	28.05
कुल जोड़	92279.49	...	92279.49	90186.00	...	90186.00	91906.00	...	91906.00	97500.00	...	97500.00

1. **पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** इस मांग में भारत की संचित निधि पर भारित की जाने वाली अन्य मदों के साथ-साथ पेंशन और उपदान (ग्रेज्युटी) के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है, जो बाद में राज्य सरकारों से वसूला जाता है। इस प्रावधान में जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों के पेंशन लाभों का भुगतान भी शामिल है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के पेंशन संबंधी प्रभार:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए है। मुख्य शीर्ष '0071 – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में अंशदान और वसूलियां' के तहत प्राप्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाली देय राशि (1000 करोड़ रुपये) के कारण है।

3. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** इसमें अंशदायी और अन्य भविष्य निधियों, जमा संबद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. साझा नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान	...	...	...	90.00	...	90.00	225.00	...	225.00	...	...	...
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा अन्य वित्त आयोग अनुदानों के तहत राज्यों के राजस्व को अनुदान सहायता	120858.16	...	120858.16	132767.00	...	132767.00	152953.00	...	152953.00	129396.60	...	129396.60
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	120858.16	...	120858.16	132767.00	...	132767.00	152953.00	...	152953.00	129396.60	...	129396.60
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
9. विशेष सहायता	3350.00	...	3350.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	15000.00	...	15000.00
10. कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) को ऋण के रूप में विशेष सहायता	...	149483.73	149483.73	...	150000.00	150000.00	...	150000.00	150000.00	...	200000.00	200000.00
12. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	8173.68	...	8173.68	10000.00	...	10000.00	12957.00	...	12957.00	15745.00	...	15745.00
13. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण)	...	34409.84	34409.84	...	42730.00	42730.00	...	47184.00	47184.00	...	47753.00	47753.00
	...	-18192.41	-18192.41	...	-22134.53	-22134.53	...	-22230.71	-22230.71	...	-21371.09	-21371.09
<i>निवल</i>	...	<i>16217.43</i>	<i>16217.43</i>	...	<i>20595.47</i>	<i>20595.47</i>	...	<i>24953.29</i>	<i>24953.29</i>	...	<i>26381.91</i>	<i>26381.91</i>
14. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा शमन निधि को अंतरण												
14.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा शमन निधि को अंतरण	9610.00	...	9610.00	10380.00	...	10380.00	10140.00	...	10140.00	10910.00	...	10910.00
14.02 घटाएं - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-1116.28	...	-1116.28	-1220.00	...	-1220.00	-1140.00	...	-1140.00	-1160.00	...	-1160.00
14.03 घटाएं - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-8341.22	...	-8341.22	-9160.00	...	-9160.00	-9000.00	...	-9000.00	-9750.00	...	-9750.00
<i>निवल</i>	<i>152.50</i>	...	<i>152.50</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से राज्यों को सहायता												
15.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	5356.03	...	5356.03	12048.00	...	12048.00	12048.00	...	12048.00	11496.00	...	11496.00
15.02 राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता	719.72	...	719.72	3012.00	...	3012.00	3012.00	...	3012.00	2874.00	...	2874.00
15.03 घटाएं - एनडीआरएफ/एनडीएमएफ से अंतरण से पूरी की गई राशि	-5356.03	...	-5356.03	-10380.00	...	-10380.00	-10140.00	...	-10140.00	-10910.00	...	-10910.00
<i>निवल</i>	<i>719.72</i>	...	<i>719.72</i>	<i>4680.00</i>	...	<i>4680.00</i>	<i>4920.00</i>	...	<i>4920.00</i>	<i>3460.00</i>	...	<i>3460.00</i>
16. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम)	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...	...	100.00	100.00
	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	...	...	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	12395.90	165701.16	178097.06	24680.01	170595.47	195275.48	27877.01	174953.29	202830.30	34205.01	226381.91	260586.92
कुल जोड़	133254.06	165701.16	298955.22	157447.01	170595.47	328042.48	181529.01	174953.29	356482.30	167801.61	226381.91	394183.52

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. प्राकृतिक आपदा राहत	152.50	...	152.50	1668.00	...	1668.00	4920.00	...	4920.00	3460.00	...	3460.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	152.50	...	152.50	1668.01	...	1668.01	4920.01	...	4920.01	3460.01	...	3460.01
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	133101.56	...	133101.56	155779.00	...	155779.00	176609.00	...	176609.00	164341.60	...	164341.60
4. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	165701.16	165701.16	...	170595.47	170595.47	...	168953.29	168953.29	...	211381.91	211381.91
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...	6000.00	6000.00	...	15000.00	15000.00
जोड़-अन्य	133101.56	165701.16	298802.72	155779.00	170595.47	326374.47	176609.00	174953.29	351562.29	164341.60	226381.91	390723.51
कुल जोड़	133254.06	165701.16	298955.22	157447.01	170595.47	328042.48	181529.01	174953.29	356482.30	167801.61	226381.91	394183.52

1.

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता: यह प्रावधान राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु है।
2.

स्थानीय निकायों के लिए अनुदान: वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों और विशेष अवसंरचना घटक और शहरीकरण प्रीमियम सहित शहरी स्थानीय निकायों के लिए आबंटन किए गए हैं।
3.

राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान: वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।
4.

राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान: वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के लिए सहायता अनुदान आबंटन किया गया है।
9.

विशेष सहायता: यह प्रावधान उन बकाया प्रतिबद्ध देयताओं के लिए किया जाता है जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता हेतु निर्धारित किया गया है।
11.

पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल सहित) को ऋण के रूप में विशेष सहायता: यह प्रावधान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी निवेश हेतु ऋण में विस्तार के लिए किया गया है।
12.

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान): विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था, बैक-टू-बैक (बी2बी) आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से इतर अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर
13.

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण): राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए निधियों का प्रावधान पूंजीगत भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मुख्य शीर्ष 6002 के तहत की जाती है।
- 14.01.

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा शमन निधि को अंतरण: एनसीसीडी की प्रामियों से एनडीारएफ/एनडीआरएफ को अंतरण के लिए प्रावधान।
- 15.01.

राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता: राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से निधियों की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है।
- 15.02.

राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता: राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता
16.

राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम): अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मांग संख्या 43

मत्स्यपालन विभाग

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1122.64	5.28	1127.92	2681.05	22.62	2703.67	1723.13	9.82	1732.95	2732.27	29.53	2761.80
वसूलियां	-102.93	...	-102.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1019.71	5.28	1024.99	2681.05	22.62	2703.67	1723.13	9.82	1732.95	2732.27	29.53	2761.80
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 स्थापना व्यय	27.67	1.70	29.37	37.88	2.05	39.93	53.45	1.40	54.85	52.00	2.25	54.25
1.02 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.14	...	2.14	2.42	...	2.42	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़- सचिवालय	29.81	1.70	31.51	40.30	2.05	42.35	55.95	1.40	57.35	54.50	2.25	56.75
2. मात्स्यिकी संस्थान	82.07	3.02	85.09	125.45	16.57	142.02	117.43	8.30	125.73	127.67	25.28	152.95
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	111.88	4.72	116.60	165.75	18.62	184.37	173.38	9.70	183.08	182.17	27.53	209.70
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. मत्स्यपालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)	18.25	...	18.25	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.30	...	30.30
4. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-4.20	...	-4.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	14.05	...	14.05	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.30	...	30.30
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
5. तटीय जलकृषि प्राधिकरण	4.29	...	4.29	6.30	...	6.30	5.72	...	5.72	7.25	...	7.25
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	11.50	...	11.50	18.00	...	18.00	14.15	...	14.15	14.55	...	14.55
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	15.79	...	15.79	24.30	...	24.30	19.87	...	19.87	21.80	...	21.80
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
ब्लू रेवोल्यूशन												
7. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	976.72	0.56	977.28	2461.00	4.00	2465.00	1499.88	0.12	1500.00	2498.00	2.00	2500.00
8. वास्तविक वसूलियां	-98.73	...	-98.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	877.99	0.56	878.55	2461.00	4.00	2465.00	1499.88	0.12	1500.00	2498.00	2.00	2500.00
कुल जोड़	1019.71	5.28	1024.99	2681.05	22.62	2703.67	1723.13	9.82	1732.95	2732.27	29.53	2761.80
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. मत्स्यपालन	445.94	...	445.94	712.25	...	712.25	618.25	...	618.25	1061.77	...	1061.77
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.81	...	29.81	40.30	...	40.30	55.95	...	55.95	54.50	...	54.50
3. मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.58	3.58	...	20.57	20.57	...	8.42	8.42	...	27.28	27.28
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.70	1.70	...	2.05	2.05	...	1.40	1.40	...	2.25	2.25
जोड़-आर्थिक सेवाएं	475.75	5.28	481.03	752.55	22.62	775.17	674.20	9.82	684.02	1116.27	29.53	1145.80
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	255.00	...	255.00	146.00	...	146.00	255.00	...	255.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	508.01	...	508.01	1573.50	...	1573.50	858.13	...	858.13	1261.00	...	1261.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	35.95	...	35.95	100.00	...	100.00	44.80	...	44.80	100.00	...	100.00
जोड़-अन्य	543.96	...	543.96	1928.50	...	1928.50	1048.93	...	1048.93	1616.00	...	1616.00
कुल जोड़	1019.71	5.28	1024.99	2681.05	22.62	2703.67	1723.13	9.82	1732.95	2732.27	29.53	2761.80

- 1.**सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों को योगदान तथा उपग्रह के पट्टे किराये के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान के लिए है।

2.**मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थानों के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, सेंटरल इंस्टीट्यूट फॉर फिसर मैन नोटिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

3.**मत्स्यपालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ):** यह प्रावधान देश में मछुआरों के लाभ के लिए मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के लिए किया जाता है।

5.**तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 6.**राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए है।

7.**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** इस योजना का उद्देश्य मछुआरों के कल्याण सहित भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संधारणीय, जिम्मेदार और समग्र विकास के माध्यम से ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 75 करोड़ रुपए और 2026-27 के बजट अनुमान में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय												
मांग संख्या 44												
पशुपालन और डेयरी विभाग												
(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3451.24	198.01	3649.25	4469.45	585.95	5055.40	4830.44	652.39	5482.83	5915.95	447.51	6363.46
वसूलियां	-571.59	...	-571.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	-116.34	...	-116.34	-215.00	...	-215.00	-180.00	...	-180.00	-210.00	...	-210.00
निवल	2763.31	198.01	2961.32	4254.45	585.95	4840.40	4650.44	652.39	5302.83	5705.95	447.51	6153.46
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	56.95	1.48	58.43	78.05	1.95	80.00	78.55	1.45	80.00	81.00	2.00	83.00
2. पशु स्वास्थ्य संस्थान	18.20	35.54	53.74	30.66	69.34	100.00	52.15	17.36	69.51	38.19	36.24	74.43
3. लघु पशुधन संस्थान	33.13	2.13	35.26	43.74	6.26	50.00	35.50	2.50	38.00	34.09	2.91	37.00
4. नस्ल सुधार संस्थान	28.08	4.03	32.11	35.05	14.95	50.00	59.44	9.36	68.80	33.89	4.11	38.00
5. पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र	19.98	3.82	23.80	29.69	15.20	44.89	25.84	4.16	30.00	24.60	0.40	25.00
6. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	156.28	47.00	203.28	217.19	107.70	324.89	251.48	34.83	286.31	211.77	45.66	257.43
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
7. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1728.57	...	1728.57	1980.00	...	1980.00	1980.00	...	1980.00	2010.00	...	2010.00
8. अवसंरचना विकास निधि	379.41	...	379.41	460.00	...	460.00	362.25	...	362.25	465.00	...	465.00
9. डेयरी विकास	142.92	151.00	293.92	524.55	475.45	1000.00	383.84	616.16	1000.00	655.00	400.00	1055.00
10. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	424.80	...	424.80	0.01	...	0.01	700.00	...	700.00	800.00	...	800.00
11. उद्यमिता विकास के लिए एकीकृत योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
12. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-555.03	...	-555.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2120.67	151.00	2271.67	2964.56	475.45	3440.01	3426.09	616.16	4042.25	4430.00	400.00	4830.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और वित्तीयामक निकाय												
13. पशु कल्याण बोर्ड	5.91	...	5.91	10.30	...	10.30	7.82	...	7.82	7.24	...	7.24
14. पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीसीएसईए)	1.49	...	1.49	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	1.79	...	1.79

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	7.40	...	7.40	12.00	...	12.00	9.52	...	9.52	9.03	...	9.03
स्वायत्त निकाय												
15. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद	5.05	...	5.05	10.00	...	10.00	18.30	...	18.30	10.00	...	10.00
अन्य												
16. दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)												
16.01 डीएमएस के व्यय	137.65	0.01	137.66	212.20	2.80	215.00	178.60	1.40	180.00	208.15	1.85	210.00
16.02 कम प्राप्तियां	-116.34	...	-116.34	-215.00	...	-215.00	-180.00	...	-180.00	-210.00	...	-210.00
निवल	21.31	0.01	21.32	-2.80	2.80	...	-1.40	1.40	...	-1.85	1.85	...
17. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	2.91	...	2.91	3.50	...	3.50	3.72	...	3.72	3.85	...	3.85
18. सीसीबीएफ (अलामाधी, अंदेश नगर और दामरोड) का संचालन और रखरखाव संविदा	...	...	...	...	...	...	33.73	...	33.73	...	...	...
जोड़-अन्य	24.22	0.01	24.23	0.70	2.80	3.50	36.05	1.40	37.45	2.00	1.85	3.85
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	36.67	0.01	36.68	22.70	2.80	25.50	63.87	1.40	65.27	21.03	1.85	22.88
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
19. विकास कार्यक्रम												
19.01 पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	36.37	...	36.37	250.00	...	250.00	149.00	...	149.00	235.15	...	235.15
19.02 राष्ट्रीय पशुधन मिशन	429.82	...	429.82	800.00	...	800.00	760.00	...	760.00	808.00	...	808.00
जोड़- विकास कार्यक्रम	466.19	...	466.19	1050.00	...	1050.00	909.00	...	909.00	1043.15	...	1043.15
20. वास्तविक वसूलियां	-16.50	...	-16.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	449.69	...	449.69	1050.00	...	1050.00	909.00	...	909.00	1043.15	...	1043.15
कुल जोड़	2763.31	198.01	2961.32	4254.45	585.95	4840.40	4650.44	652.39	5302.83	5705.95	447.51	6153.46
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	1763.46	...	1763.46	2287.17	...	2287.17	3048.00	...	3048.00	3534.40	...	3534.40
2. डेयरी विकास	329.59	...	329.59	697.75	...	697.75	457.61	...	457.61	818.15	...	818.15
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	56.89	...	56.89	78.05	...	78.05	78.55	...	78.55	81.00	...	81.00
4. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	...	45.52	45.52	...	105.75	105.75	...	33.38	33.38	...	43.66	43.66
5. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	2.80	2.80	...	1.40	1.40	...	1.85	1.85
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.48	1.48	...	1.95	1.95	...	1.45	1.45	...	2.00	2.00
7. डेयरी विकास के लिए ऋण	...	151.00	151.00	...	475.45	475.45	...	616.16	616.16	...	400.00	400.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2149.94	198.01	2347.95	3062.97	585.95	3648.92	3584.16	652.39	4236.55	4433.55	447.51	4881.06

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य														
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	270.96	...	270.96	287.38	...	287.38	411.76	...	411.76
9.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		596.56	...	596.56	875.59	...	875.59	745.97	...	745.97	821.88	...	821.88
10.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		16.81	...	16.81	44.93	...	44.93	32.93	...	32.93	38.76	...	38.76
जोड़-अन्य			613.37	...	613.37	1191.48	...	1191.48	1066.28	...	1066.28	1272.40	...	1272.40
कुल जोड़			2763.31	198.01	2961.32	4254.45	585.95	4840.40	4650.44	652.39	5302.83	5705.95	447.51	6153.46

1.

सचिवालय: यह प्रावधान सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय और मुख्यालय में नेटवर्क-आधारित सूचना प्रणाली के लिए है।
2.

पशु स्वास्थ्य संस्थान: यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान आदि के लिए है।
3.

लघु पशुधन संस्थान: यह प्रावधान केंद्रीय मुर्गीपालन विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ पालन फार्म के लिए है।
4.

नस्ल सुधार संस्थान: यह प्रावधान केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय झुंड पंजीकरण योजना आदि के लिए है।
5.

पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र: यह प्रावधान पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र के लिए है।
7.

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम: पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और खुरपका के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेल्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक एकल योजना में विलय कर दिया गया है जिसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम रखा गया है। इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा अवसंरचना के सृजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों के कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियां रखी जाती हैं।
8.

अवसंरचना विकास निधि: आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के साथ विलय कर दिया गया है, ताकि व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) पशु चारा संयंत्र (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी आदि की स्थापना की जा सके। बजट प्रावधान राज्य सहकारी डेयरी संघ (पूर्ववर्ती राज्य सहकारी डेयरी संघों को सहायता) की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की सहायता के लिए भी है।

9.

डेयरी विकास: यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां निर्गत करने के लिए और डेयरी विकास योजना के सहकारिता घटक-बी के माध्यम से डेयरी के लिए है, जिसे जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेटिव एजेंसी (जेआईसीए) के सहयोग से शुरू किया गया है, जो ओडीए ऋण सहायता प्रदान करेगा।
10.

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।
11.

उद्यमिता विकास के लिए एकीकृत योजना: निम्नलिखित के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए सहायता (क) क्रेडिट से जुड़ी सन्निडी कार्यक्रम, (ख) पशुधन उद्यमों को बढ़ाना और आधुनिकीकरण, (ग) पशुधन डेयरी और पॉल्ट्री केंद्रित एकीकृत मुख्य शृंखला सृजन, (घ) पशुपालक उत्पादन संगठनों को सृजन प्रोत्साहन और (ङ) वेटनरी व्यावसायिकों को प्रशिक्षण।
13.

पशु कल्याण बोर्ड: यह प्रावधान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना व्यय के लिए है।
14.

पशु पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु समिति(सीसीएसईए): यह प्रावधान कार्यालय के स्थापना व्यय और योजना के कार्यान्वयन के लिए है। यह कार्यालय पशु अधिनियम 1960 (1960 का 59) के अंतर्गत क्रूरता की रोकथाम के लिए किया गया था और पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित किया गया था। पहले इस प्रावधान को एनआईएडब्ल्यू के बजट के साथ जोड़ा गया था।
15.

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद: यह प्रावधान वेतन, अन्य खर्चों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के भवन के निर्माण के लिए है।
16.

दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस): यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसकी प्रारंभ में सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।
17.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह प्रावधान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे (i) पशु स्वास्थ्य के विश्व संगठन (डब्ल्यूओएएच), (ii) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ (आईडीएफ) और (iii) एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग (एएफसीए) में योगदान के लिए रखा गया है।

18. **सीसीबीएफ (अलमाधी, अंदेश नगर और दामरोड) का संचालन और रखरखाव संविदा:** यह प्रावधान अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश) तथा दामरोड (गुजरात) में स्थित तीन केंद्रीय पशु प्रजनन फार्मों (सीसीबीएफएस) के प्रबंधन एवं संचालन को आउटसोर्स किए जाने से संबंधित है।

19. **विकास कार्यक्रम:** श्वेत क्रांति के विभिन्न घटकों के पुनर्विलोकन और पुनर्व्यस्थित करने के बाद श्वेत क्रांति योजना का नाम बदलकर विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और ii) पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, विकास कार्यक्रम के घटक हैं।

19.01. **पशुधन की जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए हैं, जिसमें 20 वीं पशुधन जनगणना के लिए प्रारंभिक कार्य 2017 शुरू हो चुका है और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पादों अर्थात् दूध, अंडे, मांस और ऊन आदि के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है।

19.02. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन क्षेत्र, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के सतत विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।

इस योजना के अंतर्गत धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में 8 करोड़ रुपए और 2026-27 के बजट अनुमान में 8 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2864.84	1.98	2866.82	5264.96	2.64	5267.60	4219.23	2.34	4221.57	4976.43	2.73	4979.16
वसूलियां	-562.75	...	-562.75	-903.38	...	-903.38	-650.00	...	-650.00	-915.00	...	-915.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2302.09	1.98	2304.07	4361.58	2.64	4364.22	3569.23	2.34	3571.57	4061.43	2.73	4064.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.04	1.91	62.95	85.49	2.10	87.59	84.31	2.10	86.41	72.43	2.19	74.62
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	0.50	...	0.50	0.30	...	0.30	0.40	...	0.40	0.35	...	0.35
3. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-3.76	...	-3.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	57.78	1.91	59.69	85.79	2.10	87.89	84.71	2.10	86.81	72.78	2.19	74.97
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना												
4.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38	650.00	...	650.00	915.00	...	915.00
4.02 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	540.11	...	540.11	903.38	...	903.38	650.00	...	650.00	915.00	...	915.00
4.03 घटाइए- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि को	-540.11	...	-540.11	-903.38	...	-903.38	-650.00	...	-650.00	-915.00	...	-915.00
निवल	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38	650.00	...	650.00	915.00	...	915.00
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	450.48	...	450.48	1199.96	0.04	1200.00	1199.96	0.04	1200.00	1199.96	0.04	1200.00
6. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-18.88	...	-18.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1061.60	...	1061.60	2103.34	0.04	2103.38	1849.96	0.04	1850.00	2114.96	0.04	2115.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली	67.35	...	67.35	74.07	...	74.07	82.67	...	82.67	84.00	...	84.00
8. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर	92.33	...	92.33	98.88	...	98.88	52.09	...	52.09	90.19	...	90.19

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	159.68	...	159.68	172.95	...	172.95	134.76	...	134.76	174.19	...	174.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	159.68	...	159.68	172.95	...	172.95	134.76	...	134.76	174.19	...	174.19
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
9. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना	1023.03	0.07	1023.10	1999.50	0.50	2000.00	1499.80	0.20	1500.00	1699.50	0.50	1700.00
कुल जोड़	2302.09	1.98	2304.07	4361.58	2.64	4364.22	3569.23	2.34	3571.57	4061.43	2.73	4064.16
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	1231.28	...	1231.28	2217.25	...	2217.25	1933.42	...	1933.42	2229.00	...	2229.00
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	57.28	...	57.28	85.49	...	85.49	84.31	...	84.31	72.43	...	72.43
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.07	0.07	...	0.54	0.54	...	0.24	0.24	...	0.54	0.54
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.91	1.91	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.19	2.19
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1288.56	1.98	1290.54	2302.74	2.64	2305.38	2017.73	2.34	2020.07	2301.43	2.73	2304.16
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	290.34	...	290.34	216.62	...	216.62	261.50	...	261.50
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	980.53	...	980.53	1744.00	...	1744.00	1322.63	...	1322.63	1474.00	...	1474.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	33.00	...	33.00	24.50	...	24.50	12.25	...	12.25	24.50	...	24.50
जोड़-अन्य	1013.53	...	1013.53	2058.84	...	2058.84	1551.50	...	1551.50	1760.00	...	1760.00
कुल जोड़	2302.09	1.98	2304.07	4361.58	2.64	4364.22	3569.23	2.34	3571.57	4061.43	2.73	4064.16

1.

सचिवालय: यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
2.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह प्रावधान वाइन और वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।
4.

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना: वर्ष 2017-18 से मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना-‘प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना’ लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई (आठ उप-घटक योजनाएं) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पहलों में से एक है और इसने खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश के खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
5.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: पी. एल. आई. योजना भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन का समर्थन करना; अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांडों के खाद्य उत्पादों का समर्थन करना; कृषि से इतर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य और किसानों को उच्च आय सुनिश्चित करना है।
7.

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) का नाम बदल कर एनआईएफटीईएम - कुंडली कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान है।

8. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर:** यह प्रावधान संस्थान के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

9. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना:** यह प्रावधान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और इस क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वर्ष 2020 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई योजना के लिए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	103724.48	2398.36	106122.84	119435.36	3624.44	123059.80	124209.97	2437.82	126647.79	137835.25	2928.30	140763.55
	वसूलियां	-18749.97	-72.70	-18822.67	-27101.93	...	-27101.93	-33721.93	...	-33721.93	-39054.34	...	-39054.34
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	84974.51	2325.66	87300.17	92333.43	3624.44	95957.87	90488.04	2437.82	92925.86	98780.91	2928.30	101709.21
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1.	सचिवालय	215.24	7.41	222.65	248.06	13.46	261.52	277.29	21.96	299.25	286.06	12.98	299.04
2.	निर्देशन एवं प्रशासन	68.48	1.12	69.60	79.20	0.80	80.00	82.20	0.80	83.00	92.05	1.54	93.59
3.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2079.99	24.31	2104.30	2294.69	75.31	2370.00	2168.10	38.86	2206.96	2316.32	41.54	2357.86
4.	सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली	1768.80	147.73	1916.53	1941.08	238.50	2179.58	1956.22	88.79	2045.01	2037.75	133.00	2170.75
5.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	953.28	359.93	1313.21	1120.16	338.10	1458.26	1067.02	147.72	1214.74	1210.47	240.32	1450.79
6.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	599.70	31.02	630.72	699.00	101.00	800.00	685.00	85.00	770.00	703.40	92.50	795.90
7.	कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	147.40	3.36	150.76	174.66	8.50	183.16	162.69	14.40	177.09	156.62	25.60	182.22
8.	अन्य अस्पताल / संस्थान	863.55	30.96	894.51	1066.53	76.28	1142.81	970.03	51.57	1021.60	1073.19	62.47	1135.66
9.	वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-126.66	-72.70	-199.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	6569.78	533.14	7102.92	7623.38	851.95	8475.33	7368.55	449.10	7817.65	7875.86	609.95	8485.81
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
10.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना												
10.01	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	67.66	1612.87	1680.53	60.00	2140.00	2200.00	70.00	1430.00	1500.00	60.00	1945.00	2005.00
11.	राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम												
11.01	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	2444.51	6.91	2451.42	3177.95	7.82	3185.77	2452.18	7.82	2460.00	3149.59	50.41	3200.00
11.02	रक्त संचारण सेवाएं	76.38	...	76.38	250.00	5.00	255.00	200.00	...	200.00	270.00	5.00	275.00
11.03	राष्ट्रीय/राज्य रक्त संचारण काउंसिल	0.10	...	0.10	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
	जोड़- राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2520.99	6.91	2527.90	3429.95	12.82	3442.77	2653.68	7.82	2661.50	3421.59	55.41	3477.00
12.	कोविड 19 रेस्पांस मैकेनिज्म 2021 के अंतर्गत वैश्विक निधि अनुदान	0.51	...	0.51	7.00	348.07	355.07	7.00	348.07	355.07	1.91	94.95	96.86

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(ईएपी)												
13. परिवार कल्याण योजनाएं	619.00	...	619.00	620.48	...	620.48	645.48	...	645.48	643.46	...	643.46
14. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहल- जुनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	24.23	...	24.23	54.01	...	54.01	35.00	...	35.00	60.00	...	60.00
15. राष्ट्रीय भेषज सतर्कता कार्यक्रम	8.10	...	8.10	8.53	...	8.53	8.10	...	8.10	10.00	...	10.00
16. उपचर्या सेवाओं का विकास	21.93	...	21.93	28.74	...	28.74	28.74	...	28.74	27.24	...	27.24
17. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास	10.42	4.50	14.92	45.17	48.83	94.00	34.10	38.90	73.00	45.23	49.77	95.00
18. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	6.44	0.61	7.05	14.38	0.62	15.00	14.38	0.62	15.00	14.38	0.62	15.00
19. कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - जीवन बीमा स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
20. प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (स्वास्थ्य)	174.57	104.63	279.20	342.85	215.60	558.45	254.91	147.59	402.50	407.68	162.32	570.00
21. राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	41.73	...	41.73	79.60	...	79.60	45.00	...	45.00	51.14	...	51.14
22. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम	212.58	...	212.58	340.11	...	340.11	324.26	...	324.26	350.00	...	350.00
23. संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मिकों के लिए स्कीम (एचपीएस)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
24. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-0.49	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	3707.67	1729.52	5437.19	5030.83	2765.94	7796.77	4120.65	1973.00	6093.65	6092.63	2308.07	8400.70
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
25. विनियामक और संवैधानिक निकाय	518.07	...	518.07	584.65	...	584.65	493.15	...	493.15	494.92	...	494.92
स्वायत्त निकाय												
26. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	4909.33	...	4909.33	5200.00	...	5200.00	5238.70	...	5238.70	5500.92	...	5500.92
27. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2225.00	...	2225.00	2400.00	...	2400.00	2417.86	...	2417.86	2504.65	...	2504.65
28. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	1351.96	...	1351.96	1450.00	...	1450.00	1460.79	...	1460.79	1496.46	...	1496.46
29. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	780.00	...	780.00	860.00	...	860.00	866.40	...	866.40	917.21	...	917.21
30. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	473.61	...	473.61	530.00	...	530.00	533.94	...	533.94	565.26	...	565.26
31. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	632.30	...	632.30	650.00	...	650.00	654.84	...	654.84	693.24	...	693.24
32. क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं उपचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल	100.61	...	100.61	135.00	...	135.00	127.15	...	127.15	85.90	...	85.90
33. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	49.70	...	49.70	65.00	...	65.00	70.48	...	70.48	69.32	...	69.32
34. नए एम्स की स्थापना पर व्यय	7791.58	...	7791.58	7639.00	...	7639.00	9400.00	...	9400.00	9302.00	...	9302.00
35. अन्य स्वायत्त निकाय	840.39	...	840.39	1117.07	...	1117.07	1131.82	...	1131.82	1209.01	...	1209.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	19154.48	...	19154.48	20046.07	...	20046.07	21901.98	...	21901.98	22343.97	...	22343.97
अन्य												
36. सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरवी)	5645.98	...	5645.98	5540.00	...	5540.00	5900.00	...	5900.00	6340.00	...	6340.00
37. भारत और विदेश में सामग्री की खरीद												
37.01 भारत और विदेशों में सामग्री की खरीद	352.88	...	352.88	380.00	...	380.00	380.00	...	380.00	383.00	...	383.00
37.02 घटाएं वसूलियां	-238.90	...	-238.90	-380.00	...	-380.00	-380.00	...	-380.00	-383.00	...	-383.00
निवल	113.98	...	113.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	93.62	62.62	156.24	96.00	...	96.00	96.64	15.45	112.09	101.55	0.01	101.56
39. अन्य विविध व्यय	165.92	...	165.92	377.59	...	377.59	139.77	...	139.77	237.25	...	237.25
40. वास्तविक वसूलियाँ (अन्य)	-273.25	...	-273.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	5746.25	62.62	5808.87	6013.59	...	6013.59	6136.41	15.45	6151.86	6678.80	0.01	6678.81
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	25418.80	62.62	25481.42	26644.31	...	26644.31	28531.54	15.45	28546.99	29517.69	0.01	29517.70
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
41. आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सीबल पूल												
41.01 आर. सी. एच. और स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	35755.38	0.38	35755.76	38632.80	0.55	38633.35	34388.54	0.27	34388.81	39321.00	0.27	39321.27
41.02 घटाएं वसूलियां	-4214.25	...	-4214.25	-9043.19	...	-9043.19	-4941.31	...	-4941.31	-7946.34	...	-7946.34
41.03 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	143.52	...	143.52	419.76	...	419.76	419.76	...	419.76	445.07	...	445.07
41.04 प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) में अंतरण	...	...	...	3373.12	...	3373.12	15000.00	...	15000.00	20000.00	...	20000.00
41.05 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	...	...	...	-3373.12	...	-3373.12	-15000.00	...	-15000.00	-20000.00	...	-20000.00
निवल	31684.65	0.38	31685.03	30009.37	0.55	30009.92	29866.99	0.27	29867.26	31819.73	0.27	31820.00
42. अवसंरचना रखरखाव												
42.01 अवसंरचना रखरखाव	6997.59	...	6997.59	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00	7350.00	...	7350.00
42.02 पीएमएसएसएन में अंतरण	...	...	...	3430.62	...	3430.62	3430.62	...	3430.62	4000.00	...	4000.00
42.03 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	...	...	...	-3430.62	...	-3430.62	-3430.62	...	-3430.62	-4000.00	...	-4000.00
निवल	6997.59	...	6997.59	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00	7350.00	...	7350.00
43. एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण	206.72	...	206.72	217.00	...	217.00	232.81	...	232.81	220.00	...	220.00
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	38888.96	0.38	38889.34	37226.37	0.55	37226.92	37099.80	0.27	37100.07	39389.73	0.27	39390.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
44. राज्य औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करना	48.32	...	48.32	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
45. तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम	287.72	...	287.72	478.54	5.00	483.54	295.00	...	295.00	481.00	9.00	490.00
46. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन												
46.01 स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	442.00	...	442.00	1675.00	...	1675.00	1630.00	...	1630.00	1725.00	...	1725.00
46.02 पीएमएसएसएन में अंतरण	107.33	...	107.33	1475.00	...	1475.00	1475.00	...	1475.00	1725.00	...	1725.00
46.03 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	...	...	...	-1475.00	...	-1475.00	-1475.00	...	-1475.00	-1725.00	...	-1725.00
निवल	549.33	...	549.33	1675.00	...	1675.00	1630.00	...	1630.00	1725.00	...	1725.00
47. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमबीएचआईएम)	2086.34	...	2086.34	4200.00	...	4200.00	2442.50	...	2442.50	4200.00	...	4200.00
48. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई)												
48.01 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन (पीएमजय)	6982.80	...	6982.80	9400.00	1.00	9401.00	8995.00	...	8995.00	9499.00	1.00	9500.00
48.02 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
48.03 पीएमएसएसएन में अंतरण	7059.47	...	7059.47	9400.00	...	9400.00	8495.00	...	8495.00	5000.00	...	5000.00
48.04 पीएमएसएसएन से प्राप्त राशि	-6863.63	...	-6863.63	-9400.00	...	-9400.00	-8495.00	...	-8495.00	-5000.00	...	-5000.00
निवल	7178.64	...	7178.64	9405.00	1.00	9406.00	9000.00	...	9000.00	9499.00	1.00	9500.00
49. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)												
49.01 पीएमएसएसएन में अंतरण	7271.74	...	7271.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49.02 पीएमएसएसएन से पूरी की गई राशि	-6757.62	...	-6757.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	514.12	...	514.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-275.17	...	-275.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	49278.26	0.38	49278.64	53034.91	6.55	53041.46	50467.30	0.27	50467.57	55294.73	10.27	55305.00
कुल जोड़	84974.51	2325.66	87300.17	92333.43	3624.44	95957.87	90488.04	2437.82	92925.86	98780.91	2928.30	101709.21
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रि परिषद	0.69	...	0.69	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.13	...	2.13
2. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5643.35	...	5643.35	5540.00	...	5540.00	5900.00	...	5900.00	6340.00	...	6340.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	5644.04	...	5644.04	5542.00	...	5542.00	5902.00	...	5902.00	6342.13	...	6342.13
सामाजिक सेवाएं												
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	38133.96	...	38133.96	39690.82	...	39690.82	39826.37	...	39826.37	43324.49	...	43324.49
4. परिवार कल्याण	2179.36	...	2179.36	1536.97	...	1536.97	1498.88	...	1498.88	1524.74	...	1524.74
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
6. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	213.92	...	213.92	248.06	...	248.06	277.29	...	277.29	286.06	...	286.06
7. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	2301.73	2301.73	...	3420.64	3420.64	...	2340.85	2340.85	...	2815.05	2815.05

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		...	3.23	3.23	...	7.28	7.28	...	6.95	6.95	...	7.16	7.16
9.	आवासन पर पूंजीगत परिव्यय		...	13.29	13.29	...	133.00	133.00	...	33.00	33.00	...	43.05	43.05
10.	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	7.41	7.41	...	13.46	13.46	...	21.96	21.96	...	12.98	12.98
जोड़-सामाजिक सेवाएं			40527.24	2325.66	42852.90	41475.86	3574.38	45050.24	41602.54	2402.76	44005.30	45135.30	2878.24	48013.54
अन्य														
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	7250.64	...	7250.64	7015.60	...	7015.60	7321.11	...	7321.11
12.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		37310.14	...	37310.14	36482.35	...	36482.35	34346.85	...	34346.85	38289.43	...	38289.43
13.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		1493.09	...	1493.09	1582.58	...	1582.58	1621.05	...	1621.05	1692.94	...	1692.94
14.	सहायता सामग्री और उपस्कर		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय		...	...	...	...	50.06	50.06	...	35.06	35.06	...	50.06	50.06
जोड़-अन्य			38803.23	...	38803.23	45315.57	50.06	45365.63	42983.50	35.06	43018.56	47303.48	50.06	47353.54
कुल जोड़			84974.51	2325.66	87300.17	92333.43	3624.44	95957.87	90488.04	2437.82	92925.86	98780.91	2928.30	101709.21

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																								
1. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	...	35.27	35.27	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00
2. एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	...	2.54	2.54	...	54.83	54.83	...	2.67	2.67	...	2.80	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	2.80
3. गोवा प्रतिजीवी और भेषज लिमिटेड	...	1.90	1.90	...	3.00	3.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
4. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल)	...	14.52	14.52	...	...	...	...	21.13	21.13	...	22.18	22.18	...	22.18	22.18	...	22.18	22.18	...	22.18	22.18	...	22.18	22.18
जोड़	...	54.23	54.23	...	92.83	92.83	...	58.80	58.80	...	69.98	69.98	...	69.98	69.98	...	69.98	69.98	...	69.98	69.98	...	69.98	69.98

1.

सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
2.

निर्देशन एवं प्रशासन: यह चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है और देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना को एकत्र करने, प्रसंस्कृत करने एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है।
3.

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना: यह सांसदों, पूर्व-सांसदों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के अलावा यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधा केंद्रों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/इकाइयों के नेटवर्क के जरिए बहिरंग रोगी परिचर्या शामिल है।
4.

सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली: यह केंद्र सरकार का अस्पताल है जो चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। यह अपने परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी भी संचालित करता है। इस अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा कॉलेज वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज है।

5. **डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** यह एक केंद्रीय सरकार का अस्पताल जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, संसद सदस्यों आदि के लिए एक नर्सिंग होम है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्नातक छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक स्कूल ऑफ नर्सिंग भी चलाया जा रहा है। अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज है जो अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान से संबद्ध है।

6. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल:** इसे महिलाओं के लिए स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु, छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए और महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कॉलेज में संबद्ध अस्पताल अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय भी हैं। यह नर्सिंग स्कूल भी संचालित करता है जहां नर्सिंग एवं मिड-वार्डफ्री संबंधी पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** यह बच्चों के रोगों में विशेषज्ञता का अस्पताल है और इसका प्रबंधन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह बाल चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान में सुविधाएं तथा बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

8. **अन्य अस्पताल / संस्थान:** इसमें चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु प्रावधान है जैसे केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, रांची, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, आरएके नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, केंद्रीय/क्षेत्रीय कुछ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुडन्डी, चेन्नई, सीआरआई, कसौली, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) कोलकाता, बाल देखभाल प्रशिक्षण केंद्र (सीसीटीसी) सिंगूर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, मुंबई, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ आदि।

10. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें देश के कम सेवा वाले क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक देखभाल में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा क्षमता के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना के दो व्यापक घटक हैं: (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ख) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन। इस योजना के तहत अब तक 22 नए एम्स की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) की 75 उन्नयन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत छह एम्स (एम्स-भोपाल, एम्स-मुबनेश्वर, एम्स-जोधपुर, एम्स-पटना, एम्स-रायपुर और एम्स-ऋषिकेश) पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल द्वारा बाद के चरणों में 16 एम्स को स्वीकृति/मंजूरी दी गई, जिनमें से 12 एम्स अर्थात् एम्स गोरखपुर (यूपी), रायबरेली (यूपी), नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), मंगलागिरी (आंध्र प्रदेश), बीबीनगर (तेलंगाना), बठिंडा (पंजाब) देवघर (झारखंड), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), राजकोट (गुजरात), गुवाहाटी (असम), और एम्स विजयपुर (जम्मू) कार्यरत हैं। एम्स मदुरै (तमिलनाडु), दरभंगा (बिहार), अवंतीपुरा (कश्मीर) और रेवाड़ी (हरियाणा) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। उन्नयन कार्यक्रम में मोटे तौर पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से तृतीयक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार की परिकल्पना की गई है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की 71 उन्नयन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

11. **राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो अपने 5वें चरण (2021-2026) में है। इसके अंतर्गत एचआईवी/एड्स और यौन संचारित संक्रमणों से निपटने के लिए रणनीतियाँ लागू की जा रही हैं। विधिवत रूप से लागू की जा रही प्रमुख रणनीतियाँ इस प्रकार हैं: (क) रोकथाम, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उच्च जोखिम वाले समूहों (एचआरजी) और ब्रिज आबादी के लिए लक्षित हस्तक्षेप, (ii) 4571 आईसीटीसी में एचआईवी के लिए एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण, जिसमें माता-पिता से बच्चे में संक्रमण की रोकथाम भी शामिल है, (iii) लिंक वर्कर योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, (iv) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एचआरजी, कमजोर समूहों और आम जनता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ। (ख) 840 एंटी-रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) केंद्रों और 1337 लिंकड-एआरटी केंद्रों के माध्यम से एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) को आजीवन निःशुल्क उपचार प्रदान करना। (ग) रणनीतिक सूचना प्रबंधन, एचआईवी की निगरानी और सेवा वितरण के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की क्षमता निर्माण। तथा (घ) रणनीतिक सूचना प्रबंधन हेतु क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। (बीटीएस) में देश भर में रजिस्टर्ड 4500 से ज़्यादा ब्लड सेंटर शामिल हैं। सरकारी/एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर के ब्लड सेंटर में से 1131 जीएचएस निदेशालय द्वारा सहायता प्राप्त हैं जो ब्लड सेंटर हॉस्पिटल बेस्ड या अगल हो सकते हैं। बीटीएस में निम्नलिखित शामिल हैं - 26 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, 34 मॉडल ब्लड सेंटर, 367 ब्लड कंपोनेंट सेपरेटिंग यूनिट (बी सी यू एस), 186 मेजर ब्लड सेंटर, 544 डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लड बैंक (डीएलबीबी)। एनबीटीसी देश के लिए संधारणीय और सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के ऑर्गनाइजेशन, प्रचालन, मानक और प्रशिक्षण से जुड़े सभी मामलों के लिए पॉलिसी बनाने वाली सबसे बड़ी निकाय है।

12. **कोविड 19 रेस्पॉस मैकेनिज्म 2021 के अंतर्गत वैश्विक निधि अनुदान (ईएपी):** वैश्विक निधि मोबाइल पीएसए इकाइयों, एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस, दबाव स्विंग सोखने वाले संयंत्र, ट्रेनिंग कैबुल बूस्टर पंप, सिलेंडर रिफिलिंग बूस्टर पंप के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डी प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और ऑक्सीजन प्रबंधन और प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए 100% अनुदान प्रदान कर रहा है।

13. **परिवार कल्याण योजनाएं:** इस योजना में स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, सामाजिक विपणन तथा निःशुल्क सवितरण हेतु गर्भनिरोधकों की खरीद, एनएसवी/रिकेनेलाइजेशन तकनीकों में डॉक्टरों के प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है।

14. **एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण एवं स्वास्थ्य पहल- जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** इस योजना में जन स्वास्थ्य महत्व के संचारी/संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण और अन्य स्वास्थ्य पहलों के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में जानकारी को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्टतम केंद्र के रूप में परिकल्पना की गई है।

15. **राष्ट्रीय भेषज सतर्कता कार्यक्रम:** इसमें केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रावधान है जिसका उद्देश्य भारत में सामान्यतः निर्धारित दवाओं के प्रति प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) एकत्रित करना है तथा देश में नई दवाओं के आने के बाद उनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा पर डाटा बेस बनाए रखना है।

16. **उपचर्या सेवाओं का विकास:** इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजना का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिचर्या कर्मियों को परिचर्या शिक्षा, प्रशासन में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के क्रम में नर्सों को प्रशिक्षण देना तथा नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नर्सिंग कालेज करने के लिए नर्सिंग स्कूलों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना/ उनका उन्नयन करना है।

17. **स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास:** इस योजना को आपदाओं के स्वास्थ्य पहलुओं से निपटने के लिए मानव संसाधन में क्षमता निर्माण, अस्पतालों हेतु आपदा समुत्थानशीलता के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक पहलों में क्षमता निर्माण, जोखिम में कमी के लिए जागरूकता सृजन करना जोखिम संचार को बढ़ावा देने और संवेदनशील राज्यों/जिलों में पहचान किए गए अस्पतालों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपदाओं के चिकित्सा पहलुओं से निपटने के लिए विशेष क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

18. **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत अंग प्रत्यारोपण हेतु पात्र मामलों के लिए अंग की खरीद करने तथा उनके वितरण की प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपलब्ध है।

20. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (स्वास्थ्य):** यह माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए कतिपय केंद्रीय क्षेत्र के घटक के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम एबीएचआईएम के उपाय के तहत वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी स्तरों पर देखभाल की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

21. **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के एक डिजिटल घटक के रूप में 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से न्यायसंगत, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।

22. **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम:** इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने हेतु व्यवस्था की गई है, जो प्रभावशाली, सर्वसुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध रूप से और सुरक्षित तरीके से डाटा की विस्तृत रेंज, सूचना और अवसरचना सेवाओं के प्रावधान, जैसे खुले, अंतर प्रचालनीय, मानकों पर आधारित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करता है।

23. **संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों के लिए स्कीम (एएचपीएस):** मौजूदा संस्थानों की उन्नयन सहायता के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों में एएचपी आदि को प्रशिक्षण देने के लिए नए संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना।

25. **विनियामक और संवैधानिक निकाय:** इसमें विभाग के विभिन्न विनियामक निकाय शामिल हैं, जैसे कि (i) भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई)- इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। (ii) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) - यह भारतीय भेषज संग्रह और उसका परिशिष्ट प्रकाशित करने, भारतीय भेषज संग्रह संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) और अशुद्धता मानक तैयार करने तथा उन्हें वैध करने और औषधि विशेषक, औषधि निरीक्षकों तथा स्टोकहोल्डरों आदि का कौशल विकास का कार्य करता है। (iii) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) - यह सांविधिक निकाय है जिसे भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित करने और बनाए रखने तथा चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों को पंजीकृत करती है ताकि चिकित्सा पद्धति में समुचित मानक सुनिश्चित करके जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

(iv) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) - यह संपूर्ण भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के पेशे को विनियमित करने हेतु संसद के अधिनियम अर्थात दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के अंतर्गत समावेशित एक सांविधिक निकाय है। (v) भारतीय फार्मसी परिषद (पीसीआई) - यह स्नातक स्तर तक फार्मसी शिक्षा तथा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु एवं फॉर्मासिस्ट के रूप में अर्हता के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु शासित एक सांविधिक निकाय है। (vi) भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) - यह नर्सों, मिडवाइव और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के एक समान मानदंड स्थापित करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय है।

(vii) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (एनएएमएस) - यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत गठित ऐसा उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करता है और उपयोग में लाता है। (viii) राष्ट्रीय चिकित्सा बोर्ड (एनबीई) - यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देश में अपनी ही तरह का एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मानदंड स्थापित करके तथा उनके स्तर को उत्कृष्ट करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

26. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न विषयों पर प्रयोग और अनुसंधान करने के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र इससे जुड़ा हुआ है।

27. **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। इसके कार्य भी एम्स, नई दिल्ली के कार्यों के समान ही है, किन्तु इसकी स्थापना स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए की गई है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अस्पताल सेवाओं का केंद्र है।

28. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी:** यह संस्थान शिक्षा, रोगी आधारित विशेष अनुसंधान, जनसमुदाय स्वास्थ्य एवं सेवा उत्कृष्टता द्वारा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से दयालु, नैतिकता से परिपूर्ण स्वास्थ्य व्यवसायी को विकसित करना तथा स्वास्थ्य उपचार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान करना है।

29. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु:** यह मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह संस्थान एक मानद विश्वविद्यालय है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में इस क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।

30. **इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग:** इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को विशेष चिकित्सीय परिचर्या उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित चिकित्सा जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

31. **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल:** इम्फाल में स्थापित यह एक चिकित्सा संस्थान है, जिसमें 1315 विस्तरों वाला अस्पताल है, जो आधुनिक उपकरणों और शिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित है। इसकी प्रवेश क्षमता 125 एमबीबीएस, 50 बीडीएस, 50 बीएससी नर्सिंग, 10 बीएसएलपी, 15 बीएससी (एमएलटी), 5 बीएससी (एमआरआईटी), 6 एमफिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी), 10 एमएससी नर्सिंग, 166 स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा सीटें और 5 सुपर सुपरस्पेशलिटी सीटें हैं, जिनमें 2 एमसीएच (यूरोलॉजी), 1 एमसीएच (प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव

सर्जरी) और 2 डीएम (नेफ्रोलॉजी) शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, यह पीएचडी कार्यक्रम भी प्रदान करता है, और पूरे भारत से छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाता है।

32. **क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं उपचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल:** इस संस्थान की मौजूदा 5 डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने के लिए 9वें आरआईपीएस (क्षेत्रीय पैरा-मेडिकल विज्ञान संस्थान) के रूप में पहचान की गई है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को नर्सिंग, फार्मसी और पैरा-मेडिकल विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध कराना है।

33. **लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर:** यह पूर्वोत्तर में प्रमुख तृतीयक मनोचिकित्सा परिचर्या संस्थान है। यह संस्थान संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। रोगी परिचर्या सेवाओं के अलावा संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है।

34. **नए एम्स की स्थापना पर व्यय:** इसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों पर 22 नए एम्स स्थापित करने के लिए स्थापना व्यय का प्रावधान किया गया है।

35. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें विभिन्न स्वायत्त निकायों अर्थात् राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान (एनआईटीआरडी), नई दिल्ली, बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा, सीएनसीआई, कोलकाता, अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुल्लू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई और चिकित्सा विज्ञान संस्थान - बीएचयू, वाराणसी आदि के लिए प्रावधान है।

36. **सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी):** इसमें सीजीएचएस पेंशनभोगियों और पूर्व सांसदों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उप राष्ट्रपतियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च का प्रावधान है।

37. **भारत और विदेश में सामग्री की खरीद:** इसके तहत सरकारी अस्पतालों की जरूरत को पूरा करने के लिए चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा औषध, औषधियों एवं उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है।

38. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसायटी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समिति को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान तथा अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों पर अन्य व्यय का प्रावधान है।

39. **अन्य विविध व्यय:** इसमें विविध गैर-योजना संबंधी व्यय अर्थात् सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाओं, चोट या मृत्यु के कारण पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान, हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की खरीद, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आदि का प्रावधान है।

41. **आरसीएच और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सीबल पूल:** यह राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत योजना और समुत्थानशील प्रोग्रामिंग का समर्थन करने के लिए राज्यों को अंतरण का प्रावधान करता है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिणामों और समुदाय आधारित निगरानी और मूल्यांकन पर ध्यान देने के साथ राज्य और जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) का विकास शामिल है। मिशन के तहत गतिविधियों में वेक्टर जनित रोगों, टीबी और कुछ रोग

आदि पर नियंत्रण सहित ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसमें शहरी गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान देने के साथ शहरी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के लिए अंतरण भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत हुए आबंटन में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम- जनमन): योजना के लिए सं. अ. 2025-26 में 145.96 करोड़ रुपये और व.अ. 2026-27 में 154.76 करोड़ रुपये शामिल हैं।

42. **अवसंरचना रखरखाव:** यह योजना निर्देशन और प्रशासन (राज्य और जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो), उप-केंद्र, शहरी परिवार कल्याण केंद्र, शहरी सुधार योजना (स्वास्थ्य पदों), सहायक और नर्सिंग मिडवाइफ (एएनएम) और महिला स्वास्थ्य आगंतुक (एलएचवी) प्रशिक्षण स्कूल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र और बहुउद्देश्यीय श्रमिकों (पुरुष) का प्रशिक्षण के लिए वेतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। यह व्यवस्था जारी रहेगी। हालाँकि, इस घटक के तहत किसी भी नए स्वास्थ्य उप-केंद्र (एसएचसी) या स्वास्थ्य पदों का समर्थन केवल भारत सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आबंटन में 2025-26 में संशोधित अनुमान 42.53 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) हेतु 2026-27 में बजट अनुमान 46.23 करोड़ रुपये किया गया है।

43. **एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण:** इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, परिचालन अनुसंधान, अन्य संस्थानों से तकनीकी सहायता की आवश्यकता प्रदान करने का प्रावधान है।

45. **तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम:** इसमें तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजनाओं जैसे तंबाकू नियंत्रण और नशा मुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ट्रॉमा केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और टेली मेडिसिन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अंतरण की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रावधान है।

46. **स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन:** यह नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों का उन्नयन) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विधायिका के साथ स्थानांतरण का प्रावधान करता है और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि आदि का प्रावधान करता है। यह राज्यों को स्थानांतरण, नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र और योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में नए कॉलेज ऑफ नर्सिंग (कॉन) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

47. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम):** यह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार के उपायों की शृंखला के हिस्से के रूप में घोषित स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों में कतिपय केंद्रीय क्षेत्र के घटक संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम एबीएचआईएम के तहत उपायों में वर्तमान और भविष्य की महामारियों / आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

48. **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):** विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना होने के नाते, एबी पीएम-जेएवाई का लक्ष्य देश के गरीब और कमजोर लोगों को द्वितीय और तृतीय मामले में अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। प्रारंभ में, इस योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों के साथ, लाभार्थी आधार को देश भर में 37 लाख आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) / आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) और लगभग 4.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करके आगे बढ़ाया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3382.98	0.95	3383.93	3899.43	1.26	3900.69	3926.17	1.47	3927.64	4819.40	1.81	4821.21
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3382.98	0.95	3383.93	3899.43	1.26	3900.69	3926.17	1.47	3927.64	4819.40	1.81	4821.21
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.78	0.89	42.67	44.12	1.15	45.27	45.37	1.36	46.73	50.05	1.75	51.80
2. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण	17.44	0.06	17.50	18.64	0.11	18.75	17.87	0.11	17.98	24.94	0.06	25.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	59.22	0.95	60.17	62.76	1.26	64.02	63.24	1.47	64.71	74.99	1.81	76.80
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास												
3. महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना	60.99	...	60.99	57.24	...	57.24	57.24	...	57.24	70.00	...	70.00
4. स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	80.00	...	80.00	150.18	...	150.18	175.00	...	175.00	171.35	...	171.35
5. महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास /समर्थन	8.00	...	8.00	3.49	...	3.49	3.67	...	3.67	...	...	...
जोड़-स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना विकास	148.99	...	148.99	210.91	...	210.91	235.91	...	235.91	241.35	...	241.35
6. मानव संसाधन तथा क्षमता विकास	124.06	...	124.06	149.77	...	149.77	152.02	...	152.02	152.00	...	152.00
7. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण	181.15	...	181.15	350.49	...	350.49	325.00	...	325.00	351.06	...	351.06
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	454.20	...	454.20	711.17	...	711.17	712.93	...	712.93	744.41	...	744.41
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली	2869.56	...	2869.56	3125.50	...	3125.50	3150.00	...	3150.00	4000.00	...	4000.00
कुल जोड़	3382.98	0.95	3383.93	3899.43	1.26	3900.69	3926.17	1.47	3927.64	4819.40	1.81	4821.21

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	3341.20	...	3341.20	3703.64	...	3703.64	3725.63	...	3725.63	4585.10	...	4585.10
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	41.78	...	41.78	44.12	...	44.12	45.37	...	45.37	50.05	...	50.05
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.06	0.06	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11	...	0.06	0.06
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.89	0.89	...	1.15	1.15	...	1.36	1.36	...	1.75	1.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3382.98	0.95	3383.93	3747.76	1.26	3749.02	3771.00	1.47	3772.47	4635.15	1.81	4636.96
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	151.67	...	151.67	155.17	...	155.17	184.25	...	184.25
जोड़-अन्य	...	...	...	151.67	...	151.67	155.17	...	155.17	184.25	...	184.25
कुल जोड़	3382.98	0.95	3383.93	3899.43	1.26	3900.69	3926.17	1.47	3927.64	4819.40	1.81	4821.21

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
2. **स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण:** प्रभावी लागत, सुरक्षा एवं इकटिटी सहित प्रभावी नैदानिक, आर्थिक विचार का मूल्यांकन करने हेतु स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी निर्धारण प्रणाली प्रदान करना |
3. **महामारियों और राष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला के नेटवर्क की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य वायरल महामारी का प्रबंधन तथा उत्पन्न और पुनःउत्पन्न होने वाले वायरल संक्रमण के लिए समय पर निदान सुनिश्चित करना है।
4. **स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास:** इस योजना में राजकीय चिकित्सा कॉलेजों में बहु-विषयक अनुसंधान इकाइयों और राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।
5. **महामारियों के फैलने को रोकने के लिए उपकरणों का विकास /समर्थन:** महामारी फैलने से रोकने के लिए उपकरणों/सहायता के विकास करने और महामारी फैलने के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रावधान।
6. **मानव संसाधन तथा क्षमता विकास:** यह प्रावधान निम्नलिखित के लिए हैं (i) स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु मानव संसाधन विकास की योजना के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्ति; (ii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन सहित स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रशासन मुद्दों के लिए अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण हेतु सहायता अनुदान योजना और (iii) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना ।
7. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)- जैव सुरक्षा तत्परता तथा एक स्वास्थ्य हेतु महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्र और राष्ट्रीय संस्थानों और मंच का सुदृढीकरण:** पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत जैव सुरक्षा तत्परता और

महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों और एकल स्वास्थ्य मंच को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान घटकों का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने का प्रावधान ।

8. **भारतीय आसुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद; नई दिल्ली:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वय और सूत्रबद्ध करने के लिए देश का एक शीर्षस्थ निकाय है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य, पोषण, गैरसंचारी रोग और आधारभूत अनुसंधान में शोध हेतु परिषद को अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सूचना के प्रकाशन तथा प्रसार पर भी शोध कार्य करती है।

भारी उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 48

भारी उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2685.00	1.55	2686.55	7178.23	502.00	7680.23	4791.27	502.58	5293.85	7937.08	2.82	7939.90
वसूलियां	-38.58	...	-38.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2646.42	1.55	2647.97	7178.23	502.00	7680.23	4791.27	502.58	5293.85	7937.08	2.82	7939.90
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	39.46	1.55	41.01	39.56	1.80	41.36	42.83	2.38	45.21	43.00	2.62	45.62
	-0.25	...	-0.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	39.21	1.55	40.76	39.56	1.80	41.36	42.83	2.38	45.21	43.00	2.62	45.62
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
2. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	171.62	...	171.62	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	125.36	...	125.36
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण-(फेम इंडिया) हेतु योजना	1113.95	...	1113.95	...	...	...	1181.26	...	1181.26	...	...	...
4. अभिनव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन	993.05	...	993.05	4000.00	...	4000.00	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00
5. सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और प्रचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)	4.92	...	4.92	10.00	500.00	510.00	10.00	500.00	510.00	12.00	...	12.00
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
6. ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना	325.35	...	325.35	2818.85	...	2818.85	2091.26	...	2091.26	5939.87	...	5939.87
7. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	12.28	...	12.28	155.76	...	155.76	13.31	...	13.31	86.01	...	86.01
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	337.63	...	337.63	2974.61	...	2974.61	2104.57	...	2104.57	6025.88	...	6025.88
8. निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के संवर्द्धन के लिए योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
9. वास्तविक वसूलियां	-38.33	...	-38.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2582.84	...	2582.84	7104.61	500.00	7604.61	4715.83	500.00	5215.83	7863.24	...	7863.24
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)	18.89	...	18.89	20.03	...	20.03	20.60	...	20.60	22.04	...	22.04
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	1.00	...	1.00	2.03	0.20	2.23	3.01	0.20	3.21	2.03	0.20	2.23
अन्य												
12. भारत में इलेक्ट्रिक यंत्री कारों के उत्पादन संवर्धन की योजना (एसएमईएस)	4.48	...	4.48	12.00	...	12.00	9.00	...	9.00	6.77	...	6.77
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	24.37	...	24.37	34.06	0.20	34.26	32.61	0.20	32.81	30.84	0.20	31.04
कुल जोड़	2646.42	1.55	2647.97	7178.23	502.00	7680.23	4791.27	502.58	5293.85	7937.08	2.82	7939.90
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2607.21	...	2607.21	7138.67	...	7138.67	4748.44	...	4748.44	7894.08	...	7894.08
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	39.21	...	39.21	39.56	...	39.56	42.83	...	42.83	43.00	...	43.00
3. अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.55	1.55	...	1.80	1.80	...	2.38	2.38	...	2.62	2.62
6. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
7. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	500.08	500.08	...	500.08	500.08	...	0.08	0.08
8. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2646.42	1.55	2647.97	7178.23	502.00	7680.23	4791.27	502.58	5293.85	7937.08	2.82	7939.90
कुल जोड़	2646.42	1.55	2647.97	7178.23	502.00	7680.23	4791.27	502.58	5293.85	7937.08	2.82	7939.90

(₹ करोड़)

	बजट 2026-2027			बजट 2026-2027			बजट 2026-2027			बजट 2026-2027		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	536.00	536.00	...	234.00	234.00	...	304.00	304.00	...	310.00	310.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	...	...	...	0.09	...	0.09	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
4. एचएमटी लिमिटेड	...	3.43	3.43	0.02	7.03	7.05	0.02	10.57	10.59	0.02	11.95	11.97
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
6. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	8.25	8.25	...	36.50	36.50	0.01	35.82	35.83	0.01	35.00	35.01
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.32	0.32	...	1.50	1.50	0.01	4.12	4.13	0.01	5.00	5.01
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.07	0.07	...	0.50	0.50	0.01	1.50	1.51	0.01	2.00	2.01
9. त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	3.39	3.39	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
10. रिचर्डसन एंड ब्रूडस लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.35	0.35	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12. नेपा लिमिटेड	...	...	...	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	23.88	23.88	0.01	38.77	38.78	...	38.77	38.77	...	24.75	24.75
15. हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...
17. भारतीय टायर निगम	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	...	575.69	575.69	500.20	324.30	824.50	500.20	398.78	898.98	0.20	392.70	392.90

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवाओं के अवसंरचना को सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत छह घटक हैं, अर्थात्, (i) प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान, (ii) उत्कृष्टता के चार नए उन्नत केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्धन, (iii) पूंजीगत सामान क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए योग्यता पैकेज का निर्माण, (iv) चार सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का संवर्धन, (v) मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का संवर्धन और (vi) प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग त्वरकों की स्थापना।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण-(फेम इंडिया) हेतु योजना:** इस योजना के माध्यम से, विभाग ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएएमपी) स्कीम 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की पहल की है।

4. **अभिनव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन:** इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) को अपनाने में तेजी लाना, मजबूत चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना और देश में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकीतंत्र को मजबूत करना है।

5. **सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और प्रचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम):** इस योजना का उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीएस) द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

6. **ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत अक्षमताओं से उबरना, किफायती उत्पादन (इकोनोमी ऑफ स्केल) को प्रोत्साहित करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति

श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी सृजित होंगे। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग की मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में अंतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी तथा यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगी।

7. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)

योजना: एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि हासिल करने की संभावना है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मनिर्भर भारत पहल में सहायता करेगी।

8. निर्माण और अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के संवर्द्धन के लिए योजना: उच्च मूल्य के और तकनीकी रूप से उन्नत

सीआईई के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए स्कीम जिससे सीआईई विनिर्माण में के वैश्विक हब के रूप में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी।

10. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई): सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो मुख्य रूप से

विनिर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए जानकारी का उपयोग करने तथा देश में तकनीकी विकास में सहायता करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।

11. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता में एचएसएल के

पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान, निवेश और अन्य सहायता, इसके नमक उत्पादन को बढ़ाने और मशीनरी, अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण के लिए है। इसके अतिरिक्त वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और सांविधिक बकाया का भुगतान, आपूर्तिकर्ता संविदाकारों/उपयोगिताओं के बकाया का भुगतान सहित सीपीएसई/कृणों में निवेश के लिए निधि का प्रावधान किया गया है।

12. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के उत्पादन संवर्धन की योजना (एसएमईएस): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण

को बढ़ावा देने की योजना (एस.एम.ई.सी.) वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ई.वी.) निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के लिए विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगी और भारत को ई. वी. के निर्माण के लिए वैश्विक मानचित्र पर रखने, रोजगार पैदा करने और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 49

गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5425.14	269.63	5694.77	4161.22	395.97	4557.19	7199.71	280.44	7480.15	9878.54	508.81	10387.35
वसूलियां	-22.32	...	-22.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5402.82	269.63	5672.45	4161.22	395.97	4557.19	7199.71	280.44	7480.15	9878.54	508.81	10387.35
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	728.35	55.11	783.46	651.36	97.80	749.16	844.43	46.61	891.04	864.51	72.65	937.16
2. राजभाषा	73.67	2.45	76.12	89.35	6.49	95.84	90.84	6.22	97.06	94.01	4.15	98.16
3. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)	1695.42	109.55	1804.97	1779.54	143.05	1922.59	1818.01	110.31	1928.32	1888.34	113.80	2002.14
	2497.44	167.11	2664.55	2520.25	247.34	2767.59	2753.28	163.14	2916.42	2846.86	190.60	3037.46
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय												
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास	590.85	...	590.85	123.66	...	123.66	123.77	...	123.77	93.14	...	93.14
5. स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन एवं अन्य लाभ)	601.52	...	601.52	588.00	...	588.00	587.95	...	587.95	589.97	...	589.97
6. हेलिकाप्टर सेवाएं												
6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00	116.76	...	116.76	94.19	...	94.19
6.02 लद्दाख	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
6.03 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	4.83	...	4.83	5.00	...	5.00	5.24	...	5.24	6.01	...	6.01
जोड़- हेलिकाप्टर सेवाएं	114.83	...	114.83	99.00	...	99.00	126.00	...	126.00	106.20	...	106.20
आपदा प्रबंधन												
7. आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना	...	81.29	81.29	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00
8. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	1.04	...	1.04	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04
जोड़-आपदा प्रबंधन	1.04	81.29	82.33	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00	0.04	100.00	100.04
9. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना	13.71	...	13.71	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
10. भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना	51.78	...	51.78	73.42	...	73.42	45.00	...	45.00	50.00	...	50.00
11. संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों का समग्र विकास	81.00	0.55	81.55	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1454.73	81.84	1536.57	904.09	100.00	1004.09	897.73	50.00	947.73	859.36	100.00	959.36
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	68.25	...	68.25	75.53	...	75.53	69.00	...	69.00	75.53	...	75.53
अन्य												
13. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई)	515.74	20.68	536.42	526.17	48.63	574.80	972.70	67.30	1040.00	5781.79	218.21	6000.00
14. अन्य केन्द्रीय विविध व्यय	250.14	...	250.14	64.17	...	64.17	160.00	...	160.00	154.93	...	154.93
15. वास्तविक वसूलियां	-20.91	...	-20.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	744.97	20.68	765.65	590.34	48.63	638.97	1132.70	67.30	1200.00	5936.72	218.21	6154.93
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	813.22	20.68	833.90	665.87	48.63	714.50	1201.70	67.30	1269.00	6012.25	218.21	6230.46
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
16. होम गार्ड	566.00	...	566.00	30.01	...	30.01	80.00	...	80.00	80.07	...	80.07
निवल	-0.57	...	-0.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	565.43	...	565.43	30.01	...	30.01	80.00	...	80.00	80.07	...	80.07
17. नागरिक रक्षा (सिविल डिफेंस)	32.00	...	32.00	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
18. केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
19. पूर्वोत्तर राज्यों की स्वायत्त परिषद को अनुदान	...	...	...	1.00	...	1.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
20. मणिपुर को विकास हेतु अनुदान	...	...	...	...	...	...	2198.00	...	2198.00	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	637.43	...	637.43	71.01	...	71.01	2347.00	...	2347.00	160.07	...	160.07
कुल जोड़	5402.82	269.63	5672.45	4161.22	395.97	4557.19	7199.71	280.44	7480.15	9878.54	508.81	10387.35
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रि परिषद	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	614.00	...	614.00	537.20	...	537.20	669.16	...	669.16	683.08	...	683.08
3. जेल	4.75	...	4.75	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	290.20	...	290.20	339.02	...	339.02	385.26	...	385.26	392.46	...	392.46
5. विविध सामान्य सेवाएं	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.55	0.55	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.43	59.43	...	115.46	115.46	...	94.18	94.18	...	269.40	269.40
जोड़-सामान्य सेवाएं	908.99	59.98	968.97	881.27	115.46	996.73	1059.47	94.18	1153.65	1080.59	269.40	1349.99

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सामाजिक सेवाएं												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	717.86	...	717.86	601.00	...	601.00	601.06	...	601.06	603.09	...	603.09
9. प्राकृतिक आपदा राहत	1967.03	...	1967.03	1868.20	...	1868.20	1979.46	...	1979.46	2056.25	...	2056.25
10. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	202.26	202.26	...	252.00	252.00	...	174.26	174.26	...	223.40	223.40
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2684.89	202.26	2887.15	2469.20	252.00	2721.20	2580.52	174.26	2754.78	2659.34	223.40	2882.74
आर्थिक सेवाएं												
11. नागर विमानन	110.00	...	110.00	94.00	...	94.00	120.76	...	120.76	100.19	...	100.19
12. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	81.00	...	81.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
13. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	499.69	...	499.69	509.86	...	509.86	956.39	...	956.39	5762.79	...	5762.79
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.39	7.39	...	28.51	28.51	...	12.00	12.00	...	16.01	16.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	690.69	7.39	698.08	603.87	28.51	632.38	1077.16	12.00	1089.16	5862.99	16.01	5879.00
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	16.31	...	16.31	16.31	...	16.31	19.00	...	19.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1113.42	...	1113.42	186.57	...	186.57	2461.02	...	2461.02	250.61	...	250.61
17. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.83	...	4.83	4.00	...	4.00	5.23	...	5.23	6.01	...	6.01
जोड़-अन्य	1118.25	...	1118.25	206.88	...	206.88	2482.56	...	2482.56	275.62	...	275.62
कुल जोड़	5402.82	269.63	5672.45	4161.22	395.97	4557.19	7199.71	280.44	7480.15	9878.54	508.81	10387.35

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड												
1. दिल्ली पुलिस हाउसिंग लिमिटेड	...	4.33	4.33	...	6.50	6.50	...	4.40	4.40	...	4.50	4.50
जोड़-दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	4.33	4.33	...	6.50	6.50	...	4.40	4.40	...	4.50	4.50
जोड़	...	4.33	4.33	...	6.50	6.50	...	4.40	4.40	...	4.50	4.50

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, वेतन एवं लेखा सचिवालय, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाले व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान निम्नलिखित के लिए हैं (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा पूर्ववर्ती पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार।

5. **स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन एवं अन्य लाभ):** इसमें (i) पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) पूर्ववर्ती निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को दी जाने वाली पेंशन शामिल है।

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सस्मिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **लद्दाख:** इसमें लद्दाख में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु सस्मिडी के भुगतान के लिए प्रावधान है।

6.03. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** इसमें जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए यह प्रावधान है।

7. **आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** यह प्रावधान (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा), (ii) आपदा संबंधी सूचना, शिक्षण और संचार (आईईसी) और प्रशिक्षण हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और (vi) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान पर व्यय हेतु है।

9. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू और कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

10. **भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना:** यह प्रावधान विभिन्न भाषाओं से हिन्दी तथा हिन्दी से विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की सुविधा के मंच के विकास के लिए भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हेतु है।

11. **संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों का समग्र विकास:** ग्रेटर निकोबार के द्वीपों के समग्र विकास हेतु प्रावधान।

12. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार (आरजीआई):** इसमें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए प्रावधान और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन. पी. आर.) और जनगणना, 2027 पर व्यय सहित आर. जी. आई. की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

14. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय अभिदायों, पूर्वोत्तर (एनई) के लिए विधि विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा (आईएस) और जेलों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित पहलों एवं श्रव्य/दृश्य फिल्मों आदि के माध्यम से सुधार संबंधी मामलों पर जागरूक करने हेतु, आपदा प्रतिरोधक संरचना सोसायटी (सीडीआरआईएस) के लिए गठबंधन के लिए प्रावधान शामिल हैं।

16. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

17. **नागरिक रक्षा (सिविल डिफेंस):** यह प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

18. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में केन्द्रीय अधिनियम सहित संबद्ध अधिकरण के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।

19. **पूर्वोत्तर राज्यों की स्वायत्त परिषद को अनुदान:** इसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कार्बी आंगलांग और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए प्रशासनिक अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त परिषद के लिए अनुदान का प्रावधान है।

20. **मणिपुर को विकास हेतु अनुदान:** वर्ष 2025-26 में मणिपुर को 2,898 रुपये का पैकेज प्रदान किया गया जिसमें विकास अनुदान के लिए 2,198 करोड़ रुपये (उच्च व्याज दर हड़को ऋण के पुनःभुगतान हेतु 633 करोड़ रुपये, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनःप्रतिष्ठा हेतु समर्थन के रूप में 523 करोड़ रुपये और मणिपुर में सीएपीएफ की विकास के लिए 500 करोड़ रुपये) और पूंजीगत निवेश (एसएएससीआई) योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये शामिल हैं।

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 50
मंत्रिमंडल

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	646.17	4983.94	5630.11	765.72	6396.84	7162.56	803.02	6313.44	7116.46	992.32	4224.80	5217.12
	वसूलियां	-2.39	-4666.77	-4669.16	...	-6138.26	-6138.26	...	-6138.26	-6138.26	...	-4115.12	-4115.12
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	643.78	317.17	960.95	765.72	258.58	1024.30	803.02	175.18	978.20	992.32	109.68	1102.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1.	पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता	1.24	...	1.24	1.80	...	1.80	1.40	...	1.40	1.53	...	1.53
	2. मंत्री परिषद	331.67	178.29	509.96	419.04	200.00	619.04	428.54	55.00	483.54	604.00	16.00	620.00
		-2.39	...	-2.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	329.28	178.29	507.57	419.04	200.00	619.04	428.54	55.00	483.54	604.00	16.00	620.00
3.	मंत्रिमंडल सचिवालय	69.52	2.83	72.35	73.08	2.60	75.68	74.59	3.41	78.00	77.07	2.93	80.00
	4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	117.43	4802.59	4920.02	127.51	6193.50	6321.01	163.93	6254.07	6418.00	166.34	4204.97	4371.31
		...	-4666.77	-4666.77	...	-6138.26	-6138.26	...	-6138.26	-6138.26	...	-4115.12	-4115.12
	निवल	117.43	135.82	253.25	127.51	55.24	182.75	163.93	115.81	279.74	166.34	89.85	256.19
5.	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	60.91	0.08	60.99	69.54	0.58	70.12	60.83	0.49	61.32	64.46	0.54	65.00
	6. प्रधानमंत्री का कार्यालय	61.42	0.15	61.57	70.75	0.16	70.91	67.53	0.47	68.00	73.16	0.36	73.52
	7. आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	3.98	...	3.98	4.00	...	4.00	6.20	...	6.20	5.76	...	5.76
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	643.78	317.17	960.95	765.72	258.58	1024.30	803.02	175.18	978.20	992.32	109.68	1102.00
कुल जोड़		643.78	317.17	960.95	765.72	258.58	1024.30	803.02	175.18	978.20	992.32	109.68	1102.00
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1.	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1.24	...	1.24	1.80	...	1.80	1.40	...	1.40	1.53	...	1.53
	2. मंत्री परिषद	638.56	...	638.56	759.92	...	759.92	795.42	...	795.42	985.03	...	985.03
	3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.98	...	3.98	4.00	...	4.00	6.20	...	6.20	5.76	...	5.76
	4. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	178.29	178.29	...	200.00	200.00	...	55.00	55.00	...	16.00	16.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	138.88	138.88	...	58.58	58.58	...	120.18	120.18	...	93.68	93.68
जोड़-सामान्य सेवाएं	643.78	317.17	960.95	765.72	258.58	1024.30	803.02	175.18	978.20	992.32	109.68	1102.00
कुल जोड़	643.78	317.17	960.95	765.72	258.58	1024.30	803.02	175.18	978.20	992.32	109.68	1102.00

2. **मंत्री परिषद:** यह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतनों, आतिथ्य तथा अन्य भत्तों तथा उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान है। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र उद्घान संचालन का प्रावधान भी शामिल है।

3. **मंत्रिमंडल सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रिमंडल सचिवालय तथा रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए है।

4. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है।

5. **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है।

6. **प्रधानमंत्री का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है।

7. **आतिथ्य और मनोरंजन व्यय:** इसमें विदेशी राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर प्रीतिभोज, प्रत्यय पत्र प्रदान करने के लिए अधिष्ठापन और समारोह पर होने वाले व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 51

पुलिस

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल		136379.57	11600.13	147979.70	144866.16	16579.21	161445.37	147180.69	16023.96	163204.65	153601.13	21272.50	174873.63
	वसूलियां		-1305.85	-39.03	-1344.88	-1054.29	-0.02	-1054.31	-917.91	-3.35	-921.26	-1071.07	-0.03	-1071.10
	प्राप्तियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल		135073.72	11561.10	146634.82	143811.87	16579.19	160391.06	146262.78	16020.61	162283.39	152530.06	21272.47	173802.53
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:														
केंद्र का व्यय														
केन्द्र का स्थापना व्यय														
1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल														
1.01	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल		33475.06	545.52	34020.58	34593.17	554.00	35147.17	36674.32	577.16	37251.48	37915.92	602.01	38517.93
1.02	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड		1068.02	27.89	1095.91	1215.15	59.48	1274.63	1196.83	69.18	1266.01	1301.85	120.62	1422.47
1.03	सीमा सुरक्षा बल		27273.57	664.96	27938.53	27598.98	632.29	28231.27	28933.12	634.71	29567.83	28881.84	685.80	29567.64
1.04	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस		9203.93	133.31	9337.24	10227.95	142.13	10370.08	9716.80	152.05	9868.85	11098.28	225.80	11324.08
1.05	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल		15326.37	54.03	15380.40	16018.58	66.25	16084.83	16271.74	105.27	16377.01	16720.02	108.83	16828.85
			-690.66	...	-690.66	-775.00	...	-775.00	-755.00	...	-755.00	-855.00	...	-855.00
	निवल		14635.71	54.03	14689.74	15243.58	66.25	15309.83	15516.74	105.27	15622.01	15865.02	108.83	15973.85
1.06	असम रायफल		7620.48	356.88	7977.36	7921.73	352.56	8274.29	7994.44	381.57	8376.01	8454.66	342.02	8796.68
1.07	सशस्त्र सीमा बल		9413.18	180.70	9593.88	10117.20	120.08	10237.28	10290.58	205.09	10495.67	10766.87	217.64	10984.51
1.08	विभागीय लेखांकन		168.01	2.85	170.86	190.22	2.28	192.50	185.59	2.71	188.30	199.65	2.49	202.14
	जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल		102857.96	1966.14	104824.10	107107.98	1929.07	109037.05	110508.42	2127.74	112636.16	114484.09	2305.21	116789.30
2.	आसूचना ब्यूरो		3707.12	306.07	4013.19	3662.59	230.76	3893.35	3902.10	257.01	4159.11	4232.89	2549.54	6782.43
3.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड		38.41	210.01	248.42	36.68	121.55	158.23	58.07	91.45	149.52	56.81	52.17	108.98
4.	विशेष रक्षा दल		457.57	74.65	532.22	430.00	59.00	489.00	452.68	66.92	519.60	424.99	75.00	499.99
5.	दिल्ली पुलिस		11595.91	537.25	12133.16	11315.63	616.03	11931.66	11761.61	644.09	12405.70	11881.55	622.10	12503.65
6.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस		8314.34	239.04	8553.38	8897.72	428.01	9325.73	8740.98	356.46	9097.44	9428.13	497.37	9925.50
7.	केंद्रीय पुलिस संगठन		1418.47	72.72	1491.19	1610.05	144.83	1754.88	1746.24	211.11	1957.35	1970.39	214.15	2184.54
8.	शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान		301.99	344.66	646.65	871.94	242.53	1114.47	527.28	138.67	665.95	756.06	152.72	908.78
9.	अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान		71.44	6.86	78.30	80.36	14.99	95.35	85.94	13.63	99.57	104.79	28.10	132.89

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. वास्तविक वसूली	-460.98	-38.73	-499.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	128302.23	3718.67	132020.90	134012.95	3786.77	137799.72	137783.32	3907.08	141690.40	143339.70	6496.36	149836.06
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
11. आईवीएफआरटी (आप्रवासन, बीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग)	199.97	...	199.97	250.00	...	250.00	200.00	...	200.00	245.00	...	245.00
12. बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिवर बोट और हेलीबैस	14.93	57.59	72.52	18.94	77.52	96.46	22.32	58.82	81.14	23.04	72.01	95.05
13. सीमा अवसंरचना और प्रबंधन												
13.01 रखरखाव और सीमा जांच चौकियां	304.05	...	304.05	359.32	...	359.32	321.92	...	321.92	310.00	...	310.00
13.02 पूंजी परिव्यय	...	3649.79	3649.79	...	5237.93	5237.93	...	5150.39	5150.39	...	5266.51	5266.51
जोड़- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन	304.05	3649.79	3953.84	359.32	5237.93	5597.25	321.92	5150.39	5472.31	310.00	5266.51	5576.51
14. पुलिस अवसंरचना												
14.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	1894.58	1894.58	...	4038.70	4038.70	...	3508.22	3508.22	...	5040.87	5040.87
14.02 दिल्ली पुलिस	...	233.61	233.61	...	327.50	327.50	...	162.51	162.51	...	342.50	342.50
14.03 स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	...	4.99	4.99	...	13.00	13.00	...	13.50	13.50	...	10.00	10.00
जोड़- पुलिस अवसंरचना	...	2133.18	2133.18	...	4379.20	4379.20	...	3684.23	3684.23	...	5393.37	5393.37
15. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
15.01 निर्भया निधि अंतरण	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00
15.02 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम और विविध योजनाएं	...	...	...	44.37	0.02	44.39	...	...	...	...	...	...
15.03 महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करी निवारण को मजबूत बनाना	...	...	...	19.58	...	19.58	...	...	...	...	...	...
15.04 महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए निर्भया निधि परियोजनाएं	26.03	0.30	26.33	...	...	...	29.56	0.02	29.58	91.01	0.02	91.03
15.05 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-26.03	-0.30	-26.33	-63.95	-0.02	-63.97	-29.56	-0.02	-29.58	-91.01	-0.02	-91.03
15.06 आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली	30.00	...	30.00	180.12	...	180.12	130.00	...	130.00	175.05	...	175.05
15.07 राष्ट्रीय फॉरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन	0.74	7.13	7.87	6.00	74.00	80.00	2.50	16.50	19.00	2.00	12.00	14.00
15.08 फॉरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	148.55	...	148.55	500.00	...	500.00	350.00	...	350.00	500.00	...	500.00
जोड़- महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	279.29	7.13	286.42	886.12	74.00	960.12	632.50	16.50	649.00	877.05	12.00	889.05
16. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV	16.52	102.72	119.24	62.91	290.01	352.92	47.40	563.39	610.79	91.48	252.18	343.66
17. अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली	108.62	...	108.62	300.20	...	300.20	300.01	...	300.01	550.00	...	550.00
18. जेलों का आधुनिकीकरण	43.62	...	43.62	300.00	...	300.00	252.00	...	252.00	300.00	...	300.00
19. गरीब कैदियों को सहायता	...	...	...	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
20. राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना	4.50	17.00	21.50	38.00	212.02	250.02	8.30	89.46	97.76	29.97	100.03	130.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम चरण -II (विविपी चरण-II)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.02	250.00	300.02
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	971.50	5967.41	6938.91	2220.49	10270.68	12491.17	1785.95	9562.79	11348.74	2478.56	11346.10	13824.66
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
22. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	327.70	...	327.70	341.00	...	341.00	279.00	...	279.00	336.00	...	336.00
23. राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय	85.00	...	85.00	120.00	...	120.00	138.81	...	138.81	145.00	...	145.00
24. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय	152.00	...	152.00	150.00	...	150.00	175.00	...	175.00	184.40	...	184.40
जोड़-स्वायत्त निकाय	564.70	...	564.70	611.00	...	611.00	592.81	...	592.81	665.40	...	665.40
अन्य												
25. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	65.24	...	65.24	115.24	1.00	116.24	107.69	...	107.69	100.00	0.01	100.01
26. कल्याण अनुदान और विविध	1199.28	...	1199.28	878.36	...	878.36	1422.65	...	1422.65	1090.00	...	1090.00
27. अनुसंधान	825.00	1875.02	2700.02	750.00	2520.74	3270.74	825.00	2550.74	3375.74	875.00	3000.00	3875.00
जोड़-अन्य	2089.52	1875.02	3964.54	1743.60	2521.74	4265.34	2355.34	2550.74	4906.08	2065.00	3000.01	5065.01
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	2654.22	1875.02	4529.24	2354.60	2521.74	4876.34	2948.15	2550.74	5498.89	2730.40	3000.01	5730.41
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
28. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
28.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस)	114.92	...	114.92	587.97	...	587.97	272.97	...	272.97	450.54	...	450.54
28.02 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	2788.18	...	2788.18	3481.27	...	3481.27	3006.56	...	3006.56	3180.80	430.00	3610.80
जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2903.10	...	2903.10	4069.24	...	4069.24	3279.53	...	3279.53	3631.34	430.00	4061.34
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम												
29. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	86.41	...	86.41	98.19	...	98.19	20.00	...	20.00	0.06	...	0.06
30. महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं)												
30.01 सुरक्षित शहर परियोजनाएं	78.61	...	78.61	215.34	...	215.34	133.35	...	133.35	125.00	...	125.00
30.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-85.32	...	-85.32	-215.34	...	-215.34	-133.35	...	-133.35	-125.00	...	-125.00
<i>निवल</i>	<i>-6.71</i>	<i>...</i>	<i>-6.71</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
31. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम	205.83	...	205.83	1056.40	...	1056.40	445.83	...	445.83	350.00	...	350.00
32. वसूली	-42.86	...	-42.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3145.77	...	3145.77	5223.83	...	5223.83	3745.36	...	3745.36	3981.40	430.00	4411.40
कुल जोड़	135073.72	11561.10	146634.82	143811.87	16579.19	160391.06	146262.78	16020.61	162283.39	152530.06	21272.47	173802.53
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पुलिस	132025.82	...	132025.82	138802.46	...	138802.46	142630.85	...	142630.85	149438.13	...	149438.13
2. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	11561.10	11561.10	...	15768.19	15768.19	...	15210.61	15210.61	...	20462.46	20462.46
जोड़-सामान्य सेवाएं	132025.82	11561.10	143586.92	138802.46	15768.19	154570.65	142630.85	15210.61	157841.46	149438.13	20462.46	169900.59
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1452.00	...	1452.00	3494.39	...	3494.39	2116.75	...	2116.75	2386.91	...	2386.91
4. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1595.90	...	1595.90	1515.02	...	1515.02	1515.18	...	1515.18	705.02	...	705.02
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	810.00	810.00	...	810.00	810.00	...	810.00	810.00
6. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	3047.90	...	3047.90	5009.41	811.00	5820.41	3631.93	810.00	4441.93	3091.93	810.01	3901.94
कुल जोड़	135073.72	11561.10	146634.82	143811.87	16579.19	160391.06	146262.78	16020.61	162283.39	152530.06	21272.47	173802.53

1.

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल: यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।
2.

आसूचना ब्यूरो: यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों पर जानकारी एकत्र और विश्लेषण करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
3.

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड: यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटाबेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।
4.

विशेष रक्षा दल: इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री,पूर्व प्रधानमंत्रियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को करीबी सुरक्षा प्रदान करता है।
5.

दिल्ली पुलिस: दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका उत्तरदायित्व शहर में यातायात प्रबंधन भी है। इस प्रावधान में नियमित खर्चों के साथ-साथ एनसीआर महानगरों में
- यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिगनल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च शामिल हैं।
6.

जम्मू एवं कश्मीर पुलिस: यह प्रावधान जम्मू -कश्मीर पुलिस के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये है |जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को बनाए रखने और लागू करने के लिये जिम्मेदार है |
7.

केंद्रीय पुलिस संगठन: यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अश्रु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।
8.

शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान: इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है अर्थात; (क) प्रशिक्षण हस्तक्षेप , (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना (ग) राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी आदि।'
9.

अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान: यह फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। यह प्रावधान केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव

संसाधन विकास और अनुसंधान तथा विकास योजनाओं और क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और डीएनए केंद्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है।

11. **आईवीएफआरटी (आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है, जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

12. **बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिचर बोट और हेलीबेस:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

13.01. **रखरखाव और सीमा जांच चौकियां:** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्य और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल हैं।

13.02. **पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ऑबजर्वेशन पोस्ट टावर (ओपी टावर) के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमा चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

14.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना शिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

14.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

14.03. **स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** यह प्रावधान क्षमता निर्माण, विशेष उपकरण और अनुचित नशीली पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए प्रवर्तन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए है।

15. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** इस योजना के अंतर्गत यह प्रावधान लोक लेखा और व्यय संबंधी निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने और महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करी की रोकथाम को सुदृढ़ करने, आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली, राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर स्थापित करने और फोरेंसिक क्षमता के आधुनिकीकरण सहित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए है।

16. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV:** यह प्रावधान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों से लैस करने के लिए आधुनिकीकरण योजना IV पर खर्च के लिए है।

17. **अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली:** यह प्रावधान अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली पर खर्च के लिए है जिसका उद्देश्य पुलिस, अदालतों, अभियोजन पक्ष, जेलों और फोरेंसिक एजेंसियों के बीच निर्बाध डेटा साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है।

18. **जेलों का आधुनिकीकरण:** यह प्रावधान जेलों के आधुनिकीकरण पर हुए व्यय के लिए है।

19. **गरीब कैदियों को सहायता:** यह प्रावधान उन गरीब व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए है, जो कारागारों में बंद हैं और अर्थदण्ड अथवा जमानत राशि को वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना के तहत अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

20. **राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना:** यह प्रावधान एनएफएसयू के विभिन्न परिसरों और विभिन्न सीएफएसएल प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिये है।

21. **वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम चरण -II (विविपी चरण-II):** यह प्रावधान सीमावर्ती जनसंख्या को बेहतर जीवन स्थितियों और पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करके राष्ट्र के साथ जोड़ने के लिए चयनित सीमावर्ती गांवों के विकास को लक्षित करता है। इसमें गांवों की अवसंरचना विकास, सड़क संपर्क और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल हैं।

22. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की निगरानी और उनका विनिमयन करने में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए है, ताकि सीमा-पार से लोगों और सामान की आवाजाही का बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन किया जा सके।

23. **राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुसंधान और अवसंरचनात्मक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए है।

24. **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुसंधान और अवसंरचनात्मक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए है।

25. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन और रखरखाव तथा बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों के लिए प्रतिपूर्ति पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए है।

26. **कल्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान मुख्य रूप से सभी सीएपीएफ कर्मियों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा सुविधाओं के लिए है और क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों के उत्पादन, अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किए गए शुल्क के लिए भी है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास के लिए परिव्यय, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचा, आतंकवादी/काउंटर विद्रोह में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना शामिल है।

27. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

28.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस):** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस अवसंरचना के उन्नयन संबंधी विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली जैसी योजनाओं का प्रावधान शामिल है।

28.02. **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों हेतु विशेष अवसंरचना स्कीम एवं विशेष केंद्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, विभिन्न राज्यों में सिविल एक्शन कार्यक्रम तथा मीडिया नियोजन संबंधी गतिविधियां आदि जैसी स्कीमों का प्रावधान शामिल है।

29. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के खर्च को पूरा करने के लिए है जिसका उद्देश्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क और बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है।

30. **महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं):** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्भया कोष से वित्तपोषित सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास के लिए है।

31. **वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम:** यह प्रावधान वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम के तहत चयनित सीमावर्ती गांवों के चरणबद्ध ढंग से समग्र विकास के लिए है। इसमें ग्रामीण अवसंरचना का विकास, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 52

गृह मंत्रालय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	5596.53	402.61	5999.14	5711.98	555.08	6267.06	6969.66	473.23	7442.89	6138.08	597.86	6735.94
	वसूलियां	-57.17	-0.65	-57.82	-55.00	...	-55.00	-50.78	-4.22	-55.00	-55.00	...	-55.00
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	5539.36	401.96	5941.32	5656.98	555.08	6212.06	6918.88	469.01	7387.89	6083.08	597.86	6680.94
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1.	सचिवालय	85.74	...	85.74	91.54	...	91.54	91.39	...	91.39	95.44	...	95.44
		-0.04	...	-0.04	-0.05	...	-0.05	-0.12	...	-0.12	-0.05	...	-0.05
	निवल	85.70	...	85.70	91.49	...	91.49	91.27	...	91.27	95.39	...	95.39
2.	अन्य स्थापना	2866.75	0.51	2867.26	3011.54	1.14	3012.68	3002.16	1.20	3003.36	3165.17	1.59	3166.76
		-14.22	...	-14.22	-3.31	...	-3.31	-4.27	-0.01	-4.28	-3.31	...	-3.31
	निवल	2852.53	0.51	2853.04	3008.23	1.14	3009.37	2997.89	1.19	2999.08	3161.86	1.59	3163.45
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		2938.23	0.51	2938.74	3099.72	1.14	3100.86	3089.16	1.19	3090.35	3257.25	1.59	3258.84
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
अन्य													
3.	संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01	जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.44	0.08	0.52	0.42	0.01	0.43	0.42	0.01	0.43	0.42	0.02	0.44
3.02	आपदा प्रबंधन	0.01	0.99	1.00	0.24	17.90	18.14	0.10	3.84	3.94	0.64	16.66	17.30
		...	...	...	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
	निवल	0.01	0.99	1.00	0.23	17.90	18.13	0.09	3.84	3.93	0.63	16.66	17.29
3.03	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	8.46	10.96	19.42	20.12	14.06	34.18	15.16	12.95	28.11	21.00	15.95	36.95
		-0.47	-0.16	-0.63	-2.14	...	-2.14	-1.75	-0.02	-1.77	-2.14	...	-2.14
	निवल	7.99	10.80	18.79	17.98	14.06	32.04	13.41	12.93	26.34	18.86	15.95	34.81
3.04	जलापूर्ति और स्वच्छता	79.76	46.85	126.61	82.32	90.66	172.98	72.10	51.51	123.61	78.50	85.00	163.50
		...	...	...	...	...	...	-0.02	...	-0.02	...	...	...
	निवल	79.76	46.85	126.61	82.32	90.66	172.98	72.08	51.51	123.59	78.50	85.00	163.50

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.05	ग्रामीण विकास	100.51	0.68	101.19	98.50	1.64	100.14	89.03	1.83	90.86	99.47	1.53	101.00
		-0.02	...	-0.02	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	-0.22
	निवल	100.49	0.68	101.17	98.28	1.64	99.92	88.81	1.83	90.64	99.25	1.53	100.78
3.06	विद्युत	765.57	17.44	783.01	676.92	32.06	708.98	830.97	23.00	853.97	661.72	38.92	700.64
		-0.31	...	-0.31	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35	-0.35	...	-0.35
	निवल	765.26	17.44	782.70	676.57	32.06	708.63	830.62	23.00	853.62	661.37	38.92	700.29
3.07	वानिकी और वन्य जीव	7.12	22.68	29.80	6.79	29.08	35.87	5.98	25.94	31.92	6.23	32.68	38.91
3.08	नागरिक आपूर्ति	15.71	1.15	16.86	16.54	2.45	18.99	16.31	1.70	18.01	15.71	2.02	17.73
		-14.24	...	-14.24	-20.45	...	-20.45	-16.34	...	-16.34	-20.45	...	-20.45
	निवल	1.47	1.15	2.62	-3.91	2.45	-1.46	-0.03	1.70	1.67	-4.74	2.02	-2.72
3.09	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	91.70	28.75	120.45	96.57	37.02	133.59	110.14	40.65	150.79	116.68	28.80	145.48
		...	-0.49	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	91.70	28.26	119.96	96.57	37.02	133.59	110.14	40.65	150.79	116.68	28.80	145.48
3.10	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33.61	25.85	59.46	49.38	28.29	77.67	39.62	23.61	63.23	45.58	39.73	85.31
		-0.25	...	-0.25	-0.20	...	-0.20	-0.21	-0.01	-0.22	-0.20	...	-0.20
	निवल	33.36	25.85	59.21	49.18	28.29	77.47	39.41	23.60	63.01	45.38	39.73	85.11
3.11	सामाजिक कल्याण	88.71	5.77	94.48	89.93	5.67	95.60	89.56	4.94	94.50	90.86	4.80	95.66
3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	2.04	0.75	2.79	5.24	2.68	7.92	55.04	1.20	56.24	3.86	1.30	5.16
3.13	सूचना और प्रचार	0.99	0.16	1.15	2.02	0.09	2.11	2.12	0.13	2.25	2.02	0.44	2.46
3.14	श्रम और रोजगार	0.33	1.76	2.09	0.50	2.82	3.32	0.35	2.93	3.28	0.40	3.64	4.04
3.15	सड़क परिवहन	39.11	16.55	55.66	37.75	14.03	51.78	37.13	5.96	43.09	36.94	14.70	51.64
		...	...	...	-0.02	...	-0.02	-0.08	...	-0.08	-0.02	...	-0.02
	निवल	39.11	16.55	55.66	37.73	14.03	51.76	37.05	5.96	43.01	36.92	14.70	51.62
3.16	सड़कें और पुल	42.35	100.87	143.22	70.15	99.36	169.51	57.96	102.96	160.92	74.45	116.00	190.45
		-0.05	...	-0.05	...	...	...	-0.01	-0.01	-0.02	...	...	...
	निवल	42.30	100.87	143.17	70.15	99.36	169.51	57.95	102.95	160.90	74.45	116.00	190.45
3.17	पत्तन और प्रकाश स्तंभ	112.94	18.05	130.99	115.35	15.60	130.95	216.13	15.60	231.73	185.54	36.09	221.63
3.18	पोत परिवहन	434.53	10.52	445.05	487.30	16.62	503.92	943.02	15.44	958.46	585.49	31.10	616.59
		-0.04	...	-0.04	...	...	...	-0.02	...	-0.02	...	...	...
	निवल	434.49	10.52	445.01	487.30	16.62	503.92	943.00	15.44	958.44	585.49	31.10	616.59
3.19	नागर विमानन	79.04	4.07	83.11	90.00	32.68	122.68	120.00	32.30	152.30	90.00	4.00	94.00
3.20	पर्यटन	6.33	7.66	13.99	11.30	12.01	23.31	10.53	6.08	16.61	11.07	9.05	20.12
		...	...	...	...	...	...	...	-0.02	-0.02	...	...	...
	निवल	6.33	7.66	13.99	11.30	12.01	23.31	10.53	6.06	16.59	11.07	9.05	20.12
3.21	लोक निर्माण कार्य	40.26	26.00	66.26	43.16	33.35	76.51	42.97	27.94	70.91	41.96	32.42	74.38

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.22	आवासन	निवल	-27.51	...	-27.51	-28.25	...	-28.25	-27.36	...	-27.36	-28.25	...	-28.25
			12.75	26.00	38.75	14.91	33.35	48.26	15.61	27.94	43.55	13.71	32.42	46.13
			13.97	15.06	29.03	19.00	17.00	36.00	16.00	17.00	33.00	18.00	17.00	35.00
			-0.02	...	-0.02	...	...	...	-0.01	...	-0.01	...	...	...
		निवल	13.95	15.06	29.01	19.00	17.00	36.00	15.99	17.00	32.99	18.00	17.00	35.00
3.23	शहरी विकास		348.25	2.29	350.54	241.25	2.10	243.35	237.18	2.01	239.19	243.65	2.10	245.75
3.24	पुलिस और अग्नि शमन		...	21.50	21.50	...	22.74	22.74	...	21.48	21.48	...	26.71	26.71
3.25	ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना		70.13	...	70.13	70.13	...	70.13	584.56	...	584.56	169.34	...	169.34
3.26	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां		0.42	...	0.42	0.83	...	0.83	0.65	...	0.65	0.72	...	0.72
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें			2339.38	385.79	2725.17	2280.07	529.92	2809.99	3546.65	440.95	3987.60	2548.61	560.66	3109.27
4.	केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए	संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	25.79	...	25.79	26.80	...	26.80	29.10	...	29.10	26.22	...	26.22
5.	जनजातीय क्षेत्र घटक		226.42	15.66	242.08	228.53	24.02	252.55	244.33	26.87	271.20	241.12	35.61	276.73
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय														
6.01	सोवटेक		6.00	...	6.00	18.00	...	18.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
6.02	अन्य अनुदानग्राही निकाय		3.54	...	3.54	3.83	...	3.83	3.64	...	3.64	3.85	...	3.85
जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय			9.54	...	9.54	21.83	...	21.83	9.64	...	9.64	9.85	...	9.85
7.	संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय		...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य			2601.13	401.45	3002.58	2557.26	553.94	3111.20	3829.72	467.82	4297.54	2825.83	596.27	3422.10
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय			2601.13	401.45	3002.58	2557.26	553.94	3111.20	3829.72	467.82	4297.54	2825.83	596.27	3422.10
कुल जोड़			5539.36	401.96	5941.32	5656.98	555.08	6212.06	6918.88	469.01	7387.89	6083.08	597.86	6680.94

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है अर्थात न्यायालय, स्टाम्प एवं पंजीकरण, कर, कोषागार एवं लेखा प्रशासन की स्थापना, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवा, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, खेतीबाड़ी, मृदा एवं जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, भू-राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी एवं वन्य जीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कार्यक्रम, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सूचना एवं प्रचार, श्रम एवं रोजगार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नागर विमानन, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ आदि।

3.01. **जनजातीय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण:** इसमें स्कूलों, सड़कों, स्वास्थ्य उप-केंद्रों, विश्वसनीय जल आपूर्ति प्रणालियों और बिजली आदि की स्थापना जैसे आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं के निर्माण और सुधार के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण और समग्र विकास का प्रावधान शामिल है।

3.02. **आपदा प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **कृषि और संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रमों, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा उक्त योजनाओं के तहत जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के लिए अनुदान का प्रावधान शामिल है।

3.05. **ग्रामीण विकास:** इसमें जिला परिषद/पंचायत समिति को अनुदानों सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत:** इसमें विद्युत उत्पादन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07.	वानिकी और वन्य जीव: इसमें वानिकी एवं वन्य जीव और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए प्रावधान शामिल है।	3.21.	लोक निर्माण कार्य: इसमें प्रशासनिक/कार्यालय भवनों के निर्माण तथा रखरखाव, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री दीवारों के निर्माण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
3.08.	नागरिक आपूर्ति: इसमें खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम तथा नागरिक आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।	3.22.	आवासन: इसमें आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
3.09.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) को चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।	3.23.	शहरी विकास: इसमें नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आस्तियों के निर्माण एवं रखरखाव, योजना के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अनुदान और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिये यूटी से मिलान अनुदान के लिये प्रावधान शामिल है।
3.10.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति: इसमें शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा), खेल, कला एवं संस्कृति के लिए प्रावधान शामिल है तथा साथ ही जिला परिषद और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु सहायता भी शामिल है।	3.24.	पुलिस और अग्नि शमन: इसमें पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) और अग्निशमन के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।
3.11.	सामाजिक कल्याण: इसमें वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों के कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रावधान शामिल है तथा इसमें संघ राज्य क्षेत्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग (यूटीसीपीसीआर), समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (एसडब्ल्यूएबी), सीमावर्ती क्षेत्र परियोजना (बीएपी) हेतु अनुदान तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता भी शामिल है।	3.25.	ट्रांसपोर्ट को भाड़े पर लेना: इसमें सेटलाईट ट्रांसपोर्ट्स को भाड़े पर लेने के लिए प्रावधान शामिल है।
3.12.	ग्रामीण और लघु उद्योग: इसमें ग्रामीण एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधान और केवीआईबी (खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड) के लिए सहायता शामिल है।	3.26.	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण गतिविधियां: इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध सेनानियों और राज्य सैनिक वोट के लिए नकद अनुदान तथा संकट में फंसे परिवारों हेतु अनुग्रह राशि और श्रीलंकाई तमिल प्रत्यावासियों के बंदोबस्त के लिए प्रावधान शामिल है।
3.13.	सूचना और प्रचार: इसमें सूचना एवं प्रचार तथा लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए प्रावधान शामिल है।	4.	केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता: इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएम पोषण, सशक्त आंगनवाड़ी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)/रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विक्षित भारत-गारंटी-बी बी -जी-राम जी .के लिए यू. टी. बजट के तहत पूरक का प्रावधान शामिल है।
3.14.	श्रम और रोजगार: इसमें श्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि की कार्य स्थितियों में कौशल विकास और सुधार का प्रावधान शामिल है।	5.	जनजातीय क्षेत्र घटक: इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों के संबंध में जन-जातीय क्षेत्र विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
3.15.	सड़क परिवहन: इसमें यात्री बसों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।	6.01.	सोवटेक: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा संवर्धन सोसायटी (सोवटेक) को अनुदान शामिल है।
3.16.	सड़कें और पुल: इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और उनके रखरखाव के हेतु प्रावधान तथा जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए अनुदान शामिल है।	6.02.	अन्य अनुदानग्राही निकाय: इसमें वफ्फ बोर्ड, हज कमेटी, पुलिस कल्याण सोसायटी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अनुदान शामिल है।
3.17.	पत्तन और प्रकाश स्तंभ: इसमें पत्तन एवं प्रकाश स्तंभ, डॉकयार्ड एवं ड्राइडॉकिंग, स्टीवडोरिंग, नौका सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।	7.	संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय: इसमें पेंशन प्रभावों, ब्याज और मूल्य ह्रास आदि के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।
3.18.	पोत परिवहन: इसमें पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए प्रावधान शामिल है।		
3.19.	नागर विमानन: इसमें हेलीकाप्टर और विमानों की चार्टरिंग के लिए प्रावधान शामिल है।		
3.20.	पर्यटन: इसमें पर्यटन के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।		

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 53
गृह मंत्रालय (चंडीगढ़)

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल		5945.70	652.49	6598.19	6185.18	798.00	6983.18	5918.77	547.00	6465.77	5939.52	606.00	6545.52
वसूलियां		-535.96	-203.30	-739.26	-638.01	-157.69	-795.70	-622.44	-286.91	-909.35	-664.37	-160.98	-825.35
प्राप्तियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		5409.74	449.19	5858.93	5547.17	640.31	6187.48	5296.33	260.09	5556.42	5275.15	445.02	5720.17
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय		34.13	...	34.13	38.93	...	38.93	34.70	...	34.70	40.12	...	40.12
2. अन्य स्थापना		3903.52	...	3903.52	4174.26	...	4174.26	4387.06	...	4387.06	4433.21	...	4433.21
		-524.89	...	-524.89	-631.19	...	-631.19	-615.95	...	-615.95	-657.70	...	-657.70
निवल		3378.63	...	3378.63	3543.07	...	3543.07	3771.11	...	3771.11	3775.51	...	3775.51
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		3412.76	...	3412.76	3582.00	...	3582.00	3805.81	...	3805.81	3815.63	...	3815.63
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
अन्य													
3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं													
3.01 पुलिस आवासन और संबद्ध कार्य		...	28.04	28.04	...	83.26	83.26	...	47.96	47.96	...	76.05	76.05
3.02 विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा		948.65	79.22	1027.87	833.68	84.19	917.87	229.01	50.81	279.82	147.66	24.20	171.86
		-2.69	...	-2.69	-2.00	...	-2.00	-0.32	...	-0.32	...	...	...
निवल		945.96	79.22	1025.18	831.68	84.19	915.87	228.69	50.81	279.50	147.66	24.20	171.86
3.03 वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण		27.30	1.04	28.34	27.76	2.35	30.11	31.86	0.82	32.68	38.24	2.91	41.15
		-2.50	...	-2.50	-0.88	...	-0.88	-0.75	...	-0.75	-0.62	...	-0.62
निवल		24.80	1.04	25.84	26.88	2.35	29.23	31.11	0.82	31.93	37.62	2.91	40.53
3.04 स्वास्थ्य सेवाएं		...	129.71	129.71	...	170.23	170.23	...	155.53	155.53	...	109.45	109.45
		-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		-0.09	129.71	129.62	...	170.23	170.23	...	155.53	155.53	...	109.45	109.45
3.05 शिक्षा		1.80	100.99	102.79	1.90	142.45	144.35	1.90	67.98	69.88	1.90	118.76	120.66
		...	-0.91	-0.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.06 महिला और बाल कल्याण	निवल	1.80	100.08	101.88	1.90	142.45	144.35	1.90	67.98	69.88	1.90	118.76	120.66	
		26.52	13.63	40.15	27.37	7.67	35.04	27.17	8.77	35.94	25.98	7.59	33.57	
	3.07 कला, संस्कृति और संग्रहालय	1.70	0.78	2.48	1.80	0.90	2.70	1.80	0.90	2.70	1.80	4.51	6.31	
	3.08 खादी और ग्रामीण उद्योग	0.07	...	0.07	10.00	...	10.00	0.20	...	0.20	2.00	...	2.00	
	3.09 सड़क और परिवहन	4.85	47.59	52.44	4.90	40.13	45.03	4.90	30.71	35.61	5.11	42.20	47.31	
	3.10 सरकारी आवासन	...	26.40	26.40	...	25.04	25.04	...	24.22	24.22	...	36.05	36.05	
	3.11 शहरी विकास	...	156.22	156.22	...	142.89	142.89	...	75.89	75.89	...	87.06	87.06	
		...	-179.33	-179.33	...	-150.00	-150.00	...	-250.00	-250.00	...	-150.00	-150.00	
	निवल	...	-23.11	-23.11	...	-7.11	-7.11	...	-174.11	-174.11	...	-62.94	-62.94	
	3.12 दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण	19.87	0.09	19.96	19.50	0.35	19.85	19.41	0.35	19.76	21.40	0.01	21.41	
3.13 अन्य योजनाएं	47.84	68.77	116.61	43.97	98.54	142.51	45.16	83.06	128.22	58.65	97.21	155.86		
	-5.76	-23.05	-28.81	-3.94	-7.69	-11.63	-5.42	-36.91	-42.33	-6.05	-10.98	-17.03		
	निवल	42.08	45.72	87.80	40.03	90.85	130.88	39.74	46.15	85.89	52.60	86.23	138.83	
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएं		1067.56	449.19	1516.75	964.06	640.31	1604.37	354.92	260.09	615.01	296.07	445.02	741.09	
4.	केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र को अनुपूरक सहायता	12.95	...	12.95	16.70	...	16.70	16.70	...	16.70	18.20	...	18.20	
5.	अनुदानग्राही/अन्य निकाय	916.47	...	916.47	984.41	...	984.41	1118.90	...	1118.90	1145.25	...	1145.25	
जोड़-अन्य		1996.98	449.19	2446.17	1965.17	640.31	2605.48	1490.52	260.09	1750.61	1459.52	445.02	1904.54	
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय		1996.98	449.19	2446.17	1965.17	640.31	2605.48	1490.52	260.09	1750.61	1459.52	445.02	1904.54	
कुल जोड़		5409.74	449.19	5858.93	5547.17	640.31	6187.48	5296.33	260.09	5556.42	5275.15	445.02	5720.17	

1. सचिवालय: इसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. अन्य स्थापना: इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात न्यायपालिका, उत्पादन शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण, पुलिस, परिवहन प्राधिकरण, कोषागार एवं लेखा, जेल, सतर्कता, सूट्टन एवं लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग विभाग, आतिथ्य, होम गार्ड, शिक्षा, खेल, संग्रहालय, पुस्तकालय एवं कला, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सम्पदा कार्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक कल्याण, श्रम एवं रोजगार, कृषि, पशुपालन और मत्स्यन, वानिकी एवं वन्य जीव, सहकारिता, ग्रामीण विकास, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आर्थिक सेवाएं, पर्यटन, सांख्यिकी, खाद्य एवं आपूर्ति आदि की स्थापना संबंधी व्यय शामिल है।

3.01. पुलिस आवासन और संबद्ध कार्य: इसमें पुलिस आवास और संबद्ध कार्यों अर्थात अवसंरचना का विकास , भवन निर्माण, मौजूदा आवासों के नवीकरण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.02. विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा: इसमें विद्युत के पारेषण एवं वितरण, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, मोडल सोलर सिटी प्रोग्राम के संवर्धन तथा विद्युत विभाग के निर्माण कार्य के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. वन, वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण: इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, वानिकी एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं विकास, पौधारोपण योजना, संचार और भवन, वन्य जीव परिरक्षण, वानिकी के लिए भूमि के अधिग्रहण, बॉटैनिकल गार्डन आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.04. स्वास्थ्य सेवाएं: इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, 50 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन करके इसे 250 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने, चंडीगढ़ में 50 बिस्तर वाले पॉलीक्लीनिक की सुदृढीकरण, ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढीकरण और शहरी सहायक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुदृढीकरण, अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. शिक्षा: इसमें उपकरणों के आधुनिकीकरण और खरीद, एनसीसी के लिए अवसंरचना के विकास, सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने, स्नातक पाठ्यक्रमों तथा नए पॉलीटेक्नीक के आधुनिकीकरण और निर्माण, महिलाओं के लिए सरकारी पॉलीटेक्नीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. महिला और बाल कल्याण: इसमें सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/ निर्माण, वृद्ध तथा निराश्रित लोगों के लिए, घर छोड़ कर भागे दंपतियों के लिए संरक्षण केन्द्र, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए क्रेच, चंडीगढ़ बाल एवं महिला कल्याण निगम को शेयर पूंजी में

अंशदान, केन्द्र प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के कार्यान्वयन के लिए बराबर का अंशदान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए संघ राज्य क्षेत्र आयोग की स्थापना, सरकारी भवनों के नवीकरण/परिवर्धन/निर्माण तथा लड़कियों के लिए बाल गृह आदि प्रावधान शामिल है।

3.07. कला, संस्कृति और संग्रहालय: इसमें राजकीय कला महाविद्यालय प्रशासनिक ब्लॉक, अंतरराष्ट्रीय छात्रावास, सेक्टर-15, तथा आर्डीटोरियम आदि के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.08. खादी और ग्रामीण उद्योग: इसमें संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. सड़क और परिवहन: इसमें नई बसों की खरीद, खराब हुई बसों को बदलने तथा बस स्टैंड के उन्नयन, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंग के कंप्यूटरीकरण, लिंक रोड के निर्माण, इन्टरसिटी परिवहन के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. सरकारी आवासन: इसमें आवासीय एवं गैर-आवासीय सरकारी भवनों के निर्माण/नवीकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. शहरी विकास: इसमें भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण, निर्माण/बुनियादी ढांचे का विकास, शहरी सड़कें, वर्षा जल निकासी, विद्युतीकरण, आई. टी. पार्क, नागरिक कार्य, मशीनरी और उपकरण, अन्य पूंजीगत व्यय, अनुसंधान कार्य, सुखना झील के पार बांध और पूरे शहर में 24x7 जलापूर्ति चंडीगढ़ आदि का प्रावधान शामिल है।

3.12. दिव्यांग और वृद्ध जनों का कल्याण: इसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगता अधिनियम/कार्यक्रम के कार्यान्वयन, दिव्यांगजन को पेट्रोल एवं डीजल पर सब्सिडी, दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी), दिव्यांगजनो को बेरोजगारी भत्ते आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. अन्य योजनाएं: इसमें कार्यालय भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण, विरासत भवनों के परिरक्षण, पुनरुत्थान और उन पर रोशनी की व्यवस्था कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, सड़कों, एलईडी लाईटिंग, अंडर पास, जलापूर्ति, जल निकासी तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज, आईटी पार्क हेतु आवश्यक सेवाओं, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन, निर्वाचन, अन्य राजकोषीय सेवाओं आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

4. केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र को अनुपूरक सहायता: इसमें पीएम पोषण और सक्षम आंगनबाड़ियों आदि नामक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र को अनुपूरक सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. अनुदानग्राही/अन्य निकाय: इसमें नगर निगम, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों, पंजाब अभियांत्रिकी और अन्य अनुदानग्राही निकायों जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेअंत सिंह मेमोरियल एवं गैर-सरकारी संगठन, रेड क्रॉस, पाक कला संस्थान, बाल कल्याण परिषद, दिल्ली वित्तीय निगम और पूरे चंडीगढ़ शहर में चौबीस गंठे पानी की आपूर्ति इत्यादि के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 54

गृह मंत्रालय (दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव)

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल		1635.00	1016.25	2651.25	1712.50	1070.00	2782.50	1673.14	1070.00	2743.14	1735.20	1100.00	2835.20
वसूलियां		-2.07	-12.92	-14.99	-2.50	...	-2.50	-2.50	...	-2.50	-2.50	...	-2.50
प्राप्तियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		1632.93	1003.33	2636.26	1710.00	1070.00	2780.00	1670.64	1070.00	2740.64	1732.70	1100.00	2832.70
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय		24.64	...	24.64	24.10	...	24.10	25.05	...	25.05	24.71	...	24.71
2. अन्य स्थापना		775.76	...	775.76	825.36	...	825.36	838.79	...	838.79	852.98	...	852.98
		-0.48	...	-0.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		775.28	...	775.28	825.36	...	825.36	838.79	...	838.79	852.98	...	852.98
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		799.92	...	799.92	849.46	...	849.46	863.84	...	863.84	877.69	...	877.69
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
अन्य													
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें													
3.01 पुलिस कल्याण स्कीम		...	35.85	35.85	0.10	20.37	20.47	0.10	20.74	20.84	0.10	22.06	22.16
3.02 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं		0.43	...	0.43	0.23	...	0.23	0.68	...	0.68	2.28	...	2.28
3.03 प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत		1.44	...	1.44	1.69	...	1.69	1.87	...	1.87	1.83	...	1.83
3.04 अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन		0.13	1.15	1.28	0.16	3.52	3.68	0.26	3.13	3.39	0.31	12.24	12.55
3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए योजनाएं		1.13	21.35	22.48	5.46	21.37	26.83	4.09	20.19	24.28	3.84	9.42	13.26
3.06 विद्युत का पारेषण और वितरण		29.15	40.02	69.17	16.29	40.02	56.31	6.82	0.02	6.84	0.06	0.04	0.10
3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण		37.02	19.40	56.42	39.08	22.42	61.50	41.09	28.18	69.27	52.63	42.04	94.67
3.08 सार्वजनिक वितरण प्रणाली		2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
		-1.41	...	-1.41	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00
निवल		0.59	...	0.59	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.09 चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं		2.93	213.10	216.03	6.98	244.38	251.36	6.98	269.02	276.00	6.85	277.16	284.01
3.10 शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं		20.34	63.66	84.00	16.66	93.00	109.66	16.96	92.52	109.48	15.67	94.07	109.74

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
3.12 श्रम कल्याण	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
3.13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	...	0.17	0.17	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
3.14 सड़क और पुल	9.47	404.33	413.80	8.44	432.11	440.55	11.34	395.07	406.41	9.69	432.09	441.78
3.15 पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास	...	0.05	0.05	...	1.52	1.52	...	1.51	1.51	...	1.81	1.81
3.16 नागर विमानन से संबंधित योजनाएं	23.00	9.00	32.00	22.00	18.02	40.02	22.00	28.01	50.01	24.00	25.02	49.02
	...	-12.91	-12.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>23.00</i>	<i>-3.91</i>	<i>19.09</i>	<i>22.00</i>	<i>18.02</i>	<i>40.02</i>	<i>22.00</i>	<i>28.01</i>	<i>50.01</i>	<i>24.00</i>	<i>25.02</i>	<i>49.02</i>
3.17 पर्यटन के लिए योजनाएं	9.92	26.58	36.50	4.75	51.34	56.09	5.05	64.02	69.07	5.40	53.34	58.74
3.18 लोक निर्माण कार्य	15.25	142.93	158.18	11.04	49.49	60.53	11.04	75.43	86.47	13.70	53.79	67.49
	...	...	...	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50
<i>निवल</i>	<i>15.25</i>	<i>142.93</i>	<i>158.18</i>	<i>10.54</i>	<i>49.49</i>	<i>60.03</i>	<i>10.54</i>	<i>75.43</i>	<i>85.97</i>	<i>13.20</i>	<i>53.79</i>	<i>66.99</i>
3.19 जलापूर्ति और स्वच्छता	9.70	23.35	33.05	10.36	53.50	63.86	10.64	58.50	69.14	9.80	58.10	67.90
3.20 सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास	2.76	0.15	2.91	2.30	0.93	3.23	2.30	0.93	3.23	2.65	0.96	3.61
3.21 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
3.22 विधवा/निराश्रित महिला कल्याण	0.19	...	0.19	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.10	...	0.10
3.23 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
3.24 खेल विकास संबंधी योजना	...	...	...	...	0.07	0.07	...	...	...	...	0.07	0.07
3.25 दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<i>जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें</i>	<i>214.45</i>	<i>1003.18</i>	<i>1217.63</i>	<i>196.21</i>	<i>1067.27</i>	<i>1263.48</i>	<i>191.89</i>	<i>1067.47</i>	<i>1259.36</i>	<i>199.41</i>	<i>1097.42</i>	<i>1296.83</i>
4. केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र को पूरक सहायता	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.65	...	0.65
5. जनजातीय क्षेत्र घटक	1.05	...	1.05	1.30	0.01	1.31	1.31	...	1.31	1.30	0.01	1.31
6. अनुदानग्राही/अन्य निकाय												
6.01 जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान	351.44	...	351.44	438.30	...	438.30	371.94	...	371.94	316.30	...	316.30
6.02 नगरपालिका परिषदों को अनुदान	126.80	...	126.80	122.00	...	122.00	133.00	...	133.00	222.00	...	222.00
6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय	138.57	...	138.57	102.02	...	102.02	107.95	...	107.95	115.24	...	115.24
<i>जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय</i>	<i>616.81</i>	<i>...</i>	<i>616.81</i>	<i>662.32</i>	<i>...</i>	<i>662.32</i>	<i>612.89</i>	<i>...</i>	<i>612.89</i>	<i>653.54</i>	<i>...</i>	<i>653.54</i>
7. संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय	0.10	0.15	0.25	0.11	2.72	2.83	0.11	2.53	2.64	0.11	2.57	2.68
जोड़-अन्य	833.01	1003.33	1836.34	860.54	1070.00	1930.54	806.80	1070.00	1876.80	855.01	1100.00	1955.01
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	833.01	1003.33	1836.34	860.54	1070.00	1930.54	806.80	1070.00	1876.80	855.01	1100.00	1955.01
कुल जोड़	1632.93	1003.33	2636.26	1710.00	1070.00	2780.00	1670.64	1070.00	2740.64	1732.70	1100.00	2832.70

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें अदालतों, डाक टिकटों और पंजीकरण, कर कोपागार और लेखा प्रशासन प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाओं, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी, फसल पालन, मुद्रा और जल संरक्षण,

पशुपालन, मत्स्य पालन, सहयोग, भूमि राजस्व, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, बिजली, वानिकी और वन्यजीव, वैज्ञानिक अनुसंधान, नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा मामले, कला और संस्कृति, ग्राम और लघु उद्योग, सूचना और प्रचार, श्रम और रोजगार, पर्यटन, स्टेशनरी और मुद्रण, सार्वजनिक कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक विमानन, सड़क परिवहन और बंदरगाह एवं लाइटहाउस शामिल हैं।

3.01. **पुलिस कल्याण स्कीम:** इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियनों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय ईमारतों के निर्माण और अभिवर्धन/पुनरुद्धार हेतु प्रावधान शामिल है।

3.02. **एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति/वजीफा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति/वजीफा, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क यूनीफार्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.03. **प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत का प्रावधान शामिल है।

3.04. **अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन:** इसमें अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन, अग्निशमन के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के लिए योजनाएं:** इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और अन्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।

3.07. **वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत योजनाओं हेतु प्रावधान शामिल है।

3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इसमें खाद्य भंडारण और माल गोदाम तथा सिविल आपूर्तियों के लिए प्रावधान शामिल है।

3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य के तहत योजनाएं:** इसमें राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुछ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समृद्धि योजना, बेटी बचाओ योजना, एचआईवी पाँजीटिव/एड्स से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.10. **शिक्षा के अंतर्गत योजनाएं:** इसमें शिक्षा (प्रौढ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा/तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.11. **औद्योगिक संवर्धन संबंधी योजनाएं:** इसमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।

3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति तथा आईटीआई के लिए मशीन और उपकरणों के प्रापण के लिए प्रावधान शामिल है।

3.14. **सड़क और पुल:** इसमें सड़कों और पुलों के रखरखाव और सरम्मत सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।

3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.16. **नागर विमानन से संबंधित योजनाएं:** इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विमानों के संचालन के लिए वाइविलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

3.17. **पर्यटन के लिए योजनाएं:** इसमें पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल है।

3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण विभाग की भवनों के निर्माण/उन्नयन तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।

3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन/निर्माण तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।

3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी आवासो भवनों के निर्माण, उन्नयन तथा रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।

3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।

3.22. **विधवा/निराश्रित महिला कल्याण:** इसमें विधवाओं और निःसहाय महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल है।

3.23. **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना आदि हेतु प्रावधान शामिल है।

3.24. **खेल विकास संबंधी योजना:** इसमें खेल परिसरों के निर्माण, आवधिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करने, खेल परिषद को सहायता प्रदान करने तथा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्रावधान शामिल है।

3.25. **दिव्यांग और वृद्धजन के लिए योजना:** इसमें दिव्यांगजन और वृद्ध, विकलांग कल्याण तथा रेड क्रॉस सोसायटी को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।

4. **केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र को पूरक सहायता:** इसमें सक्षम आंगनवाडियों तथा पीएम पोषण आदि नामक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।

5. **जनजातीय क्षेत्र घटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में कल्याण और विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

6.01. **जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान हेतु प्रावधान शामिल है।

6.02. **नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें नगरपालिका क्षेत्र में स्कूलों, सड़कों, पुलों, जल संसाधनों, विद्युत आदि के विकास हेतु नगरपालिका परिषद को अनुदान का प्रावधान शामिल है।

6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदान प्राप्त निकायों जैसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जी. एन. एल. यू.), दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड और सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड आदि को सहायता अनुदान का प्रावधान शामिल है।

7. **संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय:** इसमें प्रापण, नागर विमानन, कमांड क्षेत्र विकास, दमन गंगा जलाशय के लिए गुजरात सरकार को शेयर पूंजी के भुगतान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं, जनगणना और सांख्यिकी के लिए उपकरणों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण तथा अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड तथा सहकारी बैंक आदि को शेयर पूंजी अंशदानों हेतु प्रावधान शामिल है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

गृह मंत्रालय (लद्दाख)

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2408.68	2485.94	4894.62	2460.25	2242.15	4702.40	5042.95	2347.73	7390.68	2552.51	2327.05	4879.56
वसूलियां	-33.76	-3.81	-37.57	-10.25	...	-10.25	-13.25	...	-13.25	-10.25	...	-10.25
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2374.92	2482.13	4857.05	2450.00	2242.15	4692.15	5029.70	2347.73	7377.43	2542.26	2327.05	4869.31
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	45.64	...	45.64	47.65	...	47.65	50.72	...	50.72	52.56	...	52.56
	-0.73	...	-0.73	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	44.91	...	44.91	47.65	...	47.65	50.72	...	50.72	52.56	...	52.56
2. अन्य स्थापना	1701.88	...	1701.88	1848.33	...	1848.33	1786.29	...	1786.29	1931.64	...	1931.64
	-0.78	...	-0.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1701.10	...	1701.10	1848.33	...	1848.33	1786.29	...	1786.29	1931.64	...	1931.64
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1746.01	...	1746.01	1895.98	...	1895.98	1837.01	...	1837.01	1984.20	...	1984.20
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
अन्य												
3. संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें												
3.01 जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.00	...	1.00	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.14	...	1.14
3.02 आपदा प्रबंधन	12.32	...	12.32	17.96	...	17.96	30.00	...	30.00	19.08	...	19.08
3.03 कृषि और संबद्ध योजनाएं	9.73	2.90	12.63	3.25	4.30	7.55	7.19	1.95	9.14	5.41	3.95	9.36
3.04 जल आपूर्ति और स्वच्छता	14.71	...	14.71	10.30	...	10.30	11.30	...	11.30	9.80	...	9.80
3.05 ग्रामीण विकास	0.12	48.69	48.81	3.00	40.01	43.01	3.00	41.75	44.75	0.01	40.01	40.02
3.06 विद्युत	164.90	26.13	191.03	64.86	19.78	84.64	175.95	24.05	200.00	106.40	28.78	135.18
3.07 वानिकी और वन्यजीव	0.71	...	0.71	1.09	0.10	1.19	1.45	0.07	1.52	0.99	0.10	1.09
	-0.12	...	-0.12	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25	-0.25	...	-0.25
निवल	0.59	...	0.59	0.84	0.10	0.94	1.20	0.07	1.27	0.74	0.10	0.84
3.08 सिविल आपूर्ति	34.23	0.35	34.58	32.04	1.00	33.04	35.04	1.00	36.04	32.05	1.00	33.05

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल			-28.70	...	-28.70	-9.00	...	-9.00	-12.00	...	-12.00	-9.00	...	-9.00
			5.53	0.35	5.88	23.04	1.00	24.04	23.04	1.00	24.04	23.05	1.00	24.05
	3.09	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	51.65	0.30	51.95	67.24	1.25	68.49	68.19	0.98	69.17	67.19	1.25	68.44
	3.10	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	3.80	9.38	13.18	3.41	5.15	8.56	4.16	3.82	7.98	3.55	5.14	8.69
	3.11	सामाजिक कल्याण	21.46	...	21.46	21.66	...	21.66	23.40	...	23.40	23.05	0.05	23.10
	3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	0.89	1.26	2.15	0.60	0.88	1.48	0.76	0.72	1.48	0.65	0.06	0.71
	3.13	सूचना और प्रचार-प्रसार	0.43	...	0.43	0.45	0.02	0.47	2.50	...	2.50	0.60	0.01	0.61
	3.14	सड़कें और पुल	...	48.42	48.42	...	25.97	25.97	...	29.25	29.25	...	23.61	23.61
	3.15	नागर विमानन	8.01	...	8.01	30.10	0.03	30.13	22.10	0.02	22.12	22.10	0.03	22.13
	3.16	पर्यटन	0.50	15.54	16.04	0.11	13.65	13.76	2.09	10.00	12.09	0.71	13.65	14.36
	3.17	लोक निर्माण कार्य	6.95	7.25	14.20	5.83	9.49	15.32	8.36	9.19	17.55	6.46	5.70	12.16
	3.18	आवासन	2.42	...	2.42	2.78	...	2.78	2.21	...	2.21	2.39	...	2.39
	3.19	शहरी विकास	26.43	2.20	28.63	26.12	2.05	28.17	28.12	3.19	31.31	22.00	3.42	25.42
	3.20	पुलिस और अग्नि नियंत्रण	4.27	9.38	13.65	4.50	6.65	11.15	6.00	5.33	11.33	5.50	3.01	8.51
निवल	3.21	संचार	...	0.19	0.19	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.21
	3.22	विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	3.23	यातायात	...	0.07	0.07	...	0.06	0.06	...	0.05	0.05	...	0.06	0.06
	जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें		335.71	172.06	507.77	287.15	130.61	417.76	420.67	131.59	552.26	319.83	130.05	449.88
	4.	केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता	0.42	...	0.42	0.36	...	0.36	0.56	...	0.56	0.36	...	0.36
	5.	जनजातीय क्षेत्र घटक	175.20	2313.88	2489.08	226.96	2111.54	2338.50	224.52	2216.14	2440.66	173.09	2197.00	2370.09
			-1.21	-3.81	-5.02	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
			173.99	2310.07	2484.06	225.96	2111.54	2337.50	223.52	2216.14	2439.66	172.09	2197.00	2369.09
	6.	अनुदानग्राही/अन्य निकाय	118.79	...	118.79	40.55	...	40.55	43.48	...	43.48	65.78	...	65.78
	7.	संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय	...	...	...	...	...	...	2504.46	...	2504.46	...	...	...
	जोड़-अन्य		628.91	2482.13	3111.04	554.02	2242.15	2796.17	3192.69	2347.73	5540.42	558.06	2327.05	2885.11
	जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय		628.91	2482.13	3111.04	554.02	2242.15	2796.17	3192.69	2347.73	5540.42	558.06	2327.05	2885.11
	कुल जोड़		2374.92	2482.13	4857.05	2450.00	2242.15	4692.15	5029.70	2347.73	7377.43	2542.26	2327.05	4869.31

1. **सचिवालय:** इसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालयी व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, न्यायालयों, करों, कोषागार और लेखा प्रशासनिक स्थापना, पुलिस, जेल अन्य प्रशासनिक सेवाओं, जनजातीय कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योगों, जनगणना, सर्वेक्षण और राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, वानिकी और वन्य जीव, सिविल आपूर्तियों, चिकित्सा और जनस्वास्थ्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय , तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा कार्यक्रम, कला और संस्कृति, ग्रामीण और लघु उद्योगों, सूचना और

प्रचार-प्रसार, श्रम और रोजगार, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लोक निर्माण कार्य, शहरी विकास, लघु सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, नागर विमानन, सड़क परिवहन, चुनाव, भू- विज्ञान और खनन आदि का स्थापना का प्रावधान शामिल हैं।

3.01. **जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण:** इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

3.02.	आपदा प्रबंधन: इसमें प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों के समय राहत हेतु प्रावधान शामिल है।	3.17.	लोक निर्माण कार्य: इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एलएएचडीसी और साथ ही विभिन्न अन्य विभागों के निर्माण और रखरखाव संबंधी कार्य हेतु प्रावधान शामिल है।
3.03.	कृषि और संबद्ध योजनाएं: इसमें खेतीबाड़ी, मृदा संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम, पशुपालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और लघु सिंचाई का प्रावधान शामिल है।	3.18.	आवासन: इसमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रावधान शामिल है।
3.04.	जल आपूर्ति और स्वच्छता: इसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल है।	3.19.	शहरी विकास: इसमें भवनों का निर्माण और रखरखाव, तथा कारगिल एवं लेह के नगरपालिका क्षेत्रों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद हेतु प्रावधान शामिल है।
3.05.	ग्रामीण विकास: इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।	3.20.	पुलिस और अग्नि नियंत्रण: इसमें पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण और रखरखाव हेतु प्रावधान शामिल है।
3.06.	विद्युत: इसमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु प्रावधान शामिल है।	3.21.	संचार: इसमें सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि के प्रापण और विकास के लिए प्रावधान शामिल हैं।
3.07.	वानिकी और वन्यजीव: इसमें वन और वन्य जीव विकास, संरक्षण और पुनःउत्पादन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु प्रावधान शामिल है।	3.22.	विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।
3.08.	सिविल आपूर्ति: इसमें खाद्य भंडारण और माल गोदाम तथा सिविल आपूर्ति, जनगणना और सांख्यिकी हेतु प्रावधान शामिल है।	3.23.	यातायात: इसमें लर्नर लाइसेंस परीक्षण केंद्र, लेह और कारगिल तथा अन्य सिविल कार्य के निर्माण हेतु प्रावधान शामिल है।
3.09.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: इसमें खाद्य मिलावट की रोकथाम के लिए चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, दवा नियंत्रण, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेद और लेह और कारगिल में होम्योपैथी आदि का प्रावधान शामिल है।	4.	केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता: इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, पीएम पोषण, सक्षम आंगनवाड़ियों आदि के लिए यू. टी. बजट के तहत पूरक का प्रावधान शामिल है।
3.10.	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति: इसमें शिक्षा (प्रारंभिक/माध्यमिक, तकनीकी, विश्वविद्यालयी, उच्चतर शिक्षा), खेलकूद, कला और संस्कृति हेतु प्रावधान शामिल है।	5.	जनजातीय क्षेत्र घटक: इसमें परिषद सचिवालय और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्राथमिक स्कूल शिक्षा विभाग के लिए केंद्र से सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
3.11.	सामाजिक कल्याण: इसमें वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांगजन कल्याण, महिला और बाल कल्याण और, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।	6.	अनुदानग्राही/अन्य निकाय: इसमें विश्वविद्यालयों और कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।
3.12.	ग्रामीण और लघु उद्योग: इसमें ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा कारीगरों को सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।	7.	संघ राज्य क्षेत्र के अन्य व्यय: इसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को ऋण के बंटवारे के लिए भुगतान शामिल है।
3.13.	सूचना और प्रचार-प्रसार: इसमें सूचना और प्रचार-प्रसार तथा लेखन सामग्री और निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण हेतु प्रावधान शामिल है।		
3.14.	सड़कें और पुल: इसमें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के प्रावधान शामिल है।		
3.15.	नागर विमानन: इसमें हेलीकॉप्टरों और वायुयानों की चार्टरिंग हेतु प्रावधान शामिल है।		
3.16.	पर्यटन: इसमें पर्यटन और प्रशिक्षण के विकास और संवर्धन हेतु प्रावधान शामिल है।		

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
3.08	नागरिक आपूर्ति	निवल	6.82	0.01	6.83	7.21	1.19	8.40	5.21	0.29	5.50	7.19	0.78	7.97
			3.54	3.84	7.38	4.55	0.42	4.97	4.55	0.42	4.97	4.11	2.34	6.45
			-2.55	...	-2.55	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50	-6.50	...	-6.50
3.09	स्वास्थ्य	निवल	0.99	3.84	4.83	-1.95	0.42	-1.53	-1.95	0.42	-1.53	-2.39	2.34	-0.05
			18.99	12.38	31.37	39.95	75.05	115.00	30.20	31.15	61.35	33.80	75.68	109.48
			-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.10	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	निवल	18.98	12.38	31.36	39.95	75.05	115.00	30.20	31.15	61.35	33.80	75.68	109.48
			42.17	16.76	58.93	50.37	54.63	105.00	32.02	26.43	58.45	44.78	60.52	105.30
3.11	समाज कल्याण, महिला और बाल विकास		8.62	2.35	10.97	8.44	1.78	10.22	8.44	1.33	9.77	8.24	3.00	11.24
			-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.12	ग्रामीण और लघु उद्योग	निवल	8.56	2.35	10.91	8.44	1.78	10.22	8.44	1.33	9.77	8.24	3.00	11.24
			0.34	0.09	0.43	0.38	0.25	0.63	0.38	0.25	0.63	0.33	0.23	0.56
3.13	रोजगार और प्रशिक्षण		1.68	0.09	1.77	1.93	0.41	2.34	1.93	0.41	2.34	2.10	0.48	2.58
3.14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		1.45	0.33	1.78	1.16	0.43	1.59	1.16	0.33	1.49	1.22	0.42	1.64
3.15	शहरी विकास,आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण		18.36	46.77	65.13	12.31	33.69	46.00	71.88	33.69	105.57	23.44	57.84	81.28
			-0.28	...	-0.28	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00	-20.00	...	-20.00
3.16	सड़कें	निवल	18.08	46.77	64.85	-7.69	33.69	26.00	51.88	33.69	85.57	3.44	57.84	61.28
			0.03	8.97	9.00	0.14	4.00	4.14	0.14	4.00	4.14	0.14	6.00	6.14
3.17	परिवहन		642.08	13.77	655.85	491.16	22.84	514.00	491.16	22.84	514.00	507.52	39.87	547.39
3.18	पर्यटन विकास		0.61	6.74	7.35	1.19	1.55	2.74	1.19	1.33	2.52	0.78	1.31	2.09
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमें			961.83	200.19	1162.02	821.34	285.14	1106.48	850.81	261.73	1112.54	844.69	335.48	1180.17
4.	केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता		0.82	...	0.82	2.32	...	2.32	0.92	...	0.92	1.40	...	1.40
5.	अनुदानग्राही/अन्य निकाय		2.71	...	2.71	2.85	...	2.85	2.60	...	2.60	2.17	...	2.17
6.	संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय		1.21	15.41	16.62	1.50	4.98	6.48	1.50	4.98	6.48	1.20	10.38	11.58
			-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य		निवल	1.13	15.41	16.54	1.50	4.98	6.48	1.50	4.98	6.48	1.20	10.38	11.58
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय			966.49	215.60	1182.09	828.01	290.12	1118.13	855.83	266.71	1122.54	849.46	345.86	1195.32
कुल जोड़			966.49	215.60	1182.09	828.01	290.12	1118.13	855.83	266.71	1122.54	849.46	345.86	1195.32
			1397.40	215.60	1613.00	1296.04	290.12	1586.16	1314.39	266.71	1581.10	1336.49	345.86	1682.35

1. **सचिवालय:** इसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों अर्थात् संचार, योजना एवं सांख्यिकी, न्यायालय, वेतन एवं लेखा, जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन,

सहकारिता, वानिकी एवं वन्य जीव, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सिविल आपूर्ति, विधिक माप-पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा सेवा, कला एवं संस्कृति, उद्योग, सूचना एवं प्रचार, रोजगार एवं प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण कार्य, जलापूर्ति, आवास, सड़क परिवहन, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन, नागर विमानन और पर्यटन विकास आदि की स्थापना का प्रावधान शामिल है।

3.01.	आपदा प्रबंधन: इसमें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र राहत के लिए प्रावधान शामिल है।	3.14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।
3.02.	सूचना प्रौद्योगिकी: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास तथा डाटा कनेक्टिविटी के संवर्धन के लिए प्रावधान शामिल हैं।	3.15.	शहरी विकास,आवासन, जलापूर्ति और बाढ़ नियंत्रण: इसमें विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा अन्य भवनों के निर्माण और रखरखाव, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के सृजन, रिहायशी भवनों के निर्माण तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए (समुद्री अपरदन-रोधी) अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
3.03.	पुलिस: इसमें भवनों, मशीन एवं उपकरण, पुलिस अग्निशमन बल और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए मोटर वाहनों जैसी अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल हैं।	3.16.	सड़कें: इसमें सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण तथा सड़क सुरक्षा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान शामिल है।
3.04.	विद्युत: इसमें विद्युत उत्पादन, वितरण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के विकास, स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग के लिए प्रावधान शामिल है।	3.17.	परिवहन: इसमें पत्तनों के निर्माण और रखरखाव, जहाजों से तट तक परिवहन सुविधाओं, जहाजों के अधिग्रहण एवं रखरखाव, हवाईअड्डों और हेलीपैड के निर्माण तथा उड़ान और हेलिकॉप्टर सेवा के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
3.05.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप: इसमें खेती-बाड़ी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल हैं।	3.18.	पर्यटन विकास: इसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल है।
3.06.	पर्यावरण एवं वन: इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।	4.	केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सहायता: इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और अजीविका मिशन (ग्रामीण) (बीबी-जी राम जी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा सक्षम आंगनवाडियों/पीएम पोषण आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
3.07.	पंचायती राज: इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।	5.	अनुदानग्राही/अन्य निकाय: इसमें लक्षद्वीप राज्य वक्फ़ बोर्ड (एलएसडब्ल्यूबी), विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ), लक्षद्वीप कला अकादमी(एलकेए), लक्षद्वीप खादी एवं ग्राम विकास बोर्ड (एलकेबीडीबी), प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), लक्षद्वीप गोताखोरी अकादमी (एलडीए), पर्यटन एवं खेल संवर्धन समिति (एसपीओआरटीएस) तथा लक्षद्वीप राज्य समाज कल्याण बोर्ड (एलएसएसडब्ल्यूबी) लिए प्रावधान शामिल है।
3.08.	नागरिक आपूर्ति: इसमें खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम तथा सिविल आपूर्ति क्षेत्रों के अंतर्गत राशन तथा आवश्यक वस्तुओं के प्रापण, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु प्रावधान शामिल है।	6.	संघ राज्य क्षेत्र का अन्य व्यय: इसमें जेलों के रखरखाव, न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टाम्पों की खरीद, सूचना एवं प्रचार संबंधी सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव, जिला प्रशासन के भवनों के रखरखाव तथा लक्षद्वीप सरकारी प्रेस की स्थापना एवं रखरखाव आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
3.09.	स्वास्थ्य: इसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना के सृजन और रखरखाव, स्वास्थ्य बीमा पैकेज तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।		
3.10.	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति: इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अवसंरचना के सृजन एवं रखरखाव और विकास, खेल एवं युवा सेवाओं के विकास तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल है।		
3.11.	समाज कल्याण, महिला और बाल विकास: इसमें समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन के लिए प्रावधान शामिल है।		
3.12.	ग्रामीण और लघु उद्योग: इसमें कॉयर, होजरी और स्मारिका बनाने की इकाइयों आदि जैसे ग्रामीण और छोटे उद्योगों के विकास का प्रावधान शामिल है		
3.13.	रोजगार और प्रशिक्षण: इसमें श्रम, रोजगार सेवाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।		

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 57

दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संवर्द्धित क्षतिपूर्ति	...	...	...	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
2. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
3. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00	951.00	...	951.00
4. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	...	142.00	142.00	0.01	380.00	380.01	0.01	274.99	275.00	0.01	380.00	380.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01
कुल जोड़	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	966.00	...	966.00	968.01	...	968.01	967.01	...	967.01	968.01	...	968.01
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	142.00	142.00	...	380.00	380.00	...	274.99	274.99	...	380.00	380.00
जोड़-अन्य	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01
कुल जोड़	966.00	142.00	1108.00	968.01	380.00	1348.01	967.01	274.99	1242.00	968.01	380.00	1348.01

1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संवर्द्धित क्षतिपूर्ति: इसमें 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए संवर्द्धित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

2. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान: भूकंप, सूखा और बाढ़ आदि अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान के लिए अनुदान का प्रावधान है।

3. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए है।
4. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र):** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए प्रावधान है. परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार करना, कमान क्षेत्र में समान जल वितरण और निरंतर (24x7) आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00	279.00	...	279.00
2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता	45278.07	...	45278.07	40619.30	...	40619.30	40619.30	...	40619.30	42650.27	...	42650.27
3. 624 मेगावाट कीरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान	...	...	...	...	...	...	154.81	...	154.81	...	...	...
4. जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान	170.00	...	170.00	...	...	...	185.34	...	185.34	259.25	...	259.25
5. संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77	101.77	...	101.77
6. 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान	171.22	...	171.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
कुल जोड़	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
जोड़-अन्य	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29
कुल जोड़	46000.06	...	46000.06	41000.07	...	41000.07	41340.22	...	41340.22	43290.29	...	43290.29

1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान: यह प्रावधान भूकंप, सूखा और बाढ़ आदि अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आपदा मोचन कोष में अंशदान के लिए है।

2. संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय सहायता: यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए है।

3. **624 मेगावाट किरू एचईपी के लिए इक्विटी योगदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान किरू जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के निर्माण हेतु इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए है। इस परियोजना का उद्देश्य चेनाब नदी की ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।

4. **जेटीएफआरपी-ईएपी हेतु अनुदान:** इसमें झेलम तावी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने का प्रावधान है। परियोजना का उद्देश्य रिकवरी का समर्थन करना और संकट या आपातकाल के लिए तत्काल और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए समुदायों की आपदा समुत्थानशील और क्षमता को बढ़ाना है।

5. **संघ राज्य क्षेत्र के पूंजीगत व्यय हेतु सहायता:** यह प्रावधान सतत पूंजीगत आस्तियों के सृजन, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संसाधन संबंधी कमी के वित्तपोषण की पूर्ति हेतु है।

6. **540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इक्विटी अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए है। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ग्रिड संतुलन और विश्वसनीयता में सुधार करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना तथा जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र में समग्र विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना है।

गृह मंत्रालय

मांग संख्या 59

पुदुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान	38.38	...	38.38	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	3263.98	...	3263.98	3427.18	...	3427.18	3512.86	...	3512.86	3512.86	...	3512.86
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88
कुल जोड़	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3302.36	...	3302.36	3432.19	...	3432.19	3517.87	...	3517.87	3517.87	...	3517.87
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88
कुल जोड़	3302.36	...	3302.36	3432.19	0.01	3432.20	3517.87	0.01	3517.88	3517.87	0.01	3517.88

1.

संघ राज्य क्षेत्र आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान: इसमें भूकंप, सूखा और बाढ़ आदि अधिसूचित आपदाओं के प्रति तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों आपदा मोचन निधि में अंशदान के लिए अनुदान का प्रावधान है।
2.

संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता: यह प्रावधान पुदुचेरी सरकार की योजनाओं के संसाधनों और वित्तपोषणों में कमियों को दूर करने के लिए अनुदानों के संबंध में है।
3.

समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी: यह पुदुचेरी सरकार के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए सांकेतिक राशि का प्रावधान है। परियोजना का उद्देश्य रेजिलियेंट अवसरचना के निर्माण, आजीविका बढ़ाने और हितधारकों की तटीय जोखिम प्रबंधन क्षमता के माध्यम से चक्रवात, तूफान, बाढ़ और सुनामी जैसे जल-मौसम संबंधी और भूभौतिकीय खतरों की शृंखला के लिए तटीय समुदायों की भेद्यता को कम करना है।

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:** यह पुडुचेरी सरकार के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए संकेतिक राशि का प्रावधान है। परियोजना का उद्देश्य पेयजल की उपलब्धता बढ़ाकर और वितरण को तर्कसंगत बनाकर पुडुचेरी और उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार की दिशा में योगदान करना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

</

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.09	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन		3.81	...	3.81	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35	4.35	...	4.35
2.10	स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण		2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	4.30	...	4.30	6.00	...	6.00
2.11	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		3452.13	1.39	3453.52	3472.72	2.39	3475.11	3542.11	2.42	3544.53	3639.40	2.55	3641.95
			-6.46	...	-6.46	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
	निवल		3445.67	1.39	3447.06	3468.73	2.39	3471.12	3538.12	2.42	3540.54	3635.41	2.55	3637.96
	निवल		3542.96	1.39	3544.35	3581.82	2.39	3584.21	3652.96	2.43	3655.39	3754.74	2.59	3757.33
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय			3741.83	21.65	3763.48	3845.08	12.44	3857.52	3920.78	14.68	3935.46	4041.24	14.92	4056.16
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं														
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं														
3. मेट्रो परियोजनाएं														
3.01	इक्विटी निवेश		...	6154.93	6154.93	...	4972.31	4972.31	...	5930.14	5930.14	...	4068.80	4068.80
3.02	संप्रभु हरित निधि को अंतरण		...	5566.43	5566.43	...	4972.31	4972.31	...	5930.14	5930.14	...	4068.80	4068.80
3.03	संप्रभु हरित निधि से पूरी की गई राशि		...	-5566.43	-5566.43	...	-4972.31	-4972.31	...	-5930.14	-5930.14	...	-4068.80	-4068.80
3.04	गौण ऋण		...	1418.00	1418.00	...	2273.93	2273.93	...	3031.98	3031.98	...	3371.20	3371.20
3.05	पास श्रू सहायता		...	17029.00	17029.00	...	23859.94	23859.94	...	18347.43	18347.43	...	21255.00	21255.00
3.06	महानगरीय और गैर-महानगरीय परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण		86.93	...	86.93	133.10	...	133.10	140.45	...	140.45	45.00	...	45.00
3.07	निर्भया कोष में अंतरण		11.00	...	11.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
3.08	निर्भया कोष से पूरी की गई राशि		-11.00	...	-11.00	-9.00	...	-9.00	-9.00	...	-9.00	-9.00	...	-9.00
	निवल		86.93	24601.93	24688.86	133.10	31106.18	31239.28	140.45	27309.55	27450.00	45.00	28695.00	28740.00
4.	मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान		67.02	...	67.02	649.72	...	649.72	100.00	...	100.00	56.05	...	56.05
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं														
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम		209.00	3646.00	3855.00	447.00	2471.00	2918.00	472.00	1528.00	2000.00	1324.00	876.00	2200.00
सामान्य पूल आवास														
6. आवासीय														
6.01	आवासीय		...	1234.17	1234.17	...	1034.45	1034.45	...	1100.00	1100.00	...	1150.00	1150.00
7. गैर-आवासीय														
7.01	गैर-आवासीय		...	2031.96	2031.96	...	2922.56	2922.56	...	2922.56	2922.56	...	4000.01	4000.01
			...	-0.33	-0.33	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	निवल		...	2031.63	2031.63	...	2922.55	2922.55	...	2922.55	2922.55	...	4000.00	4000.00
जोड़-सामान्य पूल आवास			...	3265.80	3265.80	...	3957.00	3957.00	...	4022.55	4022.55	...	5150.00	5150.00
8.	प्रधान मंत्री स्ट्रीट वैंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)		442.74	...	442.74	373.00	...	373.00	571.98	...	571.98	900.00	...	900.00
9.	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम		1.95	...	1.95	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.50	...	2.50
10.	शहरी नियोजन/डिज़ाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान		1000.00	...	1000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. नगरपालिका बांड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1807.64	31513.73	33321.37	1604.82	37534.18	39139.00	1286.43	32860.10	34146.53	2427.55	34721.00	37148.55
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
12. लेखन सामग्री नियंत्रक	27.04	0.15	27.19	66.26	1.05	67.31	61.00	1.05	62.05	66.26	1.05	67.31
निवल	-8.73	...	-8.73	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00
	18.31	0.15	18.46	61.26	1.05	62.31	56.00	1.05	57.05	61.26	1.05	62.31
13. मुद्रणालय	147.05	37.05	184.10	165.46	65.50	230.96	145.21	14.79	160.00	155.20	18.87	174.07
निवल	-159.85	...	-159.85	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00
	-12.80	37.05	24.25	15.46	65.50	80.96	-4.79	14.79	10.00	5.20	18.87	24.07
14. अन्य संगठन	...	...	...	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
15. प्रकाशन नियंत्रक	18.06	0.19	18.25	24.00	0.21	24.21	19.11	1.63	20.74	19.11	1.63	20.74
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	23.57	37.39	60.96	99.72	66.76	166.48	69.32	17.47	86.79	84.57	21.55	106.12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
16. हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	...	50.00	50.00	...	10.00	10.00	...	85.00	85.00	...	50.00	50.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	23.57	87.39	110.96	99.72	76.76	176.48	69.32	102.47	171.79	84.57	71.55	156.12
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
17. पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-शहरी 2.0												
17.01 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	...	...	...	500.00	...	500.00	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00
17.02 समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास	0.60	...	0.60	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
17.03 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	74.33	...	74.33	159.96	...	159.96	86.02	0.60	86.62	154.41	0.60	155.01
17.04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	3970.06	...	3970.06	17357.04	...	17357.04	5803.07	...	5803.07	16193.04	...	16193.04
17.05 ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए व्याज की अदायगी	1770.44	...	1770.44	1772.00	...	1772.00	1605.30	...	1605.30	1772.00	...	1772.00
जोड़- पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-शहरी 2.0	5815.43	...	5815.43	19794.00	...	19794.00	7499.40	0.60	7500.00	18624.45	0.60	18625.05
18. पीएमएवाई-यू 2.0 व्याज सन्निडी योजना												
18.01 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए व्याज सन्निडी योजना-I (आईएसएस-I)	35.00	...	35.00	2500.00	...	2500.00	200.00	...	200.00	2000.00	...	2000.00
18.02 एमआईजी के लिए व्याज सन्निडी योजना-II (आईएसएस-II)	15.00	...	15.00	1000.00	...	1000.00	100.00	...	100.00	1000.00	...	1000.00
जोड़- पीएमएवाई-यू 2.0 व्याज सन्निडी योजना	50.00	...	50.00	3500.00	...	3500.00	300.00	...	300.00	3000.00	...	3000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19. औद्योगिक आवास हेतु स्कीम	...	...	...	2500.00	...	2500.00	100.00	...	100.00	400.00	...	400.00
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
20.01 केंद्रीय घटक	0.53	...	0.53	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	28.50	...	28.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	29.03	...	29.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-(एस))	61.61	...	61.61	...	...	...	200.00	...	200.00	536.51	...	536.51
शहरी पुनर्जीवन मिशन : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन												
22. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)												
22.01 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन - 500 शहर	5646.62	...	5646.62	10000.00	...	10000.00	7500.00	...	7500.00	8000.00	...	8000.00
23. स्मार्ट सिटी मिशन												
23.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	2036.09	...	2036.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2035.94	...	2035.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.02 नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	89.68	...	89.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन	2125.62	...	2125.62	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-शहरी पुनर्जीवन मिशन : अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन	7772.24	...	7772.24	10000.00	...	10000.00	7500.00	...	7500.00	8000.00	...	8000.00
24. नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)	94.25	...	94.25	250.00	...	250.00	50.00	...	50.00	300.00	...	300.00
25. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)	...	...	...	1250.00	...	1250.00	...	...	...	300.00	...	300.00
स्वच्छ भारत मिशन												
26. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
26.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	159.42	...	159.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26.02 सकल बजट सहायता	1733.80	...	1733.80	5000.00	...	5000.00	2000.00	...	2000.00	2500.00	...	2500.00
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	1893.22	...	1893.22	5000.00	...	5000.00	2000.00	...	2000.00	2500.00	...	2500.00
27. पीएम-ईवस सेवा योजना	477.02	...	477.02	1310.00	...	1310.00	300.00	...	300.00	500.00	...	500.00
28. अर्बन चैलेंज फंड	...	...	...	10000.00	...	10000.00	1000.00	...	1000.00	10000.00	...	10000.00
29. वास्तविक वसूलियां	-133.46	...	-133.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	16059.34	...	16059.34	53604.00	...	53604.00	18949.40	0.60	18950.00	44160.96	0.60	44161.56
कुल जोड़	21632.38	31622.77	53255.15	59153.62	37623.38	96777.00	24225.93	32977.85	57203.78	50714.32	34808.07	85522.39
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	141.06	...	141.06	182.78	...	182.78	185.51	...	185.51	202.11	...	202.11
2. लेखन सामग्री और मुद्रण	23.57	...	23.57	100.72	...	100.72	70.32	...	70.32	85.57	...	85.57
3. लोक निर्माण कार्य	2274.13	...	2274.13	2396.26	...	2396.26	2332.33	...	2332.33	2426.95	...	2426.95
4. लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.39	37.39	...	66.76	66.76	...	17.47	17.47	...	21.55	21.55
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2032.58	2032.58	...	2923.74	2923.74	...	2924.01	2924.01	...	4002.35	4002.35
जोड़-सामान्य सेवाएं	2438.76	2069.97	4508.73	2679.76	2990.50	5670.26	2588.16	2941.48	5529.64	2714.63	4023.90	6738.53
सामाजिक सेवाएं												
6. सामान्य शिक्षा	...	...	...	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00	-1.00	...	-1.00
7. आवासन	3103.92	...	3103.92	7111.26	...	7111.26	3308.74	...	3308.74	6751.03	...	6751.03
8. शहरी विकास	1926.92	...	1926.92	1972.46	...	1972.46	1159.48	...	1159.48	2376.73	...	2376.73
9. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1235.38	1235.38	...	1036.05	1036.05	...	1103.05	1103.05	...	1152.42	1152.42
10. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	6223.98	6223.98	...	4990.76	4990.76	...	6024.65	6024.65	...	4128.40	4128.40
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.25	0.25	...	0.70	0.70	...	0.78	0.78	...	0.70	0.70
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	22093.00	22093.00	...	28604.87	28604.87	...	22907.41	22907.41	...	25502.20	25502.20
जोड़-सामाजिक सेवाएं	5030.84	29552.61	34583.45	9082.72	34632.38	43715.10	4467.22	30035.89	34503.11	9126.76	30783.72	39910.48
आर्थिक सेवाएं												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	445.30	...	445.30	373.00	...	373.00	639.98	...	639.98	1173.50	...	1173.50
14. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.19	0.19	...	0.50	0.50	...	0.48	0.48	...	0.45	0.45
जोड़-आर्थिक सेवाएं	445.30	0.19	445.49	373.00	0.50	373.50	639.98	0.48	640.46	1173.50	0.45	1173.95
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1013.72	...	1013.72	880.06	...	880.06	1323.00	...	1323.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	12998.11	...	12998.11	45150.22	...	45150.22	15043.57	...	15043.57	35517.67	...	35517.67
17. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	719.37	...	719.37	854.20	...	854.20	606.94	...	606.94	858.76	...	858.76
जोड़-अन्य	13717.48	...	13717.48	47018.14	...	47018.14	16530.57	...	16530.57	37699.43	...	37699.43
कुल जोड़	21632.38	31622.77	53255.15	59153.62	37623.38	96777.00	24225.93	32977.85	57203.78	50714.32	34808.07	85522.39

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड	...	447.00	447.00	...	360.00	360.00	...	450.00	450.00	...	470.00	470.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	38072.50	38072.50	...	61846.96	61846.96	...	66935.93	66935.93	...	72093.15	72093.15

									(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
3.	मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं		24601.93	...	24601.93	31106.18	...	31106.18	27309.55	...	27309.55
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम		3646.00	...	3646.00	2471.00	...	2471.00	1528.00	...	1528.00
5.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड		50.00	...	50.00	10.00	...	10.00	85.00	...	85.00
जोड़			28297.93	38519.50	66817.43	33587.18	62206.96	95794.14	28922.55	67385.93	96308.48
									29621.00	72563.15	102184.15

- 2.11. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग:** यह प्रावधान प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के लिए सचिवालय और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 1.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और पृथ्वी के प्रेक्षण तथा नौचालन उपग्रह मिशन की लागत की साझेदारी सहित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
- 1.02. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।
- 1.03. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 1.04. **अंतरराष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।
2. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 2.01-2.06
- यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन के लिए है, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना ; राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए संबंधित तकनीकी, सलाहकारी और परामर्शी संगठन हैं।
- 2.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह प्रावधान बैकल्पिक निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।
- 2.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह अनुदान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन के लिए है।
- 2.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह प्रावधान आवासन सांख्यिकी के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रयोग और प्रसार के लिए राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।
- 2.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) को अनुदान के लिए है जो आबंटियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों को देखता है और दिल्ली में उनके हितों की रक्षा करता है।

3. **मेट्रो परियोजनाएं:** यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण और पारगमन सहायता तथा परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण के व्यय के लिए हैं।
4. **मेट्रो रेल परियोजनाओं को अनुदान:** यह प्रावधान विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के अनुदान के लिए है।
5. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में अनुदान, गौण ऋण और पारगमन सहायता लिए है।
6. **आवासीय:** यह प्रावधान सरकारी आवासीय भवनों के निर्माण और अनुरक्षण लिए है।
7. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सहित गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है।
8. **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को संपार्थिक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा सके।
9. **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) क्षेत्र विकास स्कीम:** विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभागों/यूएलबी आदि के सेवारत अभियंत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
10. **शहरी नियोजन/डिज़ाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थानों की पहचान:** यह प्रावधान शहरी नियोजन/डिज़ाइन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में 4 शैक्षणिक संस्थान को पहचान करने के लिए है।
11. **नगरपालिका बांड:** यह बड़े शहरों द्वारा उच्चतर मूल्य के नगरपालिका बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम है।
12. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए है।

13. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी मुद्रणालय के लिए निर्धारित है इसमें पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।

14. **अन्य संगठन:** यह प्रावधान पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय के संबंध में पहले ही मुद्रित राशि की वसूली के लिए है।

15. **प्रकाशन नियंत्रक:** यह प्रावधान प्रकाशन नियंत्रक के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।

16. **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एचपीआईएल को सहायता प्रदान करने के लिए है जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित हुआ है।

17. **पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई-शहरी 2.0:** यह प्रावधान पीएमए (यू)-2 सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 'सभी को आवास' प्रदान करना है। स.अ. 2025-26 के तहत, पीएमएवाई (यू) और पीएमएवाई (यू) 2 के तहत वजटीय आवंटन क्रमशः 3,200 करोड़ रुपये और 4,300 करोड़ रुपये किया गया है। वर्ष 2026-27 के तहत संबंधित आवंटन क्रमशः 6,000 करोड़ रुपये और 12,625.05 करोड़ रुपये है।

17.01. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपाश्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करता है।

17.02. **समावेशी शहरी शासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी शासन के संस्थागत विकास के लिए है।

17.03. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।

17.04. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं।

17.05. **ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ऋण के लिए ब्याज की अदायगी:** यह प्रावधान पीएमएवाई (यू) योजना के लिए अतिरिक्त वजटीय संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण के ब्याज अदायगी के लिए है।

18. **पीएमएवाई-यू 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना:** यह प्रावधान पीएमए 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी घटक के लिए है।

18.01. **ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ब्याज सब्सिडी योजना-I (आईएसएस-I):** यह प्रावधान पीएमएवाई 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

18.02. **एमआईजी के लिए ब्याज सब्सिडी योजना-II (आईएसएस-II):** यह प्रावधान पीएमएवाई 2.0 के तहत मध्य आय समूह (एमआईजी) श्रेणी को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

19. **औद्योगिक आवास हेतु स्कीम:** यह प्रावधान शहरी कामगारों, विशेष रूप से प्रवासियों को उनके कार्यस्थलों के पास किरायती किराये या स्वामित्व आवास प्रदान करने के लिए अनिवार्य औद्योगिक आवास के लिए नई योजना के लिए है।

21. **दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-(एस)):** यह प्रावधान दीनदयाल जन आजीविका योजना -शहरी के लिए है जो भारत का पुनर्गठित शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन है।

22. **अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन):** यह प्रावधान अमृत योजना के लिए है जिसका उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।

24. **नवाचार, एकीकरण और संधारणीयता के लिए शहरी निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0):** यह प्रावधान फ्रेंच डेवलेपमेंट एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडराउबाउ (केएफडब्ल्यू) और यूरोपीय संघ (ईयू) की सहभागिता में सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के लिए है।

25. **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम):** यह प्रावधान शहरी क्षेत्रों के लिए साझा डिजिटल अवसरंचना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) की योजना के लिए है, जिसका उद्देश्य एकीकृत, नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से नगरपालिका को अधिक प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करना है।

26. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** यह प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।

27. **पीएम-ईबस सेवा योजना:** यह प्रावधान भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसरंचना को बढ़ावा देन हेतु प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए है।

28. **अर्बन चैलेंज फंड:** यह प्रावधान 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' की नई पहल के कार्यान्वयन के लिए है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	4261.67	45.10	4306.77	4314.59	43.79	4358.38	6038.34	64.68	6103.02	4494.56	57.38	4551.94
	वसूलियां	-4.95	...	-4.95	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	4256.72	45.10	4301.82	4314.59	43.79	4358.38	6038.34	64.68	6103.02	4494.56	57.38	4551.94
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. स्थापना व्यय													
1.01	सचिवालय	109.48	5.69	115.17	124.16	18.54	142.70	120.03	18.74	138.77	123.38	18.03	141.41
		-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	109.46	5.69	115.15	124.16	18.54	142.70	120.03	18.74	138.77	123.38	18.03	141.41
1.02	कला और संस्कृति	37.59	0.11	37.70	38.12	0.15	38.27	38.55	0.13	38.68	32.94	0.13	33.07
		-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	37.53	0.11	37.64	38.12	0.15	38.27	38.55	0.13	38.68	32.94	0.13	33.07
1.03	सूचना और प्रचार	371.53	11.86	383.39	391.53	10.00	401.53	385.93	27.08	413.01	397.22	27.38	424.60
		-1.66	...	-1.66	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	369.87	11.86	381.73	391.53	10.00	401.53	385.93	27.08	413.01	397.22	27.38	424.60
	निवल	516.86	17.66	534.52	553.81	28.69	582.50	544.51	45.95	590.46	553.54	45.54	599.08
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
2.	प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	213.69	...	213.69	500.00	...	500.00	550.00	...	550.00	509.24	...	509.24
3.	विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार	298.46	25.74	324.20	347.90	15.10	363.00	405.16	18.73	423.89	332.71	11.84	344.55
4.	विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार	167.74	...	167.74	238.09	...	238.09	196.11	...	196.11	250.00	...	250.00
5.	भारत में कम्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता	7.65	...	7.65	17.40	...	17.40	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
6.	एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में प्रतिभा विकास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		687.54	25.74	713.28	1103.39	15.10	1118.49	1159.27	18.73	1178.00	1349.95	11.84	1361.79
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
7. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
7.01 प्रसार भारती	2427.76	...	2427.76	2379.70	...	2379.70	4059.24	...	4059.24	2291.88	...	2291.88
	-3.21	...	-3.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2424.55	...	2424.55	2379.70	...	2379.70	4059.24	...	4059.24	2291.88	...	2291.88
7.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	73.11	...	73.11	89.11	...	89.11	95.33	...	95.33	89.97	...	89.97
7.03 सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता	53.00	...	53.00	52.45	...	52.45	55.00	...	55.00	80.00	...	80.00
7.04 भारतीय जनसंचार संस्थान	83.31	...	83.31	108.65	...	108.65	81.65	...	81.65	83.00	...	83.00
7.05 भारतीय प्रेस परिषद	9.20	...	9.20	10.48	...	10.48	10.34	...	10.34	11.22	...	11.22
जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	2643.17	...	2643.17	2640.39	...	2640.39	4301.56	...	4301.56	2556.07	...	2556.07
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	18.00	...	18.00	17.00	...	17.00	33.00	...	33.00	35.00	...	35.00
9. राष्ट्रीय एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स उत्कृष्टता केंद्र-विस्तारित वास्तविकता (एनसीओई एबीजीसी-एक्सआर)	391.15	1.70	392.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	409.15	1.70	410.85	17.00	...	17.00	33.00	...	33.00	35.00	...	35.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	3052.32	1.70	3054.02	2657.39	...	2657.39	4334.56	...	4334.56	2591.07	...	2591.07
कुल जोड़	4256.72	45.10	4301.82	4314.59	43.79	4358.38	6038.34	64.68	6103.02	4494.56	57.38	4551.94
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	37.53	...	37.53	38.12	...	38.12	38.55	...	38.55	32.94	...	32.94
2. सूचना और प्रचार	1471.49	...	1471.49	1210.76	...	1210.76	1207.67	...	1207.67	1476.83	...	1476.83
3. प्रसारण	2638.24	...	2638.24	2829.70	...	2829.70	4554.24	...	4554.24	2750.19	...	2750.19
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	109.46	...	109.46	124.16	...	124.16	120.03	...	120.03	123.38	...	123.38
5. सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	...	45.10	45.10	...	43.79	43.79	...	64.68	64.68	...	57.38	57.38
जोड़-सामाजिक सेवाएं	4256.72	45.10	4301.82	4202.74	43.79	4246.53	5920.49	64.68	5985.17	4383.34	57.38	4440.72
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	111.85	...	111.85	117.85	...	117.85	111.22	...	111.22
जोड़-अन्य	...	...	...	111.85	...	111.85	117.85	...	117.85	111.22	...	111.22
कुल जोड़	4256.72	45.10	4301.82	4314.59	43.79	4358.38	6038.34	64.68	6103.02	4494.56	57.38	4551.94

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
राष्ट्रीय एनिमेशन दृश्य उत्कृष्टता केंद्र												
1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	5.56	5.56	...	14.50	14.50	...	13.83	13.83	...	15.30	15.30
जोड़-राष्ट्रीय एनिमेशन दृश्य उत्कृष्टता केंद्र	...	5.56	5.56	...	14.50	14.50	...	13.83	13.83	...	15.30	15.30
जोड़	...	5.56	5.56	...	14.50	14.50	...	13.83	13.83	...	15.30	15.30

- 1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को शामिल किया जाता है।
- 1.02. **कला और संस्कृति:** इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से संबंधित व्यय को शामिल किया जाता है।
- 1.03. **सूचना और प्रचार:** यह इस मंत्रालय की निम्नलिखित मीडिया इकाइयों और सचिवालय के स्थापना व्यय को कवर करता है -

(i) केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्व में आउटरीच एंड कम्प्युनिकेशन ब्यूरो) - इसमें निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं: विज्ञापन और अन्य मुद्रित सामग्रियों के माध्यम से प्रचार अभियानों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनियों और अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से, फिल्म शो, लाइव मीडिया प्रोग्राम, फोटो प्रदर्शन और सेमिनार तथा जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए लाइव मनोरंजन मीडिया के माध्यम से व्यक्तिपरक और विकासात्मक संचार।

(ii) प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) - यह सरकार और प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सार्वजनिकता और जनसंपर्क आवश्यकताओं के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की आधिकारिक फोटो कवरेज को संभालता है। यह दृश्य दस्तावेजीकरण और भारत सरकार की ओर से आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए फ़ोटो तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(iii) प्रकाशन विभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के खर्चों के लिए प्रावधान करता है, जो विभिन्न विषयों पर मूल्यांकित किताबें, जर्नल और अन्य मुद्रित सामग्री अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में साप्ताहिक रोजगार समाचार भी प्रकाशित करता है।

(iv) न्यू मीडिया विंग - यह मीडिया से संबंधित विषयों पर मूलभूत जानकारी एकत्रित और संकलित करता है ताकि मंत्रालय और इसके मीडिया यूनिट्स, विदेशों में भारतीय मिशन और समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों को सहायता प्रदान की जा सके।

(v) प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) (पूर्व आरएनआई) - यह समाचार पत्रों/पिरियोडिकल्स के शीर्षकों का सांख्यिकीय रिकॉर्ड/सत्यापन रखता है। यह समाचार पत्रों/पिरियोडिकल्स के पंजीकरण का प्रमाणपत्र भी जारी करता है। प्रावधान इन कार्यविधियों को निष्पादित करने के लिए है।

- (vi) सचिवालय - यह अंतर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान, एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) में योगदान, एनएफआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठनों की सदस्यता में योगदान और निजी एफएम रेडियो स्टेशन के लिए भुगतान को संभालता है।
- (vii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) - ईएमएमसी संबंधित कोइस के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापनों की निगरानी करता है। यह प्रावधान टेलीविजन चैनलों/रेडियो में कोइस के उल्लंघन की निगरानी के लिए है। (viii) राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया केंद्र की स्थापना - यह मंत्रालय प्रस्तावित करता है कि 12 राज्यों की राजधानी में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को समायोजित करने के लिए अत्याधुनिक ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं वाले क्षेत्रीय सूचना भवन का निर्माण किया जाए।
2. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसे प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना का उद्देश्य आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण और एफएमीकरण, अधिक चैनलों को समायोजित करने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता का उन्नयन और दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करना आदि है।
3. **विकास संचार और फिल्मों में अंतर्निहित विषय का प्रसार:** यह फिल्म समारोहों, नई फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण के माध्यम से भारतीय सिनेमा के प्रचार और संरक्षण के लिए है और यह भारतीय सिनेमा को अपना काम प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
4. **विकास संचार और सूचना संबंधी प्रसार:** इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है ताकि लक्षित लाभार्थियों को विकासात्मक योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
5. **भारत में कम्प्यूनिटी रेडियो अभियान को सहायता:** इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता प्रदान करना है जो विशेषकर ऐसे समुदायों, जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं, के लिए एक संचार का आवश्यक माध्यम है।

6. **एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में प्रतिभा विकास:** 15000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी सामग्री सृजन प्रयोगशाला स्थापित करके सामग्री सृजन में युवाओं को अग्रणी करके भारत को आगे ले जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

7.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में धारित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल हैं।

7.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे:** इसमें वित्त वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती योजना आवंटन शामिल हैं।

7.03. **सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता:** इसमें वित्त वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती योजना आवंटन शामिल है।

7.04. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन , आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना के तहत आवंटन शामिल हैं।

7.05. **भारतीय प्रेस परिषद:** इसमें भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के गैर-योजना व्यय शामिल हैं।

8. **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी):** इसमें राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के गैर-योजना व्यय शामिल हैं।

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26311.41	300.19	26611.60	32607.40	558.50	33165.90	23782.47	457.08	24239.55	26182.32	475.66	26657.98
वसूलियां	-5744.89	-0.06	-5744.95	-7886.91	-2.16	-7889.07	-5833.81	...	-5833.81	-6745.00	...	-6745.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	20566.52	300.13	20866.65	24720.49	556.34	25276.83	17948.66	457.08	18405.74	19437.32	475.66	19912.98
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	141.96	28.09	170.05	192.15	11.86	204.01	164.10	13.15	177.25	176.97	11.03	188.00
संबद्ध, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय												
2. केन्द्रीय जल आयोग	406.89	11.83	418.72	437.63	13.50	451.13	433.39	9.61	443.00	424.32	5.67	429.99
3. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र												
3.01 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र	91.64	0.45	92.09	96.72	1.28	98.00	94.44	1.06	95.50	97.04	0.74	97.78
3.02 सीडब्ल्यूपीआरएस की वसूलियां	-17.90	...	-17.90	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00
निवल	73.74	0.45	74.19	81.72	1.28	83.00	79.44	1.06	80.50	82.04	0.74	82.78
4. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र	29.89	...	29.89	34.89	0.11	35.00	30.00	...	30.00	33.89	1.11	35.00
5. बाणसागर कंट्रोल बोर्ड	0.03	...	0.03	0.06	...	0.06	0.13	...	0.13	0.05	...	0.05
6. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड												
6.01 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	2.42	0.17	2.59	4.91	2.16	7.07	4.98	2.04	7.02	5.64	1.29	6.93
6.02 यूवाईआरबी की वसूलियां	-1.95	...	-1.95	-0.91	-2.16	-3.07	-1.52	...	-1.52	-0.93	...	-0.93
निवल	0.47	0.17	0.64	4.00	...	4.00	3.46	2.04	5.50	4.71	1.29	6.00
7. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	290.50	0.19	290.69	322.00	8.00	330.00	315.58	2.42	318.00	313.98	0.02	314.00
8. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण	6.74	2.40	9.14	18.00	5.91	23.91	22.70	5.30	28.00	32.61	2.39	35.00
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	48.25	...	48.25	55.00	...	55.00	48.00	...	48.00	60.00	...	60.00
10. राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र	3.56	...	3.56	4.50	...	4.50	9.00	1.00	10.00	10.00	2.00	12.00
11. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	7.60	0.14	7.74	10.81	0.19	11.00	9.52	0.20	9.72	9.88	0.12	10.00
12. पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम)	22.57	...	22.57	25.50	...	25.50	23.00	...	23.00	25.50	...	25.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए)	42.81	...	42.81	51.00	...	51.00	44.00	...	44.00	46.00	...	46.00
14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	55.07	...	55.07	62.00	...	62.00	58.00	...	58.00	59.00	...	59.00
15. राष्ट्रीय जल अकादमी	8.96	0.12	9.08	15.37	20.82	36.19	12.71	0.32	13.03	16.31	23.69	40.00
16. राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	2.26	0.03	2.29	3.44	0.06	3.50	3.45	0.05	3.50	7.99	1.70	9.69
जोड़-संबद्ध , अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	999.34	15.33	1014.67	1125.92	49.87	1175.79	1092.38	22.00	1114.38	1126.28	38.73	1165.01
17. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	...	...	...	55.00	...	55.00	17.58	...	17.58	20.00	...	20.00
18. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-1.39	...	-1.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1139.91	43.42	1183.33	1373.07	61.73	1434.80	1274.06	35.15	1309.21	1323.25	49.76	1373.01
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
मुख्य सिंचाई परियोजनाएं												
19. फरक्का बैराज परियोजना												
19.01 फरक्का बैराज परियोजना	76.29	49.36	125.65	88.11	51.89	140.00	105.56	48.44	154.00	106.27	47.73	154.00
19.02 एफबीपी की वसूलियां	-100.79	-0.06	-100.85	-71.00	...	-71.00	-72.00	...	-72.00	-73.00	...	-73.00
निवल	-24.50	49.30	24.80	17.11	51.89	69.00	33.56	48.44	82.00	33.27	47.73	81.00
20. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
20.01 इएपी घटक	19.36	0.34	19.70	20.15	9.50	29.65	19.89	1.54	21.43	25.34	14.61	39.95
20.02 कार्यक्रम घटक	21.38	0.12	21.50	20.15	0.50	20.65	19.89	0.39	20.28	25.34	1.61	26.95
जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम	40.74	0.46	41.20	40.30	10.00	50.30	39.78	1.93	41.71	50.68	16.22	66.90
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	16.24	49.76	66.00	57.41	61.89	119.30	73.34	50.37	123.71	83.95	63.95	147.90
नमामी गंगे मिशन-II												
21. राष्ट्रीय गंगा योजना												
21.01 ईएपी घटक	576.35	...	576.35	500.00	...	500.00	450.00	...	450.00	600.00	...	600.00
21.02 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	2400.00	...	2400.00	2900.00	...	2900.00	2237.00	...	2237.00	2500.00	...	2500.00
21.03 कार्यक्रम घटक	2018.76	...	2018.76	2900.00	...	2900.00	2237.00	...	2237.00	2500.00	...	2500.00
21.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-2018.77	...	-2018.77	-2900.00	...	-2900.00	-2237.00	...	-2237.00	-2500.00	...	-2500.00
निवल	2976.34	...	2976.34	3400.00	...	3400.00	2687.00	...	2687.00	3100.00	...	3100.00
नदी बेसिन प्रबंधन												
22. नदी बेसिन प्रबंधन	130.73	0.40	131.13	242.37	0.63	243.00	167.37	0.68	168.05	204.45	0.55	205.00
जल संसाधन प्रबंधन												
23. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	147.21	18.40	165.61	61.16	2.23	63.39	169.27	30.73	200.00	215.40	12.60	228.00
24. भू-जल प्रबंधन और विनियमन	84.61	147.44	232.05	97.64	411.36	509.00	105.29	319.71	425.00	115.78	309.22	425.00
25. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
25.01 इएपी घटक	172.62	14.20	186.82	6.49	0.01	6.50	3.03	...	3.03	183.11	16.89	200.00
25.02 कार्यक्रम घटक	170.37	15.75	186.12	6.49	0.01	6.50	9.92	0.05	9.97	183.11	16.89	200.00
जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	342.99	29.95	372.94	12.98	0.02	13.00	12.95	0.05	13.00	366.22	33.78	400.00

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
26.	राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन		32.31	9.80	42.11	53.80	16.20	70.00	107.16	13.45	120.61	243.48	...	243.48
27.	अटल भू-जल योजना													
27.01	इएपी घटक		400.00	...	400.00	468.00	...	468.00	316.74	...	316.74	...	...	...
27.02	कार्यक्रम घटक		193.72	0.36	194.08	1312.00	0.40	1312.40	296.26	...	296.26	0.13	...	0.13
जोड़- अटल भू-जल योजना			593.72	0.36	594.08	1780.00	0.40	1780.40	613.00	...	613.00	0.13	...	0.13
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन			1200.84	205.95	1406.79	2005.58	430.21	2435.79	1007.67	363.94	1371.61	941.01	355.60	1296.61
28.	वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)		-88.45	...	-88.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			4235.70	256.11	4491.81	5705.36	492.73	6198.09	3935.38	414.99	4350.37	4329.41	420.10	4749.51
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण														
केंद्र प्रायोजित योजनाएं														
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना														
29.	हर खेत को पानी		589.52	...	589.52	1100.00	...	1100.00	893.00	...	893.00	700.00	...	700.00
30.	कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन		62.04	...	62.04	850.00	...	850.00	150.00	...	150.00	45.00	...	45.00
31.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं													
31.01	कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण		2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00	1700.00	...	1700.00	2250.00	...	2250.00
31.02	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं		1557.71	...	1557.71	2500.00	...	2500.00	1700.00	...	1700.00	2250.00	...	2250.00
31.03	घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि		-1557.71	...	-1557.71	-2500.00	...	-2500.00	-1700.00	...	-1700.00	-2250.00	...	-2250.00
	निवल		2040.00	...	2040.00	2500.00	...	2500.00	1700.00	...	1700.00	2250.00	...	2250.00
32.	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की चुकौती													
32.01	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए के नाबार्ड ऋण हेतु व्याज अदायगी		2101.03	...	2101.03	2043.00	...	2043.00	2031.60	...	2031.60	1961.70	...	1961.70
32.02	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एनडब्ल्यूडीए को नाबार्ड ऋण हेतु मूलधन का पुनर्भुगतान		1023.82	...	1023.82	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00	1024.00	...	1024.00
32.03	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों को नाबार्ड के लिए व्याज आर्थिक सहायता		684.22	...	684.22	742.85	...	742.85	573.00	...	573.00	606.30	...	606.30
	जोड़- पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण की चुकौती		3809.07	...	3809.07	3809.85	...	3809.85	3628.60	...	3628.60	3592.00	...	3592.00
33.	कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण		...	...	...	...	...	...	546.80	3.20	550.00	545.94	4.06	550.00
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			6500.63	...	6500.63	8259.85	...	8259.85	6918.40	3.20	6921.60	7132.94	4.06	7137.00
34.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)		386.92	0.60	387.52	448.12	1.88	450.00	444.72	3.74	448.46	795.26	1.74	797.00
35.	सिंचाई गणना		18.90	...	18.90	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	80.00	...	80.00
36.	महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा जिला एवं अन्य शेष भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि आपदा से निपटने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता		185.94	...	185.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
37. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन												
37.01 ईएपी घटक	380.97	...	380.97	346.64	...	346.64	257.57	...	257.57	241.56	...	241.56
37.02 कार्यक्रम घटक	208.22	...	208.22	211.45	...	211.45	258.04	...	258.04	308.44	...	308.44
जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन	589.19	...	589.19	558.09	...	558.09	515.61	...	515.61	550.00	...	550.00
38. नदियों को आपस में जोड़ना												
38.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00	1808.29	...	1808.29	1906.07	...	1906.07
38.02 नदियों को परस्पर जोड़ना	1954.86	...	1954.86	2400.00	...	2400.00	1808.29	...	1808.29	1906.07	...	1906.07
38.03 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-1954.86	...	-1954.86	-2400.00	...	-2400.00	-1808.29	...	-1808.29	-1906.07	...	-1906.07
निवल	2000.00	...	2000.00	2400.00	...	2400.00	1808.29	...	1808.29	1906.07	...	1906.07
39. ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत	5512.40	...	5512.40	5936.00	...	5936.00	3017.20	...	3017.20	3320.39	...	3320.39
40. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-3.07	...	-3.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	15190.91	0.60	15191.51	17642.06	1.88	17643.94	12739.22	6.94	12746.16	13784.66	5.80	13790.46
कुल जोड़	20566.52	300.13	20866.65	24720.49	556.34	25276.83	17948.66	457.08	18405.74	19437.32	475.66	19912.98
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत सिंचाई	2000.00	...	2000.00	969.00	...	969.00	917.48	...	917.48	859.70	...	859.70
2. मुख्य और मध्यम सिंचाई	5744.97	...	5744.97	6550.15	...	6550.15	5367.58	...	5367.58	5249.79	...	5249.79
3. लघु सिंचाई	376.58	...	376.58	423.16	...	423.16	424.40	...	424.40	437.91	...	437.91
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	165.85	...	165.85	38.02	...	38.02	34.72	...	34.72	43.26	...	43.26
5. अन्य परिवहन सेवाएं	-24.50	...	-24.50	17.11	...	17.11	33.56	...	33.56	33.27	...	33.27
6. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2920.59	...	2920.59	3437.80	...	3437.80	2743.51	...	2743.51	3160.18	...	3160.18
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	148.43	...	148.43	210.15	...	210.15	186.80	...	186.80	209.58	...	209.58
8. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	71.94	71.94	...	64.97	64.97	...	61.04	61.04	...	100.55	100.55
9. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	147.66	147.66	...	419.42	419.42	...	322.18	322.18	...	310.94	310.94
10. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.60	0.60	...	1.88	1.88	...	3.74	3.74	...	1.74	1.74
11. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	49.30	49.30	...	51.89	51.89	...	48.44	48.44	...	47.73	47.73
12. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.14	0.14	...	0.19	0.19	...	0.20	0.20	...	0.12	0.12
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	30.49	30.49	...	17.77	17.77	...	18.45	18.45	...	13.42	13.42
जोड़-आर्थिक सेवाएं	11331.92	300.13	11632.05	11645.39	556.12	12201.51	9708.05	454.05	10162.10	9993.69	474.50	10468.19
अन्य												
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	497.66	...	497.66	421.88	...	421.88	427.94	...	427.94
15. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	9207.59	...	9207.59	12524.24	...	12524.24	7774.15	...	7774.15	8889.54	...	8889.54

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		27.01	...	27.01	53.20	...	53.20	44.58	...	44.58	126.15	...	126.15
17.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय		...	...	...	...	0.22	0.22	...	3.03	3.03	...	1.16	1.16
जोड़-अन्य			9234.60	...	9234.60	13075.10	0.22	13075.32	8240.61	3.03	8243.64	9443.63	1.16	9444.79
कुल जोड़			20566.52	300.13	20866.65	24720.49	556.34	25276.83	17948.66	457.08	18405.74	19437.32	475.66	19912.98
												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड														
1. डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड			...	...	...	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़-डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड			...	...	...	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
जोड़			...	...	...	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50

- 1.**सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

2.**केन्द्रीय जल आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय और डेटा संग्रह, निदेश और प्रशासन, सर्वेक्षण और जांच, हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान, उपकरणों के आधुनिकीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की निगरानी के लिए सेल, जल योजना, बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केंद्र के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान और ब्रह्मपुत्र तथा बराक बेसिन में बाढ़ के पूर्वानुमान और हाइड्रोलॉजिकल निगरानी और नेटवर्क के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए है।

3.**केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल आधारित परिवहन और पर्यावरणीय पहलुओं सहित जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देता है।

4.**केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र:** यह प्रावधान केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) का कार्य-क्षेत्रीय एवं प्रयोगशाला संबंधी जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मामले जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।
- 5.**बाणसागर कंट्रोल बोर्ड:** यह प्रावधान बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राज्यीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं का निर्माण करना है।

6.**ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** यह प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा वापसी प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

7.**केन्द्रीय भू-जल बोर्ड:** यह प्रावधान केन्द्रीय भूजल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) एक बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है, जिसे प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और प्रसारित करने और भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक और सतत विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी और कार्यान्वयन करने का अधिदेशित किया गया है, जिसमें आर्थिक और पारिस्थितिक दक्षता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर उनके अन्वेषण, मूल्यांकन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से संरक्षण और वितरण शामिल हैं।

8.**राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण:** यह प्रावधान सचिवालय के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसके कार्यों में नीति और अनुसंधान, विवाद समाधान, बांध निर्माण डिजाइन और सुरक्षा से संबंधित विनियमन शामिल हैं।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** इसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए प्रावधान है। इस संस्थान की स्थापना दिसंबर, 1979 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसके मुख्य कार्य जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और सहभागिता करना है।

10. **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र:** यह प्रावधान राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) के स्थापना व्यय के लिए है, जो अद्यतन जल डेटा और संबद्ध विषयों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। एनडब्ल्यूआईसी जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूआईएमएस) और भारत-जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) जैसे वेब-सक्षम संसाधन डेटा प्लेटफार्मों का रखरखाव करता है।

11. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के स्थापना व्यय के लिए किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए अवसरचना की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनआरसीडी को बजट 2019-20 (नियमित) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्थानांतरित किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 तक यह प्रावधान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में उपलब्ध है।

12. **पूर्वोत्तर जल और भूमि प्रबंधन क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएलएम):** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरिवालम) के स्थापना संबंधी व्यय के लिए वेतन के भुगतान के लिए अनुदान हेतु है। यह जल संसाधन प्रबंधन, फसल-मिट्टी पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई आदि के पहलुओं में स्थानीय, विशिष्ट समस्या-समाधान की दिशा में काम करता है।

13. **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए):** इसमें एनडब्ल्यूडीए के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके मुख्य कार्य में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के लिए संभावित आरक्षित स्थलों और आपस में जोड़ने वाली लाइनों का विस्तृत सर्वेक्षण शामिल है।

14. **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** इसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण के उपायों की योजना और एकीकृत कार्यान्वयन हैं।

15. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। यह जल संसाधन विकास और प्रबंधन में विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

16. **राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** केंद्रीय भूजल बोर्ड के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरजीएनडब्ल्यूडीआर) भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

17. **पोलावरम परियोजना प्राधिकरण:** यह प्रावधान पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के स्थापना से संबंधित व्यय के लिए किया गया है।

19. **फरक्का बैराज परियोजना:** यह प्रावधान फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसे भागीरथी डुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार करके कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज फीडर नहर का प्रचालन एवं अनुरक्षण, नेविगेशन लॉक्स तथा भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की हिस्सेदारी के संबंध में समझौते को सुगम बनाना और उसका कार्यान्वयन शामिल हैं।

20. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** यह प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, ताकि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू किया जा सके। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के अंश के रूप में शुरू किया गया है।

21. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए ईएपी और गैर-ईएपी घटकों के तहत योजनाओं/परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रावधान है।

21.01. **ईएपी घटक:** यह प्रावधान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के लिए योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है। इसमें नए एसटीपीएस के चालू होने के अलावा मौजूदा सीवरेज उपचार संयंत्रों (एसटीपीएस) के पुनर्स्थापन और उन्नयन की योजनाएं शामिल हैं। इस प्रावधान का उपयोग मुख्य रूप से निजी सार्वजनिक भागीदारी मोड में उच्च मूल्य वाले अपशिष्ट जल अवसरचना के निर्माण के लिए किया जाता है, जिससे आस्तियों की दीर्घकालिक तकनीकी और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

21.03. **कार्यक्रम घटक:** जीवीएस के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान है। कार्यविधियों में नए एसटीपीएस को चालू करने के अलावा मौजूदा सीवरेज उपचार संयंत्रों (एसटीपीएस) के पुनर्वास और उन्नयन के लिए शामिल हैं।

22. **नदी बेसिन प्रबंधन:** यह प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य योजनाओं के सर्वेक्षण, जांच और तैयारी/अद्यतन, जल निकासी विकास योजना, अपरदन रोधी और बांध प्रबंधन संबंधी कार्यों जैसी अपनी नियमित गतिविधियों/कार्यों को पूरा करने; (ii) जल संसाधन विकास योजना की जांच जिसमें सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच एवं डीपीआर तैयार करने और एनडब्ल्यूडी को इसकी नियमित स्थापना तथा नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और डीपीआर तैयार करने के लिए अनुदान प्राप्त करने और (iii) नदी घाटी प्राधिकरणों की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

23. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** यह प्रावधान, मौजूदा केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों को सुदृढ़ करने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार करके डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को जोड़ने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

24. **भू-जल प्रबंधन और विनियमन:** यह प्रावधान बेहतर भूजल प्रशासन के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है। इसमें योजना के तहत स्टैंड अलोन परियोजना राष्ट्रीय एकविफर मैपिंग एण्ड मैनेजमेंट (एनएक्यूआईएम) शामिल है।

25. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन, राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करने, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी), बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी

प्रणाली), सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के लिए है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

26. **राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान एवं विकास और कार्यान्वयन:** यह प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण, बर्बादी को कम करने तथा राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर तथा भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयनकारी योजनाओं/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए है।

27. **अटल भू-जल योजना:** यह प्रावधान भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन हेतु परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अटल भूजल योजना के लिए है।

29. **हर खेत को पानी:** (i) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली, (ii) सतह लघु सिंचाई योजनाएं, और (iii) पीएमकेएसवाई की अनुमोदित योजना के हर खेत को पानी घटक के तहत भूजल सिंचाई की योजनाओं के तहत परियोजनाओं को लागू करने का प्रावधान है।

30. **कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एण्ड डब्ल्यूएम) घटकों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है

31. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) नामक समावेशी योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और राष्ट्रीय/विशेष परियोजना संबंधी घटकों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान किया गया है,

33. **कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण:** प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उपयोजना के अंतर्गत आने वाली कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (एम-सीएडी एवं डब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण के व्यय को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

34. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी):** बाढ़ के प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं, हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच समान/सीमावर्ती नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के लिए प्रावधान है।

35. **सिंचाई गणना:** लघु सिंचाई जनगणना आदि को युक्तिसंगत बनाने के लिए सिंचाई जनगणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान है। योजनाओं का उद्देश्य पूरे देश में सिंचाई स्रोतों, सिंचित क्षेत्र और जल-उपयोग पैटर्न पर व्यापक डेटा एकत्र करना है।

37. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन:** राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का मुख्य उद्देश्य गंगा बेसिन के अलावा नदियों में विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्यों को शुरू करके नदियों तक पहुंचने वाले प्रदूषण भार को कम करके नदियों के प्रदूषित हिस्सों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।

38. **नदियों को आपस में जोड़ना:** यह प्रावधान केन-बेतवा नदी परियोजना के अंतर संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए है।

39. **ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर (एमडीडीएल) तक जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए संशोधित लागत:** आंध्र प्रदेश (एपी) के गांव और जिले को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने वाले मौजूदा अयाकट के स्थिरीकरण नए अयाकट के विकास के परिकल्पित लाभ को अर्जित करने के लिए बांध और नहर प्रणाली के निर्माण के लिए प्रावधान है। यह प्रस्ताव पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) को पूरा करने के लिए 30436.95 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के लिए है, जिसमें ईएल 41.15 मीटर अर्थात् न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल) तक जल भंडारण है और परियोजना के लिए शेष केंद्रीय अनुदान 12157.53 करोड़ रुपये तक सीमित है।

जल शक्ति मंत्रालय

मांग संख्या 63

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

₹ करोड़

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	26257.16	1.50	26258.66	74224.82	1.20	74226.02	23029.88	1.20	23031.08	74893.66	1.20	74894.86	
वसूलियां	-405.41	...	-405.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
निवल	25851.75	1.50	25853.25	74224.82	1.20	74226.02	23029.88	1.20	23031.08	74893.66	1.20	74894.86	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय	28.82	1.50	30.32	32.82	1.20	34.02	29.88	1.20	31.08	31.66	1.20	32.86	
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	28.80	1.50	30.30	32.82	1.20	34.02	29.88	1.20	31.08	31.66	1.20	32.86	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
केंद्र प्रायोजित योजनाएं													
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन													
3. जल जीवन मिशन (जेजेएम)													
3.01	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएस)-पूर्व राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र	6.15	...	6.15	89.53	...	89.53	12.00	...	12.00	132.00	...	132.00
3.02	मिशन प्रबंधन	3.14	...	3.14	13.50	...	13.50	6.75	...	6.75	19.00	...	19.00
3.03	संस्थानों इत्यादि को सहायता	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00	0.05	...	0.05	5.00	...	5.00
3.04	सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	1.16	...	1.16	2.00	...	2.00	1.78	...	1.78	2.00	...	2.00
3.05	मानव संसाधन विकास	7.09	...	7.09	2.00	...	2.00	1.10	...	1.10	10.00	...	10.00
3.06	निगरानी एवं मूल्यांकन	15.13	...	15.13	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	27.00	...	27.00
3.07	सूचना, शिक्षा एवं संचार	21.83	...	21.83	80.00	...	80.00	0.38	...	0.38	80.00	...	80.00
3.08	प्रबंधन सूचना प्रणाली	6.09	...	6.09	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00	12.00	...	12.00
3.09	अनुसंधान	0.16	...	0.16	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.10 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	14.08	...	14.08	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50	18.50	...	18.50
3.11 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - कार्यक्रम घटक	22540.21	...	22540.21	66770.47	...	66770.47	16944.44	...	16944.44	67363.50	...	67363.50
जोड़- जल जीवन मिशन (जेजेएम)	22615.05	...	22615.05	67000.00	...	67000.00	17000.00	...	17000.00	67670.00	...	67670.00
स्वच्छ भारत मिशन												
4. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
4.01 निगरानी एवं मूल्यांकन	...	...	...	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
4.02 मानव संसाधन विकास	0.55	...	0.55	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	2.45	...	2.45
4.03 अनुसंधान	0.18	...	0.18	5.30	...	5.30	1.30	...	1.30	5.30	...	5.30
4.04 सूचना - शिक्षा एवं संचार	33.86	...	33.86	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79
4.05 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	1.37	...	1.37	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
4.06 व्यावसायिक सेवाएं	5.19	...	5.19	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90	7.90	...	7.90
4.07 ऋण पर व्याज	1032.59	...	1032.59	1033.30	...	1033.30	1033.30	...	1033.30	1033.30	...	1033.30
4.08 कार्यक्रम घटक	2539.55	...	2539.55	6049.71	...	6049.71	4864.21	...	4864.21	6048.26	...	6048.26
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	3613.29	...	3613.29	7192.00	...	7192.00	6000.00	...	6000.00	7192.00	...	7192.00
5. वास्तविक वसूलियां (सीएसएस)	-405.39	...	-405.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	25822.95	...	25822.95	74192.00	...	74192.00	23000.00	...	23000.00	74862.00	...	74862.00
कुल जोड़	25851.75	1.50	25853.25	74224.82	1.20	74226.02	23029.88	1.20	23031.08	74893.66	1.20	74894.86
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. जल आपूर्ति और स्वच्छता	23690.21	...	23690.21	2630.94	...	2630.94	1438.62	...	1438.62	2232.75	...	2232.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	23690.21	...	23690.21	2630.94	...	2630.94	1438.62	...	1438.62	2232.75	...	2232.75
आर्थिक सेवाएं												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	28.80	...	28.80	32.82	...	32.82	29.88	...	29.88	31.66	...	31.66
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.50	1.50	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
जोड़-आर्थिक सेवाएं	28.80	1.50	30.30	32.82	1.20	34.02	29.88	1.20	31.08	31.66	1.20	32.86
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	6828.59	...	6828.59	2196.70	...	2196.70	7382.90	...	7382.90
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1947.74	...	1947.74	62594.96	...	62594.96	18686.02	...	18686.02	63089.97	...	63089.97
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	185.00	...	185.00	2137.51	...	2137.51	678.66	...	678.66	2156.38	...	2156.38
जोड़-अन्य	2132.74	...	2132.74	71561.06	...	71561.06	21561.38	...	21561.38	72629.25	...	72629.25
कुल जोड़	25851.75	1.50	25853.25	74224.82	1.20	74226.02	23029.88	1.20	23031.08	74893.66	1.20	74894.86

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय हेतु है।

3. **जल जीवन मिशन (जेजेएम):** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घेरलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।

इस योजना के अंतर्गत आवंटन में पीएम-जनमन के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 341.70 करोड़ रुपये तथा बजट अनुमान 2026-27 में 0.01 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। इस योजना के अंतर्गत धरती आवा जनजातीय उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 0.01 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2026-27 में 11 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

4. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य भारत को स्वच्छ बनाना है। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के बाद, कार्यक्रम को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा सुनिश्चित करने और देश के सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में शामिल करने के लिए लागू किया जा रहा है। इस अनुसंधान घटक में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देय कमीशन शुल्क भी शामिल है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 64

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	11404.10	32.39	11436.49	32606.92	39.27	32646.19	12659.41	28.64	12688.05	32625.33	40.98	32666.31
वसूलियां	-28.47	...	-28.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	11375.63	32.39	11408.02	32606.92	39.27	32646.19	12659.41	28.64	12688.05	32625.33	40.98	32666.31
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	89.35	4.97	94.32	102.62	3.92	106.54	117.78	4.72	122.50	114.21	6.23	120.44
निवल	-0.46	...	-0.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	88.89	4.97	93.86	102.62	3.92	106.54	117.78	4.72	122.50	114.21	6.23	120.44
	2. श्रम व्यूरो	25.04	0.03	25.07	27.57	0.10	27.67	26.02	0.11	26.13	31.03	0.19
3. मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	105.75	2.83	108.58	115.70	7.00	122.70	112.69	5.36	118.05	118.53	3.84	122.37
4. महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएएसएलआई)	31.23	2.61	33.84	32.65	6.36	39.01	30.72	3.28	34.00	33.61	7.50	41.11
5. महानिदेशालय , खान सुरक्षा (डीजीएमएस)	109.66	8.06	117.72	113.68	12.85	126.53	112.82	8.09	120.91	116.73	12.17	128.90
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	38.51	...	38.51	41.99	...	41.99	52.05	...	52.05	52.03	...	52.03
7. रोजगार महानिदेशालय	63.14	12.07	75.21	69.10	3.93	73.03	65.99	3.51	69.50	65.11	6.79	71.90
8. श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय	148.43	1.32	149.75	158.42	3.00	161.42	156.44	1.19	157.63	157.53	3.00	160.53
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	610.65	31.89	642.54	661.73	37.16	698.89	674.51	26.26	700.77	688.78	39.72	728.50
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	12.72	...	12.72	71.22	1.50	72.72	23.23	1.77	25.00	74.50	0.50	75.00
10. श्रम कल्याण योजनाएं	40.27	...	40.27	50.68	...	50.68	78.09	...	78.09	52.00	...	52.00
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं												
11. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	10235.00	...	10235.00	11250.00	...	11250.00	10500.00	...	10500.00	11144.00	...	11144.00
12. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	63.39	...	63.39	66.87	...	66.87	61.37	...	61.37	68.99	...	68.99
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन	231.50	...	231.50	244.02	...	244.02	244.02	...	244.02	250.00	...	250.00
14. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन	...	...	...	5.10	...	5.10	2.80	...	2.80	3.00	...	3.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	24.49	...	24.49	27.80	...	27.80	25.00	...	25.00	...	...	...
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	10554.38	...	10554.38	11593.79	...	11593.79	10833.19	...	10833.19	11465.99	...	11465.99
16. स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	1.98	...	1.98	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00
17. अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश	18.37	0.50	18.87	20.00	0.61	20.61	20.00	0.61	20.61	24.24	0.76	25.00
18. राष्ट्रीय करियर सेवाएं	47.43	...	47.43	77.00	...	77.00	60.00	...	60.00	80.00	...	80.00
19. नई रोजगार सृजन योजना	0.16	...	0.16	20000.00	...	20000.00	848.16	...	848.16	...	...	...
20. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20082.70	...	20082.70
21. श्रम पूंजीकरण, अन्वेषण, समाधान और पारदर्शिता (एसआरआईएसटी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.00	...	28.00
22. वास्तविक वसूलियाँ	-28.01	...	-28.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	10647.30	0.50	10647.80	31818.69	2.11	31820.80	11865.67	2.38	11868.05	31813.43	1.26	31814.69
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
23. कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड	103.26	...	103.26	110.85	...	110.85	105.50	...	105.50	109.12	...	109.12
24. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	14.42	...	14.42	15.65	...	15.65	13.73	...	13.73	14.00	...	14.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	117.68	...	117.68	126.50	...	126.50	119.23	...	119.23	123.12	...	123.12
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	117.68	...	117.68	126.50	...	126.50	119.23	...	119.23	123.12	...	123.12
कुल जोड़	11375.63	32.39	11408.02	32606.92	39.27	32646.19	12659.41	28.64	12688.05	32625.33	40.98	32666.31
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	18.37	...	18.37	18.80	...	18.80	18.80	...	18.80	22.94	...	22.94
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	10754.87	...	10754.87	28717.72	...	28717.72	10774.96	...	10774.96	28714.85	...	28714.85
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	610.65	...	610.65	661.73	...	661.73	674.51	...	674.51	688.78	...	688.78
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.50	0.50	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61	...	0.76	0.76
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	31.89	31.89	...	38.66	38.66	...	28.03	28.03	...	40.22	40.22
जोड़-सामाजिक सेवाएं	11383.89	32.39	11416.28	29398.25	39.27	29437.52	11468.27	28.64	11496.91	29426.57	40.98	29467.55
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	3208.67	...	3208.67	1191.14	...	1191.14	3198.76	...	3198.76
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-8.26	...	-8.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-8.26	...	-8.26	3208.67	...	3208.67	1191.14	...	1191.14	3198.76	...	3198.76
कुल जोड़	11375.63	32.39	11408.02	32606.92	39.27	32646.19	12659.41	28.64	12688.05	32625.33	40.98	32666.31

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।
2. **श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान करता है। ब्यूरो मजदूरी, आय, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंधों आदि पर जानकारी को शामिल करते हुए मूल्य, रोजगार और श्रम आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है।
3. **मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** सीएलसी (सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए व्यय से संबंधित संस्थान प्रदान करता है। कार्यालय औद्योगिक विवादों की रोकथाम, जांच और निपटान, अधिनिर्णयों और निपटानों के प्रवर्तन, उद्योगों और संस्थानों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन आदि के लिए जिम्मेदार है।
4. **महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएसएलआई):** इसमें कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीएफएसएल) के लिए स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान है। यह कारखानों और बंदरगाहों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों के संबंध में मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है।
5. **महानिदेशालय , खान सुरक्षा (डीजीएमएस):** इसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान है। कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है।
6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ की वार्षिक सदस्यता का भुगतान और आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय और रोजगार संवर्धन के लिए एशियाई क्षेत्रीय टीम को आवास और अवसरचक्रात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निधियाँ शामिल हैं।
7. **रोजगार महानिदेशालय:** इसमें रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान है। यह रोजगार संबंधी सेवाओं के समन्वय के लिए पूरे देश में नीतियों, मानकों, मानदंडों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
8. **श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय:** इसमें श्रम कल्याण महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए उपबंध किया गया है। यह असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से संबंधित नीति और विधान से संबंधित मामलों से संबंधित है और श्रमिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए कल्याण निधि के प्रशासन से संबंधित है।
9. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** इसमें सांख्यिकी का संग्रहण और प्रकाशन, जाँच,सर्वेक्षणों का संचालन और एलईएसएस योजना के तहत विभिन्न श्रम विषयों से संबंधित अनुसंधान अध्ययन हेतु प्रावधान शामिल है।
10. **श्रम कल्याण योजनाएं:** इन योजनाओं में बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों और श्रम कामगारों (i) अन्नक खानों (ii) लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (iii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रमिक कल्याण योजना संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
11. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** ईपीएस योजना के तहत औद्योगिक कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन और जीवन बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान योजनाओं में सरकार के अंशदान के लिए है।
12. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस योजना में असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा, असम में चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप संबद्ध बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। ये योजनाएं असम में बागान कामगारों के संबंध में असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं। यह प्रावधान योजना के लिए केंद्र सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
13. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को प्रतिमाह 3000/-रुपये की निर्धारित राशि की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है जो इस योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।
14. **प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन:** यह दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना है जो योजना के तहत प्रत्येक माह निर्धारित राशि का योगदान करने वालों को 3000/- रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।
15. **असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस:** यह ई-श्रम पोर्टल पर व्यय प्रदान करता है जो असंगठित श्रमिकों के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटा बेस है। इस पहल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना और साथ ही प्रवासी और विनिर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी को बढ़ाना है।
16. **स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है, जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है। योजना के राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घटक को अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के एसएसए के तहत शामिल कर लिया गया है, जबकि योजना के बंधुआ श्रम घटक का पुनर्वास जारी है, बंधुआ श्रम को सहायता की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।
17. **अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश:** इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच आत्मविश्वास सृजन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें और उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पुनर्श्रम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य योजना भी शुरू की गई है।
18. **राष्ट्रीय करिअर सेवाएं:** राष्ट्रीय करिअर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना की गई है जो रोजगार ढूँढने वालों और नियोक्ताओं के लिए गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से रोजगार मिलान(जॉब मैचिंग) के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इसमें 3000 से अधिक व्यवसायों की करिअर सामग्री का समृद्ध भंडार है। यह योजना रोजगार मेलों के आयोजन को भी बढ़ावा देती है जहाँ नियोक्ता और रोजगार ढूँढने वाले, दोनों परस्पर संवाद कर सकते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रोजगार सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मॉडल करिअर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

19. **नई रोजगार सृजन योजना:** देशभर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नई रोजगार सृजन योजना का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होकर, इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है।

20. **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना:** पूर्ववर्ती नई रोजगार सृजन योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री विकास भारत रोजगार योजना कर दिया गया है, जो देश भर में रोजगार सृजन का समर्थन करने वाली एक योजना है। इसका उद्देश्य 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार के लिए उपलब्ध लाभों के साथ कार्यबल को औपचारिक बनाना, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

21. **श्रम पंजीकरण, अन्वेषण, समाधान और पारदर्शिता (एसआरआईएसटी):** सृष्टि (श्रम पंजीकरण, निरीक्षण, समाधान और पारदर्शिता पहल) नामक एक नई योजना, जो कि असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) योजना और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के तहत पोर्टलों के पुनर्गठन के लिए नई परियोजना के विलय से उत्पन्न एक व्यापक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

23. **कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत शेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड:** डीटीएनबीडब्ल्यूईडी को अनुदान प्रदान करता है, जो कामगारों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रभावी भागीदारी के लिए शिक्षित करने का कार्य करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो देश भर में फैले 50 क्षेत्रीय और 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् मुंबई में भारतीय कार्यकर्ता शिक्षा संस्थान के नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं।

24. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के लिए अनुदान प्रदान करता है, जो श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना से ही, यह संस्थान अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से उन सभी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 65

विधि और न्याय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7309.68	102.29	7411.97	5007.22	191.02	5198.24	4571.62	818.25	5389.87	4459.59	249.47	4709.06
वसूलियां	-222.39	...	-222.39	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	7087.29	102.29	7189.58	4807.22	191.02	4998.24	4371.62	818.25	5189.87	4259.59	249.47	4509.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	272.98	10.07	283.05	292.30	6.95	299.25	298.55	14.58	313.13	319.27	9.86	329.13
	-0.39	...	-0.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	272.59	10.07	282.66	292.30	6.95	299.25	298.55	14.58	313.13	319.27	9.86	329.13
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
3. कर न्यायाधिकरण	148.14	37.42	185.56	138.42	41.70	180.12	147.44	42.26	189.70	147.76	42.40	190.16
	-0.11	...	-0.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	148.03	37.42	185.45	138.42	41.70	180.12	147.44	42.26	189.70	147.76	42.40	190.16
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	420.68	47.49	468.17	430.82	48.65	479.47	446.09	56.84	502.93	467.13	52.26	519.39
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन												
4. भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम हेतु नवाचार समाधान प्रारूपित करना (दिशा)	20.22	...	20.22	48.00	...	48.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
5. ई-कोर्ट फेज़-II	-9.68	...	-9.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. ई-कोर्ट फेज़ III	1029.10	...	1029.10	1500.00	...	1500.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00
जोड़-राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधि सुधार मिशन	1039.64	...	1039.64	1548.00	...	1548.00	1220.00	...	1220.00	1240.00	...	1240.00
7. कानूनी सहायता प्रतिवाद परामर्श प्रणाली (एलएंडीसीएस)	112.06	...	112.06	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
8. उच्चतम न्यायालय भवन का विस्तार	...	46.63	46.63	...	123.75	123.75	...	46.63	46.63	...	100.00	100.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1151.70	46.63	1198.33	1748.00	123.75	1871.75	1520.00	46.63	1566.63	1540.00	100.00	1640.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
9. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	20.78	...	20.78	21.66	...	21.66	25.00	...	25.00	26.84	...	26.84
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	197.11	...	197.11	200.00	...	200.00	220.00	...	220.00	250.00	...	250.00
11. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)	7.50	...	7.50	4.26	...	4.26	6.43	...	6.43	7.12	...	7.12
12. भारतीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	4.07	...	4.07	3.56	...	3.56	7.34	...	7.34	7.33	...	7.33
13. भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई)	...	...	...	0.51	...	0.51	0.11	...	0.11	0.21	...	0.21
14. भारतीय मध्यस्थता परिषद	...	...	...	0.51	...	0.51	0.11	...	0.11	0.21	...	0.21
जोड़-स्वायत्त निकाय	229.46	...	229.46	230.50	...	230.50	258.99	...	258.99	291.71	...	291.71
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	229.46	...	229.46	230.50	...	230.50	258.99	...	258.99	291.71	...	291.71
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं												
15. न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं												
15.01 न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा	1123.40	...	1123.40	998.00	...	998.00	798.00	...	798.00	810.00	...	810.00
15.02 ग्राम न्यायालय	2.20	...	2.20	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़- न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	1125.60	...	1125.60	1000.00	...	1000.00	800.00	...	800.00	812.00	...	812.00
महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन												
16. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट												
16.01 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
16.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	1125.60	...	1125.60	1000.00	...	1000.00	800.00	...	800.00	812.00	...	812.00
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
17. चुनाव के घटक												
17.01 लोकसभा चुनाव	1732.02	...	1732.02	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00
17.02 मतदाताओं के लिए पहचान पत्र	414.78	...	414.78	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
17.03 चुनाव संबंधी अन्य व्यय	2012.58	...	2012.58	597.80	...	597.80	596.44	...	596.44	596.75	...	596.75
जोड़- चुनाव के घटक	4159.38	...	4159.38	1397.80	...	1397.80	1346.44	...	1346.44	1146.75	...	1146.75
18. निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम	0.47	8.17	8.64	0.10	18.62	18.72	0.10	714.78	714.88	2.00	97.21	99.21
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	4159.85	8.17	4168.02	1397.90	18.62	1416.52	1346.54	714.78	2061.32	1148.75	97.21	1245.96
कुल जोड़	7087.29	102.29	7189.58	4807.22	191.02	4998.24	4371.62	818.25	5189.87	4259.59	249.47	4509.06

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	1483.04	...	1483.04	1923.06	...	1923.06	1761.55	...	1761.55	1814.25	...	1814.25
2. चुनाव	4159.85	...	4159.85	1397.90	...	1397.90	1346.54	...	1346.54	1148.75	...	1148.75
3. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	148.03	...	148.03	138.42	...	138.42	147.44	...	147.44	147.76	...	147.76
4. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	161.18	...	161.18	177.94	...	177.94	181.78	...	181.78	199.11	...	199.11
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	16.53	...	16.53	21.80	...	21.80	21.21	...	21.21	24.62	...	24.62
6. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	46.63	46.63	...	123.75	123.75	...	46.63	46.63	...	100.00	100.00
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	43.60	43.60	...	58.32	58.32	...	754.48	754.48	...	136.91	136.91
8. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.06	12.06	...	8.95	8.95	...	17.14	17.14	...	12.56	12.56
जोड़-सामान्य सेवाएं	5968.63	102.29	6070.92	3659.12	191.02	3850.14	3458.52	818.25	4276.77	3334.49	249.47	3583.96
सामाजिक सेवाएं												
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.06	...	0.06	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	250.00	...	250.00	220.00	...	220.00	201.20	...	201.20
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1070.60	...	1070.60	845.00	...	845.00	645.00	...	645.00	675.80	...	675.80
12. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	48.00	...	48.00	53.00	...	53.00	48.00	...	48.00	48.00	...	48.00
जोड़-अन्य	1118.60	...	1118.60	1148.00	...	1148.00	913.00	...	913.00	925.00	...	925.00
कुल जोड़	7087.29	102.29	7189.58	4807.22	191.02	4998.24	4371.62	818.25	5189.87	4259.59	249.47	4509.06

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विधिक कार्य विभाग, विधायी विभाग, न्याय विभाग, राजभाषा विंग, संगठित मुकदमा अभिकरण, विधि साहित्य प्रकाशन, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित उपाय के लिए है।

3. **कर न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के सचिवालय व्यय के लिए है।

4. **भारत में न्याय के लिए समग्र अभिगम हेतु नवाचार समाधान प्रारूपित करना (दिशा):** यह प्रावधान एनईजेके और एनईजेके के अलावा न्याय तक पहुंच के कार्यान्वयन के लिए है (जिसमें 3 कार्यक्रम टेली लॉ, न्याय बंधु और न्याय मित्र शामिल हैं) जिसमें विधायकों और सांसदों के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान भी शामिल है।

6. **ई-कोर्ट फेज़ III:** यह प्रावधान ई-कोर्ट चरण III परियोजना को लागू करने के लिए है जिसका उद्देश्य डिजिटल एवं कागजरहित भारतीय न्यायपालिका का सृजन करना है।
7. **कानूनी सहायता प्रतिवाद परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस):** कानूनी सहायता प्रतिवाद परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर योग्य विधिक सहायता प्रतिवाद अधिवक्ताओं के माध्यम से निशुल्क और गुणवत्त कानूनी सहायता प्रदान करना है।

15.01. **न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा:** यह प्रावधान विधान मंडल वाले या विधान मंडल रहित राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत तथा सिक्किम में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान / सहायता प्रदान करने के लिए है।

15.02. **ग्राम न्यायालय:** यह प्रावधान राज्यों को उनके राज्यों में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए है।

16. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** यह प्रावधान बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत लंबित पड़े मामलों के त्वरित अभियोजन और निपटान हेतु फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु किया गया है।

17.01. **लोकसभा चुनाव:** यह प्रावधान लोकसभा के आम चुनाव के आयोजन से संबंधित प्रभारों के संबंध में अग्रणीत देनदारी को पूरा करने के लिए है।

17.02. **मतदाताओं के लिए पहचान पत्र:** यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।

17.03. **चुनाव संबंधी अन्य व्यय:** यह प्रावधान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य चुनावी व्यय तथा मतपत्रों की तैयारी एवं छपाई आदि के संबंध में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति के लिए है।

18. **निर्वाचन आयोग के लिए ई वी एम:** यह प्रावधान चुनाव आयोग को बैलेट इकाई, कंट्रोल इकाई और वोटर वेरिफिएबल पेपर, लेखा-परीक्षा परीक्षण इकाइयों की खरीद के लिए निधि उपलब्ध कराने और ईवीएम तथा पुरानी ईवीएम को नष्ट करने संबंधी आनुषंगिक व्यय के लिए है।

विधि और न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 66

निर्वाचन आयोग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	332.93	17.56	350.49	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
वसूलियां	-13.87	-47.61	-61.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	319.06	-30.05	289.01	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारत निर्वाचन आयोग	332.93	17.56	350.49	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
	-13.87	-47.61	-61.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	319.06	-30.05	289.01	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
कुल जोड़	319.06	-30.05	289.01	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. चुनाव	319.06	...	319.06	302.98	...	302.98	358.79	...	358.79	367.69	...	367.69
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	-34.08	-34.08	...	0.03	0.03	...	10.00	10.00	...	9.53	9.53
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.03	4.03	...	1.97	1.97	...	4.50	4.50	...	5.00	5.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	319.06	-30.05	289.01	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22
कुल जोड़	319.06	-30.05	289.01	302.98	2.00	304.98	358.79	14.50	373.29	367.69	14.53	382.22

1. **भारत निर्वाचन आयोग:** यह प्रावधान मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय, मतदाताओं के जागरूकता, प्रशिक्षण और आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के लिए है।

विधि और न्याय मंत्रालय
सं 67 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. भारतीय उच्चतम न्यायालय	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11
कुल जोड़	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	507.96	...	507.96	490.58	...	490.58	565.63	...	565.63	566.19	...	566.19
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	90.59	90.59	...	56.57	56.57	...	67.50	67.50	...	55.92	55.92
जोड़-सामान्य सेवाएं	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11
कुल जोड़	507.96	90.59	598.55	490.58	56.57	547.15	565.63	67.50	633.13	566.19	55.92	622.11

1. **भारतीय उच्चतम न्यायालय:** यह विनियोग भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय का प्रावधान, सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा के लिए शुल्क और लेखन सामग्री, कार्यालय उपकरण, सुरक्षा उपकरण, सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण सहित स्थापना संबंधी आवश्यकताओं पर व्यय, सीसीटीवी का रखरखाव और भारतीय उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट की छपाई संबंधी व्यय का प्रावधान शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	9112.42	587.92	9700.34	22452.42	715.73	23168.15	11180.32	915.66	12095.98	22647.26	1919.01	24566.27
	वसूलियां	-1469.37	...	-1469.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	7643.05	587.92	8230.97	22452.42	715.73	23168.15	11180.32	915.66	12095.98	22647.26	1919.01	24566.27
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय	निवल	35.62	...	35.62	35.53	...	35.53	48.63	...	48.63	46.36	...	46.36
		-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	
		35.58	...	35.58	35.53	...	35.53	48.63	...	48.63	46.36	...	46.36
		187.38	12.92	200.30	200.48	15.73	216.21	188.17	15.66	203.83	200.06	18.51	218.57
		222.96	12.92	235.88	236.01	15.73	251.74	236.80	15.66	252.46	246.42	18.51	264.93
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय													
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास													
3. परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)		0.08	...	0.08	362.00	...	362.00	140.00	...	140.00	197.49	...	197.49
4. क्रायर विकास योजना		74.48	...	74.48	104.39	...	104.39	95.00	...	95.00	106.00	...	106.00
5. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना													
5.01 खादी अनुदान (केजी)		365.74	...	365.74	464.00	...	464.00	354.82	...	354.82	425.60	0.50	426.10
5.02 खादी विकास योजना		423.02	...	423.02	541.77	...	541.77	446.98	...	446.98	581.28	...	581.28
5.03 ग्रामोद्योग विकास योजना		53.78	...	53.78	60.00	...	60.00	68.24	...	68.24	87.13	...	87.13
जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना		842.54	...	842.54	1065.77	...	1065.77	870.04	...	870.04	1094.01	0.50	1094.51
जोड़-खादी, ग्रामोद्योग और नारियल रेशा उद्योगों का विकास		917.10	...	917.10	1532.16	...	1532.16	1105.04	...	1105.04	1397.50	0.50	1398.00
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन													
6. एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन)		7.55	...	7.55	20.00	...	20.00	9.00	...	9.00	0.01	...	0.01
7. एमएसएमई चैम्पियन्स योजना		51.54	...	51.54	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72	54.72	...	54.72
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन		59.09	...	59.09	74.72	...	74.72	63.72	...	63.72	54.73	...	54.73
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	2277.00	...	2277.00	2954.42	...	2954.42	2548.66	...	2548.66	4500.00	...	4500.00
9. ऋण सहायता कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
10. योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) सुविधा	...	...	...	9000.00	...	9000.00	...	...	...	9000.00	...	9000.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	2277.00	...	2277.00	11954.42	...	11954.42	2548.66	...	2548.66	13500.01	...	13500.01
11. ऋण आधारित पूंजीगत सन्निडी (सीएलसीएस)	...	...	...	...	...	...	0.04	...	0.04	0.01	...	0.01
विपणन संवर्धन स्कीम												
12. खरीद और विपणन सहायता स्कीम	61.73	...	61.73	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00
13. अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी)	26.56	...	26.56	27.00	...	27.00	30.02	...	30.02	45.00	...	45.00
उद्यमिता और कौशल विकास												
14. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	24.50	...	24.50	40.00	...	40.00	55.00	...	55.00	90.00	...	90.00
15. निधियों के लिए कोष	...	575.00	575.00	...	700.00	700.00	...	900.00	900.00	...	1900.00	1900.00
16. उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	73.79	...	73.79	96.00	...	96.00	95.70	...	95.70	96.00	...	96.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	98.29	575.00	673.29	136.00	700.00	836.00	150.70	900.00	1050.70	186.00	1900.00	2086.00
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
17. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	37.45	...	37.45	591.00	...	591.00	150.00	...	150.00	531.20	...	531.20
18. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	161.06	...	161.06	400.00	...	400.00	228.50	...	228.50	417.84	...	417.84
19. एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएएमपी	662.34	...	662.34	1500.00	...	1500.00	1468.00	...	1468.00	1500.00	...	1500.00
20. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)	290.11	...	290.11	410.00	...	410.00	320.00	...	320.00	410.00	...	410.00
21. उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई)	139.73	...	139.73	160.00	...	160.00	181.22	...	181.22	177.00	...	177.00
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.57	...	49.57	95.00	...	95.00	90.00	...	90.00	95.00	...	95.00
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	1340.26	...	1340.26	3156.00	...	3156.00	2437.72	...	2437.72	3131.04	...	3131.04
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
23. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	99.90	...	99.90	151.21	...	151.21	100.00	...	100.00	115.00	...	115.00
24. पीएम विश्वकर्मा	3993.10	...	3993.10	5100.00	...	5100.00	4400.00	...	4400.00	3860.89	...	3860.89
25. वास्तविक वसूलियाँ	-1469.33	...	-1469.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	7403.70	575.00	7978.70	22196.51	700.00	22896.51	10900.90	900.00	11800.90	22355.18	1900.50	24255.68
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
26. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान	16.39	...	16.39	19.90	...	19.90	42.62	...	42.62	45.66	...	45.66
कुल जोड़	7643.05	587.92	8230.97	22452.42	715.73	23168.15	11180.32	915.66	12095.98	22647.26	1919.01	24566.27
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	7607.47	...	7607.47	20196.81	...	20196.81	10073.78	...	10073.78	20296.97	...	20296.97

(₹ करोड़)												
वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027			
राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	35.58	...	35.58	35.53	...	35.53	48.63	...	48.63	46.36	...	46.36
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	587.92	587.92	...	645.73	645.73	...	786.66	786.66	...	1818.51	1818.51
4. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	0.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	7643.05	587.92	8230.97	20232.34	645.73	20878.07	10122.41	786.66	10909.07	20343.33	1819.01	22162.34
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2220.08	...	2220.08	1057.91	...	1057.91	2303.93	...	2303.93
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	70.00	70.00	...	129.00	129.00	...	100.00	100.00
जोड़-अन्य	...	...	...	2220.08	70.00	2290.08	1057.91	129.00	1186.91	2303.93	100.00	2403.93
कुल जोड़	7643.05	587.92	8230.97	22452.42	715.73	23168.15	11180.32	915.66	12095.98	22647.26	1919.01	24566.27

(₹ करोड़)												
बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं. जोड़			
राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	225.26	225.26	...	270.00	270.00	...	230.00	230.00	...	270.00	270.00
जोड़	...	225.26	225.26	...	270.00	270.00	...	230.00	230.00	...	270.00	270.00

1. **सचिवालय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए संस्थान संबंधित व्यय, वेतन, भत्ते, आकस्मिक, घरेलू/विदेशी यात्रा, मरम्मत, आतिथ्य आदि प्रदान करता है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय एमएसएमई मंत्रालय का संबद्ध विभाग है जो देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और निगरानी से संबंधित कई पहलुओं की संभालता है। यह बजट प्रावधान सचिवालय, एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई-डीएफओएस और एमएसएमई-टीसीएस के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

3. **परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति):** इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और शिल्पकारों को सामूहिक रूप से संगठित करना और उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करना है, जिससे उन्हें बढ़ी हुई और संधारणीय आय प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत शिल्पकारों को सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, नई मशीनरी और कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, विपणन और डिजाइन संबंधी कार्यों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण, शहद, बांस आदि भी शामिल हैं।

4. **कॉयर विकास योजना:** कॉयर बोर्ड भारत में कॉयर उद्योग के समग्र और सतत विकास के उद्देश्य से तैयार की गई अम्ब्रेला स्कीम कॉयर विकास योजना (सीवीआई) को लागू करता है। सीवीआई के तहत हस्तक्षेपों में अनुसंधान और विकास, कारीगरों के कौशल विकास, आधुनिकीकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना, घरेलू के साथ-साथ निर्यात बाजार को बढ़ावा देने और व्यापार तथा उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करने जैसी कार्यविधियों की विस्तृत शृंखला की परिकल्पना की गई है।

5.01. **खादी अनुदान (केजी):** खादी ग्रामोद्योग विकास योजना-खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में विभिन्न स्वतंत्र योजनाएं थीं, जिन्हें पूर्व में केवीआई क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। वर्ष 2019 में, सभी मौजूदा केवीआई योजनाओं/उप-योजनाओं/घटकों को विलय कर दिया गया था, और खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीआई) नामक एक अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल किया गया था। खादी अनुदान में केवीआईसी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी स्थापना व्यय शामिल हैं।

5.02. **खादी विकास योजना:** खादी विकास योजना (केवीवाई) योजना खादी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए है।

5.03. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** उप योजना ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीआई), सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्राम उद्योगों का संवर्धन और विकास के तहत ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता और सेवाओं को लागू किया जाता है।

6. **एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन):** उद्यमिता में तेजी लाने और कृषि ग्रामीण उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना को तीन मुख्य घटकों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था: (क) लाइवलीहूड बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) टेक्नोलोजी बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर (टीबीआई) और (ग) सिडबी के तहत निधियों की निधि (एफओएफ)।

7. **एमएसएमई चैंपियन्स योजना:** उद्यमों को चुनने और उनकी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, अपव्यय को कम करने और उनकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तेज करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों को एकीकृत करने, समन्वयित करने और अभिसरण करने के लिए यह योजना समग्र उपगमन है। एमएसएमई चैंपियन योजना के तहत 3 घटक हैं: एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई कॉम्पिटिटिव (लीन), एमएसएमई इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर)।

8. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरआई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) की पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय के माध्यम से वित्त वर्ष 2008-2009 में शुरू की गई एक क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए सस्मिडी और वित्तीय सहायता के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन करना है।

9. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** इस योजना के तहत, सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए एवं मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दी गई संपादिक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। गारंटी कवरेज की सीमा दिनांक 01.04.2025 से 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।

10. **योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा (जीईसीएल):** आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई ताकि पात्र एमएसएमई और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को उनकी प्रचालन देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 संकट के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता मिल सके। इस योजना में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके तहत, सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा पात्र उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी प्रदान की जाती है। ईसीएलजीएस वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।

11. **ऋण आधारित पूंजीगत सस्मिडी (सीएलसीएस):** सीएलसीएस का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत 1.0 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की सस्मिडी (अर्थात 15.00 लाख रुपये की सस्मिडी सीमा) को चिन्हित क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए एमएसई तक बढ़ाया गया था। एससी/एसटी श्रेणी के लिए, महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए सस्मिडी भी स्वीकार्य बनाई गई है।

12. **खरीद और विपणन सहायता स्कीम:** योजना का उद्देश्य देश भर में आयोजित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना है। यह योजना जागरूकता पर भी ध्यान केंद्रित करती है और विपणन में पैकेजिंग के महत्व/तरीकों/प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्फ्लेव, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार पहुंच विकास के लिए प्रासंगिक अन्य विषयों के संबंध में एमएसएमई को जानकारी प्रदान करती है।

13. **अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी):** यह योजना निम्नलिखित योजनाओं के विलय से बनाई गई है: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान तथा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय बोर्ड योजनाएं। इसके उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए योजनाओं, सर्वेक्षण और अनुसंधान के संबंध में जागरूकता पैदा करना है।

14. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** इस योजना में निम्नलिखित हेतु अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-(i) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थानों, मौजूदा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) और उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थानों को एमएसएमई के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यविधियों के लिए उनके प्रशिक्षण अवसरंचना के सृजन या सुदृढीकरण/विस्तार के लिए और इन संस्थानों में कौशल विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अवसरंचना सहायता।

15. **निधियों के लिए कोष:** निधियों का कोष/आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष को उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए शुरू किया गया है, जिनमें विकास और बड़ी इकाइयां बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपये की निधि का कुल आकार भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और अर्हत इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है। बीई 2026-27 में 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान सूक्ष्म उद्यमों को सहायता जारी रखने और जोखिम पूंजी तक पहुँच को बनाए रखने के लिए किया गया है।

16. **उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं, दिव्यांगजन , पूर्व सैनिक और बीपीएल व्यक्ति शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता निर्माण और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना है।

17. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 नए विस्तार केंद्रों की स्थापना करके देश भर में मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों की पहुंच बढ़ाना है।

18. **प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी:** देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय विश्व बैंक की सहायता से 2402 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) को लागू कर रहा है। टीसीएसपी के तहत, देश भर में मौजूदा टीसीएस के उन्नयन के साथ 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसीएस) स्थापित किए जा रहे हैं।

19. **एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना एवं त्वरित करना - आरएमपी:** आरएमपी एक विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, क्रेडिट, हरित पहल आदि को बढ़ावा देकर बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना है। इसके

अलावा, आरएमपी कार्यक्रम के तहत चार नई उप-योजनाओं को डिजाइन और लॉन्च किया गया है। इसमें निम्न शामिल हैं (i) परिवर्तन के लिए एमएसई हरित निवेश और वित्तपोषण योजना (एमएसई जीआईएफटी योजना); (ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई योजना (एमएसई एसपीआईसीई योजना); (iii) विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की एमएसई योजना; और (iv) एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीईएम) पहल।

20. **सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):** विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय, योजना अर्थात् एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इस योजना के तहत, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए जाते हैं और नई औद्योगिक अवसररचना विकास परियोजनाओं (जैसे औद्योगिक संपदा) की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है।

21. **उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं (टीआर/टीआई):** टूल रूम और तकनीकी संस्थान एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उद्योगों को कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। बजट में सिविल अवसररचना के उन्नयन सहित नवीनतम तकनीक की मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए संस्थानों को अनुदान सहायता जारी करने के लिए और नकद घाटे, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए भी निधि प्रदान की गई है। डीएपीएससी/डीएपीएसटी लघु शीर्ष के लिए किए गए प्रावधानों में से प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई संवर्धन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के एमएसएमई के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यह योजना उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अवसररचना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों के नए और आधुनिकीकरण, नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं के विकास और पर्यटन क्षेत्र के विकास के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

23. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र (एनएसएसएच) योजना का उद्देश्य एससी/एसटी उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करना और एससी/एसटी आबादी के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह योजना एससी/एसटी आबादी को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने और मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी उद्यमों से 4 प्रतिशत खरीद के अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सशक्त बना रही है। इस योजना को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा लागू किया जा रहा है, जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई है।

24. **पीएम विश्वकर्मा:** पीएम विश्वकर्मा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य अपने हाथों और उपकरणों से कार्य करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार आधारित अभ्यास को सुदृढ़ और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा धरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

26. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान:** यह एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा को नया रूप देकर की गई है। एमजीआईआरआई का उद्देश्य सतत और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण की तर्ज पर देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना और ग्रामीण उद्योग के

उत्पादों को उन्नत करने के लिए विज्ञान और तकनीकी संबंधी सहायता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

खान मंत्रालय

मांग संख्या 69

खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3461.26	46.00	3507.26	3458.91	79.09	3538.00	3341.20	173.94	3515.14	4552.80	163.65	4716.45
वसूलियां	-410.85	...	-410.85	-500.00	...	-500.00	-350.00	...	-350.00	-910.00	...	-910.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3050.41	46.00	3096.41	2958.91	79.09	3038.00	2991.20	173.94	3165.14	3642.80	163.65	3806.45
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	73.03	0.75	73.78	81.30	0.55	81.85	80.30	0.55	80.85	83.95	0.55	84.50
2. भारतीय खान ब्यूरो	100.64	...	100.64	116.42	...	116.42	119.42	...	119.42	131.34	...	131.34
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	968.58	...	968.58	954.44	...	954.44	974.90	...	974.90	1018.29	...	1018.29
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1142.25	0.75	1143.00	1152.16	0.55	1152.71	1174.62	0.55	1175.17	1233.58	0.55	1234.13
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)	...	...	...	410.00	...	410.00	90.00	...	90.00	440.00	...	440.00
5. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) निधि के माध्यम से एनसीएमएम के तहत निष्पादित गतिविधियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
6. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-500.00	...	-500.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	...	...	...	410.00	...	410.00	90.00	...	90.00	440.00	...	440.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. स्वायत्त निकायों को सहायता	27.64	...	27.64	30.70	...	30.70	37.69	...	37.69	37.56	...	37.56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. भारत गोल्ड माईंस लिमिटेड	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.70	...	9.70	8.75	...	8.75
अन्य												
9. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	410.04	34.69	444.73	419.00	74.01	493.01	420.48	168.86	589.34	409.74	159.61	569.35
10. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	8.38	10.56	18.94	14.05	4.53	18.58	8.71	4.53	13.24	13.17	3.49	16.66
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट (एनएमईडीटी) के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां												

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) निधि को अंतरण	1466.00	...	1466.00	925.00	...	925.00	1250.00	...	1250.00	1500.00	...	1500.00
12. कार्यक्रम घटक	398.95	...	398.95	500.00	...	500.00	350.00	...	350.00	410.00	...	410.00
13. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से प्राप्त राशि	-398.95	...	-398.95	-500.00	...	-500.00	-350.00	...	-350.00	-410.00	...	-410.00
जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट (एनएमईडीटी) के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां	1466.00	...	1466.00	925.00	...	925.00	1250.00	...	1250.00	1500.00	...	1500.00
14. वास्तविक वसूली	-11.90	...	-11.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	1872.52	45.25	1917.77	1358.05	78.54	1436.59	1679.19	173.39	1852.58	1922.91	163.10	2086.01
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1908.16	45.25	1953.41	1396.75	78.54	1475.29	1726.58	173.39	1899.97	1969.22	163.10	2132.32
कुल जोड़	3050.41	46.00	3096.41	2958.91	79.09	3038.00	2991.20	173.94	3165.14	3642.80	163.65	3806.45

ख. विकास शीर्ष

आर्थिक सेवाएं												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2977.39	...	2977.39	2809.45	...	2809.45	2842.74	...	2842.74	3489.32	...	3489.32
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	73.02	...	73.02	81.30	...	81.30	80.30	...	80.30	83.95	...	83.95
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	45.25	45.25	...	78.44	78.44	...	173.29	173.29	...	162.98	162.98
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.75	0.75	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3050.41	46.00	3096.41	2890.75	78.99	2969.74	2923.04	173.84	3096.88	3573.27	163.53	3736.80
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	68.16	...	68.16	68.16	...	68.16	69.53	...	69.53
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.12	0.12
जोड़-अन्य	...	...	...	68.16	0.10	68.26	68.16	0.10	68.26	69.53	0.12	69.65
कुल जोड़	3050.41	46.00	3096.41	2958.91	79.09	3038.00	2991.20	173.94	3165.14	3642.80	163.65	3806.45

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	...	20.54	20.54	...	12.00	12.00	...	22.00	22.00	...	22.00	22.00
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	409.89	409.89	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	1396.55	1396.55	...	2000.00	2000.00	...	1700.00	1700.00	...	1500.00	1500.00
जोड़	...	1826.98	1826.98	...	2362.00	2362.00	...	2072.00	2072.00	...	1872.00	1872.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय, खान मंत्रालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय के कानूनी / मध्यस्थता मामलों को संभालने के लिए कानून फर्मों को भुगतान करने के साथ-साथ एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईसीएपीएस), मिनेरल एक्स्प्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) को भुगतान करने का प्रावधान करता है, जिनकी सेवाएं खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए ली जाती हैं। इसमें प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज संस्थानों की निगरानी और खानों के संचालन का प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय खान ब्यूरो:** इसमें भारतीय खान ब्यूरो के मुख्यालय और उसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान शामिल है।

3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय और उसके तहत क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु प्रावधान शामिल है।

4. **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम):** मिशन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, और महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का सीमापर अतिक्रमण करना है। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल सृजन, विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क की स्थापना और एक अनुकूल निधियन तंत्र का कार्यान्वयन शामिल है।

5. **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) निधि के माध्यम से एनसीएमएम के तहत निष्पादित गतिविधियां:** इसमें राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) के माध्यम से वित्तपोषित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत गतिविधियों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

7. **स्वायत्त निकायों की सहायता:** इनमें मंत्रालय के अधीन दो स्वायत्त निकायों, अर्थात् नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स और जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन केंद्रों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के प्रावधान तथा अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं/संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों के प्रावधान भी शामिल हैं।

8. **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड:** यह प्रावधान भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति के लिए है।

9. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** यह प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है तथा इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।

10. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** इस प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए हैं जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का परिष्करण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क लेखांकन सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल हैं।

12. **कार्यक्रम घटक:** इस घटक के तहत, अन्वेषण और विकास गतिविधियां की जाती हैं। रॉयल्टी के माध्यम से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (एनएमईडीटी) में अर्जित धन का उपयोग भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के

वित्तपोषण के लिए किया जाएगा ताकि देश में खनिज अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के उद्देश्य से किया जा सके।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 70

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1393.06	2.95	1396.01	3346.28	3.72	3350.00	2157.98	2.47	2160.45	3395.62	4.38	3400.00
वसूलियां	-681.03	...	-681.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	712.03	2.95	714.98	3346.28	3.72	3350.00	2157.98	2.47	2160.45	3395.62	4.38	3400.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	39.12	2.95	42.07	36.10	1.71	37.81	42.14	1.96	44.10	43.78	3.37	47.15
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	112.03	...	112.03	140.99	2.01	143.00	131.75	0.51	132.26	136.29	1.01	137.30
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	151.09	2.95	154.04	177.09	3.72	180.81	173.89	2.47	176.36	180.07	4.38	184.45
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. कौमी वक्फ बोर्ड तरकियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	1.56	...	1.56	13.00	...	13.00	13.53	...	13.53	32.00	...	32.00
5. शिक्षा सशक्तिकरण												
5.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1.55	...	1.55	195.70	...	195.70	0.06	...	0.06	198.00	...	198.00
5.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5.31	...	5.31	413.99	...	413.99	0.06	...	0.06	581.00	...	581.00
5.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	3.51	...	3.51	7.34	...	7.34	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
5.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	25.00	...	25.00	42.84	...	42.84	53.84	...	53.84	36.14	...	36.14
5.05 अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	2.36	...	2.36	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
5.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर व्याज सब्सिडी	...	...	...	8.16	...	8.16	0.01	...	0.01	6.50	...	6.50
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	37.73	...	37.73	678.03	...	678.03	55.03	...	55.03	831.70	...	831.70
6. कौशल विकास और आजीविका												
6.01 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान												
7. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
7.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	23.62	...	23.62	20.00	...	20.00	16.00	...	16.00	20.00	...	20.00
7.02 छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	5.04	...	5.04	6.00	...	6.00	4.87	...	4.87	6.00	...	6.00
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	28.66	...	28.66	26.00	...	26.00	20.87	...	20.87	26.00	...	26.00
8. पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)												
8.01 पीएम-विकास	...	...	...	267.29	...	267.29	200.00	...	200.00	303.27	...	303.27
8.02 पीएम-विकास प्रतिबद्ध देयताएं	203.35	...	203.35	250.00	...	250.00	112.01	...	112.01	...	...	...
जोड़- पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)	203.35	...	203.35	517.29	...	517.29	312.01	...	312.01	303.27	...	303.27
9. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-663.74	...	-663.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	-390.44	...	-390.44	1237.32	...	1237.32	404.44	...	404.44	1197.97	...	1197.97
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	11.77	...	11.77	14.89	...	14.89	12.50	...	12.50	15.50	...	15.50
11. भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.61	...	1.61	3.00	...	3.00	2.15	...	2.15	2.08	...	2.08
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	13.38	...	13.38	17.89	...	17.89	14.65	...	14.65	17.58	...	17.58
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	13.38	...	13.38	17.89	...	17.89	14.65	...	14.65	17.58	...	17.58
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम												
12. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	955.23	...	955.23	1913.97	...	1913.97	1565.00	...	1565.00	2000.00	...	2000.00
13. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़-अल्पसंख्यक विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम	955.23	...	955.23	1913.98	...	1913.98	1565.00	...	1565.00	2000.00	...	2000.00
14. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-17.23	...	-17.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	938.00	...	938.00	1913.98	...	1913.98	1565.00	...	1565.00	2000.00	...	2000.00
कुल जोड़	712.03	2.95	714.98	3346.28	3.72	3350.00	2157.98	2.47	2160.45	3395.62	4.38	3400.00
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	-488.63	...	-488.63	812.12	...	812.12	298.65	...	298.65	1062.70	...	1062.70

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		345.58	...	345.58	653.71	...	653.71	434.63	...	434.63	473.73	...	473.73
3.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		39.06	...	39.06	36.10	...	36.10	42.14	...	42.14	43.78	...	43.78
4.	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	2.95	2.95	...	3.72	3.72	...	2.47	2.47	...	4.38	4.38
जोड़-सामाजिक सेवाएं			-103.99	2.95	-101.04	1501.93	3.72	1505.65	775.42	2.47	777.89	1580.21	4.38	1584.59
अन्य														
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	315.98	...	315.98	248.25	...	248.25	319.94	...	319.94
6.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		816.02	...	816.02	1518.31	...	1518.31	1133.28	...	1133.28	1491.42	...	1491.42
7.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		...	...	...	10.06	...	10.06	1.03	...	1.03	4.05	...	4.05
जोड़-अन्य			816.02	...	816.02	1844.35	...	1844.35	1382.56	...	1382.56	1815.41	...	1815.41
कुल जोड़			712.03	2.95	714.98	3346.28	3.72	3350.00	2157.98	2.47	2160.45	3395.62	4.38	3400.00

												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान			...	836.27	836.27	...	780.00	780.00	...	838.00	838.00	...	915.00	915.00
जोड़			...	836.27	836.27	...	780.00	780.00	...	838.00	838.00	...	915.00	915.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर स्थापना संबंधी व्यय हेतु है।
2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सीजेआई, जेद्दाह, सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।
4. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** क़ौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) तथा शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) को क्रमशः अभिलेखों के कंप्यूटीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ बनाने और शहरी क्षेत्रों में स्थित रिक्त वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने तथा उसे व्यावसायिक आधार पर विकसित कर अधिक आय सृजित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है, ताकि कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार किया जा सके।

उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 वक्फ के संपूर्ण जीवन-चक्र को कवर करने वाला एक पारदर्शी, एंड-टू-एंड डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है, जिसमें पंजीकरण, सत्यापन, अनुमोदन, जीआईएस-आधारित जियो-टैगिंग, राष्ट्रीय वक्फ डाटाबेस का निर्माण तथा वक्फ-अल-अवलाद के लाभार्थियों और अन्य कल्याणकारी हस्तक्षेपों से संबंधित लाभार्थी-केंद्रित सेवाओं की आपूर्ति शामिल है।

यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के ऑनबोर्डिंग तथा वैधानिक मेकर-बेकर-एपूर्वर फ्रेमवर्क के संचालन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथापि अपलोड की जाने वाली जानकारी के अभूतपूर्व स्तर, तकनीकी जटिलता तथा विधिक रूप से बाध्यकारी प्रकृति को देखते हुए बोर्ड स्तर पर सतत आधार पर समर्पित कुशल मानव संसाधन की तैनाती आवश्यक हो जाती है। अतः राज्य वक्फ बोर्डों में कुशल श्रेणी के पेशेवरों के साथ परियोजना प्रबंधन इकाइयों (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स – पीएमयूएस) की स्थापना एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक हस्तक्षेप है, जिससे डेटा की निवलता, समयबद्धता, जीआईएस एकीकरण तथा पोर्टल के सभी मॉड्यूलों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों जैसे कि वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.01. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX और X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

5.02. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा XI व XII स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

5.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु मेरिट और समांतर योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.04. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम. फिल तथा पी. एच. डी. जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम. फिल तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

5.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोर्सेज और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि करके उन्हें सरकारी/ निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

5.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

6.01. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों को उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्गृह करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

7.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य (i) अनुसंधान एवं आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं पर डेटा का सृजन करना।

(ii) सतत सुधार के लिए चल रही योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

(iii) आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं के प्रति व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देना है।

7.02. **छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना:** यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें अनुदान सहायता के रूप में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन चयनित पारसी पंचायत/अंजुमन के सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसमें संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय को आधार से जुड़ी प्रणाली के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना है।

8. **पीएम- विरासत का संवर्धन (पीएम विकास):** प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) एमओएमए मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, महिला उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के साथ समन्वय में और स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के साथ एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

10. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

11. **भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

12. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवीके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश भर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में विकास संबंधी कमियों को दूर करना है।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23292.80	6.39	23299.19	31742.18	7.20	31749.38	27799.02	2.20	27801.22	44611.14	3.53	44614.67
वसूलियां	-4672.54	...	-4672.54	-5200.00	...	-5200.00	-2500.00	...	-2500.00	-11700.00	...	-11700.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	18620.26	6.39	18626.65	26542.18	7.20	26549.38	25299.02	2.20	25301.22	32911.14	3.53	32914.67
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.68	1.90	63.58	69.41	2.20	71.61	65.16	2.20	67.36	70.78	3.53	74.31
2. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-24.64	...	-24.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. कार्यालय भवन	...	4.49	4.49	...	5.00	5.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	37.04	6.39	43.43	69.41	7.20	76.61	65.16	2.20	67.36	70.78	3.53	74.31
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
सौर ऊर्जा												
4. सौर विद्युत (ग्रिड)												
4.01 कार्यक्रम घटक	1583.83	...	1583.83	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1775.00	...	1775.00
4.02 सरकारी हरित निधि में अन्तरण	7007.46	...	7007.46	1500.00	...	1500.00	500.00	...	500.00	700.00	...	700.00
4.03 सरकारी हरित निधि से राशि पूरी की गई	-2007.47	...	-2007.47	-1500.00	...	-1500.00	-500.00	...	-500.00	-700.00	...	-700.00
निवल	6583.82	...	6583.82	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1775.00	...	1775.00
5. सौर विद्युत (ऑफ-ग्रिड)	21.15	...	21.15	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)												
6.01 सरकारी हरित निधि में अंतरण	1496.00	...	1496.00	1600.00	...	1600.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
6.02 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई	-1500.00	...	-1500.00	-1600.00	...	-1600.00	-500.00	...	-500.00	-500.00	...	-500.00
6.03 कार्यक्रम घटक	2564.14	...	2564.14	2600.00	...	2600.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00
जोड़- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)	2560.14	...	2560.14	2600.00	...	2600.00	5000.00	...	5000.00	5000.00	...	5000.00
7. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना												
7.01 कार्यक्रम घटक	7817.61	...	7817.61	20000.00	...	20000.00	17000.00	...	17000.00	22000.00	...	22000.00
7.02 संप्रभु हरित निधि को अंतरण	...	...	...	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	10000.00	...	10000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7.03 संप्रभु हरित निधि से ली गई राशि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-10000.00	...	-10000.00
<i>निवल</i>	<i>7817.61</i>	...	<i>7817.61</i>	<i>20000.00</i>	...	<i>20000.00</i>	<i>17000.00</i>	...	<i>17000.00</i>	<i>22000.00</i>	...	<i>22000.00</i>
8. व्याज भुगतान और बांड्स पर खर्च जारी करना	124.35	...	124.35	124.35	...	124.35	124.35	...	124.35	1764.35	...	1764.35
जोड़-सौर ऊर्जा	17107.07	...	17107.07	24224.36	...	24224.36	23124.36	...	23124.36	30539.36	...	30539.36
पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम												
9. पवन विद्युत (ग्रिड)												
9.01 कार्यक्रम घटक	700.11	...	700.11	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
9.02 सरकारी हरित निधि में अंतरण	800.00	...	800.00	500.00	...	500.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
9.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	-700.11	...	-700.11	-500.00	...	-500.00	-300.00	...	-300.00	-300.00	...	-300.00
<i>निवल</i>	<i>800.00</i>	...	<i>800.00</i>	<i>500.00</i>	...	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	...	<i>500.00</i>	<i>500.00</i>	...	<i>500.00</i>
10. जल विद्युत (ग्रिड)	30.21	...	30.21	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
11. जल विद्युत (ऑफ-ग्रिड)	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-पवन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम	830.21	...	830.21	551.00	...	551.00	551.00	...	551.00	551.00	...	551.00
भंडारण और पारेषण												
12. हरित ऊर्जा कोरिडोर	346.07	...	346.07	600.00	...	600.00	800.00	...	800.00	599.99	...	599.99
हाइड्रोजन मिशन												
13. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन												
13.01 कार्यक्रम घटक	46.26	...	46.26	600.00	...	600.00	300.00	...	300.00	600.00	...	600.00
13.02 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई	304.00	...	304.00	600.00	...	600.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
13.03 सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि	-49.29	...	-49.29	-600.00	...	-600.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00
<i>निवल</i>	<i>300.97</i>	...	<i>300.97</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>	<i>300.00</i>	...	<i>300.00</i>	<i>600.00</i>	...	<i>600.00</i>
जैव ऊर्जा कार्यक्रम												
14. जैव विद्युत (ग्रिड)	...	...	...	30.00	...	30.00	...	...	...	30.00	...	30.00
15. जैव विद्युत (ऑफ- ग्रिड)	102.26	...	102.26	200.00	...	200.00	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00
16. बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ- ग्रिड)	57.86	...	57.86	95.00	...	95.00	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00
जोड़-जैव ऊर्जा कार्यक्रम	160.12	...	160.12	325.00	...	325.00	175.00	...	175.00	275.00	...	275.00
सहायता कार्यक्रम												
17. अनुसंधान और विकास	29.57	...	29.57	46.00	...	46.00	35.00	...	35.00	46.00	...	46.00
18. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण	29.54	...	29.54	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
19. सूचना और सार्वजनिक विज्ञापन (आईएंडपीए)	6.31	...	6.31	9.50	...	9.50	8.00	...	8.00	8.50	...	8.50
20. अंतरराष्ट्रीय संबंध	1.89	...	1.89	3.51	...	3.51	2.50	...	2.50	3.51	...	3.51
जोड़-सहायता कार्यक्रम	67.31	...	67.31	99.01	...	99.01	85.50	...	85.50	98.01	...	98.01
21. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-391.03	...	-391.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	18420.72	...	18420.72	26399.37	...	26399.37	25035.86	...	25035.86	32663.36	...	32663.36
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
स्वायत्त निकाय												
22. राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	25.95	...	25.95	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	26.00	...	26.00
23. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान	11.00	...	11.00	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	18.00	...	18.00
24. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	25.55	...	25.55	28.40	...	28.40	28.00	...	28.00	33.00	...	33.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	62.50	...	62.50	73.40	...	73.40	73.00	...	73.00	77.00	...	77.00
अन्य												
25. अंतरराष्ट्रीय सौर संघ की सहायता	100.00	...	100.00	...	...	...	125.00	...	125.00	100.00	...	100.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	162.50	...	162.50	73.40	...	73.40	198.00	...	198.00	177.00	...	177.00
कुल जोड़	18620.26	6.39	18626.65	26542.18	7.20	26549.38	25299.02	2.20	25301.22	32911.14	3.53	32914.67
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	18583.22	...	18583.22	23846.77	...	23846.77	22730.19	...	22730.19	29740.44	...	29740.44
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	37.04	...	37.04	69.41	...	69.41	65.16	...	65.16	70.78	...	70.78
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.49	4.49	...	5.00	5.00	...	...	...	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.90	1.90	...	2.20	2.20	...	2.20	2.20	...	3.53	3.53
जोड़-आर्थिक सेवाएं	18620.26	6.39	18626.65	23916.18	7.20	23923.38	22795.35	2.20	22797.55	29811.22	3.53	29814.75
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2626.00	...	2626.00	2503.67	...	2503.67	3099.92	...	3099.92
जोड़-अन्य	...	...	...	2626.00	...	2626.00	2503.67	...	2503.67	3099.92	...	3099.92
कुल जोड़	18620.26	6.39	18626.65	26542.18	7.20	26549.38	25299.02	2.20	25301.22	32911.14	3.53	32914.67

(₹ करोड़)

	बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश									
1. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)	...	30968.87	30968.87	...	34974.99	34974.99	...	34730.23	34730.23
2. भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)	...	521.03	521.03	...	485.00	485.00	...	1328.91	1328.91
जोड़	...	31489.90	31489.90	...	35459.99	35459.99	...	36059.14	36059.14

1.

सचिवालय: यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 4.02.

सरकारी हरित निधि में अन्तरण: वास्तविक राशि में पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत सॉवरेन ग्रीन फंड में हस्तांतरित राशि शामिल है (707.46 करोड़)।
- 4.03.

सरकारी हरित निधि से राशि पूरी की गई: वास्तविक राशि में पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत सॉवरेन ग्रीन फंड से पूरी की गई राशि शामिल है (707.46 करोड़)।
6.

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम): यह योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में सिंचाई और गैर-डीजलीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। इस योजना के तहत, एकल सौर्य पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यकरण हेतु सब्सिडी शामिल है।
8.

ब्याज भुगतान और बांड्स पर खर्च जारी करना: इस प्रावधान में 1,640 करोड़ रुपये के ईबीआर की अदायगी और इरेडा के माध्यम से जुटाए गए 124.35 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि शामिल है।
10.

जल विद्युत (ग्रिड): अनुकूल पर्यावरण तथा स्वच्छ ऊर्जा के विकास से संबंधित लघु जल विद्युत परियोजना कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
12.

हरित ऊर्जा कोरिडोर: केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान का उपयोग अंतःराज्यीय हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत संचयी रूप से 6000 सीकेएम पारेषण अवसंरचना क्षमता जोड़ने के लिए किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत आवंटन में सं.अ. 2025-26 में 30.72 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीए-जनमन) के लिए किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत आवंटन में सं.अ. 2025-26 में 0.01 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 34.99 करोड़ रुपए का प्रावधान धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए किया गया है।
13.

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: इस प्रावधान का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना तथा स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा पारेषण के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करना है।
- 13.03.

सरकारी हरित निधि से पूरी की गई राशि: वास्तविक राशि में वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित राजकोपीय एकल खाता समानुद्देशन के अव्ययित शेष का 3.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।
15.

जैव विद्युत (ऑफ- ग्रिड): ऑफ-ग्रिड/वितरित जैव ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
16.

बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ- ग्रिड): वैकल्पिक रसोई ईंधन समाधान प्रदान करने के लिए बायोगैस संयंत्र लगाना।

17.

अनुसंधान और विकास: प्रावधान परियोजनाओं के अनुसंधान और विकास के लिए है, जो निरंतर स्वरूप के हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को फोकस क्षेत्र के रूप में शुरू किया गया है।
20.

अंतरराष्ट्रीय संबंध: आवंटन में निवेश संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भवन एवं सचिवालय स्थापना को सहायता सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग की परिकल्पना की गई है।
22.

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान: प्रावधान राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के लिए है, जो पवन ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान और विकास करता है।
23.

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान: जैव ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान का प्रावधान है।
24.

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान: अनुसंधान और विकास के माध्यम से सौर ऊर्जा के आधुनिकीकरण की दिशा में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के लिए प्रावधान है।

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 72

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	838.64	11.66	850.30	1170.90	14.10	1185.00	951.15	14.81	965.96	1186.88	3.28	1190.16
वसूलियां	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	838.57	11.66	850.23	1170.90	14.10	1185.00	951.15	14.81	965.96	1186.88	3.28	1190.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	42.13	1.39	43.52	49.63	1.70	51.33	43.55	2.41	45.96	45.45	2.40	47.85
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. स्वामित्व	33.82	8.77	42.59	59.10	10.90	70.00	59.10	10.90	70.00	...	...	...
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)												
3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	762.69	1.50	764.19	1062.17	1.50	1063.67	848.50	1.50	850.00	1141.43	0.88	1142.31
4. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	762.62	1.50	764.12	1062.17	1.50	1063.67	848.50	1.50	850.00	1141.43	0.88	1142.31
कुल जोड़	838.57	11.66	850.23	1170.90	14.10	1185.00	951.15	14.81	965.96	1186.88	3.28	1190.16
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	129.16	...	129.16	161.80	...	161.80	162.30	...	162.30	161.33	...	161.33
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	42.13	...	42.13	49.63	...	49.63	43.55	...	43.55	45.45	...	45.45
3. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	10.27	10.27	...	12.40	12.40	...	12.40	12.40	...	0.88	0.88
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.39	1.39	...	1.70	1.70	...	2.41	2.41	...	2.40	2.40

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	171.29	11.66	182.95	211.43	14.10	225.53	205.85	14.81	220.66	206.78	3.28	210.06
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	113.37	...	113.37	113.37	...	113.37	114.23	...	114.23
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	602.28	...	602.28	796.10	...	796.10	581.93	...	581.93	815.87	...	815.87
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	65.00	...	65.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
जोड़-अन्य	667.28	...	667.28	959.47	...	959.47	745.30	...	745.30	980.10	...	980.10
कुल जोड़	838.57	11.66	850.23	1170.90	14.10	1185.00	951.15	14.81	965.96	1186.88	3.28	1190.16

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए है।

3. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए):** (i) योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय (वाईब्रेंट) केंद्रों के रूप में फिर से विचार करने पर होगा जिसमें सभी स्तरों पर सरकार के पूर्ण सहयोग से केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य के संबंधित विभागों के संगठित एवं सामूहिक प्रयासों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विषयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। योजना में निम्निलिखित केंद्रीय घटक शामिल हैं (क) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ख) पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करना (ग) कार्य अनुसंधान एवं प्रचार और (घ) अंतरराष्ट्रीय सहयोग (ङ) पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) को को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की हिंसा से मुक्ति-क्षमता निर्माण जिसका वित्तपोषण निर्भया कोष के माध्यम से किया जाएगा और (च) पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु महिलाओं की सुरक्षा सहित महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति पुरुषों की संवेदनशीलता के लिए वित्तपोषण निर्भया निधि के माध्यम से किया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए आरई 2025-26 में 15 करोड़ रुपए तथा बजट अनुमान 2026-27 में 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 73

संसदीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	24.42	6.34	30.76	28.61	6.66	35.27	27.56	7.71	35.27	30.28	7.27	37.55
2. राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग	32.26	...	32.26	31.29	...	31.29	31.04	...	31.04	30.90	...	30.90
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45
कुल जोड़	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	56.68	...	56.68	59.90	...	59.90	58.60	...	58.60	61.18	...	61.18
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.34	6.34	...	6.66	6.66	...	7.71	7.71	...	7.27	7.27
जोड़-सामान्य सेवाएं	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45
कुल जोड़	56.68	6.34	63.02	59.90	6.66	66.56	58.60	7.71	66.31	61.18	7.27	68.45

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों , पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के व्यय के लिए है।
2. **राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग:** सभी राज्यों के विधान मंडलों को डिजिटल सदनों में बदलने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन-एनईवीए, एक मिशन मोड परियोजना है जिससे उनकी कार्य प्रणाली को पेपरलेस बनाया जा सके।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 74

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2257.42	252.01	2509.43	2408.69	247.77	2656.46	2373.84	151.23	2525.07	2454.37	153.08	2607.45
वसूलियां	-8.09	-0.02	-8.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2249.33	251.99	2501.32	2408.69	247.77	2656.46	2373.84	151.23	2525.07	2454.37	153.08	2607.45
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	195.84	11.49	207.33	240.61	12.07	252.68	220.55	10.75	231.30	230.16	12.67	242.83
	-4.78	...	-4.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	191.06	11.49	202.55	240.61	12.07	252.68	220.55	10.75	231.30	230.16	12.67	242.83
2. संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	943.25	54.96	998.21	1003.14	67.91	1071.05	997.62	60.77	1058.39	1043.48	61.50	1104.98
	-1.63	...	-1.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	941.62	54.96	996.58	1003.14	67.91	1071.05	997.62	60.77	1058.39	1043.48	61.50	1104.98
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	607.51	1.80	609.31	513.15	2.00	515.15	546.48	2.02	548.50	523.16	2.04	525.20
	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	607.44	1.80	609.24	513.15	2.00	515.15	546.48	2.02	548.50	523.16	2.04	525.20
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	140.08	20.10	160.18	149.50	15.12	164.62	150.96	11.04	162.00	157.00	9.42	166.42
	-0.35	...	-0.35	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	139.73	20.10	159.83	149.50	15.12	164.62	150.96	11.04	162.00	157.00	9.42	166.42
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए)	98.09	5.22	103.31	99.56	6.43	105.99	99.34	6.66	106.00	103.20	17.60	120.80
2.05 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी)	30.96	3.93	34.89	40.52	1.97	42.49	35.25	1.69	36.94	36.44	2.70	39.14
2.06 लोकपाल	22.61	34.80	57.41	31.18	13.14	44.32	24.35	5.65	30.00	28.00	4.00	32.00
जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	1840.45	120.81	1961.26	1837.05	106.57	1943.62	1854.00	87.83	1941.83	1891.28	97.26	1988.54

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
4. वसूली	-1.26	-0.02	-1.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	2030.25	134.28	2164.53	2077.66	120.64	2198.30	2074.55	100.58	2175.13	2121.44	111.93	2233.37
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
5. प्रशिक्षण योजनाएं	31.27	100.56	131.83	49.97	68.49	118.46	49.42	31.59	81.01	52.20	...	52.20
6. राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम	87.87	5.00	92.87	109.36	0.64	110.00	123.94	1.06	125.00	125.35	0.65	126.00
7. प्रशासनिक सुधार योजना	44.60	...	44.60	97.00	3.00	100.00	57.00	3.00	60.00	64.50	0.50	65.00
8. पेंशनर्स पोर्टल	4.67	...	4.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन	...	12.15	12.15	...	55.00	55.00	...	15.00	15.00	...	40.00	40.00
10. पेंशनभोगी कल्याण में सुधार करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15.31	...	15.31
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	168.41	117.71	286.12	256.33	127.13	383.46	230.36	50.65	281.01	257.36	41.15	298.51
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी)	40.00	...	40.00	51.50	...	51.50	48.13	...	48.13	52.07	...	52.07
12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय	8.65	...	8.65	20.20	...	20.20	17.80	...	17.80	20.00	...	20.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	48.65	...	48.65	71.70	...	71.70	65.93	...	65.93	72.07	...	72.07
अन्य												
13. सूचना का अधिकार (आरटीआई)	2.02	...	2.02	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	50.67	...	50.67	74.70	...	74.70	68.93	...	68.93	75.57	...	75.57
कुल जोड़	2249.33	251.99	2501.32	2408.69	247.77	2656.46	2373.84	151.23	2525.07	2454.37	153.08	2607.45
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	139.73	...	139.73	149.50	...	149.50	150.96	...	150.96	157.00	...	157.00
2. लोक सेवा आयोग	607.44	...	607.44	513.15	...	513.15	546.48	...	546.48	523.16	...	523.16
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	199.71	...	199.71	260.81	...	260.81	238.35	...	238.35	250.16	...	250.16
4. पुलिस	941.62	...	941.62	1003.14	...	1003.14	997.62	...	997.62	1043.48	...	1043.48
5. सतर्कता	22.61	...	22.61	31.18	...	31.18	24.35	...	24.35	28.00	...	28.00
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	338.22	...	338.22	450.91	...	450.91	416.08	...	416.08	452.57	...	452.57
7. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	41.28	41.28	...	42.91	42.91	...	47.28	47.28	...	47.00	47.00
8. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	166.85	166.85	...	141.89	141.89	...	58.64	58.64	...	47.92	47.92
9. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.02	37.02	...	56.47	56.47	...	38.09	38.09	...	51.32	51.32

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			...	4.84	4.84	...	4.50	4.50	...	5.22	5.22	...	4.84	4.84
जोड़-सामान्य सेवाएं			2249.33	249.99	2499.32	2408.69	245.77	2654.46	2373.84	149.23	2523.07	2454.37	151.08	2605.45
अन्य														
11. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम			...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़-अन्य			...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
कुल जोड़			2249.33	251.99	2501.32	2408.69	247.77	2656.46	2373.84	151.23	2525.07	2454.37	153.08	2607.45

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निम्नलिखित के संबंध में होने वाले व्यय हेतु है :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम एवं विनियम बनाने/ब्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के सभी स्तरों के पदों /ग्रेडों हेतु प्रवेश, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति आयोजन, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिसे केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों के सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग जिसके द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो:** यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए समग्र आधुनिकीकरण एवं कार्यालय/आवास परिसरों की भूमि की खरीद/निर्माण, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सहित कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.03. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न न्यायपीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण संबंधी प्रावधान भी शामिल है।

2.04. **प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए):** इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक

अकादमी (एलबीएसएनएए) एवं प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें बुनियादी (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमों तथा विनियमों, अभिक्षमता आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके जिससे केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।

2.05. **केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी):** यह प्रावधान केन्द्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और पूंजीगत व्यय के लिए है।

3. **अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान राज्य सरकारों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति के लिए है।

5. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है।

6. **राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी के लिए है।

7. **प्रशासनिक सुधार योजना:** इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए योजना प्रावधान शामिल हैं। यह योजना सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाओं के लिए है जिसमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहन देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि और लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली भी शामिल है।

8. **पेंशनर्स पोर्टल:** इसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की योजना पेंशनभोगियों के पोर्टल हेतु आवंटन शामिल है।

9. **सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अन्य संस्थानों के लिए एकीकृत भवन:** यह प्रावधान सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अन्य संस्थानों के एकीकृत भवन हेतु है।

10. **पेंशनभोगी कल्याण में सुधार करना:** इस योजना में पेंशनभोगियों को संपर्क का एक बिंदु प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य, अनुभव, डीएलसी, अनुदान और संकल्प सहित कई पेंशन से संबंधित डिजिटल प्लेटफार्मों में सुधार और एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

11. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी):** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को सहायता अनुदान आवंटन भी शामिल है।

12. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड तथा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।

13. **सूचना का अधिकार (आरटीआई):** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार के संबंध में निधि का आवंटन।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

सं 75 (विनियोग)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56
	वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग		46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56
कुल जोड़		46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1. सतर्कता		46.84	...	46.84	50.45	...	50.45	49.04	...	49.04	52.85	...	52.85
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	1.60	1.60	...	1.62	1.62	...	1.62	1.62	...	1.71	1.71
जोड़-सामान्य सेवाएं		46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56
कुल जोड़		46.84	1.60	48.44	50.45	1.62	52.07	49.04	1.62	50.66	52.85	1.71	54.56

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग: यह प्रावधान केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिवालय व्यय हेतु है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मांग संख्या 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	18721.78	1165.71	19887.49	14379.80	12323.13	26702.93	30333.21	2601.26	32934.47	37414.77	238.45	37653.22
वसूलियां	-2100.00	-17.25	-2117.25	-1679.03	-5697.00	-7376.03	-1940.00	-870.00	-2810.00	-7210.00	...	-7210.00
प्राप्तियां	...	-807.91	-807.91	...	...	...	...	-324.13	-324.13	...	...	...
निवल	16621.78	340.55	16962.33	12700.77	6626.13	19326.90	28393.21	1407.13	29800.34	30204.77	238.45	30443.22
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	47.35	160.55	207.90	63.49	2.13	65.62	55.10	2.13	57.23	75.71	8.44	84.15
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान	20.99	...	20.99	16.36	...	16.36	11.22	...	11.22	14.60	...	14.60
महत्वपूर्ण तेल भंडार												
3. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण II (कंदराओं का निर्माण)	...	17.25	17.25	...	100.00	100.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
4. कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान	...	...	...	...	5597.00	5597.00	...	850.00	850.00	...	0.01	0.01
5. महत्वपूर्ण कूड ऑयल भंडार (ओ एंड एम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान	100.00	...	100.00	179.00	...	179.00	169.00	...	169.00	180.00	...	180.00
6. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) को अंतरण	100.00	30.00	130.00	179.00	5697.00	5876.00	...	870.00	870.00	...	...	...
7. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-100.00	-17.25	-117.25	-179.00	-5697.00	-5876.00	...	-870.00	-870.00	...	...	...
जोड़-महत्वपूर्ण तेल भंडार	100.00	30.00	130.00	179.00	5697.00	5876.00	169.00	870.00	1039.00	180.00	20.01	200.01
तेलशोधक और संरक्षण												
8. प्रधान मंत्री जी-वन योजना	7.58	...	7.58	117.41	...	117.41	37.88	...	37.88	196.94	...	196.94
एलपीजी सन्निधि												
9. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी	375.27	...	375.27	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1500.00	...	1500.00
10. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	12700.00	...	12700.00	9100.00	...	9100.00	12736.00	...	12736.00	9200.00	...	9200.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सन्निधि सहित अन्य देय सन्निधि	1103.73	...	1103.73	1200.00	...	1200.00	1103.00	...	1103.00	1103.00	...	1103.00
12. बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर परिसर को फीडस्टॉक सन्निधि	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	281.50	...	281.50	281.50	...	281.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. परियोजना प्रबंधन व्यय	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
14. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) को अंतरण	2000.00	...	2000.00	500.03	...	500.03	1940.00	...	1940.00	6210.00	...	6210.00
15. तेल उद्योग विकास निधि (ओआईडीएफ) से प्राप्त राशि	-2000.00	...	-2000.00	-500.03	...	-500.03	-1940.00	...	-1940.00	-6210.00	...	-6210.00
16. आरक्षित निधि में अतिरिक्त अंतरण												
16.01 तेल उद्योग विकास निधि	1000.00	...	1000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17. अतिरिक्त राशि को आरक्षित निधि से पूरा करना												
17.01 तेल उद्योग विकास निधि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
जोड़-एलपीजी सप्लाय	15479.01	...	15479.01	11100.01	...	11100.01	15120.51	...	15120.51	11084.51	...	11084.51
18. घरेलू एलपीजी में वसूलियों के अंतर्गत पीएसयू ओएमसी को एकवारगी अनुदान	...	...	...	...	...	...	12500.00	...	12500.00	17500.00	...	17500.00
19. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि. (आईजीजीएल)- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग												
19.01 कार्यक्रम घटक	611.92	...	611.92	700.00	...	700.00	300.00	...	300.00	700.00	...	700.00
20. नुमालीगड रिफाईनरी विस्तार परियोजना	275.00	...	275.00	24.50	...	24.50	24.50	...	24.50	...	...	...
21. भारत में वाणिज्यिक पोतों की शुरूआत को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	78.21	...	78.21	100.00	...	100.00	105.00	...	105.00	31.00	...	31.00
22. वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
23. बायोमास संग्रहण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	1.72	...	1.72	150.00	...	150.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
24. भूमि खरीद हेतु आईएसपीआरएल को भुगतान	...	50.00	50.00	...	235.00	235.00	...	135.00	135.00	...	10.00	10.00
25. सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) लगाने के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास की योजना	...	...	...	250.00	...	250.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
26. मिशन अन्वेषण	...	50.00	50.00	...	592.00	592.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00
27. भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ईसीएस) में क्षेत्रों का मूल्यांकन	...	50.00	50.00	...	100.00	100.00	...	200.00	200.00	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	16574.43	180.00	16754.43	12637.28	6624.00	19261.28	28288.11	1405.00	29693.11	29827.06	230.01	30057.07
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
28. भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	302.00	...	302.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
29. बोनस शेयर जारी करना												
29.01 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	...	807.91	807.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29.02 ऑयल इंडिया लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	324.13	324.13	...	...	...
29.03 घटाएं प्राप्तियां	...	-807.91	-807.91	...	...	...	...	-324.13	-324.13	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00	302.00	...	302.00
कुल जोड़	16621.78	340.55	16962.33	12700.77	6626.13	19326.90	28393.21	1407.13	29800.34	30204.77	238.45	30443.22
ख. विकास शीर्ष												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आर्थिक सेवाएं												
1. पेट्रोलियम	16475.23	...	16475.23	12520.92	...	12520.92	28221.89	...	28221.89	30083.46	...	30083.46
2. उद्योग	78.21	...	78.21	100.00	...	100.00	105.00	...	105.00	31.00	...	31.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	47.35	...	47.35	63.49	...	63.49	55.10	...	55.10	75.71	...	75.71
4. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	...	180.00	180.00	...	6624.00	6624.00	...	1405.00	1405.00	...	230.01	230.01
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	160.55	160.55	...	2.13	2.13	...	2.13	2.13	...	8.44	8.44
जोड़-आर्थिक सेवाएं	16600.79	340.55	16941.34	12684.41	6626.13	19310.54	28381.99	1407.13	29789.12	30190.17	238.45	30428.62
अन्य												
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	20.99	...	20.99	16.36	...	16.36	11.22	...	11.22	14.60	...	14.60
जोड़-अन्य	20.99	...	20.99	16.36	...	16.36	11.22	...	11.22	14.60	...	14.60
कुल जोड़	16621.78	340.55	16962.33	12700.77	6626.13	19326.90	28393.21	1407.13	29800.34	30204.77	238.45	30443.22

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	...	62057.32	62057.32	...	34900.00	34900.00	...	32000.00	32000.00	...	30000.00	30000.00
2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	7404.00	7404.00	...	5706.00	5706.00	...	6196.00	6196.00	...	9262.00	9262.00
3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	2250.00	2250.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2250.00	2250.00
4. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	143.68	143.68	...	270.81	270.81	...	263.03	263.03	...	183.31	183.31
5. ऑयल इंडिया लिमिटेड	...	8467.33	8467.33	...	7860.00	7860.00	...	8805.00	8805.00	...	8653.00	8653.00
6. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड	...	5237.33	5237.33	...	5590.00	5590.00	...	6086.54	6086.54	...	7264.55	7264.55
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	...	85559.66	85559.66	...	56326.81	56326.81	...	55350.57	55350.57	...	57612.86	57612.86
तेल शोधक और विपणन क्षेत्र												
7. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	...	36108.93	36108.93	...	32054.60	32054.60	...	31935.66	31935.66	...	28641.28	28641.28
8. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	...	12522.00	12522.00	...	10005.00	10005.00	...	10005.00	10005.00	...	9521.00	9521.00
9. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	...	13037.42	13037.42	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00
10. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	...	680.82	680.82	...	303.00	303.00	...	425.07	425.07	...	610.07	610.07
11. नुमालीगड रिफाइनरी लिमिटेड	275.00	8833.82	9108.82	24.50	9109.85	9134.35	24.50	8075.51	8100.01	...	7500.38	7500.38
12. मंगलौर रिफायनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	...	1156.18	1156.18	...	827.00	827.00	...	827.00	827.00	...	836.00	836.00
जोड़-तेल शोधक और विपणन क्षेत्र	275.00	72339.17	72614.17	24.50	65299.45	65323.95	24.50	64268.24	64292.74	...	60108.73	60108.73

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2026-2027													268	
												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
पेट्रोरसायन क्षेत्र														
13.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड		...	4121.14	4121.14	...	2968.44	2968.44	...	2502.27	2502.27	...	3875.41	3875.41
14.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड		...	3108.00	3108.00	...	2671.00	2671.00	...	2736.00	2736.00	...	2256.00	2256.00
15.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड		...	1679.41	1679.41	...	3500.00	3500.00	...	3500.00	3500.00	...	9750.00	9750.00
16.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		...	1986.00	1986.00	...	1495.00	1495.00	...	1495.00	1495.00	...	120.00	120.00
17.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-पेट्रोरसायन क्षेत्र			...	10894.55	10894.55	...	10634.44	10634.44	...	10233.27	10233.27	...	16001.41	16001.41
अभियांत्रिकी क्षेत्र														
18.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड		...	61.18	61.18	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
19.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड		...	83.23	83.23	...	50.00	50.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00
जोड़-अभियांत्रिकी क्षेत्र			...	144.41	144.41	...	90.00	90.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
पूँजी निक्षेप														
20.	इण्डियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड		...	...	...	5932.00	...	5932.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-पूँजी निक्षेप			...	...	...	5932.00	...	5932.00	...	...	...	...	...	...
जोड़			275.00	168937.79	169212.79	5956.50	132350.70	138307.20	24.50	129952.08	129976.58	...	133823.00	133823.00

नोट: ब.अ. 2026-27 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 31, 443.22 करोड़ रुपये है (30, 443.22 करोड़ रुपये प्लस 1, 000 करोड़ रुपये)। गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के वित्तपोषण के लिए तेल उद्योग विकास कोष की शेष राशि से अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

- सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।
- राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान:** यह प्रावधान कच्चे तेल पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार दरों और अधिसूचित रॉयल्टी के बीच के अंतर का संबंधित राज्य सरकारों को ब्लॉक के लिए भुगतान करने के लिए है।
- इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण II (कंदराओं का निर्माण):** चरण II के अंतर्गत स्थानों पर 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता वाली कंदराओं का निर्माण करने हेतु अनुदान।
- महत्वपूर्ण कूड ऑयल भंडार (ओ एंड एम) के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** यह प्रावधान विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में कंदराओं के प्रचालन और रखरखाव की लागत के लिए है।
- प्रधान मंत्री जी-वन योजना:** प्रधानमंत्री जी-वन योजना लिग्नो-सेलूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक पर आधारित एकीकृत बायोएथेनोल परियोजनाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।

9. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- एलपीजी:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को एलपीजी नकद सन्निडी के सीधे अंतरण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भुगतान करने के लिए है।

10. **गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन:** यह गरीब परिवारों को मिट्टी के तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गोबर, फसलों के अवशेषों, आदि जैसे जीवाश्म ईंधनों से एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों को सहायता प्रदान करने की योजना है। बीपीएल परिवारों को नये कनेक्शन प्रदान करते समय, विशेष रूप से देश के पूर्वी भागों वाले सुविधारहित राज्यों और क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सन्निडी सहित अन्य देय सन्निडी:** यह प्रावधान पिछले वर्षों/योजनाओं की बकाया राशि (माल हुलाई सन्निडी और पीडीएस के लिए एलपीजी तथा मिट्टी के तेल पर सन्निडी), और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु सन्निडी के संबंध में तेल कंपनियों को भुगतान इत्यादि के लिए किया गया है।

13. **परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटी) एलपीजी योजना के तहत नकद सन्निडी के सीधे अंतरण के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए ओएमसी को भुगतान करने के लिए है।

18. **घरेलू एलपीजी में वसूलियों के अंतर्गत पीएसयू ओएमसी को एकबारगी अनुदान:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को घरेलू लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की बिक्री पर कम वसूली से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु आरई 2025-26 और बीई 2026-27 में 30,000 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है।
19. **इंद्रधनुष गैस ग्रिड लि. (आईजीजीएल)- पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का भाग:** इस योजना की शुरुआत व्यवहार्यता अंतराल निधियन के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में परियोजना के व्यय को पूरा करने के लिए की गई थी।
26. **मिशन अन्वेषण:** यह योजना 20,275 लाइन किलोमीटर के 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए है, जिसका बजट परिव्यय 792 करोड़ रुपये है। बीई 2026-27 में 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 77

योजना मंत्रालय

₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	275.46	7.15	282.61	972.35	33.71	1006.06	826.67	21.57	848.24	1203.38	28.78	1232.16
वसूलियां	-2.18	...	-2.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	273.28	7.15	280.43	972.35	33.71	1006.06	826.67	21.57	848.24	1203.38	28.78	1232.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	177.98	7.08	185.06	179.05	13.70	192.75	231.05	20.88	251.93	211.57	12.28	223.85
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.28	...	-0.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	177.70	7.08	184.78	179.05	13.70	192.75	231.05	20.88	251.93	211.57	12.28	223.85
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम)	27.01	0.07	27.08	380.00	20.00	400.00	109.32	0.68	110.00	390.50	14.50	405.00
4. चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00	4.00	...	4.00
5. सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक)	8.07	...	8.07	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. राज्य सहायता मिशन	40.90	...	40.90	44.99	0.01	45.00	38.99	0.01	39.00	98.00	2.00	100.00
7. आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एबीपी)	...	...	...	353.00	...	353.00	210.00	...	210.00	218.00	...	218.00
8. आकांक्षी जिले कार्यक्रम (एडीपी)- चरण III	...	...	...	...	...	...	220.00	...	220.00	270.00	...	270.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	79.98	0.07	80.05	782.00	20.01	802.01	584.32	0.69	585.01	980.51	16.50	997.01
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान	17.50	...	17.50	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30
अन्य												
10. वास्तविक वसूलियां	-1.90	...	-1.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	15.60	...	15.60	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30	11.30	...	11.30

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	273.28	7.15	280.43	972.35	33.71	1006.06	826.67	21.57	848.24	1203.38	28.78	1232.16
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	177.70	...	177.70	179.05	...	179.05	231.05	...	231.05	211.57	...	211.57
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	95.58	...	95.58	793.30	...	793.30	595.62	...	595.62	991.81	...	991.81
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	7.15	7.15	...	33.71	33.71	...	21.57	21.57	...	28.78	28.78
जोड़-आर्थिक सेवाएं	273.28	7.15	280.43	972.35	33.71	1006.06	826.67	21.57	848.24	1203.38	28.78	1232.16
कुल जोड़	273.28	7.15	280.43	972.35	33.71	1006.06	826.67	21.57	848.24	1203.38	28.78	1232.16

1. **सचिवालय:** इसमें नीति आयोग, डीएमईओ सहित, मंत्रालय के सचिवालय व्यय का प्रावधान है।
3. **स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच है जिसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल किया गया है और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का उपयोग करता है। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्र का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्यो-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम शामिल होंगे।
4. **चल रहे कार्यक्रम और स्कीमें:** इस प्रावधान का उद्देश्य नीति आयोग को विचारों के आदान-प्रदान का समर्थन करने और नए विचारों को बढ़ावा देने के अलावा बाहरी पेशेवर/विशेषज्ञ एजेंसियों और व्यक्तिगत विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कार्य करने में सक्षम बनाना है। 'नीति आयोग की अनुसंधान योजना, 2021' का उद्देश्य नीति आयोग के अधिदेश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे शोध अध्ययनों में सहायता करना है।
5. **सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ईएपी घटक):** आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को मुक्त निधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं शुरू करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है।
6. **राज्य सहायता मिशन:** राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) - नीति आयोग की व्यापक अम्ब्रेला पहल है, जिसका प्रयोजन साझा विज़न 2047 के परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों के साथ जारी अपने सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग आईआईटी या आईआईएम जैसे अग्रणी ज्ञान संस्थानों , विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और

- नागरिक समुदायों के समन्वय से इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य परिवर्तन संस्थान स्थापित करने में सहायता कर रहा है जो राज्यों में विकास संबंधी कार्यनीतियों की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है।
7. **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (एबीपी):** आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के अपेक्षाकृत दुर्गम और कम विकसित 500 आकांक्षी ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है।
8. **आकांक्षी जिले कार्यक्रम (एडीपी)- चरण III:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के तहत, भारत सरकार स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे आदि पर केंद्रित अविकसित जिलों को तेजी से बदलने के उद्देश्य से चुनौती पद्धति पर आकांक्षी जिलों को धन प्रदान करती है।
9. **राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम अर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो मानव संसाधन आयोजन और विकास, संरचना तथा श्रम क्षेत्र में परिवर्तित स्वरूप के क्षेत्र में कार्य करता है, लोक नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी और अवलोकन करता है, सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार करता है, विकासशील देशों के लिए अकादमिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करता है और राष्ट्रीय विकास अजेंडा का विस्तार करने हेतु ऐसी अन्य पहलें करता है। यह प्रावधान राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान को सहायता प्रदान करता है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1958.63	1419.64	3378.27	2184.23	1851.35	4035.58	2175.13	1288.98	3464.11	4464.88	1299.92	5764.80
वसूलियां	-35.33	-80.23	-115.56	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-90.00	...	-100.00	-100.00
प्राप्तियां	-425.13	...	-425.13	-475.00	...	-475.00	-475.00	...	-475.00	-500.00	...	-500.00
निवल	1498.17	1339.41	2837.58	1709.23	1761.35	3470.58	1700.13	1198.98	2899.11	3964.88	1199.92	5164.80
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	68.73	4.05	72.78	77.39	2.54	79.93	73.37	3.34	76.71	73.27	1.97	75.24
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	68.71	4.05	72.76	77.39	2.54	79.93	73.37	3.34	76.71	73.27	1.97	75.24
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
3. अनुसंधान एवं विकास (पत्तन)	1.87	...	1.87	0.71	...	0.71	0.50	...	0.50	0.71	...	0.71
सागरमाला												
4. सागरमाला योजनाएं और परियोजनाएं	634.47	23.82	658.29	810.00	56.00	866.00	660.23	38.77	699.00	576.88	40.00	616.88
पत्तन और पोत निर्माण												
5. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	149.25	...	149.25	365.00	...	365.00	195.00	...	195.00	340.00	...	340.00
6. पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएस) और राष्ट्रीय – पोत निर्माण मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	515.00	...	515.00
7. भारत में पोत निर्माण के लिए क्षमता एवं योग्यता विकास और ऋण जोखिम सुरक्षा योजना – पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
8. सामुद्रिक विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
9. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	3.71	...	3.71	15.00	...	15.00	7.00	...	7.00	265.00	...	265.00
10. कार्गो संवर्धन योजना - जलवाहक	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00	30.00	...	30.00
11. वास्तविक वसूलियां	-35.31	...	-35.31	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	753.99	23.82	777.81	1190.71	56.00	1246.71	875.73	38.77	914.50	2977.59	40.00	3017.59

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
12. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	9.50	...	9.50	11.00	...	11.00	10.75	...	10.75	11.15	...	11.15
13. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	99.54	...	99.54	100.62	...	100.62	88.62	...	88.62	68.13	...	68.13
14. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता	145.00	...	145.00	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00	150.00	...	150.00
15. छोटे बंदरगाहों का विकास	62.94	...	62.94	80.00	...	80.00	62.94	...	62.94	63.00	...	63.00
16. भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण												
16.01 निवेश	...	1127.23	1127.23	...	1675.81	1675.81	...	1130.00	1130.00	...	1130.00	1130.00
16.02 ईवीआर के अंतर्गत व्याज	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	416.50	...	416.50
जोड़- भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण	76.50	1127.23	1203.73	76.50	1675.81	1752.31	76.50	1130.00	1206.50	416.50	1130.00	1546.50
17. चैनई पत्तन प्राधिकरण	...	146.72	146.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-स्वायत्त निकाय	393.48	1273.95	1667.43	268.13	1675.81	1943.94	288.81	1130.00	1418.81	708.78	1130.00	1838.78
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
18. भारतीय पोत परिवहन निगम	34.71	...	34.71	...	...	...	10.85	...	10.85	28.19	...	28.19
अन्य												
19. पोत परिवहन महानिदेशालय	164.04	37.59	201.63	173.00	27.00	200.00	174.37	26.87	201.24	177.05	27.95	205.00
20. दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय												
20.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	508.37	80.23	588.60	475.00	90.00	565.00	752.00	90.00	842.00	500.00	100.00	600.00
20.02 वसूलियां	...	-80.23	-80.23	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-90.00	...	-100.00	-100.00
20.03 प्राप्तियां	-425.13	...	-425.13	-475.00	...	-475.00	-475.00	...	-475.00	-500.00	...	-500.00
निवल	83.24	...	83.24	...	...	...	277.00	...	277.00	...	...	...
जोड़-अन्य	247.28	37.59	284.87	173.00	27.00	200.00	451.37	26.87	478.24	177.05	27.95	205.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	675.47	1311.54	1987.01	441.13	1702.81	2143.94	751.03	1156.87	1907.90	914.02	1157.95	2071.97
कुल जोड़	1498.17	1339.41	2837.58	1709.23	1761.35	3470.58	1700.13	1198.98	2899.11	3964.88	1199.92	5164.80
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	150.39	...	150.39	370.00	...	370.00	196.35	...	196.35	1106.35	...	1106.35
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	905.62	...	905.62	901.72	...	901.72	1061.42	...	1061.42	801.74	...	801.74
3. पोत परिवहन	298.02	...	298.02	273.62	...	273.62	273.84	...	273.84	1273.37	...	1273.37
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	89.50	...	89.50	446.50	...	446.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	67.57	...	67.57	72.39	...	72.39	72.02	...	72.02	71.92	...	71.92
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	...	23.82	23.82	...	56.00	56.00	...	38.77	38.77	...	40.00	40.00
7. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.59	37.59	...	27.00	27.00	...	26.87	26.87	...	27.95	27.95
8. अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	1127.23	1127.23	...	1254.81	1254.81	...	880.00	880.00	...	855.00	855.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.05	4.05	...	2.54	2.54	...	3.34	3.34	...	1.97	1.97
10. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों के लिए ऋण	...	146.72	146.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1498.10	1339.41	2837.51	1694.23	1340.35	3034.58	1693.13	948.98	2642.11	3699.88	924.92	4624.80
अन्य												
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	15.00	...	15.00	7.00	...	7.00	265.00	...	265.00
12. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.07	...	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	421.00	421.00	...	250.00	250.00	...	275.00	275.00
जोड़-अन्य	0.07	...	0.07	15.00	421.00	436.00	7.00	250.00	257.00	265.00	275.00	540.00
कुल जोड़	1498.17	1339.41	2837.58	1709.23	1761.35	3470.58	1700.13	1198.98	2899.11	3964.88	1199.92	5164.80

(₹ करोड़)												
	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. कोचीन पत्तन न्यास	...	8.89	8.89	...	29.56	29.56	...	28.94	28.94	...	89.46	89.46
2. पाराद्वीप पत्तन न्यास	...	1128.21	1128.21	...	866.16	866.16	...	1130.40	1130.40	...	808.32	808.32
3. वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास	...	480.11	480.11	...	337.02	337.02	...	716.61	716.61	...	845.88	845.88
4. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	...	2270.63	2270.63	...	2005.15	2005.15	...	3720.86	3720.86	...	4316.63	4316.63
5. नव मंगलोर पत्तन न्यास	...	185.57	185.57	...	184.58	184.58	...	180.80	180.80	...	149.82	149.82
6. चेन्नई पत्तन न्यास	...	154.41	154.41	...	178.38	178.38	...	102.95	102.95	...	74.02	74.02
7. मुम्बई पत्तन न्यास	...	259.13	259.13	...	204.26	204.26	...	271.81	271.81	...	336.83	336.83
8. दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला	...	1039.05	1039.05	...	830.57	830.57	...	3947.75	3947.75	...	3885.35	3885.35
9. मोरमुगाव पत्तन न्यास	...	304.57	304.57	...	46.74	46.74	...	73.64	73.64	...	30.73	30.73
10. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	...	354.10	354.10	...	730.00	730.00	...	730.00	730.00	...	450.00	450.00
11. कामराजर पत्तन न्यास	...	439.14	439.14	...	460.00	460.00	...	658.74	658.74	...	588.00	588.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	1127.23	...	1127.23	1675.81	...	1675.81	1130.00	...	1130.00	1130.00	...	1130.00
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	461.44	461.44	...	275.00	275.00	...	275.00	275.00	...	120.00	120.00
14. भारतीय पोत परिवहन निगम	...	294.47	294.47	...	213.00	213.00	...	1300.00	1300.00	...	500.00	500.00
15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता	...	369.66	369.66	...	751.76	751.76	...	669.68	669.68	...	369.03	369.03
16. भारतीय पोत परिवहन निगम भूमि और आस्ति लिमिटेड	...	6.24	6.24	...	11.28	11.28	...	16.90	16.90	...	44.19	44.19
17. सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	3.60	3.60	...	...	...

												(₹ करोड़)			
				बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
18.	भारतीय पत्तन रेल और रोपवे निगम लिमिटेड	...	0.61	0.61	...	...	...	...	0.55	0.55	...	0.50	...	0.50	0.50
19.	भारतीय ड्रेजिंग निगम लिमिटेड	...	0.11	0.11	...	...	...	...	71.41	71.41	...	94.18	...	94.18	94.18
जोड़				1127.23	7756.34	8883.57	1675.81	7123.46	8799.27	1130.00	13899.64	15029.64	1130.00	12702.94	13832.94

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।
3. **अनुसंधान एवं विकास (पत्तन):** यह प्रावधान बंदरगाह और बंदरगाह परियोजनाओं के निर्माण, डिजाइन और निष्पादन में क्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजने और इस क्षेत्र में नई तकनीक लाने के लिए बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए बंदरगाह प्रावधानों के तहत अनुसंधान और विकास योजनाओं पर खर्च के लिए है।
4. **सागरमाला योजनाएं और परियोजनाएं:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास, समुद्री/राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो/यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता के लिए है. सागरमाला कार्यक्रम के तहत पहचानी गई परियोजनाओं से अवसंरचना में निवेश के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाने, मॉडल मिक्स में घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय और तटीय) की हिस्सेदारी दोगुनी करने, रसद लागत की वृद्धि करने, व्यापारिक निर्यात को बढ़ावा देने और नए रोजगार पैदा करने की संभावना है। इसमें छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए परियोजनाएं भी शामिल हैं।
5. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं हेतु सहायता अनुदान देने के लिए है। इसमें सभी भारतीय शिपयार्डों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
6. **पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएस) और राष्ट्रीय – पोत निर्माण मिशन:** इस प्रावधान के तहत प्रत्येक निर्मित पोत के लिए शिपयार्डों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान दिया जाएगा। इसमें पात्र भारतीय शिपब्रेकिंग यार्डों में स्क्रैप किए गए पोतों के लिए शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट का भी प्रावधान है, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत में स्थित शिपयार्डों में नए जहाज निर्माण आदेशों के बदले की जा सकती है।
7. **भारत में पोत निर्माण के लिए क्षमता एवं योग्यता विकास और ऋण जोखिम सुरक्षा योजना – पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस):** यह प्रावधान निम्नलिखित को अनुदान सहायता देने के लिए है (क) नए जहाज निर्माण समूहों में सामान्य अवसंरचना निर्माण के लिए (ख) मौजूदा शिपयार्डों को उत्पादन सुविधाओं के ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार के लिए (ग) वित्तीय जोखिमों को कम करने और भारतीय शिपयार्डों को पूर्व और पश्चात शिपमेंट और बिक्रेता डिफॉल्ट बीमा सहित बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए और (घ) जहाज निर्माण क्षेत्र के क्षमता विकास और भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र (आईएसटीसी) की स्थापना के लिए।
8. **सामुद्रिक विकास निधि:** एम. डी. एफ. समुद्री क्षेत्र के विकास का समर्थन करने और इसकी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित कोष है। यह कोष इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, बंदरगाहों आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

9. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई की परियोजनाओं के लिए है।
10. **कार्गो संवर्धन योजना - जलवाहक:** यह प्रावधान कार्गो संवर्धन योजना (जलवाहक योजना) के अंतर्गत होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। यह बजट प्रावधान कार्गो मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान करने और योजना के तहत अनुसूचित सेवाओं के लिए है।
12. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये बंदरगाह उपयोगकर्ताओं और परिचालकों के लिए उचित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
13. **भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय:** इसमें इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) को वेतन सहायता अनुदान शामिल है। इसमें आईएमयू की अवसंरचना के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान भी शामिल है।
14. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता:** यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग हेतु स्विस्डी के भुगतान के लिए है।
15. **छोटे बंदरगाहों का विकास:** इसमें अंडमान और लक्षद्वीप द्वीपों के लिए सहायता शामिल है, जो इस मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
16. **भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण:** यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) का गठन अक्टूबर, 1986 में नौवहन और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। आईडब्ल्यूआई मुख्य रूप से अवसंरचना के विकास और राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यूएस) का विनियमन करता है। इस प्रावधान में जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन और चालू करने सहित भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की ईएपी परियोजनाओं पर खर्च शामिल है।
18. **भारतीय पोत परिवहन निगम:** यह प्रावधान भारत और अन्य देशों के बीच समुद्र द्वारा कार्गो और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

19. **पोत परिवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान पोत परिवहन महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्य पोत परिवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य करता है। निदेशालय नाविकों के कल्याण संबंधी कार्यों की देखरेख भी कर रहा है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी सहित समुद्री आपात कोष और डीजी शिपिंग ऑनलाइन परीक्षा व्यय के संचालन के लिए भी है।

20. **दीप स्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय:** लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो प्रकाश वाहिका, ध्वनि संकेतों, नौकाओं, रेडियो बीकन आदि जैसी नौवहन सहायता प्रदान करता है। यह लाइटहाउस का निर्माण और रखरखाव और जहाजों का मार्गदर्शन भी करता है। यह भारतीय लाइटहाउस अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए प्रकाश बकाया से पूरा किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 79

विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	19892.19	2640.75	22532.94	22388.67	658.41	23047.08	22213.73	583.51	22797.24	30853.45	361.02	31214.47
वसूलियां	-1300.87	...	-1300.87	-1200.08	...	-1200.08	-1209.58	...	-1209.58	-1217.62	...	-1217.62
प्राप्तियां	...	-1518.29	-1518.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	18591.32	1122.46	19713.78	21188.59	658.41	21847.00	21004.15	583.51	21587.66	29635.83	361.02	29996.85
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	65.50	11.67	77.17	72.64	6.03	78.67	68.02	6.19	74.21	72.64	6.92	79.56
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सांविधिक प्राधिकरण												
3.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	137.51	2.62	140.13	152.89	2.16	155.05	158.29	2.84	161.13	161.53	3.27	164.80
3.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	8.61	...	8.61	15.50	...	15.50	15.30	...	15.30	16.00	...	16.00
3.03 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना	1.10	...	1.10	3.00	...	3.00	3.50	...	3.50	4.00	...	4.00
3.04 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	44.60	0.27	44.87	49.00	1.00	50.00	42.57	0.85	43.42	46.20	0.80	47.00
3.05 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि	85.00	...	85.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00	115.00	...	115.00
3.06 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-92.72	...	-92.72	-100.00	...	-100.00	-110.00	...	-110.00	-115.00	...	-115.00
निवल	184.10	2.89	186.99	220.39	3.16	223.55	219.66	3.69	223.35	227.73	4.07	231.80
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	249.57	14.56	264.13	293.03	9.19	302.22	287.68	9.88	297.56	300.37	10.99	311.36
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
4. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
4.01 ऊर्जा संरक्षण	34.50	...	34.50	44.35	...	44.35	40.00	...	40.00	17.75	...	17.75
विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण												
5. विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण												
5.01 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.02	राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सन्निडी	207.74	...	207.74	250.00	...	250.00	186.77	...	186.77	168.10	...	168.10
5.03	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली में सुधार, (कार्यक्रम घटक)	200.00	...	200.00	304.67	...	304.67	195.00	...	195.00	0.50	...	0.50
5.04	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार (ईएपी घटक)	120.00	...	120.00	295.33	...	295.33	100.00	...	100.00	0.50	...	0.50
5.05	अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढीकरण	845.61	...	845.61	0.01	...	0.01	712.54	...	712.54	800.00	...	800.00
जोड़- विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण		1373.35	...	1373.35	850.01	0.01	850.02	1194.31	0.01	1194.32	969.10	0.01	969.11
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड													
6. विद्युत प्रणाली विकास निधि													
6.01	विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) में अंतरण	1190.87	...	1190.87	1100.08	...	1100.08	1099.58	...	1099.58	1102.62	...	1102.62
6.02	विद्युत प्रणाली विकास स्कीम	723.35	...	723.35	647.46	...	647.46	646.96	...	646.96	650.00	...	650.00
6.03	ऋण पर ब्याज का भुगतान	467.52	...	467.52	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62	452.62	...	452.62
6.04	घटाएं- विद्युत प्रणाली विकास निधि से प्राप्त राशि	-1190.87	...	-1190.87	-1100.08	...	-1100.08	-1099.58	...	-1099.58	-1102.62	...	-1102.62
निवल		1190.87	...	1190.87	1100.08	...	1100.08	1099.58	...	1099.58	1102.62	...	1102.62
7. सुधार आधारित वितरण स्कीम													
7.01	सुधार आधारित वितरण योजना	12973.61	...	12973.61	16021.00	...	16021.00	15671.00	...	15671.00	18000.00	...	18000.00
8.	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना	34.97	...	34.97	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	40.00	...	40.00
9.	बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन	...	...	...	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00	1000.00	...	1000.00
10.	ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता)	...	...	...	72.00	...	72.00	15.00	...	15.00	50.00	...	50.00
11.	कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
12.	वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-17.25	...	-17.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		15590.05	...	15590.05	18327.44	0.01	18327.45	18154.89	0.01	18154.90	21679.47	0.01	21679.48
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
13. प्रशिक्षण और अनुसंधान													
13.01	केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	233.00	...	233.00	80.00	...	80.00	90.00	...	90.00	165.00	...	165.00
13.02	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	24.99	...	24.99	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान		257.99	...	257.99	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00	210.00	...	210.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम													
14. सीपीएसयू को सहायता													
14.01	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल) को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00	...	303.61	303.61	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल ढुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हेतु केंद्रीय सहायता													
14.02	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और व्याज (पीएफसी बांड)		376.39	...	376.39	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	5376.40	...	5376.40
14.03	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और व्याज (आरईसी बांड)		1943.59	...	1943.59	1943.59	...	1943.59	1944.58	...	1944.58	1944.58	...	1944.58
14.04	एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति		51.60	...	51.60	80.12	...	80.12	94.38	...	94.38	80.00	...	80.00
14.05	सुबनसिरि लोअर प्रोजेक्ट (एनएचपीसी) के अनुप्रवाह संरक्षण कार्य की लागत के लिए अनुदान		40.00	...	40.00	13.00	...	13.00	13.21	...	13.21	...	...	...
जोड़- सीपीएसयू को सहायता			2411.58	568.68	2980.26	2413.11	300.00	2713.11	2428.57	303.61	2732.18	7400.98	0.01	7400.99
15.	बोनस शेयर जारी करना													
15.01	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		...	1148.72	1148.72	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.02	विद्युत वित्त निगम (पीएफसी)		...	369.57	369.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.03	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		...	-1518.29	-1518.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			2411.58	568.68	2980.26	2413.11	300.00	2713.11	2428.57	303.61	2732.18	7400.98	0.01	7400.99
अन्य														
16.	एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट		...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.	सड़कों/पुलों आदि जैसीअवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता		...	52.98	52.98	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
18.	बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता		...	486.24	486.24	...	299.20	299.20	...	220.00	220.00	...	300.00	300.00
19.	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान		2.13	...	2.13	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
20.	आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र		80.00	...	80.00	20.00	...	20.00	...	...	...	40.00	...	40.00
21.	इक्विटी सहभागिता हेतु सहायता - पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं		...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य			82.13	539.22	621.35	25.01	349.21	374.22	3.01	270.01	273.02	45.01	350.01	395.02
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय			2751.70	1107.90	3859.60	2568.12	649.21	3217.33	2561.58	573.62	3135.20	7655.99	350.02	8006.01
कुल जोड़			18591.32	1122.46	19713.78	21188.59	658.41	21847.00	21004.15	583.51	21587.66	29635.83	361.02	29996.85
ख. विकास शीर्ष														
आर्थिक सेवाएं														
1.	विद्युत		18525.85	...	18525.85	18960.95	...	18960.95	18806.61	...	18806.61	26644.20	...	26644.20
2.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं		65.47	...	65.47	72.64	...	72.64	68.01	...	68.01	72.63	...	72.63
3.	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	553.78	553.78	...	358.40	358.40	...	279.89	279.89	...	361.00	361.00
4.	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण		...	568.68	568.68	...	300.00	300.00	...	303.61	303.61	...	0.01	0.01

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	18591.32	1122.46	19713.78	19033.59	658.40	19691.99	18874.62	583.50	19458.12	26716.83	361.01	27077.84
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2155.00	...	2155.00	2129.53	...	2129.53	2919.00	...	2919.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	...	...	...	2155.00	0.01	2155.01	2129.53	0.01	2129.54	2919.00	0.01	2919.01
कुल जोड़	18591.32	1122.46	19713.78	21188.59	658.41	21847.00	21004.15	583.51	21587.66	29635.83	361.02	29996.85

(₹ करोड़)												
	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	337.84	337.84	...	300.00	300.00	...	110.00	110.00	...	126.00	126.00
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	10541.04	10541.04	...	13000.00	13000.00	...	12478.32	12478.32	...	14323.49	14323.49
3. दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	...	3116.30	3116.30	...	3394.83	3394.83	...	3394.00	3394.00	...	5553.00	5553.00
4. पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड	...	960.35	960.35	...	2600.00	2600.00	...	1500.00	1500.00	...	1959.37	1959.37
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	7705.94	7705.94	...	12000.00	12000.00	...	7500.00	7500.00	...	9416.00	9416.00
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	5368.93	5368.93	...	3543.65	3543.65	...	3543.00	3543.00	...	2385.05	2385.05
7. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	24630.00	24630.00	...	25000.00	25000.00	...	28000.00	28000.00	...	37000.00	37000.00
8. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	...	23336.03	23336.03	...	26000.00	26000.00	...	29000.00	29000.00	...	31000.00	31000.00
9. चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	...	568.68	568.68	...	300.00	300.00	...	303.61	303.61	...	0.01	0.01
जोड़	...	76565.11	76565.11	...	86138.48	86138.48	...	85828.93	85828.93	...	101762.92	101762.92

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विद्युत मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए किया जाता है।

आरआईएसएटी-आईबी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और विद्युत मंत्रालय के आवंटन को वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में भी रखा गया है।

3.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों और सुरक्षा संबंधी जरूरतों, ग्रिड मानकों और देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए उत्तरदायी है।

3.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने गोवा एवं दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाता है।

3.03. **जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना:** केंद्र सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) की स्थापना की है।

3.04. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत, केन्द्र सरकार ने विद्युत अपील अधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

3.05. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) निधि:** सीईआरसी पूर्ववर्ती विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और यह विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया है) के अंतर्गत कार्य करता है। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, पारगमन उपयोगिता के टैरिफ सहित बिजली के अंतर-राज्यीय पारगमन को विनियमित करना, अंतर राज्यीय पारगमन और व्यापक हेतु लाइसेंस प्रदान करना तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना है।

4.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा (i) ऊर्जा संरक्षण(ईसी) संबंधी जागरूकता सृजित करने; (ii) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने; (iii) नेशनल मिशन फॉर इन्हैंड एनर्जी एफिसिएंसी को कार्यान्वित करने; (iv) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने वाले प्रयासों को बढ़ाने।

5.02. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए की जा रही है।

5.05. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण क्षेत्र में पारगमन, उप-पारगमन और वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए एक व्यापक योजना की परिकल्पना की गई है।

6. **विद्युत प्रणाली विकास निधि:** इस स्कीम में (क) अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं ट्रांसमिशन अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्टैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत खरीदकर डिस्कॉम के लिए सब्सिडी के प्रावधान (गैस घटक) की परिकल्पना की गई है।

7. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** यह योजना सभी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य संवितरण क्षेत्र के लिए 24X7 संवहनीय विद्युत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम और सुधार आधारित वित्तीय सहायता के मिश्रण के रूप में संवितरण उप क्षेत्र के लिए है। इस योजना में संवितरण कंपनियों के सार्वजनिक निजी स्वामित्व, बहु आपूर्ति फ्रेंचाइजी सहित संवितरण स्तर में विभिन्न फ्रेंचाइजी प्रतिकारकों के अंगीकरण समेत सुधार पैकेजों को अपनाने के मामले में डिस्कॉम को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

योजना के अंतर्गत पीएम-जनमन के कारगर कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2025 -26 में 72.89 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के केंद्रीय हिस्से के रूप में संशोधित अनुमान 2025-26 में 208 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2026-27 में 240 करोड़ रुपये का समर्पित प्रावधान किया गया है।

8. **भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना:** घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानकों और लेबलिंग उपकरणों, कृषि या नगर पालिकाओं, एसएमई और बड़े उद्योगों में मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता पहलों के कार्यान्वयन, औद्योगिक उप-क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों के विकास की प्रक्रिया, एसडीए, डिस्कॉम आदि की क्षमता निर्माण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

9. **बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन:** पंप भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा संभरण प्रणालियों के विकास संबंधी योजना। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से व्यवहारिक ग्रिड-स्केल, लंबी अवधि के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास तथा ऊर्जा भंडारण सेवाओं की नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन करना है।

10. **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण सुविधा - एडीईईटीआईई (उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के नियोजन में सहायता):** यह योजना एमएसएमई को वित्तीय लिखतों के माध्यम से ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों/उपायों के साथ अपग्रेड करने और निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्यान्वयन की निगरानी और जांच करने में उन्हें संचालने की सुविधा प्रदान करने की मंशा रखती है।

11. **कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम:** इसका उद्देश्य कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) तकनीकियों को बड़े पैमाने पर अपनाना और अंतिम अनुप्रयोक्ता के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों नामतः विद्युत, स्टील, सीमेंट, तेल शोधन और रसायन में स्वयं को उच्च स्तर पर तैयार करना है।

13.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु, विद्युत शक्ति के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और विद्युत उपकरण एवं घटकों की जांच के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

13.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

14.02. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** इस आवंटन में विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा जुटाए गए अवसंरचना बांडों पर देय मूल और ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल है।

14.03. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान डीडीयूजीजेवाई एवं सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए जुटाए गए ईवीआर के ब्याज के भुगतान के लिए।

- 14.04. **एनटीपीसी द्वारा लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर परियोजना के संबंध में अवार्ड के वितरण के लिए है।
17. **सड़कों/पुलों आदि जैसी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लागत हेतु सहायता:** हाइड्रो परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए आवंटन।
18. **बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं पर बाढ़ न्यूनीकरण स्टोरेज हेतु सहायता के लिए आवंटन।
19. **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले संबंधी भुगतान:** भारत सरकार की तरफ से सुकदमे एवं विवाद के बचाव के लिए भारत कोरिया सीईपीए एवं भारत कोरिया वीआईटी के तहत विधि फर्म को भुगतान।
20. **आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र:** यह योजना विभिन्न राज्यों में विद्युत् एवं नवीकरणीय उपकरणों हेतु स्थापित किए जाने वाले 3 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए है। इन क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधाएं, अत्याधुनिक, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी, जो विद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु आवश्यक उपकरणों, महत्वपूर्ण घटकों, मौलिक कच्चे माल, महत्वपूर्ण पुरजों आदि पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

सं 80 (विनियोग)

राष्ट्रपति के कर्मचारियों, गृह प्रबंधन और भत्ते

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	111.32	12.99	124.31	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20
वसूलियां	-0.13	...	-0.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	111.19	12.99	124.18	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. राष्ट्रपति	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
2. सचिवालय	68.28	11.26	79.54	82.25	11.05	93.30	78.64	9.95	88.59	86.90	2.30	89.20
3. अन्य व्यय	42.44	1.73	44.17	42.78	5.15	47.93	46.39	6.25	52.64	45.60	1.80	47.40
4. वास्तविक वसूलियां	-0.13	...	-0.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	111.19	12.99	124.18	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20
कुल जोड़	111.19	12.99	124.18	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	111.19	...	111.19	125.63	...	125.63	125.63	...	125.63	133.10	...	133.10
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.99	12.99	...	16.20	16.20	...	16.20	16.20	...	4.10	4.10
जोड़-सामान्य सेवाएं	111.19	12.99	124.18	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20
कुल जोड़	111.19	12.99	124.18	125.63	16.20	141.83	125.63	16.20	141.83	133.10	4.10	137.20

1. **राष्ट्रपति:** भारत के माननीय राष्ट्रपति के संबंध में वेतन और भत्ते प्रदान करता है

2. **सचिवालय:** राष्ट्रपति सचिवालय के संबंध में स्थापना और संबद्ध खर्चों का प्रावधान करता है। इसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय के लिए अनुदान सहायता शामिल है।
3. **अन्य व्यय:** कर्मचारियों के वेतन सहित माननीय राष्ट्रपति की घरेलू स्थापना पर व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय राष्ट्रपति का विवेकाधीन अनुदान शामिल है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 81

लोक सभा

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	670.64	25.82	696.46	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00
वसूलियां	-0.92	...	-0.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	669.72	25.82	695.54	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष	0.52	...	0.52	1.56	...	1.56	1.30	...	1.30	1.56	...	1.56
2. सदस्य	208.46	...	208.46	338.79	...	338.79	363.26	...	363.26	416.45	...	416.45
3. सचिवालय	458.72	25.82	484.54	533.91	24.90	558.81	524.18	29.95	554.13	555.20	30.83	586.03
4. सचिवालय (चीफ व्हीप)	0.32	...	0.32	0.34	...	0.34	0.71	...	0.71	0.71	...	0.71
5. अन्य व्यय	2.62	...	2.62	3.50	...	3.50	3.60	...	3.60	4.25	...	4.25
6. वास्तविक वसूलियां	-0.92	...	-0.92	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	669.72	25.82	695.54	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00
कुल जोड़	669.72	25.82	695.54	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	669.72	...	669.72	878.10	...	878.10	893.05	...	893.05	978.17	...	978.17
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	25.82	25.82	...	24.90	24.90	...	29.95	29.95	...	30.83	30.83
जोड़-सामान्य सेवाएं	669.72	25.82	695.54	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00
कुल जोड़	669.72	25.82	695.54	878.10	24.90	903.00	893.05	29.95	923.00	978.17	30.83	1009.00

1. **अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष:** यह प्रावधान लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।

2. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों, अन्य सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान शामिल है।

3. **सचिवालय:** यह प्रावधान स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद टीवी से संबंधित सहायता अनुदान और व्यय के लिए है।
4. **सचिवालय (चीफ व्हीप):** यह प्रावधान चीफ व्हीप के सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्तों के लिए है।
5. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान अंतर-संसदीय संघ और राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान और माननीय अध्यक्ष के विवेकाधीन अनुदान के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 82

राज्य सभा

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	399.70	12.36	412.06	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99
वसूलियां	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	399.68	12.36	412.04	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सभापति तथा उपसभापति	1.56	...	1.56	2.52	...	2.52	2.72	...	2.72	2.55	...	2.55
2. विपक्ष के नेता और सचिवालय	2.70	...	2.70	3.00	...	3.00	3.32	...	3.32	3.36	...	3.36
3. सदस्य	107.92	...	107.92	98.84	...	98.84	158.31	...	158.31	126.11	...	126.11
4. सचिवालय	286.25	12.36	298.61	295.00	13.00	308.00	301.15	14.28	315.43	337.70	11.67	349.37
5. मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेता, उप-नेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय	0.22	...	0.22	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38	0.40	...	0.40
6. अन्य व्यय	1.05	...	1.05	1.15	...	1.15	1.17	...	1.17	1.20	...	1.20
7. वास्तविक वसूलियां	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	399.68	12.36	412.04	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99
कुल जोड़	399.68	12.36	412.04	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	399.68	...	399.68	400.89	...	400.89	467.05	...	467.05	471.32	...	471.32
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.36	12.36	...	13.00	13.00	...	14.28	14.28	...	11.67	11.67
जोड़-सामान्य सेवाएं	399.68	12.36	412.04	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99
कुल जोड़	399.68	12.36	412.04	400.89	13.00	413.89	467.05	14.28	481.33	471.32	11.67	482.99

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय में सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
2. **विपक्ष के नेता और सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों, उनकी सुविधाओं, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था शामिल है।
4. **सचिवालय:** इस प्रावधान में राज्य सभा सचिवालय, आरएसटीवी और वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए है। अन्य व्यय में स्थापना प्रभार (कैंटीन), आकस्मिक व्यय, किराया, दूर एवं करों, पेशेवर के शुल्क के भुगतान, मजदूरी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय जैसी स्थापना संबंधी ज़रूरतों पर व्यय शामिल है।
5. **मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेता, उप-नेता एवं चीफ व्हीप का सचिवालय:** यह प्रावधान मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं, उप-नेताओं एवं चीफ व्हीप्स को सचिवालय सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए निजी सचिवों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।
6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय और पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

मांग संख्या 83

उप-राष्ट्रपति सचिवालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10.69	0.29	10.98	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70
वसूलियां	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	10.68	0.29	10.97	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	10.61	0.29	10.90	12.04	0.31	12.35	11.91	0.16	12.07	11.32	0.31	11.63
2. अन्य	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	10.68	0.29	10.97	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70
कुल जोड़	10.68	0.29	10.97	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10.68	...	10.68	12.11	...	12.11	11.98	...	11.98	11.39	...	11.39
2. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.29	0.29	...	0.31	0.31	...	0.16	0.16	...	0.31	0.31
जोड़-सामान्य सेवाएं	10.68	0.29	10.97	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70
कुल जोड़	10.68	0.29	10.97	12.11	0.31	12.42	11.98	0.16	12.14	11.39	0.31	11.70

1.

सचिवालय: यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और उपराष्ट्रपति के आकस्मिक व्यय की व्यवस्था के लिए है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं. 82 से प्रदान किया जाता है।

अन्य: यह प्रावधान उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान पर व्यय के लिए है।

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय

सं 84 (विनियोग)

संघ लोक सेवा आयोग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	405.59	21.50	427.09	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94
वसूलियां	-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	405.51	21.50	427.01	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. प्रशासनिक व्यय	192.89	21.50	214.39	202.62	21.64	224.26	212.57	21.64	234.21	234.29	21.85	256.14
2. परीक्षा एवं चयन	212.62	...	212.62	211.50	...	211.50	198.68	...	198.68	186.80	...	186.80
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	405.51	21.50	427.01	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94
कुल जोड़	405.51	21.50	427.01	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक सेवा आयोग	405.51	...	405.51	414.12	...	414.12	411.25	...	411.25	421.09	...	421.09
2. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.50	21.50	...	21.64	21.64	...	21.64	21.64	...	21.85	21.85
जोड़-सामान्य सेवाएं	405.51	21.50	427.01	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94
कुल जोड़	405.51	21.50	427.01	414.12	21.64	435.76	411.25	21.64	432.89	421.09	21.85	442.94

1.

प्रशासनिक व्यय: यह प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा स्थापना के वेतन एवं भत्तों पर व्यय और प्रशासनिक खर्च के लिए है।
2.

परीक्षा एवं चयन: यह प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं और चयन के संबंध में हुए व्यय के लिए है।

रेल मंत्रालय

मांग संख्या 85

रेल मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	335757.09	428589.41	764346.50	376033.19	444277.56	820310.75	352925.81	440234.79	793160.60	385733.33	499261.97	884995.30
वसूलियां	-66762.56	-176265.55	-243028.11	-70488.01	-192277.56	-262765.57	-70502.01	-188226.44	-258728.45	-79686.01	-221431.97	-301117.98
प्राप्तियां	-265678.08	-377.30	-266055.38	-302100.00	...	-302100.00	-278957.48	-8.35	-278965.83	-302500.00	...	-302500.00
निवल	3316.45	251946.56	255263.01	3445.18	252000.00	255445.18	3466.32	252000.00	255466.32	3547.32	277830.00	281377.32
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. कार्य संचालन व्यय												
1.01 कर्मचारी लागत	116628.69	...	116628.69	127975.36	...	127975.36	119513.10	...	119513.10	123223.73	...	123223.73
1.02 कार्यालय व्यय (आकस्मिक व्यय)	1886.16	...	1886.16	2334.50	...	2334.50	2239.64	...	2239.64	2698.90	...	2698.90
जोड़- कार्य संचालन व्यय	118514.85	...	118514.85	130309.86	...	130309.86	121752.74	...	121752.74	125922.63	...	125922.63
2. अन्य सामान्य कार्य संचालन व्यय												
2.01 कर्षण हेतु डीजल	11866.83	...	11866.83	9528.53	...	9528.53	9925.21	...	9925.21	7904.03	...	7904.03
2.02 कर्षण हेतु बिजली	21018.86	...	21018.86	24707.17	...	24707.17	23114.23	...	23114.23	25182.53	...	25182.53
2.03 मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सामग्री	14943.91	...	14943.91	10371.33	...	10371.33	11592.06	...	11592.06	11219.26	...	11219.26
2.04 संविदागत भुगतान	12297.98	...	12297.98	13586.35	...	13586.35	14777.96	...	14777.96	15156.74	...	15156.74
2.05 भारतीय रेल वित्त निगम इत्यादि को पट्टे/किराए के लिए देय प्रभार	18237.35	...	18237.35	31432.50	...	31432.50	23635.33	...	23635.33	35129.78	...	35129.78
2.06 अंतररेलवे वित्तीय समायोजन (नामे/जमा का अंतरण)	290.12	...	290.12	1542.20	...	1542.20	349.59	...	349.59	343.43	...	343.43
2.07 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए बिजली	2118.23	...	2118.23	2173.73	...	2173.73	2156.35	...	2156.35	2170.52	...	2170.52
2.08 कर्षण के अलावा अन्य कार्यों के लिए ईंधन	1720.68	...	1720.68	1849.99	...	1849.99	1618.82	...	1618.82	1624.68	...	1624.68
2.09 वस्तु एवं सेवा कर आदि	1214.23	...	1214.23	1319.81	...	1319.81	1297.19	...	1297.19	1314.49	...	1314.49
2.10 सुरक्षा- सरकारी रेलवे पुलिस इत्यादि	...	...	...	1947.04	...	1947.04	...	...	...	...	...	...
2.11 अन्य पेंशन दावे आदि	3153.35	...	3153.35	784.10	...	784.10	1253.00	...	1253.00	1213.00	...	1213.00
2.12 खान-पान	...	...	...	892.17	...	892.17	...	...	...	...	...	...
2.13 वार्षिक रख-रखाव संविदा/ सैकट्रम शुल्क इत्यादि	...	...	...	478.03	...	478.03	...	...	...	...	...	...
2.14 विविध व्यय	5159.91	...	5159.91	2421.20	...	2421.20	4429.53	...	4429.53	4404.92	...	4404.92
2.15 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	800.00	...	800.00	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1500.00	...	1500.00

(₹ करोड़)

			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.16	पेंशन निधि में विनियोग		58241.31	...	58241.31	67344.00	...	67344.00	64241.31	...	64241.31	64001.93	...	64001.93
2.17	पेंशन पर व्यय		58844.07	...	58844.07	66000.00	...	66000.00	65000.00	...	65000.00	74500.00	...	74500.00
2.18	कोविड से संबंधित ऋणों के पुनः भुगतान के लिए पेंशन निधि में विनियोजन		1358.69	...	1358.69	1358.69	...	1358.69	1358.69	...	1358.69	7598.07	...	7598.07
2.19	पेंशन निधि से प्राप्त राशि को कम करना		-58844.07	...	-58844.07	-66000.00	...	-66000.00	-65000.00	...	-65000.00	-74500.00	...	-74500.00
2.20	घटाइए-वसूलियां		-7918.49	...	-7918.49	-4488.01	...	-4488.01	-5502.01	...	-5502.01	-5186.01	...	-5186.01
	<i>निवल</i>		<i>144502.96</i>	...	<i>144502.96</i>	<i>168748.83</i>	...	<i>168748.83</i>	<i>155247.26</i>	...	<i>155247.26</i>	<i>173577.37</i>	...	<i>173577.37</i>
3.	<i>अग्रिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग</i>													
3.01	विकास निधि में विनियोग		541.39	...	541.39	1041.31	...	1041.31	957.48	...	957.48	1000.00	...	1000.00
3.02	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए विनियोजन		2118.88	...	2118.88	2000.00	...	2000.00	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00
3.03	पूंजीगत निधि में विनियोग		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>जोड़- अग्रिशेष से रेलवे निधियों में विनियोग</i>		<i>2660.27</i>	...	<i>2660.27</i>	<i>3041.31</i>	...	<i>3041.31</i>	<i>1957.48</i>	...	<i>1957.48</i>	<i>3000.00</i>	...	<i>3000.00</i>
4.	<i>रेलवे राजस्व प्राप्तियां</i>													
4.01	यात्री		-75367.52	...	-75367.52	-92800.00	...	-92800.00	-80000.00	...	-80000.00	-87300.00	...	-87300.00
4.02	अन्य कोचिंग		-6886.77	...	-6886.77	-8500.00	...	-8500.00	-7500.00	...	-7500.00	-9500.00	...	-9500.00
4.03	माल		-171163.15	...	-171163.15	-188000.00	...	-188000.00	-178457.48	...	-178457.48	-188800.00	...	-188800.00
4.04	फुटकर		-11586.55	...	-11586.55	-12000.00	...	-12000.00	-12200.00	...	-12200.00	-16000.00	...	-16000.00
4.05	उच्चत		-109.62	...	-109.62	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00
4.06	अन्य विविध प्राप्तियां		-564.47	...	-564.47	-700.00	...	-700.00	-700.00	...	-700.00	-800.00	...	-800.00
	<i>जोड़</i>		<i>-265678.08</i>	...	<i>-265678.08</i>	<i>-302100.00</i>	...	<i>-302100.00</i>	<i>-278957.48</i>	...	<i>-278957.48</i>	<i>-302500.00</i>	...	<i>-302500.00</i>
5.	<i>सामान्य राजस्व से बजट सहायता</i>													
5.01	रणनीतिक लाईनों के प्रचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति		2602.81	...	2602.81	2739.18	...	2739.18	2760.32	...	2760.32	2882.32	...	2882.32
5.02	2018-19 में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु लिए गए बाजार ऋण की अदायगी (व्याज घटक)		713.64	...	713.64	706.00	...	706.00	706.00	...	706.00	665.00	...	665.00
	<i>जोड़- सामान्य राजस्व से बजट सहायता</i>		<i>3316.45</i>	...	<i>3316.45</i>	<i>3445.18</i>	...	<i>3445.18</i>	<i>3466.32</i>	...	<i>3466.32</i>	<i>3547.32</i>	...	<i>3547.32</i>
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		3316.45	...	3316.45	3445.18	...	3445.18	3466.32	...	3466.32	3547.32	...	3547.32
	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
6.	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण		...	11000.00	11000.00	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00	...	13000.00	13000.00
7.	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण		...	12000.00	12000.00	...	14000.00	14000.00	...	10000.00	10000.00	...	31639.00	31639.00
8.	नई लाइनें		...	33363.03	33363.03	...	32235.24	32235.24	...	30631.50	30631.50	...	36721.55	36721.55
9.	गेज परिवर्तन		...	5212.30	5212.30	...	4550.00	4550.00	...	4284.00	4284.00	...	4600.00	4600.00
10.	दोहरी लाइन विद्युत		...	32791.16	32791.16	...	32000.00	32000.00	...	29026.00	29026.00	...	37750.00	37750.00
11.	कंप्यूटरीकरण		...	360.98	360.98	...	428.00	428.00	...	441.01	441.01	...	492.64	492.64
12.	यातायात सुविधाएं – यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य		...	7334.29	7334.29	...	8601.00	8601.00	...	7873.50	7873.50	...	7897.27	7897.27
13.	रेल अनुसंधान		...	42.44	42.44	...	60.60	60.60	...	87.26	87.26	...	86.72	86.72

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. रॉलिंग स्टॉक	...	47827.34	47827.34	...	45530.15	45530.15	...	50007.77	50007.77	...	52108.73	52108.73
15. पट्टागत परिसंपत्तियां – पूंजी भाग का भुगतान	...	22699.42	22699.42	...	27904.65	27904.65	...	28157.13	28157.13	...	39650.00	39650.00
16. सड़क संरक्षा कार्य – समपार	...	598.83	598.83	...	706.00	706.00	...	700.00	700.00	...	800.00	800.00
17. सड़क संरक्षा कार्य – उपरी/निचले सड़क पुल	...	7048.85	7048.85	...	7000.00	7000.00	...	7734.42	7734.42	...	8225.00	8225.00
18. रेलपथ नवीकरण	...	23432.67	23432.67	...	22800.00	22800.00	...	25166.45	25166.45	...	22853.00	22853.00
19. पुल संबंधी कार्य, सुरंग कार्य एवं पहुंच मार्ग	...	2160.59	2160.59	...	2169.00	2169.00	...	2528.61	2528.61	...	2557.96	2557.96
20. सिग्नल और दूरसंचार संबंधी कार्य	...	5567.60	5567.60	...	6800.00	6800.00	...	6500.00	6500.00	...	7500.00	7500.00
21. विद्युतीकरण परियोजनाएं	...	4248.38	4248.38	...	6150.00	6150.00	...	4500.00	4500.00	...	5000.00	5000.00
22. बिजली संबंधी अन्य कार्य	...	1596.41	1596.41	...	1650.50	1650.50	...	1958.83	1958.83	...	1952.27	1952.27
23. मशीनरी और संयंत्र	...	440.59	440.59	...	505.00	505.00	...	622.33	622.33	...	649.49	649.49
24. कारखाने, उत्पादन इकाइयों सहित	...	3989.54	3989.54	...	4623.50	4623.50	...	3185.00	3185.00	...	3888.29	3888.29
25. कर्मचारी कल्याण	...	722.58	722.58	...	833.00	833.00	...	1000.00	1000.00	...	967.31	967.31
26. यात्री सुविधाएँ	...	13034.11	13034.11	...	12118.39	12118.39	...	12120.50	12120.50	...	11971.82	11971.82
27. पीएसयू/जेवी/एसपीवी इत्यादि में निवेश	...	25363.52	25363.52	...	22444.33	22444.33	...	21598.40	21598.40	...	17251.00	17251.00
28. अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	...	1150.68	1150.68	...	1241.00	1241.00	...	1370.62	1370.62	...	1370.77	1370.77
29. प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	...	152.76	152.76	...	301.00	301.00	...	395.06	395.06	...	488.28	488.28
30. भंडार उच्चत	...	23404.57	23404.57	...	24528.72	24528.72	...	24487.83	24487.83	...	27833.84	27833.84
31. विनिर्माण उच्चत	...	54851.22	54851.22	...	64224.28	64224.28	...	64905.68	64905.68	...	73631.52	73631.52
32. विविध अग्रिम	...	1379.35	1379.35	...	505.20	505.20	...	589.54	589.54	...	489.51	489.51
33. महानगर परिवहन परियोजनाएं	...	1446.59	1446.59	...	2368.00	2368.00	...	2355.00	2355.00	...	2886.00	2886.00
34. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में अंतरण												
34.01 सकल बजट सहायता से	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00
35. रेलवे सुरक्षा निधि में अंतरण	...	44999.73	44999.73	...	45000.00	45000.00	...	45000.00	45000.00	...	45000.00	45000.00
36. सावरेन हरित निधि												
36.01 सरकारी हरित निधि को अंतरण	...	14996.29	14996.29	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00
36.02 ऊर्जा दक्ष श्री फेज में विद्युत लोको का उत्पादन	...	12797.21	12797.21	...	13364.78	13364.78	...	13364.78	13364.78	...	13387.90	13387.90
36.03 दमदम एयरपोर्ट न्यू गरिया वाया राजेरहाट मेट्रो रेलवे न्यू गरिया (कवि सुभाष) विमान बांदर का निर्माण	...	1449.08	1449.08	...	720.72	720.72	...	911.32	911.32	...	705.50	705.50
36.04 जोका बिनाय बादल दिनेश बाग वाया माझेरहाट मेट्रो रेल का निर्माण	...	750.00	750.00	...	914.50	914.50	...	723.90	723.90	...	906.60	906.60
36.05 सरकारी हरित निधि से राशि पूरी की गई	...	-14996.29	-14996.29	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00
निवल	...	14996.29	14996.29	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00
37. बोनस शेयर जारी करना												
37.01 प्राप्तियाँ मान ली गई	...	-377.30	-377.30	...	...	...	...	-8.35	-8.35	...	...	...
37.02 मेसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (आरआईटीईएस)	...	317.20	317.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
37.03 मेसर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकोर)	...	60.10	60.10	...	...	...	...	8.35	8.35	...	...	...
जोड़- बोनस शेयर जारी करना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. राशि के स्रोत												
38.01 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	...	-11000.00	-11000.00	...	-13000.00	-13000.00	...	-13000.00	-13000.00	...	-13000.00	-13000.00
38.02 राष्ट्रीय निवेश निधि	...	-12000.00	-12000.00	...	-14000.00	-14000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-31639.00	-31639.00
38.04 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	...	-540.67	-540.67	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
38.05 विकास निधि	...	-447.53	-447.53	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
38.06 जमा / वसूलियाँ	...	-81281.62	-81281.62	...	-92077.56	-92077.56	...	-92026.44	-92026.44	...	-103592.97	-103592.97
38.07 निर्भया निधि	...	...	...	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00	...	-200.00	-200.00
38.08 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	...	-10999.71	-10999.71	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00	...	-11000.00	-11000.00
38.09 रेलवे सुरक्षा निधि	...	-44999.73	-44999.73	...	-45000.00	-45000.00	...	-45000.00	-45000.00	...	-45000.00	-45000.00
जोड़	...	-161269.26	-161269.26	...	-177277.56	-177277.56	...	-173226.44	-173226.44	...	-206431.97	-206431.97
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	...	251946.56	251946.56	...	252000.00	252000.00	...	252000.00	252000.00	...	277830.00	277830.00
कुल जोड़	3316.45	251946.56	255263.01	3445.18	252000.00	255445.18	3466.32	252000.00	255466.32	3547.32	277830.00	281377.32
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय रेलवे-रणनीतिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. रेलवे अधिशेष से विनियोग	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. अन्य परिवहन सेवाएं	3316.45	...	3316.45	3445.18	...	3445.18	3466.32	...	3466.32	3547.32	...	3547.32
6. भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	...	251915.73	251915.73	...	251950.81	251950.81	...	251943.83	251943.83	...	277697.42	277697.42
7. भारतीय रेल - रणनीतिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	...	30.83	30.83	...	49.19	49.19	...	56.17	56.17	...	132.58	132.58
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3316.45	251946.56	255263.01	3445.18	252000.00	255445.18	3466.32	252000.00	255466.32	3547.32	277830.00	281377.32
कुल जोड़	3316.45	251946.56	255263.01	3445.18	252000.00	255445.18	3466.32	252000.00	255466.32	3547.32	277830.00	281377.32

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
भारतीय रेल												
1. भारतीय रेल वित्त निगम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लि0	7899.00	...	7899.00	500.00	...	500.00	4370.75	...	4370.75	500.00	...	500.00
3. कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	647.68	...	647.68	529.00	...	529.00
4. नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लि0	16000.00	...	16000.00	19000.00	...	19000.00	15500.00	...	15500.00	15000.00	...	15000.00
5. राज्य संयुक्त उपक्रम तथा अन्य में इक्विटी	964.52	...	964.52	2094.33	...	2094.33	729.97	...	729.97	722.00	...	722.00
6. भारतीय रेल	226858.65	1987.92	228846.57	229555.67	3000.00	232555.67	230401.60	3000.00	233401.60	260579.00	3000.00	263579.00
7. सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं अन्य	...	15048.85	15048.85	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	12000.00	12000.00
8. के राइड द्वारा बंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना	...	...	...	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	500.00	...	500.00
जोड़-भारतीय रेल	252222.17	17036.77	269258.94	252000.00	13000.00	265000.00	252000.00	13000.00	265000.00	277830.00	15000.00	292830.00
जोड़	252222.17	17036.77	269258.94	252000.00	13000.00	265000.00	252000.00	13000.00	265000.00	277830.00	15000.00	292830.00

2.18. **कोविड से संबंधित ऋणों के पुनः भुगतान के लिए पेंशन निधि में विनियोजन:** वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 'कोविड से संबंधित संसाधन अंतराल के लिए विशेष ऋण' के रूप में रेल मंत्रालय को दिए गए ऋणों का भुगतान।

4. **रेलवे राजस्व प्राप्ति:** रेल मंत्रालय की राजस्व प्राप्ति का उपयोग उसके कार्य व्यय, वेतन और भत्तों, कर्मचारियों को देय पेंशन आदि पर राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, सिवाय रणनीतिक आधार पर किए गए व्यय को छोड़कर जो आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सकल बजटीय समर्थन के माध्यम से सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है।

5.01. **रणनीतिक लाइनों के प्रचालन पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति:** सं.अ. 2025-26 के 2, 760.32 करोड़ रुपये की जगह ब.अ. 2026-27 में 2, 882.32 करोड़ रुपये के प्रावधान रखे गए हैं।

5.02. **2018-19 में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु लिए गए बाजार ऋण की अदायगी (ब्याज चटक):** बजट अनुमान 2026-27 में राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बाजार उधार की ऋण सेवा के लिए 665 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नोट: नई लाइनों, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, यातायात सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक आदि के लिए पूंजीगत व्यय के प्रावधान को सकल बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है। ब.अ. 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये का कुल परिचय्य प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब.अ. 2026-27 में 200 करोड़ रुपये की राशि निर्भया निधि से पूरी की जा रही है।

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. सड़क निर्माण कार्य												
4.01 सड़क स्तंभ के अंतर्गत कार्य	...	99791.35	99791.35	...	78295.00	78295.00	...	78963.02	78963.02	...	86125.00	86125.00
4.02 कार्यक्रम घटक	...	1140.73	1140.73	...	1310.00	1310.00	...	895.00	895.00	...	458.00	458.00
4.03 ईएपी घटक	...	3644.62	3644.62	...	2291.00	2291.00	...	1933.00	1933.00	...	1400.00	1400.00
4.04 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्तीय योजनाएं	8493.21	...	8493.21	9342.53	...	9342.53	9342.53	...	9342.53	9809.66	...	9809.66
4.05 सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	138.61	111.62	250.23	194.42	396.06	590.48	194.42	396.06	590.48	204.00	416.00	620.00
4.06 सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्तीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	...	98.19	98.19	...	150.00	150.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00
4.07 विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित	109.51	...	109.51	219.00	...	219.00	119.00	...	119.00	124.95	...	124.95
4.08 सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-	4708.76	...	4708.76	4595.00	...	4595.00	4915.02	...	4915.02	5020.00	...	5020.00
4.09 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	7462.64	5232.15	12694.79	14350.95	1054.03	15404.98	14570.97	1069.03	15640.00	15158.61	441.39	15600.00
4.10 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरा किया गया	-7196.26	-5207.38	-12403.64	-14350.95	-1054.03	-15404.98	-14570.97	-1069.03	-15640.00	-15158.61	-441.39	-15600.00
4.11 उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी)	...	12372.99	12372.99	...	19499.09	19499.09	...	19499.09	19499.09	...	18361.00	18361.00
4.12 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में अंतरण	...	8000.00	8000.00	...	11000.00	11000.00	...	10000.00	10000.00	...	18361.00	18361.00
4.13 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरा किया गया	...	-7935.44	-7935.44	...	-11000.00	-11000.00	...	-10000.00	-10000.00	...	-18361.00	-18361.00
<i>निवल</i>	<i>13716.47</i>	<i>117248.83</i>	<i>130965.30</i>	<i>14350.95</i>	<i>101941.15</i>	<i>116292.10</i>	<i>14570.97</i>	<i>101766.17</i>	<i>116337.14</i>	<i>15158.61</i>	<i>106840.00</i>	<i>121998.61</i>
सड़क परिवहन एवं सुरक्षा												
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं												
5.01 सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	199.66	9.11	208.77	565.02	30.00	595.02	345.00	15.00	360.00	370.00	30.00	400.00
5.02 सीआरआईएफ को अंतरण	243.80	10.00	253.80	565.02	30.00	595.02	345.00	15.00	360.00	370.00	30.00	400.00
5.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-199.67	-9.11	-208.78	-565.02	-30.00	-595.02	-345.00	-15.00	-360.00	-370.00	-30.00	-400.00
<i>निवल</i>	<i>243.79</i>	<i>10.00</i>	<i>253.79</i>	<i>565.02</i>	<i>30.00</i>	<i>595.02</i>	<i>345.00</i>	<i>15.00</i>	<i>360.00</i>	<i>370.00</i>	<i>30.00</i>	<i>400.00</i>
6. महिला सुरक्षा संबंधी योजना												
6.01 सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	36.49	...	36.49	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
6.02 निर्भया निधि से वित्तपोषित	-36.49	...	-36.49	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा	243.79	10.00	253.79	565.02	30.00	595.02	345.00	15.00	360.00	370.00	30.00	400.00
7. वास्तविक वसूलियां	-7.21	-519.42	-526.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	13953.05	285341.71	299294.76	14915.97	272237.15	287153.12	14915.97	272047.17	286963.14	15528.61	294163.16	309691.77
कुल जोड़	14115.95	285344.40	299460.35	15092.01	272241.15	287333.16	15090.41	272051.46	287141.87	15707.85	294167.45	309875.30

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सड़क और पुल	5075.79	...	5075.79	4814.00	...	4814.00	5034.02	...	5034.02	5144.95	...	5144.95
2. सड़क परिवहन	243.62	...	243.62	565.02	...	565.02	345.00	...	345.00	370.00	...	370.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	162.90	...	162.90	176.04	...	176.04	174.44	...	174.44	179.24	...	179.24
4. सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	285331.71	285331.71	...	252708.06	252708.06	...	252533.08	252533.08	...	275772.16	275772.16
5. सड़क परिवहन के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	10.00	10.00	...	30.00	30.00	...	15.00	15.00	...	30.00	30.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.69	2.69	...	4.00	4.00	...	4.29	4.29	...	4.29	4.29
जोड़-आर्थिक सेवाएं	5482.31	285344.40	290826.71	5555.06	252742.06	258297.12	5553.46	252552.37	258105.83	5694.19	275806.45	281500.64
अन्य												
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8493.21	...	8493.21	9342.53	...	9342.53	9342.53	...	9342.53	9809.66	...	9809.66
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	140.43	...	140.43	194.42	...	194.42	194.42	...	194.42	204.00	...	204.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	19499.09	19499.09	...	19499.09	19499.09	...	18361.00	18361.00
जोड़-अन्य	8633.64	...	8633.64	9536.95	19499.09	29036.04	9536.95	19499.09	29036.04	10013.66	18361.00	28374.66
कुल जोड़	14115.95	285344.40	299460.35	15092.01	272241.15	287333.16	15090.41	272051.46	287141.87	15707.85	294167.45	309875.30

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	168602.29	...	168602.29	187803.00	...	187803.00	170266.00	...	170266.00	187293.16	...	187293.16
जोड़	168602.29	...	168602.29	187803.00	...	187803.00	170266.00	...	170266.00	187293.16	...	187293.16

1.

सचिवालय: यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
3.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण: यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है, जिसमें एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित गलियारों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। खर्च स्थायी पुल शुल्क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के सुद्रीकरण, अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट)और बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।
- 4.01.

सड़क स्क्वैड के अंतर्गत कार्य: यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें दो/चार लेन के कार्य, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना शामिल है। इसमें एक या अधिक समीपवर्ती आदिवासी जिलों तक सीमित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित जनजातीय घटक के लिए प्रावधान भी शामिल है। इस प्रावधान में रोपवे का विकास, एक्सप्रेस वे/राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास और सामरिक तथा सीमावर्ती सड़कों का विकास भी शामिल है।
- 4.02.

कार्यक्रम घटक: सड़क कार्य के इस घटक के तहत व्यय जीबीएस से पूरा किया जाएगा ।

4.03. **ईएपी घटक:** इस प्रावधान में सड़क विंग के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं।

4.04. **केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्तीय योजनाएं:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य सड़कों के विकास एवं रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। राज्यों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालाँकि, भारत सरकार केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

4.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सीआरआईएफ योजना के तहत विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में यूटी सड़कों के विकास और रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालाँकि, भारत सरकार केवल संबंधित यूटी सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी संबंधित यूटी सरकार द्वारा दी जाती है।

4.06. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्तीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान:** यह बेहतर सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए चयनित अंतर-राज्तीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य सड़कों के विकास के लिए है। हालाँकि, वर्ष 2019 में सीआरआईएफ अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2021-22 से ईआईएंडआईएससी (आर्थिक महत्व और अंतर-राज्तीय संपर्क योजना) को बंद कर दिया गया है और इस योजना के तहत किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, योजना के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए ईआईएंडआईएससी योजना के तहत अभी भी आवंटन किया जा रहा है।

4.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

4.08. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण:-** यह प्रावधान मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय के लिए है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की रखरखाव एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

4.11. **उत्तरपूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी):** यह प्रावधान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश में सीमांत राजमार्ग और राजधानी संपर्क, जिला संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण सहित अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए है। योजनाओं को राष्ट्रीय निवेश कोष और जीवीएस से वित्तपोषित किया जाता है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण जांच उपकरण, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों, पीड़ितों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की स्थापना के लिए है जिसमें पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान और यातायात की बहाली के लिए क्षतिग्रस्त वाहन को हटाना, राष्ट्रीय डेटाबेस नेटवर्क का विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना आदि शामिल है। इस प्रावधान में सड़क हादसों के पीड़ितों को कैशलेस उपचार देना भी शामिल है। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

6. **महिला सुरक्षा संबंधी योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	270044.85	3.98	270048.83	286750.29	4.24	286754.53	285991.37	4.24	285995.61	240764.18	4.63	240768.81
	वसूलियां	-93394.07	...	-93394.07	-99000.00	...	-99000.00	-99000.00	...	-99000.00	-46400.00	...	-46400.00
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	176650.78	3.98	176654.76	187750.29	4.24	187754.53	186991.37	4.24	186995.61	194364.18	4.63	194368.81
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय		101.51	3.98	105.49	108.28	4.24	112.52	124.26	4.24	128.50	129.17	4.63	133.80
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)		-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		101.36	3.98	105.34	108.28	4.24	112.52	124.26	4.24	128.50	129.17	4.63	133.80
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
3. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण		134.42	...	134.42	153.00	...	153.00	170.00	...	170.00	155.00	...	155.00
4. वास्तविक वसूलियां (सीएस)		-53.90	...	-53.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		80.52	...	80.52	153.00	...	153.00	170.00	...	170.00	155.00	...	155.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
स्वायत्त निकाय													
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद		80.96	...	80.96	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
केंद्र प्रायोजित योजनाएं													
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम													
6.01 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)		6843.93	...	6843.93	6645.90	...	6645.90	6460.00	...	6460.00	6904.90	...	6904.90
6.02 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		394.19	...	394.19	659.00	...	659.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
6.03 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		2150.03	...	2150.03	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99	2026.99	...	2026.99

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(आईजीएनडब्ल्यूवीएस)												
6.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	243.75	...	243.75	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00	290.00	...	290.00
(आईजीएनडीपीएस)												
6.05 अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
6.06 प्रशासनिक व्यय	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11	20.11	...	20.11	39.11	...	39.11
जोड़- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.01	...	9652.01	9652.00	...	9652.00	9197.10	...	9197.10	9671.00	...	9671.00
7. विकसित भारत-जी राम जी योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	95692.31	...	95692.31
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
8. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	85834.40	...	85834.40	86000.00	...	86000.00	88000.00	...	88000.00	30000.00	...	30000.00
9. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	85838.76	...	85838.76	86000.00	...	86000.00	88000.00	...	88000.00	...	...	...
10. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-85838.76	...	-85838.76	-86000.00	...	-86000.00	-88000.00	...	-88000.00	...	...	...
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	85834.40	...	85834.40	86000.00	...	86000.00	88000.00	...	88000.00	30000.00	...	30000.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
11.01 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	12783.37	...	12783.37	16600.00	...	16600.00	9399.99	...	9399.99	16804.99	...	16804.99
11.02 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1900.00	...	1900.00	1100.01	...	1100.01	1695.01	...	1695.01
11.03 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	587.55	...	587.55	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
11.04 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	12000.00	...	12000.00	12000.00	...	12000.00	11000.00	...	11000.00	12000.00	...	12000.00
11.05 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से प्राप्त राशि को घटाएं	-7500.00	...	-7500.00	-12000.00	...	-12000.00	-11000.00	...	-11000.00	-12000.00	...	-12000.00
निवल	17870.92	...	17870.92	19000.00	...	19000.00	11000.00	...	11000.00	19000.00	...	19000.00
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
12. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)												
12.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	14503.02	...	14503.02	17104.00	...	17104.00	14400.00	...	14400.00	17280.00	...	17280.00
12.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	202.28	...	202.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1901.00	...	1901.00	1600.00	...	1600.00	1920.00	...	1920.00
जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	14705.30	...	14705.30	19005.00	...	19005.00	16000.00	...	16000.00	19200.00	...	19200.00
13. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)												
13.01 पीएमएवाई-कार्यक्रम घटक	32326.57	...	32326.57	54831.99	...	54831.99	32500.00	...	32500.00	54916.69	...	54916.69
13.02 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	32326.57	...	32326.57	54832.00	...	54832.00	32500.01	...	32500.01	54916.70	...	54916.70
14. कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अतिरिक्त अंतरण	16000.00	...	16000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में अतिरिक्त अंतरण	...	...	...	...	...	...	30000.00	...	30000.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16. आरक्षित निधि से मिली हुई अतिरिक्त राशि												
16.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	...	...	...	-4400.00	...	-4400.00
16.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-30000.00	...	-30000.00
जोड़	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00	...	...	...	-34400.00	...	-34400.00
17. वास्तविक वसूलियां (सीसीएस)	-1.26	...	-1.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	176387.94	...	176387.94	187489.00	...	187489.00	186697.11	...	186697.11	194080.01	...	194080.01
कुल जोड़	176650.78	3.98	176654.76	187750.29	4.24	187754.53	186991.37	4.24	186995.61	194364.18	4.63	194368.81
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. आवासन	3850.17	...	3850.17	3919.45	...	3919.45	3909.45	...	3909.45	4013.64	...	4013.64
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	25.85	...	25.85	25.33	...	25.33	25.33	...	25.33	44.33	...	44.33
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3876.02	...	3876.02	3944.78	...	3944.78	3934.78	...	3934.78	4057.97	...	4057.97
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3465.60	...	3465.60	3402.25	...	3402.25	3236.00	...	3236.00	3516.25	...	3516.25
4. ग्रामीण रोजगार	85834.40	...	85834.40	85851.06	...	85851.06	117637.91	...	117637.91	44151.94	...	44151.94
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	161.48	...	161.48	147.01	...	147.01	164.00	...	164.00	149.00	...	149.00
6. सड़क और पुल	16256.67	...	16256.67	193.23	...	193.23	159.11	...	159.11	193.04	...	193.04
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	101.36	...	101.36	108.28	...	108.28	124.26	...	124.26	129.17	...	129.17
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.98	3.98	...	4.24	4.24	...	4.24	4.24	...	4.63	4.63
जोड़-आर्थिक सेवाएं	105819.51	3.98	105823.49	89701.83	4.24	89706.07	121321.28	4.24	121325.52	48139.40	4.63	48144.03
अन्य												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	9029.23	...	9029.23	7928.24	...	7928.24	10078.84	...	10078.84
10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	64873.27	...	64873.27	83106.19	...	83106.19	52715.34	...	52715.34	128612.68	...	128612.68
11. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2081.98	...	2081.98	1968.26	...	1968.26	1091.73	...	1091.73	3475.29	...	3475.29
जोड़-अन्य	66955.25	...	66955.25	94103.68	...	94103.68	61735.31	...	61735.31	142166.81	...	142166.81
कुल जोड़	176650.78	3.98	176654.76	187750.29	4.24	187754.53	186991.37	4.24	186995.61	194364.18	4.63	194368.81

नोट : वजट अनुमान 2026-27 में मांग के लिए कुल आवंटन 2,28,768.81 करोड़ रुपये है (1, 94, 368.81 करोड़ रुपये प्लस 34, 400 करोड़ रुपये)। अतिरिक्त 34, 400 करोड़ रुपये का भुगतान राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की शेष राशि (30, 000 करोड़ रुपये) और कृषि अवसंरचना और विकास कोष (4, 400 करोड़ रुपये) से किया जाएगा।

1. सचिवालय: यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सामान्य स्थापना व्यय के लिए है।

3. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण: इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं, जागरूकता सृजन (सूचना, शिक्षा और संपर्क-आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूत करने, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रबंधन सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

6.01. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित व्यक्तियों को सहायता का प्रावधान है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 200/- रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.02. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत एक बीपीएल परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्राथमिक पालन-पोषण करने वाले की मृत्यु पर रु 20,000/- की एकमुश्त सहायता राशि का हकदार है।

6.03. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूवीएस):** 40-79 वर्ष (भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित को) की आयु वर्ग की विधवाओं को 300/- रुपये प्रति माह की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु के बाद, पेंशन की राशि बढ़ाकर रु 500/- प्रति माह कर दी जाती है।

6.04. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इस योजना के तहत 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या एकाधिक दिव्यांगता वाले (भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित) व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रुपये की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु के बाद, पेंशन की राशि बढ़ाकर 500/- रुपये प्रति माह कर दी जाती है।

6.05. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है, जो पात्र होने के बावजूद, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

7. **विकसित भारत-जी राम जी योजना:** वीबी जी राम जी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सभी राज्यों के लिए 60-40 और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90-10 और विधानमंडल के बिना संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए 100% केंद्रीय हिस्सा है। विकसित भारत - रोजगार और अजीविका के लिए गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस (125) दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करने के लिए है, जिसके वयस्क सदस्य एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतुष्टि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकुशल हस्त कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

8. **मनरेगा- कार्यक्रम षटक:** महात्मा गांधी नरेगा एक मांग संचालित कार्यक्रम है। सहमत श्रम बजट आगे के संशोधन के अधीन है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार, काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार का दायित्व है।

11. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 2015-16 से प्रभावी, केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का निधि साझाकरण अनुपात है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए वित्तपोषण 100% केंद्रीय हिस्सा है। पीएमजीएसवाई का चरण-IV 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करना है जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण अर्हता प्राप्त कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई-IV के लिए स्वीकृत परिव्यय रु 11, 044.69 करोड़ है। शुरूआत से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल 8,46,182 कि.मी लम्बी सड़क के लिए संस्वीकृति प्राप्त हुई है और 7,87,809 कि.मी सड़क का कार्य विभिन्न पहलु/ पीएमजीएसवाई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पूरी कर ली गई है। इसमें पीएम-जनमन योजना के लिए सं.अ. 2025-26 में 620 करोड़ रुपये तथा ब.अ. 2026-27 में 1215 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के लिए सं.अ. 2025-26 में 0.02 करोड़ रुपए और ब.अ. 2026-27 के लिए 0.03 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

12. **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) जून 2011 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है, और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे समय की अवधि में आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेती हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं करती हैं और घोर गरीबी से बाहर नहीं आती हैं, जिसका उद्देश्य लगभग 10 करोड़ महिलायें हैं। कार्यक्रम के तहत मुख्य वित्तीय सहायता रिवांल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) है जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें महिला एसएचजी को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बैंकों से 3.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने और 1 वर्ष के एससीएलआर के लिए ब्याज सबवेंशन का भी प्रावधान है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम की उप योजना में से एक है जो कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने और कृषि में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता में सुधार करती है। स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीडीपी) ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके गैर-कृषि उद्यमों की स्थापना में श्रमिकों और उनके परिवारों की सहायता करता है। सूक्ष्म उद्यम विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसटीआई) को 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2026-2027 के लिए 750 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित 15-35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट-लिंकड कौशल पहल दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशलया योजना (डीडीयू-जीकेआई), आय विविधीकरण और कैरियर की आकांक्षाओं पर केंद्रित है।

13. **प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):** इस योजना का उद्देश्य मार्च 2029 तक अभिसरण के माध्यम से सभी वास्तविक गरीब परिवारों को वुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घर प्रदान करके सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में, लाभान्वित परिवारों को मैदानी इलाकों में 1. 20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के यू. टी. सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण के लिए इकाई सहायता की मौजूदा दर को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जेएनएमएन) योजना के लिए सं. अ. 2025-26 में 1838 करोड़ रुपए और ब.अ. 2026-27 के लिए 1500.01 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के लिए सं.अ. 2025-26 में 0.01 करोड़ रुपए और ब.अ. 2026-27 के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय
मांग संख्या 88
भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3721.40	0.87	3722.27	4781.19	1.01	4782.20	3244.03	1.01	3245.04	5135.33	1.00	5136.33
वसूलियां	-1070.27	...	-1070.27	-2131.20	...	-2131.20	-1487.64	...	-1487.64	-2482.00	...	-2482.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2651.13	0.87	2652.00	2649.99	1.01	2651.00	1756.39	1.01	1757.40	2653.33	1.00	2654.33
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.65	0.87	24.52	24.99	1.01	26.00	26.78	1.01	27.79	28.33	1.00	29.33
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	137.05	...	137.05	120.00	...	120.00	229.61	...	229.61	125.00	...	125.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3.01 कार्यक्रम घटक	1072.05	...	1072.05	2486.20	...	2486.20	1487.64	...	1487.64	2482.00	...	2482.00
3.02 ईएपी घटक	7.65	...	7.65	18.80	...	18.80	12.36	...	12.36	18.00	...	18.00
3.03 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	2481.00	...	2481.00	2131.20	...	2131.20	1487.64	...	1487.64	2482.00	...	2482.00
3.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-1069.33	...	-1069.33	-2131.20	...	-2131.20	-1487.64	...	-1487.64	-2482.00	...	-2482.00
निवल	2491.37	...	2491.37	2505.00	...	2505.00	1500.00	...	1500.00	2500.00	...	2500.00
4. वास्तविक वसूलियां (सीएसएस)	-0.94	...	-0.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2490.43	...	2490.43	2505.00	...	2505.00	1500.00	...	1500.00	2500.00	...	2500.00
कुल जोड़	2651.13	0.87	2652.00	2649.99	1.01	2651.00	1756.39	1.01	1757.40	2653.33	1.00	2654.33

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	331.45	...	331.45	69.57	...	69.57	64.36	...	64.36	79.67	...	79.67
2. भूमि सुधार	137.05	...	137.05	108.00	...	108.00	206.65	...	206.65	112.50	...	112.50
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.65	...	23.65	24.99	...	24.99	26.78	...	26.78	28.33	...	28.33
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.87	0.87	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.00	1.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	492.15	0.87	493.02	202.56	1.01	203.57	297.79	1.01	298.80	220.50	1.00	221.50
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	227.01	...	227.01	237.97	...	237.97	262.51	...	262.51
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2104.98	...	2104.98	2173.05	...	2173.05	1195.60	...	1195.60	2118.29	...	2118.29
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	54.00	...	54.00	47.37	...	47.37	25.03	...	25.03	52.03	...	52.03
जोड़-अन्य	2158.98	...	2158.98	2447.43	...	2447.43	1458.60	...	1458.60	2432.83	...	2432.83
कुल जोड़	2651.13	0.87	2652.00	2649.99	1.01	2651.00	1756.39	1.01	1757.40	2653.33	1.00	2654.33

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सामान्य स्थापना व्यय के लिए है।

2. **भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** भूमि संसाधन विभाग का मुख्य प्रयास और जोर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तत्वाधान में देश के सभी जिलों में ऐसी उपयुक्त समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करना है, जिससे अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित लाभ होंगे: (i) भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार; (ii) भूमि संसाधनों का अनुकूल उपयोग; (iii) भूस्वामियों एवं संभावित भूस्वामियों दोनों को लाभ; (iv) नीति और योजना में सहायता; (v) भूमि विवादों को कम करना; (vi) धोखाधड़ी/ बेनामी के लेन-देन की रोकथाम (vii) सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और संबंधों को सुविधाजनक और सक्षम बनाएगा और (viii) भूखंड के मालिक, संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों और इच्छुक व्यक्तियों/उद्यमियों को जमीन के किसी भी भूखंड की निष्पक्ष और व्यापक स्थिति दर्शाने के लिए सभी उपलब्ध और प्रासंगिक जानकारी तक ऑनलाइन एकल-खिड़की पहुंच प्रदान करना। विभाग का प्रयास विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रशासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है, जो कि भूमि पार्सल पहचान की एक एकीकृत प्रणाली है, जो नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भूमि पार्सल या संपत्ति की जानकारी का एक आधिकारिक स्रोत है। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक सामान्य, जेनरिक और कॉन्फ़िगरेबल एप्लिकेशन है।

3. **वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) मुख्य रूप से वर्षा सिंचित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए है; (ii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की विस्तारित परियोजना अवधि को अब स्प्रिंग-शेड विकास गतिविधियों के साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में चलाया जा रहा है; (iii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2 के तहत जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/कायाकल्प किया गया है, किसानों के लाभ के लिए वनीकरण/बागवानी के

लिए अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई और वृक्षारोपण के तहत लाया गया है। इसके अलावा, कई राज्यों द्वारा कायाकल्प के लिए कई झरनों को लिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल		5058.13	64.22	5122.35	8413.05	20095.85	28508.90	8838.52	3083.06	11921.58	7963.94	20085.38	28049.32
वसूलियां		-100.94	...	-100.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		4957.19	64.22	5021.41	8413.05	20095.85	28508.90	8838.52	3083.06	11921.58	7963.94	20085.38	28049.32
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1.	सचिवालय	104.85	1.40	106.25	115.50	10.95	126.45	114.88	4.76	119.64	119.00	2.50	121.50
		-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	104.70	1.40	106.10	115.50	10.95	126.45	114.88	4.76	119.64	119.00	2.50	121.50
2.	भारतीय सर्वेक्षण	420.73	62.27	483.00	515.74	81.75	597.49	472.34	75.90	548.24	479.92	81.38	561.30
		-100.79	...	-100.79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	319.94	62.27	382.21	515.74	81.75	597.49	472.34	75.90	548.24	479.92	81.38	561.30
3.	राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन	31.16	0.55	31.71	31.06	3.15	34.21	31.62	2.40	34.02	30.88	1.50	32.38
4.	विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता	12.10	...	12.10	13.70	...	13.70	16.73	...	16.73	15.01	...	15.01
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		467.90	64.22	532.12	676.00	95.85	771.85	635.57	83.06	718.63	644.81	85.38	730.19
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण	542.38	...	542.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.	अनुसंधान और विकास	48.41	...	48.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.	नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन	325.56	...	325.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.	अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन	715.97	...	715.97	900.00	...	900.00	750.60	...	750.60	700.00	...	700.00
9.	राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम)	62.36	...	62.36	600.00	...	600.00	755.15	...	755.15	900.00	...	900.00
10.	विज्ञान धारा	271.98	...	271.98	1425.00	...	1425.00	2009.14	...	2009.14	1425.00	...	1425.00
11.	राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन	221.00	...	221.00	265.00	...	265.00	530.00	...	530.00	0.01	...	0.01
12.	अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना	...	...	...	...	20000.00	20000.00	...	3000.00	3000.00	...	20000.00	20000.00
13.	राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन	...	...	...	100.00	...	100.00	35.00	...	35.00	100.00	...	100.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2187.66	...	2187.66	3290.00	20000.00	23290.00	4079.89	3000.00	7079.89	3125.01	20000.00	23125.01
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
14. विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	721.00	...	721.00	693.25	...	693.25	543.25	...	543.25	543.25	...	543.25
15. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	726.00	...	726.00	700.25	...	700.25	550.25	...	550.25	550.25	...	550.25
स्वायत्त निकाय												
16. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	1575.63	...	1575.63	1746.80	...	1746.80	1624.81	...	1624.81	1643.87	...	1643.87
अन्य												
17. राष्ट्रीय अनुसंधान संघ	...	...	...	2000.00	...	2000.00	1948.00	...	1948.00	2000.00	...	2000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	2301.63	...	2301.63	4447.05	...	4447.05	4123.06	...	4123.06	4194.12	...	4194.12
कुल जोड़	4957.19	64.22	5021.41	8413.05	20095.85	28508.90	8838.52	3083.06	11921.58	7963.94	20085.38	28049.32
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4852.49	...	4852.49	8297.55	...	8297.55	8723.64	...	8723.64	7844.94	...	7844.94
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	104.70	...	104.70	115.50	...	115.50	114.88	...	114.88	119.00	...	119.00
3. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	64.22	64.22	...	95.85	95.85	...	83.06	83.06	...	85.38	85.38
4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	...	...	...	20000.00	20000.00	...	3000.00	3000.00	...	20000.00	20000.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	4957.19	64.22	5021.41	8413.05	20095.85	28508.90	8838.52	3083.06	11921.58	7963.94	20085.38	28049.32
कुल जोड़	4957.19	64.22	5021.41	8413.05	20095.85	28508.90	8838.52	3083.06	11921.58	7963.94	20085.38	28049.32

1. सचिवालय: यह प्रावधान विभाग के स्थापना व्यय के लिए है।

2. भारतीय सर्वेक्षण: यह प्रावधान भारतीय सर्वेक्षण के तहत निदेशन और प्रशासन (महा सर्वेक्षक), प्रशिक्षण संगठनों और नक्शे, चार्ट, रिपोर्ट आदि के प्रकाशन के लिए है।

3. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन: यह प्रावधान राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन के तहत अंग्रेजी और हिन्दी में भारत के राष्ट्रीय एटलस के संकलन, समस्त भारत को समावेश करने वाली स्वर्णिम मानचित्र सेवा और भौगोलिक/कार्टोग्राफिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया गया है।

4. विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता: यह प्रावधान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों में तैनात परामर्शदाताओं के लिए किया गया है।
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानवीय क्षमता निर्माण: इसमें आर एंड डी सहायता, राज्य एस एंड टी कार्यक्रम, नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ, विज्ञान में महिलाओं के लिए डीआईएसएचए कार्यक्रम,अलाइन्सऔर आर एंड डी मिशन (इंस्पायर पुरस्कार और इंस्पायर कार्यक्रम) के लिए आवंटन शामिल है।

6. अनुसंधान और विकास: इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन, आधारभूत अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं, अलाइन्स तथा आर एंड डी मिशन (जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम), सुपर कंप्यूटिंग सुविधा एवं क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी संलयन और अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए आवंटन शामिल है।

7. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन: इसमें प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम (प्रदर्शनी एवं मेले), औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के लिए आवंटन शामिल है।

8. **अन्तरविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय मिशन:** साइबर फिजिकल सिस्टम (सीपीएस) इंजिनीयर्ड सिस्टम की नई श्रेणी है जो एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। सीपीएस साइबरनेटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, डिजाइन और एंबेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी), विंग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बहुत से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल करता है। सीपीएस सिस्टम बुद्धिमान, स्वायत्त और कुशल हैं और इनसे कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार लाने की संभावना है। इस प्रकार, इसे प्रौद्योगिकी में अगला प्रतिमान बदलाव कहा जाता है जो तेजी से विकास और संवृद्धि को गति दे सकता है।

9. **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम):** यह मिशन वैज्ञानिक और औद्योगिक आरएंडडी की शुरूआत करने, उसका पोषण करने और पैमाना बढ़ाने पर तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यू टी) में एक जीवंत और इनोवेटिव इकोसिस्टम के सृजन पर लक्षित है। इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी में इनोवेटिव इकोसिस्टम पर आधारित आर्थिक संवृद्धि होगी, देश के इकोसिस्टम का पोषण होगा और भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग (क्यू टी ए) के विकास में एक अग्रणी देश बनेगा।

10. **विज्ञान धारा:** इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं, (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, (ii) अनुसंधान और विकास और (iii) नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेटिव इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। योजनाओं के एकल योजना में विलय से निधि उपयोग में दक्षता बढ़ेगी और उप-योजनाओं/कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित होगा।

11. **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन:** राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाता है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है, सीडीएससी और आईआईएससी इसके कार्यान्वयन में भागीदार हैं। एनएसएम कार्यान्वयन में चार कार्यक्षेत्र शामिल हैं: अवसंरचना, अनुप्रयोग, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास।

12. **अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना:** डीप-टेक निधियों के कोष की स्थापना को सुविधाकृत करना जो सनराइज़ परिवर्तन परियोजना में अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) को बढ़ाने और महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व की तकनीकों के अतिक्रमण की सहायता को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक आधारभूत निधि (कॉर्पस) है।

13. **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन:** इसमें भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा संबंधी बुनियादि विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन हेतु प्रावधान शामिल है।

14. **विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड:** इसमें विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के सतत क्रियाकलापों हेतु प्रावधान शामिल है।

15. **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड:** इसमें तकनीकी विकास बोर्ड (टीडीबी), जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने और व्यापक अनुप्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु प्रावधान शामिल है।

16. **स्वायत्तशासी निकायों की सहायता:** इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्त संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए प्रावधान शामिल है:-

(i) एमएसीएस- अधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे ;

(ii) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एआरआईपीएस), नैनीताल;

(iii) बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान (बीएसआईपीएस) , लखनऊ;

(iv) बोस संस्थान, कोलकाता;

(v) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र (सीईएनएस) , बंगलौर;

(vi) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसी आई), हैदराबाद;

(vii) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी), मोहाली;

(viii) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साईंस (आईएसीएस) , कोलकाता;

(ix) भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान, नवी मुम्बई;

(x) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु;

(xi) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर;

(xii) रामन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) , बंगलौर;

(xiii) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता;

(xiv) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम;

(xv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी), गुवाहाटी;

(xvi) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टीआईएफएसी), नई दिल्ली;

(xvii) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून;

(xviii) विज्ञान प्रसार , नोएडा;

(xix) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद;

(xx) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता;

(xxi) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली;

(xxii) भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूर;

(xxiii) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी , गुडगाँव;

(xxiv) भारतीय तारा भौतिक संस्थान, बंगलूर;

(xxv) पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र (एनईसीटीएआर), शिलांग।

17. **राष्ट्रीय अनुसंधान संघ:** इसमें अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान संघ(एनआरएफ) एक ऐसे पेशेवर और समग्र अनुसंधान कार्य फ्रेमवर्क की पुरजोर आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनआरएफ हेतु प्रावधान शामिल है, जो सभी प्रकार के संस्थानों और विषयों में सुसमन्वित अनुसंधान चलाने के लिए मानव और सामग्री संबंधी संसाधनों को निदेशित करता है। एनआरएफ का व्यापक लक्ष्य भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को रोपित, वर्धित और प्रोत्साहित करना तथा अनुसंधान एवं नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1998.00	...	1998.00	3446.64	...	3446.64	2830.45	...	2830.45	3446.00	...	3446.00
वसूलियां	-26.34	...	-26.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1971.66	...	1971.66	3446.64	...	3446.64	2830.45	...	2830.45	3446.00	...	3446.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.92	...	41.92	55.48	...	55.48	48.77	...	48.77	50.87	...	50.87
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	632.19	...	632.19	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)	279.62	...	279.62	2300.00	...	2300.00	1717.00	...	1717.00	2300.00	...	2300.00
	-26.34	...	-26.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	253.28	...	253.28	2300.00	...	2300.00	1717.00	...	1717.00	2300.00	...	2300.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	885.47	...	885.47	2300.00	...	2300.00	1717.00	...	1717.00	2300.00	...	2300.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता	954.28	...	954.28	994.16	...	994.16	976.68	...	976.68	1002.13	...	1002.13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)	40.00	...	40.00	42.00	...	42.00	38.00	...	38.00	38.00	...	38.00
अन्य												
6. अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईवी)	49.99	...	49.99	55.00	...	55.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1044.27	...	1044.27	1091.16	...	1091.16	1064.68	...	1064.68	1095.13	...	1095.13
कुल जोड़	1971.66	...	1971.66	3446.64	...	3446.64	2830.45	...	2830.45	3446.00	...	3446.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1929.74	...	1929.74	3161.16	...	3161.16	2609.98	...	2609.98	3165.13	...	3165.13
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	41.92	...	41.92	55.48	...	55.48	48.77	...	48.77	50.87	...	50.87
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1971.66	...	1971.66	3216.64	...	3216.64	2658.75	...	2658.75	3216.00	...	3216.00
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	230.00	...	230.00	171.70	...	171.70	230.00	...	230.00
जोड़-अन्य	...	...	...	230.00	...	230.00	171.70	...	171.70	230.00	...	230.00
कुल जोड़	1971.66	...	1971.66	3446.64	...	3446.64	2830.45	...	2830.45	3446.00	...	3446.00

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद												
1. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्	...	30.76	30.76	...	16.00	16.00	...	32.50	32.50	...	20.50	20.50
जोड़-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	...	30.76	30.76	...	16.00	16.00	...	32.50	32.50	...	20.50	20.50
जोड़	...	30.76	30.76	...	16.00	16.00	...	32.50	32.50	...	20.50	20.50

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिवालय के व्यय के लिए है।
2. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक विकास के तहत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित मानव संसाधन विकास, जैवसूचना विज्ञान, बायोटेक सुविधाएं, उत्कृष्टता केंद्र और अंतर-संस्थागत केंद्र, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसमें चिन्हित प्रमुख राष्ट्रीय मिशन भी शामिल हैं।
3. **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड):** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) मौजूदा दो योजनाओं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी) की एक एकीकृत योजना है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए बायोमैनुफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री नामक एक नया घटक शामिल है।
4. **स्वायत्तशासी संस्थानों को सहायता:** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुसंधान, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में लगे निम्नलिखित 16 स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान हैं अर्थात : (i) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; ii)

- राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे; iii) डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, हैदराबाद; iv) राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव; v) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; vi) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल; vii) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर; viii) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूीयूट , फरीदाबाद; ix) राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनन्तपुरम; x) राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिक संस्थान, कल्याणी; xi) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद; xii) राष्ट्रीय कृषि -खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली; xiii) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु; xiv) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद; और xv) नवाचार अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र, मोहाली।
5. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी):** यह प्रावधान इस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे गैर-लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम; नामतः जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के लिए किया गया है।
6. **अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईवी):** आईसीजीईवी, नई दिल्ली यूएनआईडीओ की एक विशेष परियोजना के रूप में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। आईसीजीईवी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन नहीं है और इसका लेखा संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6269.64	1.30	6270.94	6656.17	1.61	6657.78	6430.27	2.89	6433.16	6760.29	5.33	6765.62
वसूलियां	-66.25	...	-66.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	6203.39	1.30	6204.69	6656.17	1.61	6657.78	6430.27	2.89	6433.16	6760.29	5.33	6765.62
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	15.12	0.38	15.50	16.93	0.40	17.33	15.68	0.23	15.91	16.39	0.40	16.79
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास	9.45	0.91	10.36	15.59	0.91	16.50	17.09	0.91	18.00	15.60	1.40	17.00
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	11.69	...	11.69	15.50	...	15.50	14.50	1.00	15.50	10.39	3.03	13.42
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	21.14	0.91	22.05	31.09	0.91	32.00	31.59	1.91	33.50	25.99	4.43	30.42
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
4. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)												
4.01 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	5844.78	...	5844.78	6127.57	...	6127.57	5947.14	...	5947.14	6268.61	...	6268.61
	-66.25	...	-66.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	5778.53	...	5778.53	6127.57	...	6127.57	5947.14	...	5947.14	6268.61	...	6268.61
4.02 क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास	381.25	...	381.25	473.08	...	473.08	428.34	...	428.34	442.00	...	442.00
जोड़- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)	6159.78	...	6159.78	6600.65	...	6600.65	6375.48	...	6375.48	6710.61	...	6710.61
अन्य												
5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (यूएन निकाय) को योगदान	7.35	0.01	7.36	7.50	0.30	7.80	7.52	0.75	8.27	7.30	0.50	7.80
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	6167.13	0.01	6167.14	6608.15	0.30	6608.45	6383.00	0.75	6383.75	6717.91	0.50	6718.41
कुल जोड़	6203.39	1.30	6204.69	6656.17	1.61	6657.78	6430.27	2.89	6433.16	6760.29	5.33	6765.62

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	6188.27	...	6188.27	6639.24	...	6639.24	6414.59	...	6414.59	6743.90	...	6743.90
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	15.12	...	15.12	16.93	...	16.93	15.68	...	15.68	16.39	...	16.39
3. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	1.00	1.00	...	3.03	3.03
4. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	0.30	0.30	...	0.75	0.75	...	0.50	0.50
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.38	0.38	...	0.40	0.40	...	0.23	0.23	...	0.40	0.40
6. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91	...	1.40	1.40
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6203.39	1.30	6204.69	6656.17	1.61	6657.78	6430.27	2.89	6433.16	6760.29	5.33	6765.62
कुल जोड़	6203.39	1.30	6204.69	6656.17	1.61	6657.78	6430.27	2.89	6433.16	6760.29	5.33	6765.62

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान केन्द्र के स्थापना व्यय के अंतर्गत सचिवालय के व्यय के लिए है।
2. **औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास:** इसमें विभाग के कार्यक्रमों अर्थात व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन (प्रिज्म), पेटेंट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई), औद्योगिक अनुसंधान और विकास एवं सामान्य अनुसंधान सुविधाओं का सृजन (बीआईआरडी) तथा प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए सूचना तक पहुंच से संबंधित योजना (ए2के प्लस) के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।
3. **अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** इसमें सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि. (सीईएल) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के लिए आवंटन शामिल हैं।
- 4.01. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** इसमें निम्नलिखित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं : राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, प्रशासन, सीएसआईआर 800 योजनाएं, समावेशी, भागीदारी तथा सहयोगात्मक अनुसंधान तथा विकास के लिए सीएसआईआर पहल, बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रवन्धन, नई सहस्राब्दी भारतीय नेत्रत्व पहल, राष्ट्रीय नागर वायुयान विकास, मुक्त नवोन्मेष के लिए सीएसआईआर योजना।
- 4.02. **क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास:** इसमें सीएसआईआर स्कीमों: अनुसंधान स्कीमो, छात्रवृत्तियो तथा अद्येतावृत्तियों और वैज्ञानिक पूल के लिए प्रावधान शामिल हैं।
5. **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशियन तथा प्रशांत केंद्र (यूएन निकाय) को योगदान:** इसमें एशियन एंड पेसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टैक्नोलॉजी (एपीसीटीटी) के लिए अंशदान शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

मांग संख्या 92

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	5167.93	86.05	5253.98	8217.04	83.06	8300.10	4637.54	66.00	4703.54	12559.51	126.29	12685.80
	वसूलियां	-2479.24	-0.04	-2479.28	-2200.00	...	-2200.00	-2000.00	...	-2000.00	-2800.00	...	-2800.00
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	2688.69	86.01	2774.70	6017.04	83.06	6100.10	2637.54	66.00	2703.54	9759.51	126.29	9885.80
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय		230.57	86.05	316.62	248.01	83.06	331.07	257.74	66.00	323.74	260.00	67.59	327.59
		-3.25	...	-3.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल		227.32	86.05	313.37	248.01	83.06	331.07	257.74	66.00	323.74	260.00	67.59	327.59
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
2. स्किल इंडिया कार्यक्रम													
2.01 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतरण		2318.00	...	2318.00	2200.00	...	2200.00	2000.00	...	2000.00	2800.00	...	2800.00
2.02 स्किल इंडिया कार्यक्रम		2252.20	...	2252.20	2700.00	...	2700.00	2000.00	...	2000.00	2800.00	...	2800.00
2.03 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) से प्राप्त राशि		-2252.20	...	-2252.20	-2200.00	...	-2200.00	-2000.00	...	-2000.00	-2800.00	...	-2800.00
निवल		2318.00	...	2318.00	2700.00	...	2700.00	2000.00	...	2000.00	2800.00	...	2800.00
3. वास्तुकला कौशल संवर्धन एकीकृत योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	600.00	...	600.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		2318.00	...	2318.00	2700.00	...	2700.00	2000.00	...	2000.00	3400.00	...	3400.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय													
सांविधिक और विनियामक निकाय													
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)		14.19	...	14.19	13.87	...	13.87	12.80	...	12.80	16.00	...	16.00
स्वायत्त निकाय													
5. भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)		3.88	...	3.88	4.00	...	4.00	...	...	...	0.85	...	0.85
6. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी)		0.70	...	0.70	1.25	...	1.25	...	...	...	0.85	...	0.85
7. राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई)		...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	4.58	...	4.58	5.26	...	5.26	...	...	...	1.71	...	1.71
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	18.77	...	18.77	19.13	...	19.13	12.80	...	12.80	17.71	...	17.71
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
8. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी	325.42	...	325.42	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी	5.07	...	5.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना	17.89	...	17.89	49.90	...	49.90	11.00	...	11.00	...	...	...
11. नई आईटीआई उन्नयन स्कीम	0.01	...	0.01	3000.00	...	3000.00	356.00	...	356.00	...	...	...
12. उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल और रोजगारनीय परिवर्तन (पीएम सेतु)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6081.80	58.70	6140.50
13. वास्तविक बसूलियां	-223.79	-0.04	-223.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	124.60	-0.04	124.56	3049.90	...	3049.90	367.00	...	367.00	6081.80	58.70	6140.50
कुल जोड़	2688.69	86.01	2774.70	6017.04	83.06	6100.10	2637.54	66.00	2703.54	9759.51	126.29	9885.80
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2446.95	...	2446.95	3767.39	...	3767.39	1973.20	...	1973.20	4490.01	...	4490.01
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	227.32	...	227.32	248.01	...	248.01	257.74	...	257.74	260.00	...	260.00
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	86.01	86.01	...	79.71	79.71	...	62.65	62.65	...	126.29	126.29
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2674.27	86.01	2760.28	4015.40	79.71	4095.11	2230.94	62.65	2293.59	4750.01	126.29	4876.30
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	506.50	...	506.50	236.70	...	236.70	894.50	...	894.50
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	19.26	...	19.26	1286.14	...	1286.14	151.70	...	151.70	3900.00	...	3900.00
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-4.84	...	-4.84	209.00	...	209.00	18.20	...	18.20	215.00	...	215.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.35	3.35	...	3.35	3.35	...	...	...
जोड़-अन्य	14.42	...	14.42	2001.64	3.35	2004.99	406.60	3.35	409.95	5009.50	...	5009.50
कुल जोड़	2688.69	86.01	2774.70	6017.04	83.06	6100.10	2637.54	66.00	2703.54	9759.51	126.29	9885.80

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), जन शिक्षण संस्थान निदेशालय (जेएसएस के निदेशालय), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई), केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई), की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **स्किल इंडिया कार्यक्रम:** इस मिश्रित केन्द्रीय क्षेत्र योजना में तीन घटक शामिल हैं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)। कार्यक्रम घटक एमयूएसके से पूरा किया जाएगा।

इस आवंटन में 'धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

3. **वास्तुकला कौशल संवर्धन एकीकृत योजना:** आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम में राज्य कौशल परिवर्तन पाइलट के माध्यम से राज्य स्तर आयोजन और स्थानीय निष्पादन के साथ राष्ट्रीय नीति के जुड़ाव को सक्षम करना।

4. **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी):** व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बद्ध निकायों के कामकाज को विनियमित करने और ऐसे निकायों के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने के लिए व्यापक विनियामक निकाय।

5. **भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई):** प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है।

6. **राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी):** उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और प्रकाशन से जुड़ा संगठन।

7. **राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई):** यह एक ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना, आधुनिक युग के शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए ई-सामग्री विकसित करना और जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाना है।

8. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान संबंधी जागरूकता (संकल्प)-ईएपी:** विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का पूल बनाना, राज्य स्तर पर सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यकलापों के बीच संकेन्द्रण स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है। संकल्प योजना 31.03.2025 को समाप्त हो गई है।

9. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)-ईएपी:** विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक मंडलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है। स्ट्राइव योजना 31.05.2024 को समाप्त हो गई है।

10. **संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं (i) पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास को बढ़ाना, (ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों के लिए 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कौशल विकास अवसंरचना के निर्माण के लिए कौशल विकास (iii) मौजूदा आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन और (iv) पॉलिटैक्निक की योजना। एसआईआईटी योजना के 4 घटकों में से 3 एसआईआईटी घटक दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गए हैं, केवल 1 घटक जो पॉलिटैक्निक की योजना है, 31.03.2026 को समाप्त होने जा रहा है।

11. **नई आईटीआई उन्नयन स्कीम:** हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 आईटीआई के उन्नयन हेतु नई आईटीआई उन्नयन योजना। अब इस योजना का नाम नई आईटीआई उन्नयन योजना से बदलकर प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता उन्नत आईटीआई (पीएम सेतु) कर दिया गया है।

12. **उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल और रोजगारनीय परिवर्तन (पीएम सेतु):** उन्नत 1000 आईटीआई के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल और रोजगार योग्यता परिवर्तन का कार्यान्वयन और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कौशल के लिए पांच (5) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	10373.21	35.79	10409.00	14152.84	11.58	14164.42	11914.15	8.28	11922.43	14418.02	9.57	14427.59
वसूलियां	-1378.05	...	-1378.05	-553.42	...	-553.42	-519.69	...	-519.69	-740.00	...	-740.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	8995.16	35.79	9030.95	13599.42	11.58	13611.00	11394.46	8.28	11402.74	13678.02	9.57	13687.59
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	75.45	4.70	80.15	65.25	4.96	70.21	65.25	4.96	70.21	67.23	4.96	72.19
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	67.55	1.54	69.09	38.50	2.50	41.00	33.90	2.10	36.00	37.90	2.10	40.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	7.81	...	7.81	19.00	3.00	22.00	11.55	0.45	12.00	16.70	1.30	18.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	11.50	0.02	11.52	13.29	0.71	14.00	11.34	0.66	12.00	13.29	0.71	14.00
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	86.86	1.56	88.42	70.79	6.21	77.00	56.79	3.21	60.00	67.89	4.11	72.00
5. विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.82	...	0.82	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
6. राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परवर्तन कर लिया है	1.42	0.02	1.44	4.14	0.36	4.50	1.54	0.06	1.60	2.05	0.45	2.50
7. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.13	...	-0.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	164.42	6.28	170.70	145.18	11.53	156.71	126.58	8.23	134.81	142.17	9.52	151.69
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
8. अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (श्रेयस)												
8.01 एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति	209.50	...	209.50	212.00	...	212.00	220.00	...	220.00	230.00	...	230.00
8.02 एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	17.68	...	17.68	20.00	...	20.00	7.00	...	7.00	20.00	...	20.00
8.03 एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	103.26	...	103.26	110.00	...	110.00	112.00	...	112.00	120.00	...	120.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.04 एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	74.18	...	74.18	130.00	...	130.00	110.00	...	110.00	125.00	...	125.00
जोड़- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (श्रेयस)	404.62	...	404.62	472.00	...	472.00	449.00	...	449.00	495.00	...	495.00
9. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठा)	109.78	...	109.78	140.00	...	140.00	140.00	...	140.00	150.00	...	150.00
10. वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसबीएसएस) योजना	23.44	...	23.44	50.27	...	50.27	50.27	...	50.27	50.27	...	50.27
11. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना	79.40	...	79.40	130.00	...	130.00	20.00	...	20.00	...	...	...
12. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि	...	29.51	29.51	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
13. अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (श्रेयस)												
13.01 ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	148.19	...	148.19	190.13	...	190.13	105.30	...	105.30	181.15	...	181.15
13.02 ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर व्याज सन्निधि	9.49	...	9.49	60.00	...	60.00	0.18	...	0.18	0.10	...	0.10
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (श्रेयस)	157.68	...	157.68	250.13	...	250.13	105.48	...	105.48	181.25	...	181.25
14. डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड)	35.16	...	35.16	39.40	...	39.40	61.56	...	61.56	101.00	...	101.00
15. वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)												
15.01 भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास	9.65	...	9.65	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
15.02 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास	5.14	...	5.14	76.87	...	76.87	35.00	...	35.00	76.87	...	76.87
जोड़- वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल)	14.79	...	14.79	106.87	...	106.87	60.00	...	60.00	106.87	...	106.87
16. सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा	8.77	...	8.77	6.11	...	6.11	6.11	...	6.11	...	...	...
17. यांत्रिक स्वच्छता परिवेश के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएएमएसटीई)	35.64	...	35.64	130.00	...	130.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
18. अटल बयो अभ्युदय योजना (एबीवाईएवाई)-सीएस												
18.01 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि को सहायता (एससीडब्ल्यूएफ)	262.01	...	262.01	289.69	...	289.69	289.69	...	289.69	385.00	...	385.00
18.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से पूरी की गई राशि	-262.01	...	-262.01	-289.69	...	-289.69	-289.69	...	-289.69	-385.00	...	-385.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-30.37	...	-30.37	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	838.91	29.51	868.42	1324.78	0.02	1324.80	992.42	0.02	992.44	1194.39	0.02	1194.41
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
20. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	34.50	...	34.50	35.00	...	35.00
21. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	18.00	...	18.00	22.00	...	22.00	18.00	...	18.00	19.00	...	19.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	48.00	...	48.00	57.00	...	57.00	52.50	...	52.50	54.00	...	54.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
22. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
23. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
24. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	...	...	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
अन्य												
25. अन्य विविध व्यय	7.00	...	7.00	8.50	...	8.50	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	55.00	...	55.00	65.50	0.03	65.53	59.50	0.03	59.53	60.50	0.03	60.53
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना												
26. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति	5581.49	...	5581.49	6360.00	...	6360.00	6000.00	...	6000.00	6360.00	...	6360.00
27. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति	461.66	...	461.66	577.96	...	577.96	577.96	...	577.96	577.96	...	577.96
28. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	736.28	...	736.28	2140.00	...	2140.00	1250.00	...	1250.00	2140.00	...	2140.00
29. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण	495.19	...	495.19	463.00	...	463.00	468.00	...	468.00	550.00	...	550.00
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना	7274.62	...	7274.62	9540.96	...	9540.96	8295.96	...	8295.96	9627.96	...	9627.96
अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम												
30. अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम												
30.01 अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	895.48	...	895.48	1250.00	...	1250.00	1000.00	...	1000.00	1300.00	...	1300.00
30.02 ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति	158.49	...	158.49	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	350.00	...	350.00
30.03 ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास	31.83	...	31.83	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	100.00	...	100.00
30.04 उच्च स्तरीय कॉलेज	216.95	...	216.95	500.00	...	500.00	220.00	...	220.00	550.00	...	550.00
30.05 उच्च स्तरीय स्कूल	30.55	...	30.55	100.00	...	100.00	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00
जोड़- अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम	1333.30	...	1333.30	2190.00	...	2190.00	1500.00	...	1500.00	2320.00	...	2320.00
31. अटल बयो अभ्युदय योजना (एबीवाईएवाई)												
31.01 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से सहायता	146.13	...	146.13	263.73	...	263.73	230.00	...	230.00	355.00	...	355.00
31.02 वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) से राशि को पूरा करना	-146.13	...	-146.13	-263.73	...	-263.73	-230.00	...	-230.00	-355.00	...	-355.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	268.32	...	268.32	333.00	...	333.00	420.00	...	420.00	333.00	...	333.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(एनएपीडीआईआर)												
जोड़-अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम	1601.62	...	1601.62	2523.00	...	2523.00	1920.00	...	1920.00	2653.00	...	2653.00
33. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-939.41	...	-939.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	7936.83	...	7936.83	12063.96	...	12063.96	10215.96	...	10215.96	12280.96	...	12280.96
कुल जोड़	8995.16	35.79	9030.95	13599.42	11.58	13611.00	11394.46	8.28	11402.74	13678.02	9.57	13687.59
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रि परिषद	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.01	...	0.01	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	1247.99	...	1247.99	2013.62	...	2013.62	1398.95	...	1398.95	1898.34	...	1898.34
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	241.03	...	241.03	393.38	...	393.38	425.51	...	425.51	384.87	...	384.87
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	75.31	...	75.31	65.21	...	65.21	65.21	...	65.21	67.19	...	67.19
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	29.51	29.51	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
6. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.28	6.28	...	11.53	11.53	...	8.23	8.23	...	9.52	9.52
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1564.33	35.79	1600.12	2472.21	11.58	2483.79	1889.67	8.28	1897.95	2350.40	9.57	2359.97
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	498.11	...	498.11	400.00	...	400.00	515.72	...	515.72
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7417.87	...	7417.87	10561.06	...	10561.06	9041.75	...	9041.75	10743.86	...	10743.86
9. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	12.95	...	12.95	68.00	...	68.00	63.00	...	63.00	68.00	...	68.00
जोड़-अन्य	7430.82	...	7430.82	11127.17	...	11127.17	9504.75	...	9504.75	11327.58	...	11327.58
कुल जोड़	8995.16	35.79	9030.95	13599.42	11.58	13611.00	11394.46	8.28	11402.74	13678.02	9.57	13687.59
										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और विकास निगम	...	731.63	731.63	0.01	968.23	968.24	0.01	781.63	781.64	0.01	831.63	831.64

												(₹ करोड़)			
				बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
जोड़	2.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम		...	255.10	255.10	0.01	15.25	15.26	0.01	16.30	16.31	0.01	18.00	18.01
	3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम		...	527.54	527.54	0.01	552.84	552.85	0.01	527.60	527.61	0.01	751.91	751.92
				...	1514.27	1514.27	0.03	1536.32	1536.35	0.03	1325.53	1325.56	0.03	1601.54	1601.57

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय पर स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु किया गया है।
4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हेतु किया गया है।
5. **विमुक्त, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह प्रावधान विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए किया गया है।
6. **राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने से संबंधित मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आयोग जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से है परंतु उन्होंने धर्म परवर्तन कर लिया है:** नए व्यक्तियों , जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं लेकिन समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत धर्म के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत आयोग।
8. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा यूवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (श्रेयस):** यह चार उप-योजनाओं सहित अंबरेला स्कीम है नामतः,

8.01. **एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेज में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और/या पीएचडी करने के लिए उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी यूजीसी है।

8.02. **एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करती है ताकि वे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिये सक्षम बन सकें।

- 8.03. **एससी के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** यह योजना उत्कृष्टता हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए शीर्ष श्रेणी के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस, जीविका व्यय, किताबें और कंप्यूटर के लिए बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती है।
- 8.04. **एससी के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति:** यह योजना अनुसूचित जातियों, गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री या पीएच.डी. जैसे उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकें।
9. **अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालय में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठा):** श्रेष्ठा का उद्देश्य विकास में सरकारी पहलों तक पहुंच को बढ़ाना और अनुसूचित जाति के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सेवा की कमी को पूरा करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान सहायता प्राप्त संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) के प्रयासों के माध्यम से तथा आवासीय उच्च विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जातियों (एस सी) के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।
10. **वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (वीआईएसवीएएस) योजना:** इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य सदृश वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के पात्र गरीब सदस्यों और विभाग के दोनों निगमों (एनबीसीएफडीसी और एनएसएफडीसी) के व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को कम दर पर ब्याज का लाभ प्रदान करना है ।
11. **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है ताकि इस प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सकें। इसके अलावा, बाजार में बेहतर प्रौद्योगिकियों के आने से वे कारीगर जो पहले के मुकाबलें अकुशल हो गए हैं, को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपेक्षाकृत नई प्रक्रियाओं को अपना सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। वर्ष 2026-27 से इस योजना को प्रधान मंत्री - कौशल विकास योजना के साथ मिला दिया गया।
12. **अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वेंचर पूंजी निधि:** यह योजना एससी और ओबीसी उद्यमियों को नए भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रोत्साहित करने और उन्हें देश के संसाधन जुटाने में सहायता करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की पहल है।

13. **अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा युवा एचीवर स्कीम छात्रवृत्ति (शेयस):** इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्येतावृत्ति (वित्तीय सहायता) प्रदान करके अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण है।

13.01. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/महाविद्यालयों में विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल/पीएचडी करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति मुहैया करना है।

13.02. **ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी:** यह योजना अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ब्याज सब्सिडी देना है। अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र विदेशों में अध्ययन के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋण पर अर्जित ब्याज पर सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं।

14. **डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड):** इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं i. डीएनटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना; ii. डीएनटी समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना iii. डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदाय संस्थाओं के छोटे समूहों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुगम बनाना; iv. डीएनटी समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

15. **बंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (स्माइल):** स्माइल केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक व्यापक उपाय शामिल किए गए हैं जो भीख मांगने के कार्य से जुड़े हुए हैं तथा उनके पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संयोजनों आदि पर काफी ध्यान दिया गया है। स्माइल में निम्नलिखित दो उप-योजनाएँ हैं:

15.01. **भिक्षावृत्ति से जुड़े व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास:** देश को भिक्षावृत्ति मुक्त भारत (भीख-मुक्त) बनाना और केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़े पैमाने पर आम-जन जैसे विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक कार्यनीति बनाना।

15.02. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास:** इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण स्कीम और कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है।

16. **सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा:** 'सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ' योजना का नाम बदलकर 'सूचना-निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए)' कर दिया गया है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं: i) सूचना प्रसार. ii) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा क्षेत्रीय स्तर के विवादों की निगरानी. iii) एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की निगरानी करना जिसका डिजाइन और रखरखाव प्रौद्योगिकी सेवा समूह (टीएसजी) द्वारा किया जाएगा। iv) केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) की स्थापना v) 5 वर्षों में एक बार विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन और अध्ययन। vi) हितधारकों पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदाय के माध्यम से योजना कार्यान्वयन की गहराई से जांच करके योजनाओं के परिणामों का सामाजिक लेखा परीक्षा।

17. **यांत्रिकृत स्वच्छता परिवेश के लिए राष्ट्रीय कार्य (एनएमएएसटीई):** यंत्रीकृत सफाई के लिए इकोसिस्टम में लाने के लिए नए सिरे से प्रयास करना।

18. **अटल बयो अभ्युदय योजना (एबीवाईएवाई)-सीएस:** यह योजना निम्न घटकों को कार्यान्वित करती है: (i) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), (ii) राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (iii) वरिष्ठ देखभाल एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजई) (iv) वृद्धावस्था देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण (v) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहलें

20. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** डॉ अंबेडकर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेशों में जनता के बीच डॉ अंबेडकर की विचारधारा और संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और कार्यकलापों का कार्यान्वयन शामिल है। फाउंडेशन को डॉ बी आर अंबेडकर के शताब्दी समारोह के दौरान पहचान की गई महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

21. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन है, जो सामाजिक रक्षा के क्षेत्र से संबंधित पहल के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान मुख्य रूप से राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसियों (जो पहले क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के रूप में जाना जाता था), स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, एनएसएस, एनवाईके, एसआईआरडी, पीआरआई, पुलिस अकादमियां और अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के कार्यों में कार्यरत है।

22. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

23. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

24. **राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को पूंजी प्रदान करने के लिए किया गया है।

25. **अन्य विविध व्यय:** इसका उद्देश्य उन बच्चों, जिन्होंने दोनों माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या दोनों जीवित माता-पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है, को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करना है।

26. **अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों के लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैट्रिक उपरांत या माध्यमिक स्तर के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, ताकि वे शिक्षा पूरी कर सकें।

27. **अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक परीक्षा से पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य बंचित श्रेणियों से संबंधित बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है जिससे उनकी शिक्षा के लिए मैट्रिक-पूर्व चरण में पढ़ने वाले बच्चों की भागीदारी में सुधार हो सके, इसकी उनकी ड्रॉप-आउट घटनाओं - विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्रारंभिक स्तर

तक परिवर्तन में द्वितीयक चरण - को न्यूनतम किया जा सके, वे बेहतर प्रदर्शन कर सके और शिक्षा में मैट्रिक के उपरांत चरण की ओर प्रगति करने में उनकी संभावना बेहतर हो सके।

28. **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय):** पीएमएजेवाई की योजना, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीए से एससीएसपी), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) के लिए मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता की 3 मौजूदा योजनाओं का विलय करती है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजन करके अनुसूचित जाति समुदायों और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसर रचना और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करके गरीबी को कम करना है।

29. **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढीकरण:** पी. सी. आर. अधिनियम, 1995 और एस. सी./एस. टी. (पी. ओ. ए.) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं: i) अंतरजातीय विवाह जहां पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो, ii) अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास, iii) अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना, iv) एस. सी./एस. टी. सुरक्षा प्रकोष्ठों और विशेष पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना v) जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना।

30. **अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट भारत प्रधानमंत्री यंग एचीवर छात्रवृत्ति पुरस्कार स्कीम:** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए पांच केंद्र प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति और ओबीसी के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की पांच उप-योजनाओं का ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) हेतु पीएम यंग एचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के साथ विलय कर दिया गया है।

30.01. **अन्य पिछड़े वर्ग, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को मैट्रिक/माध्यमिक चरण के बाद की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना है।

30.02. **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक - पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

30.03. **ओबीसी के लिए बाल और बालिका छात्रावास:** इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

30.04. **उच्च स्तरीय कॉलेज:** इस योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता और इसे बढ़ावा देना है। यह योजना बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को लाभान्वित करेगी।

30.05. **उच्च स्तरीय स्कूल:** इस योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करने तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके प्रीमियम शिक्षा प्रदान करना है।

31. **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईआई):** इस योजना के दो घटक हैं: (i) वरिष्ठ नागरिक गृहों, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों, डिमेंशिया/अल्जाइमर रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर देखभाल गृहों की सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)। ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) में पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति शामिल है। केन्द्रीय मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्यिक कार्य योजनाओं के सृजन और कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं की निधि का उपयोग करें।

32. **ड्रग की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर):** एनएपीडीडीआर केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है: i) निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं पर निर्भरशील व्यक्तियों के पुनर्वास, केंद्र और राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके देश में ड्रग की मांग में कमी करना ii) व्यक्ति, परिवार, कार्यस्थल और समाज में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजन करना और लोगों को शिक्षित करना और दवाओं पर निर्भरशील समूहों और व्यक्तियों को समाज में पुनः वापस लाने के लिए उन्हें समाज से जोड़ना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 94

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1112.60	0.01	1112.61	1273.80	1.20	1275.00	1290.40	1.20	1291.60	1668.35	1.37	1669.72
वसूलियां	-28.71	...	-28.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	1083.89	0.01	1083.90	1273.80	1.20	1275.00	1290.40	1.20	1291.60	1668.35	1.37	1669.72
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.92	0.01	32.93	36.80	1.00	37.80	36.80	1.00	37.80	39.63	1.17	40.80
2. विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) संबद्ध कार्यालय	...	...	...	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	32.91	0.01	32.92	36.80	1.20	38.00	36.80	1.20	38.00	39.63	1.37	41.00
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम												
4. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	348.81	...	348.81	316.70	...	316.70	330.60	...	330.60	375.00	...	375.00
5. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	139.39	...	139.39	165.00	...	165.00	145.00	...	145.00	167.00	...	167.00
6. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	44.16	...	44.16	115.10	...	115.10	200.00	...	200.00	125.00	...	125.00
जोड़-राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम	532.36	...	532.36	596.80	...	596.80	675.60	...	675.60	667.00	...	667.00
7. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	89.72	...	89.72	145.00	...	145.00	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00
8. दिव्यांगजन कौशल योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
9. दिव्यांगजन सहारा योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
10. वास्तविक वसूलियाँ (सीएस)	-28.70	...	-28.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	593.38	...	593.38	741.80	...	741.80	810.60	...	810.60	1117.00	...	1117.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. भारतीय पुनर्वास परिषद	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
13. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	12.89	...	12.89	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	32.50	...	32.50
14. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	409.21	...	409.21	430.19	...	430.19	381.44	...	381.44	439.21	...	439.21
15. राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00	31.56	...	31.56	35.00	...	35.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	457.60	...	457.60	495.20	...	495.20	443.00	...	443.00	511.72	...	511.72
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	457.60	...	457.60	495.20	...	495.20	443.00	...	443.00	511.72	...	511.72
कुल जोड़	1083.89	0.01	1083.90	1273.80	1.20	1275.00	1290.40	1.20	1291.60	1668.35	1.37	1669.72
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1059.76	...	1059.76	1172.62	...	1172.62	1178.04	...	1178.04	1553.32	...	1553.32
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	26.81	...	26.81	31.50	...	31.50	31.30	...	31.30	33.33	...	33.33
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01	0.01	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.37	1.37
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1086.57	0.01	1086.58	1204.12	1.20	1205.32	1209.34	1.20	1210.54	1586.65	1.37	1588.02
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	69.68	...	69.68	81.06	...	81.06	81.70	...	81.70
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-2.68	...	-2.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-2.68	...	-2.68	69.68	...	69.68	81.06	...	81.06	81.70	...	81.70
कुल जोड़	1083.89	0.01	1083.90	1273.80	1.20	1275.00	1290.40	1.20	1291.60	1668.35	1.37	1669.72

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	107.16	107.16	...	128.00	128.00	...	112.00	112.00	...	120.00	120.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	116.00	116.00	...	112.00	112.00	...	124.00	124.00	...	143.00	143.00
जोड़	...	223.16	223.16	...	240.00	240.00	...	236.00	236.00	...	263.00	263.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय के स्थापना संबंधी के लिए किया गया है।
2. **विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) संबद्ध कार्यालय:** यह प्रावधान दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) के स्थापना व्यय के लिए है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संबद्ध कार्यालय है।

4. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** यह प्रावधान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मजबूत, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता एवं उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है जो दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।
5. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** यह योजना शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वेच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू की जाती है।
6. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि सुलभ भारत अभियान और 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों, विशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त पहुंच के प्रावधान से संबंधित गतिविधियों, को सहायता प्रदान की जा सके।
7. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका अर्जित करने और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थान पाने के लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई और जीवन यापन करने में कई शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
8. **दिव्यांगजन कौशल योजना:** प्रासंगिक उद्योग और कास्टोमाइस्ड प्रशिक्षण के माध्यम से 20,000 दिव्यांगजनों के लिए बेहतर आजीविका संबंधी संभावनाएं सुनिश्चित करना, जो प्रत्येक दिव्यांगजन समूह के लिए विनिर्दिष्ट है।
9. **दिव्यांगजन सहारा योजना:** सहायक उपकरणों के उत्पादन संबंधी मानक को बढ़ाने और आरएंडडी में निवेश तथा एआई एकीकरण और पीएम दिव्यांग केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम को सहायता करना।
11. **राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगजन अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किया गया है।
12. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण में देश में समान मानकों को लागू करने के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है।
13. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
14. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** इसमें दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जाती हैं।
15. **राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता:** राष्ट्रीय न्यास विभाग का सांविधिक निकाय है जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन के लाभ के लिये राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरिक्ष विभाग

मांग संख्या 95

अंतरिक्ष विभाग

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	6988.67	4529.98	11518.65	7312.57	6103.63	13416.20	7138.73	5309.87	12448.60	7329.71	6375.92	13705.63
वसूलियां	-64.74	-504.51	-569.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	6923.93	4025.47	10949.40	7312.57	6103.63	13416.20	7138.73	5309.87	12448.60	7329.71	6375.92	13705.63
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	130.35	...	130.35	113.80	...	113.80	153.89	...	153.89	156.25	...	156.25
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	130.33	...	130.33	113.80	...	113.80	153.89	...	153.89	156.25	...	156.25
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय	206.17	8.35	214.52	203.19	11.86	215.05	178.85	9.10	187.95	178.33	16.24	194.57
3. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस)	25.98	15.38	41.36	37.25	32.75	70.00	33.55	11.45	45.00	30.07	12.93	43.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	362.48	23.73	386.21	354.24	44.61	398.85	366.29	20.55	386.84	364.65	29.17	393.82
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	4822.10	4018.62	8840.72	4842.30	5387.91	10230.21	4847.49	4754.49	9601.98	4907.31	5489.75	10397.06
	-64.72	-504.51	-569.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	4757.38	3514.11	8271.49	4842.30	5387.91	10230.21	4847.49	4754.49	9601.98	4907.31	5489.75	10397.06
5. अंतरिक्ष अनुप्रयोग	1249.68	313.22	1562.90	1403.12	303.67	1706.79	1281.83	314.44	1596.27	1364.14	360.92	1725.06
6. अंतरिक्ष विज्ञान	72.08	35.85	107.93	126.82	244.18	371.00	85.67	98.95	184.62	141.45	428.31	569.76
7. इन्सैट उपग्रह प्रणालियां	37.57	138.56	176.13	83.75	123.25	207.00	84.51	121.44	205.95	63.17	67.76	130.93
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	6116.71	4001.74	10118.45	6455.99	6059.01	12515.00	6299.50	5289.32	11588.82	6476.07	6346.74	12822.81
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.)	128.29	...	128.29	150.00	...	150.00	144.60	...	144.60	147.50	...	147.50
9. पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-सैक)	38.21	...	38.21	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
10. राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.)	45.63	...	45.63	55.34	...	55.34	49.80	...	49.80	53.00	...	53.00

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.)	229.08	...	229.08	240.00	...	240.00	233.54	...	233.54	235.06	...	235.06
जोड़-स्वायत्त निकाय	441.21	...	441.21	495.34	...	495.34	467.94	...	467.94	480.56	...	480.56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
12. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.)	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
अन्य												
13. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3.53	...	3.53	7.00	...	7.00	5.00	...	5.00	8.43	...	8.43
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	444.74	...	444.74	502.34	0.01	502.35	472.94	...	472.94	488.99	0.01	489.00
कुल जोड़	6923.93	4025.47	10949.40	7312.57	6103.63	13416.20	7138.73	5309.87	12448.60	7329.71	6375.92	13705.63
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	6793.60	...	6793.60	7198.77	...	7198.77	6984.84	...	6984.84	7173.46	...	7173.46
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	130.33	...	130.33	113.80	...	113.80	153.89	...	153.89	156.25	...	156.25
3. अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	4025.47	4025.47	...	6103.63	6103.63	...	5309.87	5309.87	...	6375.92	6375.92
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6923.93	4025.47	10949.40	7312.57	6103.63	13416.20	7138.73	5309.87	12448.60	7329.71	6375.92	13705.63
कुल जोड़	6923.93	4025.47	10949.40	7312.57	6103.63	13416.20	7138.73	5309.87	12448.60	7329.71	6375.92	13705.63
										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड												
1. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	...	706.20	706.20	...	1030.00	1030.00	...	1030.00	1030.00	...	1403.00	1403.00
जोड़-न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	...	706.20	706.20	...	1030.00	1030.00	...	1030.00	1030.00	...	1403.00	1403.00
जोड़	...	706.20	706.20	...	1030.00	1030.00	...	1030.00	1030.00	...	1403.00	1403.00

1.

सचिवालय: आर्थिक सेवाएँ: यह प्रावधान अंतरिक्ष विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
2.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय: इसरो मुख्यालय: इसके अंतर्गत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय के व्यय, स्पेसनेट संवर्धन की स्थापना, सम्मेलनों, संगोष्ठी, क्षमता निर्माण तथा संपर्क कार्यक्रमों की सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं।
3.

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस): इन-स्पेस: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र एकल विंडो नोडल एजेंसी है, जो गैर सरकारी निजी इकाइयों के क्रिया-कलापों की अनुमति प्रदान करेगा तथा उसका निरीक्षण करेगा, जिसमें प्रमोचक रॉकेटों तथा उपग्रहों का निर्माण, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को प्रदान करना, परीक्षण सुविधा केन्द्रों को साझा करना तथा उड़ान केंद्र की स्थापना आदि शामिल है।

4. **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** इसके अंतर्गत, विभिन्न इसरो केन्द्रों नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट, द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, यू.आर. राव उपग्रह केंद्र, विद्युत-प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा कमांड नेटवर्क, मुख्य नियंत्रण सुविधा एवं समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के क्रिया-कलापों, इसरो केंद्रों में सामान्य सिविल कार्य एवं आवासीय कार्यों, विभाग द्वारा शुरू की गई विकासात्मक एवं प्रचालनात्मक परियोजनाओं सहित प्रमोचक रॉकेट परियोजनाओं तथा उपग्रह परियोजनाओं जैसी विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

5. **अंतरिक्ष अनुप्रयोग:** इसके अंतर्गत, इसरो केन्द्रों नामतः अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, विकास तथा शैक्षिक संचार इकाई, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, भू-प्रेक्षण अनुप्रयोग मिशन एवं आपदा प्रबंधन सहायता सहित विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोग परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

6. **अंतरिक्ष विज्ञान:** इसके तहत, इसरो द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के व्यय के लिए प्रावधान शामिल किया गया है जिसमें शिक्षा और उद्योग में प्रायोजित अनुसंधान, संवेदक पेलोड विकास/ग्रह विज्ञान कार्यक्रम, जलवायु और वायुमंडलीय कार्यक्रम, अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह अन्वेषण मिशन शामिल हैं।

7. **इन्सैट उपग्रह प्रणालियां:** इनसैट उपग्रह प्रणालियां: इसके अंतर्गत, विभिन्न इनसैट/जीसैट श्रेणी के उपग्रहों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें ट्रांसपोंडरों को पट्टे पर देने पर सेवा शुल्क का व्यय शामिल है।

8. **भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.):** आईआईएसटी, अंतरिक्ष विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है, जिसका उद्देश्य उन्नत अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थान का निर्माण करना और डीओएस/इसरो के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली मानव संसाधन तैयार करना है। इस संस्थान में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

9. **पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-सैक):** एनई-सैक की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद के साथ संयुक्त रूप से स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई है, जो सुदूर संवेदन और उपग्रह संचार के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इनपुट का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और निगरानी, अवसंरचना विकास की योजना और इंटरैक्टिव प्रशिक्षण पर सूचना प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता कर रहा है।

10. **राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन.ए.आर.एल.):** एन.ए.आर.एल., जो एक पंजीकृत सोसाइटी है और जो वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान तथा संबंधित विषयों में उन्नत अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है।

11. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.):** पी.आर.एल. सहायता अनुदान के माध्यम से अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त-पोषित स्वायत्त संस्था है, जो देश में परीक्षाणात्मक एवं सैद्धांतिक भौतिकी तथा भू-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाली अग्रणी अनुसंधान संस्था है। पी.आर.एल., उदयपुर सौर वेधशाला के प्रशासनिक कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

12. **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एन.एस.आई.एल.):** एन. एस. आई. एल. की स्थापना अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों का दोहन करने के लिए की गई है। कंपनी प्रक्षेपण वाहनों के उत्पादन, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और अंतरिक्ष उत्पादों के विपणन सहित विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के व्यावसायीकरण का नेतृत्व करेगी।

13. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा एशिया एवं प्रशांत सागर में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण केंद्र के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 96

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3990.72	30.02	4020.74	5426.19	44.87	5471.06	5492.25	59.04	5551.29	5457.75	45.14	5502.89
वसूलियां	-1.46	...	-1.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3989.26	30.02	4019.28	5426.19	44.87	5471.06	5492.25	59.04	5551.29	5457.75	45.14	5502.89
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	38.13	0.12	38.25	42.11	0.24	42.35	40.35	0.11	40.46	42.07	0.39	42.46
2. संबद्ध कार्यालय												
2.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन	69.57	...	69.57	75.49	...	75.49	74.84	...	74.84	77.63	...	77.63
2.02 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	451.99	0.30	452.29	486.09	0.48	486.57	504.17	0.18	504.35	527.94	0.61	528.55
जोड़- संबद्ध कार्यालय	521.56	0.30	521.86	561.58	0.48	562.06	579.01	0.18	579.19	605.57	0.61	606.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	559.69	0.42	560.11	603.69	0.72	604.41	619.36	0.29	619.65	647.64	1.00	648.64
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	2601.52	0.08	2601.60	3952.00	0.25	3952.25	3941.23	0.25	3941.48	3952.05	0.20	3952.25
4. क्षमता विकास (सीडी)												
4.01 सीएसओ और एनएसएस का क्षमता विकास	477.58	29.52	507.10	506.10	43.90	550.00	575.77	58.50	634.27	508.07	43.93	552.00
4.02 आर्थिक गणना	...	...	...	0.01	...	0.01	0.73	...	0.73	2.99	0.01	3.00
4.03 सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता	9.16	...	9.16	15.00	...	15.00	25.77	...	25.77	15.00	...	15.00
जोड़- क्षमता विकास (सीडी)	486.74	29.52	516.26	521.11	43.90	565.01	602.27	58.50	660.77	526.06	43.94	570.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	3088.26	29.60	3117.86	4473.11	44.15	4517.26	4543.50	58.75	4602.25	4478.11	44.14	4522.25
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई)	342.77	...	342.77	349.39	...	349.39	329.39	...	329.39	332.00	...	332.00
अन्य												
6. वास्तविक वसूलियां	-1.46	...	-1.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	341.31	...	341.31	349.39	...	349.39	329.39	...	329.39	332.00	...	332.00
कुल जोड़	3989.26	30.02	4019.28	5426.19	44.87	5471.06	5492.25	59.04	5551.29	5457.75	45.14	5502.89
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	6.21	...	6.21	6.78	...	6.78	6.56	...	6.56	6.82	...	6.82
जोड़-सामान्य सेवाएं	6.21	...	6.21	6.78	...	6.78	6.56	...	6.56	6.82	...	6.82
आर्थिक सेवाएं												
2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2601.52	...	2601.52	3952.00	...	3952.00	3941.23	...	3941.23	3952.05	...	3952.05
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	31.87	...	31.87	35.33	...	35.33	33.79	...	33.79	35.25	...	35.25
4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1350.29	...	1350.29	1413.43	...	1413.43	1491.89	...	1491.89	1445.61	...	1445.61
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	30.02	30.02	...	44.87	44.87	...	59.04	59.04	...	45.14	45.14
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3983.68	30.02	4013.70	5400.76	44.87	5445.63	5466.91	59.04	5525.95	5432.91	45.14	5478.05
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	18.65	...	18.65	18.78	...	18.78	18.02	...	18.02
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.63	...	-0.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-0.63	...	-0.63	18.65	...	18.65	18.78	...	18.78	18.02	...	18.02
कुल जोड़	3989.26	30.02	4019.28	5426.19	44.87	5471.06	5492.25	59.04	5551.29	5457.75	45.14	5502.89

1.

सचिवालय: यह प्रावधान सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए किया गया है।
2.

संबद्ध कार्यालय: मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है जिसका नाम केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) है और एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है। इसमें सीएसओ के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय खातों की मानकीकरण, प्रस्तुतिकरण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण सहित पद्धतिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसमें सीएसओ के विभागीय कैटीन के वेतन संबंधी व्यय, अंतर्राष्ट्रीय अंशदान और राष्ट्रीय आय और धन में अनुसंधान के लिए भारतीय संघ को अनुदान सहायता को पूरा करने के लिए भी प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए प्रावधान भी शामिल है जो नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में डेटा संबंधी अंतर को पूरा करने के लिए तैयार किए गए डेटा संग्रह के उपयुक्त और मौलिक संबद्ध कार्यक्रमों के विकास से जुड़ा है। यह डेटा के पूरक संग्रह द्वारा अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों की ओर से डेटा एकत्र और सारणीबद्ध भी करता है।
3.

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी): यह प्रावधान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए किया गया है।
4.

क्षमता विकास (सीडी): क्षमता विकास अंबरेला योजना है जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ और अन्य दो उप-योजनाओं, आर्थिक जनगणना और सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता की आवश्यकता को शामिल किया गया है।
5.

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई): भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वायत्त संस्थान है, को सहायता अनुदान के तहत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व वाला संस्थान है।

इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 97

इस्पात मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	109.77	8429.30	8539.07	364.22	2997.78	3362.00	1837.66	3019.78	4857.44	439.84	3.34	443.18
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	-1585.00	...	-1585.00	...	...	...
निवल	109.77	8429.30	8539.07	364.22	2997.78	3362.00	252.66	3019.78	3272.44	439.84	3.34	443.18
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	41.95	6.30	48.25	43.86	2.78	46.64	43.39	2.76	46.15	43.44	3.34	46.78
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. भारत में विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	52.20	...	52.20	305.00	...	305.00	192.50	...	192.50	380.00	...	380.00
3. लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
4. भारत में वाणिज्यिक पोतों का आरंभ	8.86	...	8.86	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	66.06	...	66.06	318.00	...	318.00	205.50	...	205.50	393.00	...	393.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
5. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	...	8423.00	8423.00	...	2995.00	2995.00	...	3017.01	3017.01	...	...	...
6. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)	...	...	...	...	...	...	1585.00	...	1585.00	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	-1585.00	...	-1585.00	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	8423.00	8423.00	...	2995.00	2995.00	...	3017.01	3017.01	...	...	...
अन्य												
7. अन्य कार्यक्रम	1.76	...	1.76	2.36	...	2.36	3.77	0.01	3.78	3.40	...	3.40
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1.76	8423.00	8424.76	2.36	2995.00	2997.36	3.77	3017.02	3020.79	3.40	...	3.40
कुल जोड़	109.77	8429.30	8539.07	364.22	2997.78	3362.00	252.66	3019.78	3272.44	439.84	3.34	443.18

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	67.82	...	67.82	320.36	...	320.36	209.27	...	209.27	396.40	...	396.40
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	41.95	...	41.95	43.86	...	43.86	43.39	...	43.39	43.44	...	43.44
3. लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	7283.00	7283.00	...	2995.00	2995.00	...	3017.02	3017.02	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.30	6.30	...	2.78	2.78	...	2.76	2.76	...	3.34	3.34
5. लौह और इस्पात उद्योगों के लिए ऋण	...	1140.00	1140.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आर्थिक सेवाएं	109.77	8429.30	8539.07	364.22	2997.78	3362.00	252.66	3019.78	3272.44	439.84	3.34	443.18
कुल जोड़	109.77	8429.30	8539.07	364.22	2997.78	3362.00	252.66	3019.78	3272.44	439.84	3.34	443.18

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	...	5879.00	5879.00	...	7500.00	7500.00	...	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	8423.00	234.46	8657.46	2995.00	300.00	3295.00	3017.01	545.00	3562.01	...	100.00	100.00
3. एन एम डी सी लिमिटेड	...	3741.00	3741.00	...	3517.00	3517.00	...	6000.00	6000.00	...	9000.00	9000.00
4. के आई ओ सी एल लिमिटेड	...	27.34	27.34	...	137.00	137.00	...	131.00	131.00	...	100.00	100.00
5. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	...	321.94	321.94	...	275.50	275.50	...	600.00	600.00	...	800.00	800.00
6. मेकॉन लिमिटेड	...	14.49	14.49	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
7. एमएसटीसी लिमिटेड	...	24.60	24.60	...	10.00	10.00	...	32.00	32.00	...	10.00	10.00
8. कैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	...	7.26	7.26	...	18.00	18.00	...	...	...	...	...	...
9. एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	...	281.17	281.17	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	100.00	100.00
10. सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	...	0.38	0.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. द ओ एम डी सी लिमिटेड	...	121.67	121.67	...	...	...	...	6.86	6.86	...	...	...
जोड़	8423.00	10653.31	19076.31	2995.00	11922.50	14917.50	3017.01	17479.86	20496.87	...	25125.00	25125.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।
2. **भारत में विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** विशिष्ट ग्रेड के इस्पात के लिए पीएलआई स्कीम का उद्देश्य देश के भीतर इस तरह की श्रेणियों के इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। पीएलआई प्रोत्साहन से विशिष्ट इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और देश में विशिष्ट इस्पात के उत्पादन के लिए पर्याप्त निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

3. **लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना:** इस्पात मंत्रालय लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन स्कीम के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4. **भारत में वाणिज्यिक पोतों का आरंभ:** आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई द्वारा दी गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

5. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):** आरआईएनएल में इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में निधि डालने का प्रावधान किया गया है।

6. **हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल):** जोखिम वाले ऋणों के कारण एच. एस. सी. एल. के संचित नुकसान, इन ऋणों पर उपार्जित व्याज और लंबित गारंटी शुल्क को इक्विटी में परिवर्तित करने और इस्पात मंत्रालय की लेखा बहियों से बढ़ी हुई इक्विटी को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है। इसमें कोई निवल नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट धातुकर्मियों को दिए जाने वाले पुरस्कार, ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क के भुगतान, विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रावधान किया गया है और मंत्रालय के वित्त लेखा में बही-खाता समायोजन के लिए प्रावधान शामिल हैं।

वस्त्र मंत्रालय

मांग संख्या 98

वस्त्र मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2956.05	42.42	2998.47	5252.89	19.11	5272.00	5748.14	18.54	5766.68	5269.52	9.49	5279.01
वसूलियां	-60.68	...	-60.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2895.37	42.42	2937.79	5252.89	19.11	5272.00	5748.14	18.54	5766.68	5269.52	9.49	5279.01
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	51.62	2.27	53.89	54.30	2.70	57.00	52.75	3.20	55.95	55.77	2.61	58.38
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	51.61	2.27	53.88	54.30	2.70	57.00	52.75	3.20	55.95	55.77	2.61	58.38
2. वस्त्र आयुक्त	53.94	0.52	54.46	51.52	0.48	52.00	53.02	0.22	53.24	53.84	0.43	54.27
3. जूट आयुक्त	15.62	0.01	15.63	15.57	0.43	16.00	17.00	0.43	17.43	19.43	0.41	19.84
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)	102.36	14.18	116.54	100.50	14.50	115.00	111.55	13.00	124.55	121.71	4.44	126.15
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	90.69	0.94	91.63	103.00	1.00	104.00	103.25	1.69	104.94	108.90	1.60	110.50
6. निर्यात संवर्धन अध्ययन और गतिविधियां	39.55	...	39.55	48.60	...	48.60	30.80	...	30.80	31.07	...	31.07
7. सीओपी और सीओपी जूट	0.13	...	0.13	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	353.90	17.92	371.82	373.69	19.11	392.80	368.57	18.54	387.11	390.92	9.49	400.41
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
8. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)	414.75	...	414.75	635.00	...	635.00	449.99	...	449.99	0.03	...	0.03
9. कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	...	...	...	0.01	...	0.01	1718.57	...	1718.57	0.01	...	0.01
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	193.10	...	193.10	200.00	...	200.00	234.84	...	234.84	205.00	...	205.00
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
11. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	159.68	...	159.68	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00	205.00	...	205.00
12. हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	24.24	...	24.24	60.00	...	60.00	40.00	...	40.00	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	183.92	...	183.92	260.00	...	260.00	265.00	...	265.00	205.00	...	205.00
ऊनी वस्त्र का विकास												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
13. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	12.98	...	12.98	18.28	...	18.28	25.80	...	25.80	20.00	...	20.00
रेशम वस्त्र का विकास												
14. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	945.56	...	945.56	956.84	...	956.84	854.34	...	854.34	960.00	...	960.00
जूट उद्योग का विकास												
15. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	60.00	...	60.00	90.00	...	90.00	75.00	...	75.00	95.00	...	95.00
16. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सत्सिडी	31.13	...	31.13	38.00	...	38.00	32.10	...	32.10	40.00	...	40.00
जोड़-जूट उद्योग का विकास	91.13	...	91.13	128.00	...	128.00	107.10	...	107.10	135.00	...	135.00
वस्त्र अवसंरचना												
17. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	14.30	...	14.30	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	16.00	...	16.00
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
18. वस्त्र हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	44.53	...	44.53	1148.00	...	1148.00	400.00	...	400.00	405.00	...	405.00
19. एकीकृत कौशल विकास योजना	258.94	...	258.94	330.00	...	330.00	260.00	...	260.00	299.96	...	299.96
20. वस्त्र अनुसंधान एवं विकास	3.22	...	3.22	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
21. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	74.20	...	74.20	370.00	...	370.00	300.00	...	300.00	256.00	...	256.00
22. वस्त्र क्लस्टर विकास योजना	30.82	...	30.82	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	411.71	...	411.71	1948.00	...	1948.00	1010.01	...	1010.01	1060.97	...	1060.97
23. पीएम-मित्र	0.01	24.50	24.51	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
24. हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन योजना	6.73	...	6.73	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
25. कच्चा माल आपूर्ति योजना	172.16	...	172.16	190.99	...	190.99	193.00	...	193.00	200.00	...	200.00
26. वस्त्र पर ध्यान देते हुए अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और संवर्धन योजना (टेक्स-रैंपस)	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00	50.00	...	50.00
27. एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1500.00	...	1500.00
28. वास्तविक वसूलियाँ	-60.67	...	-60.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2385.68	24.50	2410.18	4659.12	...	4659.12	5100.65	...	5100.65	4659.01	...	4659.01
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
29. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	62.96	...	62.96	150.00	...	150.00	122.00	...	122.00	125.00	...	125.00
30. वस्त्र समिति को सहायता	51.37	...	51.37	42.07	...	42.07	40.00	...	40.00	56.88	...	56.88
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	114.33	...	114.33	192.07	...	192.07	162.00	...	162.00	181.88	...	181.88
स्वायत्त निकाय												
31. टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	25.00	...	25.00
32. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	6.80	...	6.80	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
33. सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	24.30	...	24.30	26.50	...	26.50	28.50	...	28.50	36.50	...	36.50

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
34. पीएसयू को सहायता	16.00	...	16.00	0.01	...	0.01	87.42	...	87.42	0.01	...	0.01
अन्य												
35. अंतरराष्ट्रीय कपास संस्थान एवं कपास सलाहकार समिति को अंशदान	1.16	...	1.16	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	1.20	...	1.20
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	155.79	...	155.79	220.08	...	220.08	278.92	...	278.92	219.59	...	219.59
कुल जोड़	2895.37	42.42	2937.79	5252.89	19.11	5272.00	5748.14	18.54	5766.68	5269.52	9.49	5279.01
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1701.41	...	1701.41	1722.72	...	1722.72	1684.94	...	1684.94	1698.72	...	1698.72
2. उद्योग	1142.35	...	1142.35	3350.98	...	3350.98	3883.61	...	3883.61	3369.14	...	3369.14
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	51.61	...	51.61	54.30	...	54.30	52.75	...	52.75	55.77	...	55.77
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	39.62	39.62	...	15.50	15.50	...	14.69	14.69	...	6.04	6.04
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.80	2.80	...	3.61	3.61	...	3.85	3.85	...	3.45	3.45
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2895.37	42.42	2937.79	5128.00	19.11	5147.11	5621.30	18.54	5639.84	5123.63	9.49	5133.12
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	124.89	...	124.89	126.84	...	126.84	145.89	...	145.89
जोड़-अन्य	...	...	...	124.89	...	124.89	126.84	...	126.84	145.89	...	145.89
कुल जोड़	2895.37	42.42	2937.79	5252.89	19.11	5272.00	5748.14	18.54	5766.68	5269.52	9.49	5279.01

3. **जूट आयुक्त:** यह प्रावधान जूट आयुक्त के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। यह भारत में जूट उद्योग के विकास की देखरेख करता है और जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का प्रशासन भी करता है, जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे जूट एवं जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **विकास आयुक्त (हथकरघा):** व्यय विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के स्थापना व्यय से संबंधित है। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है।

5. **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प):** व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय के स्थापना व्यय से संबंधित है। यह हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने, विकसित करने, बढ़ाने और विभिन्न विभागीय योजनाओं को लागू करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कार्य करता है।

6. **निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां:** यह प्रावधान स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसका कार्य निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श करना, वस्त्र और वस्त्र मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और डेटा संग्रह करना है।

7. **सीओपी और सीओपी जूट:** भुगतान आयुक्त एवं जूट कंपनियों के भुगतान आयुक्त के स्थापना व्यय।

8. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):** इस योजना में उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनाई, प्रसंस्करण, तकनीकी वस्त्र, वस्त्र और अधिक के लिए नई मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करके कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए एकमुश्त ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

9. **कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और एमएसपी पर कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण यदि कोई हानि होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

10. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** इस योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाक्लस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल हैं।

11. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों और कारीगरों का विकास।

12. **हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** यह योजना बाजार संपर्क और उत्पाद विविधीकरण के साथ हस्तशिल्प समूहों में बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करती है।

13. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान ऊन उद्योग और ऊन उत्पादकों को उत्पाद और प्रौद्योगिकी को गुणात्मक रूप से उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करने, ऊन प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने जैसे स्कौरिंग, कार्बोनाइज़िंग, कार्डिंग, डाइंग, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनरी/पौधों का आधुनिकीकरण करने, लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने, अपने ऊन उत्पादकों को लाभकारी रिटर्न प्रदान करने

और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसी गतिविधियों के लिए है। ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक खर्च भी इसके तहत शामिल हैं।

14. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास, उत्पादन और विपणन में सहायता करता है। बोर्ड रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान भी करता है।

15. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** इस योजना में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान है। यह व्यय पहले जूट उपकर संग्रह के लिए किए गए भुगतान से पूरा किया जा रहा था।

16. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाने के लिए जैसीआई को सहायता।

17. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना।

18. **वस्त्र हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है।

19. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** यह योजना कपड़ा और संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और श्रमिकों की नियुक्ति पर केंद्रित है।

20. **वस्त्र अनुसंधान एवं विकास:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

21. **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** इस योजना का उद्देश्य तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना है ताकि बाजार में इसकी पैठ के स्तर को बढ़ाया जा सके और इस क्षेत्र में कुशल और शिक्षित मानव शक्ति का सृजन किया जा सके।

22. **टेक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य मौजूदा और संभावित कपड़ा इकाइयों के लिए एकीकृत कार्यस्थल और संपर्क आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर कपड़ा समूहों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाना है।

23. **पीएम-मित्र:** इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में बड़े, विश्व स्तरीय एकीकृत कपड़ा पार्क विकसित करना, फाइबर से लेकर तैयार परिधान तक एंड-टू-एंड टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना है, जो 5एफ विजन यानी फार्म से फाइबर तक फैक्टरी से फैशन से विदेशी तक से प्रेरित है।

24. **हथकरघा संरक्षण और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 कार्यान्वयन स्कीम:** इस अधिनियम को देश में हथकरघा बुनकरों के हितों को पावरलूम और मिल क्षेत्र के अतिक्रमण से बचाने के लिए लागू किया गया था। अधिनियम के तहत, हथकरघा क्षेत्र को हथकरघा द्वारा विशेष उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ कपड़ा वस्तुओं को आरक्षित करके संरक्षण दिया जाता है।

25. **कच्चा माल आपूर्ति योजना:** कच्चा माल की आपूर्ति योजना (एनएचडीपी) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए है।

26. **वस्त्र पर ध्यान देते हुए अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और संवर्धन योजना (टेक्स-रैंपस):** अनुसंधान, आंकलन और मूल्यांकन अध्ययन तथा निगरानी एवं सांख्यिकी प्रणाली के साथ-साथ स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना।

27. **एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम:** इस योजना में निम्नलिखित 5 उप-भाग शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय फाइबर मिशन, (ii) वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना (टीईईएम), (iii) भारतीय हस्तकृत और मानव लूनजी उत्कृष्टता, (iv) सतत वस्त्र हेतु टेक्स इको मिशन, और (v) समर्थ 2.0।

29. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत स्थापित भारत का प्रमुख फैशन शिक्षा संस्थान है।

30. **वस्त्र समिति को सहायता:** यह कपड़ा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है जो घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए भारत के भीतर कपड़ा और कपड़ा मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधारने के लिए जिम्मेदार है।

31. **टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए:** वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) संस्थानों आदि के आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए जूट उद्योग अनुसंधान संघ का प्रशासनिक व्यय।

32. **भारतीय कालीन (कारपेट) प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** कालीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और संस्थागत खर्चों के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)।

33. **सरदार बल्लभभाई पटेल टेक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता:** यह प्रावधान कोयंबटूर में सरदार बल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) के लिए है, जिसकी स्थापना वैश्विक मानकों के साथ देश में कपड़ा और प्रबंधन में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि कपड़ा उद्योग में पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके है।

34. **पीएसयू को सहायता:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वीआरएस के कार्य प्रचालन और अनुदान को समाप्त करने के लिए।

पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 99

पर्यटन मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	453.18	4.17	457.35	2534.94	6.13	2541.07	1304.17	6.13	1310.30	2433.88	4.53	2438.41
वसूलियां	-293.28	...	-293.28	-0.01	...	-0.01	...	...	...	-0.01	...	-0.01
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	159.90	4.17	164.07	2534.93	6.13	2541.06	1304.17	6.13	1310.30	2433.87	4.53	2438.40
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	11.07	...	11.07	12.14	...	12.14	14.37	...	14.37	12.33	...	12.33
2. पर्यटन महानिदेशक	88.81	4.17	92.98	92.78	6.13	98.91	109.76	6.13	115.89	86.53	4.53	91.06
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	99.88	4.17	104.05	104.92	6.13	111.05	124.13	6.13	130.26	98.86	4.53	103.39
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पर्यटन अवसंरचना												
3. विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन)	59.25	...	59.25	1900.00	...	1900.00	517.00	...	517.00	1905.00	...	1905.00
4. तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)	80.93	...	80.93	240.00	...	240.00	132.00	...	132.00	245.00	...	245.00
5. पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता	27.48	...	27.48	90.00	...	90.00	29.00	...	29.00	86.50	...	86.50
6. चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना	...	...	...	0.03	...	0.03	287.56	...	287.56	...	...	...
जोड़-पर्यटन अवसंरचना	167.66	...	167.66	2230.03	...	2230.03	965.56	...	965.56	2236.50	...	2236.50
संवर्धन एवं प्रचार												
7. बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार	31.99	...	31.99	3.07	...	3.07	43.48	...	43.48	3.50	...	3.50
8. बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	89.03	...	89.03	136.90	...	136.90	60.00	...	60.00	...	...	...
जोड़-संवर्धन एवं प्रचार	121.02	...	121.02	139.97	...	139.97	103.48	...	103.48	3.50	...	3.50
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास												
9. आई.एच.एम/ एंफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम/ एन. आई.डब्ल्यू.एस. को सहायता	24.40	...	24.40	35.00	...	35.00	31.00	...	31.00	45.00	...	45.00
10. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	29.68	...	29.68	25.00	...	25.00	80.00	...	80.00	50.00	...	50.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	54.08	...	54.08	60.00	...	60.00	111.00	...	111.00	95.00	...	95.00
11. वसूलियाँ	-288.01	...	-288.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	54.75	...	54.75	2430.00	...	2430.00	1180.04	...	1180.04	2335.00	...	2335.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
12. महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल												
12.01 निर्भया निधि में अंतरण	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
12.02 कार्यक्रम घटक	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
12.03 निर्भया निधि से राशि को पूरा करना	-5.27	...	-5.27	-0.01	...	-0.01	...	...	...	-0.01	...	-0.01
निवल	5.27	...	5.27	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
कुल जोड़	159.90	4.17	164.07	2534.93	6.13	2541.06	1304.17	6.13	1310.30	2433.87	4.53	2438.40
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	...	...	...	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
जोड़-सामान्य सेवाएं	...	...	...	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
सामाजिक सेवाएं												
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
आर्थिक सेवाएं												
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	11.07	...	11.07	12.14	...	12.14	14.37	...	14.37	12.33	...	12.33
4. पर्यटन	148.83	...	148.83	2282.53	...	2282.53	1171.53	...	1171.53	2187.68	...	2187.68
5. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.17	4.17	...	6.13	6.13	...	6.13	6.13	...	4.53	4.53
जोड़-आर्थिक सेवाएं	159.90	4.17	164.07	2294.67	6.13	2300.80	1185.90	6.13	1192.03	2200.01	4.53	2204.54
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	240.00	...	240.00	118.01	...	118.01	233.60	...	233.60
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	...	...	...	240.00	...	240.00	118.01	...	118.01	233.60	...	233.60
कुल जोड़	159.90	4.17	164.07	2534.93	6.13	2541.06	1304.17	6.13	1310.30	2433.87	4.53	2438.40
												(₹ करोड़)

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2026-2027													341
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	82.94	82.94	...	70.42	70.42	...	97.40	97.40	...	...	...	...
2. कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्रा.लि.	...	12.40	12.40	...	10.00	10.00	...	13.64	13.64	...	15.00	15.00	...
जोड़	...	95.34	95.34	...	80.42	80.42	...	111.04	111.04	...	15.00	15.00	...

- सचिवालय:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।
- पर्यटन महानिदेशक:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय और इसके तहत क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों की स्थापना पर व्यय को पूरा करने के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटक सूचना का प्रसारण, पर्यटन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, यात्रा उद्योग के विभिन्न खंडों का विनियमन जैसे होटल, यात्रा एजेंट, गाइड आदि हैं। इसमें बेहतर पर्यटन सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का प्रावधान भी शामिल है।
- विशिष्ट विषयों पर आधारित पर्यटन सर्किट का समन्वित विकास (स्वदेश दर्शन):** इस योजना का उद्देश्य उच्च पर्यटक मूल्य के सिद्धांत पर विषय आधारित पर्यटक सर्किट का विकास करना, पर्यटन अनुभव और रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकता और धारणा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास से एकीकृत रूप में प्रतिस्पर्धात्मक और संधारणीयता विकसित करना है। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 थीमेटिक सर्किटों को शामिल करते हुए 76 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय नेस्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 53 परियोजनाओं की स्वीकृत किया है। साथ ही, चुनौती आधारित गंतव्य विकास के तहत 36 परियोजनाओं को भी स्वीकृत किया गया है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।
- तीर्थयात्रा पुनरोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद):** प्रसाद योजना का उद्देश्य पर्यटकों के धार्मिक/आध्यात्मिक और विरासत अनुभवों को समृद्ध करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और सरोकारों पर ध्यान देते हुए प्रयासों में तालमेल कायम करके एकीकृत तरीके से अधिक पर्यटक यात्राओं, प्रतिस्पर्धात्मक एवं संधारणीयता के सिद्धांतों पर तीर्थ तथा विरासत पर्यटक गंतव्यों की पहचान करना और उनका विकास करना है।
- पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों हेतु सहायता:** पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास इसके लक्षित उद्देश्यों तथा समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसमुदाय सृजित कर सकता है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से कई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पत्तन न्यास, आईटीडीसी, आदि जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में हैं। अतः विकास के पश्चात विशेषज्ञता और अनुरक्षण तथा प्रबंधन के अनुभव की अभिसारिता की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने तथा केन्द्रीय अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय अभिकरणों के स्वामित्व वाले पर्यटक रूचि की क्षमतावान परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसे पर्यटक रूचि वाले स्थलों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा संवर्धित करने हेतु प्रावधान किया गया है।

- चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना:** चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना को पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया है ताकि भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाया जा सके और बौद्ध सर्किट में तम्बू आवास के निर्माण का समर्थन करने के लिए उप-घटकों सहित पर्यटकों को अधिक समृद्ध अनुभव प्रदान किया जा सके, प्रतिष्ठित स्थलों/बौद्ध पर्यटन के लिए हवाई संपर्क में सुधार के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके, प्रतिष्ठित स्थलों में और उसके आसपास क्षमता निर्माण कार्यक्रम, उभरते बाजारों में टूर ऑपरेटरों को प्रोत्साहित किया जा सके और बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
- बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को वैश्विक रूप से सर्वाधिक पंसदीदा स्थल के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के अंतर्गत अत्यधिक प्रचार और विपणन अभियान चलाए जाते है। मंत्रालय इंफ्रेडिबल इंडिया ब्रांड के विपणन के लिए दोहरे लाभ की नीति पर कार्य कर रहा है। स्पेन, चीन, फ्रांस आदि जैसे कुछ बाजारों में अधिक व्यापक और लक्षित पहुंच के लिए तथा नए बाजारों में मंत्रालय के प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप स्थानीय भाषाओं में चलाई जाती है।
- बाजार विकास सहायता सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार:** इस योजना के अंतर्गत, घरेलू पर्यटन के संवर्धन और सामाजिक जागरूकता संदेशों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। देश के महत्वपूर्ण पर्यटक उत्पादों के संवर्धन के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटक स्थल के रूप में संवर्धन के लिए भी अभियान चलाए गए।
- आई.एच.एम/ एंफ़.सी.आई./आई.आई.टी.टी.एम/ एन. आई.डब्ल्यू.एस. को सहायता:** पर्यटन मंत्रालय मौजूदा होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी), राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) का विस्तार और उन्नयन करने तथा होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई) जैसे नए संस्थानों की स्थापना करने के लिए भी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए योजना के तहत आवंटित निधि का उपयोग किया जा सके।
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण:** सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका शीर्षक हुनर से रोज़गार तक है, जो न्यूनतम 8 वीं पास और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र की कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है, साथ ही समाज में गरीबों

तक रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाताओं के कौशल को प्रमाणित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। युवाओं में क्षमता विकसित करने तथा सूक्ष्म और लघु व्यवसाय स्टार्ट-अप को सुविधा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है।

12. **महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल:** महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल एक ऐसी स्कीम है, जिसमें पर्यटन स्थल के आसपास सुरक्षित, भय रहित और महिला अनुकूल परिवेश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और अपराध और उत्पीड़न के डर के बिना यात्रा कर सकेंगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)													
		वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	10171.17	2.05	10173.22	14894.08	31.73	14925.81	10805.53	18.65	10824.18	15389.54	32.43	15421.97
	वसूलियां	-41.36	...	-41.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	10129.81	2.05	10131.86	14894.08	31.73	14925.81	10805.53	18.65	10824.18	15389.54	32.43	15421.97
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय		42.83	1.67	44.50	42.57	1.60	44.17	42.39	1.60	43.99	45.23	2.35	47.58
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		17.12	0.38	17.50	19.55	0.13	19.68	34.98	0.05	35.03	43.28	0.08	43.36
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)		-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		59.87	2.05	61.92	62.12	1.73	63.85	77.37	1.65	79.02	88.51	2.43	90.94
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)													
4. एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस)		4716.29	...	4716.29	7088.60	...	7088.60	4900.00	...	4900.00	7150.01	...	7150.01
5. राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम													
5.01 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता		175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	153.93	...	153.93	200.00	...	200.00
5.02 अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि		...	...	...	...	30.00	30.00	...	17.00	17.00	...	30.00	30.00
5.03 प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)		112.58	...	112.58	380.40	...	380.40	190.89	...	190.89	289.00	...	289.00
5.04 जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम		28.33	...	28.33	27.00	...	27.00	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00
5.05 निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा)		17.52	...	17.52	25.00	...	25.00	23.00	...	23.00	28.00	...	28.00
5.06 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति		240.00	...	240.00	0.02	...	0.02	220.00	...	220.00	340.00	...	340.00
5.07 राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना		6.00	...	6.00	0.01	...	0.01	8.00	...	8.00	20.00	...	20.00
5.08 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)		0.15	...	0.15	12.00	...	12.00	6.00	...	6.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण कार्यक्रम	579.58	...	579.58	619.43	30.00	649.43	633.82	17.00	650.82	909.00	30.00	939.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	5295.87	...	5295.87	7708.03	30.00	7738.03	5533.82	17.00	5550.82	8059.01	30.00	8089.01
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम												
6. अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)												
6.01 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	163.69	...	163.69	313.79	...	313.79	175.00	...	175.00	339.05	...	339.05
6.02 अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	2598.34	...	2598.34	2462.68	...	2462.68	2864.34	...	2864.34	3126.49	...	3126.49
6.03 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	90.00	...	90.00	111.00	...	111.00	90.00	...	90.00	121.01	...	121.01
6.04 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	73.09	...	73.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)	126.19	...	126.19	335.97	...	335.97	170.00	...	170.00	...	...	...
6.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक लागत	16.11	...	16.11	59.01	...	59.01	39.01	...	39.01	...	...	...
6.07 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)	99.68	...	99.68	300.00	...	300.00	184.99	...	184.99	100.00	...	100.00
6.08 धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)	477.68	...	477.68	2000.00	...	2000.00	500.00	...	500.00	2013.46	...	2013.46
जोड़- अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम (प्रधान मंत्री वनबन्धु कल्याण योजना)	3644.78	...	3644.78	5582.45	...	5582.45	4023.34	...	4023.34	5700.01	...	5700.01
7. वास्तविक वसूलियाँ (सीएसएस)	-41.28	...	-41.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3603.50	...	3603.50	5582.45	...	5582.45	4023.34	...	4023.34	5700.01	...	5700.01
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान												
8. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1170.57	...	1170.57	1541.47	...	1541.47	1171.00	...	1171.00	1542.00	...	1542.00
9. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान	1170.57	...	1170.57	1541.48	...	1541.48	1171.00	...	1171.00	1542.01	...	1542.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1170.57	...	1170.57	1541.48	...	1541.48	1171.00	...	1171.00	1542.01	...	1542.01
कुल जोड़	10129.81	2.05	10131.86	14894.08	31.73	14925.81	10805.53	18.65	10824.18	15389.54	32.43	15421.97
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	5316.13	...	5316.13	7083.52	...	7083.52	4922.87	...	4922.87	7160.76	...	7160.76

(₹ करोड़)														
			वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		42.75	...	42.75	42.57	...	42.57	42.39	...	42.39	45.23	...	45.23
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		...	...	...	...	30.00	30.00	...	17.00	17.00	...	30.00	30.00
4.	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		...	2.05	2.05	...	1.73	1.73	...	1.65	1.65	...	2.43	2.43
जोड़-सामाजिक सेवाएं			5358.88	2.05	5360.93	7126.09	31.73	7157.82	4965.26	18.65	4983.91	7205.99	32.43	7238.42
अन्य														
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र		...	...	...	1498.33	...	1498.33	1254.89	...	1254.89	1799.76	...	1799.76
6.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		4759.44	...	4759.44	6204.76	...	6204.76	4565.17	...	4565.17	6312.90	...	6312.90
7.	संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान		11.49	...	11.49	64.90	...	64.90	20.21	...	20.21	70.89	...	70.89
जोड़-अन्य			4770.93	...	4770.93	7767.99	...	7767.99	5840.27	...	5840.27	8183.55	...	8183.55
कुल जोड़			10129.81	2.05	10131.86	14894.08	31.73	14925.81	10805.53	18.65	10824.18	15389.54	32.43	15421.97

												(₹ करोड़)		
			बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश														
1.	राष्ट्रीय और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता		...	455.04	455.04	...	...	...	...	481.00	481.00	...	507.00	507.00
जोड़			...	455.04	455.04	...	...	...	...	481.00	481.00	...	507.00	507.00

1.

सचिवालय: यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
2.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग: यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय के लिए है।
4.

एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस): देश के सभी क्षेत्रों और बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) जवाहर नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में अपना स्थान रखते हैं। ईएमआरएस का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, जिससे न केवल उन्हें सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उच्च और पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है, बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के बराबर शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक भी उनकी पहुंच बनाना है।
- 5.01.

अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कार्य करने वालों को सहायता: सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में सेवा अंतराल को पूरा करने, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है।
- 5.02.

अनुसूचित जनजाति के लिए उद्यम पूंजीगत निधि: सामाजिक क्षेत्र की पहल के रूप में, अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजीगत निधि योजना का उद्देश्य भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हैं। इस योजना का उद्देश्य एसटी उद्यमियों के नए इंक्यूबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को पथ-प्रदर्शन प्रदान करना है। इस योजना से अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को रियायती वित्त मिलेगा, जिससे समाज के लिए समृद्धि और मूल्य सृजन होगा और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

5.03. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना का उद्देश्य जनजातीय आजीविका में परिवर्तनकारी रूपान्तरण लाना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जनजातीय उद्यमों की क्षमता का उपयोग करना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि/फूलों की खेती/वागवानी/औषधीय और सुगंधित पौधों/अन्य के आधार पर गैर-एमएफपी कार्यकलापों को शुरू करके जनजातियों के लिए साल भर आय सृजन करने का अवसर सुनिश्चित करना है।

5.04. **जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम:** यह योजना उन राज्यों में लागू की गई है जहां अनुसूची V वाले क्षेत्र हैं। जनजातीय उत्सवों के आयोजन और जनजातियों से संबंधित मुद्दों के संबंध में अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया जाता है। देश में जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालिक और नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए उनको शामिल करने हेतु उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी गई है।

5.05. **निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (मेसा):** इस मंत्रालय की योजनाओं एवं परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन पर व्यय का प्रावधान किया गया है।

5.06. **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भारत में उच्च अध्ययन अर्थात् एम.फिल और पीएचडी के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.07. **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना:** विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल अध्ययन करने के लिए चुनिंदा एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

5.08. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का उद्देश्य स्थायी आजीविका के अवसर सृजन करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

6.01. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.02. **अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। राज्य सरकारों को उनके वित्तीय बोझ को कम करने और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए विकल्पों के कैफेटेरिया मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.03. **जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता:** जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता योजना के तहत राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान और मूल्यांकन, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी प्रथाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से एफआरए, पीईएसए, संवैधानिक प्रावधानों और जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.04. **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास:** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की पिछड़ी आबादी के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों का प्रावधान किया गया है। उनकी संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए, चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए संबंधित राज्यों को अनुदान दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह स्कीम बंद कर दी गई है।

6.05. **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई):** जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना पूर्व में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान करती थी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतराल को भरने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों सहित अनुसूचित जनजाति आबादी अधिसूचित की है।

6.07. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** इस योजना का लक्ष्य पीवीटीजी के परिवारों और निवास से संबंधित बुनियादी सुविधा जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेय जल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और सड़क और दूरसंचार संपर्क प्रदान करते हुए पीवीटीजी के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

6.08. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए):** धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य 63843 गांवों में अवसंरचना की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

8. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत अनुदान:** इस प्रावधान के तहत, जनजातीय बहुल राज्यों सहित अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले राज्यों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के सृजन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बाकी राज्य के स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

9. **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय उपबंध के खण्ड क के तहत असम सरकार को अनुदान:** यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के खंड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान प्रदान करने के लिए है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 101

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	25022.97	6.52	25029.49	27384.99	4.70	27389.69	24646.65	5.26	24651.91	28632.42	5.64	28638.06
वसूलियां	-187.00	...	-187.00	-500.00	...	-500.00	-278.00	...	-278.00	-455.00	...	-455.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	24835.97	6.52	24842.49	26884.99	4.70	26889.69	24368.65	5.26	24373.91	28177.42	5.64	28183.06
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	71.05	6.52	77.57	80.30	4.70	85.00	79.54	5.26	84.80	84.44	5.64	90.08
2. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.12	...	-0.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	70.93	6.52	77.45	80.30	4.70	85.00	79.54	5.26	84.80	84.44	5.64	90.08
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी)	81.17	...	81.17	90.00	...	90.00	103.00	...	103.00	110.00	...	110.00
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	30.02	...	30.02	14.49	...	14.49	28.23	...	28.23	15.34	...	15.34
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	28.15	...	28.15	25.00	...	25.00	26.80	...	26.80	28.44	...	28.44
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	29.77	...	29.77	28.00	...	28.00	38.41	...	38.41	36.00	...	36.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	169.11	...	169.11	157.49	...	157.49	196.44	...	196.44	189.78	...	189.78
अन्य												
7. राष्ट्रीय पुरस्कार	1.38	...	1.38	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
8. यूनिसेफ के लिए अंशदान	...	...	...	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
9. यूएन महिलाओं के लिए अंशदान	...	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
जोड़-अन्य	1.38	...	1.38	7.20	...	7.20	13.20	...	13.20	13.20	...	13.20
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	170.49	...	170.49	164.69	...	164.69	209.64	...	209.64	202.98	...	202.98
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
10. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं , पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना)	21014.02	...	21014.02	21960.00	...	21960.00	20949.47	...	20949.47	23100.00	...	23100.00
11. मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा)												
11.01 मिशन वात्सल्य	1405.53	...	1405.53	1500.00	...	1500.00	1100.00	...	1100.00	1550.00	...	1550.00
11.02 निर्भया निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
11.03 निर्भया निधि से पूरी की गई	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-10.00	...	-10.00
निवल	1405.53	...	1405.53	1500.00	...	1500.00	1100.00	...	1100.00	1550.00	...	1550.00
12. मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन)												
12.01 सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन-स्टॉप केन्द्र , नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि)	202.40	...	202.40	629.00	...	629.00	322.35	...	322.35	627.00	...	627.00
12.02 सामर्थ्य (शक्ति सदन(स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह) सभी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल), पालना राष्ट्रीय क्रेच योजना), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र/ लैंगिक बजट/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया आदि)	1632.35	...	1632.35	2521.00	...	2521.00	1677.65	...	1677.65	2573.00	...	2573.00
12.03 निर्भया निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	405.00	...	405.00
12.04 निर्भया निधि से पूरी की गई	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-405.00	...	-405.00
निवल	1834.75	...	1834.75	3150.00	...	3150.00	2000.00	...	2000.00	3200.00	...	3200.00
13. निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य योजनाएं												
13.01 निर्भया निधि से सहायता	27.13	...	27.13	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
13.02 निर्भया निधि में अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
13.03 निर्भया निधि से पूरी की गई	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-40.00	...	-40.00
निवल	27.13	...	27.13	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
14. निर्भया निधि को अंतरण	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	278.00	...	278.00	...	...	...
15. निर्भया निधि से पूरी की गई राशि	-27.13	...	-27.13	-500.00	...	-500.00	-278.00	...	-278.00	...	...	...
16. वास्तविक बसूलियाँ (सीएसएस)	-159.75	...	-159.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	24594.55	...	24594.55	26640.00	...	26640.00	24079.47	...	24079.47	27890.00	...	27890.00
कुल जोड़	24835.97	6.52	24842.49	26884.99	4.70	26889.69	24368.65	5.26	24373.91	28177.42	5.64	28183.06
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	891.51	...	891.51	1095.96	...	1095.96	853.77	...	853.77	1130.54	...	1130.54
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	70.93	...	70.93	80.30	...	80.30	79.54	...	79.54	84.44	...	84.44
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	6.52	6.52	...	4.70	4.70	...	5.26	5.26	...	5.64	5.64

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	962.44	6.52	968.96	1176.26	4.70	1180.96	933.31	5.26	938.57	1214.98	5.64	1220.62
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2615.38	...	2615.38	2413.98	...	2413.98	2797.21	...	2797.21
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	22903.09	...	22903.09	22195.95	...	22195.95	20207.35	...	20207.35	23225.42	...	23225.42
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	970.44	...	970.44	897.40	...	897.40	814.01	...	814.01	939.81	...	939.81
जोड़-अन्य	23873.53	...	23873.53	25708.73	...	25708.73	23435.34	...	23435.34	26962.44	...	26962.44
कुल जोड़	24835.97	6.52	24842.49	26884.99	4.70	26889.69	24368.65	5.26	24373.91	28177.42	5.64	28183.06

- 1.**सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस संबंधी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

3.**सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी):** सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) पूर्व में राष्ट्रीय लोक निगम और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और बैंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर और लखनऊ में इसके चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और अनुसंधान परामर्श की जरूरतों को भी पूरा करता है। 30 जून, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एनआईपीसीसीडी का नाम बदलकर एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी कर दिया गया।

4.**केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए):** केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसे देश तथा अंतर-देश गोद लेने की निगरानी और विनियमन का अधिदेश है। कारा मुख्य रूप से अपनी संबद्ध मान्यता-प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने से संबंधित कार्रवाई करता है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68ग के तहत यथा अधिदेशित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 को 4 जनवरी 2017 को अधिसूचित किया गया है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 दत्तक ग्रहण दिशानिर्देश, 2015 को प्रतिस्थापित करते हैं।

5.**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** एनसीपीसीआर की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य बच्चों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों के जीवन, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बाल अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

6.**राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। इसे संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण एवं जांच का अधिदेश है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के वंचन से संबंधित मामलों का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7.**राष्ट्रीय पुरस्कार:** इसमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु प्रावधान शामिल हैं।
- 8.**यूनिसेफ के लिए अंशदान:** इसका उद्देश्य यूनिसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान पर होने वाले व्यय को पूरा करना है।

9.**यून महिलाओं के लिए अंशदान:** यह संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के योगदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए है

10.**सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं , पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना):** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 - इस योजना का उद्देश्य कुपोषित लोगों के बीच स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करना है। पोषण परिणामों को अधिकतम करने के लिए पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, किशोर लड़कियों और पोषण अभियान की योजनाओं को फिर से पंक्तिबद्ध किया गया है। योजनाओं के तहत घटकों को 3 प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है, अर्थात पोषण और किशोर लड़कियों के लिए पोषण सहायता, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आंगनवाड़ी अवसंरचना जिसमें आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगवाड़ी शामिल हैं। योजना के तहत आवंटन में पीएम-जनमन के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 120 करोड़ रुपये और बजटअनुमान 2026-27 में 12.01 करोड़ रुपये शामिल थे। इसके अलावा धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए संशोधित अनुमान 2025-26 में 75.00 करोड़ रुपये और बजटअनुमान 2026-27 में 50.03 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

11.**मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा):** मिशन वात्सल्य- यह योजना उन बच्चों के व्यापक विकास के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाने की दृष्टि से लागू की जा रही है , कानूनी विवाद में फंसे और अन्य कमजोर बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। कार्यक्रम के घटकों में बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत सेवाएं और प्रायोजन, पोषण देखभाल और दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल शामिल हैं। यह चाइल्ड लाइन और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से बाद के देखभाल कार्यक्रम और आपातकालीन आउटरीच सेवा की भी सहायता देता है। पोस्कोघटक के लिए आरई 2025-26 में 8.00 करोड़ रुपये और बीई 2026-27 में 10.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो निर्भया फंड से सहायता-प्राप्त है।

12.01.**सम्बल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन-स्टॉप केन्द्र , नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि):** मिशन शक्ति (संबल) – इस उप-स्कीम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहुंच में सुधार करना है और सभी प्रयासों और विभिन्न सरकारी पहलों को एकीकृत करना है, साथ ही हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं के अधिकारों और उनकी हकदारी को निरंतर आधार पर समग्र रूप में सुरक्षित करना और राष्ट्र निर्माण में एकीकृत भागीदारों के रूप में फिर से उबरने में उनकी सहायता करना है। ओएससी और डब्ल्यूएचएल

घटक के लिए वर्ष 2025-26 के आरई में 240.00 करोड़ रुपये और वर्ष 2026-27 के बीई में 405.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो निर्भया फंड से सहायता-प्राप्त है।

12.02. **सामर्थ्य (शक्ति सदन(स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा गृह) सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल), पालना राष्ट्रीय क्रेच योजना), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना/राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र/ लैंगिक बजट/अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया आदि):** मिशन शक्ति (सामर्थ्य) – इस उप-योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए सुदृढीकरण और अभिसरण के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार लाना है। इस उप-योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास और सशक्तीकरण करना है। इस उप-योजना के घटक शक्ति सदन, सखी निवास, पालना-क्रेच सुविधा, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तीकरण केन्द्र, लैंगिक बजट और अनुसंधान/कौशल/प्रशिक्षण/मीडिया सहायता हैं।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 102

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2830.82	2.24	2833.06	3788.49	5.81	3794.30	3343.43	3.11	3346.54	4461.51	18.37	4479.88
वसूलियां	-122.33	...	-122.33	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2708.49	2.24	2710.73	3788.49	5.81	3794.30	3343.43	3.11	3346.54	4461.51	18.37	4479.88
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय खेल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30.40	1.45	31.85
2. सचिवालय युवा मामले	40.94	2.23	43.17	39.53	2.26	41.79	49.02	2.66	51.68	32.31	1.47	33.78
3. वास्तविक वसूलियाँ (स्था.)	-0.08	...	-0.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	40.86	2.23	43.09	39.53	2.26	41.79	49.02	2.66	51.68	62.71	2.92	65.63
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. राष्ट्रीय सेवा योजना	203.17	0.01	203.18	449.55	0.45	450.00	274.55	0.45	275.00	356.94	0.45	357.39
5. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम												
5.01 राष्ट्रीय युवा कोर	13.15	...	13.15	65.00	...	65.00	22.00	...	22.00	77.00	...	77.00
5.02 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	33.92	...	33.92	25.00	...	25.00	57.68	...	57.68	58.41	...	58.41
5.03 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	7.45	...	7.45	55.00	...	55.00	11.00	...	11.00	35.00	...	35.00
5.04 युवा छात्रावास	0.35	...	0.35	1.90	3.10	5.00	1.10	...	1.10	4.20	15.00	19.20
5.05 स्काउटिंग और गाईडिंग	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00
5.06 राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम	...	...	...	9.25	...	9.25	21.00	...	21.00	10.00	...	10.00
5.07 युवा पोर्टल-युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता	15.01	...	15.01	90.00	...	90.00	47.16	...	47.16	90.00	...	90.00
जोड़- राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	70.63	...	70.63	246.90	3.10	250.00	160.44	...	160.44	277.61	15.00	292.61
6. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	42.38	...	42.38	37.00	...	37.00	28.00	...	28.00	40.00	...	40.00
7. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण	0.95	...	0.95	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
8. राष्ट्रीय खेल विकास निधि	13.71	...	13.71	18.00	...	18.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
9. राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता	256.06	...	256.06	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	425.00	...	425.00
10. खेलों में मानव संसाधन विकास योजना	2.65	...	2.65	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2024-2025			बजट 2025-2026			संशोधित 2025-2026			बजट 2026-2027		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	78.64	...	78.64	15.00	...	15.00
12. खेलो इंडिया	620.75	...	620.75	1000.00	...	1000.00	700.00	...	700.00	924.35	...	924.35
13. जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी	...	...	...	20.00	...	20.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
14. राष्ट्रमंडल खेल	...	...	...	0.01	...	0.01	28.05	...	28.05	50.00	...	50.00
15. खेल सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा देना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
16. वसूलियाँ	-122.25	...	-122.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	1093.05	0.01	1093.06	2187.46	3.55	2191.01	1686.68	0.45	1687.13	2615.90	15.45	2631.35
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. नेहरू युवा केंद्र संगठन	339.95	...	339.95	423.50	...	423.50	423.00	...	423.00	1.02	...	1.02
18. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	23.50	...	23.50	26.00	...	26.00	22.50	...	22.50	26.50	...	26.50
19. मेरा युवा भारत	15.64	...	15.64	82.48	...	82.48	66.78	...	66.78	655.22	...	655.22
20. भारतीय खेल प्राधिकरण	823.50	...	823.50	830.00	...	830.00	880.00	...	880.00	917.38	...	917.38
21. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	46.40	...	46.40	85.00	...	85.00	79.96	...	79.96	87.50	...	87.50
22. राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला	16.70	...	16.70	23.00	...	23.00	28.55	...	28.55	23.00	...	23.00
23. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी	19.57	...	19.57	24.30	...	24.30	24.30	...	24.30	20.30	...	20.30
24. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय	286.06	...	286.06	63.72	...	63.72	78.64	...	78.64	46.98	...	46.98
जोड़-स्वायत्त निकाय	1571.32	...	1571.32	1558.00	...	1558.00	1603.73	...	1603.73	1777.90	...	1777.90
अन्य												
25. विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी को अंशदान	3.26	...	3.26	3.50	...	3.50	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1574.58	...	1574.58	1561.50	...	1561.50	1607.73	...	1607.73	1782.90	...	1782.90
कुल जोड़	2708.49	2.24	2710.73	3788.49	5.81	3794.30	3343.43	3.11	3346.54	4461.51	18.37	4479.88
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. खेल और युवा मामले	2667.63	...	2667.63	3403.17	...	3403.17	2940.46	...	2940.46	4063.07	...	4063.07
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	40.86	...	40.86	39.53	...	39.53	49.02	...	49.02	62.71	...	62.71
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	3.09	3.09	...	...	...	...	13.50	13.50
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.24	2.24	...	2.71	2.71	...	3.11	3.11	...	3.37	3.37
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2708.49	2.24	2710.73	3442.70	5.80	3448.50	2989.48	3.11	2992.59	4125.78	16.87	4142.65
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	345.79	...	345.79	353.95	...	353.95	335.73	...	335.73
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	1.50	1.50
जोड़-अन्य	...	...	...	345.79	0.01	345.80	353.95	...	353.95	335.73	1.50	337.23
कुल जोड़	2708.49	2.24	2710.73	3788.49	5.81	3794.30	3343.43	3.11	3346.54	4461.51	18.37	4479.88

1. **सचिवालय खेल:** यह प्रावधान खेल विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **सचिवालय युवा मामले:** इस प्रावधान में युवा मामले विभाग और वेतन और लेखा कार्यालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था है। संशोधित अनुमान 2025-26 तक, इसमें खेल विभाग का सचिवालय व्यय भी शामिल है।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्यार्थी/युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एनएसएस का संचालन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर किया जाता है। एनएसएस का लक्ष्य छात्रों के सामाजिक विवेक को जाग्रत करना और उन्हें सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।
- 5.01. **राष्ट्रीय युवा कोर:** राष्ट्रीय युवा कोर का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अवधि के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यक्रमों में युवाओं को स्वेच्छिक आधार पर स्वयं को शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों को मानदेय के भुगतान लिए है।
- 5.02. **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम:** युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की उप-योजना 10 वीं योजना के दौरान युवा मामले और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र अनुदान-सहायता योजनाओं, अर्थात् युवा गतिविधि और प्रशिक्षण संवर्धन, राष्ट्रीय एकता संवर्धन, साहसिक और विकास संवर्धन तथा किशोरों के सशक्तिकरण के विलय द्वारा तैयार की गई थी। कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी योजना की भावना के अनुसार युवा और किशोर हैं।
- 5.03. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत यह प्रावधान बहुपक्षीय निकायों, युवा आदान-प्रदान प्रतिनिधिमंडलों आदि को अंशदान के लिए है।
- 5.04. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के भीतर युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। यह प्रावधान युवा छात्रावासों के सतत निर्माण और मौजूदा छात्रावासों की मामूली मरम्मत पर व्यय को पूरा करने और छात्रावास प्रबंधकों और वार्डन को पारिश्रमिक के भुगतान करने के लिए है।
- 5.05. **स्काउटिंग और गाईडिंग:** यह प्रावधान स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु किया गया है।
- 5.06. **राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम:** राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं को संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र-निर्माण के लिए विशाल युवा ऊर्जा का उपयोग करने की अपेक्षा की गयी है।
- 5.07. **युवा पोर्टल-युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता:** यह प्रावधान मेरा युवा भारत ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण और प्रबंधन के लिए है।

6. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना मेधावी खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं। इस योजना में सेवानिवृत्त मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन का प्रावधान भी शामिल है।
7. **खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण:** इस योजना का उद्देश्य अब गरीब परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना, खिलाड़ियों को लगी चोट के लिए सहायता और चिकित्सा उपचार, गरीब परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना तथा खिलाड़ियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
8. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि:** इस निधि को 1998 में चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1890 के तहत सामान्य रूप से खेलों को बढ़ावा देने और विशेष रूप से खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस योजना में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) आदि के साथ-साथ निजी और कारपोरेट क्षेत्रों से 75% निधिपोषण की तुलना में 25% का समतुल्य अनुदान प्रदान किया जाता है।
9. **राष्ट्रीय खेल संघ की सहायता:** मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए अपनी टीमों को विदेश भेजने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने और खेल उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने और विदेशी कोच की सेवाएं लेने के लिए कोचिंग शिविरों के आयोजन के लिए साई के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
10. **खेलों में मानव संसाधन विकास योजना:** खेलों में मानव संसाधन विकास योजना, खेल विकास के शैक्षणिक और बौद्धिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के तहत खेलों और क्रीड़ा के संगत विशिष्ट विषयों में अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। संगोष्ठी, क्लिनिकल ट्रेनिंग, कार्यशाला, योग्यता परीक्षा और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
11. **राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र:** देश में खेलों और क्रीड़ा के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान केंद्र विकसित किया जा रहा है जिसकी हव और स्पोर्ट्स मॉडल के तहत देश के अन्य हिस्सों में शाखाएं होंगी।
12. **खेलो इंडिया:** खेलों इंडिया योजना एक समावेशी योजना है, जिसका लक्ष्य खेल के व्यापक आधार और खेलों में उत्कृष्टता का दोहरा उद्देश्य प्राप्त करना है, जो बदले में देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे जनता को इसके क्रॉस-कटिंग प्रभाव के माध्यम से खेलों के लाभों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा अर्थात्, बच्चों और युवाओं का सर्वांगीण विकास, सामुदायिक विकास, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेल के विकास से संबंधित आर्थिक अवसर।
13. **जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं में बड़ोत्तरी:** यह योजना शान्ति तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में खेल अवसंरचनाओं तथा खेल सुविधाओं को उन्नत तथा विकसित किया जाएगा।
15. **खेल सामग्री के वित्तिर्माण को बढ़ावा देना:** खेल सामग्री से संबंधित वित्तिर्माण और अनुसंधान और उपकरण रूपरेखा में नवाचार तथा सामग्री विज्ञान को बढ़ावा देना।

17. **नेहरू युवा केंद्र संगठन:** नेहरू युवा केन्द्र संगठन भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से निधिपोषित मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे युवाओं को आकर्षित करने और समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 15-29 आयु समूह के गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व गुण अंतर्निविष्ट करने का अधिदेश है।

18. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरंबटूर (तमिलनाडु) में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। यह देश में सभी युवा संबंधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान और मूल्यांकन और विस्तार के लिए जिम्मेदार है।

19. **मेरा युवा भारत:** मेरा युवा भारत भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसी स्थापना युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने हेतु अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करने हेतु युवा विकास और युवा संचालित विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा चालित संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए की गई है।

20. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार ने 1984 में विभिन्न आयु समूहों में प्रतिभाशाली बच्चों को खोजने और उन्हें आवश्यक अवसरचना और उपकरण सहायता, कोचिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान करके उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की थी। योजनाओं को पूरे देश में फैले साई के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

21. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) की स्थापना वर्ष 1957 में ग्वालियर में की गई थी और इसे वर्ष 1995 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

22. **राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला:** राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) एक स्वायत्त निकाय है जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित प्रमुख विश्लेषणात्मक परीक्षण और अनुसंधान संगठन है। यह मानव खेल डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार देश की एकमात्र प्रयोगशाला है और खेलों में डोप-रोधी उपायों के लिए विशेषीकृत सुविधा के रूप में सेवा देता है।

23. **नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी:** राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय है जिसे भारत में डोप मुक्त खेलों का अधिदेश है। नाडा इंडिया विश्व डोपिंग-रोधी संहिता 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग-रोधी कार्यक्रम को लागू करता है।

24. **राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय:** राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 के अधिनियमन द्वारा की गई थी। यह भारत में पहला पूर्ण विकसित खेल विश्वविद्यालय होगा, जिसका विशेष ध्यान खेल विज्ञान के विकास और एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए उच्च मानक अवसरचना के निर्माण पर होगा।

25. **विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी को अंशदान:** यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय एंटी-डोपिंग निकाय वाडा को अंशदान के लिए किया गया है।

